अष्टम माला, खंड 10, अंक 6

सोमवार, 25 नवम्बर, 1985

4 अग्रहायण, 1907 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

चौथा सत्र

(आठवीं लोक सभा)

(खंड 10 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी । उसका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा]

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 10, चौथा सत्र, 1985/1907 (शक)

अंक 6, सोमवार, 25 नवम्बर, 1985/4 अग्रहायण, 1907 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	... ...	1—28
*तारांकित प्रश्न संख्या :	101, 104, 105, 107, 110, 111, 116 और 117	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	... ...	28—251
तारांकित प्रश्न संख्या :	102, 103, 106, 108, 109, 112 से 115, 118 से 120	
अतारांकित प्रश्न संख्या :	1054 से 1074, 1076 से 1157, और 1159 से 1270	
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	... ...	251—253
समिति के लिये निर्वाचन	... ...	253—254
राजभाषा सम्बन्धी समिति		
वायुयान (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	... ...	254—255
वायुयान (संशोधन) अध्यादेश, 1985 के बारे में विवरण	...	255—256
श्री बंसी लाल	... ...	255

* किसी नाम पर अंकित † चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

पृष्ठ

बोनस संदाय (दूसरा संशोधन) विधेयक—पुर:स्थापित ... ... 256—257

बोनस संदाय (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 1985 के बारे में विवरण ... 257

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर 257

नियम 377 के अधीन मामले ... ... 257—261

(एक) त्रिवेन्द्रम जिले के अठिंगल, नेडुमंगड, किलीमनूर आदि नगरों को छोटे और मध्यम दर्जे के नगरों के समेकित विकास की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना में सम्मिलित करने की मांग

श्री टी० बशीर 257

(दो) आन्ध्र प्रदेश में दक्षिण-मध्य रेल के गुडूर रेल स्टेशन पर एक पूछताछ कार्यालय स्थापित करने की मांग

श्री पी० पेंचलैय्या 258

(तीन) त्रिवेन्द्रम में यातायात की भीड़ को कम करने के लिये कजाकुट्टम नेयाट्रिनकारा उपमार्ग का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने को प्राथमिकता देने की आवश्यकता

श्री ए० चार्ल्स 258

(चार) बैलगाड़ियों से होने वाली दुर्घटनाओं में मरने वाले लोगों के वारिस मुआवजे के लिये दावा दायर कर सकें इस हेतु संगत कानूनों में संशोधन करने की आवश्यकता

श्री शान्ति धारीवाल 259

(पांच) रेल कर्मचारियों की शिकायतें दूर करने एवं लम्बे समय से चली आ रही उनकी मांगों को पूरा करने की आवश्यकता

श्री बसुदेव आचार्य 260

पृष्ठ

ब्रथ औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) विधेयक पर वाद-विवाद को स्थगित करने के बारे में प्रस्ताव	261—262
भारतीय अन्तर्देशीय जल-मार्ग प्राधिकरण विधेयक	262—309
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री राजेश पाइलट	262
श्री रेणुपद दास	265
श्री शांता राम नायक	269
प्रो० के० वी० थामस	270
श्री ए० चार्ल्स	272
श्री आर० अण्णानम्बी	274
डा० वी० वेंकटेश	276
श्री मूल चन्द डागा	278
श्री सी० माधव रेड्डी	285
डा० के० जी० अदियोडी	286
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	287
श्री सी० जंगा रेड्डी	289
श्री के० एस० राव	290
प्रो० एन० जी० रंगा	291
श्री चिन्ता मोहन	293
श्री शान्ति धारीवाल	294
श्री पी० कुलनदईवेलू	295
खंड 2 से 38 और 1	
संशोधित रूप में पारित करने के लिये प्रस्ताव	
श्री राजेश पाइलट	301
कपास, धान, गन्ना, पटसन, नारियल आदि जैसी कृषि जिन्सों के मूल्यों में भारी गिरावट के बारे में चर्चा	309—352
श्री के० कुन्जम्बु	310
श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव	311
श्री के० एस० राव	314
श्रीमती शीला दीक्षित	315
श्री उत्तम राठौड़	318
श्री सी० जंगा रेड्डी	319

	पृष्ठ
डा० के० जी० अदियोडी	322
श्री प्रकाश वी० पाटिल	324
श्री अमर राय प्रधान	325
प्रो० के० वी० थामस	329
श्री एम० सुब्बा रेड्डी	330
श्री सी० पी० ठाकुर	332
श्री तम्पन थामस	333
श्री ए० चार्ल्स	334
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	335
श्री कमोदी लाल जाटव	335
डा० ए० के० पटेल	336
श्री के० मोहनदास	336
श्री मनोज पांडे	338
सरदार बूटा सिंह	339

लोक सभा

सोमवार, 25 नवम्बर, 1985/4 अग्रहायण, 1907 (शक)

लोक सभा 11 बजे मध्याह्न पूर्व समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : क्या विचार है। छुट्टी करने का विचार है क्या।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, मैं स्थगन प्रस्ताव कैसे प्रस्तुत कर सकता हूं? गणपूर्ति नहीं है।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली में झुग्गी झोंपड़ियों का गिराया जाना

*101. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने मुनीरका तथा दिल्ली की अन्य कालोनियों में इस वर्ष समाज के कमजोर वर्ग की झुग्गी झोपड़ियों को गिराया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और उसके क्या कारण हैं?

[अनुवाद]

शहरी विकास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा हाल ही में मुनीरका तथा कतिपय क्षेत्रों में किए गए उन्मूलन अभियानों में चिथड़ों, रद्दी कागज रबड़ी प्लास्टिक आदि के भण्डारण तथा विक्रय जैसे वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए समाज के कतिपय

कमजोर वर्गों सहित दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि से अतिक्रमणों को हटाया गया था। हटाई गई अधिकांश संरचनाएं भूमि हड़पने वालों द्वारा किराएदारों को किराए पर दी गई बताई गई थी।

सब मिलाकर दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 1985 के दौरान दिल्ली की विभिन्न कालोनियों में पक्की तथा अर्ध पक्की संरचनाओं, खोखों, चहारदीवारियों, झुग्गियों आदि के विभिन्न प्रकार के लगभग 2500 अनधिकृत निर्माण गिराए थे।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने जो जवाब दिया है, उसमें इन्होंने बताया है कि 1985 में 2500 अनधिकृत निर्माण गिराए गए हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि जब कानून में हटाने का अधिकार है तो क्या ऐसे परिवारों को बसाने का भी अधिकार है जिनके पास रहने की कोई जगह नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन परिवारों को, जिन झुग्गी-झोंपड़ी वालों को वहां से हटाया गया, उनको कहीं बसाने का इन्होंने कोई प्रबन्ध किया है अथवा नहीं ?

श्री अब्दुल गफूर : आपने समझ लिया लगता है कि जितने लोग हटे हैं वे ऐसे लोग थे जिनके पास कोई जमीन नहीं थी या रहने का कोई ठिकाना नहीं था लेकिन मैंने अपने जवाब में सारी स्थिति स्पष्ट कर दी है। दिल्ली में और दूसरी जगहों पर ऐसे लैंड-ग्रैबर्स हैं जिनका पेशा ही यह है कि वे लोगों से पैसा लेकर, जमीनों पर कब्जा करते हैं, और उस पर बसा देते हैं। आजकल उनका 5-6 हजार रुपये का मार्केट रेट जा रहा है। इनमें ऐसे लोग भी थे जो दूसरी जगहों पर टेनैन्ट हैं, दूसरी जगह रहते हैं लेकिन वहां इन्होंने दुकान खोल दी थी। इसलिए वैसी कोई बात नहीं है कि जिनके पास रहने की जगह नहीं थी, जमीन नहीं थी, उन्हीं लोगों को हटाया गया है। उसमें हर किस्म के लोग थे। दूसरी चीज यह है कि डी० डी० ए० की जो लैंड किसी स्कूल के लिए, पार्क के लिए या किसी हायर सैकेण्डरी स्कूल के लिए दी गई है, उसी जगह पर जाकर इन लोगों ने झुग्गी डाल दी है, किसी ने उसको पक्का बना लिया है, कोई सैमी-पक्का है। ऐसी स्थिति में यदि हम उनको छोड़ते रहे, और जैसा आप ने मुनीरका के बारे में प्रश्न किया है, वहां 1983-84 में एक दफा डिमोलीशन का कार्य किया जा चुका है, उसके बाद लोगों ने फिर वहां निर्माण कर लिया। दोबारा उसको गिराया गया, फिर निर्माण कर लिया। यह थर्ड टाइम हुआ है। इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो लोगों को बुला-बुलाकर ले आते हैं कि जब डिमोलीशन होता हो तो उसको रोका जाए रैसिस्टैंस की जाए। अब आप ही बताइये कि कैसे काम सुचारू रूप से चल सकता है, यदि इनको न हटाया जाए। हमने बिफोर डिमोलीशन एक सर्वे भी कराया था कि जितने लोगों की झुग्गी झोंपड़ियां हट रही हैं ··(व्यवधान)···हम यह सब कुछ इसलिए कह देना चाहते हैं ताकि कोई सप्लीमेंटरी ही बाकी न रहे। हमने सर्वे कराया था कि जिनकी झुग्गी-झोंपड़ियां हट रही हैं, वे बतायें कि कौन हैं : लेकिन उनमें से कोई हमारे पास नहीं आया—नन आफ दैम केम—

अध्यक्ष महोदय : मैं यह कहना चाहता था कि आप तो जवाब बन्द करना चाहते हैं लेकिन इधर खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है और उतना ही लम्बा सवाल ये करना चाहते हैं।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो जवाब दिया, उसको आपने सुना

और मैंने जो प्रश्न किया, उसको भी आपने सुना। इन दोनों में बहुत अन्तर है। मैंने अर्ध-पक्के या पक्के मकानों के बारे में कुछ नहीं कहा, जिसका इन्होंने यहां जवाब दिया है। मैं इस बात में इच्छुक नहीं हूं कि कितने पक्के मकानों को, कितने अर्ध-पक्के मकानों को, कितनी चार-दिवारी या झुग्गी-झोंपड़ियों को गिराया गया। मैं तो सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि जिनके बदन से बदबू आ रही थी, जिनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था, आप सिर्फ यही बतायें कि ऐसे झुग्गी-झोंपड़ी वालों को बसाने के लिए क्या आपने कोई प्रबंध किया है या नहीं। दूसरे मैं यह जानना चाहूंगा कि ऐसे कौन से तत्व थे, जिन्होंने वहां मकान बनाने के लिए इजाजत दिया, अपना मकान बनाया और उसका किराया वसूल करते रहे। आप एक-दो आदमी का नाम बतायें, ऐसे कौन लोग थे और वे किस से प्रभावित थे जिन्होंने इस तरह पैसा किराये के रूप में वसूल किया, मकान बनाया और इस सब के बावजूद आपके अधिकारी देखते ही रहे उनके सामने मकान बनता रहा, किराया वसूल किया जाता रहा। इस दौरान उन्होंने उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

श्री अब्दुल गफूर : यह दिल्ली में पुरानी बीमारी है। एक दफा और इसी किस्म की चीजें हुई थीं, उसके बाद हमने एक मीटिंग की जिसमें उस वक्त की गवर्नमेंट ने 5-6 कालोनियों को, जो इर्रेगुलर कालोनीज थी, रेगुलराइज कर दिया था। इससे लोगों की हिम्मत और बढ़ गई। उन्होंने सोचा कि जहां चाहो, जिसकी जमीन पर चाहो, कब्जा कर लो, वह किसी न किसी रोज तो रेगुलराइज हो ही जाएगी। उसके बाद होम मिनिस्टर साहब के यहां हमने एक कैबिनेट मीटिंग की उसमें यह तय पाया गया··· (व्यवधान)···

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, आप हम लोगों को संरक्षण दीजिए···

अध्यक्ष महोदय : (श्री अब्दुल गफूर की ओर) आप उनको यह कहिए कि आइन्दा हम किसी को ऐसे बनाने ही नहीं देंगे।

श्री अब्दुल गफूर : मैं वही बता रहा हूं कि जब होम मिनिस्टर साहब के यहां मीटिंग हुई तो उसमें यह तय पाया कि ऐसा होता ही क्यों है, क्यों झुग्गी-झोंपड़ी वाले जाकर लैंड एन्क्रोच कर लेते हैं। हमने उसको रोकने के लिए आफिसर नियुक्त कर दिया; जहां कहीं इस किस्म का निर्माण हो।

[अनुवाद]

आपकी ड्यूटी केवल यह देखना है कि नये अतिक्रमण न हों।

[हिन्दी]

लेकिन लोग बहुत चालाक हैं।

[अनुवाद]

प्रो० एन० जी० रंगा : मुझे एतराज है। हम यह नही जानना चाहते कि मंत्रिमण्डल की उप-समिति में क्या होता है।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : मैं मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब यह बीमारी दिल्ली में नहीं, सारे भारतवर्ष में है तो इस एन्क्रोचमेंट की बीमारी को रोकने के लिए वे क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं।

श्री अब्दुल गफूर : सारे हिन्दुस्तान में एन्क्रोचमैंट्स को सैंट्रल गवर्नमेंट यहां से बैठकर नहीं रोक सकती। स्टेट गवर्नमेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि उसे रोके। जहां तक दिल्ली का सवाल है, उसके बारे में मैंने स्थिति स्पष्ट कर दी है।

[अनुवाद]

शहरी जनता को पेयजल की आपूर्ति

*104. **श्री भोला नाथ सेन :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अब तक कितनी प्रतिशत शहरी जनसंख्या को पेयजल की आपूर्ति की गई है;

(ख) महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, केरल, आन्ध्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश की तुलना में पश्चिम बंगाल में कितनी प्रतिशत जनसंख्या को पेयजल की आपूर्ति की जा रही है; और

(ग) उपरोक्त राज्यों के शहरी क्षेत्रों में पेयजल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता कितनी है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) हाल ही में की गई एक दशक मध्य समीक्षा के अनुसार, लगभग 72.9 प्रतिशत नगरीय जनसंख्या को पेयजल सुविधाएं मुहैया कर दिए जाने का अनुमान है।

(ख) और (ग) सूचना सभा-पटल पर रखे विवरण में दी गई है।

विवरण

(ख) संदर्भित राज्यों में 31 मार्च, 1985 को नगरीय जनसंख्या का समावेशन नीचे दिया गया है :—

राज्य	नगरीय जनसंख्या की प्रतिशतता
1	2
पश्चिम बंगाल	63.7
महाराष्ट्र	87.1
गुजरात	83.2

1	2
तमिलनाडु	83.8
केरल	64.5
आन्ध्र प्रदेश	52.1
बिहार	59.5
राजस्थान	56.0
उत्तर प्रदेश	70.1

(ग) जलपूर्ति की प्रतिव्यक्ति उपलब्धता नगर से नगर तथा राज्य से राज्य में भिन्न भिन्न है तथा नगरीय क्षेत्र की जनसंख्या तथा जल संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। सन्दर्भित राज्यों के सभी नगरीय क्षेत्रों में पेय-जल की प्रतिव्यक्ति उपलब्धता तुरन्त उपलब्ध नहीं है। तथापि, सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा यथा सूचित इन राज्यों की राजधानियों में सेवा स्तर नीचे दिया गया है :—

कलकत्ता	235 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन
बम्बई	130 ,, ,, ,, ,,
गांधी नगर	600 ,, ,, ,, ,,
मद्रास	70 ,, ,, ,, ,,
त्रिवेन्द्रम	150 ,, ,, ,, ,,
हैदराबाद	190 ,, ,, ,, ,,
पटना	110 ,, ,, ,, ,,
जयपुर	176 ,, ,, ,, ,,
लखनऊ	266 ,, ,, ,, ,,

श्री [illegible] : अध्यक्ष महोदय, विवरण से पता चलता है कि नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत जिसे जल आपूर्ति होती है वह महाराष्ट्र में 87.1%, गुजरात में 83.2%, तमिलनाडु में 83.8%, उत्तर प्रदेश में 70.1% तथा पश्चिम बंगाल में 63.7% है। क्या माननीय मन्त्री महोदय हमें यह बतायेंगे कि महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश राज्यों की तरह पश्चिम बंगाल में अधिक जनसंख्या को जल आपूर्ति क्यों नहीं की जा सकी है? मैं जानना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों के बीच जनसंख्या को जल आपूर्ति कराने के मामले में भेदभाव बरतने का क्या कारण है। क्या यह अकुशलता अथवा कुप्रबन्ध के कारण है अथवा धन की कमी के कारण है?

शहरी विकास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : यह बताया गया है कि पश्चिम बंगाल में 63.7%

नगरीय जनसंख्या को जल आपूर्ति की जा रही है। एक राज्य में 87% तक जल आपूर्ति की जा रही है तथा कुछ राज्यों में 83 प्रतिशत तक जल आपूर्ति की जा रही है। पश्चिम बंगाल 63.7% जन-संख्या को जल आपूर्ति कर रहा है। यह पश्चिम बंगाल की सरकार को देखना है कि उसे कितने लोगों को जल आपूर्ति करनी है। मैं इस प्रश्न का उत्तर कैसे दे सकता हूं। केन्द्रीय सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना में रखी गई योजना राशि के अनुसार राशियों का आवंटन कर दिया है। राज्य सरकार की सुस्ती की वजह से ऐसा हुआ है कि उनके राज्य में अन्य राज्यों की अपेक्षा कम जनसंख्या को जल आपूर्ति की व्यवस्था की गई है।

श्री भोला नाथ सेन : विवरण में (ग) के अन्तर्गत यह दर्शाया गया है कि कलकत्ता 235 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जल आपूर्ति कर रहा है तथा गांधी नगर प्रतिदिन 600 लीटर प्रति व्यक्ति जल आपूर्ति कर रहा है। मुझे निश्चित तौर पर पता है कि कलकत्ता में कई बार कुप्रबन्ध तथा रखरखाव की कमी के कारण जल आपूर्ति नहीं होती है। मैं सरकार से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। सामान्य तौर पर कलकत्ता में लोगों को जल की उपलब्धता 235 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन होती है। क्या इसमें वे दिन भी सम्मिलित हैं जब कलकत्ता में जल आपूर्ति बिल्कुल नहीं होती है ? उस स्थिति में, 235 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन का हिसाब कैसे निकाला गया है ?

श्री अब्दुल गफूर : जहां तक कलकत्ता के पेयजल के प्रश्न का सम्बन्ध है—राजधानी, दिल्ली में हमें सदा जल नहीं मिलता—हम सदा ही 24 घंटे लोगों को जल उपलब्ध करा रहे हैं। परन्तु जो सूचना हमें प्राप्त हुई हैं उसके अनुसार कलकत्ता में 235 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तक जल आपूर्ति की जा रही है।

श्री भोला नाथ सेन : कलकत्ता निगम 24 घन्टे जल आपूर्ति नहीं करता है। यह दिन में एक निश्चित समय के लिए जल आपूर्ति करता है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, बिहार में, नगरीय जल आपूर्ति 53 प्रतिशत है। जो कलकत्ता की जल आपूर्ति से बहुत कम है। माननीय मन्त्री महोदय बिहार से हैं। क्या माननीय मंत्री महोदय बतायेंगे कि इसका कारण अकुशलता है अथवा केन्द्र इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त धन नहीं दे रहा है।

श्री अब्दुल गफूर : क्या आप समझते हैं कि पूरे बिहार की 59.5% नगरीय जनसंख्या को जल आपूर्ति हो रही है और पश्चिम बंगाल 63.7% जनसंख्या को जल आपूर्ति कर रहा है ? प्रश्न यह नहीं है। प्रश्न यह है कि राजधानी में हम, छोटे से नगर के आंकड़े एकत्रित नहीं कर सके हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : यह आपके उत्तर में दिया हुआ है।

श्री अब्दुल गफूर : कई राज्य हैं जहां जल काफी मात्रा में उपलब्ध है और राजस्थान जैसे कई राज्य है जहां पर जल की उपलब्धता बहुत ही कम है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मेरा प्रश्न था : पटना में 53 प्रतिशत का आंकड़ा होने के क्या कारण हैं ?

श्री अब्दुल गफूर : मैंने पहले ही आंकड़े उद्धृत किए हैं; पश्चिम बंगाल में 63.7 प्रतिशत है, महाराष्ट्र में 87.1 प्रतिशत इत्यादि । यह बिहार से अधिक है । मैंने यह पहले ही कहा है ।

कुमारी ममता बनर्जी : क्या यह सत्य है कि वामपंथी सरकार के कुप्रबन्ध, अक्षमता तथा अकुशलता के कारण पश्चिम बंगाल के लोगों को पेयजल के लिए बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ? वहां की सरकार ने बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र को कलकत्ता नगर निगम में शामिल कर लिया है, परन्तु लोगों को पर्याप्त मात्रा में पेयजल के अभाव में बहुत ही कष्ट उठाने पड़ रहे हैं । क्या माननीय मन्त्री महोदय मामले की जांच करेंगे और पश्चिम बंगाल के लोगों को पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध कराने के लिए नई परियोजनाओं को बनायेंगे ?

श्री अब्दुल गफूर : मैंने कुछ सप्ताह पूर्व कलकत्ता का दौरा किया था और मुझे समय मिला तो मेरा फिर से दौरा करने का इरादा है, और जहां तक जल आपूर्ति का सम्बन्ध है मैं वास्तविक कठिनाई का पता लगाऊंगा ।

[हिन्दी]

आयातित चीनी का मूल्य और उसका वितरण

*105. **श्री सी० जंगा रेड्डी**
डा० ए० के० पटेल
: क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास, महाराष्ट्र तथा गुजरात में उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से बेची जा रही आयातित चीनी का विक्रय मूल्य क्या है;

(ख) उन देशों के नाम क्या हैं जिनसे हाल ही के महीनों में भारत ने चीनी खरीदी है और उन देशों में चीनी का वसूली मूल्य क्या है, माल भाड़ा कितना लगा है तथा भारत के बन्दरगाहों में पहुंचने पर उसका मूल्य क्या है; और

(ग) आयातित चीनी का कितना प्रतिशत भाग जनता के उपभोग के लिए दिया गया तथा कितना प्रतिशत भाग चीनी पर आधारित उद्योगों को दिया गया और उनको यह किस मूल्य पर बेची गई ?

[अनुवाद]

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) निम्नलिखित राज्य सरकारों द्वारा खुली बिक्री की आयातित चीनी बिक्री का मूल्य इस प्रकार निर्धारित किया गया है :—

तमिलनाडु	—	5.50 रुपये प्रति किलोग्राम (खुली)
	—	5.60 रुपये प्रति किलोग्राम (पोली-पैक)
गुजरात	—	5.65 से 5.80 रुपये प्रति किलोग्राम—दूरी के अनुसार दर भिन्न-भिन्न है।
तथा महाराष्ट्र	—	5.80 रुपये प्रति किलोग्राम

(ख) भारतीय राज्य व्यापार निगम उन अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारियों से, जो उनके पास पंजीकृत हैं, टेण्डर आमंत्रित करने के बाद चीनी की खरीदारी कर रहा है। विक्रेता दक्षिणी अफ्रीका, इजराइल और भारत में उत्पादित चीनी को छोड़कर किसी भी देश में उत्पादित चीनी को भेज सकता है। वित्तीय वर्ष 1985-86 के दौरान अब तक फिलीपीन, थाइलैण्ड, कोरिया, वियतनाम, चीन, क्यूबा, यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों, युगोस्लाविया, पोलैण्ड, ब्राजील, संयुक्त राज्य अमेरिका, आदि सहित विभिन्न देशों में उत्पादित चीनी भेजी गई है। ये खरीदारियां लागत और भाड़ा के आधार पर की गई हैं। जिन मूल्यों पर चीनी खरीदी गई है, वे अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के रुख पर निर्भर करते हुए भिन्न-भिन्न होते हैं और भारतीय पत्तनों के लिए बाजार का मौजूदा लागत और भाड़ा मूल्य लगभग 210/- अमरीकी डालर प्रति मीटरी टन है। राज्य व्यापार निगम द्वारा चालू वर्ष के दौरान अब तक की गई खरीदारियों की औसतन लागत तथा भाड़ा लागत लगभग 180/- अमरीकी डालर प्रति मीटरी टन अथवा लगभग 2250/- रुपये प्रति मीटरी टन बैठती है। इस मूल्य में भाड़ा शामिल है किन्तु बीमा शामिल नहीं है।

(ग) आयातित चीनी की सम्पूर्ण मात्रा, जो देश में 31.10.1985 तक पहुंच गई थी। (1) राज्य सरकारों द्वारा नियंत्रित माध्यमों के जरिये निर्धारित मूल्य पर वितरित करने के लिए खुली बिक्री की चीनी के रूप में तथा भारतीय खाद्य निगम द्वारा टेण्डर के आधार पर बिक्री के लिए, और (2) उचित दर की दुकानों के जरिये वितरण करने के लिए लेवी चीनी के रूप में, निर्मुक्त की गई थी। चीनी पर आधारित उद्योगों/बल्क उपभोक्ताओं को अनुमति दी गई है कि वे अपनी आवश्यकताओं को या तो राज्य सरकारों से उनको आवंटित किए गए कोटे में से 5.80 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर पूरा कर सकते हैं अथवा भारतीय खाद्य निगम द्वारा की जा रही आयातित चीनी की नीलामी के जरिये एक समय पर 25 मीटरी टन तक चीनी की खरीदारी करके पूरा कर सकते हैं।

प्रो मधु दंडवते : इसकी संख्या 20 लाइनों से अधिक है; इन्हें एक विवरण के रूप में दिया जाना चाहिए था।

अध्यक्ष महोदय : हां, इसे सभा-पटल पर रखा जाना चाहिए था।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : अध्यक्ष महोदय, चीनी इंटरनेशनल मार्किट में 75 नये पैसे प्रति किलोग्राम के हिसाब से मिल रही है, जबकि मारिशस 87 नये पैसे प्रति किलोग्राम के हिसाब से चीनी देने के लिये तैयार है। ऐसा होने पर चीनी उनसे न लेने का क्या कारण है ?

[अनुवाद]

श्री के० पी० सिंह देव : महोदय, आयातित चीनी एस० टी० सी० के माध्यम से खरीदी जाती है। इसे खाद्य विभाग अथवा एफ० सी० आई० द्वारा सीधे ही नहीं खरीदा जाता है। एस० टी० सी० के माध्यम से खरीदने के बाद यह एफ०सी०आई० तक पहुंचती है और उसके पश्चात् एफ० सी०आई० इसे राज्यों को वितरित करता है। माननीय सदस्य द्वारा उद्धृत मूल्यों के बारे में मुझे पता लगाना पड़ेगा।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : इंटरनेशनल मार्किट में 75 पैसा प्रति के०जी० के भाव चीनी मिल रही है और मारीशस 87 पैसे प्रति के०जी०के भाव पर बम्बई में देने को तैयार है। तो उनसे क्यों नहीं लिया गया ? मेरा सवाल यह था, जिसका उत्तर मुझे नहीं मिला। मार्केट प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में 75 पैसे प्रति के० जी० है और मारीशस ने बम्बई में 87 पैसे प्रति के० जी० में देने को आफर किया है। उनसे क्यों नहीं लिया गया ?

[अनुवाद]

श्री के०पी० सिंह देव : मैंने वो आंकड़े दिये हैं जिन पर हमने खरीदी है। विभिन्न देशों से इसे एस० टी० सी० के माध्यम से खरीदा जाता है। मुझे माननीय सदस्यों द्वारा उद्धृत आंकड़ों के संबंध में जानकारी नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि यह 75 पैसे है अथवा 87 पैसे है। मैंने इस समय के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य दिए हैं तथा जिन मूल्यों पर एस० टी० सी० ने खरीदारी की है, वे दिये हैं।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : प्रिवेलिंग मार्केट रेट मैं नहीं पूछ रहा हूं। मैं तो उस समय के रेट की बात कर रहा हूं;

[अनुवाद]

समझौते के समय जो भी अंतर्राष्ट्रीय दर हो।

श्री के० पी० सिंह देव : मैंने आपको दिये हैं। यह 180 अमरीकी डालर प्रति मीटरी टन है।

अध्यक्ष महोदय : ये वह मूल्य बता रहे हैं जिस पर इन्होंने चीनी खरीदी है।

श्री० सी० जंगा रेड्डी : महोदय, ये वर्तमान मूल्य बता रहे हैं।

[हिन्दी]

मेरा दूसरा सवाल है…

अध्यक्ष महोदय : आप के आलरेडी दो हो गए। आप तीन तो नहीं पूछ सकते।

श्री सी० जंगा रेड्डी : मैंने एक ही पूछा है।

एक माननीय सदस्य : एक ही प्रश्न बार बार पूछा है समझ में आने तक।

श्री सी० जंगा रेड्डी : मंत्री महोदय ने प्रश्न के (बी) भाग में उत्तर दिया है कि यहां पर इंडिया में आने पर 2250 रुपया प्रति टन इस का भाव पड़ता है। इसका मतलब है 2 रुपये 25 पैसे प्रति किलो, फिर भी तामिलनाडु में गुजरात में या और दूसरी जगहों पर 5.60, 5.65, 5.85, 5.80, इस भाव पर दे रहे हैं ? तो बीच में इतना मुनाफा उनको क्यों खाने दिया जा रहा है ? इसका क्या कारण है ?

[अनुवाद]

श्री के० पी० सिंह देव : हमने राज्य सरकारों को परामर्श दिया है कि वे इसे 6 रुपये प्रति किलोग्राम से कम मूल्य पर बेंचे और बाद में जब यह मूल्य कम किया गया तो हमने उन्हें परामर्श दिया कि वे इसे 5 रुपये 80 पैसे प्रति किलोग्राम से कम पर बेचें और राज्य सरकारों ने चल रही परिस्थितियों के अनुसार मूल्य निर्धारित किए हैं। इसमें किसी के द्वारा कोई मुनाफे खाने का प्रश्न नहीं है।

प्रो मधु० दंडवते : महोदय, आयातित चीनी का पूरा प्रश्न स्वदेशी चीनी के गिरते उत्पादन के प्रश्न से जुड़ा हुआ है। अतः मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सत्य नहीं है कि कुछ राज्यों में, उदाहरण के लिए जैसे महाराष्ट्र बहुत सारा गन्ना जिसकी चीनी मिलों को आवश्यकता होती है सहकारी चीनी मिलों द्वारा हथिया लिया जाता है और बहुत सी निजी चीनी मिलों के लिए गन्ने की आपूर्ति अपर्याप्त हो जाती है जिसके फलस्वरूप चीनी का उत्पादन बहुत गिर गया है। यह सत्य है और मैं इसे केवल हां अथवा न कहने के लिए पूछ रहा हूं। इस संदर्भ में क्या सरकार को बहुत से व्यापारियों से काफी संख्या में प्रस्ताव नहीं मिले हैं कि सरकार साधारण चीनी आयात करने की बजाय अपरिष्कृत चीनी का आयात करने की कोशिश करे जिसे वास्तव में इन मिलों में परिष्कृत किया जा सकता है जिससे इन मिलों की रोजगार क्षमता में कमी न आये और साथ ही परिष्कृत चीनी भी सस्ते मूल्य पर उपलब्ध हो ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय सभा को आश्वासन देंगे कि वह इस प्रस्ताव की जांच करके इसे क्रियान्वित करेंगे। कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री भी उत्तर दे सकते हैं। मुझे इस पर एतराज नहीं है।

श्री के० पी० सिंह देव : मुझे केवल प्रो० मधु दंडवते से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसका उत्तर मैंने दो या तीन दिन पूर्व दे दिया है, जो निजी क्षेत्र की चीनी मिलों के बारे में उन्होंने लिखा था…

प्रो० मधु दंडवते : वह एक निजी पत्राचार था मैं सार्वजनिक आश्वासन चाहता हूं।

श्री० के० पी० सिंह देव : हम आपसे वायदा कर चुके हैं कि इस पर राज्य सरकार से बातचीत की जाएगी क्योंकि गन्ने का आबंटन केन्द्र सरकार पर निर्भर नहीं करता। केन्द्र सरकार तो केवल संविधिक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है। गन्ना चीनी मिलों में न जाकर अन्य जगहों पर जा रहा है। जैसा कि आपने लिखा है कि निजी क्षेत्र की मिलों को गन्ना नहीं मिल रहा, हम इस मामले में राज्य सरकारों से बातचीत कर रहे हैं ताकि इस संबंध में कोई कठिनाई न हो।

प्रो० मधु दंडवते : इस पर विचार हो रहा है या सक्रिय रूप से विचार हो रहा है ?

श्री के० पी० सिंह देव : इस पर सक्रिय रूप से विचार हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय : अति सक्रिय विचार हो रहा है।

श्री सी० माधव रेड्डी : मैं जानना चाहता हूं कि राज्य व्यापार निगम या भारतीय खाद्य निगम राज्य सरकारों को किस कीमत पर आयातित चीनी दे रहे हैं। अगर 5.80 रुपए में दे रहे हैं, जैसा कि उत्तर में बताया गया है, तो केन्द्र सरकार या इसकी एजेंसियां आयातित चीनी से कितना लाभ कमा रही हैं।

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या उक्त निगमों द्वारा चीनी जैसी वस्तु की कीमतों में हेर-फेर करना वांछनीय है।

श्री के० पी० सिंह देव : इसमें भारतीय खाद्य निगम द्वारा लाभ कमाने का प्रश्न नहीं उठता। जैसा कि मैंने बताया था, भारत सरकार ने शुरू में राज्य सरकारों को सलाह दी थी कि प्रति किलो चीनी की कीमत 6.00 रुपए से कम रखी जाए क्योंकि उस समय मौजूदा कीमत 5.40 रुपए थी और उसके बाद कीमतें कम हो जाने के कारण चीनी 5.20 रुपए प्रति किलो की दर से आंबटित की गई थी। उस समय हमने सुझाव दिया था कि कीमत 5.80 रुपए से कम होनी चाहिए। अतः राज्य सरकारें जो भी कीमत निर्धारित करना चाहें कर सकती हैं। इसलिए मैंने इन तीन राज्यों के आंकड़े दिए हैं :—

तमिलनाडु	5.50 रुपए से 5.60 रुपए
गुजरात	5.65 रुपए से 5.80 रुपए
महाराष्ट्र	5.80 रुपए

इस समय इसकी कीमत 5.20 रुपए है।

उर्वरक उपभोक्ता मूल्य समिति

*107. **श्री मोहन भाई पटेल†**
श्री अमर सिंह राठवा } : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1985 में एक उच्च शक्ति प्राप्त उर्वरक उपभोक्ता मूल्य समिति का गठन किया गया था और यदि हां, तो इसके चेयरमैन का क्या नाम है;

(ख) समिति के मुख्य कार्य क्या हैं;

(ग) क्या समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है और यदि हां, तो समिति ने क्या सिफारिशें की हैं और उनके कार्यान्वियन के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) कृषि उत्पादन बढ़ाने में ये सिफारिशें किस हद तक सहायक होंगी ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां। 1984 में डा० ए० एस० कहलों की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार-प्राप्त उर्वरक उपभोक्ता मूल्य समिति गठित की गई थी। विदेश में उनकी नियुक्ति हो जाने पर उनके द्वारा समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देने के फलस्वरूप इस समिति का 23.7.85 को पुनर्गठन किया गया और डा० जी० वी० के० राव को इसको अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

(ख) डा० ए० एस० कहलों की अध्यक्षता वाली और डा० जी० वी० के० राव की अध्यक्षता वाली, दोनों समितियों के विचारार्थ-विषयों को विवरण के रूप में सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ग) जी नहीं। समिति ने अभी तक अपनी रिपोर्ट पेश नहीं की है।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं होता।

विवरण

क. डा० ए० एस० कहलों की अध्यक्षता वाली समिति के विचारार्थ विषय

1. उर्वरकों का इस्तेमाल करने से फसल उत्पादन को प्रभावित करने वाले सामाजार्थिक और कृषि वैज्ञानिक घटकों का पता लगाना और उर्वरक मूल्य नीति का निर्धारण करने वाले विभिन्न मानदण्डों का सुझाव देना। इन मानदण्डों में ये शामिल होंगे—सिंचित और असिंचित, दोनों फसलों के लिए लागत-लाभ अनुपात, क्षेत्र विशेष में खपत का स्तर और सिंचाई की मात्रा।

2. उर्वरकों का अधिक उपयोग करके कृषि उत्पादन के लक्षित स्तरों को प्राप्त करने के उद्देश्य से न्यूनतम लागत-लाभ अनुपात का सुझाव देना, जिससे किसान उर्वरकों का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए प्रेरित हों।

3. *मिश्रित उर्वरकों में एन पी० $_2$ ओ $_5$ और के $_2$ ओ के पोषण मूल्यों के निर्धारण की प्रणाली का सुझाव देना।*

4. ऐसे नीतिगत उपायों का सुझाव देना, जिनसे उर्वरकों का प्रयोग अधिक दक्षता से किया जा सके और इस तरह लागत-लाभ अनुपात में सुधार हो सके।

5. ऐसे उत्पादन प्रतिमान का सुझाव देना, जिसमें उत्पादन, संचलन, और भण्डारण-शुल्क की कम लागत आए और मृदा और फसल की आवश्यकताओं के आधार पर पोषकों का उचित इस्तेमाल हो सके।

ख. डा० जी० बी० के० राव की अध्यक्षता वाली समिति के विचारार्थ विषय

1. उर्वरकों का इस्तेमाल करने से फसल उत्पादन को प्रभावित करने वाले सामाजार्थिक कृषि वैज्ञानिक घटकों का पता लगाना और उर्वरक मूल्य नीति का निर्धारण करने वाले विभिन्न मानदण्डों का सुझाव देना। इन मानदण्डों में ये शामिल होंगे—सिंचित और असिंचित, दोनों फसलों के लिए लागत-लाभ अनुपात, क्षेत्र विशेष में खपत का स्तर और सिंचाई की मात्रा।

2. उर्वरकों का अधिक उपयोग करके कृषि उत्पादन के लक्षित स्तरों को प्राप्त करने के उद्देश्य से न्यूनतम लागत-लाभ अनुपात का सुझाव देना, जिससे किसान उर्वरकों का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए प्रेरित हों।

3. मिश्रित उर्वरकों में एन, पी० $_2$ ओ $_5$ और के $_2$ ओ के पोषण-मूल्यों के निर्धारण की प्रणाली का सुझाव देना।

4. ऐसे नीतिगत उपायों का सुझाव देना, जिनसे उर्वरकों का प्रयोग अधिक दक्षता से किया जा सके और इस तरह लागत-लाभ अनुपात में सुधार हो सके।

5. मृदा और फसल की आवश्यकताओं के आधार पर पोषकों के उचित प्रयोग को ध्यान में रखते हुए एक उपयुक्त उत्पादन प्रतिमान विकसित करने के लिए सिफारिशें करना।

[हिन्दी]

श्री मोहन भाई पटेल : अध्यक्ष जी, माननीय मन्त्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि कमेटी की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है लेकिन उसकी टर्म्स आफ रेफ्रेन्स को देखते हुए इस कमेटी का बड़ा महत्व है, किसानों की दृष्टि से तथा देश की दृष्टि से क्योंकि अपने देश में भूमि की किस्में अलग-अलग हैं और कौन सी भूमि में कौन सा उर्वरक डालने से कौन सी फसल अच्छी होगी या कम उर्वरक इस्तेमाल करने से फसल अच्छी होगी, इसको देखते हुए भूमि के मुताबिक उर्वरक तैयार नहीं की जाती है। मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि आजकल देश में जो उर्वरक का उत्पादन

होता है वह क्या एक्सपर्ट्स की रेक्मेंडेशन के अनुसार होता है ? यदि एक्सपर्ट्स की रेक्मेंडेशन के मुताबिक होता है तो वह रेक्मेंडेशन्स कब की गई थीं, किसने की थीं ? यदि उसके अनुसार उत्पादन नहीं होता है तो आज तक हमारा ध्यान उन रेक्मेंडेशन्स की ओर क्यों नहीं गया है ?

[अनुवाद]

श्री योगेन्द्र मकवाना : माननीय सदस्य उत्पादन नमूनों के बारे में पूछ रहे हैं। **बाराबती आदि** जैसे कुछ उत्पादन के नमूने हैं और ये नमूने हमेशा कृषि मन्त्रालय द्वारा मंजूर किये जाते हैं। जब तक मन्त्रालय उन पर मंजूरी नहीं देता तब तक वे उनका निर्माण नहीं कर सकते, उन्हें मिला नहीं सकते। मंजूरी देने से पूर्व कृषि मंत्रालय भूमि की जांच करता है। किसी खास किस्म की भूमि के लिए किस प्रकार के उर्वरक की जरूरत पड़ेगी उस पर कौन सी फसल उगाई जाएगी – इन सभी बातों पर विचार किया जाता है। किसी विशेष फसल के लिए एक खास किस्म के उर्वरक की जरूरत होती है। तदनुसार अनुपात निर्धारित किया जाता है। अगर अनुपात मिट्टी के लिए अपेक्षित उर्वरक तथा फसल के नमूने के अनुरूप हो तो उस अनुपात पर कृषि मन्त्रालय अपनी मंजूरी दे देता है।

[हिन्दी]

श्री मोहन भाई पटेल : अध्यक्ष जी, आपने जो कमेटी रिकमेंड की है उससे तो आपकी राय होगी कि फर्टिलाइजर का प्रपोर्शन अच्छा नहीं है, इसलिए आपने कमेटी गठित की है।

[अनुवाद]

श्री योगेन्द्र मकवाना : माननीय सदस्य स्थिति को ठीक से समझ नहीं पाए। समिति का गठन मिश्रित उर्वरकों की कीमत निर्धारित करने के लिए किया गया है न-कि इस बारे में कि मिश्रण किस प्रकार किया जाये। मिश्रण तो है ही समिति को तो केवल लागत-लाभ के अनुपात पर विचार करके कीमतों के बारे में सुझाव देना है।

श्री मोहन भाई पटेल खड़े हुए—

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ नहीं होगा। अब अगला प्रश्न संख्या 108 लेंगे। डा० विजय रामाराव तथा श्री मानिक रेड्डी उपस्थित नहीं हैं। प्रश्न संख्या 109 लेते हैं। श्री लक्ष्मण मलिक उपस्थित नहीं हैं। अब प्रश्न 110—श्री शरद दिघे।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खरीदे गए गेहूं की कुल मात्रा

***110. श्री शरद दिघे** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी से अगस्त, 1985 तक की अवधि में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से केवल 18.4 लाख मीटरी टन गेहूं खरीदा गया यद्यपि इसके लिए 53 लाख मीटरी टन गेहूं आबंटित किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जनवरी से अगस्त, 1985 के दौरान केन्द्रीय पूल से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए 16.3 लाख मीटरी टन गेहूं का उठान किया गया था जब कि 53 5 लाख मीटरी टन का आबंटन किया गया था।

(ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली से गेहूं के कम उठान का मुख्य कारण गेहूं का अच्छा उत्पादन होना तथा उसके फलस्वरूप खुले बाजार में उसकी सुगम उपलब्धता होना है।

राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कारगर बनाएं ताकि वे अधिक गेहूं उठाएं और 31 मार्च, 1986 तक मात्रा पर कोई सीमा लगाए बिना उचित दर की दुकानों के जरिए कार्डधारियों को गेहूं जारी किया जा सके। यह भी निर्णय किया गया है कि आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाली जनता तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों को विशेष राज सहायता प्राप्त दरों पर खाद्यानों, अधिकांशतः गेहूं, का वितरण किया जाए।

श्री शरद दिघे : गेहूं की धीमी गति से खरीद के कारण बताते हुए माननीय मंत्री ने उत्तर के भाग (ख) में उल्लेख किया है कि ऐसा मुख्यतः गेहूं की बढ़िया पैदावार तथा उसके परिणामस्वरूप खुले बाजार में आसानी से उसकी उपलब्धता है। तो, मुख्य कारण यह है। अन्य कारण कौन से हैं?

श्री के० पी० सिंह देव : वस्तुतः जैसा कि मुझे पता लगा है यह एक मूल कारण है।

श्री शरद दिघे : क्या यह सच है कि उपभोक्ताओं तक आसानी से पहुंचने के लिए तथा जहां जरूरी हो वहां उचित दर की नई दुकानें खोलकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करना तथा उसका विस्तार करना जरूरी है? गेहूं की धीमी गति से खरीद का मुख्य कारण क्या यह है?

श्री के० पी० सिंह देव : माननीय सदस्य ठीक कह रहे हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार अन्य क्षेत्रों में भी किया गया है। इसके अलावा भारतीय खाद्य निगम गेहूं को 175 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बेच रहा है। रोलर आटा मिलों को भी 25 प्रतिशत अधिक गेहूं दिया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गेहूं की धीमी गति से खरीद के प्रारम्भिक कारणों के अलावा ये भी कुछ कारण हैं।

श्री शरद दिघे : मेरा प्रश्न है कि क्या उचित दर की और दुकानें खोलनी जरूरी हैं।

श्री के० पी० सिंह देव : वित्त मंत्री जी ने 19 तारीख को इस योजना की घोषणा की थी कि हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार खासकर एकीकृत आदिवासी विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत आने वाले आदिवासी क्षेत्रों, अत्यधिक सूखाग्रस्त क्षेत्रों तथा अन्य दूर-दराज के उन क्षेत्रों में करेंगे जहां अनाज की स्थिति चिन्ताजनक है। इसलिए हम राज्य सरकारों से सम्पर्क बनाए हुए हैं और उनसे विचार-विमर्श कर रहे हैं और सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भी हम इस प्रणाली का विस्तार करेंगे।

[हिन्दी]

श्री जयप्रकाश अग्रवाल : मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही नहीं है कि जो व्हीट फेयर प्राइस शाप्स से दिया जाता है, उसकी क्वालिटी बहुत गन्दी है और लोग बजाए फेयर प्राइस शाप्स से माल लेने के ओपन मार्केट से लेना ज्यादा पसन्द करते हैं ?

[अनुवाद]

श्री के० पी० सिंह देव : यह सही नहीं है।

श्री जयप्रकाश अग्रवाल : गेहूं बड़ी घटिया किस्म का होता है।

श्री के० पी० सिंह देव : घटिया किस्म का नहीं होता।

[हिन्दी]

श्रीमती ऊषा ठक्कर : जो 12 किलो गेहूं दिया जाता है, उसका मैं स्वागत करती हूं लेकिन मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहती हूं कि मार्च, 1986 तक जो किया गया है, इसको नवम्बर 86 तक गुजरात में करना चाहिए क्योंकि वहां पर सूखा है और जब गेहूं की इतनी उपलब्धि है, तो मैं एक सुझाव यह देना चाहती हूं कि एक कार्ड पर जितना कोई लेना चाहे, उतना वह ले सकता है और गुजरात के लिए यह खास तौर पर करना चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, यह मैं जानना चाहती हूं।

[अनुवाद]

श्री के० पी० सिंह देव : माननीय महिला सदस्या ने वक्तव्य को सुना नहीं है। जिन लोगों के पास राशन कार्ड हैं वे जितना चाहें उतना गेहूं ले सकते हैं।

श्रीमती प्रेमलाबाई चव्हाण : सच यह है कि लोगों को उचित दर की दुकानों से घटिया किस्म का गेहूं मिल रहा है। उदाहरण के लिए उस घटिया किस्म का गेहूं संसद में भी दिखाया गया था। अतः क्या इन सब बातों पर नियन्त्रण रखने के लिए कुछ नए प्रबन्ध किए जा रहे हैं और क्या उचित दर की दुकानों की संख्या बढ़ाने के बजाय गेहूं की किस्म पर नियन्त्रण नहीं रखा जाना चाहिए ? मंत्री जी क्या इसके लिए कुछ करेंगे ?

श्री के० पी० सिंह देव : माननीय सदस्य अच्छी तरह जानते हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली पूरी तरह से राज्य सरकार का दायित्व है। इसलिए संसद के सत्र से पूर्व खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रियों के साथ हमारी एक बैठक हुई थी। उसमें हमने उन्हें जोर देकर कहा कि उन लोगों पर जो अवैध तथा अनुचित कार्यों में लगे हैं, कड़ी निगरानी रखी जाए तथा दंडात्मक और कडी कार्यवाही की जाए। केवल यह सुझाव देना ठीक नहीं है कि गेहूं गन्दा है या चावल गन्दा है। अगर कोई खास उदाहरण ध्यान में लाया जाये तो हम उस पर विचार करेंगे और राज्य सरकारों से अनुरोध करेंगे कि वे अनिवार्य वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत यथासंभव निवारक कार्यवाही करें।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : आटे की मिलें आमतौर पर बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता आदि बड़े शहरों में हैं। मिलों को पिसाई नियन्त्रण आदेश के अन्तर्गत गेहूं मिलता है। गेहूं की कम खरीद को मद्देनजर रखते हुए मंत्री जी क्या पिसाई नियंत्रण आदेश को हटाने पर विचार करेंगे ताकि जिन क्षेत्रों में मिलें नहीं हैं वहां नई मिलें स्थापित हो सकें और गेहूं की खरीद और बढ़े ?

श्री के० पी० सिंह देव : इस सुझाव पर विचार किया जा सकता है। लेकिन यह कहना सही नहीं है कि उचित दर की अधिकतर दुकानें शहरी क्षेत्रों में हैं। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान मैंने जो आंकड़े दिए थे उनके अनुसार 80 प्रतिशत दुकानें ग्रामीण क्षेत्रों में हैं।

डा० वी० वेंकटेश : मैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में एक प्रश्न पूछना चाहता हूं क्योंकि लोगों को खाना नहीं मिल रहा है और देश में अनेकों लोग भूखों मर रहे हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली कारगर ढंग से काम नहीं कर रही है क्योंकि पर्याप्त मूल्य नहीं मिल पाने के कारण धान उगाने वाले बहुत से किसानों का धान खेतों में ही पड़ा है। क्या माननीय मंत्री जी सार्वजनिक वितरण प्रणालो पर गंभीरता से विचार करेंगे ताकि इस प्रणाली के माध्यम से वस्तुयें खरीदी जायें और उन्हें देश भर में वितरित किया जाए ताकि भूख से होने वाली मौतों से लोगों को बचाया जा सके।

अध्यक्ष महोदय : यह तो अधिक पैदावार की समस्या है न कि कम की।

श्री के० पी० सिंह देव : सर्वप्रथम मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए अपनी आवाज उठाई। लेकिन भारत सरकार को भूख से होने वाली किसी मौत की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

डा० वी० वेंकटेश : सूखाग्रस्त क्षेत्रों खासकर मेरे निर्वाचन क्षेत्र कोलार के बारे में क्या हो रहा है ?

श्री के० पी० सिंह देव : जहां तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली का हर क्षेत्र में खासकर कमी वाले क्षेत्रों में विस्तार करने का सम्बन्ध है, प्रधानमन्त्री जी ने हमें निर्देश दे दिए हैं। प्रधानमंत्री जी ने ठीक यही बात कही हैं।

अध्यक्ष महोदय : गोदामों में पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न मौजूद है।

श्री के० पी० सिंह देव : उन्होंने राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में नीति संबंधी एक वक्तव्य दिया है जिसके परिणामस्वरूप वित्त मन्त्री जी ने एक योजना तैयार की है और उसके अन्तर्गत हम राज्य सरकार के साथ मिलकर कार्यवाही कर रहे हैं। हमारे अधिकारी आज राज्य सरकार से विचार-विमर्श करने के लिए गए हैं ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के साथ-साथ आई० टी० डी० सी० ब्लाकों और आदिवासी क्षेत्रों में "लैम्प" प्रणाली को मजबूत किया जा सके। जहां भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली नहीं है, वहां केन्द्र सरकार राज्य सरकार की एजेन्सियों की सहायता करेगी ताकि किसी क्षेत्र में खाद्यान्न की कमी न रहे।

कम लागत वाले मकानों का निर्माण करने के लिए विशेष कार्यक्रम

*111. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक**†
श्री सुभाष यादव : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी तीन वर्षों के दौरान देश में कम लागत वाले मकानों के निर्माण के लिए विशेष कार्यक्रम तैयार करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और यदि हां; तो इस योजना का ब्योरा क्या है; और

(ख) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि नियत की गई है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) आवास राज्य का विषय है तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र योजना प्राथमिकताओं के अनुसार विभिन्न लक्ष्य समूहों के लिए अपनी योजनाओं के अन्तर्गत योजनाएं चला रहे हैं। इस बारे में, इन कार्यक्रमों में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए मकानों के निर्माणार्थ आवास तथा नगर विकास निगम (हुडको) के माध्यम से सहायता योजनायें, आवास-स्थलों के आबंटन हेतु प्लान योजना तथा ग्रामीण भूमिहीन कर्मचारियों के लिए आवास सुविधायें बढ़ाने के लिए उन्हें निर्माण सहायता की व्यवस्था तथा सांस्थानिक सहायता के माध्यम से निम्न आय वर्गों के लिए धन के प्रावधान की योजनायें शामिल हैं।

(ख) ग्रामीण आवास-स्थल एवं आवास निर्माण योजना के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना परिव्यय 576.90 करोड़ रुपये है।

सातवीं योजना अवधि के दौरान हुडको के 1845 करोड़ रुपये के कुल ऋण स्वीकृति लक्ष्य का 55 प्रतिशत आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों तथा निम्न आय वर्ग के लाभभोगियों के लिए उद्दिष्ट किया गया है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक वर्ष एक लाख एककों के

निर्माण का प्रस्ताव करता है जिनमें से 80 प्रतिशत से अधिक आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों को आबंटित किए जायेंगे।

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि क्या सरकार द्वारा देश में आवासहीन लोगों की वास्तविक संख्या जानने के लिए कोई विशेष सर्वेक्षण करवाया गया है। यदि हां, तो देश में आवासहीन लोगों की संख्या कितनी है और क्या सरकार द्वारा आवासहीन लोगों की इस समस्या को हल करने के लिए कोई ठोस योजना बनाई गई है?

[हिन्दी]

श्री बलवीर सिंह : इसमें अभी सर्वे नहीं किया गया है। अन्तर्राष्ट्रीय वर्ष 1987 का जो कि हाउसलेस परसंस के लिए है, उसमें सेन्ट्रल गवर्नमेंट की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट्स को डायरेक्शंस दी गई हैं कि वे इस बीच सर्वे करके रिपोर्ट दें कि कितने हमारे हाउसलैस परशंस हैं।

श्रीमती प्रभावती गुप्ता : मैं आवास मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि क्या आवास मंत्री को इस बात की जानकारी है कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए जो मकान बन रहे हैं उनके लिए बहुत कम राशि निर्धारित की गई है? उनके मकान बिल्कुल खराब हो जाते हैं, वे स्थायी नहीं रहते हैं। 1984 में जो हाउसिंग की कांफ्रेंस हुई थी और उसमें इस राशि को बढ़ाने का सुझाव दिया गया था जिससे कि मकान स्थायी और पक्के हो सकें और वे वास्तव में रहने लायक हो सकें। क्या सरकार इस पर विचार करेगी?

एक और मेरा प्रश्न बिहार के बारे में है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए बिहार में जो आपने राशि आवंटित की है वह कितनी है?

शहरी विकास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : यह हाउसिंग स्कीम एक्चुअल्ली स्टेट की जिम्मेदारी है। हम लोग यहां से सिर्फ इंस्ट्रक्शंस या गाईडलाइंस देते हैं। आपने अभी बताया कि सेवंथ फाईव इयर प्लान में कितने करोड़ रुपया दिया गया है। इसके अलावा हुडको, जो कि हमारी फाइनेन्सिंग स्कीम का जरिया है, वह भी रुपया देता है और एल० आई० सी० भी रुपया एडवांस करती है। हुडको द्वारा जो रुपया दिया जाता है, उसे हमने यह इंस्ट्रक्शन्ज दी हुई हैं कि लैस दैन 60 परसैंट उसमें मिडिल इनकम ग्रुप को दीजिये।

मकान के लिए स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। उनको कहा गया है कि इतने स्कवायर मीटर मिनिमम आप उनके लिए कवर करें ताकि वह अपना सिर छिपा सकें। सैंटर से जाने वाला रुपया उसमें मिल जाता है और इसके अलावा स्टेट भी अपने यहां से एड करके मदद देती है।

हिन्दुस्तान में कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो इस मैटर में आगे बढ़ गई हैं, लेकिन अफ़सोस की बात है कि हमारा बिहार इसमें पीछे पड़ा हुआ है।

[अनुवाद]

श्री महेन्द्र सिंह : क्या यह एक तथ्य है कि मकामों के निर्माण से संबद्ध विभिन्न एजेन्सियों ने शिकायत की है कि हुडको द्वारा निर्धारित राशि की सीमा के भीतर अपेक्षित मानदण्ड पूरा करना बहुत कठिन है। यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार हुडको को यह निर्देश देने पर विचार कर रही है कि वह या तो मानदण्डों में परिवर्तन करे या निम्न लागत के मकानों के लिए अधिक कीमत निर्धारित करे।

श्री अब्दुल गफूर : मामला अभी विचाराधीन है। हमने इस पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। मामला हमारी जानकारी में है और हम शीघ्र ही कोई निर्णय लेंगे।

श्री पी० कुलन्दईवेलु : परसों माननीय आवास राज्य मंत्री ने तमिलनाडु का दौरा किया और एक कार्यक्रम में भाग लिया। 'हुडको' दरअसल लगभग सभी राज्यों को अधिक धनराशि दे रहा है, लेकिन तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां धनराशि का अधिक अच्छा उपयोग किया जा रहा है। वहां निम्न आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग तथा उच्च आय वर्ग के लोगों को आवास दिया जा रहा है। लेकिन कुछ राज्य हुडको द्वारा दी गई धनराशि का अच्छा उपयोग नहीं कर रहे हैं। क्या सरकार उस धनराशि को, जो कुछ राज्यों में उपयोग होने से बच गयी है, उन राज्यों को देने पर विचार करेगी जो धनराशि का अच्छा उपयोग कर रहे हैं जैसे तमिलनाडु ?

श्री अब्दुल गफूर : यह बहुत अच्छा सुझाव है ? इस सत्र की समाप्ति के बाद मैं, राज्य सरकारों के सम्बन्धित मंत्रियों से यहां आने का अनुरोध करूंगा। मैं उनके साथ आपके प्रदेश में यह देखने जाऊंगा कि वे क्या-क्या कर रहे हैं। इससे उन्हें कुछ प्रेरणा मिलेगी और जब वे वापस जाएंगे तो अपने राज्यों में भी कार्य करना प्रारम्भ कर देंगे। मुझे आशा है कि माननीय सदस्य महोदय, अपने राज्य के बारे में ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों के बारे में भी उतने ही चिन्तित हैं।

प्रो० एन० जी० रंगा : 'हुडको' के क्रियाकलाप अधिकतर शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित रहे हैं। लेकिन उन ग्रामीण क्षेत्रों का क्या हाल है जहां गांवों में सबसे बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। न तो हुडको ने और न योजना आयोग और न ही सरकार ने ग्रामीण निर्धनों की ओर पर्याप्त ध्यान दिया है, क्या ग्रामीण आवास योजनाओं के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

श्री अब्दुल गफूर : मेरे राज्य मन्त्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में किये जा रहे कार्य को देखने के लिए स्वयं अपने राज्य का दौरा किया है। अन्य राज्यों में भी कार्य बहुत अच्छा चल रहा है। हुडको अब शहरी क्षेत्रों ही नहीं वरन् ग्रामीण क्षेत्रों में समाज के कमजोर वर्गों को भी कर्ज देने के सम्बन्ध में विचार कर रहा है।

प्रो० एन० जी० रंगा : कृपया इस काम को हाथ में लीजिए।

श्री अब्दुल गफूर : जी हां, श्रीमान्।

श्री ए० चार्ल्स : श्रीमान्, माननीय मन्त्री जी ने अभी कहा कि आवास राज्यों का विषय है, मैं इससे सहमत हूं, लेकिन एन०आर०ई०पी० एवं आर०एल०ई०जी०पी० कार्यक्रमों के अन्तर्गत समाज के कमजोर वर्गों के लिए मकान बनाने हेतु धनराशि प्रदान की जाती है और केन्द्र द्वारा बहुत से अनुदेश जारी किये जा रहे हैं कि केवल पक्की ईंटों का ही प्रयोग इन मकानों के बनाने मे किया जाये। यदि स्थानीय उपलब्ध सामान का प्रयोग करने की अनुमति दी जाये तो कमजोर वर्गों के लिए यह एक बड़े लाभ की बात होगी, विशेषकर केरल में वहां मिट्टी बहुत बढ़िया है। वहां मध्यम वर्ग के लोग भी अपने मकान वहां उपलब्ध कच्ची ईंटों से बनाते हैं। विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में पक्की ईंटों को दूर-दराज के इलाकों से लाना सम्भव नहीं है। वे लोग अपने मकानों को पूरा नहीं कर पाते और इन इलाकों में बहुत से मकान अधूरे पड़े हैं। जब माननीय प्रधानमन्त्री जी ने त्रिवेन्द्रम का दौरा किया तो उन्हें कुछ ऐसे मकान देखने का अवसर प्राप्त हुआ जो पूरे नहीं हो पाये थे। अतः मैं माननीय मन्त्री महोदय से सिफारिश करूंगा कि यदि स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री का प्रयोग करने की अनुमति दे दी जाती है तो यह समाज के कमजोर वर्गों के लिए एक वरदान सिद्ध होगा।

श्री अब्दुल गफूर : आपका सुझाव अच्छा है और इसको लागू किया जायेगा, हमने बहुत सी राज्य सरकारों को कह दिया है कि जो भी सामग्री स्थानीय रूप से उपलब्ध हो उसी का प्रयोग किया जाए। ईंटों को 500 मील दूर से आदिवासी क्षेत्रों में लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वे अपने स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं और इस उद्देश्य के लिए उपलब्ध धन का उसी क्षेत्र में उपयोग किया जा सकता है।

श्री ए० चार्ल्स : श्रीमान्, धन्यवाद।

श्री अब्दुल गफूर : किसी भी राज्य सरकार को कोई भी नहीं रोक रहा है। उस निर्धारित सीमा के भीतर वे उस क्षेत्र के लोगों के लिए किसी भी प्रकार के उचित मकानों का निर्माण कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री चिन्तामणि जेना — अनुपस्थित

श्री एस०एम० भट्टम — अनुपस्थित

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी — अनुपस्थित

श्रीमती जयंती पटनायक — अनुपस्थित

आज वह भी यहां नहीं हैं, वह हमेशा उपस्थित रहती हैं।

श्री टी० बाला गौड़ — अनुपस्थित

यह एक अजीब बात है,

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी—श्रीमान् आपने उपस्थित रहने का निर्णय कैसे लिया ?

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा विदेशी फीचर फिल्मों का आयात

*116. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा 1984 से अक्तूबर, 1985 तक की अवधि में आयात की गई फीचर फिल्मों का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक फिल्म के लिए कितनी राशि का (विदेशी मुद्रा सहित) भुगतान किया गया;

(ख) प्रदर्शन के लिए फिल्मों को स्वीकृत करने वाले प्राधिकरण का नाम क्या है; और

(ग) ऐसी फिल्मों को स्वीकृत करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाया जाता है और यह मानदण्ड अनिवासी भारतीय योजना के अन्तर्गत आयात की गई फिल्मों के लिए अपनाए गए मानदण्ड से किस तरह भिन्न हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा आयातित फिल्मों को प्रदर्शित करने के लिए, निगम द्वारा गठित एक आयात उप समिति की सिफारिशों पर, निगम द्वारा स्वयं स्वीकृत किया जाता है।

(ग) फीचर फिल्मों के आयात की नीति में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा आयात की जाने वाली फिल्मों को स्वीकृत करने के लिए, कोई मानदण्ड शामिल नहीं है। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा अपनाये जा रहे मानदण्डों के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और उसको सदन की मेज पर रख दिया जायेगा। अनिवासी भारतीय द्वारा आयात की जाने वाली फिल्मों के मामले में, गुणवत्ता के संबंध में इसे निम्नलिखित अपेक्षाएं पूरी करनी चाहिएं :—

(क) फिल्म चलचित्र अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत सरकार द्वारा जारी किसी भी मार्गदर्शी सिद्धांत का उल्लंघन न करती हो;

(ख) यह सौन्दर्यात्मक महत्व की हो;

(ग) यह चलचित्रिकी रूप से अच्छे स्तर की हो; और

(घ) यह दर्शकों को स्वच्छ एवं स्वरूप मनोरंजन प्रदान करें।

विवरण

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा अगस्त, 1984 से अक्तूबर, 1985 तक आयात की गई फिल्मों का ब्यौरा तथा विदेशी मुद्रा में भुगतान की गई प्रति फिल्म राशि।

क्रम संख्या	फिल्म का नाम	विदेशी मुद्रा में भुगतान की गई राशि (रुपयों में)
1	2	3
1.	दि डे आफ्टर	2,43,429.50
2.	टेंडर मर्सीज	82,310.85
3.	फ्रांसेस	2,02,210.85
4.	प्राइज आफ पेरिल	78,062.70
5.	मदर लोडे	1,74,977.94
6.	मिस्टीअर	1,75,552.90
7.	सहारा*	5,44,596.60*
8.	क्रास क्रीस	2,26,545.29*
9.	दि लैंड दैट टाइम फारगाट*	
10.	दि एस० आफ एसेज	2,85,708.40
11.	टच्ड बाई लव	19,925.28
12.	मेफिस्टो	1,67,459.70
13.	लव एट फर्स्ट बाइट*	2,47,852.12*
14.	अमरीकन निट्रो	26,981.00
15.	मेटल स्टॉर्म	2,88,104.00
16.	लास्ट मेट्रो	1,15,239.00
17.	दि गिफ्ट*	1,98,397.55*
18.	हन्नॉक	1,76,811.50
19.	जीरो	1,03,986.80
20.	बाई बाई जुपिटर	1,03,613.33

1	2	3
21.	शी डासेज एलोन	62,118.57
22.	दि रनर स्टम्बल्स	2,18,148.87
23.	वास्सा	62,057.00
24.	ड्रा	1,57,848.64
25.	कोयान्सकत्स्सी	1,55,153.43
26.	रन क्राइसी रन	90,590.14
27.	अमोक	1,23,167.50
28.	दि कंडक्टर	56,288.82
29.	ब्लैकी दि पिरेट	68,562.58
30.	दि ग्रोविंग पेन्स	98,768.57
31.	आन दि राइट ट्रैक	99,466.43
32.	आउट आफ आर्डर	90,052.07
33.	दि फिलाडेलफिया एक्सपेरिमेंट	1,06,951.32
34.	क्रेजी जंगल एडवेंचर	1,26,442.93
35.	दि फिश दैट सेव्ड पिट्सबर्ग	1,22,443.86
36.	स्वार्ड किल	1,16,171.64
37.	कम्फोर्ट एण्ड ज्वाय	81,804.48
38.	फ्लैश प्वाइंट	1,70,688.47
39.	सिल्कवूड	1,68,613.06
40.	दि ब्वायज इन ब्लू	1,42,288.47
41.	सर्वाइवल रन	1,46,174.19
42.	स्कैन्डल्स	1,57,527.01
43.	लेस मेकर (पुनः जारी)	46,478.78
44.	स्कार्ची (पुनः जारी)	83,339.62

1	2	3
45.	टेक्सास डेटूर (पुनः जारी)	84,258.09
46.	वाइल्ड गीज-2	अब तक किसी राशि का भुगतान नहीं किया गया है। फिल्म का आयात वितरण आधार पर किया गया है।
47.	एंड्रायड	18,138.70
48.	एडिजट दि ड्रैगन इंटर दि टाइगर	1,31,739.13
49.	फिस्ट आफ फ्युरी-2	
50.	हाई रिस्क	1,17,657.00

*अतिरिक्त प्रिन्टों सहित

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : श्रीमान्, सरकार और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम फीचर फिल्मों के आयात पर इतना अधिक व्यय कर रहा है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार को या राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को इन फिल्मों के आयात से कुछ आय होती है या यह सारा व्यय व्यर्थ जा रहा है।

श्री वी० एन० गाडगिल : मेरे पास निश्चित आंकड़े तो नहीं हैं लेकिन हमें आय अवश्य होती है। यह उस कैनलाइजेशन शुल्क, जो कि प्रत्येक अप्रवासी भारतीय द्वारा किसी फिल्म के पास होने पर दिया जाता है, के अतिरिक्त है।

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : माननीय मन्त्री द्वारा प्रश्न के भाग (ग) का जो उत्तर दिया गया है वह विरोधाभास से पूर्ण है। एक स्थान पर वह कहते हैं कि कोई मापदण्ड नहीं है। दूसरी जगह वे मापदण्ड अपनाये जाने की बात करते हैं। अतः मैं जानना चाहूंगा कि कौन सी सूचना सही है, या तो कुछ मापदण्ड होने चाहिए और यदि कोई मापदण्ड ही नहीं है तो मापदण्ड के अपनाये जाने के विषय में सूचना एकत्रित करने का प्रश्न ही नहीं उठता। अतः माननीय मन्त्री महोदय को यह बताना चाहिये कि इन दोनों में से कौन सा सही है और यह भी बताना चाहिए कि वह सभा-पटल पर कब सूचना रखेंगे।

श्री वी० एन० गाडगिल : इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। निजी व्यक्तियों या अप्रवासी भारतीयों का जहां तक प्रश्न है उनके लिए स्वयं मन्त्रालय द्वारा ही मापदण्ड निर्धारित किये जाते हैं। लेकिन जहां तक उन चलचित्रों का प्रश्न है, जो राष्ट्रीय चलचित्र विकास निगम द्वारा सीधे आयात किये जाते हैं, उनके सम्बन्ध में जो मापदण्ड है उसके विषय में मुझे जानकारी नहीं है। इसलिये मैंने कहा कि सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

श्री शांताराम नायक : मैं यह जानना चाहूंगा कि आयातित या अन्य चलचित्र टेलीविजन पर दिखाये जाने के उद्देश्य से सैंसर की जाती हैं या वे स्वीकृत की जाती हैं। यदि हां, तो मैं जानना चाहूंगा

कि 'गरम हवा' चलचित्र को, जो कि धर्मनिरपेक्षता के सिद्धान्तों के विरुद्ध है, कल टेलीविजन पर क्यों दिखाया गया ?

श्री वी० एन० गाडगिल : श्रीमान् यह प्रश्न राष्ट्रीय चलचित्र विकास निगम और चलचित्रों के आयात से सम्बन्धित है। माननीय सदस्य द्वारा उठाया गया प्रश्न टेलीविजन से सम्बन्धित है, फिर भी मैं इस प्रश्न का उत्तर देने को तैयार हूं।

कोई भी फिल्म जिसको फिल्म सैंसर बोर्ड द्वारा प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है टेलीविजन पर दिखाई जा सकती है। इसलिए, कि कोई फिल्म धर्मनिरपेक्षता के पक्ष में है या विरुद्ध है, इस बात को सैंसर बोर्ड देखता है। जहां तक टेलीविजन का प्रश्न है, इसके लिए अतिरिक्त सैंसर नहीं है लेकिन हमारी नीति यह रही है कि टेलीविजन पर ऐसी फिल्में न दिखाई जायें जिन्हें 'क' (ए) श्रेणी में रखा जाता है। मान लो कोई क (ए) श्रेणी की फिल्म है और यदि इसे टेलीविजन पर दिखाया जाना है तो हम निर्माता को कहते हैं कि फिल्म के कुछ भाग हटा दिये जायें ताकि फिल्ल 'U' श्रेणी की रह जाय। केवल यही प्रतिबन्ध लगाया जाता है।

श्री विनेश सिंह : माननीय मन्त्री महोदय ने उस मापदण्ड का उल्लेख किया है जिसके आधार पर फिल्मों का आयात किया जाता है साथ ही उन फिल्मों के नाम दिये जाते हैं जो आयात की गई हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या उन्होंने इस बात का खयाल रखा है कि वे सारी फिल्में मापदण्ड के अनुरूप हैं। क्या कोई पुनरीक्षण समिति है, जो इन सब चीजों का ध्यान रखती है।

श्री वी० एन० गाडगिल : जहां तक व्यक्तिगत स्तर की और अप्रवासी भारतीयों की फिल्मों का प्रश्न है, आप चाहें तो मैं उनके नाम पढ़ देता हूं।

श्री विनेश सिंह : नाम की जरूरत नहीं।

श्री वी० एन० गाडगिल : 'एन०एफ०डी०सी०' में दो समितियां हैं, कोई मामूली व्यक्ति नहीं वरन् श्री ऋषिकेष मुखर्जी इन दोनों के प्रधान हैं। ये समितियां प्रसिद्ध निर्देशकों को लेकर बनाई गई हैं जिनमें से कुछ बम्बई में रहते हैं और कुछ बाहर से हैं। वे मापदण्ड तय करते हैं और यह भी देखते हैं कि क्या फिल्म उन मापदण्डों पर खरी उतरती है।

खाद्य तेलों के आयात पर पुनर्विचार

*117. **श्री वाई० एस० महाजन**†
डा० बी० एल० शैलेश
: क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार स्वदेशी उत्पादन में वृद्धि होने को देखते हुए खाद्य तेलों के आयात पर पुर्नविचार करने को सोच रही है;

(ख) यदि हां, तो खाद्य तेलों के आयात में कितनी कटौती की जायेगी तथा विदेशी मुद्रा में कितनी बचत होगी; और

(ग) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाये हैं कि आयात में कटौती करने के बावजूद भी जन-साधारण को खाद्य तेलों की उचित भाव पर सप्लाई होती रहे ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) पिछले कुछ वर्षों के दौरान, देश में खाद्य तेलों की मांग तथा उनके देशीय उत्पादन के बीच अंतर रहा है। इस अन्तर की पूर्ति आयात द्वारा की जाती है। खाद्य तेलों की आयात की जाने वाली मात्रा की पुनरीक्षा हर वर्ष की जाती है और ऐसा करते समय देशीय खाद्य तेलों की उपलभ्यता, खाद्य तेलों की सम्भावित मांग, विदेशी मुद्रा की उपलभ्यता तथा अन्य सम्बन्धित बातों को ध्यान में रखा जाता है। 1983-84 तथा 1984-85 तेल वर्षों में खाद्य तेलों का आयात इस प्रकार किया गया है :—

वर्ष	मात्रा	मूल्य
	(लाख मी० टनों में)	(करोड़ रुपयों में)
1983-84	16.34	1319.00
1984-85	13.68 (अनन्तिम)	1122.13 (अनन्तिम)

(ग) जी हां।

श्री वाई० एस० महाजन : मुझे यह जान कर हर्ष है कि सरकार तेल का आयात कम करने में सफल रही है, श्रीमान् मेरा प्रश्न स्पष्ट रूप से वर्तमान वर्ष से ही सम्बन्धित है क्योंकि मैंने पूछा है कि वर्तमान वर्ष में किस सीमा तक खाद्य तेल का आयात कम किया जायेगा, अतः मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इस वर्ष आयात कम करने पर विचार कर रही है ?

श्री के० पी० सिंह देव : श्रीमान हम निश्चित आंकड़े नहीं देना चाहेंगे क्योंकि इसका परिणाम होगा सट्टाबाजारी मैं समझता हूं कि कोई डेढ़ माह बाद हम अपनी आवश्यकताओं का अनुमान लगाने में सफल हो जायेंगे, लेकिन मैं आंकड़े नहीं देना चाहूंगा क्योंकि इसका परिणाम होगा सट्टाबजारी।

श्री वाई०एस० महाजन हम खाद्य तेल के आयात पर एक बड़ी राशि खर्च कर रहे हैं। यह हर वर्ष लगभग 1300 करोड़ रुपए बैठती है मुझे विश्वास है कि सरकार को इसके आयात में कटौती करनी पड़ेगी। लेकिन साथ ही सरकार को यह भी देखना है कि देश में तेल का उत्पादन बढ़े। हमारा कृषक समुदाय कीमतों में परिवर्तन होने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। इसलिए मैं समझता हूं कि सरकार को किसानों को अच्छी कीमतें देकर प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि वे अधिक उत्पादन करें तथा तेल की आपूर्ति संतोषजनक स्तर पर बनायी रखी जा सके। अतः मैं जानना चाहूंगा कि मंत्री महोदय कौन से अतिरिक्त प्रोत्साहन चालू वर्ष में किसानों को देने का विचार रखते हैं ?

श्री के०पी० सिंह देव : इसके बारे में ध्यानाकर्षण पर चर्चा के समय तथा अन्य बहुत से प्रश्नों के उत्तर में भी बताया जा चुका है। सरकार की मुख्य नीति यह है कि किसानों को लाभकारी मूल्य दिया जाए ताकि देश में उपलब्धता अधिक हो। इसका अर्थ यह भी है कि आयात कम हो और विदेशी मुद्रा की बचत होगी।

———

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

बरौनी फर्टिलाइजर्स फैक्ट्री द्वारा उठाई गई हानियां

*102. डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरौनी फर्टिलाइजर्स फैक्ट्री लगातार हानि उठा रही है;

(ख) क्या सरकार ने इन हानियों को रोकने के लिए कोई उपाय किए हैं;

(ग) यदि हां, तो उनके ब्यौरे क्या हैं तथा यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं; और

(घ) इस उपक्रम द्वारा अब तक उठाई गई कुल हानि क्या है ?

कृषि मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) और (घ) जी, हां। हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि० के बरौनी उर्वरक कारखाने को 1978-79 से 1984-85 तक 126.78 करोड़ रुपए की कुल संचयी हानि हुई है।

(ख) और (ग) जी, हां। फ्रंट खंड को बचाने और संयंत्र को सुस्थिर पावर आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु एक 2.5 मेगावाट कैप्टिव पावर संयंत्र की स्थापना कर ली गई है और एक 16 मेगावाट कैप्टिव पावर संयंत्र की स्थापना की जा रही है। अमोनिया भण्डारण सुविधाओं की स्थापना की गई है और संयंत्र और उपकरण में कुछ आवश्यक परिवर्धन किए गए हैं।

[अनुवाद]

किसानों द्वारा धान की फसल का जलाया जाना

*103. श्री एम० रघुमा रेड्डी
श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव } : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि देश में विभिन्न राज्यों के किसान अपनी धान की फसल जलाने को बाध्य हुए हैं क्योंकि खरीद करने वाली एजेन्सियों ने धान खरीदने से इन्कार कर दिया;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का किसानों का शोषण रोकने हेतु कोई धान बोनस योजना स्वीकृत करने का विचार है; और

(ग) भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति रोकने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव): (क) समाचार पत्रों में कुछ समाचार प्रकाशित हुए हैं कि देश के विभिन्न भागों में किसानों द्वारा धान को जलाया गया है, लेकिन जांच करने पर यह पाया गया कि पंजाब में एक स्थान पर केवल धान की भूसी को जलाया गया था। मंडियों/क्रय केन्द्रों में लाए गए और बिक्री के लिए पेश किए गए उस सभी अनाज को, जो विहित विनिर्दिष्टियों के अनुरूप था वसूली एजेंसियों ने सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्यों पर खरीद लिया है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

दिल्ली में भूमि के मूल्य

*106. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली मे वाणिज्यिक तथा आवासीय भूमि के मूल्यों का निर्धारण किस आधार पर किया गया है और मूल्यों का निर्धारण किसके द्वारा किया गया है;

(ख) क्या इस मूल्य निर्धारण के पश्चात दिल्ली में भूमि सरकारी नियमों के अनुसार बेची गई है; और

(ग) क्या इस घोषणा के पश्चात दिल्ली में भूमि के मूल्यों में अचानक वृद्धि हो गई है और यह कहां तक जनसाधारण के हित में हैं ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) सरकार समय-समय पर दिल्ली के विभिन्न इलाकों में रिहायशी एवं वाणिज्यिक भूमि की पूर्व निर्धारित दरों की अनुसूची नियत करती है। ऐसे नियतन का आधार संशोधन से तुरन्त पहले की अवधि में की गई खुली नीलामी में दिखाई गई प्रवृत्ति होती है।

(ख) अनुसूची के नियतन का प्रयोजन दिल्ली में बेची गई जमीनों का मूल्य नियमन करना नहीं है। भूमि तथा विकास अधिकारी द्वारा जारी किए गए पट्टों के प्रशासन से सम्बन्धित विभिन्न प्रयोजनों के सम्बन्ध में अनुसूची का अनुपालन किया जाता है।

(ग) दर-अनुसूची के जारी होने के बाद दिल्ली में भूमि के मूल्य में कोई असामान्य वृद्धि नहीं देखी गई है।

[अनुवाद]

मदर डेयरी दिल्ली को घाटा

*108. डा० जी० विजयरामा राव
श्री मानिक रेड्डी } : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मदर डेयरी दिल्ली को घाटा होना शुरू हो गया है और 1984-85 के दौरान मदर डेयरी को दुग्ध उत्पादों, हरी सब्जी और फलों की बिक्री पर लगभग 8 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है और यदि हां, तो हुए घाटे का ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं; और

(ख) क्या मदर डेयरी ने अपने बूथों से अमूल मक्खन बेचना शुरू कर दिया है तथा उन बूथों से अन्य सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के एककों के उत्पादों को न बेचने के क्या कारण हैं;

कृषि मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) वर्ष 1984-85 के दौरान मदर डेयरी को अपने प्रचालनों से 8.18 करोड़ रुपये की हानि हुई। इसमें से 4.5 लाख रुपये की नकद हानि फल और हरी सब्जी संबंधी कार्य प्रचालनों के कारण हुई, जिसे मदर डेयरी द्वारा जनवरी, 1985 में आरम्भ किया गया था।

फल और हरी सब्जी सम्बन्धी प्रचालनों के कारण हुई हानि के संबंध में परियोजना रिपोर्ट में प्रचालन के प्रथम वर्ष के दौरान लगभग 27 लाख रुपये नकद हानि की प्रत्याशा की गई थी। दिल्ली में तरल दूध की बिक्री से मदर डेयरी को हुई हानि का मुख्य कारण तरल दूध की आपूर्ति के लिए राज्य सहकारी डेयरी संघों को दिए गये गढ़े हुए मूल्य और भारतीय डेयरी निगम द्वारा दूध के विक्रय मूल्य में तदनुरूपी वृद्धि को प्रभावित किए बिना दुग्ध जिन्सों की आपूर्ति करना था।

(ख) मदर डेयरी ने दिल्ली में अपने कुछ बूथों से अमूल मक्खन ही नहीं, बल्कि हरियाणा डेरी विकास संघ के वीटा मक्खन का विपणन भी आरम्भ कर दिया है। इसने पंजाब राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ को अपने बूथों से विपणन करने के लिए पनीर की आपूर्ति करने के लिए सिफारिश की थी, परन्तु प्रस्ताव को कार्यरूप नहीं दिया गया। तथापि, हरियाणा डेयरी विकास सहकारी संघ के साथ प्रयासों में सफलता मिली है और उनके द्वारा निर्मित "पनीर" का नवम्बर, 1985 के अन्त तक मदर डेयरी के माध्यम से विपणन करने का निर्णय लिया गया है।

फिल्मों का पुन: सेंसर किये जाने की प्रक्रिया

*109. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र के पिछले वर्ष अक्तूबर में देश में सभी फिल्मों की तीन दशक पुरानी पुन: सेंसर करने की प्रक्रिया को समाप्त करने के निर्णय से उन फिल्मों के वास्तविक अधिकार धारकों के

लिए कठिनाइयां पैदा हो रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है या किए जाने का प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मछुआरों की दशा सुधारने के लिए उपाय

*112. **श्री चिन्तामणि जेना**
श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, विशेषकर उड़ीसा में मछुआरों की संख्या लगभग कितनी है;

(ख) क्या मछुआरे बहुमूल्य विदेशी मुद्रा अर्जित करने के बावजूद निर्धन बने रहते हैं;

(ग) यदि हां, तो स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा तथा विपणन संबंधी आवश्यकताओं के बारे में इस समुदाय के लोगों के उत्थान के लिए क्या विशेष उपाय किए जा रहे हैं; और

(घ) क्या इस संबंध में राज्य सरकारों को कोई निदेश जारी किया गया है ?

कृषि मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) 12वीं अंतरिम जनगणना (1977) के अनुसार देश में मछुआरों की आबादी 60.85 लाख है। उड़ीसा राज्य में यह 2.05 लाख है।

(ख) जी, हां।

(ग) केन्द्र और राज्य सरकारों ने मछुआरों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए मत्स्यन नौकाओं की खरीद तथा मात्स्यिकी की आवश्यकताओं हेतु राजसहायता और ऋण देने, दीर्घावधि पट्टे पर जल क्षेत्रों को सुलभ कराने और मत्स्य पालन के लिए वित्तीय सहायता देने की विभिन्न योजनाओं को शुरू किया है। उनके रहन-सहन को बेहतर बनाने के लिए भारत सरकार ने दो महत्वपूर्ण कल्याण योजनाएं शुरू की हैं। इनके नाम हैं—"कार्यरत मछुआरों के लिए समूह दुर्घटना बीमा" और "राष्ट्रीय मछुवा कल्याण निधि"। कार्यरत मछुआरों के लिए समूह दुर्घटना बीमा योजना में मृत्यु या स्थायी/आंशिक अपंगता की स्थिति में मछुआ परिवारों को वित्तीय राहत देने का प्रावधान है। राष्ट्रीय मछुवा कल्याण निधि, पेयजल, चिकित्सा और कल्याण सुविधाएं, शिक्षा, आवास, वृद्धावस्था पेंशन, कमी वाले मौसम में राहत इत्यादि मूलभूत नागरिक सुविधायें जुटाने के लिए है।

(घ) विभिन्न मुद्दों पर समय-समय पर राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श किया जाता है। उपर्युक्त योजनाओं के कार्यान्वियन संबंधी विस्तृत निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों का उनके आबंटितियों को कब्जा दिया जाना

*113. श्री एस० एम० भट्टम : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण, स्ववित्त पोषी योजना के अन्तर्गत बनाए गए/बनाए जा रहे मकानों, जिन्हें फरवरी, 1982 में आवंटित कर दिया गया था, का कब्जा देने में असफल रहा है;

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण इन फ्लैटों के आवंटितियों से लागत का 90 प्रतिशत तक भुगतान वसूल कर चुका है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा उपर्युक्त फ्लैटों का उनके आबंटितियों को अविलम्ब कब्जा दिलाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) फरवरी, 1982 में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपनी स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत 13 निर्माण योजनाओं के सम्बन्ध में नियतन किया। इनमें से 7 योजनायें पहले ही पूर्ण हो गई हैं तथा जिन आवंटियों ने सम्पूर्ण राशि तथा आवश्यक कागजात जमा करा दिए हैं, ऐसे लोगों को कब्जा देने के पत्र पहले ही जारी कर दिए गए हैं। तथापि, अन्य छह निर्माण योजनाओं के सम्बन्ध में कब्जा नहीं दिया जा सका।

(ख) जी हां।

(ग) इस सम्बन्ध में निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(i) दिल्ली विकास प्राधिकरण को गत्यवरोध हटाने तथा फ्लैटों के निर्माण को तेज करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

(ii) निर्देश जारी कर दिए गए हैं, स्ववित्त पोषी योजना में बकाया कार्य को निपटाने के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

(iii) फ्लैटों के निर्माण की प्रगति का प्रबोधन तथा आवंटियों को उनका आवंटन करने की व्यवस्था कर ली गई है।

(iv) आवंटियों को उनके द्वारा जमा राशि पर 7 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज अदा किया जा रहा है यदि उन्हें राशि जमा करने की तारीख से $2\frac{1}{2}$ वर्षों के भीतर फ्लटों का आवंटन नहीं किया गया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत सामाजिक वानिकी पर व्यय

*114. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी योजनावधि के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के लिए आवंटित बजट का कुछ प्रतिशत सामाजिक वानिकी पर व्यय किया जाना था;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त अवधि के दौरान अन्य राज्यों की तुलना में पश्चिम बंगाल की कार्यनिष्पत्ति क्या है;

(ग) अन्य राज्यों की तुलना में पश्चिम बंगाल में वास्तविक रूप में कितना क्षेत्र सामाजिक वानिकी के अन्तर्गत लाया गया; और

(घ) सातवीं योजना के दौरान विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत सामाजिक वानिकी पर व्यय संबंधी प्रस्ताव क्या है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) से (घ) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए आबंटित निधियों का 10 प्रतिशत अंश वर्ष 1981-82 से सामाजिक वानिकी कार्य के लिए निर्धारित किया गया था। 15 अगस्त, 1983 को आरम्भ किए गए ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत छठी योजना के दौरान सामाजिक वानिकी के लिए निधियां निर्धारित नहीं की गई थीं। हालांकि, इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सामाजिक वानिकी परियोजनाएं अनुमोदित की गई थीं तथा आरम्भ भी की गई थीं।

वर्ष 1981-82 से 1984-85 तक के वर्षों में सामाजिक वानिकी के क्षेत्र में पश्चिम बंगाल के कार्य तथा उसी अवधि के दौरान अन्य राज्यों के कार्य, संलग्न **विवरण**-- 1 में दिये गये हैं। अन्य राज्यों द्वारा किए गए वास्तविक कार्य की तुलना में पश्चिम बंगाल में किए गए वास्तविक कार्य संलग्न **विवरण** --2 में दिए गए हैं।

वर्ष 1985-86 से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत सामाजिक वानिकी के क्षेत्र में उपयोग हेतु 20 प्रतिशत निधियां निर्धारित की गई हैं। सातवीं योजना के दौरान प्रस्तावित परिव्यय राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 2487.47 करोड़ रुपये है (केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्रक, दोनों के लिए) तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत 1743.78 करोड़ रुपये है, अत: राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 497.49 करोड़ रुपये तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, के अन्तर्गत 348.76 करोड़ रुपये सामाजिक वानिकी कार्यों के अन्तर्गत व्यय किए जाने की आशा है।

विवरण—एक

वर्ष 1981-82 से 1984-85 तक के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत सामाजिक वानिकी कार्यों के लिए निर्धारित निधियों का उपयोग

(लाख रुपये में)

क्रम सं०	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	1981-82		1982-83		1983-84		1984-85	
		निर्धारित निधियां	उपयोग	निर्धारित निधियां	उपयोग	निर्धारित निधियां	उपयोग	निर्धारित निधियां	उपयोग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	379 20	382.02	396.60	382.02	384.30	393.78	4 ·3.49	413.47
2.	असम	80	20.52	40.00	36.02	87.60	63.21	90.79	68.09
3.	बिहार	242.00	266.53	508.00	460.75	493.37	567.41	556.14	614.20
4.	गुजरात	112.00	66.58	148.00	198.01	130.00	2 5.13	187.54	230.26
5.	हरियाणा	32.00	40.00	32 00	36.99	34.00	58.90	38.58	61.46
6.	हिमाचल प्रदेश	24.00	19.04	24.00	52.51	15.90	38.36	25.64	18.84
7.	जम्मू तथा कश्मीर	16.00	असूचित	32.00	असूचित	27.20	9.06	26.48	37.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	कर्नाटक	165.60	49.73	260.00	204.88	230.00	277.84	276.00	403.76
9.	केरल	160.80	106.87	169.40	149.48	185.66	116.14	212.00	256.12
10.	मध्य प्रदेश	264.00	334.46	340.90	327.00	334.00	770.00	372.00	506.71
11.	महाराष्ट्र	284.00	140.00	299.60	91.49	233.00	292.90	332.40	427.17
12.	मणिपुर	2.00	0.14	4.00	2.13	1.33	4.08	1.35	5.97
13.	मेघालय	2.00	2.29	4.00	2.11	2.00	6.77	1.90	5.63
14.	नागालैंड	4.00	0.47	5.00	5.34	4.00	4.00	4.80	—
15.	उड़ीसा	164.00	10.74	173.00	14.82	105.40	40.44	158.75	126.77
16.	पंजाब	50.40	50.40	53.20	83.30	55.00	55.00	63.20	61.46
17.	राजस्थान	93.60	53.90	93.24	102.42	96.00	127.98	155.00	129.21
18.	सिक्किम	1.60	3.00	3.20	4.08	2.01	3.95	3.54	3.63
19.	तमिलनाडु	296.00	100.10	392.00	260.62	360.00	316.93	511.11	681.35
20.	त्रिपुरा	12.00	4.36	12.00	4.15	13.20	13.31	15.13	15.20
21.	उत्तर प्रदेश	668.00	675.66	702.60	914.63	688.00	447.18	784.40	485.12
22.	पश्चिम बंगाल	269.60	223.23	282.80	369.76	149.86	249.09	300.00	229.75
23.	अंडेमान तथा निकोबार द्वीप समूह	1.60	1.52	3.20	2.87	2.63	0.29	4.23	0.56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.	अरूणाचल प्रदेश	1.60	0.78	1.19	4.50	5.70	0.92	5.10	0.81
25.	चंडीगढ़	—	—	0.80	0.40	0.44	1.20	1.00	1.00
26.	दादरा तथा नगर हवेली	—	—	1.60	—	0.88	6.13	1.65	12.30
27.	दिल्ली	—	—	0.80	—	0.76	1.04	0.34	2.26
28.	गोवा, दमन तथा द्वीव	—	—	3.20	3.80	6.68	3.00	5.59	—
29.	लक्षद्वीप	—	—	0.80	0.80	2.25	13.92	2.48	0.45
30.	मिजोरम	3.20	—	3.20	3.18	3.20	1.41	3.00	4.00
31.	पाडिचेरी	1.60	2.32	1.99	1.85	3.20	0.18	3.19	1.37
	योग :	3330.80	2554.86	3992.32	3719.91	3657.66	4179.55	4596.82	4776.14

विवरण —दो

छठी योजना अवधि के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत सामाजिक वानिकी में उपलब्धियों को दर्शाने वाला विवरण

क्र० सं०	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	1980-81 समाविष्ट क्षेत्र (हेक्टेयर)	1981-82 समाविष्ट क्षेत्र (हेक्टेयर)	1982-83 समाविष्ट क्षेत्र (हेक्टेयर)	1983-84 समाविष्ट क्षेत्र (हेक्टेयर)	1983-84 रोपित वृक्ष (लाख)	1984-85 समाविष्ट क्षेत्र (हेक्टेयर)	1984-85 रोपित वृक्ष (लाख)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	—	4330	8410	6358	620.09	2490	476.39
2.	असम	—	86	442	288	2.98	2351	3.29

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	बिहार	—	364	6208	15984	290.68	29489	460.67
4.	गुजरात	—	10287	4755	8252	689.52	6375	490.00
5.	हरियाणा	—	2376	33	224	15.30	430	3.12
6.	हिमाचल प्रदेश	727	198	1374	1310	17.64	889	12.04
7.	जम्मू तथा कश्मीर	—	254	646	1316	—	2391.45	83 82
8.	कर्नाटक	—	5641	7343	36059	260.61	10328	51.20
9.	केरल	2535	457	628	131	392.22	1386	354.79
10.	मध्य प्रदेश	—	17200	6233	4837	50.30	2980	17.10
11.	महाराष्ट्र	—	190	2087	3957	68.12	5967.8	154.16
12.	मणिपुर	—	—	4•	765	6.97	191	1.31
13.	मेघालय	—	—	228	225	5.62	683	6.97
14.	नागालैंड	—	50	430	7	—	94	—
15.	उड़ीसा	27787	40981	13883	916	7.55	4516	126.28
16.	पंजाब	4807	—	170	600	93.01	1600	16.00
17.	राजस्थान	—	565	29550	500	2.07	500	275.50
18.	सिक्किम	—	—	148	32	0.61	182	4.49
19.	तमिलनाडु	—	1139	2467	11189	72.49	2355	8.56
20.	त्रिपुरा	17376	404	3226	1659	3.60	.536	0.43

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.	उत्तर प्रदेश	1204	17505	8879	13016	411.84	9242	364·07
22.	पश्चिम बंगाल	—	1259	3175	2992	36.26	1809	7.67
संघ शासित क्षेत्र								
23.	अंडेमान तथा निकोबार द्वीप समूह	7	23	29	7	—	—	0.01
24.	अरूणाचल प्रदेश	124	10	92	144	—	—	—
25.	चंडीगढ़	—	—	8	12	0.15	37	0.71
26.	दादरा तथा नगर हवेली	—	—	—	40	0.64	—	0.81
27.	दिल्ली	—	—	—	—	0.33	—	0.46
28.	गोवा, दमन तथा द्वीव	—	—	—	—	—	—	—
29.	लक्षद्वीव	—	—	—	—	—	4	0.01
30.	मिजोरम	—	—	506	80	0.90	1235	0.02
31.	पांडिचेरी	—	—	30	3	0.19	26	0.12
	अखिल भारत	54567	103819	100984	110903	3049.89	99087.25	2920.00

सातवीं योजना में खाद्यान्नों का उत्पादन लक्ष्य

*115. श्रीमती जयन्ती पटनायक
श्री टी० बाल गौड़ } : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना में विभिन्न प्रकार के खाद्यान्नों के उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और.

(ख) विभिन्न राज्यों में सतत कृषि विकास और योजना लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु अपनाई जाने वाली प्रस्तावित नीति का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) योजना आयोग ने 7वीं पंचवर्षीय योजना में विभिन्न प्रकार के खाद्यान्नों के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए हैं :—

	(दस लाख मीटरी टन)
फसल	7वीं योजना के लक्ष्य
चावल	73.00 — 75.00
गेहूं	56.00 — 57.00
मोटे अनाज	34.00 — 35.00
दलहन	15.00 — 16.00
कुल खाद्यान्न	178.00 — 183.00

(ख) 7वीं योजना के दौरान अपनाई जाने वाली प्रस्तावित नीति के मुख्य तत्व ये हैं : (1) अधिक उपज देने वाली किस्मों के अन्तर्गत क्षेत्र में पर्याप्त वृद्धि करना, (2) मुख्य आदानों जैसे रासायनिक उर्वरकों की खपत में वृद्धि करना (3) सुनिश्चित क्वालिटी के आदानों को समय पर उपलब्ध कराने के लिए संस्थागत प्रबंधों को सुदृढ़ बनाना, (4) कीट और रोग निगरानी प्रबंधों को तीव्र करना और समय पर नियंत्रण कार्य करना, (5) विशेषकर सिंचित क्षेत्रों में फसल की गहनता और उत्पादकता को बढ़ाना, (6) पुरानी बंजर भूमि, लवणीय और क्षारीय भूमि, जललग्न क्षेत्रों और तटीय लवणीय क्षेत्रों का सुधार और विकास करना, (7) भूमि की गुणवत्ता में सुधार लाने और इसके अपकर्ष पर नियंत्रण करने के लिए अन्य मृदा संरक्षण उपाय करना, (8) फसलों के लिए बीमा-आच्छादन की व्यवस्था करना, (9) किसानों को लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित करना, (10) किसानों को प्रौद्योगिकी का शीघ्र और प्रभावी स्थानांतरण करने के लिए यात्रा और दौरा प्रणाली पद्धति पर विस्तार तंत्र को सुदृढ़ बनाना इत्यादि ।

अन्तः क्षेत्रीय, अन्तः फसल और अन्तः वर्ग असमानताओं को कम करने के लिए विशेष कार्यक्रम

आरम्भ करने का भी 7वीं योजना में प्रस्ताव है। इस दिशा में चावल की पैदावार में वृद्धि करने के लिए, विशेषकर पूर्वी क्षेत्र में, उत्पादकता को बढ़ाने और बारानी क्षेत्रों में उत्पादन की अस्थिरता को कम करने के लिए, अनुसंधान और प्रबंध कार्यक्रमों को तीव्र करने के लिए, दलहन के उत्पादन के लिए और छोटे और सीमांत किसानों की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए प्रयास किए जाएंगे।

महिलाओं के लिये रोजगार के अवसर

*118. **श्री चित्त महाता** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों के अनुसार पटसन, सूती कपड़ा उद्योग, खानों तथा खदानों में और कृषि क्षेत्र में महिलाओं के लिए रोजगार में बहुत तेजी से कमी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या महिलाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए सातवीं योजना में कोई प्रोत्साहन दिया गया है तथा रोजगार के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अंजैया) : (क) और (ख) रोजगार कार्यालय द्वारा रखे गए चालू रजिस्टर केवल नौकरी चाहने वाले व्यक्तियों की व्यावहारिक/जॉब योग्यताओं के अनुसार उनके बारे में सूचना प्रदान करते हैं। रोजगार कार्यालयों को अधिसूचित की गई रिक्तियां भी उद्योग-वार नहीं हैं।

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) के दस्तावेज के मसौदे के अनुसार, महिलाओं के रोजगार को बढ़ाने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जाएंगी। कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में महिलाओं के विद्यमान कौशल में सुधार करने और कृषि, बागवानी, मत्स्य-पालन, मुर्गीपालन, डेरी विकास, चारा उत्पादन, पूर्व-पैदावार प्रौद्योगिकी, सामाजिक वानिकी, आदि में उन्हें नए कौशल प्रदान करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों जैसे एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना और ट्राइसम के अन्तर्गत अधिक संख्या में महिला लाभानुभोगियों को शामिल किया जाएगा। अपेक्षित तकनीकी ज्ञान प्रदान करने की दृष्टि से, महिला उद्यमियों के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रमों के क्षेत्र में विस्तार किया जाएगा। ग्रामीण प्रौद्योगिकी संस्थाएं तथा चल प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण एकक महिलाओं के लिए नियमित विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू करेंगे।

महिलाओं के इर्द-गिर्द विद्यमान रोजगार अवसरों में वृद्धि करने की दृष्टि से, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को उन राज्य स्तर की एजेन्सियों के सहयोग से सहायक उद्योगों को प्रायोजित करने पर जोर दिया जाएगा जो महिलाओं के विकास कार्यक्रमों से सम्बन्धित होंगी। उद्यमी विकास कार्यक्रम तथा औद्योगिक सम्पदा के अन्तर्गत महिला लाभानुभोगियों का पता लगाने तथा उन्हें लक्ष्य बनाने के लिए भी प्रयास किए जाएंगे। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को लाभकर रोजगार/स्वरोजगार

अवसर प्रदान करने के लिए महिलाओं के विज्ञान और तकनीकी संबंधी कार्यक्रम को और अधिक सुदृढ़ बनाया जाएगा। बेरोजगार स्नातकों, स्कूल छोड़े हुए और गृह-स्वामिनीयों के विभिन्न स्तरों पर महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सुदृढ़ किया जाएगा तथा उनके कौशलों का सुधार करने के लिए इनका विस्तार किया जाएगा।

क्षेत्रों/सेक्टरों जहां पर महिलाओं के लिए रोजगार कम हैं, का पता लगाया जाएगा तथा उनके भविष्य के विकास के लिए उपाय किए जाएंगे। महिलाओं के रोजगार में रुकावट डालने वाले कारणों को पहचान कर उनके अध्ययन पर जोर दिया जाएगा। स्व-रोजगार और घरेलू श्रमिकों के लिए ऋण सुविधाएं बढ़ाने के लिए विशेष एजेंसियां गठित की जाएंगी। महिलाओं के लिए अंशकालिक रोजगार के सृजन के लिए अवसरों की भी खोज की जाएगी।

भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन चिन्ह के माध्यम से साइकिल निर्माताओं द्वारा उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी

*119. **श्री चिंता मोहन** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक साइकिल निर्माता आई०एस०आई० चिन्ह का साइकिलों के फ्रेम पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शन करके तथा विज्ञापनों के द्वारा उपभोक्ताओं को धोखा दे रहे हैं, हालांकि पूरी साइकिल आई०एस०आई० चिन्ह के अन्तर्गत नहीं आती केवल फ्रेम ही आता है; और

(ख) क्या भारतीय मानक संस्थान को इस बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं, और यदि हां, तो उन पर क्या कार्रवाई की गई ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) जी नहीं। तथापि, सरकार के ध्यान में केवल एक मामला आया है। भारतीय मानक संस्था को दिसम्बर, 1981 में एक बाइसिकल निर्माता के विरुद्ध समाचारपत्र में विज्ञापन प्रकाशित करने की एक शिकायत मिली थी, जिससे ऐसा भान हो सकता था कि पूरी बाइसिकल आई०एस०आई० चिन्ह के अन्तर्गत आती है। जब यह बात विनिर्माता के ध्यान में लाई गई तो विज्ञापन वापस ले लिया गया और भारतीय मानक संस्था को सूचित कर दिया गया। भारतीय मानक संस्था को इसके बाद इस किस्म की कोई शिकायत नहीं मिली है।

श्रमजीवी पत्रकारों के लिए वेतन बोर्ड

*120. **श्री वी० एस० विजय राघवन** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रमजीवी पत्रकारों के लिए एक वेतन बोर्ड गठित किया जाएगा; और

(ख) यदि हां, तो वह अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत कर देगा ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अंजैया) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने

अधिसूचना संख्या का०आ० 527(अ) और का०आ० 528(अ) द्वारा, जो भारत के राजपत्र (असाधारण) में 17 जुलाई, 1985 को प्रकाशित हुई थी, दो मजदूरी बोर्ड गठित किए हैं—एक मजदूरी बोर्ड श्रमजीवी पत्रकारों के लिए और दूसरा गैर-श्रमजीवी समाचारपत्र कर्मचारियों के लिए। आशा है कि ये मजदूरी बोर्ड अपने गठन के एक वर्ष के अन्दर अपनी सिफारिशों को अन्तिम रूप दे देंगे।

[अनुवाद]

काजू का उत्पादन

1054. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में काजू का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) देश में काजू का उत्पादन करने वाले राज्यों के नाम क्या हैं;

(घ) क्या निर्यात किए जाने वाला संसाकित काजू हमारे देश का उत्पाद है;

(ङ) यदि नहीं, तो उन देशों के नाम क्या हैं, जिनसे कच्चे काजू का आयात किया जाता है; और

(च) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) काजू के विकास पर पैकेज कार्यक्रम सम्बन्धी केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना केरल, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल राज्यों तथा पांडिचेरी और गोवा संघ राज्य क्षेत्रों में सातवीं योजना में क्रियान्वित की जा रही हैं। कार्यक्रम के मुख्य घटक में क्षेत्र का विस्तार करना, रोपण सामग्री सप्लाई करना और प्रदर्शन के माध्यम से उन्नत कृषि की प्रणालियों के सम्बन्ध में किसानों को प्रशिक्षण देना शामिल है। इसके अतिरिक्त विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त बहु-राज्य काजू परियोजना केरल, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश तथा उड़ीसा राज्यों में भी चल रही है। परियोजना का लक्ष्य वर्तमान बागानों के क्षेत्र विस्तार तथा सुधार के माध्यम से काजू का उत्पादन बढ़ाना है।

(ग) काजू का उत्पादन करने वाले मुख्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र हैं : – केरल, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, पांडिचेरी तथा त्रिपुरा।

(घ) जी नहीं।

(ङ) और (च) तनजानिया गणराज्य, सिंगापुर, थाईलैंड, केन्या, आइवरी कोस्ट, गिनिया

बिसाऊ, मलेशिया, मालागासी गणराज्य, सेनेगल, हांगकांग, नाईजेरिया, इंडोनेशिया तथा ब्रिटेन से कच्चे काजू का आयात किया जाता है। 1984-85 के दौरान 3648.95 लाख रुपये के मूल्य के कच्चे काजू का आयात किया गया था।

बंगलौर शहर के लिए कावेरी पेयजल आपूर्ति योजना की स्वीकृति

1055. **श्री बी० बी० देसाई :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने बंगलौर शहर के लिए कावेरी तृतीय चरण पेयजल आपूर्ति योजना के लिए 240 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए तत्काल कदम उठाने हेतु कर्नाटक सरकार से अनुरोध किया है; और

(ग) कावेरी की इस तृतीय चरण योजना द्वारा बंगलौर के लिए जल योजना को पूरा करने में किस सीमा तक सहायता मिलेगी ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) बंगलौर शहर के लिए जलपूर्ति में वृद्धि करने की एक योजना जिसकी अनुमानित लागत 240 करोड़ रुपये है, विश्व बैंक की सहायता प्राप्त करने हेतु कर्नाटक सरकार द्वारा इस मंत्रालय को भेजी गई थी। इस योजना को इस मंत्रालय के केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी संगठन से तकनीकी अनुमोदन प्राप्त हो गया है और जल संसाधन मंत्रालय द्वारा अन्तर्राज्यीय दृष्टिकोण से इसका अनुमोदन कर दिया गया है। तथापि, इसे विश्व बैंक की सहायता प्राप्त करने हेतु केवल तभी भेजा जा सकता है जब राज्य सरकार द्वारा बजट प्रावधान की पुष्टि कर दी जाती है। राज्य सरकार से इस परियोजना को थोड़ा संशोधित करने का भी अनुरोध किया गया है।

(ग) इस परियोजना से बंगलौर शहर को 60 एम०जी०डी० अतिरिक्त पानी प्राप्त होगा।

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत राजस्थान को दी गई धनराशि

1056. **श्री बनवारी लाल बेरवा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत राजस्थान के लिए गत तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि मंजूर की गई तथा वास्तव में कितनी धनराशि दी गई है;

(ख) क्या यह सच है कि राजस्थान को अन्य राज्यों की तुलना में कम धनराशि दी गई है जबकि इसे ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए तुलनात्मक अधिक धनराशि की आवश्यकता है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) छठी योजना अवधि के दौरान, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत निधियों का आबंटन प्रति-खण्ड समान आधार पर किया गया था, जबकि मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत मरुस्थल स्थिति की प्रचंडता को देखते हुए, किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को निधियों का आबंटन, कृषि मजदूरों तथा सीमान्त किसानों की संख्या को 75 प्रतिशत महत्व तथा गरीबों के प्रभाव को 25 प्रतिशत महत्व देने के निर्धारित मानदण्ड के आधार पर किया गया था। उपर्युक्त मानदण्ड के आधार पर विभिन्न राज्यों को इन कार्यक्रमों हेतु किये जाने वाला निधियों का आबंटन उनकी पात्रता के अनुसार भिन्न-भिन्न होता है। निधियों का वास्तविक बंटन राज्य द्वारा बराबर के अंशदान तथा राज्य में कार्यक्रम के निष्पादन पर निर्भर करता है।

विवरण

(रुपये लाखों में)

कार्यक्रम	वर्ष	केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय बंटन
समन्वित ग्रामीण	1982-83	928.00	983.00
विकास कार्यक्रम	1983-84	934.00	1053.00
	1984-85	944.00	974.00
राष्ट्रीय ग्रामीण	1982-83	492.00	457.55
रोजगार कार्यक्रम	1983-84	480.00	488.65
	1984-85	550.00	775.00
ग्रामीण भूमिहीन	1983-84	240.00	1200.00
रोजगार गारंटी कार्यक्रम	1984-85	240.00	1200.00
सूखा सम्भावित क्षेत्र	1982-83	290.00	96.67
कार्यक्रम	1983-84	135.00	64.86
	1984-85	135.00	134.72
मरुभूमि विकास	1982-83	785.50	461.83
कार्यक्रम	1983-84	785.50	652.62
	1984-85	785.50	756.26

चीनी मिलों का बन्द किया जाना

1057. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में कुछ और चीनी मिलों को बन्द किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उनको बन्द किये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) राज्य-वार कितनी मिलें बन्द की गई हैं; और

(घ) सरकार ने उन्हें पुन: चालू करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ग) चार चीनी मिलों जिनमें तीन कर्नाटक और एक गुजरात में है, ने हाल ही में सूचित किया है कि वे 1985-86 के चीनी मौसम के दौरान कार्य नहीं करेंगी। उनमें से केवल एक मिल ने यह कारण बताया है कि चालू मौसम के दौरान उस क्षेत्र में गन्ने की रोपाई नहीं हुई।

(घ) राज्य सरकारें अपने-अपने राज्यों के अन्दर स्थित फैक्ट्रियों का प्रबन्ध करने की दृष्टि से बेहतर स्थिति में हैं क्योंकि पहले वे अत्यधिक निकटता से फैक्ट्रियों पर प्रभावी नियंत्रण रखने में समर्थ होती हैं और दूसरा गन्ने का विकास और उसका विपणन पूर्णतया उनके नियंत्रण में होता है। राज्य सरकारों को उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबन्धों के अधीन एक विशिष्ट अवधि के लिए चीनी मिलों का प्रबन्ध केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने अधिकार में लेने के बारे में सुझाव देने की छूट है बशर्ते कि वे ऐसे यूनिटों को चलाने के लिए वित्तीय और प्रबन्धकीय दायित्व सम्भालने को तैयार हैं। दूसरा विकल्प यह है, वे संगत राज्य अधिनियमों के अधीन दीर्घकालीन उपाय के रूप में ऐसे यूनिटों का अपने आप राष्ट्रीयकरण कर सकती है।

[अनुवाद]

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा रोहिणी में प्लाट आवंटन के लिए ड्रा

1058. **श्री शान्ति धारीवाल** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने रोहिणी में प्लाट आवंटन के लिए अब तक कुल कितने ड्रा निकाले हैं;

(ख) प्रत्येक ड्रा में श्रेणीवार कितने उम्मीदवार सफल रहे;

(ग) क्या सभी आवंटियों को प्लाटों का कब्जा दे दिया गया है;

(घ) आज तक कितने मामलों में पट्टानामा दे दिया गया है; और

(ङ) यदि अब तक कोई भी पट्टानामा नहीं किया गया है तो इसके क्या कारण हैं और जिन आवंटियों को कब्जा दे दिया गया है उन सब को पट्टानामा कब तक दे दिया जाएगा ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) रोहिणी योजना के अंतर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण ने तीन ड्रा निकाले हैं।

(ख) प्रत्येक ड्रा में आवेदकों को पृथक-पृथक रूप से आवंटित किए गए श्रेणीवार प्लाटों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

ड्रा	ई०डब्ल्यू०एस०	एल०आई०जी०	एम०आई०जी०	योग
प्रथम	4610	4078	1598	10286
द्वितीय	3184	4711	2208	10103
तृतीय	2728	1368	960	5056

(ग) निम्नलिखित ब्यौरों के अनुसार 12516 पंजीकृतों को प्लाटों का प्रत्यक्ष कब्जा दे दिया गया है :—

श्रेणी	प्रथम ड्रा	द्वितीय ड्रा	योग
ई०डब्ल्यू०एस०	3893	1712	5605
एल०आई०जी०	2758	2011	4769
एम०आई०जी०	1116	1026	2142
	7767	4749	12516

(घ) 104

(ङ) पट्टा विलेखों के निष्पादन को अन्तिम रूप देने की प्रक्रिया प्रगति पर है। यह एक सतत प्रक्रिया है ज्यों हीं स्टेम्प कलक्टर द्वारा विधिवत स्टाम्प लगी पट्टाविलेख की प्रतियां दिल्ली विकास प्राधिकरण को आवंटियों से वापस प्राप्त हो जाती हैं तो निष्पादन/पंजीकरण के लिए दो साक्ष्यों सहित आवंटियों को दिल्ली विकास प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना पड़ता है। दिल्ली विकास प्राधिकरण विभिन्न श्रेणियों में प्लाटों का कब्जा दे दिए जाने वाले पृथक-पृथक आवंटियों को पट्टा विलेख की प्रतियां उचित अनुदेशों सहित भेज रहा है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अरुणाचल प्रदेश जोन

1059. **श्री नारायण चौबे** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अरुणाचल प्रदेश जोन का दो जोनों में विभाजन हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इन दोनों क्षेत्रों के मुख्यालय कौन से हैं और प्रत्येक क्षेत्र के लिए कौन-कौन से मण्डल और सर्किल निर्धारित किए गए हैं ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) अरुणाचल प्रदेश अंचल लोक निर्माण विभाग, अरुणाचल प्रदेश के अधीन है न कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के।

(ख) यह सूचना हमारे पास उपलब्ध नहीं है।

केरल की केन्द्रीय त्वरित ग्रामीण जल प्रदाय योजना

1060. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार द्वारा कुलसैण्ड क्षेत्र में पंचायथीस कवलम और नीलमपेरूर को केन्द्रीय त्वरित ग्रामीण जल प्रदाय योजना में शामिल करने सम्बन्धी कोई प्रस्तावित योजना केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित पड़ी है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख) केरल सरकार ने केन्द्र द्वारा प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत कवलम और नीलम-पेरूर को पेयजल की आपूर्ति करने के लिए कोई योजना अनुमोदन हेतु केन्द्र को नहीं भेजी है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए निधियों का आबंटन

1061. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विकास के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा को समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए आबंटित धनराशि में सातवीं पंचवर्षीय योजना में कितनी वृद्धि की गई है; और

(ग) उड़ीसा सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि में इस शीर्ष के अन्तर्गत कितनी धनराशि खर्च की है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) से (ग) ग्रामीण विकास विभाग द्वारा चलाई जा रही मुख्य ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए सातवीं योजना में

निम्नलिखित प्रावधान हैं (केवल केन्द्रीय क्षेत्रक परिव्यय) :--

(क) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1186.79 करोड़ रुपये।

(ख) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1250.81 करोड़ रुपये।

(ग) ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम 1743.78 करोड़ रुपये।

(घ) सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम 237.00 करोड़ रुपये।

(ङ) मरुभूमि विकास कार्यक्रम 245.00 करोड़ रुपये।

2. प्रत्येक कार्यक्रम के विभिन्न मानदण्डों के अनुसार केन्द्रीय क्षेत्रफल के परिव्यय का राज्य-वार आबंटन वर्ष-प्रति-वर्ष आधार पर किया जाता है।

3. छठी योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम हेतु उड़ीसा के लिए आबंटन (केन्द्र तथा राज्य) 10990.00 लाख रुपये था जिसके मुकाबले व्यय 8751.86 लाख रुपये (केन्द्र तथा राज्य) था।

छठी योजना के दौरान कृषि क्षेत्र में उत्पादन दर

1062. **श्री यशवन्त राव गड़ाख पाटिल** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन क्षेत्रों में छठी योजना अवधि के दौरान कृषि क्षेत्र में उत्पादन दर लक्ष्य से पिछड़ी है;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सभी कृषि क्षेत्रों में उत्पादन की संतुलित दर प्राप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) कृषि क्षेत्र में, उत्पादन में वृद्धि की दरें विभिन्न फसलों के लिए अलग-अलग इलाकों में अलग-अलग है। छठी योजना-अवधि के दौरान केरल, बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश राज्यों में धान के उत्पादन की वृद्धि दरें पिछड़ रही थीं, जबकि गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और जम्मू व कश्मीर में गेहूं के उत्पादन की वृद्धि दरें अपेक्षाकृत कम थीं। जहां तक कुल खाद्यान्न उत्पादन का सम्बन्ध है, छठी योजना के दौरान आन्ध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, में वृद्धि दरें पिछड़ रही थीं। तिलहनों के मामले में, गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में उत्पादन की वृद्धि दरें कम थीं।

(ख) विभिन्न राज्यों/क्षेत्रों में विभिन्न फसलों के उत्पादन की वृद्धि दरों में अन्तर का मुख्य

कारण प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता में अन्तर होना है। इसके अतिरिक्त, फसल उत्पादन की वृद्धि दरों में भिन्नता के लिए प्रौद्योगिक-आर्थिक घटक और अवसंरचनात्मक सुविधाएं भी जिम्मेदार हैं।

(ग) राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा हाल ही में अनुमोदित सातवीं योजना में, उत्पादकता वृद्धि क्षमता में अंतर्फसल, अंतर्क्षेत्रीय और अंतर्वर्गीय असमानताओं पर समुचित ध्यान दिया गया है और एक अधिक संतुलित वृद्धि प्रतिमान को लक्ष्य बनाकर कार्यक्रम तैयार किए गए हैं। इस योजना में, कम विकसित क्षेत्रों में सिंचाई, जल विकास, सड़क, बाजार, ऋण संस्थान इत्यादि अवसंरचनात्मक विकास करके तथा खासतौर से बारानी खेती में उल्लेखनीय सुधार हासिल करने के लिए नई प्रौद्योगिकी का विस्तार करके, जिससे मुख्यतया दलहन, तिलहन और मोटे अनाजों को फायदा पहुंचेगा, कृषि में वृद्धि के आधार को वृहत्तर करने की परिकल्पना की गई है। इन उपायों को उचित मूल्य और अधिप्राप्ति नीतियों द्वारा और सुदृढ़ बनाया जाएगा।

[हिन्दी]

फसल की बीमारियों को दूर करना

1063. **श्रीमती ऊषा चौधरी :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न फसलों को नुकसान पहुंचाने वाली बीमारियों का पता लगाने तथा उनकी रोकथाम के लिए किन योजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है और इस बारे में क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ख) विभिन्न बीमारियों से प्रभावित इन फसलों को बचाने के लिए और किसानों को राहत देने के लिए कौन सी योजनायें विचाराधीन हैं;

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) सरकार विभिन्न फसलों को प्रभावित करने वाले रोगों का पता लगाने और उनकी रोकथाम के लिए विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र और केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं को क्रियान्वित कर रही है। ये योजनायें हैं :— कीट और रोग की निगरानी, पौध संरक्षण प्रशिक्षण, पौध संगरोध उपाय, कीटनाशी अधिनियम, 1968 के क्रियान्वयन संबंधी योजनायें और स्थानिक भारी क्षेत्रों में खरपतवार नियंत्रण सहित कृषि महत्व के कीटों और रोगों के नियंत्रण और निवारण संबंधी केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना, इसके अलांवा, फसल विकास की अन्य योजनायें हैं, जिनमें पौध संरक्षण भी एक घटक है। उनकी रोकथाम के लिए किए गए उपाय नीचे दिए गए हैं :—

(1) विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में रोगों के प्रभाव का प्रबोधन करने के लिए फसलों की नियमित निगरानी करना ताकि समय पर नियंत्रण संबंधी उपाय करने के लिए किसानों और राज्य के कार्यकर्त्ताओं की सहायता की जा सके।

(2) केन्द्रीय पौध संरक्षण प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद और केन्द्रीय पौध संरक्षण, संगरोध एवं संचयन निदेशालय के अन्तर्गत अन्य उप केन्द्रों में भी अल्पावधि और दीर्घावधि

प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए उपायों का पता लगाने और नियंत्रण करने में पौध संरक्षण कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षण देना।

(3) समेकित कीट प्रबन्ध और रोग नियंत्रण कार्यों को अपनाने में किसानों को शिक्षित करके और समय पर नियन्त्रण संबंधी कार्यों को करके पौध संरक्षण उपकरण के लिए ऋण उपलब्ध करके भी अभियानों और किसान मेले/प्रदर्शनियों का आयोजन करना।

(4) कीटनाशी अधिनियम, 1968 और उसके तहत् बनाये गये नियमों का क्रियान्वयन करना ताकि किसानों को अच्छी किस्म की कीटनाशी दवाओं की उपलब्धि को सुनिश्चित किया जा सके।

(5) प्रवेश पत्तन पर और बाद में एक राज्य से अन्य राज्य में विदेशी रोगों के किसी सम्भव फैलाव को रोकने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय और देशी पौध संरक्षण उपायों का प्रवर्तन।

(6) निर्धारित दरों पर और स्वीकृत मार्गदर्शी सिद्धान्तों के आधार पर राजसहायता की व्यवस्था करना।

(ख) संबंधित प्राधिकारियों की स्वीकृति और धनराशि की उपलब्धि होने पर प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित केन्द्रीय क्षेत्र और केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं को सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान जारी रखे जाने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

चीनी उद्योग में गैर-सरकारी क्षेत्र को समाप्त करना

1064. **श्री आर० एम० मोये** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्य चीनी उद्योग में गैर-सरकारी क्षेत्र को समाप्त करने के प्रश्न पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों के नाम क्या हैं और इस समय वहां कितने सहकारी चीनी कारखाने चल रहे हैं;

(ग) क्या कुछ प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के लिए लम्बित पड़े हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस सम्बन्ध में नीति क्या है और यदि इन चीनी कारखानों को समाप्त कर दिया जाता है तो इनमें कार्यरत कर्मचारियों को अन्य कार्यालयों में खपाने सम्बन्धी नीति क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) सरकार को ऐसे किसी प्रस्ताव की जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

खाद्यान्न बचाओ अभियान को तेज करना

1065. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर-पश्चिम भारत में, जिसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और काश्मीर शामिल हैं, किसानों को आवश्यक सूचना, तकनीक और दक्षता का प्रचार करके खाद्यान्न बचाओ अभियान को तेज करने के बारे में कोई निर्णय लिया गया है; यदि हां, तो इसकी मुख्य रूप-रेखा क्या है; और

(ख) क्या इस अभियान को तेज करने के लिए शीघ्र ही और अधिक फील्ड यूनिट/सब आफिस खोलने का विचार है और यदि हां, तो प्रस्तावित यूनिटों/स्टेशनों का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) केन्द्रीय अन्न सुरक्षा दलों की नियुक्ति राज्यों को नेतृत्व प्रदान करने और फार्म स्तर पर खाद्यान्नों का बेहतर परिरक्षण करने के लिए उन्नत भण्डारण विधियों का प्रसार करने में उत्प्रेरक भूमिका अदा करने के लिए की गई थी। अतः केन्द्रीय दल केवल चुनिंदा क्षेत्रों में ही आवश्यक प्रदर्शनियों और प्रशिक्षण का आयोजन करते हैं। यह कार्य राज्य सरकारों का है कि वे इस गतिविधि में तेजी लाएं और इस कार्य को अपने संबंधित राज्यों के सभी क्षेत्रों में पहुंचाएं।

(ख) फिलहाल इस प्रयोजन हेतु और अधिक केन्द्रीय यूनिट स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

डी० डी० टी० के प्रयोग पर प्रतिबन्ध

1066. श्री जगन्नाथ पटनायक : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कृषि क्षेत्र में डी० डी० टी० के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) सरकार ने डी०डी०टी० उन सभी कृमिनाशक दवाओं के जिन्हें अन्य देशों में वर्जित या प्रतिबंधित

किया गया है, उपयोग की समीक्षा करने के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति गठित की थी। उक्त समिति ने डी० डी० टी० के सम्बन्ध में सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। डी०डी०टी० के प्रयोग पर पाबन्दी लगाई जाए या नहीं, इस बारे में निर्णय इसकी जांच करने और सभी सम्बद्ध तथ्यों को ध्यान में रखने के बाद ही किया जा सकता है।

उपभोक्ता सहकारी समितियां बनाने के लिए उड़ीसा को सहायता

1067. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा को राज्य में उपभोक्ता सहकारी समितियों की स्थापना के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1983-84, 1984-85 और 1985-86 में कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है;

(ख) उक्त वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी खुदरा दुकानें खोली गई और कितनी खुदरा दुकानें खोलने का विचार है; और

(ग) उड़ीसा सहकारी उपभोक्ता संघ को वर्ष 1983-84 और 1984-85 में कितना लाभ और हानि हुई है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत उपभोक्ता सहकारी समितियों के विकास के लिए उड़ीसा को तीन वर्षों के दौरान दी गई केन्द्रीय सहायता इस प्रकार है :--

1983-84	...	11.20 लाख रुपये
1984-85	...	5.33 लाख रुपये
1985-86	...	0.72 लाख रुपये
(31.10.1985 तक)		

(ख) उड़ीसा सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 1983-84, 1984-85 और 1985-86 (31.10.1985 तक) के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में खोली गई खुदरा दुकानों की संख्या क्रमशः 203, 155 और 74 है।

(ग) राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, उड़ीसा राज्य उपभोक्ता सहकारी संघ ने परीक्षित नहीं किए गए लेखाओं के अनुसार 1983-84 में 1.6 लाख रुपये और 1984-85 में 1.7 लाख रुपये लाभ कमाया है।

सैन्ट्रल वेयरहाऊसिंग कारपोरेशन को हुई हानि को भारतीय खाद्य निगम द्वारा बट्टे खाते में डालना

1068. **श्री काली प्रसाद पांडेय :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम सैन्ट्रल वेयरहाऊसिंग कारपोरेशन के गोदामों में रखे गए खाद्यान्न भण्डारों में भण्डार सम्बन्धी हानियों को बट्टे खाते डाल रहा है/नियमित कर रहा है यद्यपि भारतीय खाद्य निगम, सैन्ट्रल वेयरहाऊसिंग कारपोरेशन को भण्डार प्रभारों की अदायगी बढ़ी हुई दरों पर कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो 1981 के बाद से सैन्ट्रल वेयरहाऊसिंग कारपोरेशन में भण्डारण की हानियों के कारण भारतीय खाद्य निगम द्वारा वर्षवार बट्टे खाते डाले/विनियमित किए जाने वाली मात्रा क्या है;

(ग) समझौते की शर्तें क्या हैं जिनके अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम के खर्चे पर सैन्ट्रल वेयरहाऊसिंग कारपोरेशन को ऐसी सुविधा दी जा रही है; और

(घ) सैन्ट्रल वेयरहाऊसिंग कारपोरेशन के गोदामों में हुई हानियों को बट्टे खाते डालना/विनियमित करना नियमों/समझौता शर्तों के अनुसार गलत और अनुचित पाये जाने की स्थिति में विनियमित की गई हानियों को सैन्ट्रल वेयरहाऊसिंग कारपोरेशन से वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, हां। सेन्ट्रल वेयरहाऊसिंग कारपोरेशन को किराये, परिरक्षण और प्रशासनिक खर्चों के लिए भण्डारण प्रभारों का भुगतान किया जाता है और इसमें भण्डारण क्षति शामिल नहीं होती है।

(ख) निगम के लेखापरीक्षित संकलित लेखों में एजेन्सीवार भण्डारण सम्बन्धी क्षति और उनको बट्टे खाते में डालने/नियमित करने से संबंधित आंकड़ों को नहीं दर्शाया जाता है। अतः केवल मात्र सैन्ट्रल वेयरहाऊसिंग कारपोरेशन से संबंधित आंकड़े तुरन्त उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) इस समय सैन्ट्रल वेयरहाऊसिंग कारपोरेशन के साथ भण्डारण क्षति के सिद्धान्तों के बारे में कोई समझौता नहीं किया गया है। भण्डारण सम्बन्धी क्षति के सभी मामलों की जांच की जाती है और प्रत्येक मामले को उसके गुण-दोष के आधार पर निपटाया जाता है जैसाकि भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में हो रही भण्डारण क्षति के मामले में किया जाता है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

सूखा ग्रस्त राज्यों के लिए चारे तथा पानी की व्यवस्था

1069. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा उन राज्यों में पशुओं को बचाने हेतु चारे और पानी की व्यवस्था के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, जिनमें सूखे की स्थिति अभी भी बनी हुई है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार ने सूखा से प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं के लिए चारा और पानी की व्यवस्था करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :

(1) प्रभावित राज्यों से अनुरोध प्राप्त होने पर राज्य से चारा निर्यात करने पर पाबंदी लगाने की अनुमति।

(2) रेलवे प्राधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि जब कभी ऐसा अनुरोध प्राप्त हो, अधिशेष राज्यों से सूखा प्रभावित राज्यों में चारा ढुलाई के लिए प्राथमिकता और रियायती दरें दी जाए।

(3) भारत सरकार द्वारा प्रभावित राज्यों को चारा उपलब्ध कराने के लिए अधिशेष राज्यों से अनुरोध किया गया है।

(4) भारत सरकार ने वर्ष 1985-86 के दौरान अब तक सूखा राहत के अधीन सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में पशु संरक्षण और चारा सहायता के लिए 8.73 करोड़ रुपये तथा पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए 77.03 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता मंजूर की है।

[अनुवाद]

राज्यों में कारखानों का बन्द होना

1070. **श्री आनन्द पाठक** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 अक्तूबर, 1985 को राज्य-वार बन्द पड़े कारखानों की संख्या कितनी थी;

(ख) 31 अक्तूबर, 1985 को तालाबन्दी के अन्तर्गत आने वाले कारखानों की राज्य वार संख्या कितनी थी;

(ग) 31 अक्तूबर, 1985 को कारखानों में ताला-बन्दी और उनके बन्द होने के कारण राज्य-वार प्रभावित हुए कुल श्रमिकों की संख्या क्या है; और

(घ) इन कारखानों को पुन: चालू करने के लिए सरकार द्वारा क्या विशिष्ट कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) से (ग) श्रम ब्यूरो से 15-11-1985 तक प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, कामबन्दियों और तालाबन्दियों एवं प्रभावित हुए श्रमिकों की संख्या के बारे में राज्य-वार सूचना, जो क्रमश: जनवरी-सितम्बर और जनवरी-अगस्त की अवधियों के लिए उपलब्ध है, संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) केन्द्रीय और राज्य सरकारें समुचित पुनर्वास सहायता देकर बन्द पड़े औद्योगिक यूनिटों को पुन: खोलने के लिए कदम उठा रहे हैं जिनमें रियायतें, राहत, और आसान शर्तों पर वित्तीय सहायता देना शामिल है। तालाबन्दियों के मामलों में, केन्द्र और राज्य स्तर पर, औद्योगिक सम्बन्ध तन्त्र विवादों को हर संभव तरीके से अर्थात संराधन, न्यायनिर्णयन या यथास्थिति, माध्यस्थम से तुरन्त समझौता करवाकर तालाबन्दी समाप्त करने के लिए उपाय करते रहते हैं।

विवरण

वर्ष 1985 के दौरान कामबंदियों और तालाबंदियों एवं उनसे प्रभावित श्रमिकों की राज्यवार संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कामबंदियां* (जनवरी-सितम्बर, 1985)		तालाबंदियां (जनवरी-अगस्त, 1985)	
	कामबंदियों की संख्या	प्रभावित हुए श्रमिकों की संख्या	तालाबंदियों की संख्या	प्रभावित हुए श्रमिकों की संख्या
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	1	40	31	20,479
असम	—	—	—	—
बिहार	1	32	13	3,838
गुजरात	11	610	10	2,848
हरियाणा	1	35	1	1,200
हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—
जम्मू-व-कश्मीर	...	...	...	...
कर्नाटक	1	71	4	4,715

1	2	3	4	5
केरल	27	16,058	8	1,181
मध्य प्रदेश	4	802	2	2,058
महाराष्ट्र	25	1,899	27	12,614
मणिपुर	—	—	—	—
मेघालय	—	—	...	...
नागालैंड	...	...	...	—
उड़ीसा	3	804	4	994
पंजाब	—	—	1	76
राजस्थान	14	437	14	1,045
सिक्किम	...	...	...	...
तमिलनाडु	11	457	17	6,664
त्रिपुरा	1	40	...	...
उत्तर प्रदेश	3	311	7	2,186
पश्चिम बंगाल	...	...	102	83,812
अंडेमान-व-निकोबार	—	—	—	—
अरुणाचल प्रदेश	...	...	...	—
चण्डीगढ़	...	...	...	...
दादर और नगर हवेली	—	—		...
दिल्ली	...	...		...
गोवा, दमन और दीव	—	—	...	...
लक्ष्यद्वीप	—	—	...	...
मिजोरम	...	...	...	...
पांडिचेरी	—	—	...	...
जोड़ :	103	21,596	241	143,702

(अ)=अनन्तिम (—)=शून्य (...)=उपलब्ध नहीं है।

(*)=इसमें स्थाई और अस्थाई तालाबंदियां शामिल हैं लेकिन गैर मौसमी कामबंदियां शामिल नहीं हैं।

कीटों और रोगों को समाप्त करने के लिए
नीम के तेल और करौंजा बीज का प्रयोग

1071. **डा० सुधीर राय** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नाशक कीटों, तथा अन्य रोगों के भय को समाप्त करने के लिए किसानों को नीम के तेल, करौंजे के बीज और चाइनाबैरी प्रयोग करने हेतु प्रोत्साहित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) **नीम** : सरकार टिड्डियो के आक्रमण से फसलों को बचाने के लिए पानी में तैयार किए गए ताजे नीम के बीज की गिरी के प्रलंबन का प्रयोग करने को प्रोत्साहन दे रही है। नीम तेल जैसे अन्य उपकरणों के कीटनाशी गुणों का अभी अनुसंधान किया जा रहा है। परन्तु अभी तक ये गुण साधारण ही प्रतीत होते हैं। रोगों के विरुद्ध इनका कोई कार्यकलाप नहीं है।

करंज के बीज का तेल : प्रयोगशाला के परीक्षणों से पता चला है कि इस में बहुत मामूली कीटनाशी गुण है, जो इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त नहीं है।

चाइना-बैरी : भारत में कृमियों तथा रोगों पर इसकी प्रभावकारिता संबंधी बहुत कम अनुसंधान की जानकारी है। इस स्तर पर इसके उपयोग को प्रोत्साहन देने का प्रश्न ही नहीं होता।

"कार्य के लिए भोजन" तथा एन० आर० ई० पी० का कार्यान्वयन

1072. **श्रीमती विभा घोष गोस्वामी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83 से लेकर 1984-85 तक की अवधि के दौरान "कार्य के लिए भोजन" और एन०आर०ई०पी० के कार्यान्वयन के माध्यम से उत्पन्न कार्य दिवसों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) वर्ष 1982-83 से लेकर 1984-85 तक इसके आधार पर राज्य-वार और वर्ष-वार सृजित स्थायी परिसम्पत्तियों का मूल्य क्या है; और

(ग) वर्ष 1982-83 से लेकर 1984-85 तक इसके लिए वर्षवार स्वीकृत और वितरित खाद्यान्नों की मात्रा और नकद धनराशि क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) काम के बदले अनाज कार्यक्रम के स्थान पर अक्तूबर, 1980 से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम आरम्भ किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत 1982-83 से 1984-85 के दौरान

सृजित रोजगार के राज्यवार आंकड़े दर्शाने वाला विवरण-I सभा पटल पर रखा है।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1533/85]

(ख) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1982-83 से 1984-85 के दौरान राज्य-वार तथा वर्ष-वार वास्तविक परिसम्पत्तियों को दर्शाने वाले विवरण II, III तथा IV सभा पटल पर रखे हैं।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1535/85]

(ग) विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को वर्ष 1982-83 से 1984-85 तक के दौरान दिए गए, खाद्यान्नों की मात्रा तथा नकद निधियों की वर्ष-वार राशियों को दर्शाने वाले विवरण 5 तथा 6 भी सभा पटल पर रखे हैं।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1533/85]

पान पर अनुसंधान कार्य

1073. **श्री मतिलाल हंसदा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की पान के अनुसंधान कार्य में तेजी लाने की कोई योजना है;

(ख) इस उद्देश्य के लिए वर्ष 1984-85 में कितनी धनराशि आबंटित की गई थी; और

(ग) भारत में कार्य कर रहे पान अनुसंधान केन्द्र की संख्या क्या है और वे कहां-कहां स्थित हैं?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) 1984-85 में 10,85, 400/- रु० की राशि आबंटित की गई थी।

(ग) पान बेल की बीमारी अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के आठ केन्द्र हैं जो भुवनेश्वर, कोयम्बटूर, जबलपुर, राहुरी, हैदराबाद, बंगलौर, जोरहाट और कल्याणी में स्थित कृषि विश्वविद्यालयों में चल रहे हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बंगलौर में एक समन्वय-एकक भी है। लखनऊ में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान में भी पान की पत्ती पर अनुसंधान कार्य चल रहा है।

हरियाणा में खुले में पड़ा गेहूं का भण्डार

1074. **श्री रेणुपद दास** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हरियाणा में 200 करोड़ रुपये के मूल्य के गेहूं का बहुत बड़ा भंडार खुले में पड़ा हुआ है जिसके मौसम के प्रभाव के कारण खराब होने की आशंका है;

(ख) यदि हां, तो भण्डार को वर्षा और प्रकृति के अन्य प्रभाव से बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) फालतू भण्डारों को गेहूं की खपत वाले अन्य राज्य को न भेजने के क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, नहीं। भारतीय खाद्य निगम ने ढकी हुई भण्डारण क्षमता के अभाव के कारण हरियाणा में 30.9.1985 तक लगभग 70 लाख रुपये मूल्य का अपना केवल 0.46 लाख मीटरी टन गेहूं कवर और प्लिंथ (कैप) में रखा है।

(ख) भारतीय खाद्य निगम ने हरियाणा में कैप में रखे गए सम्पूर्ण स्टाक को पोलीथीन की चादरों से भली-भांति ढक कर रखा है तथा वे इस स्टाक को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए निम्न-लिखित और उपाय भी करते हैं :—

(1) गुम्बदनुमा आकार के चट्टे लगाए जाते हैं ताकि उसकी ऊपरी सतह पर पानी न रुक सके।

(2) कैप में रखे गए चट्टों के नीचे डनेज की उपयुक्त व्यवस्था की जाती है।

(3) धूप वाले दिनों में, स्टाक का उचित वातन किया जाता है।

(4) प्रत्येक डिपो में तैनात तकनीकी स्टाफ द्वारा कैप में रखे गए स्टाक की आवधिक जांच की जाती है और स्टाक का उचित ढंग से परिरक्षण करने के लिए उसका नियमित उपचार किया जाता है।

(ग) समूची आवश्यकताओं, संचलन सम्बन्धी बाधाओं तथा भण्डारण स्थान की उपलब्धता को ध्यान में रखकर गेहूं के स्टाक को हरियाणा से देश के अन्य भागों को तीव्रता से भेजा जा रहा है।

पश्चिम बंगाल को सप्लाई किए गए चावलों की किस्म

1076. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि कलकत्ता में राशन प्रणाली तथा पश्चिम बंगाल में अन्य राशन वाले क्षेत्रों के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा सप्लाई किये गये चावल बहुत ही घटिया किस्म के हैं और वे खाने योग्य भी नहीं हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार अच्छी किस्म के चावल सप्लाई करने का है; और

(ग) क्या सरकार मामले की जांच करेगी और आवश्यक कार्यवाही करेगी ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ग) जी, नहीं। भारतीय खाद्य निगम द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन कलकत्ता के राशन

व्यवस्था वाले क्षेत्रों और पश्चिमी बंगाल के अन्य क्षेत्रों को सप्लाई किया जा रहा चावल भारत सरकार द्वारा विहित की गई विनिर्दिष्टियों के अनुरूप है और वह खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अधीन निर्धारित की गई सीमाओं के अन्दर है। यदि कोई शिकायतें की जाती हैं तो उनकी जांच खाद्य विभाग के गुण नियंत्रण सैल के अधिकारियों द्वारा की जाती है और उन पर उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

खाद्यान्नों के रखरखाव की लागत

1077. **श्री गदाधर साहा** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय केन्द्रीय सरकार के पास खाद्यान्नों का कुल कितना भण्डार है;

(ख) उस भण्डार के रखरखाव पर कितनी लागत आती है: और

(ग) इस भंडार का सार्वजनिक वितरण प्राणाली को मजबूत बनाने तथा काम के बदले अनाज कार्यक्रम के विस्तार के लिए उपयोग में न लाये जाने के क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) भारतीय खाद्य निगम के पास 1.11.1985 को 154.9 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों का कुल स्टाक होने का अनुमान है।

(ख) 1985-86 के बजट अनुमानों के अनुसार बफर स्टाक रखने की लागत 41.84 रुपये प्रति क्विंटल है।

(ग) चालू वर्ष के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के लिए खाद्यान्नों के आवंटन को बढ़ा दिया गया है।

चावल का उत्पादन

1078. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में पड़ोसी देशों की तुलना में प्रति हैक्टेयर चावल का उत्पादन काफी कम है।

(ख) क्या देश में चावल के वर्तमान उत्पादन को बनाए रखने और उसमें वृद्धि करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इस फसल को केन्द्रीय योजनाओं के अन्तर्गत अनुसंधान और विकास विभाग की क्या सहायता प्राप्त हो रही है और क्या इसमें सुधार किए जाने का प्रस्ताव है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) 1984-85 के दौरान भारत में चावल का प्रति हैक्टेयर उत्पादन 1425 कि०ग्रा० आंका गया था, जो बंगलादेश और थाइलैंड से अधिक था, परन्तु अन्य पड़ोसी देशों जैसे पाकिस्तान, चीन, श्रीलंका और बर्मा से कम था।

(ख) देश में चावल की उत्पादकता में गत समय में स्थिर वृद्धि हुई है अर्थात् साठ के बाद के दशक में 8 से 10 क्विंटल प्रति है० से बढ़कर अस्सी के बाद के दशक में 13-14 क्विंटल प्रति है० हो गई। देश में चावल के उत्पादन में और वृद्धि करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही नई प्रौद्योगिकी का एक केन्द्रीय क्षेत्र का मिनीकिट एवं समुदाय नर्सरी कार्यक्रम शामिल है। बेहतर उत्पादकता के रास्ते में आने वाली रुकावटों से निपटने के लिए क्षेत्र दृष्टिकोण के आधार पर एक व्यापक कार्यक्रम आरम्भ किया गया है। छ: पूर्वी राज्यों में चावल के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए क्षेत्रवार प्रतिरोध विश्लेषण के आधार पर गत्यावरोधों को दूर करने के लिए नीति को एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना में मिला लिया गया है।

(ग) विभिन्न स्थितियों के लिए अधिक उपज देने वाली, अल्पावधिक, उर्वरक अनुकूल तथा ऐसी किस्मों जो विभिन्न खेती प्रणालियों के अन्तर्गत जैव/अजैव दबाव की स्थितियों के लिए बेहतर उपयुक्त हैं, का विकास करने के लिए चावल पर अनुसंधान तीव्र किए जा रहे हैं।

केरल में भारतीय खाद्य निगम के लिए गोदामों का निर्माण

1079. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के पास केरल में गोदाम सुविधाएं पर्याप्त हैं;

(ख) क्या केरल में भारतीय खाद्य निगम के लिए और गोदामों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है और उसके क्या कारण हैं?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) भारतीय खाद्य निगम के पास केरल में उपलब्ध भण्डारण क्षमता राज्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वर्तमान आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

(ख) और (ग) निगम का बफर स्टाक रखने के लिए केरल में कुछ अतिरिक्त भण्डारण क्षमता का निर्माण करने का प्रस्ताव है जो कि विचाराधीन है।

[हिन्दी]

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा किराया खरीद आधार पर मकानों का आवंटन

1080. **श्री बनवारी लाल बैरवा** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान 500 रुपये से कम मासिक आय वाले कितने परिवारों को आवासीय मकान आवंटित किए गए और अगले दो वर्षों में इसी आय समूह वाले कितने व्यक्तियों को मकान आवंटित किए जाने की सम्भावना है;

(ख) क्या यह सच है कि किराया खरीद आधार पर आवंटित किए गए मकानों के मामलों में किश्तों की धनराशि बहुत अधिक है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में ऐसी आय वर्ग वाले व्यक्तियों के लिए कोई योजना तैयार की जा रही है ताकि उनको अत्यधिक वित्तीय समस्या का सामना न करना पड़े ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान 500 रुपये प्रति माह तक की आय वाले परिवारों को आवंटित जनता फ्लैटों का विवरण निम्न प्रकार है :—

	योजना	82-83	83-84	84-85	योग
(I)	सामान्य आवास योजना	—	578	—	578
(II)	नई पद्धति (हुडको) योजना, 1979	140	1661	2445	4246
	योग :	140	2239	2445	4824

आगामी दो वर्षों 1985-86 1986-87 के दौरान इस आय वर्ग के अन्तर्गत आवंटित किए जाने वाले सम्भावित फ्लैटों की संख्या इस प्रकार है :—

आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग	24,117
निम्न आय वर्ग	22,272
योग :	46,389

(ख) विभिन्न पंजीकरण योजनाओं के अन्तर्गत जनता फ्लैटों के सम्बन्ध में दी जाने वाली मासिक किश्त निम्न प्रकार है :—

1. सामान्य पंजीकरण योजना—206 रुपए से 295 रुपए के मध्य मासिक किश्तों की संख्या 180 है।

2. नई पद्धति योजना, 79—200 रुपए से 226 रुपए के मध्य, मासिक किश्तों की संख्या 240 हैं। 23.1.85 से यह अवधि मध्य आय वर्ग के लिए 7 वर्ष के बदले 10 वर्ष, निम्न आय वर्ग के लिए 10 वर्ष के बदले 15 वर्ष और आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग/जनता वर्ग के लिए 15 वर्ष के बदले 20 वर्ष तक बढ़ा दी गई है।

(ग) समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लिए एक कमरे वाले टेनामैंटों की एक

योजना हाल ही में आरम्भ की गई। इस योजना के अन्तर्गत विद्यमान दरों पर 22500/- रुपए की लागत पर फ्लैटों का निर्माण किया जाएगा और इन फ्लैटों के मामलों में राशि का भुगतान 170 रुपए की 180 मासिक किश्तों में किया जाएगा।

[हिन्दी]

मंगलगिरि (आन्ध्र प्रदेश) में उच्च शक्ति के दूरदर्शन रिले केन्द्र की स्थापना

1081. **श्री सी० सम्बु** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के गुंटूर और प्रकाशम जिलों के दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले दर्शकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए मंगलगिरि में एक उच्च शक्ति वाला दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो यह परियोजना कब तक पूरी हो जाएगी; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, नहीं। जब विजयवाड़ा का मौजूदा 1 किलोवाट वाला दूरदर्शन ट्रांसमीटर 1986 के मध्य तक कोंडापल्ली में स्थाई स्थान पर 10 किलोवाट की पूरी शक्ति पर चालू हो जाएगा। तब उससे गुंटूर जिले के बड़े भाग में तथा प्रकाशम जिले के छोटे भाग में सेवा उपलब्ध करने की उम्मीद की जाती है। इसके अलावा, सातवीं योजना अवधि के दौरान प्रकाशम जिले के ओंगोले/डोनाकोंडा में अल्प शक्ति वाला एक दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

बाल श्रमिकों की संख्या सम्बन्धी सर्वेक्षण

1082. **प्रो० रामकृष्ण मोरे**
श्री अमर राय प्रधान } : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगेकि :

(क) क्या सरकार द्वारा प्रायोजित अखिल भारतीय सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 440 लाख बाल श्रमिक हैं जिसका छठा भाग सुकुमार आयु के बच्चों का है; और

(ख) यदि हां, तो देश में बाल श्रमिकों की बढ़ती हुई समस्या से निपटने हेतु सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अंजैया) : (क) श्रम मन्त्रालय में "अखिल भारतीय बाल श्रमिक सर्वेक्षण" नामक अध्ययन करने के लिए आपरेसन्स रिसर्च ग्रुप, बड़ौदा को वित्तीय सहायता दी है। उक्त अध्ययन के अनुसार, काम-काजी बच्चों की कुल संख्या 440 लाख होने का अनुमान है।

तथापि, सरकार ने इस अध्ययन के निष्कर्षों को स्वीकार नहीं किया है। योजना आयोग द्वारा लगाए गए अनुमान के अनुसार, पहली मार्च, 1983 को बाल श्रमिकों की संख्या 173.6 लाख थी।

(ख) हालांकि देश में विद्यमान सामाजिक-आर्थिक दशाओं को देखते हुए, बाल श्रम को पूर्णत: समाप्त करना सम्भव नहीं है, लेकिन यह सुनिश्चित करना सरकार का सतत् प्रयास रहा है कि परि-स्थितिवश काम करने वाले बच्चों का शोषण न हो और वे स्वास्थ्य और निरोगता की दशाओं में काम कर सकें। सरकार काम-काजी बच्चों के कल्याण से सम्बन्धित कार्रवाई परियोजनाओं के लिए स्वैच्छिक एजेन्सियों को वित्तीय सहायता दे रही है। गुरूपद स्वामी समिति की सिफारिशों के अनुसरण में, केन्द्रीय बाल श्रमिक सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है जो बाल श्रमिकों की समस्याओं के बारे में सरकार को सलाह देगा। कई राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों ने राज्य स्तर और जिला स्तर पर बाल श्रमिक सलाहकार बोर्डों को गठित किया है।

केरल में फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लि० के उद्योग मंडल डिवीजन में संयंत्रों का बन्द किया जाना

1083. **प्रो० पी० जे० कुरियन**
श्री बी० एस० विजयराघवन } : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लि० के उद्योग मण्डल डिवीजन में कुछ संयंत्र बन्द कर दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि इन संयंत्रों ने पिछले वर्ष अपनी क्षमता से अधिक उत्पादन किया है; और

(घ) यदि हां, तो इन संयंत्रों को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उर्वरक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) और (ख) फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लि० (फैक्ट) के उद्योग मण्डल प्रभाग में क्रियोलाइट संयंत्र अलाभकर प्रचालनों तथा कच्चे माल की अनुपलब्धि के कारण बन्द कर दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

बैलगाड़ी का आधुनिकीकरण

1084. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैलगाड़ी को आधुनिक बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) जी हां। सरकार का जहाजरानी और परिवहन मन्त्रालय (1) भारतीय प्रबन्ध संस्थान, बंगलौर, (2) केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान संस्थान परिषद के अन्तर्गत अनुसंधान संस्थान के जरिए उन्नत बैलगाड़ी के डिजाइन के बारे में अनुसंधान कार्य उपलब्ध करा रहा है। इसके अतिरिक्त भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् भी अखिल भारतीय समन्वित परियोजना के जरिए और केन्द्रीय कृषि इंजीनियरी संस्थान, भोपाल के जरिए भी अनुसंधान कार्य में लगी है। इन संस्थानों ने नई बैलगाड़ियां तैयार की है। इनमें किया गया सुधार धुरी संबंधी सामग्री, ब्रेक पद्धति, पहियों के आकार आदि से संबंधित हैं। सार्वजनिक और निजी संगठनों द्वारा विनिर्मित उन्नत बैल-गाड़ियां देश में उपलब्ध हैं। वाणिज्यिक और सहकारी बैंक बैलगाड़ियों की खरीद के लिए किसानों को ऋण उपलब्ध कराते हैं।

कस्टोडियन जनरल आर्गेनाइजेशन

1085. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के प्रबन्ध के अधीन कार्यरत अधिसूचित चीनी कारखानों के कार्यकरण पर नियन्त्रण रखने हेतु स्थापित कस्टोडियन जनरल आर्गेनाइजेशन का दर्जा क्या है;

(ख) क्या कस्टोडियन जनरल आर्गेनाइजेशन द्वारा अस्थाई रूप से नियंत्रण में ली गई इन मिलों के बन्द होने की सम्भावना है;

(ग) यदि हां, तो इस समय कस्टोडियन जनरल आर्गेनाइजेशन में नियुक्त कर्मचारियों (मजदूरों) को खपाने के बारे में सरकार की नीति का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या कस्टोडियन जनरल आर्गेनाइजेशन के इन कर्मचारियों की सेवायें उनके मन्त्रालय के नियंत्रणाधीन किसी अन्य विभाग को सौंपी जाएंगी ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) कस्टो-डियन जनरल आर्गेनाइजेशन, जिसका खर्चा भारत सरकार की समेकित निधि से पूरा नहीं किया जाता है, एक नितांत अस्थाई संगठन है, जिसकी स्थापना चीनी उपक्रम (प्रबन्ध अधिग्रहण) अधिनियम, 1978 के अधीन अस्थाई तौर पर अधिकार में ली गई चीनी मिलों के कार्यों की देख-भाल करने के लिए की गई थी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) तथापि, अधिग्रहीत मिलों को उनके संबंधित मालिकों/राज्य सरकारों को लौटाने के बाद, कस्टोडियन जनरल आर्गेनाइजेशन को समाप्त कर दिया जाएगा और यद्यपि इस संगठन में प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को उनके संबंधित कार्यालयों/विभागों को वापस भेज दिया जाएगा, लेकिन स्टाफ के जिन सदस्यों को बाहर से भर्ती किया गया था, उनकी सेवाओं को समाप्त कर दिया जाएगा।

कोचीन दूरदर्शन टावर से फ्रीक्वेन्सी माडूलेशन ट्रांसमिशन

1086. प्रो० के० वी० थामस : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस प्रकार की शिकायतें मिली हैं कि देश में कुछ क्षेत्रों में मीडियम वेव सिगनल भली भांति प्राप्त नहीं होते हैं;

(ख) यदि हां, तो वे क्षेत्र कौन से हैं और सिगनल प्राप्त करने में सुधार के लिए क्या कदम उठाने का विचार है;

(ग) क्या सरकार का फ्रीक्वेन्सी माडूलेशन ट्रांसमिशन शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) क्या सरकार कोचीन दूरदर्शन टावर से फ्रीक्वेन्सी माडूलेशन ट्रांसमिशन शुरू करने के प्रस्ताव पर विचार करेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां।

(ख) जिन क्षेत्रों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं वे मुख्यत: चीन, पाकिस्तान और बंगलादेश की सीमा से लगते हैं। मौजूदा ट्रांसमीटरों की शक्ति बढ़ाने और नए ट्रांसमीटर स्थापित करने के लिए अनेक स्कीमें पहले से ही कार्यान्वित की जा रही हैं। इनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। आकाशवाणी द्वारा इन क्षेत्रों में रेडियो कवरेज सुधारने के लिए सातवीं योजना में कार्यान्वित करने के लिए अतिरिक्त स्कीमें भी शामिल की गई हैं।

(ग) जी, हां। 7वीं योजना के दौरान, आकाशवाणी का देश में रेडियो कवरेज में सुधार करने के लिए एफ०एम० ट्रांसमीटरों वाले अनेक रेडियो स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(घ) जी, हां।

विवरण

क्रम संख्या	स्कीम
1.	शिलांग के मीडियम वेव ट्रांसमीटर की शक्ति । किलोवाट से बढ़ाकर 100 किलोवाट करना।

2. डिब्रूगढ़ के मीडियम वेव ट्रांसमीटर की शक्ति 100 किलोवाट से बढ़ाकर 300 किलोवाट करना।

3. गोहाटी के मौजूदा शार्ट वेव ट्रांसमीटर की शक्ति 10 किलोवाट से बढ़ाकर 50 किलोवाट करना।

4. शिलांग में 50 किलोवाट शार्ट वेव के एक ट्रांसमीटर के साथ उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए नई समेकित सेवा की स्थापना।

5. तुरा में 20 किलोवाट मीडियम वेव के एक ट्रांसमीटर के साथ नया रेडियो स्टेशन स्थापित करना।

6. पटना के मौजूदा मीडियम वेव ट्रांसमीटर की शक्ति बढ़ाकर 100 किलोवाट करना।

7. लखनऊ के मौजूदा मीडियम वेव ट्रांसमीटर की शक्ति बढ़ाकर 300 किलोवाट करना।

8. सिलीगुड़ी के मौजूदा मीडियम वेव ट्रांसमीटर की शक्ति बढ़ाकर 200 किलोवाट करना।

9. अजमेर के मौजूदा मीडियम वेव ट्रांसमीटर की शक्ति बढ़ाकर 200 किलोवाट करना।

10. राजकोट के मौजूदा मीडियम वेव ट्रांसमीटर की शक्ति बढ़ाकर 300 किलोवाट करना।

11. इटानगर में 100 किलोवाट मीडियम वेव के एक ट्रांसमीटर के साथ नया रेडियो स्टेशन स्थापित करना।

खाद्यान्नों के अभाव का सामना कर रहे अफ्रीकी देशों की सहायता हेतु फ्रांस के साथ समझौता

1087. **श्री बी० तुलसी राम :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्यान्न के अभाव का सामना कर रहे अफ्रीकी देशों को सहायता करने के लिए भारत और फ्रांस के बीच कोई समझौता हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो दोनों देशों के बीच हुए समझौते की शर्तें और ब्यौरा क्या है और इस पर होने वाले खर्च में प्रत्येक देश का भाग कितना होगा; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत आने वाले अफ्रीकी देशों के नाम क्या हैं और इस करार को कब तक क्रियान्वित किया जाएगा;

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं। तथापि, हाल में जब फ्रांस सरकार के विदेश सम्बन्ध मन्त्रालय में सहकारिता राज्य मंत्री भारत सरकार

के कृषि मन्त्री से मिलने आए थे तब अफ्रीकी देशों में कृषि विकास में सहायता करने के लिए भारत तथा फ्रांस के बीच सहयोग के प्रश्न पर विचार-विमर्श किया गया था।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण

1088. **श्रीमती कृष्णा साही** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना अवधि के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित सड़कों की किलोमीटर में कुल लम्बाई कितनी है;

(ख) बड़ी सड़कों के साथ जोड़ने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में बनाई गई सड़कों की किलोमीटर में लम्बाई कितनी है;

(ग) ऐसे गांवों की प्रतिशतता कितनी है जो वर्षा ऋतु में अगम्य हो जाते हैं; और

(घ) क्या सरकार ने छठी योजना अवधि के दौरान अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है और यदि हां, तो सड़क निर्माण के सम्बन्ध में अब तक प्राप्त लक्ष्यों की प्रतिशतता क्या है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख) इस प्रकार की सूचना इस मन्त्रालय द्वारा नहीं रखी जाती है।

(ग) लगभग 69 प्रतिशत।

(घ) सातवीं योजना दस्तावेज के अनुसार छठी योजना अवधि के दौरान 1000 से अधिक जनसंख्या वाले 20,000 गांवों को जोड़ने के लक्ष्य का 78.86 प्रतिशत लक्ष्य पूरा कर लिया गया है।

खाद्य वस्तुओं पर जहरीला प्रभाव डालने वाली कृमिनाशी दवाइयों के प्रयोग पर प्रतिबन्ध

1089. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में बनाई जा रही 30 प्रतिशत कृमिनाशी दवाइयों पर पश्चिमी देशों मे प्रतिबन्ध लगा हुआ है;

(ख) क्या इन कृमिनाशी दवाइयों के प्रयोग के कारण खाद्य वस्तुओं में पाए जाने वाले संभावित जहरीले प्रभाव का पता लगाने के लिए कोई विस्तृत अध्ययन किया गया है; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसी कृमिनाशी दवाइयों पर प्रतिबन्ध न लगाने के क्या कारण हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत में बनाई गई सभी कृमिनाशी दवाइयों में से सिर्फ एक कृमिनाशी दवाई पर अमेरिका में प्रतिबन्ध लगा है।

(ख) खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम, 1954 तथा उसके तहत बनाए गए नियमों के अधीन खाद्य की वस्तुओं में कुछ कृमिनाशी दवाई के अवशेषों की सहन शक्ति की सीमाएं निर्धारित की गई हैं और कृमिनाशक अवशेषों के प्रबोधन के लिए केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशालाओं द्वारा खाद्य वस्तुओं के नमूनों का विश्लेषण किया जाता है। कृमिनाशक अवशेषों की अनुज्ञेय सहनशक्ति की सीमाओं से अधिक खाद्य वस्तुओं के संदुषण के लिए जिम्मेवार व्यक्तियों के विरुद्ध उक्त अधिनियम के तहत दण्ड संबंधी कार्यवाही भी निर्धारित की गई है।

पंजीकरण समिति कीटनाशी दवाइयों के लिए पंजीकरण प्रदान करते समय अवशेष के आंकड़ों के आधार पर कीटनाशक के अंतिम उपचार और फसल-उपज की कटाई के बीच न्यूनतम अन्तराल भी निर्धारित किया जाता है, ताकि उपचारित खाद्य फसलों के उपभोग के कारण किसी संभव स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों से बचा जा सके।

(ग) चूंकि विषैलेपन के पहलू अधिक सुरक्षा वाले लेकिन ज्यादा मंहगे जैव-अपकर्ष्य अनुकल्पों की उपलब्धता विशेष देश की विशिष्ट जलवायु की वजह से अस्वीकार्यता, स्थानीय अध्ययनों से पशुओं तथा पर्यावरण में अवशिष्टों का पता चलना, कीटों में कीटनाशक दवा की प्रतिरोधी क्षमता का विकास तथा परिस्थिति की संबंधी दृष्टिकोण के आधार पर किसी कीटनाशी दवा को प्रतिबंधित किया जाता है। चूंकि ये घटक एक देश से दूसरे देश में भिन्न-भिन्न होते हैं, अतः एक देश के विचारों अथवा निर्णयों को ज्यों के त्यों दूसरे देश में लागू नहीं किया जा सकता। भारत में कीटनाशी अधिनियम के अन्तर्गत गठित की गई पंजीकरण समिति कीटनाशी दवाओं का पंजीकरण तभी करती है, जब वह मानव तथा पशुओं के लिए इसकी क्षमता तथा सुरक्षा के बारे में आश्वस्त हो जाती है। तथापि यदि इसके द्वारा किसी को कीटनाशक दवा के बारे में कोई प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त की जाती है तो इसके द्वारा इस प्रकार की कीटनाशी दवा के प्रयोग की समीक्षा की जाती है और उचित उपाय किए जाते हैं। उन कीटनाशी दवाइयों, जो अन्य देशों में निषिद्ध, प्रतिबंधित हैं लेकिन भारत में अभी भी प्रयुक्त की जा रही हैं, के प्रयोग की समीक्षा करने के लिए इस मंत्रालय ने एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति गठित की है।

[अनुवाद]

गांवों में पेयजल की उपलब्धता

1090. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में कितने प्रतिशत गांवों में पेयजल की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध है;

(ख) क्या सरकार यह अनिवार्य समझती है कि सभी गांवों में कम से कम पेयजल की न्यूनतम आवश्यकताओं को उच्चतम प्राथमिकता दी जानी चाहिए;

(ग) यदि हां, तो क्या राज्यों में सभी गांवों में पेयजल की सुविधायें सुनिश्चित करने हेतु राज्यों के साधन बढ़ाने के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता दी जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो राज्यों को कितनी केन्द्रीय सहायता दी जायेगी ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) छठी योजना क अन्त तक शामिल किए गए समस्याग्रस्त गांवों के बारे में एक विवरण संलग्न है।

(ख) से (घ) सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करने के लिए वचनबद्ध है। यह उद्देश्य 20 सूत्री कार्यक्रम के सूत्र सं० 8 के अन्तर्गत आता है और यह न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में भी शामिल है। 7वीं योजना के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय पेयजल आपूर्ति तथा स्वच्छता दशक (1981-1991) के उद्देश्य के आधार पर लक्ष्य यह होगा कि समस्त ग्रामीण आबादी के लिए पर्याप्त जल की सुविधाओं की व्यवस्था की जाए। केन्द्र त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों मे स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करने में राज्यों की सहायता करता है। इस प्रयोजन हेतु सातवीं योजना में आबंटन 1221.22 करोड़ रुपये तथा चालू वर्ष 1985-86 के लिए 298.88 करोड़ रुपये है।

विवरण

(1980-85)

क्रम सं०	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	1.4.80 तक समस्याग्रस्त गांवों की सं०	शामिल किए गए समस्याग्रस्त गांवों की संख्या (1980-85)	शामिल किए गए समस्याग्रस्त गांवों का प्रतिशत
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	8206	8094×	98.64
2.	असम	15743	8654	54.07
3.	बिहार	15194	14172×	93.27
4.	गुजरात	5318	4492×	84.47
5.	हरियाणा	3440	2122	61.69
6.	हिमाचल प्रदेश	7815	4997×	33.95
7.	जम्मू व कश्मीर	4698	2028	43.17
8.	कर्नाटक	15456	15443×	99.02

1	2	3	4	5
9.	केरल	1158	1142×	98.62
10.	मध्य प्रदेश	24944	23845×	95.49
11.	महाराष्ट्र	12935	12016×	92.90
12.	मणिपुर	1212	819×	67.57
13.	मेघालय	2927	690×	23.57
14.	नागालैण्ड	649	424×	65.33
15.	उड़ीसा	23616	22357×	94.67
16.	पंजाब	1767	537	30.39
17.	राजस्थान	19803	16043×	81.01
18.	सिक्किम	296	212×	71.62
19.	तमिलनाडु	6649	6649×	100.00
20.	त्रिपुरा	2800	2486	88.79
21.	उत्तर प्रदेश	28505	27143×	95.22
22.	पश्चिम बंगाल	25243	15628×	61.91
23.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	173	173×	100.00
24.	अरूणाचल प्रदेश	1740	1467	84.31
25.	चण्डीगढ़	—	—	—
26.	दिल्ली	99×××	89	100.00
27.	दादरा व नगरहवेली	—	—	—
28.	गोवा, दमन व द्वीव	66××	64	100.00
29.	लक्षद्वीप	—	—	—

30.	मिजोरम	214	127×	59.35
31.	पांडिचेरी	118	111	94.7
	कुल :	230784	192024	83.21

××× दिल्ली : 99 गांवों में से 3 गांवों को दिल्ली विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित कर दिया गया है तथा 7 गांव निकाल दिए गए हैं।

×× : 66 गांवों में से 2 गांवों को सालौली परियोजना के अन्तर्गत शामिल किया जाएगा।

× : आंशिक-रूप से शामिल किए गए हैं।

घाटियों में भूमि का नुकसान

1091. **श्री सैयद मसुदल हुसैन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्रतिवर्ष घाटियों में लगभग 8000 हैक्टेयर भूमि का नुकसान होता है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) इसको रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) उन उपायों के अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं;

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि आयोग की रिपोर्ट (1976) के अनुसार देश प्रतिवर्ष 8,000 हेक्टेयर कृषि भूमि खो रहा है। यह भूमि पर बढ़ी हुई जनसंख्या का दबाव, सीमान्तिक तथा उप-सीमान्तिक भूमि पर खेती का विस्तार, अनिवार्य वनस्पति हटाने और पठारी भूमि के संरक्षण के लिए अपर्याप्त कार्यक्रमों के कारण खड्डे तथा दर्रे बनने तथा खड्डों और दर्रों के स्थायी होने के कारण हैं।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकार ने उपयुक्त कार्यक्रम के बनाने के लिए दर्रों वाले क्षेत्रों का पता लगाने तथा उनका वर्गीकरण करने के वास्ते एक सर्वेक्षण करने के लिए 1961-62 के दौरान एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम शुरू की। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात राज्यों में 83 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का सर्वेक्षण किया गया। दर्रों वाले क्षेत्रों में आगरा (उत्तर प्रदेश), कोटा (राजस्थान) और वसाड़ (गुजरात) में तीन मृदा संरक्षण अनुसंधान प्रयोगशालाएं स्थापित की गईं। इन केन्द्रों ने अनुसंधान परियोजनाओं तथा प्रयोग से भूमि कार्यक्रमों के माध्यम से कई पद्धतियां विकसित की जिसमें पेड़ों तथा उद्यान पौधों की उपयुक्त किस्में और चरागाह विकास के घास भी शामिल हैं। पनधारा आधार पर दर्रे वाले क्षेत्रों के सुधार और विकास के लिए 1967 के दौरान एक राष्ट्रीय नीति बनाई गई थी। इस पर केन्द्रीय दर्रा सुधार बोर्ड और अन्त: मंत्रालय कार्यकारी दल ने

विचार किया। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात राज्यों में चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान दरों के सुधार के लिए केन्द्रीय सेक्टर स्कीम का एक पाइलेट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद के निर्णय के अनुसार 1.4.1979 को यह स्कीम राज्य सेक्टर को अंतरित की गई। इसके अंतरण से पहले 1978-79 तक 649.22 लाख रुपये की लागत पर 36,670 हेक्टेयर भूमि का सुधार किया गया। विभिन्न मृदा संरक्षण स्कीमों से धन उपलब्ध कर 1984-85 के अन्त तक राज्य सेक्टर प्रोग्राम के अधीन लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि लाई गई।

केन्द्रीय मृदा और जल संरक्षण अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान और उसके केन्द्र मूल्यांकन अध्ययनों से इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कार्यान्वित कार्यक्रम उपयोगी थे और लाभ-भोगियों के लिए फसल की उत्पादकता तथा ईंधन व चारा बढ़ाने में सहायक थे। सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) बनाने के लिए भूमि सुधार और विकास सम्बन्धी कार्यकारी दल उत्तर प्रदेश, मध्य-प्रदेश और राजस्थान डाकू प्रवण क्षेत्रों के त्वरित विकास सम्बन्धी कार्यकारी दल की सिफारिशों के आधार पर और गुजरात में समस्या की गंभीरता पर विचार करते हुए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान राज्यों में 2.04 लाख हेक्टेयर भूमि सुधारने के लिए 102.7 करोड़ रुपये के परिव्यय से दर्रा सुधार और विकास के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम सातवीं योजना में प्रस्तावित की गई है। स्कीम के अन्तिम अनुमोदन की प्रत्याशा में 1985-86 के लिए दस लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

वर्ष 1984-85 में हुई खान दुर्घटनाएं

1092. **श्री जगन्नाथ प्रसाद :** क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 में कितनी खान दुर्घटनाएं हुईं और उससे पहले वर्ष की तुलना में ऐसी खान दुर्घटनाओं में कितने मजदूरों की मृत्यु हुई;

(ख) उसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों को क्या सजा दी गई और भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने हेतु सरकार द्वारा किये गये प्रयासों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या खान दुर्घटनाओं में मृत मजदूरों के परिवारों को पर्याप्त मुआवजा दिया गया है; यदि हां, तो कितनी धनराशि दी गई है; और

(घ) उन परिवारों की संख्या कितनी है जिन्हें मुआवजा नहीं दिया गया तथा इस सम्बन्ध में विलम्ब के कारण क्या हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) वर्ष 1983 और 1984 के दौरान खानों में हुई दुर्घटनाओं और उनमें मारे गये व्यक्तियों की संख्या निम्न प्रकार से हैं :—

वर्ष	दुर्घटनाओं की संख्या	मारे गए व्यक्तियों की संख्या
1983	220	266
1984	222	251

(ख) खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा 1983 और 1984 के दौरान खान अधिनियम, 1952 और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों का उल्लंघन करने के लिए दायर किए गए अभियोजन मामलों की संख्या निम्न प्रकार से हैं :—

वर्ष	दायर किए गए अभियोजन मामलों की संख्या
1983	102
1984	94*

* अनन्तिम

सरकार खानों में सुरक्षा की दशाओं पर लगातार निगरानी रखती है और खानों का बार-बार और प्रभावी निरीक्षण करने के लिए खान सुरक्षा निरीक्षकों को समय-समय पर समुचित अनुदेश जारी किए जाते हैं।

(ग) और (घ) कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अधीन मुआवजा देय है, जिसे राज्य सरकारों द्वारा लागू किया जाता है।

भारतीय फिल्मों का अमरीका को निर्यात

1093. **श्री बृजमोहन महंती :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982, 1983, 1984 तथा वर्ष 1985 के पहले छः महीनों में भारत में प्रदर्शन के लिये अमरीका से कितनी फिल्मों का आयात किया गया और इसी अवधि में अमरीका को कितनी भारतीय फिल्मों का निर्यात किया गया;

(ख) क्या यह सच है कि भारतीय फिल्में अमरीका में बिक्री योग्य नहीं हैं;

(ग) क्या यह जानने के लिये कोई अध्ययन किया गया है कि अमरीका में भारतीय फिल्में लोकप्रिय क्यों नहीं हैं; और

(घ) सरकार द्वारा अमरीका में भारतीय फिल्मों के प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) अमरीका से भारत में आयात की गई फिल्मों की संख्या तथा अमरीका/कनाडा, जिन्हें फिल्मों के निर्यात के लिए एक क्षेत्र माना जाता है, को निर्यात की गई भारतीय फिल्मों की संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष	फिल्मों की संख्या	
	अमरीका से आयातित	संयुक्त अमरीका/कनाडा को निर्यात की गई
1982-83	82	50
1983-84	87	50
1984-85	13	19
1985-86 (30-9-85 तक)	57	2

(ख) जी, नहीं।

(ग) इस प्रकार का कोई अध्ययन नहीं किया गया है। तथापि, अमरीका भारतीय फिल्मों के लिए गैर परम्परागत बाजारों में से एक है तथा अमरीका की ओर उतना ध्यान देना सम्भव नहीं हुआ है जितना कि परम्परागत बाजारों की ओर दिया जाता है।

(घ) अमरीका में भारत के समारोह के अंक के रूप में भारतीय फिल्मों के एक विशेष प्रदर्शन का अक्तूबर, 1985 में उद्‌घाटन किया गया था वह अभी जारी है। अमरीका में भी भारतीय फिल्मों का व्यापक प्रदर्शन करवाने के लिए वहां के कुछ सांस्कृतिक संगठनों को भी फिल्म सप्ताहों का आयोजन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उम्मीद है कि इस प्रदर्शन से अमरीका में भारतीय फिल्मों के प्रति रुचि पैदा होगी जो इस क्षेत्र में अधिक भारतीय फिल्मों के निर्यात में सहायक होगा।

[हिन्दी]

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋणों का वापस किया जाना

1094. श्री वृद्धि चन्द्र जैन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फसल ऋण के वापिस करने की अवधि बढ़ाकर तीन वर्ष कर दी गई है और प्राकृतिक आपदाओं जैसे भुखमरी, बाढ़, तूफान और भूकम्प आदि के अवसर पर उस ऋण का आसान किस्तों में वापस किया जायेगा;

(ख) क्या समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत दिये गये ऋणों के लिए भी ऐसी व्यवस्था की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) फसल ऋण

पद्धति के अन्तर्गत किसानों को मौसम सम्बन्धी कृषि कार्यों के लिए सहकारी ऋण संस्थानों तथा व्यापारिक बैंकों द्वारा उत्पादन ऋण दिये जाते हैं जो 12 महीने से अधिक की अवधि के लिए नहीं होते। प्राकृतिक आपदाओं जैसे अकाल, बाढ़, चक्रवात आदि के होने पर अल्पावधि उत्पादन ऋणों को 3 वर्ष की अदायगी की अवधि वाले मध्यम अवधि ऋणों में उस समय बदला जाता है जब रुपये में 6 आने की फसल खराब होने पर "आनेबारी" घोषित कर दी जाए। एक के बाद एक फसल के खराब होने की स्थिति में ऐसे ऋणों को पुनः 7 वर्ष की अवधि में अदायगी वाले ऋणों में बदलने की भी व्यवस्था है।

(ख) तथा (ग) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत फसल ऋण नहीं दिये जाते। केवल निवेश ऋण दिये जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक और कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक (नाबार्ड) के अनुदेशों के अनुसार समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत दिये गये ऋणों की अदायगी की अवधि 3 वर्ष से कम होनी चाहिए। प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव के कारण निवेश ऋण की किश्तों की अदायगी के पुनर्निर्धारण के सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये सामान्य अनुदेश समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के ऋणों पर भी लागू होते हैं।

[अनुवाद]

ग्रामीण विकास के लिए पश्चिम बंगाल को स्वीकृत धनराशि

1095. डा० फूलरेणु गुहा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के लिए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ग्रामीण विकास हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है; और

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 1985-86 में अक्तूबर, 1985 तक कितनी धनराशि खर्च की गई?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख) मुख्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल सरकार को आबंटित/बंटित धनराशि तथा उपयोग की गई धनराशि निम्नलिखित है :—

(लाख रुपये में)

कार्यक्रम	कुल आबंटन (राज्य अंश सहित)	केन्द्रीय बंटन	सितम्बर, 1985 तक राज्य अंश सहित उपयोग
1	2	3	4
समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	3403.28	857.55	487.06
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	3548.00	1064.40	824.89

1	2	3	4
ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम	3012.00*	2108.00	1950.71
सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम	408.00	102.00	112.82

*केन्द्र द्वारा 100 प्रतिशत सहायता

प्रकाशनों तथा समाचारपत्रों का पंजीकरण

1096. **श्रीमती पटेल रमाबेन**
श्री रामजी भाई मावणि } : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सौराष्ट्र-कच्छ तथा गुजरात एवं देश के अन्य भागों से 1 जनवरी, 1984 से 31 अक्तूबर, 1985 तक की अवधि के दौरान दैनिक समाचार पत्रों, साप्ताहिक तथा मासिक पत्रिकाओं के प्रकाशन तथा इन्हें आरम्भ करने हेतु बहुत बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन प्रकाशनों की संख्या कितनी है जिनके लिये उपर्युक्त अवधि के दौरान अनुमति प्रदान की गई तथा उनका पंजीकरण किया गया;

(घ) पंजीकृत मामलों की संख्या कितनी है तथा कारण सहित विचाराधीन मामलों की संख्या कितनी है;

(ङ) अनुमति तथा पंजीकृत संख्या प्रदान करने के मानदंड सम्बन्धी नियम तथा विनियम क्या हैं; और

(च) विचाराधीन मामलों में अन्तिम निर्णय कब तक किया जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना संकलित की जा रही है तथा उसको यथा समय सदन की मेज पर रख दिया जायेगा।

(ङ) समाचारपत्रों के प्रकाशन के लिए शीर्षकों का सत्यापन करने तथा पंजीकरण संख्या जारी करने का काम भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक द्वारा प्रेस तथा पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867 की धारा 5, 6 और 19 ग में निहित उपबंधों के अनुसार कड़ाई से किया जाता है। इन अपेक्षाओं को पूरा न करने वाले आवेदन पत्रों को अस्वीकार कर दिया जाता है।

(च) जबकि पंजीकरण संख्या प्रदान करने के लिए आवेदन पत्रों का निपटान प्रेस तथा पुस्तक

पंजीकरण अधिनियम की अपेक्षाओं को पूरा कर देने पर ही कर दिया जाता है, भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक का यह प्रयास रहता है कि शीर्षकों के सत्यापन के लिए आवेदन पत्रों पर कार्रवाई एक महीने के अन्दर पूरी हो जाये।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय बीज निगम के महंगे बीज

1097. **श्री निर्मल खत्री** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बीज निगम के बीज उत्तर प्रदेश और तराई विकास निगम के बीजों की अपेक्षा महंगे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार दोनों मूल्यों के बीच समानता लाने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा और उत्तर प्रदेश बीज और तराई विकास निगम द्वारा वितरित बीजों के मूल्यों में अन्तर अलग-अलग फसलों के लिए भिन्न-भिन्न है। 1983-84 और 1984-85 के दौरान इन दोनों निगमों द्वारा लिए गए कुछ महत्त्वपूर्ण फसलों के बीजों के खुदरा मूल्य निम्नलिखित हैं :—

(रु० प्रति क्विटल)

		1983-84		1984-85	
		रा० बी० नि०	उ० प्र० बी० और त० वि० नि०	रा० बी० नि०	उ० प्र० बी० और त० वि० नि०
1.	गेहूं	380 (पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 390)	385	395	390
2.	धान	285-315	330-335	350-380	330-355
3.	चना	625	620	700	660
4.	मक्का	450-550	490-620	450-550	490-570

(उत्तर प्रदेश बीज और तराई विकास निगम के मूल्य अन्तर्राज्यीय वितरण के लिए)

इस तरह, कुछ मामलों में, उत्तर प्रदेश बीज और तराई विकास निगम द्वारा लिए जाने वाले मूल्य राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा लिए गए मूल्यों से कम हो सकते हैं।

(ख) और (ग) उत्तर प्रदेश बीज और तराई विकास निगम उत्तर प्रदेश राज्य से ही बीजों को अधिप्राप्ति करता है, जबकि राष्ट्रीय बीज निगम देश भर में विभिन्न स्थानों पर अपने उत्पादन कार्यक्रम आयोजित करता है; अतः उत्तर प्रदेश बीज और तराई विकास निगम के मुकाबले राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा बीजों के अन्तर्राज्यीय वितरण पर अधिक परिवहन लागत आती है। दोनों निगमों की उत्पादन-लागत में इस अन्तर को देखते हुए, उनके द्वारा लिए जाने वाले मूल्यों में हमेशा समानता सम्भव नहीं हो सकती है।

तथापि, आवश्यकता पड़ने पर, विशेष फसलों के लिए दोनों निगमों के मूल्यों में अन्तर के मामलों को पृथक्-पृथक् जांच की जाती है और राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा बिक्री मूल्यों में उपयुक्त संशोधन किया जाता है ताकि ये उत्तर प्रदेश बीज और तराई विकास निगम द्वारा लिए जाने वाले मूल्यों के समकक्ष रहें।

[अनुवाद]

पशु संकर प्रजनन समन्वित अनुसंधान परियोजना

1098. श्री राम बहादुर सिंह : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी बिहार के पूर्वी जोन में छठी योजना के अन्त में पशु संकर समन्वित अनुसंधान परियोजना का कोई केन्द्र कार्य कर रहा है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या छठी योजना के दौरान इस परियोजना के अन्तर्गत कोई केन्द्र कार्य कर रहा था लेकिन उसे बन्द कर दिया गया था और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई थी और बन्द होने से पहले उस केन्द्र ने कितनी अवधि के लिए कार्य किया था;

(ग) अन्य किन स्थानों पर समन्वित पशु प्रजनन परियोजना के केन्द्र कार्य कर रहे हैं, यदि हां, तो उक्त केन्द्र कब-कब से कार्य कर रहे हैं और उन केन्द्रों के कार्य करने के समय से छठी योजना के अन्त तक प्रत्येक पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(घ) क्या उक्त भाग (ग) में दिये गये किन्हीं केन्द्रों पर परियोजना के लिए निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया गया है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं, श्रीमान। तथापि अखिल भारतीय समन्वित गोपशु अनुसंधान प्रायोजना का एकक हरिनघट्टा (पश्चिम बंगाल) में वर्ष 1972 से चालू है। यह एकक 1976 से पश्चिम बंगाल राज्य के पशुपालन विभाग के अन्तर्गत कार्य कर रहा था जब इसे विधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय को स्थानांतरित किया गया था। इस एकक को पश्चिम बंगाल राज्य के पशुपालन विभाग को फिर से स्थानांतरित किया गया क्योंकि यह

विश्वविद्यालय के साथ ठीक कार्य नहीं कर रहा था। परन्तु यह इस शर्त से किया गया यदि यह वांछित सुधार नहीं दिखाता तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अपनी सहायता बन्द कर देगी।

(ख) जी हां, श्रीमान। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान अखिल भारतीय समन्वित गोपशु अनुसंधान प्रायोजना के हरिनघट्टा एकक को प्रायोजना से अलग कर दिया गया था क्योंकि बार-बार सलाह के बावजूद आशा के अनुसार एकक के कार्य में सुधार नहीं हुआ था। अत: परिषद की शासी निकाय द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि बिना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से अग्रिम वित्तीय वादे के एकक को पश्चिम बंगाल में स्थानांतरित किया जाये। इसके अलग होने से पहले हरिनघट्टा एकक पर किये गये कुल खर्च की सूचना एकत्रित की जा रही है तथा यथासमय उसे प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

(ग) हरिनघट्टा एकक के अलावा चौथी पंचवर्षीय योजना से अखिल भारतीय समन्वित गोपशु अनुसंधान प्रायोजना निम्नलिखित एककों में चालू है। प्रत्येक एकक का इसके शुरू होने से छठी पंचवर्षीय योजना के समाप्त होने तक कुल किये गये खर्च पर सूचना एकत्रित की जा रही है तथा यथासमय प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

क्रम संख्या	एकक का नाम	शुरू होने की तिथि
1.	हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार	1-4-1968
2.	भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर	1-4-1968
3.	जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर	1-12-1970
4.	महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुड़ी	1-12-1970
5.	आन्ध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, लाम	1-12-1970

(घ) दूध के लिए गोपशुओं में आनुवंशिक सुधार लाने के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने पर इस प्रायोजना में विशेष बल दिया गया है। इस प्रायोजना के अन्तर्गत प्राप्त परिणामों से यह पता चला है कि संकर नस्ल के होल्सेटिन फ्रीसियन से सबसे अधिक उत्पादन मिला है चाहे उसे किसी भी स्थान में रखा जाये तथा देशी नस्लों के उपयोग से संकर प्रजनन कराया जाये। इस तरह दूसरे विदेशी नस्ल से और आगे विदेशी वंशानुक्रम को प्रयोग में लाने से कोई खास फ़ायदा नहीं है।

गायों का आयात

1099. **श्री जायनल अबेदिन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोप से उपहार में प्राप्त डेरी गायें भारत आ गई हैं और यदि नहीं, तो देशवार

कितनी गायें उपहार में प्राप्त हो रही हैं और उनके कब तक पहुंच जाने की आशा है तथा उनका क्या उपयोग किया जाएगा; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस प्रकार की गायों के आयात से अब तक क्या लाभ हुए हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) इस संकेत को ध्यान में रखते हुए कि भारत जर्मन संघीय गणतंत्र द्विपक्षीय सहायता कार्यक्रम के अधीन जर्मन संघीय गणतंत्र 1000 पशुओं के पाइलेट प्रोजेक्ट के लिए वित्तीय पोषण की सम्भावना पर विचार करेगा, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ने एक परियोजना प्रलेख तैयार किया है और यह निर्णय किया गया है कि इसे औपचारिक रूप से एफ० आर० जी० प्राधिकारियों को उनकी कार्यवाही के लिए भेजा जाए।

[हिन्दी]

किदवई फार्मूले के आधार पर गन्ने का मूल्य निर्धारित करना

1100. **श्री मनोज पांडे** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे विभिन्न मानदण्ड कौन से हैं जिनके आधार पर गन्ने का मूल्य निर्धारित किया जाता है;

(ख) इस वर्ष गन्ने का मूल्य किस मानदण्ड के आधार पर निर्धारित किया जाएगा; और

(ग) क्या सरकार इस वर्ष किदवई फार्मूले के आधार पर गन्ने का मूल्य निर्धारित करेगी ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) चीनी फैक्ट्रियों द्वारा देय गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के अधीन निम्नलिखित को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाता है :—

(क) गन्ने की उत्पादन लागत;

(ख) वैकल्पिक फसलों से उत्पादकों को लाभ और कृषि जिन्सों के मूल्यों की सामान्य प्रवृत्ति;

(ग) उपभोक्ता को उचित दामों पर चीनी उपलब्ध करना;

(घ) चीनी उत्पादकों द्वारा जिस मूल्य पर गन्ने से उत्पादित चीनी बेची जाती है; और

(ङ) गन्ने से चीनी की रिकवरी।

(ख) 1985-86 मौसम के लिए गन्ने का न्यूनतम मूल्य उपर्युक्त (क) में उल्लिखित तथ्यों को दृष्टि में रखकर निर्धारित किया गया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

सम्बलपुर में टेलीविजन स्टूडियो की स्थापना

1101. श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्बलपुर दूरदर्शन केन्द्र के दर्शकों में कार्यक्रम कटक में तैयार किये जाने, कार्यक्रम को बार-बार दिखाये जाने, असंतोषजनक रिकार्डिंग और कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण समारोह को शामिल न किये जाने के कारण भारी असंतोष व्याप्त है;

(ख) क्या सम्बलपुर में टेलीविजन स्टूडियो की स्थापना करने का प्रस्ताव पिछले नौ वर्षों से लम्बित पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) से (ग) सम्बलपुर केन्द्र मूलत: एक प्रेषण केन्द्र है। यह पूर्णरूपेण निर्माण सुविधा से सुसज्जित नहीं है। इस केन्द्र को कटक केन्द्र के निर्माण केन्द्र में रिकार्ड किए गए कार्यक्रम सप्लाई किए जाते हैं जहां कार्यक्रम निर्माण केन्द्र 1974 से कार्यरत है।

सम्बलपुर केन्द्र भी इन्सेट के माध्यम से राष्ट्रीय संजाल के कार्यक्रम रिले करता है। सम्बलपुर, बोलनगीर और ढेंकानाल जिले के समूह के लिए कटक में निर्मित क्षेत्र विशिष्ट कार्यक्रमों और ई०टी०वी० कार्यक्रमों को इन्सेट के माध्यम से सम्बलपुर ट्रांसमीटर से भी रिले किया जाता है।

सम्बलपुर में दूरदर्शन स्टूडियो स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं रहा है। तथापि, यह सही है कि सम्बलपुर जिले के शहरी दर्शकों से न केवल कटक में निर्मित कार्यक्रमों को बेहतर बनाने के लिए ही अपितु सम्बलपुर में आयोजित होने वाले समारोह का टी०वी० कवरेज करने के लिए भी अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

सातवीं योजना के प्रस्तावों के अंग के रूप में कटक स्टुडियो के पुराने उपकरणों को बदल दिए जाने की सम्भावना है। उसके बाद रिकार्डिंग और प्रेषण की गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार हो जाने की उम्मीद है। सातवीं योजना में भुवनेश्वर में भी स्टूडियो केन्द्र की स्थापना करने का प्रस्ताव है। इस स्कीम के तथा राज्य के अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटरों को इस राज्य के मुख्य कार्यक्रम उत्पादन केन्द्र से जोड़ने वाली स्कीमों के कार्यान्वित हो जाने के बाद सम्बलपुर सहित उड़ीसा के सभी अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटरों और उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटरों से अधिक क्षेत्रीय कार्यक्रम टेलीकास्ट किए जायेंगे।

सम्बलपुर और कटक के बीच की दूरी को देखते हुए, कटक की निर्माण यूनिट इस समय सम्बलपुर की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर करने की स्थिति में नहीं है। तथापि दूर भविष्य में यह आशा की जा सकती है कि दूरदर्शन द्वारा इस प्रयोजन हेतु क्षेत्रीय केन्द्रों को दृश्य समाचार कतरनों और समाचार रूपकों की सप्लाई करने की योजना के अन्तर्गत, किए गए अनुरोध के अनुसार स्थानीय कवरेज करना सम्भव हो सकता है।

गुजरात में खाद्य फसलों और तिलहनों के अधीन भूमि

1102. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़ : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) जून, 1985 को गुजरात में खाद्य फसलों और तिलहनों की खेती के अधीन कुल कितनी भूमि थी;

(ख) क्या इनका उत्पादन बढ़ाने के लिए और अधिक भूमि को खाद्य फसलों और तिलहनों की खेती के अधीन लाने का विचार है;

(ग) क्या आगामी बुआई मौसम से पहले तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने हेतु सरकार की कोई योजना तैयार करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) 1984-85 में गुजरात में विभिन्न खाद्य फसलों और तिलहनों के तहत पृथक-पृथक क्षेत्र निम्न प्रकार हैं :—

फसल	क्षेत्र लाख हैक्टेयर में (1984-85)
चावल	5.66
गेहूं	6.37
मोटे अनाज	27.14
दालें	8.29
मूंगफली	20.61
अरण्डी बीज	2.58
तोरिया और सरसों	1.95
गन्ना	1.01
आलू	0.10

1985-86 के लिए इसी प्रकार की सूचना अभी राज्य से देय नहीं हुई है।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) देश में तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने सातवीं योजना के लिए एक राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना तैयार की है। 1986-87 के दौरान लागू की जाने वाली इस परियोजना में तिलहन उगाने वाले मुख्य राज्यों में जिला स्तर पर तिलहन विकास कार्यक्रम चलाना शामिल है और परियोजना के अन्तर्गत प्रत्येक चुनिन्दा जिले में उनकी कठिनाइयों के विश्लेषण के आधार पर प्रोत्साहन तथा सुविधाएं दी जाएंगी।

[हिन्दी]

भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में स्टाक की जांच

1103. **श्री के० एन० प्रधान :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के विभिन्न स्थानों पर स्थापित गोदामों के स्टाक की जांच सावधिक रूप से की जाती है; और

(ख) यदि हां, तो पिछली बार इनकी जांच कब की गई थी और उसके क्या परिणाम निकले ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) पिछली बार 30 सितम्बर, 1985 को स्टाक की प्रत्यक्ष जांच की गई थी। इसके परिणामों की भारतीय खाद्य निगम के फील्ड यूनिटों से प्रतीक्षा की जा रही है।

[अनुवाद]

हिमाचल प्रदेश में मरुस्थल विकास कार्यक्रम

1104. **श्री महेन्द्र सिंह :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में हाल ही में केन्द्र द्वारा आयोजित मरुस्थल विकास कार्यक्रम आरम्भ किया गया है जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य के किन्नौर और लाहौलस्पीति जिलों में मरुस्थल का बढ़ना रोकना है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम के अन्तर्गत क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कार्यक्रम के लिए चालू वर्ष के दौरान कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(घ) क्या राजस्थान में भी मरुस्थल का बढ़ना रोकने के उद्देश्य से इसी तरह का कोई कार्यक्रम विचाराधीन है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) से (ङ) मरुभूमि विकास कार्यक्रम 1977-78 में 5 राज्यों अर्थात् राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू व कश्मीर के चुने हुए क्षेत्रों में आरम्भ किया गया था। इसमें हिमाचल प्रदेश के लाहौलस्पीति जिले के स्पीति क्षेत्र को शामिल किया गया था। वर्ष 1982-83 से इस कार्यक्रम का विस्तार हिमाचल प्रदेश के जिला किन्नौर के पुह खण्ड में भी किया गया था। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अब 5 राज्यों के 21 जिलों के 131 खण्डों को शामिल किया गया है, जिसमें राजस्थान के गर्म शुष्क क्षेत्रों के 84 खण्ड तथा हिमाचल प्रदेश के शीत शुष्क क्षेत्रों में स्पीति तथा पुह के 2 खण्ड भी शामिल हैं।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत भू-संरक्षण, वनरोपण, रेत के टीले जमाना, तथा वायुरोधी पौध रोपण से मरुस्थलीकरण को नियंत्रित करने तथा जल संरक्षण, लघु सिंचाई, भू-जल विकास, बरानी खेती तथा बागवानी, पशुधन, चरागाह तथा चारा विकास आदि से क्षेत्र की उत्पादकता को बढ़ाने की योजनाएं भी शामिल की गई हैं।

छठी योजना के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निधियों के आबंटन को केन्द्र तथा राज्यों द्वारा बराबर-बराबर वहन किया गया था और इसे 1985-86 में 16 करोड़ रुपये के कुल आबंटन से आगे जारी रखा गया। इसमें से एक करोड़ रुपये की राशि हिमाचल प्रदेश के चुने हुए खंडों के लिए आबंटित की गई है। तथापि हाल ही में, राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा सातवीं पंचवर्षीय योजना अनुमोदित की गई है, जिसमें मरुभूमि विकास कार्यक्रम हेतु शत-प्रतिशत केन्द्रीय निधियां दिये जाने के लिए वित्तीय पैटर्न में संशोधन करना भी शामिल है।

[हिन्दी]

राज्यों में आकाशवाणी के सूचना केन्द्रों का कार्यकरण

1105. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लगभग सभी राज्यों में आकाशवाणी के सूचना केन्द्रों में कर्मचारियों की संख्या कम है और कर्मचारी अर्हता प्राप्त नहीं है जिसके परिणामस्वरूप राज्यों से सम्बन्धित महत्वपूर्ण समाचार आकाशवाणी को प्राप्त नहीं होते हैं; और

(ख) यदि हां, तो राज्यों में सूचना केन्द्रों को प्रभावकारी बनाने हेतु उनमें उपयुक्त व्यवस्था करने हेतु सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाने पर विचार किया जा रहा है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी केन्द्रों में कोई सूचना केन्द्र नहीं रखता। तथापि, 41 केन्द्रों में क्षेत्रीय समाचार यूनिटें कार्य कर रही हैं। समाचार यूनिटों में कर्मचारियों की संख्या उपयुक्त है जो केन्द्रीय सूचना सेवा के हैं। इसके अलावा, विभिन्न राज्यों की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं का पर्याप्त कवरेज सुनिश्चित करने के लिए देश के अन्य स्थानों पर संवाददाताओं का एक दल तैनात है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

प्राकृतिक आपदाओं से निपटने हेतु स्थायी निधि

1106. **श्री के० कुन्जुम्बु :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सूखा तथा बाढ़ जैसी पुनरावर्तक प्राकृतिक आपदाओं पर खर्च वहन करने हेतु स्थायी निधि की स्थापना करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) भारत सरकार प्राकृतिक आपदा संबंधी व्यय को पूरा करने के लिए स्थायी निधि स्थापित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। तथापि सीमान्त धनराशि की प्रणाली मौजूद है, जो तत्काल राहत कार्य करने के लिए राज्यों के पास उपलब्ध है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन चीनी मिलें

1107. **श्री राम नगीना मिश्र :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में भारत सरकार के नियंत्रणाधीन चीनी मिलों के मिल मालिकों को पुन: वापस किये जाने का प्रस्ताव है; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या कुछ मिल मालिक उन मिलों को वापस लेना नहीं चाहते;

(ग) क्या भारत सरकार ने राज्य सरकार से उन मिलों को चलाने के लिए कहा है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी हां, मिलों को उनके मालिकों को वापस करने का प्रस्ताव है क्योंकि यह महसूस किया जाता है कि जिन सीमित उद्देश्यों (जिनका उल्लेख चीनी उपक्रम (प्रबन्ध अधिग्रहण) अधिनियम, 1978 में किया गया है) के लिए उन्हें अपने अधिकार में लिया गया था, उन्हें अधिकांशत: प्राप्त कर लिया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) जी हां।

(घ) राज्य सरकार ने अनुरोध किया है कि वर्तमान प्रबन्धों को जारी रखा जाए। तथापि,

केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि प्रबन्ध को सीमित उद्देश्यों हेतु अस्थायी अवधि के लिए अधिकार में लिया गया था। चूंकि इनको अधिकांशत: प्राप्त कर लिया गया है और अधिसूचना की तारीख लगभग समाप्त होने वाली है, इसलिए इन मिलों के मालिकों अथवा राज्य सरकार को इन फैक्ट्रियों को चलाने के लिए आगे आना चाहिए।

[अनुवाद]

बंगलौर दूरदर्शन केन्द्र के लिए दुहरी चैनल सुविधा

1108. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस देश में ऐसे दूरदर्शन केन्द्रों की संख्या कितनी है जिनमें दुहरे चैनल की सुविधा विद्यमान है;

(ख) क्या बंगलौर दूरदर्शन केन्द्र में इस समय दुहरे चैनल की सुविधा है; और

(ग) क्या सरकार के समक्ष बंगलौर दूरदर्शन केन्द्र में दुहरा चैनल आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) इस समय इस प्रकार के केन्द्रों की संख्या 2 है तथा दो अन्य केन्द्रों पर इसी प्रकार की सुविधा कार्यान्वियन की प्रक्रिया में है।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

तिलहन, दाल और गन्ना उत्पादक राज्य

1109. **श्रीमती बसव राजेश्वरी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें और अधिक तिलहन, दालें और गन्ना उत्पादन करने की सम्भाव्यताएं हैं;

(ख) उक्त क्षेत्रों में कुल कितनी मात्रा उगाई गई थी;

(ग) उक्त वस्तुओं की देश में इस समय कुल कितनी कमी है;

(घ) गत वर्ष कितना तेल, चीनी और दालों का आयात किया गया और उन पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई; और

(ङ) उक्त वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं;

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और

(ख) अधिक तिलहन, दलहन और गन्ना उगाने वाले सम्भावित राज्यों के नाम और इन जिन्सों का कुल उत्पादन नीचे दिया गया है :—

(उत्पादन लाख मीटरी टन में)

तिलहन		दलहन		गन्ना	
राज्य	उत्पादन (1984-85)	राज्य	उत्पादन (1984-85)	राज्य	उत्पादन (1984-85)
1. गुजरात	22.2	1. उत्तर प्रदेश	27.6	1. उत्तर प्रदेश	706.4
2. महाराष्ट्र	15.3	2. मध्य प्रदेश	23.2	2. महाराष्ट्र	263.7
3. आन्ध्र प्रदेश	14.3	3. राजस्थान	13.6	3. तमिलनाडु	199.8
4. तमिलनाडु	13.4	4. महाराष्ट्र	11.1	4. कर्नाटक	143.9
5. मध्य प्रदेश	13.1	5. उड़ीसा	10.5	5. आन्ध्र प्रदेश	96.2
6. राजस्थान	11.6	6. बिहार	8.4	6. गुजरात	74.3
7. उत्तर प्रदेश	11.6	7. गुजरात	5.6	7. हरियाणा	51.9
8. कर्नाटक	10.7	8. आन्ध्रप्रदेश	5.1	8. पंजाब	49.8
9. उड़ीसा	7.5	9. कर्नाटक	4.6	9. बिहार	37.8
		10. हरियाणा	3.6	10. उड़ीसा	37.0
		11. तमिलनाडु	3.5	11. असम	21.6
				12. मध्य प्रदेश	17.4
				13. राजस्थान	13.7
				14. पश्चिम बंगाल	7.7

(ग) देश में खाद्य तेल की कुल मांग और उत्पादन के बीच लगभग 12 से 13 लाख मीटरी टन तक की वार्षिक कमी है। इसके अलावा, कुल मांग और सप्लाई के बीच अन्तर पर निर्भर करते हुए कुछ वर्षों में दलहनों और गन्ने की उपलब्धि में भी कमी अनुभव की गई है।

(घ) 1984-85 (नवम्बर, 1984 से अक्तूबर, 1985) में कुल 1122.13 करोड़ रुपये (अनन्तिम) की लागत से 13 68 लाख मीटरी टन खाद्य तेल का आयात किया गया और इसी प्रकार 1984-85 में 4.96 लाख मीटरी टन चीनी का आयात किया गया, जिसकी लागत-भाड़ा-बीमा की

औसत लागत 2290/. रुपये प्रति मीटरी टन आंकी गई है।

(ङ) हाल ही के वर्षों में दलहनों, तिलहनों और गन्ने के समर्थन मूल्यों में काफी वृद्धि की गई है ताकि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए किसानों को प्रोत्साहन दिया जा सके। इसके अलावा, तिलहन और दलहन उत्पादन की केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के जरिए किसानों को बीज वितरण, पौध संरक्षण रसायनों/उपकरण प्रदर्शनियों आदि पर राजसहायता के रूप में प्रोत्साहन भी दिए जा रहे हैं।

कृषि उद्योगों के विकास के लिए विदेशी सहायता

1110. **श्री अनादि चरण दास** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान मशीन उर्वरक, बीज चारे सहित कृषि पर आधारित उद्योगों के विकास के लिए विदेशों तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से कितनी विदेशी सहायता प्राप्त हुई; और

(ख) उसी अवधि के दौरान कृषि क्षेत्र तथा उसके सहायक क्षेत्रों में विदेशों को भारत द्वारा कितनी सहायता प्रदान की गई ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) भारत को मशीनरी, उर्वरक, बीज, पशु आहार इत्यादि सहित विभिन्न कृषि पर आधारित उद्योगों का विकास करने के लिए वर्ष 1984-85 के दौरान विभिन्न देशों और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से 153.33 करोड़ रुपये की राशि विदेशी सहायता के रूप में प्राप्त हुई।

(ख) भारत ने विदेशी नागरिकों को प्रशिक्षण सुविधाओं के माध्यम से कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों में विदेशों को सहायता की पेशकश की। 1984-85 में कुल 337 विदेशी नागरिकों ने इन सुविधाओं का उपयोग किया। इसके अतिरिक्त विदेश मंत्रालय द्वारा प्रचालित भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के तहत भारतीय विशेषज्ञों को विदेशों में नियुक्त करके कार्यशालाओं, सेमिनारों आदि के आयोजन से भारतीय विशेषज्ञों द्वारा अध्ययन करने/रिपोर्ट तैयार करने हेतु सहायता प्रदान की गई है।

विभिन्न राज्य अधिनियमों के अन्तर्गत
चल रहे मार्किट यार्ड

1111. **श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्य अधिनियमों के अन्तर्गत कितने मार्किट यार्ड बनाए गए हैं तथा कितने काम कर रहे हैं;

(ख) क्या मार्किट यार्ड की स्थापना और विनियमन संबंधी राज्य अधिनियमों में एकरूपता लाने के लिए एक केन्द्रीय कानून बनाने का कोई विचार है; और

(ग) क्या कृषि क्षेत्र के उत्पादकों को बिचौलियों के शोषण से बचाने के लिए उपयुक्त कानून बनाने का कोई विचार है?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) राज्यों/केन्द्रशासित क्षेत्रों द्वारा भेजी गई अनन्तिम सूचना के अनुसार 1.1.1985 तक 5663 नियमित कृषि उत्पाद मंडियां थीं।

(ख) और (ग) कृषि मंडियां राज्य का विषय है। इसलिए कृषि उपज मंडियों को विनियमित करने के लिए केन्द्रीय कानून बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि इसे मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों/केन्द्रशासित क्षेत्रों को उनकी टीका-टिप्पणियां भेजने तथा स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपनाने हेतु "माडल कृषि उपज मंडी अधिनियम" का एक प्रारूप परिचालित किया गया है। संबंधित राज्य कृषि उपज मण्डी अधिनियमों का मुख्य उद्देश्य मंडी पद्धतियों को विनियमित करना है ताकि उत्पादक विक्रेता को बिचौलिए के शोषण से बचाया जा सके।

[हिन्दी]

कृषि अनुसंधान

1112. **प्रो० चन्द्र भानु देवी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि अनुसंधान पर कितना खर्च करने का प्रस्ताव है; और

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने आगामी वर्ष के लिए क्या मुख्य लक्ष्य निर्धारित किए हैं?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्रमशः योजना तथा गैर योजना के अन्तर्गत कृषि अनुसंधान पर रु० 425.00 करोड़ तथा रु० 427.78 करोड़ खर्च होने की आशा की जाती है।

(ख) विभिन्न संस्थाओं तथा कृषि विश्वविद्यालयों में कार्यान्वित किये जा रहे अनुसंधान कार्यक्रम/प्रायोजनाओं के लिए लक्ष्य निश्चित करना तथा उपलब्धियां निर्धारित करना व्यावहारिक नहीं हैं।

[अनुवाद]

बिहार को रासायनिक उर्वरकों का आबंटन

1113. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष बिहार को आवंटित किए गए रासायनिक उर्वरक राज्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त हैं; और

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा कितनी मांग की गई थी तथा केन्द्र द्वारा कितना आबंटन किया गया है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) बिहार द्वारा रबी 1985-86 मौसम के लिए 3.76 लाख मीटरी टन पोषक तत्वों की मांग की गई थी। इस मांग की पहले हुई खपत और इस मौसम के दौरान चलाये जाने वाले कृषि कार्यक्रमों के आधार पर छानबीन की गई और क्षेत्रीय सम्मेलन में विचार-विमर्श के बाद राज्य सरकार से आपसी परामर्श से 3.25 लाख मीटरी टन की पोषक तत्वों की अन्तिम मांग स्वीकार की गई और स्वदेशी तथा आयातित उर्वरकों से आवंटन द्वारा इसे पूरा कर दिया गया है।

श्रम-नीति में परिवर्तन

1114. **डा० गौरी शंकर राजहंस**
श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद
श्री सोमनाथ रथ
श्री राधाकांत डिगाल : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों के ही प्रमुख नियोक्ता संगठनों द्वारा वर्तमान श्रम नीति में मूल परिवर्तन करने की मांग की गई है जैसा कि दिनांक 28 अक्तूबर, 1985 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) क्या सरकार ने परिवर्तनों के सम्बन्ध में दिये गये सुझाव की जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) प्रीमियर नियोजक संगठनों से इस मामले में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

कृषि उत्पादन

1115. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां**
प्रो० राम कृष्ण मोरे : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरित क्रांति, गेहूं के उत्पादन और मोटे अनाजों, दलहनों, तिलहनों आदि के उत्पादन तक ही सीमित रह गई है और मांग तथा पूर्ति के बीच का अन्तर बढ़ता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और हरित क्रांति के पूर्व तथा हरित क्रांति के बाद की

अवधि के बीच गेहूं और चावल, दलहन, तिलहन, मोटे अनाजों जैसे अन्य खाद्यान्नों के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(ग) मोटे अनाजों, दलहनों, तिलहनों, चावल आदि की मांग और पूर्ति के बीच कितना अंतर है; और

(घ) सातवीं योजना अवधि के दौरान आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और आयात पर कम निर्भर रहने के लिए कृषि क्षेत्र के विकास के लिए क्या नीति बनाई गई है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) छठे दशक के मध्य से गेहूं के साथ-साथ चावल, मोटे अनाज और तिलहनों के उत्पादन में बढ़ोत्तरी का रुख देखने में आया है। पिछले वर्षों में दालों का उत्पादन न्यूनाधिक रूप से स्थायी ही रहा है, जिसका मुख्य कारण यह घटक है कि दालों की खेती अधिकतर वर्षा सिंचित स्थितियों में की जाती है। 1966-67 (हरित क्रांति अवधि से पूर्व) में समाप्त होने वाले वर्षत्रय और 1984-85 में समाप्त होने वाले वर्षत्रय के दौरान चावल, गेहूं, मोटे अनाज, दलहन, कुल खाद्यान्न और तिलहनों का औसतन उत्पादन निम्न प्रकार है :

फसल उत्पादन (लाख मीटरी टन में)

फसल	1966-67	1984-85
	को समाप्त होने वाले वर्षत्रय के दौरान वार्षिक औसत उत्पादन	
चावल	334.4	552.8
गेहूं	113.5	441.7
मोटे अनाज	236.2	292.7
दलहन	102.4	123.2
तिलहन (पांच मुख्य तिलहन)	71.3	103.4

(ग) इस तथ्य के अलावा कि विभिन्न अनाज एक दूसरे के स्थान पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं, देश कुल मिलाकर इन पदार्थों की अधिकांश मांग को पूरा करने में आत्मनिर्भर है। तथापि, तिलहनों के मामले में कुछ कमी जरूर है।

(घ) सातवीं योजना में आधारीय विकास, यथा कम विकसित इलाकों में सिंचाई/नालियां बनाना, सड़क, मण्डी, ऋण संस्थान आदि तथा नई तकनीक के विस्तार, विशेषकर बारानी खेती में सफलता प्राप्त करने के लिए जिससे मुख्यतया दालों, तिलहनों और मोटे अनाज को लाभ होगा, के

माध्यम से कृषि उपज के आधार को बड़ा करने का प्रस्ताव है। इन उपायों को समुचित विपणन और समर्थन मूल्य का सहारा भी मिलेगा।

[हिन्दी]

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बनाये गए मकानों में घटिया सामग्री का उपयोग

1116. श्री राम भगत पासवान : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बनाये गए मकानों में उपयोग में लाई गई सामग्री और उनकी लागत के सम्बन्ध में कितनी बार जांच हुई है; और

(ख) ऐसी जांच का ब्यौरा क्या है और सरकार को इन मकानों में उपयोग में लाई गई घटिया सामग्री के बारे में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा इस संबंध में कितने व्यक्तियों को दोषी पाया गया है और सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) प्रयुक्त सामग्री की कोटि के सम्बन्ध में गत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त शिकायतों का एक विवरण संलग्न है। की गई जांच, दोषी पाए गये व्यक्ति तथा प्रत्येक मामले में उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही भी इस विवरण में बताई गई है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण के सतर्कता एकक में घटिया निर्माणों के बारे में प्राप्त शिकायतें

क्रम सं०	विषय	की गई कार्यवाही
1	2	3
1.	56 कुष्ट रोग के (मकानों सी०बी० III) के बारे में अध्यक्ष नेहरू सेवा कोपरेटिव ग्रुप आवास समिति लि० ताहिरपुर शाहदरा द्वारा की गई शिकायत।	कोटि नियन्त्रण कक्ष ने निर्माण कार्य का निरीक्षण किया तथा सम्बन्धित कर्मचारियों का स्पष्टीकरण मांगा गया। उत्तर प्राप्त हो गए हैं तथा कमियों को दूर करने के लिए कर्मचारियों से अनुरोध किया गया है।
2.	मैसर्स वासुदेव एण्ड कं० द्वारा जोन ई-7 से ई-12 में कोपरेटिव आवास निर्माण समिति के लिए भूमि के विकास के बारे में इंजीनियरी विभाग के विरुद्ध शिकायत, पी/एल जोन ई-9, 10, 11 में सीवर लाइन।	कोटि नियन्त्रण कक्ष ने निर्माण कार्य का निरीक्षण किया तथा इसे घटिया किस्म का पाया। छोटी सजा देने की कार्यवाही आरम्भ की गई है। श्री एस० जी० बतिश, सहायक इंजीनियर की एक वार्षिक वेतन-वृद्धि तथा श्री के० एस० झण्डू कनिष्ठ इंजीन्यिर की दो वार्षिक वेतनवृद्धियां रोकने की सजा दी गई है तथा श्री ओमप्रकाश, कनिष्ठ इंजीनियर को दोषमुक्त किया गया है।
3.	मुनीरका चरण II (आवास प्रभाग ×) के 400 फ्लैटों के निर्माण के संदर्भ में महासचिव, डी० डी० ए० मुनीरका रेजीडेन्सल वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा की गई शिकायत।	कोटि नियंत्रण कक्ष ने निर्माण कार्य का निरीक्षण किया तथा संबंधित कर्मचारियों की कमियां दूर करने का अनुरोध किया गया है।

1	2	3
4.	सन्त नगर कालोनी (III) सी० डी० के विकास कार्य में अधिकांश घटिया तथा अव्यवस्थित कार्य में अनुचित विलम्ब तथा कमियां।	मुख्य इंजीनियर (कोटि नियन्त्रण) को निर्माण कार्य का निरीक्षण करने तथा अपनी रिपोर्ट भेजने का अनुरोध किया गया है। मुख्य इंजीनियर (कोटि नियंत्रण) से रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
5.	शालीमार बाग के फ्लैट सं० 132/बी०/एडी के कार्य की कोटि के बारे में श्री के० एम० भाटिया की शिकायत।	कोटि नियन्त्रण कक्ष ने फ्लैट का निरीक्षण किया तथा निर्माण कार्य की कमियां ध्यान में आईं। कमियों को दूर करने के लिए इस मामले को सम्बन्धित अधिकारियों के साथ उठाया गया।
6.	दिल्ली विकास प्राधिकरण के डिवीजन सं० IV द्वारा आरम्भ किए गए विकास कार्यों में घटिया निर्माण के बारे में महासचिव, सुभाष मोहल्ला, विकास समिति की शिकायत।	मुख्य इंजीनियर (कोटि नियन्त्रण) को निर्माण कार्य का निरीक्षण करने तथा इस मामले में आवश्यक कार्यवाही का अनुरोध किया गया।
7.	गांवों में किए जा रहे घटिया कार्य के विरुद्ध अध्यक्ष, दसघरा टोडापुर गांव वेलफेयर एसोसिएशन की शिकायत।	कोटि नियन्त्रण कक्ष ने निर्माण कार्य का निरीक्षण किया तथा संबंधित कर्मचारियों का स्पष्टीकरण मंगाने के लिए ज्ञापन दिए गए तथा उन्हें कोटि नियन्त्रण द्वारा बताई गई कमियों को दूर करना अपेक्षित है।
8.	प्रसाद नगर के फ्लैट में प्रयुक्त घटिया सामग्री के संबंध में शिकायत।	केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने संबंधित सहायक इंजीनियरों एवं कनिष्ठ इंजीनियरों के विरुद्ध लघु सजा की सिफारिश की है और श्री बी०के० राय, कार्यपालक इंजीनियर को लेखबद्ध चेतावनी 4 अक्तूबर, 1983 को जारी की गई है तथा सहायक इंजीनियरों एवं कनिष्ठ इंजीनियरों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

1	2	3
9.	पश्चिमपुरी में 585 फ्लैटों (मध्यम आय वर्ग) के निर्माण में प्रयुक्त घटिया सामग्री के संबंध में शिकायत।	कोटि नियन्त्रण स्कन्ध ने 10 दिसम्बर, 1982 को कार्य का निरीक्षण किया तथा निर्माण में बहुत सी कमियां बताईं। उपाध्यक्ष द्वारा इंजीनियरी स्कन्ध को निर्देश जारी किए गए कि सेवाओं के बिना फ्लैटों का आबंटन न किया जाए तथा सेवाएं शीघ्र ही पूर्ण हो जानी चाहिए।
	1983	
10.	दिलशाद गार्डन, ग्रेड-II तथा III में त्रुटिपूर्ण कार्य के संबंध में शिकायत।	कोटि नियंत्रण स्कंध ने कार्य का निरीक्षण किया था तथा संबंधित सहायक इंजीनियरों एवं कनिष्ठ इंजीनियरों को उनके रिकार्ड में दर्ज की जाने वाली चेतावनी जारी की गई है।
11.	स/श्री रोशन लाल कपूर तथा ए० रंगास्वामी द्वारा क्रमश: प्लाट सं० 3-1बी, पाकिट बी-2 तथा फ्लैट सं० सी-2-1 100-सी, मध्यम आय वर्ग, लारेंस रोड के संबंध में की गई शिकायत।	कोटि नियंत्रण स्कन्ध द्वारा फ्लैट का निरीक्षण किया गया तथा संबंधित प्राधिकारियों से त्रुटियों को ठीक करने का अनुरोध किया गया है।
12.	नारायणा, ब्लाक जी, पाकिट-1 में स्ववित्त पोषित योजना के गैरेजों के निर्माण में प्रयुक्त घटिया सामग्री के संबंध में दिल्ली विकास प्राधिकरण के उच्च अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत।	मुख्य इंजीनियर (कोटि नियंत्रण) से कार्य का निरीक्षण करने तथा मामले में आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया था।
13.	सार्वजनिक धन का दुरुपयोग तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण के मकानों में प्रयुक्त घटिया सामग्री के संबंध में भूतपूर्व कैपटन एस० एम० सक्सेना द्वारा की गई शिकायत।	—वही—

1	2	3
14.	फ्लैट सं० 29-बी, पाकिट बी-2 लारेंस रोड में त्रुटियों के संबंध में श्री मंजुला अग्रवाल द्वारा की गई शिकायत।	मुख्य इंजीनियर (कोटि नियंत्रण) से कार्य का निरीक्षण करने तथा मामले में आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया था।
15.	फ्लैट सं० 32-सी, पाकिट बी-2 लारेंस रोड में त्रुटियों के संबंध में श्री पी० के० मिश्रा द्वारा की गई शिकायत।	—वही—
16.	फ्लैट सं० जी० जी०-1/38 सी, विकासपुरी में प्रयुक्त घटिया सामग्री के संबंध में श्री गंगा लाल द्वारा की गई शिकायत।	—वही—
17.	पाकेट जी० जी०-1 विकासपुरी में मध्यम आय वर्ग के फ्लैटों में किए गए घटिया कार्य के संबंध में कल्याण संघ जी० जी०-1 विकासपुरी के महासचिव से प्राप्त शिकायत।	इस कार्य की जांच कोटि नियंत्रण कक्ष ने की थी। कार्य में पाई गई त्रुटियों के लिए संबंधित कर्मचारियों को ज्ञापन जारी किए जा रहे हैं।
18.	लारेंस रोड में मध्यम आय वर्ग के त्रुटिपूर्ण निर्माण के लिए 14 जनवरी, 1983 को शिकायत प्राप्त हुई थी।	यह मामला कोटि नियंत्रण कक्ष के जांचाधीन है।
19.	फ्लैट सं० 69, ब्लाक-ए. 2, टाइप "ए" पश्चिम बिहार के निर्माण में उपयोग में लाई गई घटिया सामग्री के सम्बन्ध में 27 जनवरी, 1983 को एक शिकायत प्राप्त हुई थी।	यह मामला कोटि नियंत्रण कक्ष के जांचाधीन है।

1	2	3
20.	नारायणा ब्लाक-जी पाकेट-I में स्ववित्त पोषित योजना के लिए गैराज के निर्माण में उपयोग में लाई गई घटिया सामग्री के सम्बन्ध में 15 फरवरी, 1983 को शिकायत प्राप्त हुई थी।	यह मामला कोटि नियंत्रण कक्ष के जांचाधीन है।
	1984	
21.	पाकेट "एल" प्रीतमपुरा दिल्ली में स्ववित्त पोषित योजना के फ्लैटों में त्रुटियां, कार्य पूरा न करना, मैसर्स सुधीर ब्रदर्स।	यह मामला जांच के लिए मुख्य इंजीनियर (कोटि नियन्त्रण) को अन्तरित कर दिया गया है।
22.	मोती नगर में मलिन बस्ती टेनामेंट—एक व्यक्ति मरा तथा दो व्यक्ति घायल हुए के सम्बन्ध में अखबार की कतरन।	निदेशक (मलिन बस्ती तथा झुग्गी झोपड़ी) की टिप्पणी अभी प्राप्त नहीं हुई है।
23.	सी-2 ए पाकेट 15 जहांगीरपुरी के 48 फ्लैटों में गम्भीर त्रुटियों, कमियों तथा ममटियों का निर्माण न करने के संबंध में शिकायत।	मुख्य इंजीनियर (कोटि नियन्त्रण) से अभी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

[अनुवाद]

कृषि फसलों में मजदूरी को मूल्य स्तर के साथ जोड़ना

1117. डा० के० जी० आदियोडी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कृषि फसल के मामले में मजदूरी को मूल्य स्तर के साथ जोड़ने के क्या प्रस्ताव हैं; और

(ख) उपरोक्त लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निर्धारित समय-सूची क्या है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अंजैया) : (क) श्रम मंत्रालय के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

महाराष्ट्र में पान और अंगूरों की फसलों को फसल बीमा योजना के अन्तर्गत लाना

1118. श्री प्रकाश वी० पाटिल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में किन फसलों को बीमा योजना के अन्तर्गत लाया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार पान और अंगूर की फसल को इस योजना के अन्तर्गत लाने का है क्योंकि महाराष्ट्र में नकदी फसलों के रूप में उक्त मदों की पैदावार तेजी से बढ़ रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में निर्णय कब तक लिया जायेगा ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) खरीफ 1985 मौसम के दौरान महाराष्ट्र में फसल बीमा योजना के तहत धान, ज्वार, मूंगफली, बाजरा तथा तुर फसलें शामिल की गई हैं।

(ख) इस समय महाराष्ट्र में इस योजना के तहत पान तथा अंगूर की फसलें शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

प्रदर्शन के लिए फीचर फिल्मों, नाटकों और धारावाहिक नाटकों का चयन

1119. श्री उत्तम राठौड़ : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन पर प्रदर्शन के लिए फीचर फिल्मों, नाटकों और धारावाहिक नाटकों का चयन करने के लिए क्या मार्ग निर्देश निर्धारित किए गए हैं; और

(ख) क्या इस प्रकार की फिल्म आदि का चयन विभिन्न फर्मों के विज्ञापनों और उनसे होने वाली आय से सम्बद्ध है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) **फीचर फिल्में**—प्रस्तावित फीचर फिल्मों की जांच पड़ताल, चयन और श्रेणीकरण करने के लिए विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों में और दूरदर्शन के मुख्यालयों में भी विधिवत् गठित समितियां मौजूद हैं। चयन और श्रेणीकरण करते समय, फिल्म को प्राप्त पुरस्कार, उसकी विषय वस्तु, चलचित्रिकी और मनोरंजन मूल्यों आदि जैसी बातों को ध्यान में रखा जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए भी ध्यान रखा जाता है कि फिल्म परिवार के साथ देखने के लिए उपयुक्त हो।

नाटक—लेखकों द्वारा जिन आलेखों का प्रस्ताव किया जाता है उनका मूल्यांकन उनकी गुणवत्ता के आधार पर तथा टेलीकास्ट के लिए उनकी उपयुक्तता की दृष्टि से दूरदर्शन के नामोद्दिष्ट अधिकारियों द्वारा किया जाता है। बड़ी संख्या में नाटक दूरदर्शन केन्द्रों द्वारा स्वयं बनाए जाते हैं।

धारावाहिक और प्रायोजित कार्यक्रम—स्थानीय रूप से निर्मित या प्रायोजकों द्वारा आयातित प्रायोजित कार्यक्रमों की एक उच्च स्तरीय समिति, जिसकी अध्यक्षता महानिदेशक, दूरदर्शन द्वारा की जाती है, द्वारा प्रिव्यू और अनुमोदित किया जाता है।

(ख) जी, नहीं।

मध्य प्रदेश में धान की खेती

1120. **श्री श्रीहरि राव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र छत्तीसगढ़ में धान की खेती बढ़ाने के लिए उस क्षेत्र में इटली की परियोजना आरम्भ की जा रही है;

(ख) क्या इस योजना के अन्तर्गत कुछ चुने हुए क्षेत्रों में चावल उत्पादकों को अप्रत्यक्ष वित्तीय सहायता के अलावा व्हील किस्म के ट्रैक्टर तथा खेती के अन्य उपकरण रियायती दरों पर उपलब्ध कराये जाएंगे;

(ग) क्या यह योजना केवल मध्य प्रदेश तक ही सीमित है या इस योजना का आन्ध्र प्रदेश जैसे अन्य राज्यों के चावल उत्पादक क्षेत्रों में भी विस्तार किया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो इस स्कीम का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) यह परियोजना छत्तीसगढ़ क्षेत्र में केवल रायपुर और दुर्ग जिलों में चल रही है।

(ख) जी नहीं। तथापि, किसान नियत भाड़ा अदा करके ट्रैक्टर अथवा अन्य कृषि उपकरणों के उपयोग की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

(ग) यह परियोजना हरियाणा, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में चल रही है। इसे अन्य राज्यों में लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता।

वनस्पति उत्पादन में सरसों के तेल का उपयोग

1121. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाद्य तेल नीति पर पुनर्विचार किया है और वनस्पति उत्पादन में सरसों के तेल का प्रयोग करने की अनुमति दी है; और

(ख) यदि हां, तो वनस्पति एककों को सम्पोषित करने के लिए आयातों पर निर्भरता कम करने हेतु इसकी घरेलू सप्लाई में कितना सुधार हुआ है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी हां। 10% विलायक निष्कर्षित सरसों/रेपसीड तेल के इस्तेमाल की अनुमति जून, 1985 से दी गई थी। इसके अतिरिक्त वनस्पति तैयार करने में 10% एक्सपेलर सरसों/रेपसीड तेल के इस्तेमाल की अनुमति 15 नवम्बर, 1985 से दी गई है। साथ ही वनस्पति उद्योग को आयातित खाद्य तेलों के आवंटन की मात्रा उनकी आवश्यकता के 60% से घटाकर 50% कर दी गई है।

(ख) विलायक निष्कर्षित/एक्सपेल्ड सरसों/रेपसीड तेल के इस्तेमाल की अनुमति देने से वनस्पति एककों को तेलों की घरेलू सप्लाई में सुधार हुआ है। इससे वनस्पति के उत्पादन में इस्तेमाल करने के लिए खाद्य तेलों के आयात में भी कमी होगी।

राज्यों में आपरेशन फ्लड-दो परियोजना

1122. **श्रीमती डी० के० भण्डारी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन किन राज्यों में आपरेशन फ्लड-दो परियोजना कार्यान्वित की जा रही है;

(ख) क्या सभी राज्यों में परियोजना सफल रही है और यदि नहीं, तो उसमें कठिनाइयां क्या हैं; और

(ग) सिक्किम में दूध और दूध के उत्पादकों के बढ़े हुए उत्पादन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) आपरेशन फ्लड-2 परियोजना के अन्तर्गत क्षेत्रीय कार्यक्रम 22 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात् अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, दमन और दीव, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पांडिचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया है।

(ख) सरकारी गारंटी जारी करना, ऋण तथा अनुदान करार पर हस्ताक्षर करना, संघ उप-नियमों में संशोधन करना आदि जैसी पूर्व क्रियान्वयन औपचारिकताओं को पूरा करने में हुए विलम्ब के कारण सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इस कार्यक्रम को एक साथ शुरू नहीं किया जा सका। तथापि, कार्यक्रम शुरू करने के पश्चात् इसकी प्रगति सामान्य रूप से अच्छी है, यद्यपि यह एक समान नहीं है।

(ग) अगस्त, 1985 तक सिक्किम में आनन्द पद्धति पर 112 गांव डेरी सहकारी समितियों का गठन किया गया। इस परियोजना ने दुग्ध विपणन का एक माध्यम उपलब्ध कराया है। दुग्ध उत्पादन में भी वृद्धि हुई है।

[हिन्दी]

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कोयला डिपो के भूखंडों का आवंटन

1123. **श्री भरत सिंह** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन की सिफारिश पर दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली में प्राधिकरण द्वारा निर्मित कालोनियों में कार्ड धारकों को कोयला उपलब्ध कराने के लिए कोयला डिपों के लिए पट्टा आधार पर भूखंडों का आवंटन किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कोयला डिपों की संख्या कितनी है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि उक्त भूखंडों का क्षेत्र समान नहीं है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पट्टा आधार पर आवंटित कोयला डिपो के लिए अधिशुल्क निर्धारित करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाया गया है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

फुलवाड़ी शेरिफ (पटना) में नागरिक सुविधाएं

1124. **श्री सी० पी० ठाकुर** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फुलवाड़ी शेरिफ (पटना) में नागरिक सुविधाओं की कमी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार छोटे और मध्यम शहरों के एकीकृत विकास की योजना के अन्तर्गत विकास के लिए उस शहर को शामिल करने का है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) इस मंत्रालय के ध्यान में यह नहीं आया है कि फुलवाड़ी शरीफ (पटना) में मौलिक सुविधाओं की कमी है। इस शहर के लिए परियोजना रिपोर्ट अभी तक बिहार सरकार से प्राप्त नहीं हुई है।

नई वनस्पति तेल नीति

1125. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई राष्ट्रीय वनस्पति तेल नीति बनाने सम्बन्धी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) देश में तिलहनों के उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार के विचाराधीन उपाय क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड एक राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल नीति तैयार करने का विचार कर रहा है।

(ख) सरकार ने देश में तिलहनों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जो उपाय किये हैं तथा जिन पर विचार कर रही है, वे निम्न प्रकार हैं :—

(1) **राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना को कार्यान्वित करना**, जिसमें दूसरे तिलहनों के बारे में गहन विकास कार्यक्रम चलाने के अतिरिक्त मूंगफली, रेपसीड/सरसों, सोयाबीन और सूरजमुखी के बारे में विशेष परियोजना चलाना शामिल है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ गैर-पारम्परिक तिलहनों का विकास करना, सिंचित फसलों, विशेष रूप से रबी/गर्मी के मौसम में मूंगफली के अन्तर्गत क्षेत्र बढ़ाना, मूल निवेश उपलब्ध कराना और बड़े पैमाने पर बीज एवं उर्वरक मिनी किटों का निःशुल्क वितरण करना है।

(2) **राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की तिलहन परियोजना** ; इस परियोजना के अन्तर्गत खाद्य तेलों और तिलहनों के उत्पादन ढांचे को नया रूप देने और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के माध्यम से विपणन के लिए सात राज्यों में राज्य स्तरीय सहकारी तिलहन उत्पादक संघ गठित किये गये हैं।

(3) न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करके उत्पादकों को बेहतर प्रोत्साहन देना।

(4) तिलहनों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए अनुसंधान प्रयासों में तेजी लाना।

(5) सोयाबीन और सूरजमुखी जैसी गैर-पारम्परिक तिलहनों की फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र बढ़ाना और बृक्ष तथा वनमूल के तिलहनों, चावल की भूसी आदि का उपयोग करना।

(6) तिलहनों के उत्पादन कार्यक्रम के अनुरूप संसाधन और आधार ढांचे सम्बन्धी आवश्यक सुविधाओं की स्थापना करना।

[हिन्दी]

दूरदर्शन रिले केन्द्रों की स्थापना

1126. **श्री एम० एल० झिकराम** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के किन-किन जिलों में 1985-86 के दौरान दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या समुद्र तट से 3000 फुट की ऊंचाई पर स्थित अमरकंटक में उच्च शक्ति वाला दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो इसके कब तक शुरू हो जाने की संभावना है;

(ग) नया दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र खोलने के लिए क्या-क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं; और

(घ) क्या जबलपुर में उच्च शक्ति प्रसारण केन्द्र स्थापित करने का कार्य शुरू हो गया है, यदि हां, तो इसकी किलोवाट में क्षमता कितनी होगी और इससे कितने क्षेत्र तक के लोग लाभान्वित होंगे ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) वर्ष 1985-86 के दौरान कोरबा और खंडवा में पहले से ही स्थापित अल्प शक्ति वाले दो ट्रांसमीटरों के अलावा, इस प्रकार के दो अन्य ट्रांसमीटर अर्थात् सीधी जिले के सिंगरौली और बस्तर जिले के जगदलपुर में एक-एक ट्रांसमीटर के 1985-86 के अन्त तक चालू हो जाने की उम्मीद है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) देश में दूरदर्शन ट्रांसमीटरों की स्थापना करने का निर्णय लेते समय ग्रामीण और शहरी जनसंख्या को कवर करने, पिछड़े, दूरस्थ और संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में सेवा प्रदान करने, मजदूर वर्ग/औद्योगिक जनसंख्या को कवर करने, अन्य अवस्थापना सुविधाओं और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता जैसी विभिन्न बातों को ध्यान में रखा जाता है।

(घ) जी, नहीं।

[अनुवाद]

बेरोजगार व्यक्ति

1127. श्री के० डी० सुल्तानपुरी
श्री अमर राय प्रधान
श्री महेन्द्र सिंह
श्री टी० बशीर
} : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में 30 सितम्बर, 1985 को श्रेणीवार अर्थात् स्नातक, स्नातकोत्तर, तकनीकी और गैर-तकनीकी शिक्षित बेरोजगार पुरुष और महिलाओं की राज्य-वार संख्या कितनी हैं;

(ख) उनमें से कितने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित हैं; और

(ग) देश में बेरोजगारी समस्या को कम करने के लिए सरकार के भावी कार्यक्रम क्या हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) 31 दिसम्बर, 1984 की स्थिति के अनुसार रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर दर्ज नौकरी चाहने वाले शिक्षित स्नातक, स्नातकोत्तर, तकनीकी तथा गैर-तकनीकी व्यक्तियों, यह अनिवार्य नहीं है कि उनमें से सभी बेरोजगार हों, की संख्या से संबंधित श्रेणी-वार तथा राज्य-वार नवीनतम उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) सूचना संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ग) क्षेत्रीय कार्यक्रमों के अतिरिक्त समाज के कमजोर वर्गों को स्व-रोजगार तथा मजदूरी सहित रोजगार देने के उद्देश्य से गरीबी कम करने संबंधी एक-मुश्त कार्यक्रम सातवीं योजना के दौरान महत्वपूर्ण पैमाने पर जारी रखा जाएगा। आशा है कि सातवीं योजना के दौरान लगभग 403.6 लाख मानक व्यक्ति वर्षों के बराबर अतिरिक्त रोजगार सृजित किया जाएगा जिससे 3.99% प्रति वर्ष की वृद्धि दर प्राप्त हो सकेगी। योजना अवधि के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन० आर० ई० पी०) और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (आर० एल०ई० जी० पी०) से 90.4 लाख मानक व्यक्ति वर्षों का रोजगार सृजित होगा। उद्योग, बैंकिंग, परिवहन, संचार तथा सार्वजनिक सेवाओं में प्रौद्योगियों को उन्नत करके तथा कार्यकलापों में विस्तार करके शिक्षित जनशक्ति के लिए नौकरी के अवसरों में काफी वृद्धि होने की आशा की जा सकती है।

विवरण-I

31.12.1984 की स्थिति के अनुसार चालू रजिस्टर पर संख्या

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	स्नातक				स्नातकोत्तर			
		@ तकनीकी		गैर-तकनीकी		@ तकनीकी		गैर-तकनीकी	
		पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	10588	1056	116174	33114	449	27	19710	3778
2.	असम	142	21	21872	6409	153	15	551	348
3.	बिहार	3771	130	198248	12574	22	1	6944	721
4.	गुजरात	1775	249	25751	13712	11	--	2228	1344
5.	हरियाणा	1326	58	26186	12834	127	4	2860	1734
6.	हिमाचल प्रदेश	546	30	8848	3714	6	2	2459	989
7.	जम्मू व कश्मीर	354	—	5128	1419	6	—	768	290
8.	कर्नाटक	5949	454	47166	14968	171	10	6815	2126
9.	केरल	1821	1794	38877	44264	—	—	4149	3882
10.	मध्य प्रदेश	2719	73	70937	21229	65	24	14205	6976

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	महाराष्ट्र	5843	472	119234	34591	420	19	9329	2917
12.	मणिपुर	737	43	9027	4117	4	—	829	310
13.	मेघालय	13	—	289	430	—	—	35	66
14.	नागालैण्ड	8	—	176	59	—	—	31	8
15.	उड़ीसा	808	50	56308	7012	40	6	2857	933
16.	पंजाब	918	88	37319	20628	41	—	4048	4435
17.	राजस्थान	2234	52	48359	9776	41	—	7746	2575
18.	सिक्किम*								
19.	तमिलनाडु	2700	1608	81325	41190	15	1	18749	9139
20.	त्रिपुरा	22	—	2424	2734	—	—	126	102
21.	उत्तर प्रदेश	8111	103	218781	29505	351	11	38258	9448
22.	पश्चिम बंगाल	3655	378	270198	84053	64	13	5450	5447
संघ शासित क्षेत्र									
1.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	32	4	381	169	—	—	48	34
2.	अरूणाचल प्रदेश*								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	चण्डीगढ़	404	141	8366	3339	4	8	428	799
4.	दादर व नागर हवेली**								
5.	दिल्ली	4395	483	25220	24236	366	97	3911	5476
6.	गोवा	111	24	1538	1043	2	—	118	64
7.	लक्षद्वीप	8	—	35	9	2	—	19	—
8.	मिजोरम			642	178	—	—	56	6
9.	पाण्डिचेरी	431	43	2445	921	3	—	438	198
	अखिल भारत जोड़	59421	7354	1444254	428227	2363	238	153165	64141

टिप्पणी : 1. *कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।

2. **एक रोजगार कार्यालय कार्य कर रहा है, परन्तु आंकड़े प्राप्त नहीं हो रहे हैं।

3. @ इंजीनियरी, चिकित्सा, कृषि तथा पशु-चिकित्सा के क्षेत्र में स्नातकों से सम्बन्धितहैं ।

विवरण-II

31.12.1984 की स्थिति के अनुसार चालू रजिस्टर पर संख्या

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति			
		स्नातक		स्नातकोत्तर		स्नातक		स्नातकोत्तर	
		@ तकनीकी	गैर-तकनीकी	@ तकनीकी	गैर-तकनीकी	@ तकनीकी	गैर-तकनीकी	@ तकनीकी	गैर-तकनीकी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	580	5620	1	916	113	334	5	108
2.	असम	6	1220	2	30	5	1350	8	40
3.	बिहार	212	9782	—	226	42	6388	—	126
4.	गुजरात	87	1865	—	148	47	1338	2	50
5.	हरियाणा	15	1191	7	87	—	7	—	—
6.	हिमाचल प्रदेश	11	582	—	58	2	245	—	40
7.	जम्मू व कश्मीर	15	213	—	101	—	—	—	—
8.	कर्नाटक	578	3585	—	748	47	464	—	143
9.	केरल	103	1487	—	108	4	49	—	5
10.	मध्य प्रदेश	99	5030	—	856	13	1993	—	327
11.	महाराष्ट्र	435	12720	7	2038	80	1803	—	119

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	मणिपुर	9	120	—	6	29	1726	—	70
13.	मेघालय	—	7	—	—	2	247	—	37
14.	नागालैण्ड	1	10	—	5	7	171	—	29
15.	उड़ीसा	17	1514	2	73	22	914	—	336
16.	पंजाब	50	6162	—	190	—	—	—	—
17.	राजस्थान	75	4101	—	544	32	2662	—	562
18.	सिक्किम*								
19.	तमिलनाडु	593	6451	—	1398	5	49	—	9
20.	त्रिपुरा	—	390	—	5	—	103	—	5
21.	उत्तर प्रदेश	694	29435	18	3453	—	279	—	68
22.	पश्चिम बंगाल	55	19776	2	422	2	893	—	9
संघ शासित क्षेत्र									
1.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	—	—	—	—	—	3	—	—
2.	अरुणाचल प्रदेश*								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	चण्डीगढ़	38	1006	—	11	—	38	—	1
4.	दादर व नागर हवेली**								
5.	दिल्ली	409	2459	15	510	14	65	3	37
6.	गोवा	—	20	—	1	—	—	—	—
7.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	8	34	2	19
8.	मिजोरम	—	—	—	—	—	817	—	58
9.	पाण्डिचेरी	24	116	—	21	[illegible]	2	—	2
	अखिल भारत जोड़ :	4106	114862	54	11955	475	21974	20	2200

टिप्पणी :—1. *कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।

2. **एक रोजगार कार्यालय कार्य कर रहा है, परन्तु आंकड़े प्राप्त नहीं हो रहे हैं।

3. @इंजीनियरी, चिकित्सा, कृषि तथा पशु चिकित्सा के क्षेत्र के स्नातकों से संबंधित है।

सप्लायरों द्वारा सुपर बाजार को दवाइयों की सप्लाई बन्द करना

1128. श्री कमला प्रसाद सिंह
श्रीमती कृष्णा साही
: क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सप्लायरों को समय पर भुगतान न किए जाने के कारण उन्होंने सुपर बाजार को आवश्यक दवाइयों/औषधियों की सप्लाई करना बन्द कर दिया है जिसके फलस्वरूप अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थित इसकी शाखा में सोरबीट्रेट जैसी आवश्यक जीवन रक्षक औषधियां उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो सप्लायरों को भुगतान न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) सप्लायरों के लम्बित बिलों को समय पर पास करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(घ) जीवन रक्षक औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित न करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) ऐसी सभी जीवन रक्षक औषधियों को उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ङ) सुपर बाजार ने सूचित किया है कि औषध विभाग में सभी जीवन रक्षक दवाइयां/औषधियां उपलब्ध कराने के लिए हर प्रयत्न किया जाता है। तथापि, विनिर्माताओं/स्टाकिस्टों के पास स्टाक उपलब्ध न होने अथवा सुपर बाजार के नियंत्रण से बाहर के कारणों की वजह से कभी-कभी सुपर बाजार में कुछ दवाइयां उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। विनिर्माताओं से सोरबीट्रेट दवाई कभी-कभी कम मात्रा में प्राप्त होती है, परन्तु इस समय यह दवाई अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थित सुपर बाजार की शाखा में उपलब्ध है। सुपर बाजार ने यह भी सूचित किया है कि जिन जीवन रक्षक औषधियों की सप्लाई कम रहती है, उन्हें अधिक मात्रा में मंगा लिया जाता है, ताकि विनिर्माताओं से उनकी आपूर्ति न मिलने की स्थिति में उनके स्टाक के बिलकुल समाप्त हो जाने के अवसर कम से कम किये जा सकें।

सुपर बाजार ने यह भी सूचित किया है कि आपूर्तिकर्ताओं/विनिर्माताओं को भुगतान आमतौर पर व्यापार की पूर्वनिर्धारित शर्तों के अनुसार किया जाता है। तथापि, आपूर्तिकर्ताओं की संख्या बहुत अधिक होने के कारण, यदि कोई भुगतान अतिदेय हो गये हैं तो उनकी अदायगी प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है।

[हिन्दी]

गुजरात में गंदी बस्तियों के विकास के लिए सहायता

1129. श्री छीतूभाई गामित : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने सूरत, बड़ौदा, अहमदाबाद और राजकोट शहरों के गंदी बस्ती क्षेत्रों के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के लिए एक योजना प्रस्तुत की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन बड़े शहरों की गन्दी बस्तियों के विकास के लिए कितनी धनराशि मांगी गई थी और केन्द्रीय सरकार द्वारा वास्तव में कितनी धनराशि मंजूर की गई और आबंटित की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) राज्यों को उनकी सम्पूर्ण राज्य योजनाओं के लिए निधियों का नियतन किया जाता है न कि अलग-अलग योजनाओं/परियोजनाओं के लिए। राज्यों द्वारा उनकी आवश्यकताओं तथा प्राथमिकताओं के अनुसार अपने वार्षिक योजना प्रावधानों में से शहरी मलिन बस्ती के पर्यावरणीय सुधार की योजनायें बनाई तथा कार्यान्वित की जाती हैं।

संसद सदस्यों के फ्लैटों में पानी की सप्लाई

1130. **श्री मनफूल सिंह चौधरी** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्थित संसद सदस्यों के फ्लैटों में पानी की सप्लाई चौबीस घंटे होती है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या दिल्ली में पानी की कमी है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं। यह सप्लाई नियतकालिक है।

(ख) जी, हां।

[अनुवाद]

रामगुडम और तालचेर स्थित उर्वरक संयंत्रों का कार्य निष्पादन

1131. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रामगुडम और तालचेर स्थित कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्रों के कार्यनिष्पादन में गत एक वर्ष के दौरान सुधार हुआ है, यदि हां, तो महीनेवार क्षमता उपयोग की प्रतिशतता सहित तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त दोनों संयंत्रों की प्रौद्योगिकी स्थिर की गई है और इनके बंद होने की स्थिति आ गई है, यदि हां, तो तथ्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार की झरिया रानीगंज कोयला क्षेत्र के बीच सिंदरी और दुर्गापुर में कोयले

पर आधारित उर्वरक संयंत्र स्थापित करने की कोई योजना है, यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) वर्ष 1984-85 के दौरान रामागुण्डम और तालचर एककों का उत्पादन निष्पादन वर्ष 1983-84 के दौरान हुए उत्पादन की तुलना में क्रमश: 16% और 46.5% आय था। गत दो वर्षों के दौरान दोनों एककों के सम्बन्ध में माहवार क्षमता उपयोग से सम्बन्धित ब्यौरे संलग्न विवरण में हैं।

(ख) कोल गैसीफीकेशन प्रौद्योगिक सिद्ध हो चुकी है। तथापि, कोयले पर आधारित संयंत्र निरन्तर डिजाईन कमियों और उपकरण समस्याओं से हानि उठा रहे हैं। इन समस्याओं के बावजूद रामागुण्डम संयंत्र 1984-85 में ब्रेक इवन प्वाइंट तक पहुंच गया। तथापि, तालचर संयंत्र पावर की कमी की अतिरिक्त समस्या के कारण ब्रेक इवन प्राप्त नहीं कर सका।

(ग) रामागुण्डम और तालचर में संचालन सुस्थिर होने तक कोयले पर आधारित और उर्वरक संयंत्रों की स्थापना करने की कोई योजना इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं हैं।

विवरण

रामागुण्डम और तालचर का माहवार क्षमता उपयोग

माह	रामागुण्डम		तालचर	
	1983-84 %क्षमता	1984-85 %क्षमता	1983-84 %क्षमता	1984-85 %क्षमता
1	2	3	4	5
अप्रैल	10.1	44.6	—	0.4
मई	—	29.5	—	—
जून	13.4	26.7	—	—
जुलाई	28.5	32.7	—	—
अगस्त	28.7	—	—	10.8
सितम्बर	36.4	20.2	9.4	20.6
अक्तूबर	37.6	35.1	35.3	48.9
नवम्बर	53.0	54.1	18.2	36.5
दिसम्बर	50.8	62.0	35.1	37 6

1	2	3	4	5
जनवरी	43.7	71.6	32.5	60.1
फरवरी	48.8	53.4	34.7	26.7
मार्च	74.3	62.4	31.3	46.5
वर्ष के लिए कुल	35.4	41.0	16.4	24.0

चीनी मिलों द्वारा गन्ना उत्पादकों को देय राशि

1132. **श्री सैफुद्दीन चौधरी** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान चीनी मालिकों द्वारा गन्ना उत्पादकों को कितनी बकाया राशि का भुगतान किया जाना है; और

(ख) सरकार कृषकों को भुगतान सुनिश्चित कराने हेतु क्या कार्यवाही कर रही है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) पिछले 5 वर्षों के लिए 30-9-85 तक गन्ने के मूल्य के बकायों की राशि का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

(आंकड़े लाख रुपयों में)

वर्ष	गन्ने के मूल्य की बकाया राशि	गन्ने के कुल मूल्य के संदर्भ में बकायों की प्रतिशतता
1984-85	3114.26	2.5
1983-84	819.71	0.7
1982-83	528.04	0.3
1981-82	219.71	0.1
1980-81 और पिछले मौसमों के लिए	321.43	—

(ख) गन्ने के मूल्य का भुगतान करवाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है जिनके पास आवश्यक फील्ड संगठन होते हैं और ऐसे भुगतान करवाने के लिए शक्तियां होती हैं। केन्द्रीय सरकार स्थिति पर निगरानी रखता है और गन्ने के मूल्य के बकायों का शीघ्र भुगतान करवाने के लिए राज्य सरकारों को समय-समय पर निदेश जारी करती है।

केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा किये गये प्रयासों के फलस्वरूप 1984-85 मौसम के लिए 30-9-85 तक गन्ने के मूल्य के बकायों की राशि गन्ने के कुल मूल्य का 2.5 प्रतिशत रह गई है। तदनुरूपी प्रतिशतता 1983-84 के लिए 4.5 और 1982-83 के लिए 8.2 प्रतिशत थी।

देश में बेरोजगार आदिवासी

1133. **श्री अजय विश्वास** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 31 दिसम्बर, 1984 तक (राज्य-वार) कितने आदिवासी बेरोजगार थे; और

(ख) सरकार उनकी समस्याओं को हल करने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) उपलब्ध सूचना रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत व्यक्तियों से सम्बन्धित हैं जैसी कि संलग्न विवरण में दिखाई गई है। तथापि, रोजगार कार्यालयों के पास पंजीकृत सभी व्यक्ति अनिवार्यतः बेरोजगार नहीं हैं और सभी बेरोजगार व्यक्ति अपने नाम रोजगार कार्यालयों के पास अनिवार्यतः पंजीकृत नहीं कराते।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जन-जाति क्षेत्रों में आयोजना प्रक्रिया में लाभानुभोगी उन्मुख कार्यक्रमों, मानव संसाधनों के विकास और आधारिक-संरचना सम्बन्धी विकास का विवेकपूर्ण मिश्रण किया जाएगा जिनमें से प्रथम दो पर अधिक जोर दिया जाएगा। सातवीं योजना में जन-जाति सम्बन्धी उप-योजना के अन्तर्गत 30 लाख जन-जाति परिवारों को उनका आर्थिक आधार निर्मित करने के लिए सहायता दी जाएगी।

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, ट्राइसम और स्व-रोजगार संवर्धन योजनाओं जैसे विशेष रोजगार कार्यक्रमों से भी जन-जातियों को लाभ पहुंच रहा है। ये कार्यक्रम सातवीं योजना के दौरान जारी रहेंगे।

विवरण

31-12-1984 की स्थिति के अनुसार रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर नौकरी चाहने वाले अनुसूचित जन-जाति के व्यक्तियों की संख्या

	राज्य	संख्या
	1	2
1.	आंध्र प्रदेश	53859
2.	असम	37364
3.	बिहार	132147
4.	गुजरात	38516
5.	हरियाणा	35

1		2
6.	हिमाचल प्रदेश	6934
7.	जम्मू व कश्मीर	6
8.	कर्नाटक	8465
9.	केरल	9452
10.	मध्य प्रदेश	85743
11.	महाराष्ट्र	53853
12.	मणिपुर	53204
13.	मेघालय	6695
14.	नागालैण्ड	9003
15.	उड़ीसा	36337
16.	पंजाब	39
17.	राजस्थान	25374
18.	सिक्किम*	
19.	तमिलनाडु	5912
20.	त्रिपुरा	9300
21.	उत्तर प्रदेश	3262
22.	पश्चिम बंगाल	56800
संघ शासित क्षेत्र		
1.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	148
2.	अरूणाचल प्रदेश*	
3.	चण्डीगढ़	186
4.	दादर व नागर हवेली**	
5.	दिल्ली	3133
6.	गोवा	13

1		2
7.	लक्षद्वीप	5737
8.	मिजोरम	18034
9.	पाण्डिचेरी	55
	अखिल भारत जोड़ :	659606

टिप्पणी : 1. *इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।

2. **इस संघ शासित क्षेत्र में एक रोजगार कार्यालय कार्य कर रहा है, परन्तु आंकड़े प्राप्त नहीं हो रहे हैं।

3. यह आवश्यक नहीं कि चालू रजिस्टर पर नौकरी चाहने वाले सभी व्यक्ति बेरोजगार हों।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली नौकाओं का कार्य

1134. **श्री डी० पी० जडेजा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी तट पर गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली कुल कितनी नौकाएं हैं;

(ख) पूर्वी तट पर ऐसी कितनी नौकाएं हैं;

(ग) क्या गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली सभी कम्पनियां केवल पूर्वी तट पर ही नौकाएं चला रही हैं;

(घ) यदि हां, तो ऐसी प्राथमिकताओं के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार एक समान विकास के हित में कुछ कम्पनियों को पश्चिमी तट पर आने का आग्रह करेगी ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) देश के गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले बेड़े में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र की कम्पनियों में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले वाणिज्यिक जलयान, चार्टर किये गये मत्स्यन जलयान और भारत सरकार के सर्वेक्षण और प्रशिक्षण जलयान शामिल हैं। मछली पकड़ने वाले जलयान, जिनका स्वामित्व भारतीय कम्पनियों का है और सरकारी जलयानों को कोई तट सौंपा नहीं गया है। उन्हें परम्परागत और यंत्रीकृत क्षेत्रों के लिए आरक्षित क्षेत्र के परे एकमात्र भारतीय आर्थिक क्षेत्र में संचालन करने की अनुमति है। तथापि चार्टर किये गये मत्स्यन जलयानों को संचालन के विशिष्ट बेस के लिये सौंपा जाता है। तट रक्षक से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस समय 25 चार्टर जलयानों का उपयोग किया जा रहा है जिनमें से 17 पूर्वी तट के बेसों के हैं और 8 पश्चिमी तट के बेसों के हैं।

(ग) और (घ) जी नहीं। तथापि, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले अधिकांश जलयानों के पूर्वी तट पर कार्य करने की सूचना मिली है। इस कारण पूर्वी तट के इलाकों में मूल्यवान संसाधनों और मत्स्यन बन्दरगाह की बेहतर सुविधाओं का होना है।

(ङ) ऐसा आरोपण वांछनीय नहीं है क्योंकि इससे प्रचालन की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ सकता है।

मदर डेयरी और दिल्ली दुग्ध योजना को लाभ

1135. **श्री मानिक रेड्डी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मदर डेयरी दिल्ली और दिल्ली दुग्ध योजना जैसी इकाइयां सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत आती हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या ये इकाइयां बार-बार कीमतों में वृद्धि करने और अपने कार्यों में विविधता लाकर अपनी लाभ की पूर्व स्थिति को बरकरार रखे हुए हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) मदर डेयरी सार्वजनिक क्षेत्र में है और दिल्ली दुग्ध योजना कृषि मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है।

(ख) यद्यपि 1976-77 से मदर डेयरी अपने प्रचालन में कोई हानि नहीं उठा रही है, फिर भी लेखा वर्ष 1984-85 के दौरान इसे 8.18 करोड़ रुपये की हानि हुई। बिक्री कीमत में कोई तदनुरूपी वृद्धि के बिना कच्चे दूध और दूध सामग्रियों की अधिप्राप्ति कीमतों में वृद्धि उपर्युक्त हानि का मुख्य कारण था।

दिल्ली दुग्ध योजना के मामले में सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दूध का विक्रय मूल्य हमेशा उसके उत्पादन लागत से कम रहता है। इसलिए यह अपने प्रचालन में नुकसान उठा रहा है।

चावल की उपज

1136. **डा० जी० विजय रामा राव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला ने चावल उत्पादक देशों को तीन समूहों में वर्गीकृत किया है यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और भारत का स्थान किस समूह में है;

(ख) क्या यह सच है कि विदेशों से अधिक उपज देने वाले चावल के बीजों का आयात करने के बावजूद भारत में चावल की औसत उपज विश्व में सबसे कम है;

(ग) क्या यह भी सच है कि भूसीयुक्त चावल के बहाने हमारे प्रयोगशालाओं में विकसित अच्छी किस्म के चावल के बीजों का चोरी-छुपे निर्यात किया जा रहा है; और

(घ) उर्वरकों तथा कीटनाशी दवाइयों के बड़ी मात्रा में इस्तेमाल के बावजूद कम उपज के क्या करण हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान। अन्तर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान के एक विश्लेषण के अनुसार, चावल उत्पादक देशों को उपज वार निम्न दो समूहों में वर्गीकृत किया गया है :—

समूह	धान की प्रति हैक्टेयर उपज	देशों की संख्या
पहला	6 टन प्रति हैक्टेयर या अधिक	3
दूसरा	4 टन प्रति हैक्टेयर या अधिक	17
तीसरा	3 टन प्रति हैक्टेयर या अधिक	78

भारत में धान की औसत उपज 2.2 टन प्रति हैक्टेयर है और इसका स्थान तीसरे समूह में है। तीसरे समूह के 78 देशों में से 57 देशों में धान की उत्पादन सीमा 2 टन प्रति हैक्टेयर या इससे कम है और 13 देशों में 1 टन प्रति हैक्टेयर से भी कम उत्पादन होता है।

(ख) यद्यपि भारत में चावल की उपज कुछ ज्ञात कारणों से विश्व में बहुत कम है किन्तु विदेशों से धान की अधिक उपज देने वाली किस्म के बीजों के आयात वाली बात सत्य नहीं है। वास्तव में हमारा अपना एक ठोस चावल सुधार कार्यक्रम है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान।

(घ) चावल की कम पैदावार के कारण हैं—(i) 60 प्रतिशत चावल की खेती अनेक कष्टकर स्थितियों में बारानी भूमि में होती है जैसे—बारानी उपराऊं, बारानी तराऊं/पानी से भरे हुए क्षेत्रों, गहरे पानी वाले क्षेत्रों, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों एवं खारे-क्षारीय क्षेत्रों में जहां का वातावरण अनिश्चित होता है जो किसानों के नियन्त्रण से परे है और 40 प्रतिशत धान की ही सिंचाई होती है जहां सिंचाई के पानी की आपूर्ति भी सामयिक एवं उपयुक्त रूप से नहीं हो पाती। (ii) उर्वरकों का कम निवेश उपयोग/कारगरता तथा (iii) अपर्याप्त कीट प्रबन्ध जिसमें घटिया किस्म के कीटनाशी दवाओं का प्रयोग एवं खरपतवार नियन्त्रण भी शामिल हैं।

बच्चों पर वीडियो संस्कृति का प्रभाव

1137. **डा० जी० एल० शैलेश** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "यू० के० पार्लियामेंटरी ग्रुप वीडियो-इन्क्वायरी" की रिपोर्ट को देखा है जिसके अनुसार वीडियो मशीनें बच्चों को हिंसा के दृश्यों से जोड़ रही हैं और उनके यौन व्यवहार के दृष्टिकोण को विकृत कर रही हैं; दिनांक 31 अक्तूबर, 1980 का स्टेट्समैन (नई दिल्ली);

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त विषय पर समाज शास्त्रियों, बाल मनो-

चिकित्सकों, बाल चिकित्सकों और शिक्षाविदों के विचार जानने के लिए भारत में इसी प्रकार की जांच कराने के आदेश देने की आवश्यकता समझती है तथा वर्तमान कानून तथा उसकी क्रियान्वित की पुनरीक्षा करने और इस नये सामाजिक प्रवृत्ति से निबटने के लिए उपाय करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) "वीडियोज स्पॉनिंग चाइल्ड वायलेंस" शीर्षक से समाचार, जिसे बरतानिया की पालियामेंट्री ग्रुप वीडियो जांच की रिपोर्ट पर आधारित बताया गया है, सरकार के ध्यान में आया है।

(ख) सूचना और प्रसारण मंत्रालय का भारत में इसी प्रकार की जांच का आदेश देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसी किसी भी वीडियो फिल्म का भारत में प्रदर्शन न हो जो फिल्मों के प्रमाणन के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्त का उल्लंघन करती हो, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने चलचित्र (संशोधन) अधिनियम, 1983 में पहले ही संशोधन कर दिया है। संशोधित नियमों के अनुसार, वीडियो फिल्म को केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा उसी तरह प्रमाणित किया जाना अपेक्षित है। जिस तरह फीचर फिल्म को प्रमाणित किया जाना है।

वैज्ञानिक कृषि केन्द्र

1138. **श्री चिन्तामणि जैना** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के सभी जिला मुख्यालयों में वैज्ञानिक कृषि केन्द्र स्थापित करने का निर्णय किया है; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कितने केन्द्र स्थापित किए जाएंगे और उनकी राज्यवार संख्या क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने देश के सभी जिलों में फार्म विज्ञान केन्द्र स्थापित करने के लिए निर्णय लिया है। अभी तक 89 फार्म विज्ञान केन्द्र, जिनका ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है, स्थापित किये गये हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुछ और फार्म विज्ञान केन्द्र स्थापित किए जाएंगे जो कि संसाधन की उपलब्धता पर निर्भर हैं।

विवरण

मार्च, 1985 तक स्थापित कृषि विज्ञान केन्द्रों की सूची

राज्य	मेजवान संस्था का पता	कृ० वि० कें० का पता	स्वीकृति का वर्ष
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	सहायक महानिदेशक व प्रायोजना समन्वयक, अखिल भारतीय समन्वित बारानी कृषि अनुसंधान प्रायोजना, 2-2-58/60 अम्बरपेट, हैदराबाद-500013	1. प्रशिक्षण आयोजक, कृ० वि० कें०, ए० जी० आर० पी० डी० ए० 8-7 रामनाथपुरम, हैदराबाद-500091	1976
	निदेशक, केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान राजमुन्द्री	2. प्रशिक्षण आयोजक, कृ० वि० कें० राजमुन्द्री, जि०-पूर्वी गोदावरी	1983
	कुलपति, आन्ध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, राजेन्द्रनगर, हैदराबाद	3. प्रशिक्षण आयोजक, अनन्तपुर, जि०-अनन्तपुर	1983
	—वही—	4. प्रशिक्षण आयोजक, कृ० वि० कें०, रास्तकुन्ताबाई, जिला-विजयनगरम	1984
	—वही—	5. प्रशिक्षण आयोजक, कृ० वि० कें०, गोदेपल्ली, जि०-नलगनिदा	1984
	—वही—	6. प्रशिक्षण आयोजक, कृ० वि० कें०, अम्दलवासला, जि०-श्रीकाकुलम	1984
अरूणाचल प्रदेश	निदेशक, उ० पू० प० क्षेत्र, भा० कृ० अ० प० अनुसंधान कम्पलेक्स, "सेदार लौज" जोवई रोड, शिलांग-790003	7. प्रशिक्षण आयोजक, कृ० वि० कें०, उ० पू० प० अनुसंधान कम्पलेक्स, जि०-सियंग	1979

1	2	3	4
असम	कुलपति, असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहाट-785013	8. प्रशिक्षण आयोजक, कृ० वि० कें०, नाप्म, जि०-तेजपुर (ए० ए० यू०)	1979
	—वही—	9. प्रशिक्षण आयोजक, कृ० वि० कें०, गोसाईगांव, कोकाझार	1985
बिहार	सचिव, रामकृष्ण मिसन, मोराबादी रांची	10. प्रशिक्षण आयोजक, कृ० वि० कें०, रामकृष्ण मिसन आश्रम, मोराबादी, रांची	1977
	महासचिव, ग्राम निर्माण मण्डल, सर्वोदय आश्रम, सुखोदूर, नवादा	11. प्रशिक्षण आयोजक, कृ० वि० कें०, ग्राम निर्माण मण्डल, सर्वोदय आश्रम, सुखोदूरा, जि०-नवादा	1979
	सचिव, सान्थाल पहाड़िया सेवा, मण्डल देवघर	12. प्रशिक्षण आयोजक, कृ० वि० कें०, फतेहपुर, देवघर	1985
	होली क्रौस, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, हजारी बाग-825301	13. प्रशिक्षण आयोजक, कृ० वि० कें०, होली क्रौस वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, होली क्रौस, जिला-हजारीबाग	1985
	कुलपति, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर	14. प्रशिक्षण आयोजक, कृ० वि० कें०, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, मुंगेर	1979
	—वही—	15. प्रशिक्षण आयोजक, कृ० वि० कें०, बांका, जिला-भागलपुर	1983
	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके, रांची	16. प्रशिक्षण आयोजक, कृ० वि० कें०, पुटिदा, जिला-सिंहभूमि	1983
	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर	17. प्रशिक्षण आयोजक, कृ० वि० कें०, अगवनपुर, जि०-सहरसा	1984
गोआ	निदेशक, केन्द्रीय रोपण, फसल अनुसंधान संस्थान, कुडलू, कसरगोड, केरल	18. प्रशिक्षण आयोजक, कृ० वि० कें०, एल्ला फार्म, गोआ	1982

1	2	3	4
गुजरात	कुलपति गुजरात कृषि विश्वविद्यालय, दन्तीवाड़ा जिला-बनासकांठा	19. प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केंद्र, गुजरात कृषि विश्वविद्यालय, दीसा, जिला-बनासकांठा	1976
	—वही—	20. प्रशिक्षण आयोजक, कृ० वि० कें०, देवगढ़ बारिया, जिला-पंचमहल	1982
	कुलपति, गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद-380014	21. प्रशिक्षण आयोजक, कृ० वि० कें०, गांव रन्धेजा, जिला-गांधीनगर, अहमदाबाद	1977
	कुलपति, गुजरात कृषि विश्वविद्यालय, अहमदाबाद	22. प्रशिक्षण आयोजक, कृ० वि० कें०, सोजित्रा	1985
	—वही—	23. प्रशिक्षण आयोजक, कृ० वि० कें०, क्षेत्रीय मोटे अनाज केन्द्र, वगाई जिला-डान्गस	1985
हरियाणा	निदेशक, भा० कृ० अ० सं०, पूसा, नई दिल्ली	24. प्रशिक्षण आयोजक, कृ० वि० कें०, शिकोहपुर, गुड़गांव	1983
	निदेशक, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल-132001	25. प्रशिक्षण आयोजक, कृ० वि० कें०, रा० डे० अ० सं० करनाल-132001	1976
	सचिव, भगवत भक्ति आश्रम, रामपुरा, रेवाड़ी	26. प्रशिक्षण आयोजक, कृ० वि० कें०, रामपुरा, रेवाड़ी	1983
हिमाचल प्रदेश	कुलपति, हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर	27. प्रशिक्षण आयोजक, कृ० वि० कें०, धौला कुआं, जिला-सिरमुर	1982
	—वही—	28. प्रशिक्षण आयोजक, कृ० वि० कें०, बजौरा कृषि अनुसंधान केन्द्र	1985

1	2	3	4
जम्मू व कश्मीर	कुलपति, शेरा कश्मीर कृषि विज्ञान तथा प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय, डलगेड, श्रीनगर, कश्मीर	29. प्रशिक्षण आयोजक, कृ० वि० कें०, मालनपुरा जिला अनन्तनाग	1983
कर्नाटक	कुलपति, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, हेब्बल, बंगलौर-560024	30. मुख्य प्रशिक्षण आयोजक, कृ० वि० कें०, हनुमानमत्ती, धारवाड	1976
	—वही—	31. टी० ओ० कृ० वि० कें० कृषि अनुसंधान केन्द्र, बिडार	1985
	—वही—	32. टी० ओ०कृ०वि०कें०, क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, मुदगीगेरा, चिकमंगलूर	1985
	निदेशक, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, 255, अपर पैलेस आर्चारड्स, बंगलौर-560006	33. टी० ओ० कृ० वि० कें०, बागवानी परीक्षण केन्द्र, चेथाली 561248, जिला, नार्ड केडागू	1976
	अध्यक्ष, एग्री० साइन्स फाउन्डेशन, हुलकोटी, गडग	34. टी० ओ० कृ० वि० कें०, हुलकोटी, गडग	1985
केरल	निदेशक, केन्द्रीय समुद्री मास्त्यिकी अनुसंधान संस्थान, पो० बाक्स 1912, कोचीन-682018]	35. टी० ओ० कृ० वि० कें०, झींगा पालन फार्म (सी० एम० एफ० आर० आई०) नरक्कल-682505	1976
	निदेशक, मित्रानिकेतन, पो० आ० बेल्लानद, जिला-त्रिवेन्द्रम	36. टी० ओ० कृ० वि० कें०, मित्रानिकेतन, पो० आ० बेल्लानद, जिला-त्रिवेन्द्रम	1979
	कुलपति, केरल कृषि विश्वविद्यालय, मन्नूथी, केरल	37. टी० ओ० कृ० वि० कें०, पटम्बी, जिला-पालघाट	1982
	—वही—	38. टी० ओ० कृ० वि० कें०, अम्बालबयाल, जिला-वेनद	1983

1	2	3	4
मध्य प्रदेश	कुलपति, जवाहर लाल नेहरू, कृषि विश्व-विद्यालय, जबलपुर	39. प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र छिंदवाड़ा, जिला-छिंदवाड़ा	1984
	—वही—	40. प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र बिलासपुर, जिला बिलासपुर	1984
	—वही—	41. प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केंद्र, झाबुआ, जिला झाबुआ	1984
	सचिव, कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट, कस्तूरबा ग्राम, इन्दौर	42. प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट, कस्तूरबा ग्राम, इन्दौर	1976
	निदेशक, केन्द्रीय कृषि इंजिनियरिंग संस्थान, गुरू तेग बहादुर कम्पलेक्स ऐडिशनल "ए" ब्लाक, न्यू मार्किट, टी० टी० नगर, भोपाल-462003	43. प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, केन्द्रीय कृषि इंजिनियरिंग संस्थान, श्री गुरू तेग बहादुर कम्पलेक्स, ऐडिशनल "ए" ब्लाक, न्यू मार्किट, टी० टी० नगर, भोपाल-462003	1978
महाराष्ट्र	अध्यक्ष गोखले शिक्षा सोसाइटी, कशद हिल-401703, जिला-थाना, महाराष्ट्र	44. प्रशिक्षण आयोजक, के० वी०, कोब्बद हिल, जिला थाना	1976
	कुलपति, पंजाब राव कृषि विद्यापीठ, कृषि नगर, अकोला।	45. प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, साल्सुरा, जिला-बरधा	1976
	मराठवाड़ा, कृषि विद्यापीठ, परभाणी	46. प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र औरंगाबाद, जिला-परभाणी	1983
	कोंकण कृषि विद्यापीठ, डपोली	47. प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र शिरगांव, जिला-रत्नगिरी	1983
	महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुली	48. प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, कृषि अनुसंधान स्टेशन, दुले, जिला-दुले-124004	1983

1	2	3	4
	अध्यक्ष, सतपुर विकास मण्डल, पाल, जलगांव	49. प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र पाल, जलगांव	1984
मणिपुर	निदेशक, आई० सी० ए० आर० रिसर्च, कम्पलेक्स फार० एन० ई० एच० रीजन, सेंडर लांज जवाई रोड, शिलांग-793003	50. प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, आई० सी० ए० आर० रिसर्च, कम्पलेक्स फार० एन० ई० एच० रीजन, मणिपुर केन्द्र इम्फाल	1979
मेघालय	—वही—	51. प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र तुरा, गरो हिल्स	1979
मिजोरम	सचिव, कृषि/कृषि निदेशक, कृषि निदेशालय, मिजोरम सरकार, ऐजोल	52. प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, कोलसिब जिला	1979
नागालैंड	निदेशक, आई० सी० ए० आर० रिसर्च कम्पलेक्स फार० एन० ई० एच० रीजन, सेंडर लांज जवाई रोड, शिलांग-793003	53. प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, आई० सी० ए० आर० रिसर्च कम्पलेक्स फार० एन० ई० एच० रीजन, नागालैंड केन्द्र मेदजिफेमा जिला	1979
उड़ीसा	निदेशक, केन्द्रीय अन्तर्देशीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर-743101	54. प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, केन्द्रीय अन्तर्देशीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान, दौली, भुवनेश्वर, जिला-पुरी	1970
	कुलपति उड़ीसा, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर, उड़ीसा	55. प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, कूनझर, जिला-कूनझर	1982
	—वही—	56. प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, जिला-सिमिलीगुड़ा	1982
	—वही—	57. प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, बलियापल, ओ० यू० ए० टी०, जिला-बलसोर	1983
	—वही—	58. प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, जिला गंजम	1985

1	2	3	4
पांडिचेरी	कुलपति, तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर-641003	59. प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, पांडिचेरी-605010	1974
पंजाब	कुलपति, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना	60. कृषि विज्ञान केन्द्र, गुरदासपुर, जिला-गुरदासपुर	1982
राजस्थान	कुलपति, मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर-313001	61. प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, फतेहपुर सेखवती, जिला-सीकर	1976
	—वही—	62. प्रशिक्षण आयोजक, कृ० वि० कें०, बांसवाड़ा कृषि अनुसंधान स्टेशन, बांसवाड़ा	1983
	कुलपति, मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर-313001	63. प्रशिक्षण आयोजक, कृ० वि० कें०, चारा फार्म बीचवल, बीकानेर	1983
	—वही—	64. प्रशिक्षण आयोजक, कृ० वि० कें०, जालोर, जिला-जालोर	1985
	निदेशक, केन्द्रीय मरू भूमि अनुसंधान संस्थान, जोधपुर	65. प्रशिक्षण आयोजक, कृ० वि० कें०, वेरीगंगा फार्म, केन्द्रीय मरू भूमि अनुसंधान संस्थान, जोधपुर	1983
	निदेशक विद्या भवन, ग्रामीण संस्थान बदगांव, उदयपुर	66. कृ० वि० के०, विद्या भवन ग्रामीण संस्थान बदगांव, उदयपुर	1983
सिक्किम	निदेशक, आई० सी० ए० आर० रिसर्च कम्पलेक्स फार० एन० ई० एच० रीजन, सेंडर लाज जोवाई रोड, शिलांग	67. कृ० वि० के०, सरमसा, आई० सी० ए० आर० रिसर्च, कम्पलेक्स, सिक्किम	1982

1	2	3	4
तमिलनाडु	कुलपति, तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर-641003	68. प्रशिक्षण आयोजक, कृ० वि० कें०, नवलुर कुट्टापत्तु, जिला तिरूचिरापल्ली।	1977
	अविनाशलिंगम ट्रस्ट, विवेकानन्दपुरम कोयम्बटूर-641001	69. प्रशिक्षण आयोजक, कृ० वि० कें०, विवेकानन्दपुरम (कुरानुर गांव), कुरानुर बाग कोयम्बटूर	1979
	सचिव, यूनाइटिड प्लाटेरा एसोसिएशन आफ साऊथ इण्डिया, कुनूर, जिला नीलगिरी	70. प्रशिक्षण आयोजक कृ० वि० कें०, कुनूर, जिला नीलगिरी	1982
	तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर	71. प्रशिक्षण आयोजक, कृ० वि० कें०, कट्टुपक्कम, जिला-च्लीगलकुर	1984
	—वही—	72. प्रशिक्षण आयोजक, कृ० वि० कें०, वृधाचलम काजू अनुसंधान केन्द्र	1985
त्रिपुरा	महासचिव, श्री राम कृष्णन सेवा केन्द्र, 23, आर० एच० एन० मुखर्जी रोड, कलकत्ता-700001.	73. प्रशिक्षण आयोजक, कृ० वि० कें०, श्री राम कृष्णन सेवा केन्द्र, पी० ओ० चेबरी कोवाई, जिला पश्चिमी त्रिपुरा	1979
	निदेशक, आई० सी० ए० आर०, रिसर्च कम्पलेक्स फार एन० ई० एच० रीजन, शिलांग	74. प्रशिक्षण आयोजक, कृ० वि० कें०, बीर चन्द्र नगर, जिला-दक्षिणी त्रिपुरा	1984
उत्तर प्रदेश	सचिव, कमला नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश	75. प्रशिक्षण आयोजक, कृ० वि० कें०, कमला नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट, सुल्तानपुर	1976
	प्रिंसिपल, बी० आर० कालेज, आगरा	76. प्रशिक्षण आयोजक, कृ० वि० कें०, अबागढ़, जिला-एटा	1982
	कुलपति, जी० बी० पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर, नैनीताल	77. प्रशिक्षण आयोजक, कृ० वि० कें०, रानी चौरी, जिला-टेहरी गढ़वाल	1983

1	2	3	4
	कुलपति, नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद	78. प्रशिक्षण आयोजक, कृ० वि० कें०, बेहराइच, फैजाबाद	1983
	—वही—	79. प्रशिक्षण आयोजक, कृ० वि० कें०, जिला बस्ती	1984
	चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर	80. प्रशिक्षण आयोजक, कृ० वि० कें०, दरियापुर फार्म, रायबरेली, उत्तर प्रदेश	1984
	—वही—	81. प्रशिक्षण आयोजक, क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशन, बहराइच, झांसी	1983
	—वही—	82. प्रशिक्षण आयोजक, आर० कें० वी० के०, रोया, मथुरा	1984
	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी	83. प्रशिक्षण आयोजक, कृ० वि० कें०, बरकाछा, जिला-मिर्जापुर	1984
	भारतीय पशु चिकित्सा तथा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर	84. प्रशिक्षण आयोजक, कृ० वि० कें०, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, बरेली	1985
पश्चिम बंगाल	अध्यक्ष, सेवा भारती, कपगारी, जिला मिदनापुर	85. प्रशिक्षण आयोजक, कृ० वि० कें०, सेवा भारती, कपगरी, जिला मिदनापुर-721505	1976
	सचिव, श्री राम कृष्ण आश्रम, जिला 24 परगना (सुन्दरबन)	86. प्रशिक्षण आयोजक, कृ० वि० कें०, श्री राम कृष्ण आश्रम, पी० ओ० नीमपीठ आश्रम, जिला-24 परगना	1979
	निदेशक, केन्द्रीय अन्तस्थली मात्स्यिकी अनुसंधान, बैरकपुर-743101, 24 परगना	87. प्रशिक्षण आयोजक, कृ० वि० कें०, खारा पानी का परीक्षण मछली फार्म, पी० ओ० काकद्वीप-343347 जिला-24 परगना	1979
	महासचिव, श्री रामकृष्ण सेवा केन्द्र, 23, आर० एन० मुखर्जी रोड, कलकत्ता	88. प्रशिक्षण आयोजक, कृ० वि० कें०, रामाकाई, जिला जलपाईगुड़ी	1983
	कार्यकारी उपाध्यक्ष डब्ल्यू० बी० कमपरीहेन्सिव एरिया डवलपमेंट कारपोरेशन, कलकत्ता	89. प्रशिक्षण आयोजक, कृ० वि० कें०, सोनमुखी, जिला-बांकुरा	1983

नारियल का उत्पादन

1139. श्री चिन्तामणि जैना : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में नारियल की खेती करने वाले राज्यों के नाम क्या हैं;

(ख) देश में नारियल का वार्षिक उत्पादन कितना होता है;

(ग) क्या मांग पूरी करने के लिए नारियलों का आयात किया जा रहा है, यदि हां, तो नारियल के आयात पर प्रति वर्ष कितनी धनराशि खर्च होती है; और

(घ) क्या सरकार का विचार देश के समुद्र तटीय क्षेत्रों में अधिक पेड़ लगाकर नारियल का उत्पादन बढ़ाने का है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) नारियल की खेती करने वाले राज्यों के नाम और 1983-84 के दौरान हुआ उनका उत्पादन नीचे दिया गया है :—

(नारियल हजार में)

राज्य	उत्पादन (1983-84)
आन्ध्र प्रदेश	192.4
असम	47.9
कर्नाटक	966.5
केरल	2694.7
महाराष्ट्र	61.1
उड़ीसा	97.9
तमिलनाडु	1402.2
त्रिपुरा	1.7
पश्चिम बंगाल	167.7
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	96.6
गोवा, दमन और दीव	106.0
लक्ष्यद्वीप	22.2
पांडिचेरी	14.1
अखिल भारतीय	5871.0

(ग) जी नहीं।

(घ) नारियल विकास बोर्ड द्वारा नारियल के अन्तर्गत क्षेत्र में वृद्धि करने की एक परियोजना केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र आदि के तटीय राज्यों में क्रियान्वित की जा रही है। यह परियोजना गैर-परम्परागत क्षेत्रों में भी क्रियान्वित की जा रही है।

बम्बई में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के क्वार्टरों पर अवैध व्यक्तियों का कब्जा

1140. **श्री नारायण चौबे** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के शहर, गांव बम्बई में अपने कर्मचारियों के लिए क्वार्टर हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक टाइप के कितने क्वार्टर हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि इनमें से कुछ क्वार्टर अवैध रूप से बहुत पहले से सेवा निवृत होने वाले कर्मचारियों या ऐसे कर्मचारियों के कब्जे में हैं जिन्हें ये क्वार्टर आबंटित नहीं किये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन क्वार्टरों को अवैध कब्जाधारियों से खाली करवाने और इसके बाद इन्हें पात्र कर्मचारियों को आबंटित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख)

टाइप	क्वार्टरों की संख्या
(i)	180
(ii)	66
(iii)	24
(iv)	6
(v)	2
योग :	278

(ग) उन भूतपूर्व कर्मचारियों के अनधिकृत दखल में 37 क्वार्टर हैं जो या तो सेवानिवृत्त हो गये हैं, या जिनकी मृत्यु हो गई है या जिनका स्थानान्तरण हो गया है। 278 क्वार्टरों में से 67 क्वार्टर भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कर्मचारियों के दखल में है।

(घ) सम्पदा अधिकारी ने बेदखली के आदेश पारित कर दिए हैं तथा कुछ मामलों में पुलिस की सहायता से इन क्वार्टरों को खाली कराने की कार्यवाही की जा रही है।

बीड़ी श्रमिकों के लिये कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन अधिनियम

1141. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन अधिनियम बीड़ी उद्योग पर भी लागू है;

(ख) यदि हां, तो क्या श्रमिकों को इसके अन्तर्गत लाभ मिल रहे हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अंजैया) : (क) से (ग) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 के उपबन्धों को बीड़ी श्रमिकों पर 31.5.1977 से लागू किया गया था। तत्पश्चात कुछ बीड़ी निर्माताओं ने बीड़ी उद्योग पर उक्त अधिनियम की प्रयोज्यता को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी और उच्चतम न्यायालय ने, उक्त मामले की सुनवाई पूरी हो जाने तक, बीड़ी उद्योग पर उक्त अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने की अधिसूचना को प्रवर्तन करने के लिए स्थगन का आदेश दिया। उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में अपना निर्णय दिया है जिसमें उन्होंने बीड़ी उद्योग को कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 के सीमा-क्षेत्र में लाने को उचित ठहराया है। इसलिए अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन बीड़ी निर्माताओं द्वारा उक्त अधिनियम का अनुपालन करने के लिए कार्रवाई करेंगे।

तिलहनों तथा खाद्य तेलों का उत्पादन

1142. **श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तिलहनों तथा खाद्य तेलों का उत्पादन कितना हुआ;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान खाद्य तेलों का कितना आयात किया गया; और

(ग) देश में इनका उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) पिछले

तीन वर्षों में तिलहनों और खाद्य तेलों का जो उत्पादन हुआ वह निम्न प्रकार है :—

(लाख मी० टनों में)

कृषि वर्ष (जुलाई-जून)	तिलहनों का उत्पादन	तेल वर्ष (नव०-अक्तू०)	खाद्य तेलों का उत्पादन
1982-83	100.00	1982-83	30.21
1983-84	126.09	1983-84	33.00
1984-85	131.00	1984-85	36.68 (अनुमानित)

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान खाद्य तेलों का जो आयात किया गया वह निम्न प्रकार है :—

(लाख मी० टनों में)

तेल वर्ष	खाद्य तेलों का आयात
1982-83	11.50
1983-84	16.34
1984-85	13.68 (अनन्तिम)

(ग) सरकार द्वारा तिलहनों और तेलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए जो विभिन्न उपाय किये गये हैं, वे निम्न प्रकार हैं :—

(1) **राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना को कार्यान्वित करना**, जिसमें दूसरे तिलहनों के बारे में गहन विकास कार्यक्रम चलाने के अतिरिक्त मूंगफली, रेपसीड/सरसों, सोयाबीन और सूरजमुखी के बारे में विशेष परियोजना चलाना शामिल है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ गैर-पारम्परिक तिलहनों का विकास करना, सिंचित फसलों, विशेष रूप से रबी/गर्मी के मौसम में मूंगफली के अन्तर्गत क्षेत्र बढ़ाना, मूल निवेश उपलब्ध कराना और बड़े पैमाने पर बीज एवं उर्वरक मिनी किटों का निःशुल्क वितरण करना है।

(2) **राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की तिलहन परियोजना** : इस परियोजना के अन्तर्गत खाद्य तेलों और तिलहनों के उत्पादन ढांचे को नया रूप देने और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के माध्यम से विपणन के लिए सात राज्यों में राज्य स्तरीय सहकारी तिलहन उत्पादक संघ गठित किए गए हैं।

(3) न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करके उत्पादकों को बेहतर प्रोत्साहन देना।

(4) तिलहनों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए अनुसंधान प्रयासों में तेजी लाना।

(5) सोयाबीन और सूरजमुखी जैसी गैर-पारम्परिक तिलहनों की फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र बढ़ाना और वृक्ष तथा वनमूल के तिलहनों, चावल की भूसी आदि का उपयोग करना।

(6) तिलहनों के उत्पादन कार्यक्रम के अनुरूप संसाधन और आधार ढांचे सम्बन्धी आवश्यक सुविधाओं की स्थापना करना।

[हिन्दी]

नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 संबंधी कार्य दल का प्रतिवेदन

1143. श्री सी० जंगा रेड्डी
डा० ए० के० पटेल
: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम 1976 संबंधी कार्य दल का प्रतिवेदन कब प्राप्त हुआ था उसकी मुख्य सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक सिफारिश पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) स्वीकृत की गई सिफारिशों को कब तक कार्यान्वित कर दिया जाएगा; और

(ग) उपर्युक्त अधिनियम की अब तक की उपलब्धियां क्या हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) कार्यकारी दल की रिपोर्ट अप्रैल, 1980 में प्राप्त हुई थी तथा यह सरकार के विचाराधीन है अच्छे परिणामों को सुनिश्चित करने के लिए कई सिफारिशें थीं।

(ख) कब तक इन सिफारिशों को मान लिया जायेगा और कार्यान्वित कर दिया जाएगा इसकी सही तारीख बताना कठिन है।

(ग) 1976 के बाद लोगों द्वारा अधिकतम सीमा से अधिक भूमि की खरीद को रोक कर सट्टेबाजी को नियंत्रित करने में इस अधिनियम ने सहायता की है। अब तक विभिन्न राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के कब्जे में 7964.20 एकड़ फालतू भूमि आ गई है। आगे इस समय की तरह इस अधिनियम की धारा 21 के अन्तर्गत राज्य सरकारों ने 1995 योजनायें अनुमोदित की जिसमें 3438 हैक्टेयर भूमि पर समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लिए 2,76,324 रिहायशी एककों के निर्माण का विचार है। इसके अतिरिक्त मकानों के निर्माण के लिए इस अधिनियम के अन्तर्गत अर्जित की गई 620.75 एकड़ भूमि राज्य सरकारों ने उपयोग में ले ली है।

[अनुवाद]

ह्यू-एन-सांग पर फीचर फिल्म

1144. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्यू-एन-सांग के जीवन और कार्य पर फीचर फिल्म तैयार करने की स्वीकृति दे दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो फिल्म का ब्यौरा क्या है तथा इसके किस तारीख तक निर्माण होने और रिलीज किये जाने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी०एन० गाडगिल): (क) और (ख) जी, हां, रेडियो और टेलीविजन के क्षेत्र में भारत गणराज्य तथा चीन लोक गणराज्य की सरकार के बीच हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन के अनुसार, दोनों देश, दोनों देशों के बीच पारम्परिक मैत्री तथा सांस्कृतिक संबंधों से संबंधित विषयों तथा हु-एन-सांग की यात्रा पर डाकुमैंट्री फिल्मों तथा फीचर फिल्मों का संयुक्त रूप से निर्माण करने के लिए सहमत हुए हैं। चीनी पक्ष की ओर से ठोस प्रस्ताव की प्रतीक्षा है।

आन्ध्र प्रदेश में फसल बीमा योजना के अन्तर्गत शामिल की गई अंगूर की तथा अन्य फसलें

1145. **श्री टी० बाल गौड़** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में फसल बीमा योजना के अन्तर्गत कौन-कौन सी फसलें शामिल की गई हैं;

(ख) क्या सरकार अंगूर की फसल को, जो आन्ध्र प्रदेश में तेजी से बढ़ रही है, इस योजना के अन्तर्गत शामिल करने के बारे में विचार करेगी; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में निर्णय कब तक लिया जायेगा ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) आन्ध्र प्रदेश में खरीफ 1985 के मौसम के दौरान फसल बीमा योजना के तहत ग्यारह फसलें अर्थात्, धान, मूंगफली, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, उड़द, अरहर, रागो, अरंड तथा जिंजेली शामिल की गई हैं।

(ख) इस समय अंगूर की फसल को इस योजना के तहत शामिल करने का कोई विचार नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

वर्ष 1985-86 के दौरान समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को धनराशि का आबंटन

1146. **श्री श्रीकांत दत्त**
श्री नरसिंह राज वाडियर } : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना अवधि के दौरान समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न राज्यों को कितनी राशि आबंटित की गई है;

(ग) कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य कमजोर वर्गों के लाभ के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय क्षेत्रक के अन्तर्गत 1186.79 करोड़ रुपये की धनराशि निर्धारित की गई है।

(ख) से (घ) विभिन्न राज्यों के वास्तविक लक्ष्य तथा वित्तीय आबंटन दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

मार्गदर्शिकाओं के अनुसार कर्नाटक सहित सभी राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों में शामिल किए जाने वाले नये लाभार्थियों के लक्ष्य में से कम से कम 30 प्रतिशत लाभार्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के होने चाहिए। पूरक सहायता हेतु विशेष तौर पर पुराने लाभार्थियों के वास्तविक लक्ष्यों में सम्बद्ध राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों द्वारा किए जा रहे सर्वेक्षण के परिणामों के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

विवरण

वर्ष 1985-86 हेतु समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत
विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों के आबंटन

(रु० लाख में)

				वास्तविक लक्ष्य		
क्रम सं०	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र का नाम	कुल आबंटन	केन्द्रीय अंश	पुराने लाभार्थी	नए लाभार्थी	कुल (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	2666.33	1333.16	196896	65632	2.62
2.	असम	1377.20	688.60	101700	33900	1.36

1	2	3	4	5	6	7
3.	बिहार	5248.41	2624.20	387576	129191	5.17
4.	गुजरात	1597.10	798.55	117940	39313	1.57
5.	हरियाणा	441.25	220.62	32584	10862	0.43
6.	हिमाचल प्रदेश	310.63	155.32	22938	7646	0.31
7.	जम्मू व कश्मीर	549.77	274.89	40598	13533	0.54
8.	कर्नाटक	1726.56	863.28	127500	42499	1.70
9.	मध्य प्रदेश	3762.82	1881.40	277870	92623	3.70
10.	केरल	1341.32	670.66	99052	33017	1.32
11.	महाराष्ट्र	3057.85	1528.93	225810	75270	3.01
12.	मणिपुर	126.41	63.21	9336	3111	0.12
13.	मेघालय	170.92	85.46	12622	4207	0.17
14.	नागालैंड	100.29	50.14	7406	2469	0.10
15.	उड़ीसा	2496.40	1248.20	184350	61450	2.46
16.	पंजाब	531.06	265.53	39216	13073	0.52
17.	राजस्थान	1587.63	793.82	117240	39080	1.56
18.	सिक्किम	20.07	10.04	1482	494	0.02
19.	तमिलनाडु	2776.85	1388.43	205060	68353	2.73
20.	त्रिपुरा	165.76	82.88	12240	4081	0.16
21.	उत्तर प्रदेश	6827.25	3413.62	504166	168055	6.72
22.	पश्चिम बंगाल	3403.28	1701.64	251318	83773	3.35
23.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	22.32	22.32	1648	550	0.02
24.	अरुणाचल प्रदेश	214.26	214.26	15822	5274	0.21
25.	चण्डीगढ़	4.46	4.46	330	110	0.01

1	2	3	4	5	6	7
26.	दादरा व नगर हवेली	4.46	4.46	330	110	0.01
27.	दिल्ली	22.32	22.32	1648	550	0.02
28.	गोवा, दमन व दीव	53.56	53.56	3956	1318	0.05
29.	लक्षद्वीप	22.32	22.32	1648	550	0.02
30.	मिजोरम	89.28	89.28	6592	2189	0.09
31.	पांडिचेरी	17.86	17.86	1320	439	0.02
	कुल : अखिल भारत	40736.00	20593.42	3008196	1002732	40.49

[हिन्दी]

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्राप्त ऋण

1147. श्री काली प्रसाद पांडेय
श्री शान्ति धारीवाल
: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 12 अक्तूबर, 1985 के नवभारत टाइम्स में "90 करोड़ रुपये का ऋण डी० डी० ए० खपाएगा कहां" शीर्षक से प्रकाशित हुए समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा इतनी बड़ी धनराशि का ऋण लिए जाने की क्या आवश्यकता है;

(ग) विभिन्न योजनाओं के लिए जमा की गई, 150 करोड़ रुपये की राशि के व्यय का योजना-वार और स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि कोई अनियमिततायें हैं, तो उन्हें दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) एशियाड में निधियों के अवरुद्ध होने तथा अपनी योजनाओं पर कुछ सरकारी विभागों

और अभिकरणों द्वारा व्यय वापसी अदायगी न होने के कारण दिल्ली विकास प्राधिकरण कम दरया की स्थिति में रहा है।

(ग) वैयक्तिक पंजीकृतों द्वारा जमा राशि (उन मामलों को छोड़कर जहां जमा राशि को अनुवर्ती किस्तों में समायोजित किया गया है) कुल 95.8 करोड़ रुपये है न कि 150 करोड़ रुपये। ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

(क) स्ववित्त योजनाओं के सम्बन्ध में पंजीकरण राशि	62.00 करोड़ रुपये
(ख) 1976 तक सामान्य आवास योजना से प्राप्त जमा	4.02 करोड़ रुपये
(ग) नई पंजीकरण योजना 1979 (हुडको पद्धति) से प्राप्त जमा	29.79 करोड़ रुपये
	95.81 करोड़ रुपये

टिप्पणी—उपर्युक्त राशि में रोहिणी योजना तथा अन्य विविध योजनाओं के अन्तर्गत प्लाटों के पंजीकरण के लिए प्राप्त राशि शामिल नहीं है जो कि कुल 22.71 करोड़ रुपये है।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण में किसी अनियमितता की रिपोर्ट नहीं है।

[अनुवाद]

हजीरा-बीजापुर-जगदीश पुर पाइप लाइन मार्ग पर स्थापित की जा रही गैस पर आधारित उर्वरक परियोजनाएं

1148. श्री बी० वी० देसाई : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हजीरा-बीजापुर-जगदीशपुर गैस पाइप लाइन मार्ग पर स्थापित की जा रही गैस पर आधारित वृहत उर्वरक परियोजनाओं के सामने आ रही किन्हीं समस्याओं को हल करने के लिए कोई आपात्तिक कदम उठाने का निर्णय किया है;

(ख) क्या इन परियोजनाओं की प्रगति पर निगरानी रखने और कठिनाइयों को तेजी से दूर करना सुनिश्चित करने के लिए कोई उच्च स्तरीय कक्ष स्थापित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस कक्ष ने अब तक सरकार को अपनी सिफारिशें दे दी हैं;

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस कक्ष द्वारा दिये गये सुझावों को कार्यान्वित करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) सरकार को गैस पर आधारित उर्वरक परियोजनाओं के कार्यान्वयन में इस समय किन्हीं प्रमुख समस्याओं की आशंका नहीं है।

(ख) सचिवों की एक समिति और "अधिकार प्राप्त" एक समिति का गठन क्रमश: गैस पर आधारित उर्वरक परियोजनाओं और एच० बी० जे० गैस पाइप लाइन के कार्यान्वयन की प्रगति की पुनरीक्षा और निगरानी रखने हेतु किया गया है। इसके अतिरिक्त, केवल गैस पर आधारित परियोजनाओं से संबंधित कार्यों के लिए उर्वरक विभाग में एक स्पेशल सैल का सृजन किया गया है।

(ग) से (ङ) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

दिल्ली विकास प्राधिकरण की इमारत
विकास सदन में आग लगना

1149. **श्री विलास मुत्तेमवार**
श्री जायनल अबेदिन } : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय पहले दिल्ली विकास प्राधिकरण की आई० एन० ए० कालोनी, नई दिल्ली स्थित इमारत में आग लग गई थी और यदि हां, तो क्या इस संबंध में जांच-पड़ताल पूरी हो गई है;

(ख) इसके लिए दोषी पाये गये व्यक्तियों के नाम क्या हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) इस इमारत की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार एजेन्सी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) इस अग्निकांड में जल गए रिकार्डों का ब्योरा क्या है और क्या उक्त रिकार्ड दोबारा तैयार कर लिए गये हैं;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) जी, हां।

दिल्ली के उप राज्यपाल ने दिल्ली विकास प्राधिकरण की इमारत (विकास सदन), आई० एन० ए० कालोनी नई दिल्ली में इस अग्निकांड की जांच के आदेश दिए थे। दिनांक 3.7.85 की जांच रिपोर्ट के अनुसार यह विश्वास किया गया था कि विकास सदन में अग्नि जानबूझ कर लगाई

गई थी। बाद में, मामला सी० बी० आई० को भेज दिया गया तथा उसके बाद अन्वेषण हेतु डी० सी० पी० (अपराध तथा रेलवे) को। यह डी० सी० पी०/दक्षिण जिला, डिफेंस कालोनी द्वारा अन्वेषित किया जा रहा है। अभी तक अन्वेषण नहीं किया गया है।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने विकास सदन की सुरक्षा दिल्ली विकास प्राधिकरण के स्वयं के सुरक्षा स्टाफ द्वारा किए जाने का निर्णय लिया है। प्राइवेट अभिकरण की ठेका शर्तों को समाप्त कर देने के तुरन्त बाद ही इसे सम्भाल लिया जाएगा। तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिए अनुदेश जारी कर दिए गए हैं कि सुरक्षा स्टाफ रात्रि के दौरान आवधिक अन्तरालों में भवन के भीतर जायें तथा यह सुनिश्चित करे कि वहां अग्नि लगने का कोई कारण नहीं है जबकि कार्यालय बन्द रहता है।

(घ) भवन अनुभाग के निम्नलिखित रिकार्ड अग्निग्रस्त थे :—

(i) यमुनापार क्षेत्रों में अवस्थित सम्पत्तियों के भवन नक्शों के पृथक-पृथक मामलों तथा उत्तर पश्चिम दिल्ली की कतिपय योजनाओं की फाइलें;

(ii) सामूहिक आवास समितियों सहित सहकारी समितियों के विन्यास नक्शों के कतिपय मामले;

(iii) औद्योगिक क्षेत्रों के पृथक-पृथक कतिपय मामले तथा उनके भवन नक्शे।

दिल्ली विकास प्राधिकरण इन रिकार्डों का पुनर्गठन कर रहा है तथा अपनी अन्य शाखाओं/दिल्ली नगर कला आयोग जैसे अभिकरणों तथा पृथक-पृथक पार्टियों से डुप्लीकेट कापियां प्राप्त कर रहा है।

इसके अतिरिक्त मुख्य इंजीनियर (वाणिज्यिक परियोजना) के एक बड़ी संख्या में रिकार्ड जल गए थे। इनमें से 20 प्रतिशत को पुनर्गठित कर लिया गया है तथा शेष रिकार्डों को पुनर्गठित करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण प्रयास कर रहा है।

[अनुवाद]

दूरदर्शन पर भ्रष्टाचार संबंधी फिल्म का दिखाया जाना

1150. श्री चित्त महाता : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दूरदर्शन ने हाल ही में राजधानी की पुलिस में भ्रष्टाचार संबंधी एक सनसनीखेज फिल्म दिखाई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि दिल्ली दूरदर्शन ने देश में विभिन्न सरकारी संगठनों में भ्रष्टाचार संबंधी सनसनीखेज फिल्में दिखाने का निर्णय किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) से (घ) दूरदर्शन पर 7.10.1985 से "सच की परछाई" नाम से एक पाक्षिक धारावाहिक शुरू किया गया है। पहला कार्यक्रम पुलिस विभाग पर था। जनता के उन सदस्यों जिन्होंने यह महसूस किया कि पुलिस के विवेकाधिकार के कथित गलत प्रयोग की वजह से उन्हें बुरी तरह भुगतना पड़ा, ने वास्तविक साक्षात्कारों के रूप में अपने अनुभव बताये। संतुलित विचारों को प्रस्तुत करने के लिए, अंतिम भाग में पुलिस आयुक्त का साक्षात्कार टेलीकास्ट किया गया था।

"सनसनीखेज फिल्म" (हाई वोल्टेज फिल्म) शब्दों का तात्पर्य स्पष्ट नहीं है। तथापि, यह उल्लेखनीय है कि "सच की परछाई" नामक धारावाहिक में दूरदर्शन का प्रस्ताव ऐसे क्षेत्रों तथा गतिविधियों को कवर करने का है जो विभिन्न ऐसे सरकारी विभागों के नियंत्रण में हो जिनसे जनता का ज्यादा सम्बन्ध पड़ता है। इस प्रकार पुलिस पर कार्यक्रम के बाद, खाद्य पदार्थों में मिलावट तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण पर कार्यक्रमों को पहले ही टेलीकास्ट किया जा चुका है। दूरदर्शन का इस प्रकार के कार्यक्रम रेलवे, सीमा शुल्क, उत्पाद आदि पर टेलीकास्ट करने की योजना है।

मारीशस और भारत के बीच सीधा दूरदर्शन प्रसारण सम्पर्क

1151. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पृथ्वी की बराबर गति से परिक्रमा करने वाले भारतीय उपग्रह इन्सैट 1 बी० से उत्तम कोटि के आंकड़े प्राप्त करने के उद्देश्य से निकट भविष्य में मारीशस और भारत के बीच सीधा दूरदर्शन प्रसारण संपर्क स्थापित किया जायेगा;

(ख) इस दूरदर्शन प्रसारण संपर्क से दोनों देशों को होने वाले लाभ का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्पर्क को कब तक स्थापित करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, नहीं। मौरिशस इन्सैट प्रणाली के कवरेज क्षेत्र से बाहर है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परियोजनाएं

1152. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो योजना बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय क्षेत्र परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु कितनी केन्द्रीय सहायता की मंजूरी दी है; और

(ग) उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) 1985-86 के लिए 3.75 करोड़ रुपये (उत्तर प्रदेश में हापुड़ और मेरठ योजनाओं के लिए 1.75 करोड़ रुपये, हरियाणा में पानीपत तथा गुड़गांव योजनाओं के लिए 1.25 करोड़ रुपये और राजस्थान में भिवाड़ी योजना के लिए 0.75 करोड़ रुपये)।

(ग) इन परियोजनाओं में रिहायशी औद्योगिक तथा अन्य सहायक प्रयोजनों के लिए भूमि का अर्जन तथा सड़कें, जलपूर्ति, पथ प्रकाश, वर्षाती पानी की नालियां मल निकासी इत्यादि जैसी अधसंरचनाओं की व्यवस्था शामिल है।

दूध की मूल्य निर्धारण पद्धति की पुनरीक्षा

1153. **श्री चिन्त मोहन :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "नेशनल इंसटिट्यूट आफ न्यूट्रिशन" द्वारा नौ राज्यों में दूध की खपत के संबंध में किए गए अध्ययन के परिणामों की ओर दिलाया गया है और यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और क्या कोई सुधारात्मक कदम उठाने का विचार है;

(ख) क्या यह परिणाम भारतीय डेयरी निगम/राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा "आपरेशन फ्लड-वन" पर विश्व खाद्य कार्यक्रम के मूल्यांकन दल को उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के विपरीत है;

(ग) क्या सरकार का दूध के मूल्य निर्धारण पद्धति की पुनरीक्षा करने और सारे देश में कमजोर वर्गों को राज सहायता से दूध के टोकन वितरित करने का विचार है; और

(घ) क्या सरकार का विचार इन निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली दुग्ध योजना के दूध में विटामिन "ए" का मिलाया जाना बंद करने का है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) नेशनल इन्सटिट्यूट आफ न्यूट्रिशन द्वारा किए गए किसी भी अध्ययन के परिणामों को कृषि मंत्रालय के ध्यान में नहीं लाया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) दिल्ली दुग्ध योजना और मदर डेरी, दिल्ली के सिवाय देश में सार्वजनिक और सहकारी क्षेत्रों की सभी दुग्ध योजनाएं राज्य सरकार/राज्य प्रायोजित एजेंसियों के द्वारा स्वामित्व/प्रचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं का क्रियान्वयन और प्रचालन, जिसमें दुग्ध मूल्य संबंधी प्रतिमान का निर्धारण और वितरण शामिल है, संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है, इस समय दिल्ली दुग्ध योजना और मदर डेरी, दिल्ली के संबंध में दुग्ध मूल्य संबंधी प्रतिमान और वितरण की समीक्षा का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) जी, नहीं।

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा महानगरों को दूध की सप्लाई

1154. **डा० जी० विजय रामाराव**
श्री मानिक रेड्डी } : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का एकक राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड दिल्ली और कलकत्ता में मदर डेरी चला रहा है और दिल्ली में प्रतिदिन 6.04 लाख लिटर दूध और कलकत्ता में प्रतिदिन 2.23 लाख लिटर दूध का विपणन कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त बोर्ड द्वारा कलकत्ता में दूध की पूरी आवश्यकताओं को पूरा न कर पाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड चार महानगरों को स्वदेशी दूध के मामले में 1975 तक आत्मनिर्भर बनाने की अपनी योजना में असफल रहा है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड दिल्ली और कलकत्ता स्थित मदर डेरियों का प्रबन्ध कर रहा है। दिल्ली मदर डेरी प्रतिदिन लगभग 6 लाख लिटर दूध का विपणन कर रहा है। कलकत्ता मदर डेरी द्वारा विपणित दूध प्रतिदिन करीब 3 लाख लिटर है, जबकि इसकी अधिष्ठापित क्षमता 4 लाख लिटर प्रतिदिन है।

(ख) कलकत्ता मदर डेरी, कलकत्ता में दूध की समूची मांग पूरी करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि इसकी अधिष्ठापित क्षमता प्रतिदिन सिर्फ 4 लाख लिटर है।

(ग) आपरेशन फ्लड-1 परियोजना के तहत चार महानगरों की परिसंस्करण क्षमता को लक्षित स्तर से बढ़ा दिया गया है और ये डेरियां महानगरों में दूध विपणन में एक महत्वपूर्ण योगदान देने में समर्थ हो गई हैं। भारत सरकार तथा विश्व खाद्य कार्यक्रम के बीच हस्ताक्षरित आपरेशन योजना के अनुसार कार्यक्रम के अन्त में भी पुनर्निमित दूध चार महानगरों की डेरियों में संरक्षित रखे गए जिन्सों का दैनिक उपयोग करके 4,75,000 लिटर दूध सप्लाई किया जाना था। आपरेशन फ्लड 1 के दौरान उपहार में प्राप्त जिन्सों का औसतन दैनिक आयात लगभग 31.76 मीटरी टन सप्रेटा दुग्ध चूर्ण और 9.89 मीटरी टन बटर आयल था, जो कि प्रतिदिन 3.63 लाख मीटरी टन पुनर्निमित दूध के बराबर है।

नई दिल्ली में जल प्रदाय और मल निकासी व्यवस्था सम्बन्धी सम्मेलन

1155. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** : क्या **शहरी विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 1985 के तीसरे सप्ताह में नई दिल्ली में देश में जल प्रदाय और मल व्ययन व्यवस्था में लगे कर्मचारियों और इंजीनियरों का कोई सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ग) इसमें किन विषयों पर चर्चा हुई;

(घ) सम्मेलन में सरकार से यदि कोई सिफारिशें की गई तो वे क्या हैं; और

(ङ) उन पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, केन्द्रीय सरकार के विभागों/मंत्रालयों, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, द्विपक्षीय और अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों तथा गैर-सरकारी संगठनों के लगभग 142 प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया।

(ग) प्रथम चरण (1981-85) के दौरान शहरी जलपूर्ति, शहरी स्वच्छता और ग्रामीण स्वच्छता में इस दशक कार्यक्रम की प्राप्त प्रगति की समीक्षा की गई थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) के दौरान उपलब्ध संसाधनों को देखते हुए इस दशक की शेष अवधि के दौरान अपनायी जाने वाली कार्यवाही/पहुंच योजना तथा इस अवधि के दौरान सम्भावित उपलब्धियों पर विचार विमर्श किया गया था। इसके अतिरिक्त संसाधनों का चलन, मानव-शक्ति विकास, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा तैयार की गई योजनाओं को चलाना तथा अनुरक्षण करना, प्रबन्ध सूचना प्रणालियों, इस क्षेत्र के कार्यों में सामुदायिक सहयोग और गैर-सरकारी संगठनों को इस कार्य पर लगाना, जलकोटि की निगरानी और प्रयोगशाला सुविधायें, अनुसंधान तथा विकास इत्यादि जैसे पहलुओं पर भी चर्चा की गई थी।

(घ) राज्य योजना में शहरी जलपूर्ति और शहरी तथा ग्रामीण स्वच्छता के लिए नियतन में वृद्धि करने के सुझाव के अतिरिक्त इस सम्मेलन ने अधिकतम वास्तविक प्रगति को प्राप्त करने के उद्देश्य से उपलब्ध संसाधनों का भरपूर उपयोग करने की सिफारिश की। इस सम्मेलन ने वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण देने की प्रक्रिया तथा शर्तों की समीक्षा करने की भी सिफारिश की है। इसने शहरी जलपूर्ति और शहरी तथा ग्रामीण स्वच्छता के सभी पहलुओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्यों को मार्गदर्शन भी दिए उत्तर पूर्वी राज्यों, द्वीपों और आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों द्वारा महसूस की गई कठिनाइयों को दूर करने के लिए भी विशेष सिफारिशें की गई हैं।

(ङ) इस सम्मेलन द्वारा स्वीकार की गई सिफारिशों को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और संबंधित केन्द्रीय सरकारी विभागों/उपक्रमों को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर दिया गया है।

उड़ीसा में गोपालपुर में मत्स्य पालन

1156. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार से गोपालपुर में एक मत्स्य पत्तन स्थापित करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय मत्स्य तटीय इंजीनियरी संस्थान जिसने जून, 1985 में तकनीकी रिपोर्ट तैयार की है लगभग 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए चैनल के माध्यम से सफलतापूर्वक कार्य करने और वाणिज्यिक आवागमन के परिचालन का निरीक्षण करने की सलाह दी है और तब मत्स्य पत्तन की स्थापना करने पर विचार किया जाएगा यदि मछली पकड़ने वाले मौसम के दौरान मछली पकड़ने वाले जलयानों के नौवाहन की सुरक्षा के लिए चैनल को खुला रखा जाता है।

खानों में काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा

1157. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विभिन्न खानों में काम करने वाले मजदूरों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध नहीं है;

(ख) क्या सरकार ने खानों में काम करने वाले मजदूरों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों को कोई निर्देश जारी किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) खानों में मजदूरों को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अंजैया) : (क) खान अधिनियम, 1952 और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों में खानों में सुरक्षा, स्वास्थ्य और कामकाज की दशाओं के लिए पर्याप्त उपबन्ध हैं। वर्ष 1983 तथा 1984 के दौरान, इन उपबन्धों के उल्लंघन के लिए चलाए गए अभियोजनों की संख्या नीचे दी गई है :—

वर्ष	चलाए गए अभियोजनों की संख्या
1983	102
1984	94*

* अनन्तिम

(ख) से (घ) खान अधिनियम, 1952 और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबन्धों को खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा लागू किया जाता है, जो केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रण में है। सरकार खानों में सुरक्षा दशाओं पर लगातार निगरानी रखती है और खान सुरक्षा निरीक्षकों को समय-समय पर उचित अनुदेश जारी किए जाते हैं कि वे खानों में श्रमिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु निरन्तर और कारगर निरीक्षण करें।

चीनी मिलों की प्रतिष्ठापित क्षमता का उपयोग

1159. **श्री एम० रघुमा रेड्डी** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चीनी कारखानों की कुल प्रतिष्ठापित क्षमता क्या है तथा कारखाने-वार वास्तविक कुल उत्पादन कितना है;

(ख) यदि चीनी का उत्पादन प्रतिष्ठापित क्षमता के अनुसार नहो किया जा रहा है तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) राज्य-वार ऐसे कारखानों के नाम क्या हैं जो प्रतिष्ठापित क्षमता के अनुसार चीनी का उत्पादन नहीं कर रहे हैं; और

(घ) सरकार प्रतिष्ठापित क्षमता का पूरा उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही कर है जिससे चीनी के आयात पर व्यय होने वाली विदेशी मुद्रा बचाई जा सके ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ग) देश में चीनी फैक्ट्रियों की कुल स्थापित क्षमता 73.48 लाख मीटरी टन वार्षिक चीनी के उत्पादन की है। एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है जिसमें वर्ष 1984-85 (अक्तूबर-सितम्बर) के दौरान फैक्ट्रीवार स्थापित क्षमता और चीनी के वास्तविक उत्पादन का ब्योरा सभा पटल पर रख दिया गया है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—1534/85]

जिन फैक्ट्रियों ने स्थापित क्षमता तक चीनी का उत्पादन नहीं किया है, विवरण में उनके आगे * का निशान लगा दिया गया है। स्थापित क्षमता तक चीनी का उत्पादन न करने का मुख्य कारण चीनी फैक्ट्रियों को पर्याप्त मात्रा में गन्ना उपलब्ध न करना है।

(घ) सरकार ने स्थापित क्षमता के पूर्ण इस्तेमाल को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित पग उठाए हैं :—

1. 1985-86 मौसम के लिए गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य 8.5 प्रतिशत की मूल रिकवरी पर लेकिन जिसमें मूल स्तर से अधिक रिकवरी में प्रत्येक 0.1 प्रतिशत की वृद्धि के लिए आनुपातिक आधार पर प्रीमियम देने की व्यवस्था है, 14.00 रुपये से बढ़ाकर 16.50 रुपये प्रति क्विटल कर दिया गया है। इसके साथ-साथ 1986-87 मौसम के लिए भी सांविधिक न्यूनतम मूल्य की घोषणा कर दी गई है जोकि 8.5 प्रतिशत की रिकवरी पर 17.00 रुपये प्रति क्विटल है। यह इस तथ्य का सूचक है कि भारत सरकार स्वदेशी उत्पादन में वृद्धि करने के लिए पग उठा रही है। चालू चीनी वर्ष के दौरान, आशा है कि फैक्ट्रियां अखिल भारत आधार पर गन्ने का औसतन 24/- रुपये प्रति क्विटल का मूल्य अदा करने की स्थिति में होंगी जबकि पिछले मौसम में 21 रुपये और 22 रुपये प्रति क्विटल का मूल्य अदा किया गया था।

2. राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे प्रभावी विनियामक और विकास सम्बन्धी उपाय कर चीनी फैक्ट्रियों के लिए पर्याप्त मात्रा में गन्ना उपलब्ध करवाएं।

3. चीनी विकास निधि नियमों में गन्ना विकास के लिए ऋण-सहायता सुलभ करने की व्यवस्था है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से अनुरोध किया गया है कि वे गन्ने के मामले में अपने अनुसंधान कार्यक्रम में तेजी लाएं।

उपर्युक्त उपाय करने से चीनी का आयात करने की जरूरत में कटौती करने में मदद मिलेगी।

भू-संरक्षण और जल विभाजक (वाटर शेड) व्यवस्था के लिए राज-सहायता

1160. श्री एम० रघुमा रेड्डी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से भू-संरक्षण तथा जल विभाजक (वाटर शेड) व्यवस्था के लिए राज सहायता प्रदान करने हेतु योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है और वर्ष 1985-86 की योजना हेतु बजट में क्या आवंटन किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) अधिकतर भू-संरक्षण तथा पनधारा प्रबंध कार्यक्रमों के लिए कुछ वर्ष बीत जाने के बाद पर्याप्त निवेश तथा आमतौर से उपज के लाभ की जरूरत होती है। वर्तमान सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थितियों के तहत उन किसानों को, जिनके खेतों में ये कार्यक्रम क्रियान्वित किए जाते हैं, वित्तीय सहायता देनी होती है। राज्य सरकार इस प्रकार की मदद राज सहायता अनुदान के जरिए देती है, जबकि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता केन्द्रीय/केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के तहत केन्द्रीय सहायता के माध्यम से देती है।

(ख) और (ग) राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें मृदा तथा जल संरक्षण कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही हैं। राज सहायता अनुदान विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों पर निर्भर करता है और तदनुसार राज्यों द्वारा निर्णय किया जाता है। राज्य बजट में प्रावधान करते हैं और राज्य सहायता मृदा तथा जल संरक्षण संबंधी कार्यों तथा योजनाओं की विभिन्न किस्मों के लिए विभिन्न दरों पर दी जा रही हैं, जैसाकि संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राज्यों में विभिन्न मृदा तथा जल संरक्षण कार्यों के लिए दी जा रही राज-सहायता की वर्तमान पद्धति

(राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त हुए उत्तरों से संकलित)

कार्य मदें	राज्य/श्रेणियां	कुल लागत की रेंज	अधिकतम सीमा यदि कोई हो
1	2	3	4
1. किन्नर (कंटूर) बांध बनाना	1. अधिकतर राज्यों के लिए	25 प्रतिशत से 100 प्रतिशत	
	2. कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में छोटे तथा सीमांत किसानों के लिए	100 प्रतिशत	समान दर
2. सीढ़ीदार खेत बनाना	1. अधिक राज्यों के लिए	50 प्रतिशत—100 प्रतिशत	
	2. प० बंगाल में पर्वतीय विकास तथा नदी घाटी परि-योजना के स्रवण क्षेत्रों के लिए	100 प्रतिशत	
	3. नागालैंड में	2000 रु०/हैक्टेयर	
3. गली बंद करना	अधिकतर राज्यों में	100 प्रतिशत	
4. भूमि सुधार			
(क) लवणीय तथा क्षारीय मिट्टी	1. छोटे किसानों के लिए	75 प्रतिशत	
	2. अन्यों के लिए	25 प्रतिशत	समान दर
(ख) गैर-तटीय क्षारीय मिट्टी	महाराष्ट्र	25 प्रतिशत	

1	2	3	4
5. फार्म, तालाबों और अन्य जल उपयोग की संरचनाएं	1. अधिकतर राज्यों के लिए	25 प्रतिशत — 75 प्रतिशत	
	2. आन्ध्र प्रदेश में		
	छोटे किसान	50 प्रतिशत	5000 रु०
	अन्य	25 प्रतिशत	
	3. उत्तर प्रदेश में		
	छोटे किसान	100 प्रतिशत	
	अन्य	50 प्रतिशत	
6. भूमि समतलन	अधिकतर राज्यों में	22 प्रतिशत — 100 प्रतिशत	
7. खड्डों का सुधार	मध्य प्रदेश	50 प्रतिशत या 750 रु० प्रति हैक्टेयर (जो भी कम हो)	
8. नदी घाटी परि-योजना स्रवण क्षेत्र में मृदा संरक्षण	1. अधिकतर राज्यों में	50 प्रतिशत	
	2. आदिवासियों के लिए मध्य प्रदेश में	75 प्रतिशत	
9. झोरा (प्रचण्ड धारा) नियन्त्रण	पश्चिम बंगाल	100 प्रतिशत	
10. झूमखेती का नियंत्रण	1. भूमि विकास संबंधी कार्य	50 प्रतिशत	
	2. भूमि बचाव संबंधी कार्य	100 प्रतिशत	
11. कृषि विभाग द्वारा वन रोपण		100 प्रतिशत	
12. फार्म वानिकी तथा चारागाह विकास	1. छोटे किसान	50 प्रतिशत	
	2. नागालैण्ड तथा मेघालय	2500 रु०/हैक्टेयर	

पंजाब में चावल मिल मालिकों द्वारा धान की खरीद का बहिष्कार

1161. श्री एम० रघुमा रेड्डी
श्री सुभाष यादव
श्री धर्मपाल सिंह मलिक
: क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 10 अक्तूबर, 1985 के "इकोनोमिक टाइम्स" में प्रकाशित इस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि पंजाब के चावल मिल मालिकों ने राज्य में धान की खरीद का बहिष्कार करने तथा धान से चावल न निकालने का भी निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इससे धान उत्पादकों के हितों पर क्या प्रभाव पड़ा है और इस बारे में भारत सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पां० सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) जैसाकि रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है, बहिष्कार करने का कारण मिल मालिकों की मुख्यतया निम्नलिखित दो मांगों को अस्वीकार करना है :—

(1) मिलिंग प्रभार को 5.50 रुपये से बढ़ाकर 20/- रुपये प्रति क्विंटल करना; और

(2) लेवी चावल के वसूली मूल्यों को बढ़ाना।

(ग) सरकारी एजेन्सियों और मिल मालिकों द्वारा मंडियों में आ रही सभी धान को खरीदा जा रहा है। कस्टम मिलिंग प्रभार सामान्यतया राज्य सरकार और भारतीय खाद्य निगम द्वारा आपसी सहमति के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। चावल के वसूली मूल्यों को पर्याप्त समझा जाता है।

दूध की खपत में असमानता

1162. श्री एम० रघुमा रेड्डी
श्री मानिक रेड्डी
: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 20 अक्तूबर, 1985 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में स्टॉक डिस्पैरिटीज, इन मिल्क कन्जम्पशन शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो पूरे देश की आवश्यकता पूर्ति हेतु सरकार ने दूध के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए कितना धन आवंटित किया गया है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां। दूध की खपत उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति से संबंधित है। इसलिए निम्न आय जनसंख्या द्वारा दूध की प्रति व्यक्ति खपत दूध को प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय उपलब्धि से कम है।

(ख) देश में पशु विकास हेतु उनकी उत्पादकता में सुधार लाने के लिए अनेक केन्द्रीय और राज्य क्षेत्र की योजनाएं हैं। ये निम्नलिखित हैं; (1) सम्बन्धित पशु प्रजनन परियोजना (संकर सांडों का संतति परीक्षण) (2) केन्द्रीय हिमित वीर्य उत्पादन और प्रशिक्षण संस्थान, हैस्सरघाटा (3) विदेशी डेरी नस्लों के साथ पशुओं का संकर प्रजनन और आपरेशन फ्लड क्षेत्र से बाहर हिमित वीर्य की तकनीकों का उपयोग करके भैंसों की नस्लों में सुधार लाना; (4) अच्छी किस्म के स्वदेशी/संकर ओसर के उत्पादन के लिए चुनी हुई गोशालाओं को सहायता देना, (5) केन्द्रीय गोपशु प्रजनन कार्य, (6) केन्द्रीय पशुयूथ पंजीकरण योजना, (7) गहन गोपशु विकास परियोजना (आई०सी०डी०पी०) प्रमुख गांवों के ब्लाक, (9) राज्य गोपशु प्रजनन कार्य और (10) आपरेशन फ्लड परियोजना।

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गोपशु/भैंस विकास की केन्द्र और केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए आवंटित की जाने वाली प्रस्तावित धनराशि 16.80 करोड़ रुपये है। इसके अलावा आपरेशन फ्लड-2 दुग्ध उत्पादन के लिए तकनीकी आदान और रोग नियन्त्रण और दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अवसंरचना संबंधी सहायता उपलब्ध कराने के लिए 1 4.25 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

[हिन्दी]

जूट मिल का बन्द होना

1163. **श्री बनवारी लाल बैरवा** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री गौरी शंकर जूट मिल, श्याम नगर, 24 परगना, पश्चिम बंगाल को 9 दिसम्बर, 1981 से बन्द कर दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो मिल के बन्द होने के कारण बेरोजगार हुए श्रमिकों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है;

(ग) उक्त क्षेत्र में कुल कितनी पटसन मिलें हैं और उनमें से कितनी मिलें बन्द पड़ी हैं और कितनी मिलों में काम हो रहा है; और

(घ) कार्यरत मिलों में कार्य कर रहे श्रमिकों की तथा बन्द पड़ी मिलों में कार्य करने वाले श्रमिकों की मिल-वार संख्या कितनी है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, गौरी शंकर जूट मिल्स में 9 दिसम्बर, 1981 से तालाबन्दी चल रही है।

जून 1985 में, राज्य सरकार ने उक्त विवाद को न्याय-निर्णयन के लिए विनिर्दिष्ट करने के बाद, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 (3) के अधीन उक्त तालाबन्दी को जारी रखना प्रतिषिद्ध किया और उक्त प्रबन्धतन्त्र को मिल पुन: खोलने का निर्देश दिया। प्रबन्धतन्त्र ने राज्य सरकार के उक्त आदेश को कलकत्ता उच्च न्यायालय में चुनौती दी जिन्होंने राज्य सरकार के खिलाफ अंतरिम व्यादेश का आदेश जारी किया। यह मामला अब न्यायाधीन है।

(ग) और (घ) राज्य सरकार के अनुसार, इस क्षेत्र में 58 जूट मिलें हैं जिनमें से 3 मिलें स्थाई रूप से बन्द पड़ी है, 5 मिलों में तालाबन्दी चल रही है और 50 मिलें चालू हैं। एक विवरण संलग्न है जिसमें मिल-वार रोजगार सम्बन्धी ब्योरा दिया गया है।

विवरण

पश्चिम बंगाल की जूट मिलों में रोजगार

क्र० सं०	जूट मिल का नाम	नियोजित श्रमिकों की संख्या
1	2	3
(क)	चालू मिलें	
1.	एलिएन्स	4542
2.	टीटागढ़	6477
3.	ऑक्लैंड	3974
4.	एन० जे० एम० सी० (खारडाह)	4639
5.	एम० जे० एम० सी० (अलेक्जण्डरा)	2539
6.	एन० जे० एम० सी० (किन्नीसन)	5777
7.	एंग्लोइंडिया	7512
8.	रिलायन्स	4861
9.	कॉकीनरा	3340
10.	कामरहाट्टी	4332
11.	अगरापारा	3574
12.	प्रबारतम	1932
13.	केल्विन	2943

1	2	3
14.	गौरीपुर	6340
15.	हसीमारा	2517
16.	नफरचन्द	1657
17.	ईस्टर्न मैन्युफैक्चरिंग कं०	1889
18.	नेहाती	6665
19.	हुकमचन्द	8238
20.	नादिया	5448
21.	बारानगर	4657
22.	बैली नं० 2	1399
23.	एन० जे० एम० सी० (यूनियन)	2029
24.	कलकत्ता	938
25.	हुगली	3455
26.	फोर्ट विलियम	3198
27.	कनोरिया	2539
28.	फोर्ट ग्लोस्टर	7371
29.	डेल्टा	4522
30.	हुनमान	3843
31.	श्री अम्बिका	3844
32.	महादेव	851
33.	भारत	1854
34.	एन० जे० एम० सी० (नेशनल)	10,083
35.	हावड़ा	3498
36.	लुडलो	5023
37.	वेलिंगटन	3863

1	2	3
38.	इंडिया	4092
39.	अंग्स	4538
40.	विक्टोरिया	3692
41.	श्यामनगर	5029
42.	गोंडलवारा	4177
43.	डलहौजी	3180
44.	हेस्टिंग्स	4620
45.	गंगेज	6299
46.	न्यू सेंट्रल	10,930
47.	बिरला	4920
48	कैलेडोनियन	3075
49.	बज बज	3372
50.	चेवियट	6603
(ख)	तालाबन्द मिलें	
1.	गौरी शंकर	2300
2.	नार्थ ब्रुक*	3100
3.	एम्पायर*	1900
4.	मेसना	6100
5.	बैली	4200
(ग)	स्थायी रूप से बन्द मिलें	
1.	प्रेम चन्द	2000
2.	नसकरपारा	2500
3.	श्री राम	915

*समापनाधीन

[अनुवाद]

ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्र योजनाओं के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को रोजगार

1164. **श्री आर० एम० भोये** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्र योजनाओं के शुरू होने से लेकर अब तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने व्यक्तियों को इस योजना के अन्तर्गत रोजगार दिया गया है; और

(ख) महाराष्ट्र राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत द्वितीयक (उद्योग) क्षेत्रक में सहायता-दत्त परिवारों का प्रतिशत निम्नलिखित है :—

वर्ष	द्वितीयक क्षेत्रक के अन्तर्गत सहायता-दत्त परिवारों का प्रतिशत
1980-81	2.32
1981-82	4.92
1982-83	16.70
1983-84	13.02
1984-85	15.70

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के परिवारों के कार्यश: रोजगार की निगरानी इस कार्यक्रम के अन्तर्गत नहीं की जाती है।

(ख) उसी अवधि के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत महाराष्ट्र में प्रथम, द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्रक में सहायता-दत्त अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के परिवारों की संख्या 3.09 लाख थी।

पश्चिम बंगाल में स्व-रोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण

1165. **श्री भोला नाथ सेन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी योजनावधि के दौरान पश्चिम बंगाल में स्व-रोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं

के प्रशिक्षण के अन्तर्गत युवाओं के प्रशिक्षण के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल के लिए निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में वास्तविक उपलब्धि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) स्वरोजगार के ग्रामीण युवकों के प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत कितने ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया और प्रशिक्षण के बाद उनमें से कितने युवाओं ने वास्तव में स्वरोजगार शुरू किया अथवा व्यापार शुरू किया।

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) छठी योजना अवधि में, ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण देने की योजना के अन्तर्गत गरीबी की रेखा से नीचे बसर कर रहे परिवारों से चुने गए युवाओं को ही प्रशिक्षण दिया गया। यह अनुमान लगाया गया था कि प्रति वर्ष हर विकास खण्ड में कम से कम 40 युवाओं को कुशलता का प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि वे अपने रोजगार के धन्धे स्थापित कर सकें।

(ख) छठी योजना अवधि में, पश्चिम बंगाल में ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण देने की योजना के अन्तर्गत 23667 युवा प्रशिक्षित किए गए थे।

(ग) आवश्यक सूचना नीचे दी गई है :—

(1) प्रशिक्षित ग्रामीण युवाओं की संख्या	23,667
(2) स्वरोजगार में लगे प्रशिक्षित युवाओं की संख्या	4,373
(3) मजदूरी पर लगे प्रशिक्षित युवाओं की संख्या	,725

केन्द्रीय मंत्रियों के आवासों पर हुआ व्यय

1166. **श्री सी० जंगा रेड्डी**
डा० ए० के० पटेल
: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक केन्द्रीय मंत्री के दिल्ली आवास की मरम्मत, रख-रखाव और फर्नीचर पर जनवरी-अक्तूबर, 1985 की अवधि के दौरान कितनी धनराशि खर्च हुई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक आवास पर आये बिजली और पानी के बिलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन प्रथम 20 केन्द्रीय मंत्रियों के नाम क्या हैं जिन पर इस प्रकार का खर्च किया गया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) से (ग) यह सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रखा दी जाएगी।

"टेलीविजन पर प्रायोजित कार्यक्रम में मनमानी" शीर्षक के अन्तर्गत समाचार

1167. श्री विलास मुत्तेमवार
श्री लक्ष्मण मलिक
श्री कमला प्रसाद सिंह
: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "टेलीविजन पर प्रायोजित कार्यक्रमों में मनमानी" शीर्षक से दिनांक 19 अक्तूबर, 1985 के दैनिक "जनसत्ता" में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो टेलीविजन पर प्रसारित होने वाले प्रायोजित कार्यक्रमों को किस स्तर पर अनुमति प्रदान की जाती है और क्या इन कार्यक्रमों को दूरदर्शन पर प्रदर्शित करने से पूर्व दूरदर्शन प्राधिकारियों द्वारा देखा जाता है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां।

(ख) महानिदेशक, दूरदर्शन अन्तिम अनुमोदन प्राधिकारी हैं। इस प्रकार के कार्यक्रमों का दूरदर्शन के नामोदिष्ट अधिकारियों द्वारा अनिवार्य रूप से प्रिव्यू किया जाता है।

बाल श्रमिक

1168. श्री अमर सिंह राठवा
श्री चिन्तामणि जैना
: क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बाल श्रमिकों के बारे में लगभग 12 अधिनियम ऐसे हैं जिनमें मुख्य रूप से एक निश्चित आयु से कम उम्र के बच्चों को नियोजित करने पर रोक लगाई गई है, परन्तु बाल श्रमिकों के कल्याण के लिए कोई कानून नहीं है।

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि 90 प्रतिशत बाल श्रमिक कृषि क्षेत्र और असंगठित उद्योगों में काम कर रहे हैं, जहां वर्तमान कानून लागू होते हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का बाल श्रमिकों के स्वास्थ्य, शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के सम्बन्ध में उनके कल्याण के लिए कोई कानून बनाने का विचार है और यदि हां, तो कब ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अंजैया) : (क) ऐसे कई अधिनियम हैं जो विभिन्न नियोजनों में किसी निश्चित आयु से कम उम्र के बच्चों के नियोजन को प्रतिबिद्ध और विनियमित करते हैं। लेकिन स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि जैसे कल्याण पहलू इन अधिनियमों के अधीन नहीं आते।

(ख) 1971 में हुई जनगणना के अनुसार, अनुमानतः कुल बाल श्रमिकों के 80 प्रतिशत

बाल श्रमिक कृषि क्षेत्र में नियोजित हैं। बाल श्रमिकों के नियोजन को प्रतिबिद्ध या नियमित करने से सम्बन्धित कानून संगठित और असंगठित क्षेत्रों दोनों के कुछ विशिष्ट नियोजनों पर लागू होते हैं।

(ग) ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन है।

मदर डेयरी, दिल्ली के कर्मचारियों के वेतनमानों का संशोधन

1169. **डा० जी० विजय रामा राव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार द्वारा सम्भावित मदर डेयरी, दिल्ली ने अपने कर्मचारियों के वेतनमानों में एकपक्षीय संशोधन किया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है,

(ख) क्या संशोधित वेतनमानों से कुछ श्रेणियों के कर्मचारियों के वेतनों में असंगतियां और असंतुलन पैदा हो गया है और जिसके लिए कर्मचारियों ने अभ्यावेदन दिए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) मदर डेयरी, दिल्ली ने, जिसकी व्यवस्था राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा की जाती है, द्विपक्षीय समझौते के बाद संयुक्त संवर्ग कर्मचारियों के वेतनमान संशोधित किये हैं। पूर्व-संशोधित वेतनमान तथा संशोधित वेतनमान नीचे दिए गए हैं :—

पूर्व-संशोधित वेतनमान	संशोधित वेतनमान
260-5-285-द०रो०-5-310-द०रो०-6-400	480-12-576-13-680
285-6-315-द०रो०-7-350-द०रो०-7-420	540-13-657-14-755
305-7-326-द०रो०-8-390-11-445	575-14-673-16-817
350-9-395द०रो०-13-460-13-512	660-17-779-19-950
370-13-435-द०रो०-13-500-द०रो०-15-560	680-19-851-23-1012
455-15-530-द०रो०-15-575-18-701	795-23-956-33-1253
470-16-550-द०रो०-20-790	810-27-972-37-1342
550-25-750-द०रो०30-900	930-45-1200-55 1750

(ख) और (ग) मदर डेयरी ने रिपोर्ट दी है कि उन्हें वेतनमानों के संशोधन के कारण पैदा हुई किसी असंगति तथा असंतुलन की जानकारी नहीं है। एक कर्मचारी ने मदर डेयरी को लिखा है कि वेतनमानों के संशोधन के बाद उसे अपने कनिष्ठ कर्मचारी की तुलना में कम वेतन मिल रहा है। तथापि, कर्मचारी ने अपने कथन के समर्थन में कोई विवरण नहीं दिया है। मदर डेयरी ने उसे सलाह दी है कि वह विवरण प्रस्तुत करे ताकि वे इस मामले की जांच कर सकें।

पान मसाला का विज्ञापन

1170. **डा० जी० विजय रामा राव**
श्री अनिल बसु } : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पान मसाला के विज्ञापनों की अनुमति दे रही है, जिसे दंत शोधकर्ताओं ने गले में गम्भीर खराबी पैदा करने वाला ठहराया है और इससे कैंसर का रोग हो सकता है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे विज्ञापनों पर प्रतिबन्ध न लगाए जाने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) स्वास्थ्य मंत्रालय ने परामर्श दिया है कि ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि पान मसाला मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अत: इन विज्ञापनों पर प्रतिबन्ध लगाने का कोई औचित्य नहीं है।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को छूट

1171. **श्री शरद दिघे** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी संख्या में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को कर्मचारी राज्य बीमा योजना से छूट दिये जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के अनेक उपक्रमों ने इस आधार पर कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के उपबंधों के प्रवर्तन से छूट प्रदान करने के लिए आवेदन किया है कि उनके कर्मचारियों को अपनी योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्ध लाभ, कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत उपलब्ध लाभों की अपेक्षा अधिक अनुकूल हैं। इन आवेदनपत्रों पर छूट प्रदान करने की सामान्य नीति को ध्यान में रखते हुए गुण-दोष (मेरिट) के आधार पर विचार किया जाएगा।

मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में दुग्ध योजनाओं को चिकनाई रहित (स्किम्ड) दूध पाउडर की सप्लाई

1172. **श्री सुभाष यादव**
श्री धर्मपाल सिंह मलिक } : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में चल रही दुग्ध सप्लाई योजनाओं को चिकनाई-

रहित (स्किम्ड) दूध पाउडर सप्लाई करने का कोई प्रस्ताव भारतीय दुग्ध निगम के विचाराधीन है;

(ख) क्या मध्य प्रदेश की राज्य सरकार को यह पाउडर खुले बाजार से बहुत अधिक ऊंचे मूल्य पर खरीदने के लिए बाध्य होना पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार आदिवासी क्षेत्रों में दुग्ध सप्लाई योजनाओं को और अधिक चिकनाई रहित (स्किम्ड) दूध का पाउडर सप्लाई करने का है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) ऐसा कोई विशिष्ट प्रस्ताव भारतीय डेयरी निगम के विचाराधीन नहीं है। भारतीय डेयरी निगम विभिन्न उपयोगकर्ता डेयरियों को सप्रेटा दुग्ध चूर्ण और बटर आयल/मक्खन आवंटित करता है। आबंटन के तरीके का फैसला हर वर्ष भारतीय डेयरी निगम द्वारा जिस की उपलब्ध मात्रा, मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में स्थित सार्वजनिक और सहकारी क्षेत्र की उपयोगकर्ता डेयरियों द्वारा की गई मांग और इन डेयरियों द्वारा दूध की अधिप्राप्ति के आधार पर किया जाता है।

(ख) और (ग) राज्य सरकार से इस आशय की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, भारतीय डेयरी निगम मध्य प्रदेश राज्य के डेयरी संयंत्रों को लगभग 1800 मी० टन सप्रेटा दुग्ध चूर्ण पहले ही आवंटित कर चुका है।

अखबारी कागज नीति

1173. **श्री चिन्तामणि जैना** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के लिए अखबारी कागज नीति की घोषणा न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या भारतीय और पूर्वी समाचार पत्र संघ ने अखबारी कागज नीति की घोषणा में विलम्ब पर गहरी चिन्ता व्यक्त की है; और

(ग) नई अखबारी कागज नीति की घोषणा कब तक हो जाएगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) वर्ष 1985-86 के लिए अखबारी कागज आबंटन नीति की घोषणा करना सम्भव नहीं हुआ है, क्योंकि सरकार एक ऐसी नीति तैयार करने का प्रयास कर रही है जो कुछ मौजूदा कमियों को दूर करेगी।

(ख) जी, हां।

(ग) इसकी घोषणा शीघ्र ही कर दिए जाने की उम्मीद है।

भविष्यत कालिक तथा विज्ञान पर आधारित कार्यक्रम तैयार करना

1174. श्री एस० एम० भट्टम : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन का विचार भविष्यतकालिक तथा विज्ञान पर आधारित कार्यक्रम तैयार करने का है;

(ख) क्या देश का नई सदी में मार्गदर्शन करने के लिए शिक्षा तथा संस्कृति आदि के क्षेत्र में धारावाहिक वृत्त-चित्र बनाने के लिए बड़े पैमाने पर कदम उठाने का विचार है;

(ग) क्या "रामायण" तथा "महाभारत" पर भी धारावाहिक वृत्त-चित्र बनाने की सम्भावना है; और

(घ) क्या दूरदर्शन द्वारा अन्य अभिनव तथा नये कार्यक्रम दिखाए जाएंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) से (ग) जी, हां।

(घ) नये कार्यक्रमों को शुरू करना दूरदर्शन का सतत प्रयास रहता है तथा यह एक सतत प्रक्रिया है। 16-11-1985 से दूरदर्शन ने मुख्यतया महिलाओं, बच्चों तथा युवकों के लिए 2 घंटे की अवधि के लिए दोपहर में नैटवर्क प्रेषण शुरू किया है। एक घंटे की अवधि की "कारामोस" नामक एक अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति का विज्ञान धारावाहिक 1-12-1985 से टेलीकास्ट करने के लिए चुना गया है। राष्ट्रीय एकीकरण को बढावा देने के लिए "स्टेट्स आफ दि यूनियन" नामक एक नया धारावाहिक विभिन्न राज्यों के बारे में सर्वज्ञान के रूप में सूचना देगा।

पश्चिम बंगाल के शहरों का विकास

1175. श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के योजना परिव्यय में एक लाख से कम आबादी वाले लघु और मध्यम म्युनिसिपल शहरों में एकीकृत विकास के लिए कोई प्रावधान किया गया था;

(ख) यदि हां, तो किए गए प्रावधानों, केन्द्र द्वारा आबंटित राशि और राज्य सरकार द्वारा इस्तेमाल की गई वास्तविक राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धियों की स्थिति क्या है; और

(घ) यदि कोई कमी हुई है, तो उसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां। इस योजना के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल में अनुमोदित 20 कस्बों को प्रत्येक के लिए 55 लाख रुपये की राशि उपलब्ध है जहां परियोजना लागत 80 लाख रुपये या इससे अधिक है। इसमें कम लागत की स्वच्छता योजनाओं के लिए 15 लाख रुपये भी शामिल हैं।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) केन्द्रीय ऋण सहायता (कम लागत की स्वच्छता को छोड़कर) के रूप में 800 लाख रुपये (40 × 20) की उपलब्धता के विपरीत 525.32 लाख रुपये 65.5 प्रतिशत की केन्द्रीय सहायता रिलीज की गई थी। कम लागत की स्वच्छता योजनाओं के लिए भी 149.87 लाख रुपये की राशि रिलीज की गई थी। बताया गया व्यय 351.5 लाख रुपये है जो कि केन्द्रीय सहायता जमा राज्य के समान अंश का 33.4 प्रतिशत है।

(घ) यह योजना नई थी तथा इस ने पूर्ण गति से चलने में कुछ समय लिया।

विवरण

छठी योजना के दौरान छोटे तथा मध्यम वर्ग के कस्बों के एकीकृत विकास के लिए केन्द्र द्वारा प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल में नियमित 20 कस्बों को प्रत्येक के लिए रिलीज की गई केन्द्रीय सहायता के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं।

क्रम सं०	कस्बे का नाम	रिलीज की गई केन्द्रीय सहायता (लाख रुपयों में)	बताया गया व्यय (लाख रुपयों में)
1	2	3	4
1.	खड़गपुर	48.31	23.98
2.	मिदनापुर	14.30	6.11
3.	बांकुरा	21.00	14.10
4.	कालिमपोंग	23.21	29.40
5.	कूच बिहार	48.26	26.01
6.	पुरुलिया	17.51	9.98
7.	इंगलिश बाजार	35.34	32.00
8.	कृष्णा नगर	28.03	16.80

1	2	3	4
9.	सूरी	28.19	21.63
10	तारकेश्वर	26.62	21.00
11.	जलपाई गुड़ी	16.85	14.60
12.	सिलीगुड़ी	13.80	12.75
13.	दार्जिलिंग	26.19	11.20
14.	बराहमपुर	24.02	15.68
15.	वेलूरघाट	35.32	40.00
16.	विशनपुर	28.83	9.00
17.	बशीर हाट	17.38	8.70
18.	रायगंज	30.13	13.00
19.	राणाघाट	19.47	8.00
20.	कटुवा	22.56	17·11
	योग :	525.32	351.05

रेडियो स्टेशनों का विस्तार

1176. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में कतिपय रेडियो स्टेशनों का प्रसारण क्षेत्र बढ़ाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में स्थित ऐसे रेडियो स्टेशनों के नाम क्या हैं जिन्हें अधिक शक्तिशाली बनाने का प्रस्ताव है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव का अन्य ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण			
क्रम सं०	स्थान	मौजूदा शक्ति	प्रस्तावित शक्ति
1	2	3	4
	मीडियम वेव ट्रांसमीटरों की शक्ति बढ़ाना		
1.	इलाहाबाद (उ० प्र०)	1 किलोवाट	2 × 10 किलोवाट
2.	जबलपुर (म० प्र०)	20 किलोवाट	2 × 100 किलोवाट
3.	पणजी (गोवा)	10 "	100 "
4.	फसीघाट (अरुणाचल प्रदेश)	अल्प शक्ति वाला ट्रांसमीटर	10 "
5.	तेजू (अरुणाचल प्रदेश)	अल्प शक्ति वाला ट्रांसमीटर	10 किलोवाट
6.	जालंधर (पंजाब)	50 किलोवाट	300 "
7.	जम्मू (जम्मू व कश्मीर)	50 "	300 "
8.	सूरतगढ़ (राजस्थान)	20 "	300 "
9.	अहमदाबाद	50 किलोवाट मीडियम वेव	2 × 100 किलोवाट मीडियम वेव
10.	बंगलौर	50 " "	2 × 100 कि० मी० वेव
11.	दिल्ली	100 " "	2 × 100 " "
12.	बम्बई "ए"	20 " "	100 "
13.	बम्बई "बी"	50 " "	100 "
14.	कलकत्ता "बी"	50 " "	100 "
15.	जयपुर	20 " "	100 "
16.	तिरूचि	50 " "	100 "
17.	त्रिचूर	20 " "	100 "

1	2	3	4
18.	वाराणसी	10 किलोवाट	100 किलोवाट
19.	विजयवाड़ा	20 " "	100 "
20.	बीकानेर	10 " "	2× 10 "
21.	मद्रास "सी"	2.5 किलोवाट	2× 10 किलोवाट
22.	भोपाल "ए"	1 "	10 "
23.	कलकत्ता "सी"	2.5 "	10 "
24.	श्रीनगर	1 "	10 "
25.	जम्मू "बी"	1 "	10 "
26.	लखनऊ "सी"	1 "	10 "
27.	तवांग (अरुणाचल प्रदेश)	अल्प शक्ति वाला ट्रांसमीटर	10 किलोवाट
	शार्ट वेव ट्रांसमीटरों की शक्ति बढ़ाना		
1.	दिल्ली	10 किलोवाट	50 किलोवाट
2.	कोहिमा (नागालैंड)	2 "	50 "
3.	भोपाल	10 "	50 "
4.	बम्बई	10 "	50 "
5.	कलकत्ता	10 "	50 "
6.	गोहाटी	10 "	50 "
7.	हैदराबाद	10 "	50 "
8.	खुर्सियांग	20 "	50 "
9.	खामपुर 2 संख्या	20 "	50 "
10.	लखनऊ	10 "	50 "
11.	शिमला	2.5 "	50 "
12.	मद्रास	10 "	50 "
13.	श्रीनगर	7.5 किलोवाट	50 किलोवाट

दूरदर्शन नेटवर्क का विस्तार

1177. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण तथा जनजातीय क्षेत्रों में दूरदर्शन का विस्तार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है;

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस प्रयोजन के लिए कितनी राशि आबंटित करने का प्रस्ताव है; और

(ग) जनजातीय क्षेत्रों में कितने नये रिले केन्द्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है और वह कब तक कार्य करना आरम्भ कर देंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बी० एन० गाडगिल) : (क) दूरदर्शन के विस्तार के लिए दूरदर्शन की सातवीं योजना में जिसका लक्ष्य देश की 80 प्रतिशत जनसंख्या को दूरदर्शन सेवा उपलब्ध करना है, ग्रामीण, आदिवासी, सीमावर्ती और अन्य दूरस्थ क्षेत्रों में दूरदर्शन सुविधाओं की व्यवस्था करने पर विशेष जोर दिया गया है।

(ख) मोटे तौर पर, सातवीं योजना में दूरदर्शन के विकास के लिए 700 करोड़ रुपये के कुल योजना परिव्यय में से 515 करोड़ रुपये ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में दूरदर्शन सेवा उपलब्ध करने के लिए खर्च किये जाने की संभावना है।

(ग) आदिवासी क्षेत्रों में लगभग 58 दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने का प्रस्ताव है। तथापि कुछ अन्य ट्रांसमीटर भी, जो गैर-आदिवासी क्षेत्रों में स्थापित हैं, आदिवासी क्षेत्रों में दूरदर्शन सेवा उपलब्ध करेंगे। इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन उन वर्ष-वार चरणबद्धताओं और अग्रताओं पर निर्भर करेगा जो योजना आयोग द्वारा स्वीकृत की जाएं।

समाचार पत्रों को विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के विज्ञापन

1178. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजी भाई मावणि** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय ने गुजरात तथा देश के अन्य भागों में 1.1.1984 से 31.10.1985 तक कुछ दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक पत्रिकाओं को दिये गये विज्ञापनों का नवीकरण किया है या ताजा विज्ञापन दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के समाचार पत्रों के नाम और उनका अन्य ब्यौरा क्या है;

(ग) डी० ए० वी० पी० विज्ञापन देने के मापदण्ड नियम और विनियम क्या हैं;

(घ) उपरोक्त अवधि के दौरान विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के विज्ञापनों पर कितना व्यय किया गया है; और

(ङ) अन्य दृश्य प्रचार निदेशालय के विज्ञापन इस समय किस दर पर दिये जाते हैं और 1982, 1983 और 1984 के दौरान किन दरों पर दिये गये थे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क), (ख) और (घ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) समाचार पत्रों को सरकारी विज्ञापन भारत सरकार की विज्ञापन नीति के अनुसार ही जारी किए जाते हैं जिसकी प्रति सभा पटल पर रखी है।

[**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी०** 1535/85]

(ङ) समाचार पत्रों को सरकारी विज्ञापनों की पेशकश स्वीकृत दर ढांचे के अनुसार ही की जाती हैं। ये दरें विभिन्न श्रेणियों के समाचार पत्रों के बीच अलग-अलग होती हैं। जब कि ये दरें वर्ष 1982, 1983, 1984 के दौरान अपरिवर्तित रहीं, उनमें 1 सितम्बर, 1985 से 30 प्रतिशत तक उपरि वृद्धि की गई है।

अनिवासी भारतीयों को विदेशी मुद्रा पर प्लाटों का आबंटन

1179. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने मकान बनाने के लिए विदेशी मुद्रा पर प्लाट देने के लिए अनिवासी भारतीयों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है और अनिवासी भारतीयों को आबंटित करने के लिए कौन सा क्षेत्र निर्धारित किया गया है; और

(ग) प्रत्येक भू-खण्ड का न्यूनतम/अधिकतम क्षेत्र क्या है और आवेदन पत्र के साथ कितनी राशि जमा करानी है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने मकानों के निर्माण के लिए विदेशी मुद्रा में प्लाटों के आबंटन के लिए कोई आवेदन पत्र आमंत्रित नहीं किए थे।

मद्रास और कलकत्ता दूरदर्शन से दूसरा चैनल आरम्भ करना

1180. श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कलकत्ता और मद्रास से दूरदर्शन का दूसरा चैनल आरम्भ करने का निर्णय लिया है;

(ख) सरकार द्वारा यह कार्य कब तक पूरा कर लिए जाने की आशा है; और

(ग) क्या सरकार का विचार हैदराबाद दूरदर्शन से भी दूसरा चैनल आरम्भ करने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां।

(ख) वर्तमान आशाओं के अनुसार, इन केन्द्रों में अन्तरिम द्वितीय चैनल सेवा के 1986 में चालू हो जाने की उम्मीद है।

(ग) जी, नहीं।

आन्ध्र प्रदेश में कृषि के लिए उन्नत केन्द्र

1181. श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राजेन्द्र नगर आन्ध्र प्रदेश में कृषि शिक्षा और अनुसंधान प्रबंध के लिये उन्नत केन्द्र अथवा भारतीय कृषि अनुसंधान प्रबंध एकाडेमी (एन० ए० ए० आर० एम०) स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस केन्द्र पर क्या लागत आयेगी; और

(ग) यह केन्द्र कब तक स्थापित हो जाएगा ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

हरियाणा और आन्ध्र प्रदेश द्वारा पेडिग्री रेम्स का आयात

1182. श्री बी० तुलसी राम : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा सरकार ने केन्द्रीय सरकार से साउथ डाउन के पेडिग्री रेम्स तथा डोरेस्ट

होमंस सफोक स्ट्रेन्स का आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो हरियाणा सरकार के अनुरोध पर क्या निर्णय किया गया है;

(ग) क्या विदेशों से रैमों का आयात करके भेड़-पालन में विकास करने हेतु सरकार से भी इसी प्रकार का अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (घ) हरियाणा और आन्ध्र प्रदेश सरकारों से साउथ डान और डार्सेट हार्न्स/सफोक नस्ल को उन्नत किस्मों के मेढ़ों को आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा रिलीज करने के वास्ते कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

कृषि विश्वविद्यालयों को सहायता

1183. **श्री बी० सोभनाद्रीश्वर राव :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में कृषि विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय-वार कितनी राशि का अनुदान सहायता उपलब्ध कराने का विचार है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को आंध्र प्रदेश सरकार के कृष्णा जिले के चलापल्ली में चावल टैलों, दलहन कार्यक्रम के अंतर्गत अनुसंधान और विकास कार्य के लिए दलहन अनुसंधान केन्द्र की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने सातवीं योजना के दौरान "राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना" और "कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना और विकास" नामक दो योजनाओं के अन्तर्गत राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को सहायता के रूप में अस्थाई आबंटन किया है। इन योजनाओं की लागत क्रमशः 65.00 करोड़ रु० और 36.62 करोड़ रुपये है। "कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना और विकास" योजना के अन्तर्गत प्रत्येक कृषि विश्वविद्यालय को आबंटन का निर्णय ई०एफ०सी० ज्ञापन-पत्र निकलने के बाद ही किया जाएगा। "राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना" योजना के अन्तर्गत, विभिन्न जलवायवीय क्षेत्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं पर आधारित उप-परियोजनाएं कृषि विश्वविद्यालयों से ली जाती है तथा बारिकी से मूल्यांकन करने के पश्चात स्वीकृति दी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत अलग-अलग कृषि विश्वविद्यालयों के लिए कोई निश्चित आबंटन नहीं है।

(ख) आन्ध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के चल्लापल्ली में दलहन अनुसंधान केन्द्र की स्थापना के

लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

भूमिहीन लोगों के लिए पक्के घरों का निर्माण

1184. **श्री वी० सोभनाद्रीश्वर राव :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना अवधि के दौरान केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत भूमिहीन निर्धन लोगों को स्थायी मकानों के निर्माण की सामाजिक आवास योजना के लिए राज्यवार कितनी राशि दिये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) केन्द्रीय क्षेत्र के लिए निर्धारित राशि में से राज्यवार अनुदान का अंश और ऋण का अंश कितना-कितना है; और

(ग) 1983-84, 1984-85 वर्षों में भूमिहीन लोगों को स्थायी मकानों के क्षेत्र में लक्ष्य और उपलब्धियां क्या हैं?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख) ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के लिए आवास का निर्माण करने के लिए वर्ष 1985-86 के दौरान 100 करोड़ रुपये की धनराशि आबंटित की गई है। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के लिए पूरी वित्तीय सहायता केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाती है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के लिए आवास के निर्माण हेतु राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्रवार आबंटन संलग्न विवरण—1 में दर्शाया गया है।

इसके अलावा, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत ग्रामीण आवास स्थलों व निर्माण योजना के लिए 576.90 करोड़ रुपये की राशि और दी गई है। इसकी राज्य-वार सूचना संलग्न विवरण—2 में दर्शाई गई है।

ग्रामीण आवास स्थलों व निर्माण योजना के अन्तर्गत लक्ष्य तथा उपलब्धियां नीचे दी गई हैं :—

योजना	लक्ष्य		उपलब्धि	
	1983-84	84-85	1983-84	1984-85
			(आंकड़े लाख में)	
1. आवास स्थलों का आबंटन (परिवारों के लिए)	8.73	7.98	11.78	10.35
2. निर्माण के लिए सहायता (परिवारों के लिए)	5.56	4.73	3.64	4.33

विवरण—1

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के लिए आवास हेतु आबंटन

(लाख रुपये में)

क्रम सं०	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	धनराशि
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	982.00
2.	असम	215.00
3.	बिहार	1417.00
4.	गुजरात	320.00
5.	हरियाणा	85.00
6.	हिमाचल प्रदेश	60.00
7.	जम्मू और कश्मीर	74.00
8.	कर्नाटक	467.00
9.	केरल	459.00
10.	मध्य प्रदेश	725.00
11.	महाराष्ट्र	791.00
12.	मणिपुर	11.00
13.	मेघालय	15.00
14.	नागालैण्ड	10.00
15.	उड़ीसा	448.00
16.	पंजाब	137.00
17.	राजस्थान	238.00
18.	सिक्किम	8.00
19.	तमिलनाडु	887.00

1	2	3
20.	त्रिपुरा	33.00
21.	उत्तर प्रदेश	1697.00
22.	पश्चिम बंगाल	768.00
23.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	8.00
24.	अरुणाचल प्रदेश	8.00
25.	चण्डीगढ़	2.00
26.	दादरा और नगर हवेली	4.00
27.	दिल्ली	4.00
28.	गोवा, दमन और दीव	9.00
29.	लक्षद्वीप	2 00
30.	मिजोरम	8.00
31.	पांडिचेरी	8.00
	योग	9900.00
	प्रायोगिक ग्राम आवास, अनुसंधान तथा विकास	100.00
		10000.00

विवरण—2

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत सातवीं योजना में ग्रामीण आवासों हेतु परिव्यय

क्रम सं०	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	ग्रामीण आयात (करोड़ रुपये में)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	215.00
2.	असम	14.00

1	2	3
3.	बिहार	14.00
4.	गुजरात	63.00
5.	हरियाणा	4.25
6.	हिमाचल प्रदेश	—
7.	जम्मू और कश्मीर	3.00
8.	कर्नाटक	75.00
9.	केरल	12.00
10.	मध्य प्रदेश	48.00
11.	महाराष्ट्र	50.00
12.	मणिपुर	—
13.	मेघालय	0.05
14.	नागालैण्ड	—
15.	उड़ीसा	10.00
16.	पंजाब	3.00
17.	राजस्थान	8.00
18.	सिक्किम	—
19.	तमिलनाडु	35.00
20.	त्रिपुरा	2.00
21.	उत्तर प्रदेश	20.00
22.	पश्चिम बंगाल	6.00
23.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	—
24.	अरुणाचल प्रदेश	—
25.	चंडीगढ़	—
26.	दादरा और नगर हवेली	0.20

1	2	3
27.	दिल्ली	0.50
28.	गोआ, दमन और दीव	0.40
29.	लक्षद्वीप	—
30.	मिजोरम	0.10
31.	पांडिचेरी	1.50
	योग :	576.90

फिल्म वित्त निगम द्वारा फिल्म निर्माताओं को वित्तीय सहायता

1185. **श्री वी० सोमनाद्रीश्वर राव**
श्री मानिक रेड्डी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फिल्म वित्त निगम ने देश में इसके गठन किए जाने के समय से फिल्म निर्माताओं तथा अन्यों को कुल कितनी वित्तीय सहायता दी है;

(ख) 31 अक्तूबर, 1985 को प्रत्येक फिल्म निर्माता और अन्यों के विरुद्ध फिल्म वित्त निगम के ऋण की कितनी राशि बकाया थी;

(ग) क्या इसे वसूल करने के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) उनमें से कुछ से वसूली में ढील बरतने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रोजगार के लिए विदेशों में भेजे गए श्रमिक

1186. **श्री चित्त महाता** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1980 से 31 अक्तूबर, 1985 के मध्य विदेशों में रोजगार के लिए कितने श्रमिकों को भेजा गया है; और

(ख) सरकार ने श्रमिकों की भरती करने वाले उन गैर-सरकारी एजेन्टों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की है जिन्होंने विदेशों में रोजगार पाने के इच्छुक व्यक्तियों को ठगा है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) जनवरी, 1980 से 31 अक्तूबर, 1985 तक रोजगार के लिए विदेशों में भेजे गए श्रमिकों की संख्या 13.23 लाख है।

(ख) श्रमिकों को धोखा देना उत्प्रवास अधिनियम, 1983 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत संज्ञेय अपराध है। जब कभी श्रमिकों को धोखा देने का मामला इस मन्त्रालय के ध्यान में लाया जाता है तो उस मामले को पुलिस को निर्दिष्ट किया जाता है। अब तक 13 भर्ती एजेन्टों का पंजीकरण निलम्बित किया गया है।

कोयला खानों और खानों में श्रमिकों पर बुरा प्रभाव पड़ना

1187. **श्री चित्त महाता** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खानों, खानों तथा स्टोन क्रैशरों से निकलने वाली धूल से श्रमिकों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो इन क्षेत्रों में पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रभावित मजदूरों की संख्या क्या है और उनकी सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अंजैया) : (क) श्रमिकों के स्वास्थ्य पर तब प्रभाव पड़ता है जब वे खानों में, जिनमें स्टोन क्रैशर भी शामिल हैं, एअर बोर्न डस्ट से प्रभावित होते हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कोयला और गैर कोयला खानों में प्रभावित श्रमिकों की संख्या नीचे दी गई हैं :—

वर्ष	कोयला खानें	गैर कोयला खानें
1982	86	3
1983	72	14
1984	58	2

श्रमिकों को धूल के खतरों से बचाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(i) एअर बोर्न डस्ट के मानदन्ड निर्धारित किए गए हैं।

(ii) प्रबन्धकों के लिए यह आवश्यक है कि खानों में धूल को दबाने के, जिनमें पानी छिड़कना भी शामिल है, उपायों की व्यवस्था करें।

(iii) जहां धूल को सुरक्षित सीमा तक नहीं दबाया जा सकता वहां मुख्य खान निरीक्षक खान प्रबन्धतन्त्रों से कह सकता है कि वे श्रमिकों को उचित स्वसित्र प्रदान करे।

दूध में विटामिन ए मिलाया जाना

1188. **श्री चिन्त मोहन :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मदर डेरी और दिल्ली दुग्ध योजना दूध में विटामिन "ए" मिला रहे हैं और यदि हां, तो क्या ऐसा पोषण अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद के अनुरोध पर आरम्भ किया गया था;

(ख) क्या दूध में विटामिन "ए" मिलाए जाने के फायदों के सम्बन्ध में कोई अध्ययन किए गए हैं; और

(ग) क्या सरकार दूध में विटामिन "ए" मिलाए जाने की पुनरीक्षा केवल दिल्ली में करेगी और वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय नीति बनाएगी ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) मदर डेरी, दिल्ली और दिल्ली दुग्ध योजना उनके द्वारा सप्लाई किए गए दूध में खाद्य विभाग के खाद्य और पोषण बोर्ड की सलाह पर सपरेटा दूध में विटामिन "ए" जोड़ रहे हैं।

(ख) जी, हां। देश में विटामिन ए की कमी पोषण सम्बन्धी मुख्य समस्याओं में से एक है। इस कमी से अन्धापन हो सकता है। यदि दैनिक आहार में इस विटामिन की अपेक्षित मात्रा को उपलब्ध कराया जा सका तो इसे रोका जा सकता है। सपरेटा दूध को पुष्ट करने के लिए इसमें प्रति लीटर विटामिन ए 2000 इंटरनैशनल यूनिटों के सकेन्द्रण पर मिलाया जाना है।

(ग) खाद्य विभाग, भारत सरकार दूध में विटामिन ए जोड़ने की स्कीम की समीक्षा समय-समय पर करती है और कार्यान्वियन के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से इस स्कीम की अच्छी प्रतिक्रिया मिली है।

भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन चिह्न

1189. **श्री चिन्त मोहन :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अधिक वस्तुओं को भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन चिह्न के अन्तर्गत शामिल करने का है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या यह सच है कि भारतीय मानक संस्थान प्रभावी जांच-पड़ताल द्वारा उपभोक्ताओं को संरक्षण देने में लापरवाही कर रहा है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी हां। भारतीय मानक संस्था की अनिवार्य प्रमाणन चिह्न योजना के अन्तर्गत 15 नवम्बर, 1985 तक

93 उत्पादों को लाया जा चुका है। सरकार का आम खपत की और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा तथा सुरक्षा के लिए अधिक वस्तुओं जैसे जी० एल० एस० लैम्पों, कागज, क्लीनिकल थर्मामीटरों, उर्वरकों, आदि को धीरे-धीरे इसके अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव है।

(ख) जी नहीं। भारतीय मानक संस्था अपनी गुणवत्ता प्रमाणन चिह्न योजना को कार्यान्वित करने के लिए क्रियाविधि के अनुसार काम करती है। विनिर्माताओं को गुणवत्ता नियंत्रण के सिद्धांतों तथा तकनीकों पर आधारित परीक्षण तथा निरीक्षण की योजना अपनानी होती है। भारतीय मानक संस्था द्वारा किए जाने वाले पर्यवेक्षण में भारतीय मानक संस्था के अधिकारियों द्वारा कारखाने का अचानक निरीक्षण करना, फैक्टरी में नमूनों का परीक्षण करना, भारतीय मानक संस्था में अथवा अनुमोदित प्रयोगशालाओं में स्वतंत्र जांच के लिए कारखाने तथा बाजार से नमूने लेना और प्रयोक्ताओं से मिलने वाली शिकायतों की जांच करना शामिल है। जब कभी वस्तुएं भारतीय मानकों के अनुरूप नहीं पाई जाती हैं, भारतीय मानक संस्था द्वारा उपयुक्त कार्यवाही की जाती है।

पश्चिम बंगाल को खाद्य तेल की सप्लाई

1190. डा० फूलरेणु गुहा : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सांविधिक राशन क्षेत्र के लिए 1984-85 के दौरान और अक्तूबर, 1985 तक पश्चिम बंगाल को खाद्य तेल की कुल कितनी मात्रा सप्लाई की गई;

(ख) क्या खाद्य तेल की अनुपलब्धता के बारे में पश्चिम बंगाल से कोई शिकायत प्राप्त हुई थी; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कारंवाई की गई ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) तेल वर्ष 1984-85 (नवम्बर, 1984 से अक्तूबर, 85 तक) के दौरान पश्चिम बंगाल को 1,08,500 मीटरी टन आयातित खाद्य तेल आबंटित किया गया था। इस अवधि के दौरान इसकी 95,533 मीटरी टन मात्रा उठायी गई। राज्य सरकार विशिष्ट क्षेत्रों के लिए आगे आबंटन करती है।

(ख) और (ग) पश्चिम बंगाल से राज्य में विशिष्ट स्थानों पर आयातित खाद्य तेल भेजने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए थे। केन्द्रीय सरकार के अनुदेशों पर राज्य व्यापार निगम ने सप्लाई पहुंचाने के लिए तत्काल कार्यवाही की।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा असुरक्षित मकानों का आबंटन

1191. डा० कृपासिन्धु भोई : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 4 सितम्बर, 1985 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "डी० डी० ए० अलाट्स

अनसेफ हाउसिंग" शीर्षक से छपे समाचार को देखा है और बताए कि क्या समाचार में उल्लिखित मकानों को घटिया किस्म का पाया गया है;

(ख) क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के एक दल द्वारा की गई जांच में इन मकानों को असुरक्षित घोषित किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) यह खबर विकासपुरी में मध्यम आय वर्ग के 224 मकानों से सम्बन्धित है जिनमें से मध्यम आय वर्ग के 15 मकान 28-12-82 तथा 30-12-82 के मध्य गिरे थे। दिल्ली विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष/दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के भूतपूर्व निर्माण महानिदेशक, श्री बी० आर० वैश की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई थी। इस समिति ने प्रयोग में लाई गई सामग्री की कोटि तथा कारीगरी में कुछ त्रुटियां नोट कीं।

इसकी सामान्य धारणा यह थी कि कार्य की कोटि निकृष्ट थी और कोटि के महत्व की कमी और दोषी ठेकेदारों तथा पर्यवेक्षी स्टाफ के विरुद्ध अपर्याप्त कार्यवाही के कारण ये आम त्रुटियां बार-बार उत्पन्न होती रहती हैं। इसने महसूस किया कि कुछ मकान, जिस प्रकार बनाये गये थे, संरचनात्मक रूप से सुदृढ़ नहीं थे। जैसे कि सुझाव दिया गया था सभी ब्लाकों को सुदृढ़ बना दिया गया था और आई० आई० टी० दिल्ली के माध्यम से एक भार-परीक्षण किया गया था। भार-परीक्षण के बाद और सुदृढ़ बनाने के उपाय सुझाये गये थे। इन्हें सभी फ्लैटों के लिए अपनाया गया था और आई० आई० टी० द्वारा एक अन्य भार परीक्षण किया गया था जिन्होंने संरचना को सुरक्षित घोषित किया जिसके बाद फ्लैटों को आबंटन के लिए रिलीज कर दिया गया है।

बिजली गिरने और वर्षा से पंजाब/हिमाचल प्रदेश में नुकसान

1192. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लोगों को जुलाई और अगस्त, 1985 के महीनों में वर्षा और बिजली गिरने के कारण अनुमानत: कितना नुकसान हुआ;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा इनमे से प्रत्येक राज्य को राहत के लिए कितनी धनराशि दी गई है;

(ग) क्या नुकसान का अनुमान लगाने के लिए इन राज्यों में कोई केन्द्रीय दल भेजा गया था; और

(घ) यदि हां, तो दल द्वारा लगाए गए अनुमान का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है और उनकी सिफारिशों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश के राज्यों से मिली जानकारी के अनुसार 1985 के दक्षिण-पश्चिमी मानसूनों के दौरान हुई वर्षा और बिजली गिरने के कारण हुई क्षति की मात्रा नीचे दी गई है :

मद	पंजाब	हिमाचल प्रदेश
(1) मृत व्यक्तियों की संख्या	128	33
(2) मरे पशुओं की संख्या	1629	1238
(3) क्षतिग्रस्त/नष्ट हुए घरों की संख्या	368637	7376
(4) प्रभावित गांवों की संख्या	4320	12534
(5) प्रभावित जिलों की संख्या	12	12

(ख) से (घ) बाढ़ तथा भारी वर्षा के कारण उत्पन्न हुई स्थिति का मौके पर जायजा लेने के लिए केन्द्रीय दल ने 5 से 8 अगस्त, 1985 तक पंजाब का दौरा किया। केन्द्रीय दल की रिपोर्ट तथा राहत सम्बन्धी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर 60.88 करोड़ रुपये की अधिकतम केन्द्रीय सहायता मंजूर की गई है।

हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने अत्यधिक वर्षा तथा भारी बाढ़ों आदि के लिए केन्द्रीय सहायता मांगने हेतु ज्ञापन भेजा है। इन विपदाओं के कारण उत्पन्न हुई स्थिति का मौके पर जायजा लेने तथा स्थिति का सामना करने के लिए राज्य सरकार द्वारा मांगी गई केन्द्रीय सहायता के सम्बन्ध में केन्द्रीय दल शीघ्र ही दौरा करेगा। दल की रिपोर्ट मिल जाने के बाद राज्य सरकार को केन्द्रीय सहायता की राशि मंजूर की जाएगी।

दिल्ली की पुनर्वास कालोनियों में प्लाटों की बिक्री

1193. **श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी० डी० ए० ने वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए जमीन के प्लाटों की बिक्री और दिल्ली में वर्ष 1960 से पुनर्वास कालोनियों में गन्दी बस्तियों के निवासियों को बसाने के लिए किए गए प्लाटों के आबंटन सम्बन्धी रिकार्ड अभिलेख को समुचित रूप से रखा है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और समुचित रिकार्ड रखने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि पुनर्वास कालोनियों में वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए बेची

गई भूमि/लाइसेंस फीस आधार पर आबंटित भूमि, लीज होल्ड आधार पर आबंटित संस्थानिक भूमि और लाइसेंस फीस आधार पर आबंटित रिहायशी प्लाटों का रिकार्ड रखा गया है और उसका अनुरक्षण मलिन बस्ती तथा झुग्गी झोंपड़ी विभाग द्वारा किया जा रहा है। तथापि पुनर्वास कालोनियों में मलिन बस्ती निवासियों को टेनामैंटों के आबंटन से सम्बन्धित रिकार्ड को मलिन बस्ती तथा झुग्गी झोंपड़ी विभाग के दिल्ली सुधार न्यास से दिल्ली विकास प्राधिकरण और फिर दिल्ली विकास प्राधिकरण से दिल्ली नगर निगम में तथा दिल्ली नगर निगम से दिल्ली विकास प्राधिकरण में अंतरित होने के कारण खो गया, बताया गया है। इन रिकार्डों को पूरा करने के लिए दिल्ली विकास प्रधिकरण द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं।

फिल्मी गीतों के प्रसारण के लिए अदा किया जाने वाला शुल्क

1194. **प्रो० के० बी० थामस :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फिल्मी गीतों के प्रसारण के लिए कितनी राशि अदा की जाती है;

(ख) क्या सभी फिल्मी गीतों के लिए समान राशि अदा की जाती है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) फिल्म निर्माताओं को प्रति प्रसारण प्रत्येक गीत के लिए शुल्क/रायल्टी के रूप में 2/- रुपए का भुगतान किया जा रहा है।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

चीनी का उत्पादन और खपत

1195. **श्री जगन्नाथ प्रसाद :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1978-79, 1979-80, 1981-82, 1982-83 तथा 1983-84 के दौरान चीनी का कुल कितना उत्पादन हुआ और कितनी खपत हुई;

(ख) इन वर्षों के दौरान उपभोक्ताओं को कोटा प्रणाली के अन्तर्गत चीनी किस दर पर सप्लाई की जा रही थी तथा खुले बाजार में चीनी का मूल्य क्या था; और

(ग) वर्ष 1978-79 और 1979-80 की तुलना में 1981-82 और 1982-83 के दौरान चीनी का मूल्य अधिक होने के क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) 1978-79 चीनी वर्ष और उसके बाद से चीनी के उत्पादन और उत्पादन की तुलना में खपत की प्रतिशतता के आंकड़े नीचे दिए जाते हैं :—

(लाख मी० टन में)

चीनी वर्ष	उत्पादन	उत्पादन की तुलना में आन्तरिक खपत की प्रतिशतता
1978-79	58.44	105.77
1979-80	38.59	134.83
1981-82	84.38	67.68
1982-83	82.32	78.71
1983-84	59.16	127.96

आन्तरिक खपत के लिए चीनी की निर्मुक्ति कुल उपलब्धता पर निर्भर करती है जिसमें पिछला बचा स्टाक, उत्पादन और आयात शामिल होते हैं। 1978-79 और 1983-84 के प्रारम्भ को पिछला बचा हुआ भारी स्टाक होने के कारण और 1979-80 के दौरान मामूली आयात करने से इन वर्षों के दौरान वास्तविक उत्पादन से अधिक खपत हुई थी।

(ख) दोहरी मूल्य निर्धारण प्रणाली के साथ वर्तमान आंशिक नियन्त्रण की नीति को 17 दिसम्बर, 1979 से पुनः लागू किया गया था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित करने के लिए लेवी चीनी का एक समान खुदरा मूल्य निम्नलिखित तारीखों से निम्नानुसार निर्धारित किया गया था : —

(रुपये/किलो)

17.12.79	से	2:85
1.12.80	से	3.50
15.11.81	से	3.65
1.12.82	से	3.75
1.02.84	से	4.00

16 अगस्त, 1978 से 16 दिसम्बर, 1979 तक चीनी पर कोई नियन्त्रण नहीं था।

चीनी वर्ष 1978-79 से 1983-84 के दौरान प्रमुख मंडियों में साप्ताहिक थोक मूल्यों के रेंज का विवरण सभा पटल पर रखा गया।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये, संख्या एल० टी०—1536/85]

(ग) चीनी वर्ष 1978-79 के दौरान पूर्ण विनियन्त्रण की नीति, जो कि 16 अगस्त, 1978 को प्रभावी हुई थी, 16 दिसम्बर, 1979 तक चलती रही। विनियन्त्रण की इस अवधि के दौरान चीनी के खुले बाजार के मूल्य असाधारण रूप से कम हो गए थे क्योंकि अधिकांश अवधि के लिए आपूर्ति और मांग के बराबर मासिक निर्मुक्तियां करने का कोई तन्त्र नहीं था। चीनी के मूल्यों में फैक्ट्रियों द्वारा वहन की गई चीनी की लागत भी शामिल नहीं थी। इन कार्यचालनों की अकुशलता के कारण गन्ने के उत्पादन में 1978-79 में (—) 14.3 प्रतिशत और 1979-80 में (—) 15.1 प्रतिशत की सीमा तक गिरावट आई। चीनी के उत्पादन में 1978-79 में (—) 9.6 प्रतिशत और 1979-80 में (—) 34 प्रतिशत की गिरावट आई। अतः कम मूल्य केवल क्षणिक ही रहे और उनमें 1980-81 में वृद्धि हुई। गन्ने के उत्पादन में वृद्धि करने और इसी प्रकार चीनी के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए किए गए कई एक उपायों से 1981-82 में देश चीनी के एक बड़े उत्पादक के रूप में उभरा। उस समय इसने 84.38 लाख मीटरी टन चीनी का उत्पादन किया जो कि 63.9 प्रतिशत अधिक थी। उसी वर्ष गन्ने के उत्पादन में 20.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 1982-83 में गन्ने के उत्पादन में 1.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई और उत्पादन 82.32 लाख मीटरी टन के ऊंचे स्तर पर बना रहा। यद्यपि 1981-82 और 1982-83 के मौसमों में खुले बाजार के मूल्य 1978-79 और 1979-80 के मौसमों की तुलना में ऊंचे दिखाई देते हैं, लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि 1981-82 और 1982-83 के दौरान उत्पादकों को 13.46 से 27.50 रुपये प्रति क्विंटल के रेंज में गन्ने के मूल्य अदा किए गए थे जबकि 1978-79 के दौरान 8.50 से 17.90 रुपये प्रति क्विंटल के रेंज में मूल्य अदा किए गए थे।

[हिन्दी]

"खरीफ क्राप, आयल सीड्स वर्स्ट हिट इन महाराष्ट्र" शीर्षक से समाचार

1196. श्री बनवारी लाल पुरोहित
श्री उत्तम राठौड़
: क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11 अक्तूबर, 1985 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "खरीफ क्राप, आयल सीड्स वर्स्ट हिट इन महाराष्ट्र" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को कोई सहायता प्रदान की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार का महाराष्ट्र सरकार को पुनः क्या सहायता करने का विचार है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एक केन्द्रीय दल ने 19 से 23 नवम्बर, 1985 तक राज्य का दौरा किया। केन्द्रीय दल की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद केन्द्रीय सहायता की रकम मंजूर की जाएगी, तथापि, प्रभावित क्षेत्रों में राहत सम्बन्धी उपायों के लिए सीमान्त धनराशि अग्रिम साधनोपाय तथा केन्द्रीय भागीदारी के रूप में 28.72 करोड़ रुपए की रकम निर्मुक्त की गई है।

प्याज और आलू के मूल्य में वृद्धि

1197. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राजधानी और इसके साथ लगने वाले स्थानों में प्याज और आलू के मूल्य दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस मूल्य वृद्धि के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने सरकारी एजेंसियों और सहकारी समितियों के माध्यम से उचित मूल्य पर प्याज और आलू उपलब्ध कराए जाने के लिए कोई कदम उठाये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) राजधानी और निकटवर्ती राज्यों में प्याज के थोक मूल्यों में निरन्तर वृद्धि का रुख रहा है क्योंकि मुख्य रूप से इस वर्ष महाराष्ट्र के नासिक जिले में प्याज की फसल देर से हुई है। तथापि, आलू की नई फसल के आने के परिणामस्वरूप राजधानी के निकटवर्ती राज्यों के कुछ महत्वपूर्ण बाजारों में आलू के थोक मूल्यों में कमी आनी शुरू हो गई है।

(ग) और (घ) दिल्ली में सुपर बाजार ने चलते फिरते वाहनों के जरिए आलू और प्याज सहित फलों और सब्जियों की बिक्री शुरू कर दी है। राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ने फलों और सब्जियों के लिए अनेक खुदरा केन्द्र खोले हैं। ये केन्द्र इसकी परियोजना के अन्तर्गत खोले गये हैं, जो अन्ततः प्रति वर्ष 1.2 लाख मीटरी टन फलों और सब्जियों के विपणन के लिए 200 ऐसे खुदरा केन्द्र खोलने के लिए तैयार की गई है। सुपर बाजार और राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के खुदरा केन्द्रों के जरिए बेचे गये आलू और प्याज उपभोक्ताओं को उचित मूल्यों पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) दिल्ली नागरिक आपूर्ति निगम को थोक दरों पर आलू और प्याज उपलब्ध कराता है जो बाजार मूल्यों की तुलना में काफी कम है। नेफेड राज्य सरकारों को भी यह सुविधा देने के लिए मान गया है, जिन्हें नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा इस बारे में सूचित कर दिया गया है।

[हिन्दी]

भूमि का अधिकतम उपयोग करने सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति

1198. प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश की 32 करोड़ और 80 लाख हैक्टेयर भूमि का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने हेतु एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने का है और यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ;

(ख) क्या देश विशेषकर राजस्थान के कुछ भागों को अकाल की स्थिति से बचाने की दृष्टि से वर्षा के जल को इकट्ठा करने और उसका उपयोग करने के लिए कोई व्यवस्था करने का प्रस्ताव है; और

(ग) क्या मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रिपोर्ट क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) भूतपूर्व "राष्ट्रीय भू संसाधन संरक्षण और विकास आयोग" की सिफारिशों के अनुसरण में राष्ट्रीय भू-उपयोग नीति की रूपरेखा का मसौदा तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन अप्रैल, 1984 में किया गया था। विशेषज्ञ समिति द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय भू-उपयोग नीति की रूपरेखा के मसौदे की मुख्य ये बातें हैं -- भूमि की उत्पादकता का सुधार व संरक्षण, समग्र उत्पादन बढ़ाना, नाजुक पारिस्थितिकी तन्त्र का संतुलन बनाए रखना, भूमि और जल चक्रों का सुसंगत अन्तर्सम्बन्ध, अच्छी कृषि भूमि को अन्य कार्यों के लिए इस्तेमाल किए जाने को रोकना, आदि।

भूतपूर्व आयोग के स्थान पर गठित किए राष्ट्रीय भू-उपयोग और संरक्षण बोर्ड ने 17 अक्तूबर, 1985 को हुई अपनी पहली बैठक में विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार किया। एक राष्ट्रीय भू-उपयोग नीति विवरण तैयार करने के लिए श्री बी० बी० वोहरा, अध्यक्ष, ऊर्जा सलाहकार बोर्ड, की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया, जो अन्य बातों के साथ-साथ लोगों की हिस्सेदारी और प्रेरणा व प्रोत्साहन जैसे मुद्दों के अलावा, भू-उपयोग व प्रबन्ध को अधिकतम करने में विज्ञान और प्रौद्योगिकी आदानों की भूमिका पर भी विचार करेगी। राष्ट्रीय भू-उपयोग और संरक्षण बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय भू-उपयोग नीति विवरण को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद, इससे ही राष्ट्रीय भू-उपयोग नीति के कार्यान्वयन की कार्य योजना का स्वरूप सामने आएगा।

(ख) पानी की कमी, सूखा और भू-संरक्षण के खतरों से निपटने के लिए इस्तेमाल की जा रही पैकेज पद्धतियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वर्षा-जल का संरक्षण और उपयोग करना है। कार्यक्रम सामान्यतः भा० कृ० अ० प० के विभिन्न संस्थानों, उदाहरणार्थ, केन्द्रीय मृदा और जल संरक्षण अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्र, देहरादून, केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर और केन्द्रीय

बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद द्वारा प्राप्त अनुसंधान परिणामों के प्रकाश में समेकित पन-धारा प्रबन्ध/विकास के आधार पर कार्यान्वित किए जाते हैं। नमी-संरक्षण, जल उपयोग और वर्षा जल को पुन: इस्तेमाल करने की पद्धतियों वाले कुछ प्रमुख विकासात्मक कार्यक्रम, जो देश में, और खास तौर पर राजस्थान में चल रहे हैं, निम्नलिखित हैं :—

(1) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम

(2) मरू विकास कार्यक्रम

(3) बारानी खेती के इलाकों के लिए जल संरक्षण/उपयोग प्रौद्योगिकी का प्रसार।

(4) नदीघाटी परियोजनाओं के स्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण।

(5) बाढ़ प्रवण नदियों के स्रवण क्षेत्रों में समेकित पनधारा प्रबन्ध।

केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर ने खासतौर पर राजस्थान के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास किया है, जिनके द्वारा एक छोटी पनधारा से खेत की तलैया में पानी जमा किया जा सकता है और उसे फसल उगाने के लिए एक या दो सिंचाई करने के काम में लाया जा सकता है। राजस्थान में क्रमिक योजना-अवधियों में सिंचाई की सुविधाओं को बढ़ाया गया है। पहली पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में राजस्थान में जहां 15 लाख हैक्टेयर क्षमता थी, वहीं, छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त में समग्र क्षमता 38 लाख हैक्टेयर थी।

(ग) अखिल भारतीय समन्वित मृदा परीक्षण और फसल प्रतिक्रिया परियोजना के तहत, विभिन्न फसलों के लिए उर्वरकों के प्रयोग के बारे में सिफारिश करने के लिए मृदा उर्वरता-मूल्यांकन और सह-सम्बन्ध अध्ययन किए जाते हैं। पर्याप्त उर्वरकों की सिफारिश करके मृदा की उत्पादकता को बनाए रखने के लिए मृदा और फसल सम्बन्धी विभिन्न संस्थानों में अनुसंधान प्रयासों के साथ-साथ समन्वित परियोजनाएं चल रही हैं, ताकि भूमि की उर्वरता के स्तर को कायम रखा जा सके।

[अनुवाद]

बागान मजदूरों के लिए मकान हेतु राज्यों को सहायता

1199. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों की यह राय है कि बागान मजदूरों के लिए मकानों की व्यवस्था करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा दी गई धनराशि बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इन राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सहायता की अधिकतम सीमा में वृद्धि करने के लिए अभ्यावेदन किया है और;

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) से (घ) बागान श्रमिकों की सहायता प्राप्त आवास योजना के अन्तर्गत निर्माण की विद्यमान अधिकतम लागतों के संशोधन के लिए कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इस सम्बन्ध में कोई निर्णय लेने से पूर्व विभिन्न तथ्यों पर विस्तृत विचार करना अपेक्षित होगा।

नारियल का उत्पादन

1200. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अधिक उपज देने वाली नारियल के बीज और पौध जैसी नारियल लगाने की सामग्री की अपर्याप्त उपलब्धता नारियल का उत्पादन बढ़ाने में मुख्य बाधा है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या विशेष प्रयास किए जा रहे हैं;

(ग) क्या राष्ट्रीय निगम ने अभी तक इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अच्छी किस्म के बीज और पौध उपलब्ध कराने में राष्ट्रीय बीज निगम को सहयोग प्राप्त करने का है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) देश में नारियल उत्पादन की वृद्धि के बाधक घटकों में से एक घटक रोपण सामग्री की कमी है।

(ख) क्षेत्रीय पौधशालाएं कर्नाटक, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, गोवा तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह राज्यों तथा कर्नाटक तथा तमिलनाडु के नये बीज के फार्मों में स्थापित की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, बागानी फसल केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान कसारगोड तथा राज्य बागवानी/कृषि विभाग भी अपने पौध उत्पादन बढ़ा रहे हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) फिलहाल के लिए इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, भारतीय राज्य फार्म निगम नारियल के उत्तम रोपण सामग्री का उत्पादन कर रहा है।

राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम द्वारा कम लागत के मकानों का निर्माण

1201. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय भवन संगठनों ने एक प्रयोगिक योजना बनाई है। देश में कम

लागत की गृह-निर्माण परियोजनाएं निर्मित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में कम लागत के मकान बनाने की भी कोई नई प्रौद्योगिकी अपनाई गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) राष्ट्रीय भवन (निर्माण) संगठन अपनी प्रयोगात्मक आवास योजना के अन्तर्गत प्रदर्शन आधार पर मकानों के निर्माण का कार्य करता है। इस योजना का आरम्भ एक प्लान स्कीम के रूप में 1963 में किया गया था। परियोजनायें संघ तथा राज्य सरकारों द्वारा प्रवर्तित की जाती हैं तथा प्रवर्तित अभिकरण को कितनी अनुदान सहायता दी जानी है, इस बारे में निर्णय के लिए जांच तथा अनुमोदन प्रयोगात्मक आवास मूल्यांकन समिति द्वारा दिया जाता है। अब तक इस योजना के अन्तर्गत 43 परियोजनाओं को आरम्भ किया गया है जिनमें 52 नयी निर्माण तकनीकों, सामग्री तथा डिजाइन संकल्पनाओं का प्रयोग किया गया है। इसके फलस्वरूप निर्माण लागत तथा दुर्लभ सामग्री की खपत में मितव्ययिता हुई है।

(ग) जी, हां। पूर्व बलित ईंट पैनल, छतों के पैनल, राख निर्मित छत की सीटें, अग्नि को धीमा करने के लिए घास-फूस की छतों का उपचार, जल रोधी मिट्टी का पलस्तर इत्यादि जैसी कुछ नई तकनीकें अपनाई गई हैं।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गन्दी बस्तियों में रहने वालों के कल्याण के लिए विशेष कार्यक्रम के लिए राज्यों को अनुदान

1202. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गन्दी बस्तियों में रहने वाले व्यक्तियों के कल्याण का कोई विशेष कार्यक्रम है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राज्यों को दिये जाने वाले केन्द्रीय प्रोत्साहन अनुदान का ब्योरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) शहरी मलिन बस्ती पर्यावणीय सुधार की राज्य क्षेत्र योजना 7वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान भी जारी रखी जा रही है।

(ख) इस योजना के अन्तर्गत राज्यों को फिलहाल केन्द्रीय प्रोत्साहन अनुदान देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

शहरी गरीब लोगों के लिए समेकित विकास पैकेज योजना

1203. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा शहरी गरीब लोगों के लिए समेकित विकास पैकेज योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या शहरी गरीब लोगों के लिए इस समेकित विकास पैकेज योजना की लागत का खर्च केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों द्वारा वहन किया जाएगा;

(ग) क्या सरकार का विचार है कि सातवीं योजना में शहरी गरीब लोगों को बुनियादी सेवायें प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रारम्भ करने का है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कौन-कौन-सी योजनायें हैं; और

(ङ) इस योजना के कार्यान्वयन पर कुल कितनी धनराशि खर्च की जाएगी ?

शहरी विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। शहरी मूलभूत सेवा योजना के अन्तर्गत परियोजना लागत को यूनिसेफ/राज्य सरकार और स्थानीय निकायों/केन्द्रीय सरकार द्वारा 40:40:20 के अनुपात में बांटा जायेगा।

(ग) और (घ) सातवीं योजना में शहरी गरीबों को मूलभूत सुविधायें मुहैया कराने के लिए सरकार का शहरी मूलभूत सेवा योजना आरम्भ करने का प्रस्ताव है।

(ङ) यूनिसेफ ने पांच वर्षों के लिए 9.2 मिलियन डालर सहायता की वचनबद्धता दी है। इसी के बराबर की राशि राज्य सरकारों/स्थानीय निकायों द्वारा व्यय की जायेगी। केन्द्रीय सरकार का सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 5 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रस्ताव है।

भारतीय श्रमिक सम्मेलन

1204. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 14 वर्षों के लम्बे अन्तरकाल के पश्चात नवम्बर में भारतीय श्रमिक सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में चर्चा के लिए क्या कार्यसूची थी;

(ग) क्या सम्मेलन में औद्योगिक रुग्णता और उद्योगों के बन्द किये जाने के बारे में चर्चा की गई थी; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) से (घ) भारतीय श्रम सम्मेलन का 28वां अधिवेशन 25 और 26 नवम्बर, 1985 को होने जा रहा है। इसका 27वां अधिवेशन वर्ष 1971 में हुआ था। उद्योग में रुग्णता को कार्यसूची की मद में शामिल किया गया है। कार्यसूची मदों की सूची विवरण में संलग्न है।

विवरण

1. औद्योगिक सम्बन्ध स्थिति का पुनरीक्षण।

2. उद्योग में रुग्णता।

3. प्रबन्धतन्त्र में श्रमिक सहभागिता और वैधानिक उपबन्धों का प्रश्न।

4. सुरक्षा और स्वास्थ्य।

5. उपदान बीमा योजना।

6. न्यूनतम मजदूरी।

7. व्यापक बाल श्रमिक विधेयक।

8. कल्याण निधियां।

9. कर्मचारी राज्य बीमा निगम और कर्मचारी भविष्य निधि के बारे में टिप्पणियां।

10. भारतीय श्रम सम्मेलन में श्रमिक संगठनों में प्रतिनिधित्व के लिए मानदण्ड।

पशु प्रजनन सम्बन्धी भारत-स्विटजरलैंड परियोजना का विस्तार

1205. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने स्विटजरलैंड की नस्ल से संकर नस्ल द्वारा पशुओं के विकास के लिए भारत-स्विटजरलैंड परियोजना के विस्तार हेतु कोई पुनरीक्षित प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा उस पर क्या निर्णय लिया गया है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने उस प्रस्ताव में किन्हीं संशोधनों का सुझाव दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रस्ताव का क्या परिणाम निकला ?

कृषि और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) केरल में गोपशु प्रजनन संबंधी भारत-स्विटजरलैंड परियोजना का विस्तार करने के लिए संशोधित प्रस्ताव स्विटजरलैंड विकास सहकारिता को भेजा गया है।

(ग) केरल राज्य सरकार के परामर्श से संशोधित प्रस्ताव को अंतिम रूप देते समय (1) चारा बीज उत्पादन तथा परीक्षण संबंधी सुविधाओं का विकास (2) संकर नस्ल के सांडों की उत्पत्ति करने के लिए हिमित वीर्य का आयात (3) तरल नमजन संयंत्रों के लिए फालतू पुर्जे (4) कम्पुटराईजिंग

मिल्क रिकार्डिंग आदि के लिए अपेक्षित नर्म/सख्त तथा अन्य उपस्कर और (5) प्रशिक्षण केन्द्र का सुदृढ़ीकरण के लिए कुछ आवश्यक प्रावधानों को बनाने के संबंध में संशोधन किए गए थे।

(घ) स्विस प्राधिकारियों की सहमति की प्रतीक्षा है।

आपरेशन फ्लड तीन (श्वेत क्रांति) के लिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय से सहायता

1206. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय आर्थिक समुदाय आगामी पांच वर्षों के दौरान आपरेशन फ्लड-तीन (श्वेत क्रांति-तीन) परियोजना के लिए निरन्तर वस्तु सहायता प्रदान करके भारत के दुग्ध विकास प्रयासों का समर्थन देने के लिए तैयार है;

(ख) यदि हां, तो आपरेशन फ्लड-प्रथम परियोजना तथा उसके बाद वाली परियोजना के लिए भारत सरकार द्वारा प्राप्त की गई सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस संबंध में विशिष्ट प्रस्तावों पर सरकार द्वारा उचित रूप से विचार किया गया है ?

कृषि और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) यूरोपीय आर्थिक समुदाय से आगामी पांच वर्षों के दौरान आपरेशन फ्लड (श्वेत क्रांति) परियोजना के लिए जिस सहायता प्रदान करने का कोई संकेत प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) आपरेशन फ्लड-1 विश्व खाद्य कार्यक्रम की सहायता से क्रियान्वित किया गया था। तथापि, यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने आपरेशन फ्लड-2 परियोजना का क्रियान्वयन करने के लिए 1978-79 से शुरू होने वाले छह वर्षों की अवधि के दौरान 1,86,000 मीटरी टन सप्रेटा दुग्ध चूर्ण और 76,200 मीटरी टन बटर आयल/बटर दान में देना मंजूर किया था। इसके अलावा, यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने सप्रेटा दुग्ध चूर्ण, बटर आयल तथा वनस्पति तेल की अतिरिक्त मात्रा भी सप्लाई की थी। आपरेशन फ्लड-2 के तहत 1984-85 तक यूरोपीय आर्थिक समुदाय से उपहार के रूप में दी गई कुल सप्लाई नीचे दी गई है : —

	(मात्रा मीटरी टन में)
सप्रेटा दुग्ध पाउडर	2,16,584.000
बटर आयल	62,401.540
बटर	16,577.000
वनस्पति तेल	497.000

(ग) उपरोक्त भाग (क) में बताई गई स्थिति को देखते हुए प्रश्न नहीं होता।

केन्द्रीय और राज्य भाण्डागार निगमों में किया गया पूंजीनिवेश

1207. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय भाण्डागार निगम और राज्य भाण्डागार निगमों में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा किए गए पूंजी निवेश का प्रत्येक मामले में पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है और यह पूंजी निवेश कब से किया गया है;

(ख) राज्य भाण्डागार निगमों में केन्द्रीय भाण्डागार निगम के पूंजी निवेश के भाग का अनुपात कितना है;

(ग) किन राज्य भाण्डागार निगमों ने वर्ष 1982-83 और वर्ष 1983-84 के दौरान लाभांश घोषित किया है और प्रत्येक मामले में घोषित लाभांश की दर क्या है; और

(घ) क्या जुलाई, 1970 में केंद्रीय भाण्डागार निगम और राज्य भाण्डागार निगमों के चेयरमैन और प्रबन्ध निदेशकों के सम्मेलन में यह निर्णय किया गया था कि राज्य भाण्डागार निगमों को लाभ का 25 प्रतिशत सामान्य रिजर्व में अन्तरित करना चाहिए और शेष का उपयोग लाभांश की अदायगी के लिए किया जाना चाहिए; यदि हां, तो इस निर्णय के पश्चात् कितने राज्य भाण्डागार निगमों ने इसका अनुपालन नहीं किया है और इसके क्या कारण हैं तथा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है और इसके क्या परिणाम निकले हैं।

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ग) इस समय, सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन की ईक्विटी पूंजी में केन्द्रीय सरकार द्वारा 36.665 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। राज्य सरकारों के सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन में कोई शेयर नहीं हैं।

एक विवरण संलग्न है जिसमें प्रत्येक राज्य भाण्डागार निगम को प्रदत्त पूंजी, सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन की स्थापना से 31.3.1985 तक संबंधित राज्य सरकार तथा सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन द्वारा किये गये निवेश, प्रत्येक राज्य भाण्डागार निगम की प्रदत्त पूंजी में सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन के शेयर तथा प्रत्येक राज्य भाण्डागार निगम द्वारा 1982-83 और 1983-84 के वित्तीय वर्षों के लिए घोषित किये गये लाभांश का ब्यौरा दिया गया है।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है।

विवरण

क्रम सं०	राज्य भाण्डागार निगम का नाम	कुल प्रदत्त पूंजी	31.3.1985 को राज्य सरकारों का अंश (राशि लाख रुपयों में)	31.3.1985 का केन्द्रीय भाण्डागार निगम का अंश	राज्य भाण्डागार निगम की कुल प्रदत्त पूंजी में केन्द्रीय भाण्डागार निगम का अंश (प्र०श०)	प्रदत्त पूंजी पर प्रतिशत के रूप में घोषित लाभांश 1982-83	1983-84
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	260.40	135.70	124.70	47.89	5 प्रतिशत	लेखों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।
2.	असम	367.38	183.69	183.69	50.00	लाख रु०	लाख रु०
3.	बिहार	112.00	58.00	54.00	48.21	लेखों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।	लेखों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।
4.	गुजरात	178.00	95.50	82.50	46.35	10 प्र०श०	7 प्र०श०
5.	हरियाणा	488.12	244.08	244.04	50.00	4.5 प्र०श०	5 प्र०श०

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	कर्नाटक	272.35	141.95	130.40	47.88	5 प्र० श०	लेखों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।
7.	केरल	254.35	130.40	123.95	48.73	5 प्र० श०	5 प्र० श०
8.	मध्य प्रदेश	510.00	255.00	255.00	50.00	5 5 प्र० श०	लेखों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।
9.	महाराष्ट्र	410.80	205.40	205.40	50.00	8 प्र० श०	6 प्र० श०
10.	मेघालय	48.12	24.06	24.06	50.00	शून्य	शून्य
11.	उड़ीसा	158.96	79.48	79.48	50.00	2 प्र० श०	लेखों का अभी अंतिम रूप दिया जाना है।
12.	पंजाब	575.18	287.59	287.59	50.00	8 प्र० श०	8 प्र० श०
13.	राजस्थान	268.04	134.02	134.02	50.00	शून्य	4.5 प्र० श०
14.	तमिलनाडु	501.00	260.50	240.50	48.00	6 प्र० श०	6 प्र० श०
15.	उत्तर प्रदेश	496.50	248.25	248.25	50.00	8 प्र० श०	लेखों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।
16.	पश्चिमी बंगाल	379.40	204.70	174.70	46.05	लेखों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।	लेखों का अभी अंतिम रूप दिया जाना है।
	जोड़ :	5280.60	2688.32	2592.28	49.09		

[हिन्दी]

"पीपुल्स एक्शन फार डेवलपमेंट (इंडिया) योजनाओं के अन्तर्गत ग्रामीण विकास के लिए स्वयंसेवी संस्थाएं

1208. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन स्वयंसेवी संस्थाओं के राज्य-वार नाम क्या हैं जिन्होंने गत तीन वर्षों के दौरान "पीपुल्स एक्शन फार डेवलेपमेंट (इंडिया)" योजनाओं के अन्तर्गत ग्रामीण विकास के लिए काम किया है और उन पर अलग-अलग कितनी धनराशि खर्च हुई है ;

(ख) क्या सरकार के पास उक्त योजना के अन्तर्गत अब तक सृजित स्थायी सम्पत्तियों का राज्य-वार ब्योरा उपलब्ध है;

(ग) उन संस्थाओं के नाम क्या हैं जिन्होंने इस योजना के कार्यान्वियन में सहायता की है और क्या इस प्रयोजन के लिए विदेशी सहायता भी प्राप्त की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो देश-वार कितनी वित्तीय सहायता प्राप्त की गई ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्थात 1982-83 से लेकर 1984-85 तक भारतीय विकास लोक कार्यक्रम से 68 स्वैच्छिक संगठनों को सहायता प्राप्त हुई है। परियोजना का नाम, प्रायोजित संगठन का नाम, इन संगठनों को राज्य-वार दी गई वार्षिक सहायता और सृजित परिसम्पत्तियों को सभा पटल पर रखा जाता पर दर्शाया गया है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-1537/85**]

(घ) विदेशी दानदाताओं से प्राप्त वित्तीय सहायता की धनराशि का एजेंसी-वार ब्योरा सभा पटल पर रखा जाता है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-1537/85**]

[अनुवाद]

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली नौकाओं का आयात

1209. **श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की कितनी नौकाओं का आयात किया गया है;

(ख) कर्नाटक को इस प्रकार की कितनी नौकाएं दी गई हैं; और

(ग) क्या मछली का निर्यात बढ़ाने के लिए गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली और अधिक नौकाओं का आयात करने का कोई प्रस्ताव है ?

कृषि और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) हाल ही में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले 12 ट्रालरों का आयात किया गया है, जिसमें से 2 ट्रालर कर्नाटक में स्थित कम्पनियों के हैं।

(ग) सरकार को मत्स्यन जलयानों के आयात के लिए अनेक आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। जब इन जलयानों का वास्तव में आयात किया जाता है और उनसे मछली पकड़ने का कार्य लिया जाता है तो देश से मत्स्य निर्यात में वृद्धि हो जाएगी।

भारतीय फिल्मों का निर्यात

1210. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारतीय फिल्मों के निर्यात में कमी हुई है ;

(ख) क्या निर्यात में कमी का कारण उच्च निर्यात शुल्क है ; और

(ग) विदेशों, विशेषकर मध्य-पूर्व देशों में भारतीय फिल्में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कार्रवाई की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। निर्यात शुल्क लागू नहीं है।

(ग) भारतीय फिल्मों का निर्यात बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा निम्नलिखित उपाय अपनाये जा रहे हैं :—

(1) निगम विदेशों में फिल्म समारोहों और फिल्म बाजारों में भाग लेता है।

(2) यह विदेशों को जाने वाले व्यापार प्रतिनिधि मण्डलों में भाग लेता है।

(3) भारत में होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों और फिल्मोत्सवों के अवसर पर आयोजित फिल्म बाजारों में भाग लेने के लिए भावी खरीदारों व्यक्तियों तथा राजकीय एजेंसियों को आमंत्रित किया जाता है।

(4) विदेशी प्रतिनिधिमण्डलों को अपने देशों के लिए भारतीय फिल्मों का चयन और खरीद करने हेतु उन्हें देखने के लिए भारत भ्रमण के लिए आमंत्रित तथा प्रोत्साहित किया जाता है।

(5) सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के अन्तर्गत या अन्यथा विभिन्न देशों में आयोजित भारतीय फिल्मों के समारोहों से विदेशों में भारतीय फिल्मों के प्रति रुचि पैदा होती है।

केन्द्रीय भाण्डागार निगम के गोदामों का भारतीय खाद्य निगम द्वारा उपयोग

1211. **श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय भाण्डागार निगम के गोदामों का उपयोग भारतीय खाद्य निगम द्वारा उनके अनाजों के भण्डारण हेतु किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन गोदामों को भारतीय खाद्य निगम को हस्तान्तरित कर दिया जाएगा;

(ग) क्या यह केन्द्रीय भाण्डागार निगम का काम नहीं होगा कि वह किसानों के लिए परक्राम्य पावतियों को बैंकों के पास गिरवी रखकर ऋण सुविधाओं की व्यवस्था करे और तत्सम्बन्धी अनेक सहायक सेवाओं की व्यवस्था करे; और

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय भाण्डागार निगम अपना ध्यान उन उद्देश्यों को पूरा करने पर केन्द्रित करेगा ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन के पास उपलब्ध भण्डारण क्षमता के एक भाग का उपयोग भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों का भण्डारण करने के लिए किया जा रहा है।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) ऋण सुविधाएं प्रदान करना सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन का कार्य नहीं है। उत्पादकों तथा अन्यो द्वारा कारपोरेशन के भाण्डागारों में जमा किए गए कृषि उत्पादों के सम्बन्ध में कारपोरेशन द्वारा जारी की गई भाण्डागारण रसीदों को गिरवी रखकर बैंकों द्वारा उन्हें ऋण सुविधाएं मुहैया की जाती हैं।

बंगलौर में राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी एकक की स्थापना

1212. **श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बंगलौर में एक राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी एकक स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त एकक कब तक स्थापित किया जाएगा ?

कृषि और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न ही नही उठता।

चावल तथा गेहूं की क्षेत्रवार संभाव्य क्षेत्र

1213. **श्रीमती बसव राजेश्वरी : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चावल की फसल के लिए क्षेत्र-वार संभाव्य क्षेत्र कौन-कौन से हैं तथा उनकी औसत उपज कितनी है;

(ख) गेहूं की फसल के लिए क्षेत्र-वार संभाव्य क्षेत्र कौन-कौन से हैं तथा उनकी औसत उपज कितनी है;

(ग) सरकार द्वारा ज्ञात प्रौद्योगिकी का उपयोग करके चावल-उत्पादन की औसत उपज बढ़ाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) चावल तथा गेहूं का अधिक उत्पादन करने के लिए क्या प्रोत्साहन दिए गए हैं ?

कृषि और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) चावल और गेहूं उत्पादक राज्यों के नाम और 1984-85 के दौरान चावल और गेहूं के कुल उत्पादक को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) कुशल प्रबंध पद्धतियों और बेहतर आदान सप्लाई के साथ-साथ उच्च क्षमता वाली विशिष्ट स्थानीय किस्मों के अंतर्गत क्षेत्र को बढ़ाना, चावल का उत्पादन बढ़ाने की नीति का प्रमुख सूत्र बना रहा। "अधिक उपज देने वाली किस्मों का कार्यक्रम" को केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं चावल की सामुदायिक नर्सरियों की स्थापना, "मिनीकिट प्रदर्शन" और "उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकी में विस्तार कार्मिकों को प्रशिक्षण" द्वारा सशक्त बनाया जा रहा है। पूर्वी क्षेत्र में, जहां क्षमता और वास्तविक उपज में काफी बड़ा अन्तर है, 1985-86 एक "केन्द्रीय प्रायोजित विशेष चावल उत्पादन कार्यक्रम" शुरू किया गया है। यह कार्यक्रम असम, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों के 417 चुनिंदा खण्डों में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत, किसानों, कृषि-श्रमिकों, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं और विस्तार कर्मियों के प्रशिक्षण के द्वारा चावल-उत्पादन की उन्नत प्रौद्योगिकी का तेजी से प्रसार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सिंचाई, जल-विकास, भूमि विकास और अवसंरचनात्मक सुविधाओं जैसी दीर्घकालिक समस्याओं को हल करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। बीज, उर्वरक, सूक्ष्म-पोषक, कृमिनाशक, उपस्कर इत्यादि आदान किसानों को राजसहायता प्राप्त दरों पर प्रदान किए जा रहे हैं।

(घ) किसानों को उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु हाल के वर्षों में धान और गेहूं दोनों के अधिप्राप्ति मूल्य काफी अधिक बढ़ाए गए हैं। चावल का उत्पादन बढ़ाने की केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत अन्य प्रोत्साहन ये हैं :—धान की अधिक उपज देने वाली किस्मों के हाल ही में अभिज्ञात/विकसित बीजों के मिनीकिटों का किसानों को मुफ्त वितरण, अन्य किसानों

के बीच पौधे के वितरण के लिए चावल की सामुदायिक नर्सरियां लगाने के लिए 1500/-रु० प्रति हैक्टेयर के हिसाब से वित्तीय सहायता और किसानों को राजसहायता प्राप्त दरों पर बीज, उर्वरक. सूक्ष्म पोषक, कृमिनाशक तथा उपस्कर जैसे आदानों की सप्लाई।

इसी तरह, गेहूं का उत्पादन बढ़ाने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत निम्नलिखित प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं :—

(1) गेहूं की अधिक उपज देने वाली किस्मों के हाल में अभिज्ञात और नए-नए विकसित बीजों के मिनीकिटों का मुफ्त वितरण; और

(2) गेहूं की रतुआ-ग्राही किस्मों के प्रतिस्थापन के लिए पर्वतीय क्षेत्र के किसानों को रतुआ-प्रतिरोधी किस्मों के बीजों का निःशुल्क वितरण।

विवरण

(उत्पादन, लाख मी० टन में)

क्र० सं०	राज्य	1984-85 में चावल का उत्पादन	राज्य	1984-85 में गेहूं का उत्पादन
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	69.84	बिहार	30.99
2.	असम	24.18	गुजरात	13.29
3.	बिहार	53.21	हरियाणा	44.18
4.	गुजरात	8.38	मध्य प्रदेश	37.29
5.	हरियाणा	13.63	महाराष्ट्र	8.56
6.	जम्मू और कश्मीर	5.69	पंजाब	101.83
7.	कर्नाटक	23.73	राजस्थान	27.94
8.	केरल	12.32	उत्तर प्रदेश	159.74
9.	मध्य प्रदेश	36.74	पश्चिम बंगाल	8.12
10.	महाराष्ट्र	19.36		
11.	उड़ीसा	45.26		

1	2	3	4	5
12.	पंजाब	50.57		
13.	तमिलनाडु	53.94		
14.	उत्तर प्रदेश	71.78		
15.	पश्चिम बंगाल	80.93		

राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नियम

1214. **श्री अनादि चरण दास** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम में भर्ती तथा पदोन्नति के लिये आरक्षण नियमों का कार्यान्वयन किया जा रहा है;

(ख) 1 मई, 1985 को उस संगठन में कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी थी तथा उनमें से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या कितनी थी;

(ग) अनुसूचित जातियों/जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या में कमी, यदि कोई है, के क्या कारण हैं तथा आरक्षित रिक्त पदों की भरने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान अनारक्षित किए गए पदों की संख्या कितनी है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) 1 मई, 1985 को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के कर्मचारियों की कुल संख्या 661 थी, जिनमें अनूसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की कुल संख्या क्रमश: 101 व 23 थी।

(ग) अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या में समग्र रूप से कोई कमी नहीं हुई है। जहां तक अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों का संबंध है, उनका प्रतिनिधित्व 3.48 प्रतिशत है, जबकि संविधान में 7.5 प्रतिशत का प्रावधान है। अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के पदों के रिक्त पड़े रहने का कारण उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता है। निगम, शिथिल मानकों पर भर्ती व चयन हेतु उपयुक्त अभ्यर्थियों को भेजने के लिए रोजगार कार्यालय को लिखने तथा समाचारपत्रों में विज्ञापन निकालने जैसे विभिन्न कदम उठाता रहा है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किसी भी पद को अनारक्षित नहीं किया है।

तिलहनों का उत्पादन

1215. **श्री अनादि चरण दास** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 के दौरान देश में तिलहनों का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) देश में तिलहनों के अनुसंधान तथा विकास पर कितनी राशि खर्च की गई; और

(ग) अगले तीन वर्षों के दौरान देश में तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या भावी कार्यक्रम है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) वर्ष 1984-85 के दौरान देश में तिलहनों का उत्पादन 130.98 लाख मीटरी टन था।

(ख) देश में 1984-85 के दौरान तिलहन अनुसंधान के लिए 2.86 करोड़ रुपये की रकम मंजूर की गई और तिलहन विकास के लिए 28.94 करोड़ रुपये की रकम निर्मुक्त की गई।

(ग) केन्द्र द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना जो 1984-85 में शुरू की गई थी, को सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जारी रखा गया।

राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल संबंधी नीति

1216. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेलों सम्बन्धी व्यापक नीति तैयार करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार प्रौद्योगिकी को अद्यतन करने हेतु तिलहनों और वनस्पति तेलों के लिए प्रौद्योगिकी आयोग की स्थापना करने और लागतों में कमी सुनिश्चित करने के लिए खाद्य तेल एककों का आधुनिकीकरण करने का है;

(ग) यदि हां, तो कब और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में कब तक निर्णय लिया जाएगा ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) और (घ) ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में निर्णय यथा समय लिया जाएगा।

लोकनायक जयप्रकाश नारायण की मूर्ति के अनावरण समारोह का प्रसारण

1217. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण की मूर्ति का अनावरण उनकी जन्मस्थली जयप्रकाश नगर में किया गया जिसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे;

(ख) यदि हां, तो क्या दूरदर्शन ने इस समारोह का प्रसारण नहीं किया; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) समारोह को दूरदर्शन केन्द्र लखनऊ द्वारा 12.10.1985 को कवर किया गया था तथा उसका उनके क्षेत्रीय समाचार बुलेटिन में उसी दिन उपयोग किया गया था। कवरेज का राष्ट्रीय समाचार बुलेटिनों में उपयोग नहीं किया जा सका, क्योंकि दूरदर्शन केन्द्र दिल्ली को वह वायुयान द्वारा 16.10.85 को प्राप्त हुआ था और उस समय उसकी सांमयिकता नहीं रही थी।

महाराष्ट्र में बंदप्राय चीनी मिलें

1218. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में कतिपय गैर-सरकारी चीनी मिलें बन्द की जा रही हैं, क्योंकि इन मिलों के लिए पर्याप्त मात्रा में गन्ना, जिसका उपयोग सहकारी चीनी मिलों द्वारा किया जा रहा है, उपलब्ध नहीं है;

(ख) यदि हां, तो बेरोजगारी तथा उत्पादन में हानि को रोकने के लिए क्या सरकार इन मिलों को गन्ने की बेहतर सप्लाई सुनिश्चित करने अथवा वैकल्पिक रूप से उन्हें आयातित कच्ची चीनी परिष्करण हेतु देने की व्यवस्था करेगी; और

(ग) क्या सरकार का विकल्प के रूप में बंदप्राय मिलों के प्रबन्ध अपने हाथ में लेने का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) महाराष्ट्र में स्थित किसी प्राइवेट चीनी मिल ने सूचित नहीं किया है कि वह चीनी मौसम 1985-86 में कार्य नहीं करेगी।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

दूरदर्शन और आकाशवाणी पर विरोधी दलों को समय देना

1219. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दूरदर्शन और आकाशवाणी को सरकार और सत्ताधारी दल के एकाधिकार से बचाने के लिए विरोधी दलों को इन माध्यमों से निश्चित समयावधि पर अपने विचार और नीतियां प्रस्तुत करने की अनुमति देने की कोई योजना शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना को कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) माध्यमों पर सरकार या सत्तारूढ़ दल द्वारा एकाधिकार नहीं किया जा रहा है। सरकारी माध्यमों को आवश्यक रूप से सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और उद्देश्यों को प्रतिबिम्बित करना तथा उन्हें लोगों को स्पष्ट करना होता है। महत्वपूर्ण घटनाओं के कवरेज तथा कार्यक्रमों के प्रस्तुतीकरण में और चर्चा कार्यक्रमों में माध्यम इस बारे में समुचित सावधानी बरतते हैं कि विभिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत हों।

मौजूदा स्कीम जिसके अन्तर्गत मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को चुनावों के समय चुनाव प्रसारण/टिलीकास्ट करने की सुविधा दी जाती है, के अलावा, राजनीतिक दलों को आकाशवाणी/दूरदर्शन पर अपने विचार तथा नीतियां प्रस्तुत करने की अनुमति देने की स्कीम शुरू करने का सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

परती भूमि का सुधार

1220. **श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमि के सुधार के लिए कोई नीति बनाई गई है;

(ख) परती भूमि के सुधार के लिए 1985-86 के बजट में क्या उपबन्ध किए गए हैं;

(ग) क्या राज्यों से उस परती भूमि का पता लगाने का अनुरोध किया गया है जिसका सुधार किया जा सके और जिसे खेती योग्य बनाया जा सके; और

(घ) यदि हां, तो सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि में कितनी परती भूमि का सुधार किया जाता है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) राष्ट्रीय भूमि उपयोग तथा संरक्षण बोर्ड ने अपनी 17 अक्तूबर, 1985 को हुई बैठक में राष्ट्रीय भूमि उपयोग नीति

के मसौदे की रूपरेखा पर विशेषज्ञों की समिति की रिपोर्ट पर विचार किया। यह निर्णय किया गया कि ऊर्जा संबंधी सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष श्री बी० बी० वोहरा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाय जो राष्ट्रीय भूमि उपयोग नीति के मसौदे को अन्तिम रूप देने और राष्ट्रीय भूमि उपयोग नीति विवरण तैयार करेगी और इसके लिए अन्य बातों के साथ-साथ अवक्रमित तथा कम उपयोग की गई भूमि के सुधार तथा विकास और अन्य पहलुओं पर भी विचार करेगी।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड ने परती भूमि का पता लगाने तथा मुख्य रूप से वनरोपण के माध्यम से उसका सुधार करने के लिए राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रतिवर्ष 50 लाख हैक्टेयर वनरोपण करने का राष्ट्रीय लक्ष्य है। तथापि, सुधार की जाने वाली परती भूमि की सीमा उपलब्ध धनराशियों सहित अनेक घटकों पर निर्भर होगी। राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड ने 1985-86 में उन स्वैच्छिक एजेंसियों की वित्तीय सहायता के लिए 100 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया है, जो प्रत्यक्ष रूप में परती भूमि का सुधार करने में लगी हैं।

प्राकृतिक विपत्तियों से कृषि भूमि को क्षति

1221. **श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में कितने कृषि भूमि क्षेत्र में अक्सर बाढ़ आती है;

(ख) हाल ही में आई बाढ़ से गंगा नदी के बेसिन में कितनी भूमि खेती योग्य नहीं रही है; और

(ग) क्या फसल-सुरक्षा बीमा योजना शुरू करके किसानों की भूमि की बाढ़ तथा तूफान से सुरक्षा करने के कोई प्रस्ताव हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) देश के लगभग 400 लाख हेक्टेयर बाढ़ प्रवण क्षेत्र है। 1953 से 1984 तक की अवधि के दौरान देश में औसतन 40.7 लाख हेक्टेयर सस्यगत क्षेत्र बाढ़ चक्रवात से प्रभावित हुआ है। हाल ही में गंगा नदी के बेसिन में आयी बाढ़ से भूमि के खेती योग्य न रहने संबंधी अलग-अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) खरीफ 1985 मौसम से देश में एक वृहत फसल बीमा योजना पहले ही क्रियान्वित की जा रही है इस योजना के अन्तर्गत शुरू में धान, गेहूं कदन्न, तिलहन और दलहनों को लाया जायेगा। यह क्षेत्र पद्धति पर आधारित है और उपरोक्त फसलों को उगाने के लिए संस्थागत एजेंसियों, अर्थात सहकारी समितियों वाणिज्यिक बैंकों, द्वारा जारी किए गए सभी ऋणों का अनिवार्य बीमा किया जाता है। योजना में युद्ध और केन्द्रक जोखिम को छोड़कर फसल मौसम के दौरान होने वाले सभी जोखिम शामिल हैं। यद्यपि केन्द्रीय सरकार ने खरीफ 1985 मौसम से इस योजना को अपनाने के लिए सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों में सिफारिश की है। खरीफ 1985 मौसम के दौरान 12 राज्य

सरकारों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों ने इस योजना को क्रियान्वित किया है। ये राज्य हैं :—आन्ध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, कर्नाटक केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, गुजरात, पांडिचेरी और गोवा, दमन और दीव।

खाद्य तिलहनों का उत्पादन

1222. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में खाद्य तेलों के उत्पादन में निश्चित रूप से वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या खाद्य तेलों के उत्पादन लक्ष्यों पर पुनर्विचार करने की योजनाएं हैं;

(ग) क्या खाद्य तेलों के उत्पादन और उनकी बिक्री के सम्बन्ध में आने वाली कठिनाइयों का पता लगाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इन शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां। वर्ष 1984-85 के दौरान तिलहनों का 130 98 लाख मीटरी टन का रिकार्ड उत्पादन हुआ।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष (1989-90) के दौरान तिलहनों के उत्पादन का संशोधित लक्ष्य 180.00 लाख मीटरी टन निर्धारित किया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। तिलहनों के उत्पादन में आने वाली कुछ मुख्य बाधायें ये हैं :— अच्छे बीजों का न मिलना, उर्वरकों का अपर्याप्त उपभोग, सीमित सिंचाई, कीट तथा रोग, उन्नत फार्म उपकरणों की कमी, मण्डी का अपर्याप्त समर्थन। इन बाधाओं पर काबू पाने के लिए भारत सरकार ने 1984-85 में एक केन्द्र द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना शुरू की है। इस परियोजना के अन्तर्गत, किसानों को तिलहनों की अच्छी पैदावार करने को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण आदानों के लिए कई तरह के प्रोत्साहन दिए जाते हैं। सरकार समय-समय पर तिलहनों के लिए समर्थन मूल्य घोषित करती रहती है। 1985-86 में शुरू होने वाले मौसम से पांच वर्षों के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नाफेड) को तिलहनों के मामले में समर्थन मूल्य के कार्य की देखरेख करने के लिए केन्द्रीय एजेंसी के रूप में मनोनीत किया गया है।

जैव उर्वरकों के प्रयोग में वृद्धि

1223. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू रबी के मौसम के दौरान जैव उर्वरकों के प्रयोग में वृद्धि करने की सरकार की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) जी, हां। जैव उर्वरकों के उपयोग को खेत पर प्रदर्शन आयोजित करके और राज्य सरकारों और कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा चलाये जा रहे प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के माध्यम से बढ़ाया जा रहा है। जैव-उर्वरकों, तिलहनों और दलहनों के विकास कार्यक्रमों की विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र योजनाओं के अन्तर्गत मूंगफली, जिसमें रबी मूंगफली भी शामिल है, और दालों के लिए राजसहायता प्राप्त राइजोवियम कल्चर का वितरण किया जा रहा है। इसके अलावा, मिनिकिट प्रदर्शन कार्यक्रम पर केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के तहत किसानों को उन्नत किस्म के बीजों के एक लाख मिनिकिटों के साथ राइजोबियम कल्चर भी वितरित किया जाएगा।

समानान्तर खाद्य निगम

1224. **डा० गौरी शंकर राजहंस** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अखिल भारतीय खाद्यान्न व्यापारी संघ ने खाद्यान्न के फालतू भण्डार की समस्या हल करने के लिए सरकार को गैर-सरकारी क्षेत्र में समानान्तर खाद्य निगम बनाने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) इस मामले पर अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की सम्भावना है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ग) फेडरेशन आफ आल इंडिया फूडग्रेन डीलर्स एसोसिएशन ने इस आशय का अभ्यावेदन दिया है कि इस समय जो कार्य भारतीय खाद्य निगम द्वारा किया जा रहा है उस कार्य के एक भाग को शुरू-शुरू में भारतीय खाद्य निगम के पैटर्न पर ही सरकारी एजेन्ट के रूप में खाद्यान्नों के व्यापारियों को सौंप दिया जाए और यदि यह व्यवस्था कारगर और संतोषजनक सिद्ध होती है तो उस दशा में उनको दिए गए कार्य में धीरे-धीरे वृद्धि की जा सकती है। चूंकि भारतीय खाद्य निगम सरकार की नीतियों को कार्यान्वित करने के लिए एक तंत्र है, इसलिए उसकी निजी व्यापार के साथ बराबरी नहीं की जा सकती है। अतः सरकार का भारतीय खाद्य निगम द्वारा सम्भाले जा रहे कार्य को निजी व्यापारियों को सौंपने का कोई विचार नहीं है।

सार्वजनिक क्षेत्र की गृह निर्माण एजेन्सियों को ऋण

1225. **डा० गौरी शंकर राजहंस**: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में देश में विभिन्न गृह निर्माण एजेन्सियों को अच्छी किस्म के मकान बनाने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो देश में इस समय सार्वजनिक क्षेत्र में तथा गैर सरकारी क्षेत्र में कार्य कर रही गृह निर्माण एजेन्सियों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की गृह निर्माण एजेन्सियों को ऋण दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) आवास राज्य का विषय है तथा यह राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सुनिश्चित करना है कि वे सम्बन्धित अभिकरणों द्वारा किए जा रहे मकानों के निर्माण पर अपेक्षित कोटि नियन्त्रण रखें।

(ग) और (घ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय वित्त सहायता समेकित ऋणों तथा समेकित अनुदानों के रूप में दी जाती है जो कि किसी विशेष योजना या विकास शीर्ष से सहबद्ध नहीं होती है। तथापि, सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, आवास तथा नगर विकास निगम (हुडको) आवास बोर्डों तथा विकास प्राधिकरणों सहित विभिन्न निर्माण अभिकरणों के लिए ऋण देता है। अस्तित्व में (1970 में) आने के समय से लेकर 31.10.85 तक हुडको ने 2856.43 करोड़ रुपये की परियोजना लागत वाली 3908 योजनाओं के लिए 1858-87 करोड़ रुपये की ऋण सहायता की स्वीकृति दी है।

ग्रामीण रोजगार योजना के अधीन खाद्यान्नों का वितरण

1226. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1980-81 के दौरान ग्रामीण रोजगार योजना के अधीन कितना खाद्यान्न वितरित किया गया;

(ख) वर्ष 1981 से 1984 की अवधि के दौरान ग्रामीण रोजगार योजना के अधीन कुल कितना खाद्यान्न वितरित किया गया है ; और

(ग) क्या तीन वर्षों, अर्थात 1981-84 के दौरान वितरित किए गए खाद्यान्नों की मात्रा एक वर्ष अर्थात 1980-81 के दौरान वितरित किए गए खाद्यान्नों की मात्रा से आधी भी नहीं थी तथा उसके क्या कारण हैं और खाद्यान्नों का अधिक भण्डार रखने के कारण सरकार द्वारा किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर): (क) वर्ष 1980-81 के दौरान काम के बदले अनाज/राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 13.34 लाख मीटरी टन खाद्यान्न मजदूरों को वितरित किए गए थे।

(ख) वर्ष 1981-82 से 1984-85 तक ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों अर्थात राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 8.31 लाख मीटरी

टन खाद्यान्न का उपयोग किया गया था।

(ग) वर्ष 1981-82 से 1984-85 के दौरान ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों के अंतर्गत उपयोग में लाई गई खाद्यान्न की मात्रा, वर्ष 1980-81 के दौरान उपयोग में लाई गई खाद्यान्न की मात्रा के 50 प्रतिशत से अधिक थी। वर्ष 1980-81 के दौरान खाद्यान्नों की अधिक मात्रा के उपयोग का कारण यह था कि वर्ष 1979-80 में भयंकर सूखे के कारण काम के बदले अनाज कार्यक्रम को उस वर्ष में जारी रखा गया था। इसके अलावा, काम के बदले अनाज कार्यक्रम जिसे अक्तूबर, 1980 तक जारी रखा गया था, के अंतर्गत सारी मजदूरी खाद्यान्नों के रूप में देने की अनुमति दी गई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम जिसे काम के बदले अनाज कार्यक्रम के स्थान पर चलाया गया था, को इसी आधार पर अक्तूबर, 1980 से मार्च, 1981 तक कार्यान्वित किया गया था। खाद्यान्नों के रूप में मजदूरी की अदायगी अप्रैल, 1981 से प्रति श्रम दिन 2 कि० ग्राम तक सीमित कर दी गई थी तथा इसे आगे सितम्बर, 1981 से घटाकर 1 किलोग्राम श्रम-दिन कर दिया गया था। वर्ष 1981-84 की अवधि के दौरान खाद्यान्नों का भण्डारण करने में किसी प्रकार की कठिनाइयां सामने नहीं आई थीं।

कृषकों को प्रशिक्षण तथा कृषि उपकरणों की जांच

1227. **डा० के० जी० अदियोडी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि उपकरणों और मशीनों की जांच करने के उपयोग और उनकी किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

(ख) ऐसे प्रशिक्षण और जांच-कार्य में संगठनों/इकाइयों की राज्य-वार संख्या क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार अब तक कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना): (क) से (ग) भारत सरकार ने किसानों को प्रशिक्षण देने और 3 फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थानों की स्थापना करके, जिनमें एक संस्थान 1956 में बुदनी (मध्य प्रदेश) में, दूसरा 1963 में हिसार (हरियाणा) में और तीसरा 1983 में गारलाडीन, अनन्तपुर (आन्ध्र प्रदेश) में स्थापित किया गया था। फार्म उपकरण और मशीनरी का परीक्षण करने हेतु उपाय किए हैं। सातवीं योजनावधि के दौरान ऐसे दो और संस्थानों, एक पूर्वी क्षेत्र में और दूसरा पश्चिमी क्षेत्र में, की स्थापना करने का प्रस्ताव किया जा रहा है। इसके अलावा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तत्वावधान में 89 कृषि विज्ञान केन्द्रों और 18 कृषि विश्वविद्यालयों के जरिए किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अनुसंधान और विकास कार्यों के लिए फार्म उपकरणों का परीक्षण भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा केन्द्रीय कृषि इंजीनियरी संस्थान, भोपाल और फार्म उपकरण और मशीन संबंधी अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं में किया जा रहा है।

बुदनी, हिसार और गारलाडीन स्थित फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थानों में गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार प्रशिक्षित किए गए प्रशिक्षणार्थियों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। कृषि विज्ञान केन्द्रों ने 1982-85 के दौरान कृषि इंजीनियरी, जो मूलत: उपकरणों के सभी पहलुओं से संबंधित हैं, में 12, 711 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया है।

विवरण

1982-83 से 1984-85 तक बुदनी, हिसार और गारलाडीन में केन्द्रीय संस्थाओं में प्रशिक्षित किए गए राज्यवार प्रशिक्षणार्थी

क्र०सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	1982-83	1983-84	1984-85
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	11	13	85
2.	असम	21	6	5
3.	बिहार	46	64	24
4.	गुजरात	1	21	42
5.	हरियाणा	268	296	328
6	हिमाचल प्रदेश	10	7	4
7.	जम्मू एवं कश्मीर	8	6	8
8.	कर्नाटक	4	2	1
9.	केरल	15	14	35
10.	मध्य प्रदेश	408	355	295
11.	महाराष्ट्र	113	89	102
12.	मणिपुर	1	1	—
13.	मेघालय	8	7	4
14.	नागालैण्ड	2	3	1
15.	उड़ीसा	12	16	10
16.	पंजाब	37	40	47

1	2	3	4	5
17.	राजस्थान	81	80	159
18.	सिक्किम	—	—	—
19.	तमिलनाडु	44	54	7
20.	त्रिपुरा	—	—	2
21.	उत्तर प्रदेश	170	163	144
22.	प० बंगाल	6	11	15
संघ शासित क्षेत्र				
1.	अन्दमान तथा निकोबार	3	2	—
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	2	
3.	चण्डीगढ़	1	—	—
4.	दादर तथा नगर हवेली	—	—	—
5.	दिल्ली	13	7	6
6.	गोवा, दमन और दीव	—	—	1
7.	मिजोरम	—	—	5
8.	पांडिचेरी	—	—	—
9.	लक्षद्वीप	—	—	—

कीटनाशक अधिनियम और किस्म नियन्त्रण लागू करना

1228. डा० के० जी० अदियोडी : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कीटनाशक अधिनियम और किस्म नियंत्रण लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) राज्यवार कितने संस्थान यह कार्य कर रहे हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सातवीं योजनावधि के दौरान इस कार्य को शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) कीटनाशी अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने से केन्द्रीय और राज्य सरकारों पर दोहरा उत्तरदायित्व पड़ता है। अधिनियम और अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत आवश्यक कीटनाशियों के आयात और निर्माण के लिए अनिवार्य पंजीकरण के अनुदान के लिए एक पंजीकरण समिति के क्रियान्वयन से पैदा होने वाले विभिन्न मामलों पर सलाह देने के लिए केन्द्रीय सरकार ने एक केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड का गठन किया है। अधिकांश राज्य सरकारों ने अपनी ओर से विभिन्न कार्यकर्त्ताओं अर्थात अपील अधिकारी, लाइसेंसिंग अधिकारी, कीटनाशी विश्लेषक और कीटनाशी निरीक्षकों को अधिसूचित किया है ताकि अधिनियम के सम्बद्ध प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों को क्रियान्वित किया जा सके। विश्लेषण की रिपोर्टों के आधार पर राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासन आवश्यकतानुसार कानूनी कार्यवाही अथवा अन्य कार्यवाही करती है।

(ख) राज्य की कुल 35 कीटनाशी प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं गुणदत्ता स्तर का प्रबोधन करने के लिए कीटनाशियों के नमूनों के विश्लेषण में लगी हुई है। राज्यवार स्थिति यह है कि तमिलनाडु में 9 प्रयोगशालाएं, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में चार-चार, उत्तर प्रदेश और गुजरात में दो-दो और असम, बिहार, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, मणिपुर, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और पाण्डिचेरी प्रत्येक में एक- प्रयोगशाला स्थित है। फरीदाबाद (हरियाणा) में एक केन्द्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला है जिसका बम्बई और हैदराबाद में एक-एक एकक है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार प्रश्न के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अन्य प्राधिकारियों के बारे में सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य प्रदेशों ने अधिकांश कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की है।

(ग) और (घ) यद्यपि देश में 35 राज्य कीटनाशी प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं हैं तथापि यह महसूस किया गया है कि राज्यों और संघ राज्य प्रदेशों में उपलब्ध सुविधाओं को पूरा किए जाने और उनमें वृद्धि किए जाने की आवश्यकता है ताकि राज्य और संघ शासित प्रदेश गुण नियंत्रण कार्य को अधिक तेजी से कर सकें।

इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रदेशों के संसाधनों को पूरा करने के लिए सातवीं योजनावधि के दौरान चण्डीगढ़, बम्बई, कानपुर, हैदराबाद और कलकत्ता में 5 क्षेत्रीय कीटनाशी प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना करने की मंजूरी दी गई है।

राष्ट्रीय बीज निगम की मूल्य निर्धारण नीति

1229. डा० के० जी० अदियोडी : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समान मूल्य पर बीजों की सप्लाई करने के लिए राष्ट्रीय बीज निगम की मूल्य निर्धारित नीति क्या है :

(ख) क्या देशभर में समान दरों पर बीजों की बिक्री होती है; और

(ग) यदि नहीं, तो किसानों को बिचौलियों के शोषण से बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) राष्ट्रीय बीज निगम की नीति सम्पूर्ण देश में उचित कीमत पर बीजों की सप्लाई करना है।

(ख) साधारण तौर पर राष्ट्रीय बीज निगम सारे देश में अपने बीजों को एक समान दरों पर बेचता है। फिर भी, कुछेक मामलों में राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा चार्ज की गई कीमतों और राज्य सरकारों तथा राज्य बीज निगमों द्वारा नियत की गई कीमतों में अन्तर होता है, इन मामलों की भी समय-समय पर जांच की जाती है और यदि आवश्यक समझा गया तो राष्ट्रीय बीज निगमों की कीमतों को उपयुक्त ढंग से कम किया जाता है ताकि राज्य बीज निगमों द्वारा जांच की गई कीमतों के समान हो।

(ग) राष्ट्रीय बीज निगम के बीजों के लिए किसानों से बिक्री केन्द्रों का ध्यान किए बगैर एक समान कीमतें ली जाती हैं। निगम के बहुत बड़ी संख्या में बिक्री केन्द्र हैं जो बिक्री कीमतों को विनयित करने की प्रक्रिया के रूप में कार्य करते हैं। इसके अलावा, निगम यह सुनिश्चित करने के लिए अपने डीलरों की आवधिक जांच करता है कि वे बीजों को निगम द्वारा नियत कीमतों पर ही बेचते हैं।

विदेशज महामारियां और रोग

1230. **डा० के० जी० अदियोडी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से देश में विदेशज महामारियों और रोगों के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ख) इस प्रकार की महामारियों का पता लगाने के लिए राज्यवार कितनी यूनिटें बनाई गई हैं; और

(ग) क्या इनकी संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) सभी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों महत्वपूर्ण समुद्री पत्तनों तथा देश में आ रहे सभी पौधों तथा रोपण सामग्री की जांच की जाती है तथा सीमान्त भूमि पर महत्त्वपूर्ण प्रवेश केन्द्रों पर उनका उपचार किया जाता है।

(ख) ये निम्नलिखित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उपस्थित हैं :—

	राज्य	पौध संगरोध तथा धूमीकरण केन्द्रों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	2
2.	बिहार	1
3.	दिल्ली	1
4.	गुजरात	1
5.	केरल	2
6.	महाराष्ट्र	2
7.	पंजाब	4
8.	तमिलनाडु	6
9.	उत्तर प्रदेश	1
10.	पश्चिम बंगाल	6

(ग) धनराशि की जरूरत तथा उपलब्धता पर निर्भर करते हुए ये सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी।

निविदाओं के माध्यम से चीनी की बिक्री

1231. **श्री प्रकाश बी० पाटिल** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी के मूल्य नियंत्रण में रखने के लिए केन्द्रीय सरकार ने आयातित चीनी को निविदाओं के माध्यम से बेजने की सीमा समाप्त करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रक्रिया का बाजार मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(ग) क्या निविदा के माध्यम से चीनी खरीदने वाले व्यक्तियों को चीनी सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर बेचनी पड़ती है और यदि नहीं, तो इससे मूल्य नियंत्रण में कहां तक सहायता मिलती है; और

(घ) निविदाओं के माध्यम से चीनी खरीदने वाले व्यापारियों के लिए कितनी लाभ सीमा रखी गई है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे चीनी का भण्डार जमा न करें, क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) स्वदेशी चीनी और आयातित चीनी के थोक मूल्यों में वृद्धि को रोक लिया गया है और इनके मूल्य उपयुक्त स्तरों पर बने हुए हैं।

(ग) और (घ) भारतीय खाद्य निगम द्वारा आयातित चीनी की बिक्री खुले बाजार में नीलामी के माध्यम से की जाती है और अन्ततः खुदरा बिक्री करने के लिए कोई बिक्री मूल्य निर्धारित नहीं किया गया है। यह स्थिति फैक्ट्रियों द्वारा खुले बाजार में बेची गई स्वदेशी चीनी के बारे में है। तथापि, आयातित और स्वदेशी चीनी की सुगम उपलब्धता की दृष्टि में, खुले बाजार में चीनी के मूल्य उचित स्तरों पर बने रहे थे।

आयातित चीनी पर भी चीनी की बिक्री और स्टाक रखने की सीमा से सम्बन्धित सांविधिक प्रावधान लागू होते हैं। राज्य सरकारों को भी अचानक निरीक्षण करने/छापे मारने और जमाखोरी निरोधी अभियान चलाने तथा यह सुनिश्चित करने कि चीनी के लाइसेंसशुदा व्यापारी सांविधिक उपबन्धों का अनुपालन करते हैं, की सलाह दी गई है।

मत्स्य उद्योग विकास के सम्बन्ध में भारत यूरोपीय आर्थिक समुदाय परियोजना

1232. **श्री श्रीहरि राव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने भारत के मत्स्य उत्पादनों में बड़ी दिलचस्पी दिखाई है;

(ख) क्या यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने मछली विकास और उसके निर्यात के सम्बन्ध में यूरोपीय आर्थिक समुदाय और भारत के बीच एक संयुक्त अन्वेषण की पेशकश की है; और

(ग) यदि हां, तो इस पेशकश पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) यूरोपीय आर्थिक समुदाय के आयुक्त श्री क्लोड चेसन ने सितम्बर, 1985 में भारत में अपने दौरे के दौरान भारत में गहरे समुद्र में मत्स्यन विकास में तथा पकड़ी गई मछलियों का यूरोपीय आर्थिक समुदाय मंडी में निर्यात करने के लिए संयुक्त जोखिम में शामिल होने में रुचि दिखाई।

(ग) तथापि, यूरोपीय आर्थिक समुदाय की तरफ से अब तक कोई ठोस प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। जब कभी इस प्रकार का प्रस्ताव होगा तो गुण-दोष के आधार पर इसकी जांच की जाएगी।

मूंगफली का उत्पादन

1233. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु और उड़ीसा में सिंचाई की परिस्थितियों में गर्मी के मौसम में पैदा होने वाली मूंगफली के उत्पादन में वृद्धि करने की दृष्टि से खेती की प्रणाली का विविधीकरण करने के लिए सरकार का विचार क्या उपाय करने का है अथवा पहले ही कर लिए हैं; और

(ख) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल कितने एकड़ भूमि शामिल की गई है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) केन्द्र द्वारा प्रायोजित तिलहन विकास परियोजना तमिलनाडु तथा उड़ीसा राज्यों में चल रही है। रबी/ग्रीष्मकालीन मूंगफली के तहत क्षेत्र का विस्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। 1984-85 के दौरान रबी/ग्रीष्मकालीन मूंगफली के तहत का क्षेत्र तमिलनाडु में 290.5 हजार हैक्टेयर तथा उड़ीसा में 139.7 हजार हैक्टेयर था।

[हिन्दी]

पुनर्वास कालोनियों में नागरिक सुविधाएं

1234. **श्री भरत सिंह** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली की सभी पुनर्वास कालोनियों में सभी प्रकार के कार्य जैसे नालियों, सड़कों, फुटपाथ, पार्कों के निर्माण करने तथा बिजली, जल और सीवर लाइनों आदि की व्यवस्था करने का कार्य शुरू किया गया है और पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन कालोनियों के नाम क्या हैं जिनमें ये सुविधाएं प्रदान कर दी गई हैं तथा उनके नाम क्या हैं जिनमें ये सुविधाएं अभी प्रदान की जानी हैं;

(ग) इन कालोनियों पर कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है तथा कितनी खर्च किये जाने की सम्भावना है;

(घ) क्या सभी कालोनियों में ये कार्य गत छः महीने से बन्द कर दिए गए हैं;

(ङ) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण इन सभी कालोनियां दिल्ली नगर निगम को सौंप रहा है; और

(च) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) झुग्गी झोपड़ी उन्मूलन योजना के अन्तर्गत दिल्ली में विकसित पुनर्वास कालोनियों में नालियों, सड़कों, पथ प्रकाश आदि सहित सामुदायिक स्तर पर जल-पूर्ति तथा शौचालय सुविधाएं आरम्भ में मुहैया करा दी गई थीं। इन कालोनियों में पूर्ण विद्युतीकरण का कार्य दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा अब आरम्भ कर दिया गया है। अलग-अलग कनैक्शन देने के लिए जलपूर्ति तथा मल निर्यास लाइनों, अच्छी सड़कों तथा

नालियां, भू-गत तथा ऊपरी टैंक आदि जैसी अतिरिक्त सुविधाओं के प्रावधान के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत एक योजना भी दिल्ली विकास प्राधिकरण ने आरम्भ कर दी है और पूर्ण होने के विभिन्न सोपानों में है।

(ख) (i) जिन कालोनियों में दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा बिजली की व्यवस्था पहले ही की गई है और जहां बिजली की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है उनके नाम विद्युतीकरण पर व्यय की गई राशि या व्यय की जाने वाली राशि सहित सभा पटल पर रखे गये विवरण-I में दिये गये हैं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—1538/85]

(ii) पुनर्वास कालोनियों में जीवन स्तर के सुधार के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इन कालोनियों में अतिरिक्त सुविधाओं के प्रावधानों के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत योजना के अनुसरण में कई कार्य पहले ही पूरे कर लिए हैं या आरम्भ किए हैं। कालोनियों के नामों, पहले ही पूरे किए गए कार्यों, वे कार्य जो प्रगति पर हैं, निष्पादित किए जाने वाले शेष कार्यों, तथा उनके पूर्ण होने की सम्भावित तिथि, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा यथा विनिर्दिष्ट विवरण सभा पटल पर रखे गए विवरण-II में दिए गए हैं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० — 1538/85]

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने छठी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान पुनर्वास कालोनियों में अतिरिक्त सुविधाओं के प्रावधान के लिए योजना पर 35.35 करोड रुपये खर्च किए हैं और चालू वर्ष के दौरान 13.25 करोड़ रुपये का और व्यय करने की सम्भावना है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) पुनर्वास कालोनियों के अनुरक्षण को दिल्ली विकास प्राधिकरण से दिल्ली नगर निगम में अन्तरित करने का प्रस्ताव इसलिए किया गया है कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार दिल्ली नगर निगम के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत विभिन्न कालोनियों का अनुरक्षण इसका उत्तरदायित्व है।

[अनुवाद]

खारे पानी में मछली पैदा करना

1235. श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंहराज वाडियर : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में खारे पानी में मछली की पैदावार में काफी अधिक वृद्धि करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) कर्नाटक राज्य में खारे पानी वाले कितने क्षेत्र का विकास करने का विचार है;

(घ) क्या किसी अनुसंधान दल ने कर्नाटक में मछली के बीज पैदा करने और छोटी मछलियों को पालने की सम्भावनाओं के लिए कोई कार्यक्रम शुरू किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) छठी योजना के अन्त में खारे जल के मत्स्य कार्यों के विकास के बारे में शुरू की गई केन्द्रीय प्रायोजित योजना को सातवीं योजना में भी जारी रखा जा रहा है।

(ग) कर्नाटक में खारे जल के अधिकांश क्षेत्र निजी स्वामित्व वाले हैं। कर्नाटक सरकार का सातवीं योजना के दौरान मत्स्य और झींगा पालन के लिए सरकारी क्षेत्र में लगभग 50 हैक्टेयर खारे जल के क्षेत्र का विकास करने का प्रस्ताव है।

(घ) जी, हां।

(ङ) केन्द्रीय समुद्री मात्स्यकी अनुसंधान संस्थान ने जांच की है और कर्नाटक में पीनाइड झींगा बीज की उपलब्धि के सम्बन्ध में कर्नाटक सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जनता फ्लैटों का ठेका विदेशी फर्म को दिया जाना

1236. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर**
डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी } : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने जनता फ्लैटों के निर्माण का ठेका अन्तर्राष्ट्रीय निविदाएं आमंत्रित किए बिना एक विदेशी फर्म को दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो उस फर्म का नाम क्या है जिसे यह ठेका दिया गया है।

(ग) क्या इस प्रकार ठेका देने से जनता फ्लैटों की लागत में वृद्धि होगी; और

(घ) यदि हां, तो क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण का विचार वर्तमान ठेके को रद्द करने और नये सिरे से अन्तर्राष्ट्रीय निविदाएं आमंत्रित करने का है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

अखबारी कागज नीति

1237. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अखबारी कागज नीति में कुछ मूल परिवर्तन करने का है;

(ख) यदि हां, तो अखबारी कागज नीति में किए जाने वाले परिवर्तनों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी है कि अखबारी कागज का बहुत अधिक भण्डार हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार अखबारी कागज के बकाया भण्डारों को निपटाने के लिए क्या कदम उठाने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) मामला अभी सरकार के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में संतरों के लिए अनुसंधान केन्द्र

1238. **श्रीमती उषा चौधरी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र राज्य के विदर्भ क्षेत्र में संतरे तथा अन्य फलों के लिए अनुसंधान हेतु किस स्थल का चयन किया गया है और इस बारे में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) फल अनुसंधान केन्द्र के उद्देश्य और कार्यक्रमों को प्राप्त करने के लिए की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है और यह केन्द्र कब तक कार्य करना शुरू कर देगा ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) संतरे पर अनुसंधान के लिए महाराष्ट्र राज्य में नींबू अनुसंधान केन्द्र की स्थापना के लिए नागपुर-अमरावती राजमार्ग पर एक स्थान का चयन किया गया है। इस केन्द्र का 28 जुलाई, 1985 को विधिवत उद्-घाटन किया गया था।

(ख) इस केन्द्र के लिए केवल 100 हैक्टेयर भूमि वाला एक क्षेत्र प्राप्त किया गया है। नींबू वर्गीय फलों के विकास से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं, कृषि तकनीकों के मानकीकरण, बीमारियों, कीड़ों एवं गोलकृमियों के नियंत्रण तथा कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी पर एक तकनीकी कार्यक्रम तैयार

किया गया है। इस कार्य के लिए सातवीं योजना में 75 लाख रु० की अस्थायी (अंतरिम) व्यवस्था की गई है बशर्ते की इसे वित्त मन्त्रालय की स्वीकृति मिल जाए। आशा है कि पर्यवेक्षक स्टाफ की नियुक्ति के साथ ही यह केन्द्र दिसम्बर, 1985 से काम करना शुरू कर देगा।

[अनुवाद]

हिमाचल प्रदेश के लिए सूखा और बाढ़ सहायता

1239. **श्री के० डी० सुल्तानपुरी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने गत वर्ष हिमाचल प्रदेश सरकार को सूखा और बाढ़ राहत उपायों के लिए कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ख) उक्त अनुदानों के लिए क्या मानदण्ड अपनाया जाता है;

(ग) क्या केन्द्रीय दल सूखा बाढ़ आदि से हुए नुकसान का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न राज्यों का विलम्ब से दौरा करते हैं जिसके परिणामस्वरूप इन राज्यों को वित्तीय सहायता सामान्यत: देर से मिलती है; और

(घ) क्या सरकार ऐसी कोई नीति तैयार करेगी जिससे भविष्य में केन्द्रीय दल सूखा और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति का मूल्यांकन करने हेतु स्वत: ही वहां का दौरा कर सके ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) भारत सरकार ने वर्ष 1984-85 और 1985-86 के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार को प्राकृतिक आपदाओं के लिए निम्न केन्द्रीय सहायता मंजूर की हैं :

वर्ष	सूखा	(करोड़ रुपये में) बाढ़, भारी वर्षा आदि
1984-85	19.37	2.73 (1985-86 के लिए 6.67 करोड़ रुपये सहित)
1985-86	16.46	अभी तैयार किया जा रहा है

(ख) से (घ) उत्तरोत्तर वित्त आयोगों द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार किसी आपदा से प्रभावित जनता को राहत पहुंचाना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। इस प्रयोजन के लिए तुरन्त राहत के उपाय करने के लिए उनके पास आठवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित एक उपयुक्त मार्जिन धनराशि उपलब्ध है। मार्जिन धनराशि में राज्य तथा केन्द्र सरकार का बराबर का योगदान रहता है।

यदि राज्य सरकार को उनके अपने हिस्से को खर्च करने के बाद अतिरिक्त राशि की जरूरत होती है, तब वे अपनी जरूरत के मुताबिक केन्द्रीय सरकार को सहायता के लिए ज्ञापन भेज देते हैं। ज्ञापन प्राप्त होने पर सामान्यतया शीघ्र ही एक केन्द्रीय दल को सम्बन्धित राज्य में भेजा जाता है। केन्द्रीय दल के दौरा करने/रिपोर्ट देने तक, यदि राज्य सरकार की जरूरतें बहुत ही जरूरी हों, तो राज्य सरकार को साधनोपाय अग्रिम राशि निर्मुक्त कर दी जाती है ताकि वे निरन्तर राहत कार्य चला सकें।

मूल्य वृद्धि रोकने के लिए एक उच्च स्तरीय पैनल

1240. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11 अक्तूबर, 1985 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में मूल्य वृद्धि पर रोक और उत्पादों की गुणवत्ता के बारे में "पी० एम० सैट्स अप टू हाई लेवेल पैनल्स टू चेक प्राइसेज" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) सरकार का किस तरह से बाजार में बेचे जाने वाले सामान की गुणवत्ता की जांच करने और घटिया किस्म की वस्तुओं को समाप्त करने का विचार है; और

(ग) क्या दैनिक आवश्यकता की सभी उपभोक्ता वस्तुओं पर भारतीय मानक संस्थान का प्रमाण पत्र अनिवार्य करने का कोई प्रस्ताव है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) विभिन्न विनिर्माताओं द्वारा बेची जाने वाली वस्तुओं की गुणवत्ता की जांच करने के लिए सरकार ने कई उत्पादों के मामले में आई० एस० आई० चिह्न को अनिवार्य किया हुआ है। जो उत्पाद भारतीय मानक संस्था की अनिवार्य गुणवत्ता प्रमाणन चिह्न योजना के अन्तर्गत आते हैं, उनके घटिया होने की स्थिति में विनिर्माताओं के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाती है।

(ग) सरकार का इरादा आम खपत की उपभोक्ता वस्तुओं और उन वस्तुओं जिनमें उपभोक्ताओं की सुरक्षा निहित है, को धीरे-धीरे अधिकाधिक संख्या में भारतीय मानक संस्था की अनिवार्य प्रमाणन चिह्न योजना के अन्तर्गत लाने का है।

उड़ीसा द्वारा उर्वरकों के वितरण के लिए उदार शर्तों पर ऋण की सुविधा देने का अनुरोध

1241. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा सरकार ने राज्य में उर्वरकों की खपत में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए केन्द्रीय सरकार से उदार शर्तों पर ऋण की सुविधा देने का अनुरोध किया है;

(ख) क्या उसने यह भी अनुरोध किया है कि उर्वरकों के वितरण के लिए गैर-सरकारी व्यापारियों को न केवल रेल मुहानों पर जैसाकि इस समय हो रहा है, बल्कि सुदूर दुर्गम्य क्षेत्रों में वितरण के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) उड़ीसा सरकार कृषि आदानों अर्थात् उर्वरकों, बीजों और कीटनाशियों की खरीद और वितरण के लिए अल्पकालीन ऋण की अतिरिक्त राशि मंजूर करने के लिए अनुरोध करती रही है ताकि इन आदानों की अधिप्राप्ति और आपूर्ति के लिए संस्थागत एजेंसियों को पर्याप्त पूंजी उपलब्ध कराई जा सके। उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया है कि उड़ीसा में निजी व्यापार के इस कार्य को व्यापक तरीके से नहीं लिया है। तथापि, अल्पकालीन ऋण की मंजूरी को सीमित किए जाने के प्रावधान के कारण वर्ष 1985-86 के दौरान राज्य की 30 करोड़ रुपये की मांग की तुलना में केवल 11.50 करोड़ रु० की धनराशि मंजूर की जा सकी है। राज्य सरकार निजी व्यापार पर लगातार दबाव डाल रही है कि वह दूरवर्ती क्षेत्रों में उर्वरक के वितरण का कार्य आरम्भ करे।

[हिन्दी]

लेवी चीनी के मूल्यों में वृद्धि

1242. **श्री छीतू भाई गामित** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गन्ने की उत्पादन लागत में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए लेवी चीनी के मूल्यों में वृद्धि करने की मांग की गई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ख) लेवी चीनी के मूल्यों में कितनी वृद्धि की मांग की गई है; और

(ग) लेवी चीनी के मूल्यों में कितनी वृद्धि किए जाने का प्रस्ताव है, यह वृद्धि कब तक की जाएगी तथा सरकार द्वारा इस बारे में उठाए जा रहे ठोस कदमों का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) जी, हां। चीनी उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों में से इस्मा नामक एक संगठन ने चीनी के मूल्य को बढ़ाकर 413/- रुपये प्रति क्विटल करने की मांग की है। उनकी यह मांग चालू मौसम, 1985-86 के लिए गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य बढ़ाकर 8.5 प्रतिशत की मूल रिकवरी पर 18/- रुपये प्रति क्विटल करने विषयक उनके अनुरोध पर आधारित है।

(ग) सरकार ने अब 1985-86 के लिए लेवी चीनी के निकासी मूल्य 8.5 प्रतिशत की रिकवरी पर गन्ने के 16.50 रुपये प्रति क्विटल के सांविधिक न्यूनतम मूल्य को दृष्टि में रखकर 14-11-85 को निर्धारित किए हैं। लेवी चीनी का अखिल भारत औसत निकासी मूल्य 1984-85

के 346.75 रुपये प्रति क्विटल से बढ़ाकर 1985-86 में 391.00 रुपये प्रति क्विटल कर दिया गया है। लेवी चीनी का खुदरा मूल्य 4.40 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 1.12.1985 से 4.80 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया जाएगा।

[अनुवाद]

हिन्दुस्तान उर्वरक निगम की दुर्गापुर इकाई में काम न होना

1243. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान उर्वरक निगम की दुर्गापुर इकाई में अनेक महीनों से काम नहीं हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री० के० नटवर सिंह) : (क) और (ख) जी नहीं। एच० एफ० सी० के दुर्गापुर एकक को इस वर्ष मई के दौरान नियोजित अनुरक्षण के लिए बन्द कर दिया गया था। उसके बाद बारम्बार उपस्कर की खराबी तथा पावर ग्रिड से पावर लेने की पाबन्दी के कारण, संयंत्र को सतत आधार पर अभी स्थित होना है, परन्तु इसने बीच-बीच में कार्य किया है और यूरिया की कुछ मात्रा उत्पादित की है।

भूमिहीनों में फालतू भूमि का आबंटन

1244. **श्री जायनल अबेदिन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि में राज्य-वार भूमिहीनों में पुन:वितरण के लिए कितना फालतू भूमि क्षेत्र उपलब्ध होने की संभावना है;

(ख) क्या राज्यों द्वारा फालतू भूमि का पुन: वितरण कार्य सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान पूरा होने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) से (ग) सातवीं योजना अवधि में भूमिहीनों को वितरण हेतु उपलब्ध की जाने वाली फालतू भूमि का मूल्यांकन करना संभव नहीं है, क्योंकि फालतू घोषित भूमि में से लगभग 16.19 लाख एकड़ भूमि न्यायालयों में मुकदमेबाजी में फंसी पड़ी है। तथापि, सातवीं योजना के आरम्भ होने के समय उपलब्ध सूचना के अनुसार वितरण हेतु उपलब्ध होने वाले अनुमानित क्षेत्र का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

यद्यपि, भारत सरकार ने राज्य सरकारों पर सातवीं योजना अवधि के दौरान फालतू भूमि

के वितरण का कार्य पूरा करने हेतु जोर दिया है, तथापि, भूमि वितरण की प्रगति न्यायालयों से फैसला हो जाने के पश्चात ही फालतू भूमि के उपलब्ध होने पर निर्भर करेगी।

राज्यों के राजस्व मंत्रियों के मई, 1985 को हुए सम्मेलन में राज्यों को राजस्व तथा अन्य न्यायालयों में मुकदमेबाजी में रुके हुए मामलों को शीघ्र निपटाने हेतु आवश्यक प्रशासनिक तथा कानूनी कार्रवाई करने के लिए जोर दिया गया था। राज्यों को फालतू भूमि के मामलों को शीघ्र निपटाने हेतु संविधान के अनुच्छेद 323-बी के अंतर्गत न्यायालयों और/अथवा संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से उच्च न्यायालयों में विशेष न्यायालयों/बैंचिज स्थापित करने का भी सुझाव दिया गया था।

विवरण

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र		उपलब्ध क्षेत्र
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	58638
2.	असम	36265
3.	बिहार	16841
4.	गुजरात	36479
5.	हरियाणा	4881
6.	हिमाचल प्रदेश	14629
7.	जम्मू व कश्मीर	—
8.	कर्नाटक	4694
9.	केरल	5190
10.	मध्य प्रदेश	21458
11.	महाराष्ट्र	29212
12.	मणिपुर	605
13.	उड़ीसा	3814
14.	पंजाब	89
15.	राजस्थान	21746
16.	तमिलनाडु	7295

1	2	3
17.	त्रिपुरा	443
18.	उत्तर प्रदेश	2078
19.	पश्चिम बंगाल	31168
20.	दादरा व नगर हवेली	160
21.	पांडिचेरी	371
22.	दिल्ली	—
	कुल :	296056

ईंट भट्टा तथा चाय उद्योग में श्रमिकों/
कर्मचारियों की आमदनी

1245. **श्री अजय विश्वास** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982, 1983 और 1984 के दौरान (राज्यवार) नियुक्त किए गए श्रमिकों की कुल अनुमानित औसत दैनिक संख्या क्या है; और

(ख) ईंट भट्टा तथा चाय उद्योग में नियुक्त श्रमिकों की औसतन वार्षिक आमदनी क्या है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अंजैया) : (क) कारखानों में कुल अनुमानित औसत दैनिक रोजगार के बारे में नवीनतम आंकड़े वर्ष 1982 की अवधि के लिए उपलब्ध हैं। एक विवरण संलग्न है जिसमें (राज्य-वार) आंकड़ों को दर्शाया गया है।

(ख) ईंट भट्टों और चाय उद्योग में नियोजित श्रमिकों की औसत वार्षिक आय के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि उपलब्ध नवीनतम इंडियन लेबर ईयर बुक, 1984 के अनुसार, खाद्य उत्पादों के उत्पादन (हाइड्रोजिनीकृत तेलों, चाय, काफी और काजू संसाधन; पशु-चारा और स्टार्च आदि) में नियोजित श्रमिकों की औसतन आमदनी (कटौती करने से पहले) 1978-79 में प्रतिदिन 8.70 रुपये थी।

विवरण

1982 के दौरान कारखानों में अनुमानित औसत दैनिक रोजगार (अ)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	प्रतिदिन अनुमानित औसत रोजगार का योग 1982
1	2
आंध्र प्रदेश	526,477
आसाम	89,244
बिहार	420,858
गुजरात	694,652
हरियाणा	213,143
हिमाचल प्रदेश	13,900 (अन्)
जम्मू और काश्मीर	22,774
कर्नाटक	492,185 (अन्)
केरल	288,523
मध्य प्रदेश	415,972
महाराष्ट्र	1,158,965
मणिपुर	2,617
मेघालय	2,552
उड़ीसा	107,654
पंजाब	240,196
राजस्थान	173,324
तमिलनाडु	790,803
त्रिपुरा	18,398 (अन्)
उत्तर प्रदेश	548,617 (अन्)

1	2
पश्चिम बंगाल	911.195
अण्डमान और निकोबार द्वीप	4,710
चण्डीगढ़	14,116(अनु)
दादर और नगर हवेली	2,106
दिल्ली	168,140
गोआ, दमन और दीव	15,765
पांडिचेरी	16,366
कुल :	7,353,253

(अ) = अनन्तिम

(अनु) = रिपोर्टों के प्राप्त न होने के कारण पिछले वर्ष के आंकड़ों की पुन: गणना के अनुमान पर आधारित।

(स्त्रोत : कारखाना अधिनियम, 1948 के अधीन वार्षिक विवरणियां)

केरल दिनेश बीड़ी सहकारी समिति, कण्णनौर में बीड़ी श्रमिकों के लिए कार्य शेड का निर्माण

1246. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष के प्रारम्भ में केरल के कण्णनौर जिले का अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन दल द्वारा किए गए दौरे के व्यय से केरल दिनेश बीड़ी सहकारी समिति में कार्यरत बीड़ी श्रमिकों के लिए कार्य शेड के निर्माण में कोई प्रगति हुई है;

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा उक्त कार्य शेड के निर्माण हेतु कुल कितनी सहायता की पेशकश की गई है और इस ऋण को किश्त में अथवा एक मुश्त में दिया जायेगा; और

(ग) पेशकश किये गए ऋण की क्या शर्तें हैं और क्या इसको वापस किया जाएगा ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अंजैया) : (क) से (ग) "बीड़ी श्रमिकों के बीच श्रमिक सहकारी समितियों को प्रोत्साहन" नामक प्रारूप प्रोजेक्ट आइडिया हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कार्यालय से प्राप्त हुआ है। इस दस्तावेज की श्रम मन्त्रालय में जांच की जा रही है।

दिल्ली में कृषि आयुक्तों का सम्मेलन

1247. **श्री बालासाहेब विखे पाटिल :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में अक्तूबर, 1985 में कृषि आयुक्तों का एक सम्मेलन हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त सम्मेलन में रबी उत्पादन के बारे में कोई मूल्यांकन किया गया था;

(ग) क्या सम्मेलन में उत्पादन बढ़ाने के लिए अच्छे किस्म के बीजों की समन्वित पूर्ति की आवश्यकता पर बल दिया गया था; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में तैयार की गई कार्य योजना का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) सम्मेलन ने रबी उत्पादन का कोई मूल्यांकन नहीं किया है।

(ग) जी हां।

(घ) राज्य सरकारों के परामर्श से बीज, उर्वरक आदि जैसे महत्वपूर्ण आदानों को समय पर तथा पर्याप्त आपूर्ति के लिए विस्तृत योजनाओं को अन्तिम रूप दिया गया। इनमें रबी मौसम के दौरान 55 लाख मीटरी टन पोषक तत्व तथा 31.53 लाख क्विंटल प्रमाणीकृत/उत्तम बीज शामिल हैं।

खाद्यान्नों और दालों की उत्पादकता

1248. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गेहूं की उत्पादकता दर में तो वृद्धि हुई है किंतु चावल, मोटे अनाज और दालों के मामले में उत्पादकता दर में पिछले तीन वर्षों से गिरावट आती जा रही है;

(ख) क्या इस तथ्य के बावजूद इन फसलों के क्षेत्र में वृद्धि हुई है, फसलों की उत्पादन दर में कमी बनी हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस गिरावट को रोकने और पूर्व स्थिति प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) चावल, मोटे अनाजों और दालों की उत्पादकता में पिछले तीन वर्षों के दौरान वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई दी है यद्यपि इनकी वृद्धि की दर इतनी नहीं रही है जितनी गेहूं के मामले में है। सभी फसलों का उत्पादन 1982-83 की तुलना में 1984-85 में अधिक हुआ है। यह मुख्य रूप से उत्पादकता में वृद्धि के

कारण हुआ है जैसा कि नीचे दिए गए ब्यौरे से देखा जा सकता है :—

ए : क्षेत्रफल लाख हेक्टेयर
पी : उत्पादन लाख मी० टन में
वाई : उपज कि० ग्रा० हे० में

फसल	1982-83	1983-84	1984-85
गेहूं ए	235.67	246.72	236.14
पी	427.94	454.76	442.29
वाई	1816	1843	1873
चावल ए	382.62	412.44	411.59
पी	471.16	600.97	586.36
वाई	1231	1457	1425
मोटे अनाज ए	404.33	417.05	391.65
पी	277.52	339.07	311.64
वाई	686	813	796
दालें ए	228.33	235.42	227.31
पी	118.57	128.63	121.95
वाई	519	548	536

वर्ष-वार उतार-चढ़ाव मौसम की हालतों के कारण हुए हैं।

(घ) उच्चतर स्तर पर उत्पादन को स्थिर करने के लिए किए जा रहे उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं : —

(1) सिंचित और वर्षा पर निर्भर क्षेत्रों में उत्पादकता अधिक से अधिक बढ़ाना।

(2) प्रौद्योगिकी, बीज पौद संरक्षण रसायन, ऋण आदि जैसे कृषि आदानों की समय पर आसानी से और पर्याप्त सप्लाई करना।

(3) अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम के अधीन क्षेत्र बढ़ाना।

(4) उन फसलों और क्षेत्रों दोनों के लिए जल प्रवाह प्रबंध पर वर्षा पर निर्भर कृषि प्रौद्योगिकी का प्रचार करना, जिनमें अच्छा कार्य नहीं हुआ है और अधिक वृद्धि दरें नहीं दिखाई दी हैं।

(5) खास खास ब्लाकों में विशेष चावल उत्पादन परियोजनाओं के कार्यान्वियन के माध्यम से पूर्वी राज्यों में चावल उत्पादन में अधिक से अधिक वृद्धि करना।

(6) केन्द्रीय प्रत्यायोजित स्कीम के रूप में विशेष दाल विकास कार्यक्रम के माध्यम से दालों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना, जिसके अधीन प्रमाणित बीजों, राइजोबियम कल्चर, पौध संरक्षण रसायनों और उपकरणों के लिए तथा उन्नत तरीकों के अपनाने के वास्ते किसानों को प्रेरित करने के लिए नए क्षेत्रों में दालों की परीक्षण खेती करने के लिए सहायता दी जाती है।

(7) एकीकृत पौध संरक्षण उपाय अपनाना।

(8) किसानों को लाभकारी कीमतों का आश्वासन देना तथा बुआई के मौसम से पहले उसकी घोषणा करना और इन कीमतों पर जिंसों की खरीद के लिए संगठनात्मक समर्थन भी प्रदान करना; और

(9) अनुसंधान प्रयास तेज करना ताकि अधिक किसानों, खेती प्रणालियों और क्षेत्रों को नई प्रौद्योगिकी का लाभ पहुंचाया जा सके।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्रयोग में लाई जा रही भण्डार सुविधाएं

1249. **श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्रयोग में लाई जा रही सभी भण्डारण गोदाम सुविधाएं संबंधी सुविधाएं सरकारी हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार भारतीय खाद्य निगम के कुछ कार्यों को निजी व्यक्तियों या कम्पनियों को सौंपने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

केरल में शहरी विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय अभिकरणों से धन

1250. **श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा केरल में कन्नानौर और कालिकट में शहरी विकास के लिए कोई योजनाएं शुरू की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या उक्त शहरों में शहरी विकास की किसी योजना के लिए अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय अभिकरणों से कोई धनराशि प्राप्त हुई है और यदि हां, तो उसके उपयोग का ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) इन दो शहरों में शहरी विकास योजनाओं के लिए अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों से कोई निधियां प्राप्त नहीं हुई हैं।

संगठित क्षेत्र में रोजगार

1251. **श्री भोलानाथ सेन** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गत तीन वर्षों के दौरान संगठित क्षेत्र में रोजगार बढ़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की तुलना में पश्चिम बंगाल में संगठित क्षेत्र में रोजगार में हुई वृद्धि/गिरावट क्या है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) जी, हां। पिछले तीन वर्षों अर्थात मार्च, 1981 मार्च, 1984 के दौरान संगठित क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि हुई है जिसकी सूचना रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्ध है।

(ख) मार्च 1981 और मार्च, 1984 के बीच इसमें 5.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(ग) इसी अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल में संगठित क्षेत्र में 1.6 प्रतिशत की कमी हुई। रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम के अन्तर्गत अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में इसी अवधि के दौरान संगठित क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि/कमी की प्रतिशतता दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	मार्च, 1981—मार्च, 1984 के दौरान वृद्धि/कमी की प्रतिशतता
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	+ 6.2
2.	असम	+ 1.3

1	2	3
3	बिहार	+ 4.9
4.	गुजरात	+ 9.6
5.	हरियाणा	+ 7.6
6.	हिमाचल प्रदेश	+ 2.1
7.	जम्मू व कश्मीर	+ 12.7
8.	कर्नाटक	+ 6.8
9.	केरल	+ 4.7
10.	मध्य प्रदेश	+ 7.6
11.	महाराष्ट्र	+ 2.8
12.	मणिपुर	+ 29.1
13.	मेघालय	+ 5.2
14.	नागालैण्ड	+ 8.6
15.	उड़ीसा	+ 10.4
16.	पंजाब	+ 9.5
17.	राजस्थान	+ 8.3
18.	तमिलनाडु	+ 10.7
19.	त्रिपुरा	+ 17.2
20.	उत्तर प्रदेश	+ 8.8
21.	चण्डीगढ़	+ 13.2
22.	दिल्ली	+ 4.0
23.	गोवा, दमन व द्वीव	+ 13.2

1	2	3
24.	मिजोरम	+ 47.0
25.	पाण्डिचेरी	— 2.4
	योग पश्चिम बंगाल को छोड़कर अन्य सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्र	+ 6.8

टिप्पणी :—1.*रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम के अन्तर्गत संगठित क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र की सभी स्थापनाएं तथा निजी क्षेत्र की गैर-कृषि स्थापनाएं शामिल हैं जो 10 या उससे अधिक व्यक्तियों को नियोजित करती हैं।

2. रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम के अन्तर्गत सिक्किम, अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, दादर व नागर हवेली, और लक्षद्वीप तथा मिनिकाय द्वीप समूह को छोडकर सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को शामिल किया गया है।

[हिन्दी]

उर्वरकों का आयात

1252. डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरकों को भारी मात्रा में आयात करने का निर्णय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उर्वरकों की कितनी मात्रा का आयात करने का प्रस्ताव है तथा उन देशों के क्या नाम हैं जहां से उसका आयात करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो उर्वरकों की कमी किस प्रकार पूरी की जायेगी ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) पिछले वर्षों की भांति चालू वर्ष के दौरान भी अपेक्षित मात्रा में उर्वरकों का आयात किया जा रहा है ताकि मांग तथा स्वदेशी उपलब्धता के बीच के अन्तर को पूरा किया जा सके।

(ख) इन ब्यौरों को बताना सार्वजनिक हित में नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना के लिए विश्व बैंक से ऋण

1253. डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना के लिए ऋण की सीमा बढ़ाई है;

(ख) यदि हां, तो कितनी और उसकी शर्तें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इस परियोजना पर होने वाले व्यय को कैसे पूरा किया जाएगा ?

कृषि और सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान। दूसरे चरण के लिए।

(ख) राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना के पहले चरण की परियोजना हेतु 54 मिलियन अमरीकी डालर की सीमा थी। दूसरे चरण में यह सीमा 1-10-85 से 7 वर्ष की अवधि तक 110.96 मिलियन अमरीकी डालर तक बढ़ा दी गई है। इसके अतिरिक्त, पहले चरण के दौरान आई० डी० ए० ने कुल व्यय की 50 प्रतिशत राशि की प्रतिपूर्ति की थी किंतु दूसरे चरण के दौरान आई० डी० ए० इस योजना के कुल व्यय की 65 प्रतिशत राशि की प्रतिपूर्ति करेगा।

(ग) इस परियोजना का कुल व्यय भारत सरकार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को आबंटित योजना निधियों के माध्यम से वहन करेगी। आई० डी० ए० ऋण-राशि के रूप में भारत सरकार को अमरीकी डालर के 63 प्रतिशत व्यय की अदायगी करेगा।

[अनुवाद]

तिरूमाला में उच्च शक्ति के ट्रांसमीटर की स्थापना करना

1254. **डा० चिंता मोहन** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिरूमाला में उच्च शक्ति का टी० वी० ट्रांसमीटर स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; तथा सातवीं योजना के अन्तर्गत इसके लिए क्या समय निर्धारित किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) तिरूपति के अल्प शक्ति वाले मौजूदा दूरदर्शन ट्रांसमीटर को, जो अन्य स्थानों के साथ-साथ तिरूमाला में भी दूरदर्शन सेवा उपलब्ध करता है, सातवीं योजना अवधि के दौरान एक उच्च शक्ति (10 किलोवाट) वाले दूरदर्शन ट्रांसमीटर द्वारा बदल दिए जाने का प्रस्ताव है। तथापि, इन परियोजना का कार्यान्वयन उन वर्ष-वार चरणबद्धताओं तथा अग्रताओं पर निर्भर करेगा, जो योजना आयोग द्वारा स्वीकृत की जाएं।

खतरनाक सामग्री का प्रयोग करने वाले रासायनिक एककों में सुरक्षा व्यवस्था

1255. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम**
श्री उत्तमराव पाटिल } : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भोपाल दुर्घटना के बाद,खतरनाक सामग्री का प्रयोग तथा संसाधन करने वाले रासायनिक एककों में पूरी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) क्या यह कदम लघु उद्योग एककों के लिए भी उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस बारे में विभिन्न विशेषज्ञ दलों का गठन किया है;

(घ) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में ऐसे दलों का गठन किया गया है; और

(ङ) क्या इन दलों के कार्य पर निगरानी रखी जा रही है और स्थिति संतोषजनक है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) सरकार ने उन सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को परामर्श दिया है, जो कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत प्रवर्तन प्राधिकारी हैं, कि वे अपने क्षेत्र में उन सभी यूनिटों का पता लगाएं जो खतरनाक निर्माण प्रक्रिया में लगी हुई हैं और उनके द्वारा सुरक्षा मानदंडों के पूर्ण अनुपालन को सुनिश्चित कराएं।

(ख) सभी छोटे औद्योगिक यूनिट, जो कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत कारखाने के रूप में पंजीकृत हैं, भी सरकार के निर्देशों के अन्तर्गत आते हैं।

(ग) से (ङ) भोपाल औद्योगिक दुर्घटना के तुरन्त पश्चात्, सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध किया गया है कि वे खतरनाक यूनिटों का पता लगाने और उन यूनिटों में सुरक्षा मानदंडों के उचित प्रवर्तन हेतु उपयुक्त मानीटरिंग कार्यवाही करने के लिए टास्क फोर्स/विशेषज्ञ समितियों का गठन करें। अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार महाराष्ट्र, तमिलनाडू, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की सरकारों और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र ने इस सम्बन्ध में टास्क फोर्स/विशेषज्ञ ग्रुपों का गठन किया है। इस मामले की राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ नियमित रूप से पैरवी की जा रही है।

हिमाचल प्रदेश में बढ़ते रेगिस्तान को रोकना

1256. **श्री एस० एम० भट्टम** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिमाचल प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों किन्नौर और लाहौल-स्पीति जिलों में रेगिस्तान विकास परियोजना प्रायोजित की है ;

(ख) क्या सरकार ने बढ़ते रेगिस्तान को रोकने के लिए देश में, अन्य क्षेत्रों का पता लगाया

है जहां ऐसी परियोजनायें शुरू करने की आवश्यकता है;

(ग) यदि हां, तो इन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) ऐसी परियोजनाओं के लिए सातवीं योजना में कितनी राशि आबंटित की गई है ?

कृषि मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर): (क) से (घ) मरूभूमि विकास कार्यक्रम 1977-78 में 5 राज्यों अर्थात राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू व कश्मीर के चुने हुए क्षेत्रों में आरम्भ किया गया था। इसमें हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के स्पीति क्षेत्र को शामिल किया गया था। वर्ष 1982-83 से इस कार्यक्रम का विस्तार हिमाचल प्रदेश के जिला किन्नौर के पुह खंड में भी किया गया था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अब 5 राज्यों के 21 जिलों के 131 खण्डों को शामिल किया गया है, जिनमें हिमाचल प्रदेश के शीतशुष्क क्षेत्रों में स्पीति तथा पुह के 2 खण्ड भी शामिल हैं।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत भू-संरक्षण, वनरोपण, रेत के टीले जमाना, तथा वायुरोधी पौध रोपण से मरूस्थलीकरण को नियंत्रित करने तथा जल संरक्षण, लघु सिंचाई, भू-जल विकास, बरानी खेती तथा बागवानी, पशुधन, चरागाह तथा चारा विकास आदि से क्षेत्र की उत्पादकता को बढ़ाने की योजनाएं भी शामिल की गई हैं।

सातवीं योजना के दौरान मरुभूमि विकास कार्यक्रम के लिए 245 करोड़ रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है।

महाराष्ट्र में पानी की सप्लाई के लिए विश्व बैंक की सहायता

1257. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का महाराष्ट्र में उन सभी गांवों को, जहां एक मील की परिधि के भीतर पेय जल उपलब्ध नहीं है, पानी की सप्लाई करने के उद्देश्य से परियोजना के लिए विश्व बैंक की सहायता लेने का विचार है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर): महाराष्ट्र में उन सभी गांवों को जहां एक मील की परिधि के भीतर पेय जल उपलब्ध नहीं है, पानी की सप्लाई करने हेतु विश्व बैंक की सहायता से परियोजना शुरू करने के लिए महाराष्ट्र सरकार से भारत सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रोजेक्ट एण्ड डिवलेपमेंट इन्डिया लि० में जाली प्रमाण-पत्रों के आधार पर भर्ती किए गए कर्मचारी

1258. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान धनबाद के सभी स्थानीय समाचार पत्रों में हाल ही में प्रकाशित इस रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है कि पी० डी० आई० एल० (प्रोजेक्टस एण्ड डिवलेपमेंट इंडिया लि०)

में कर्मचारी जाली प्रमाण-पत्रों के आधार पर भर्ती होकर कार्य कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में तथ्यात्मक ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) और (ख) प्रोजेक्ट्स एण्ड डिवलेपमेंट इंडिया लि० (पी० डी० आई० एल०) ने सूचना दी है कि उनके कुछ कर्मचारियों ने अपनी शैक्षणिक योग्यताओं में वृद्धि के सम्बन्ध में झूठे प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए हैं। प्रबन्धकों ने मामले की जांच करने के लिए एक विभागीय समिति की नियुक्ति की। उन प्रमाणपत्रों को सम्बन्धित विश्वविद्यालयों/संस्थानों से सत्यापित करवाया गया। झूठे प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने वाले कर्मचारियों को प्रबन्धकों द्वारा दण्डित किया गया। प्रबन्धकों द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाये गए हैं कि इस प्रकार के मामले भविष्य में न हों।

[हिन्दी]

बिहार के शहरों का विकास

1259. **श्री विजय कुमार यादव**: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में शहर बहुत दयनीय, पूर्णतः अविकसित और उपेक्षित स्थिति में है;

(ख) क्या सरकार ने बिहार में उन सभी शहरों का विकास करने की कोई योजना तैयार की है जिनमें जिला मुख्यालय स्थित हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किए गए ऐसे शहरों के नाम क्या हैं और इसके लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) कार्यान्वयन के लिए उचित विकास योजनाओं के अभाव में तथा सांस्थानिक प्रबन्धों की कमी से बिहार में कतिपय शहर/नगर अव्यवस्थित रूप में बढ़ रहे हैं।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्र द्वारा प्रवर्तित छोटे तथा मध्यम दर्जे के नगरों की एकीकृत विकास योजना के अन्तर्गत 15 नगरों को अनुमोदित किया गया था। अनुमोदित नगरों तथा दी गई निधियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में हैं।

केन्द्रीय सरकार ने बिहार के सभी शहरों के विकासार्थ कोई योजना आरम्भ नहीं की है।

(ग) सिवान शहर को चालू पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लिया गया है तथा कम लागत स्वच्छता सहित अनुमोदित योजनाओं के बारे में 27.22 लाख रुपये की राशि दी गई है।

7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार के पांच और शहरों को शामिल कर लिए जाने की संभावना है। निम्नलिखित दो शहरों को अनुमोदित कर दिया गया है। तथापि, केन्द्रीय ऋण सहायता अभी दी जानी है;

(i) सीतामढ़ी

(ii) किशनगंज

विवरण

1979-85 के दौरान बिहार को आई० डी० एस० एम० टी० तथा एल० सी० एस० के लिए नगर वार निधियों का दिया जाना

(लाख रुपयों में)

क्रम सं०	राज्य शहर	आई० डी० एस० एम० टी०		एल० सी० एस०		योग	
		अनुमोदित प्रोग्राम	दी गई राशि	अनुमोदित प्रोग्राम	दी गई राशि	अनुमोदित प्रोग्राम	दी गई राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	हाजीपुर बिहार (15)	105.03	35.00	5.60	2.18	110.63	37.18
2.	गोपालगंज	84.30	20.00	2.97	1.15	87.27	21.15
3.	सहरसा	74.08	4.00	—	—	74.08	4.00
4.	डैल्टनगंज	79.78	10.00	—	—	79.78	10.00
5.	छपरा	66.78	10.00	—	—	66.78	10.00
6.	दुमका	89.28	18.50	—	—	89.28	18.50
7.	चाईबासा	99.09	10.50	—	—	99.09	10.50

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	बेगुसराय	85.69	33.50	—	—	85.69	33.50
9.	देवगढ़	81·44	26.00	—	—	81.44	26.00
10.	आरा	81.56	26.00	—	—	81.56	26.00
11.	हजारी बाग	80.00	7.50	17.22	6.70	97.22	14.20
12.	बतिया	66.12	29.00	20.25	7.87	86.37	36.87
13.	गिरधी	80.03	15.00	17.21	6.70	97.24	21.70
14.	धनबाद	79.90	32.00	7.48	2.91	87.38	34.91
15.	कटिहार	82.92	21.00	17.22	6.70	100.14	27.70
	योग:	1236.00	298.00	87.95	34.21	1323.95	332.21

टिप्पणी :—छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 332.21 लाख रुपये की दी गई उपर्युक्त राशि के अतिरिक्त 43.72 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता चालू वित्तीय वर्ष में दी गई है अत: बिहार राज्य को दी गई कुल राशि 375.93 लाख रुपये है।

[अनुवाद]

बेघर लोगों के लिए मकानों का निर्माण

1260. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 1987 को "आश्रयहीनों के लिए आश्रय" वर्ष के रूप में मनाने का है;

(ख) उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत गांवों और शहरों में सरकार द्वारा कितने मकानों का निर्माण करने का विचार है;

(ग) आवास समस्या को हल करने के लिए गठित कार्य दल ने इस सम्बन्ध में क्या सुझाव दिए हैं;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में निजी क्षेत्र की भागीदारी भी अपेक्षित होगी; और

(ङ) इस शताब्दि के अन्त तक कितने लोगों के बेघर रहने की संभावना है और यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या ठोस योजना बनाई है कि ये बेघर समस्या 21 वीं शताब्दि में न रहे ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) जी, हां।

(ख) आवास राज्य का विषय होने के कारण बेघरों के लिए घर के अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत बनाये जाने वाले मकानों की संख्या का निर्धारण राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जायेगा।

(ग) आवास समस्याओं के समाधान के लिए विशेष रूप से किसी कार्यकारी दल का गठन नहीं किया गया है।

(घ) निजी क्षेत्र, आवास क्षेत्र में पहले ही एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है और आशा की जाती है कि यह जारी रहेगी।

(ङ) 20वीं शताब्दी के अन्त तक बेघर लोगों की संख्या बताना इस स्तर पर सम्भव नहीं है। तथापि, इस सम्बन्ध में सरकार के कार्यक्रम योजना दस्तावेजों में प्रतिबिम्बित हैं।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा कीटनाशी दवाइयों से मानव स्वास्थ्य को होने वाले खतरे के सम्बन्ध में अध्ययन

1261. **प्रो० राम कृष्ण मोरे**
श्री मोहम्मद महफूज अली खां } : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा हाल में किए गए एक अध्ययन के अनुसार देश में कुछ कीटनाशी दवाइयों के बढ़ते हुए और अंधाधुंध इस्तेमाल किए जाने से मानव स्वास्थ्य को और पर्यावरण को भारी खतरा है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा किए गए अध्ययन के निष्कर्षों की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार खतरनाक कीटनाशी दवाइयों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का है, यदि हां, तो इस दशा में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना): (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के एक वैज्ञानिक ने अपने हाल ही के "यूज आफ डी० डी० टी० एण्ड इट्स इन्वायरमेन्टल इफेक्ट्स इन इण्डिया प्रकाशन शीर्षक में यह राय व्यक्त की है कि अंधाधुंध कीटनाशियों के उपयोग से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को खतरा हो सकता है। यह कहा गया है कि पर्यावरण के विभिन्न संघटकों में डी० डी० टी० सर्वव्यापक रूप से विद्यमान है। तथापि वैज्ञानिक रिपोर्ट के अनुसार स्थिति भयाप्रद नहीं है जैसा कि कुछ क्षेत्रों में बताया गया है।

(ग) कृषि तथा सहकारिता विभाग ने एक विशेषज्ञ समिति गठित की है, जिसके अध्यक्ष अन्तर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त विशेषज्ञ श्री एस० एन० बनर्जी हैं, जो सभी कीटनाशियों के उपयोग की समीक्षा करेंगे जिन पर अन्य देशों में रोक या प्रतिबंध लगाया गया है। समिति ने कुछ अन्तरिम सिफारिशें की हैं तथा सभी सम्बन्धित तथ्यों को ध्यान में रखकर प्रश्नगत कीटनाशियों के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा।

खरीफ फसल के तिलहनों के समर्थन मूल्य में वृद्धि

1262. **प्रो० रामकृष्ण मोरे**
श्री मोहम्मद महफूज अली खां
: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में खरीफ फसल के तिलहनों का समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल 10 रुपये बढ़ा दिया है;

(ख) यदि हां, तो खरीफ फसल के तिलहनों के समर्थन मूल्य में की गई वृद्धि किस प्रकार से उत्पादन लागत में होने वाली वृद्धि के अनुपात में समझी जाती है और क्या यह उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्पादकों को दिया गया पर्याप्त मुआवजा समझा जाता है; और

(ग) क्या तिलहनों के आयात पर निर्भरता निरन्तर बनी रहने को ध्यान में रखते हुए सरकार

का विचार घोषित समर्थन मूल्य में और वृद्धि करने का है, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना): (क) जी हां।

(ख) और (ग) न्यूनतम समर्थन मूल्य का स्तर निर्धारित करते समय सरकार फसल की पैदावार/उत्पादन की लागत को ध्यान में रखती है। यह इस प्रयोजन के लिए विशेषरूप से प्रचालित अनवरत स्कीम द्वारा तैयार किए गए उत्पादन लागत के आंकड़ों के आधार पर होता है। इसके अलावा, सरकार विभिन्न अन्य सम्बन्धित पहलुओं पर भी विचार करती है, जिसमें ऐसी सामग्री को देशी मांग की पूर्ती के वास्ते उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता भी शामिल है। चालू मौसम के खरीफ तिलहनों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य नियत करते समय इन सभी तथ्यों को खासतौर पर देश में खाद्य तेलों की मांगपूर्ति असंतुलन को विधिवत ध्यान में रखा गया है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार चालू मौसम में खरीफ तिलहनों के लिए पहले ही नियत न्यूनतम समर्थन मूल्य को संशोधित करना आवश्यक नहीं समझती है।

ठेकेदारों द्वारा श्रमिकों का शोषण

1262. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर-राज्य प्रवासी श्रमिक (रोजगार और सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1979 श्रमिकों की उन बेईमानी ठेकेदारों द्वारा किए जाने वाले शोषण से सुरक्षा करने के लिए बनाया गया था जो एक राज्य में श्रमिकों की नियुक्ति अन्य राज्य में स्थित प्रतिष्ठानों में काम करने के लिए करते थे; और

(ख) क्या सरकार ने इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने के लिए अथवा इस अधि-नियम के अन्तर्गत दोषी पाए जाने पर अब तक ऐसे किन्हीं बेईमान ठेकेदारों का चालान किया है और दोषी पाए गए उन ठेकेदारों की संख्या कितनी है और यदि ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1984 और 1985 के दौरान, केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तन्त्र के फील्ड अधिकारियों ने अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले काफी प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। 54 मामले न्यायालयों में दायर किए गए जिनमें से 20 मामलों में दोष सिद्ध हुए तथा दोषी व्यक्तियों को जुर्माना किया गया। न्यायालयों में 34 मामले अभी लम्बित पड़े हैं।

माडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड के फलों के रस एकक को हुआ घाटा

1264. **श्री के० कुन्जाम्बु** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) माडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड के फलों का रस बनाने वाले एकक को घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो संयंत्र के चालू होने के समय से हो रहे घाटे का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस एकक को लाभप्रद बनाने और इसके उत्पाद को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) फ्रूट जूस बाटलिंग प्लांट को इसकी स्थापना से हुई वर्षवार हानियां नीचे दी जाती है :—

वर्ष	(लाख रुपये में)
1982-83	22.83
1983-84	22.25
1984-85	18.81

(ग) कम्पनी (1) उत्पाद विपणन को कारगार बनाने, (2) उत्पाद की क्वालिटी पर निगरानी रखने; तथा (3) उत्पादन विषयक बाधाओं को दूर करने के लिए आवश्यक उपाय करती रही है। इन उपायों के फलस्वरूप, प्लांट की क्षमता के उपयोग में सुधार हुआ है और चालू वर्ष के दौरान इसके सक्षम हो जाने की आशा है।

महाराष्ट्र में खाद्यान्नों के उत्पादन के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले आदानों की लागत और वसूली लागत

1265. **श्री प्रकाश वी० पाटिल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार खाद्यान्न के उत्पादन के लिए प्रयोग में लाये जाने वाले आदानों और खाद्यान्न की वसूली लागत में लागत अनुपात का पता लगाने के लिए कितने अन्तराल में अध्ययन करती है;

(ख) पिछले तीन अवसरों पर इस प्रकार के अध्ययनों के क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) क्या महाराष्ट्र में कृषक आदानों की लागत तथा वसूली लागत में बढ़ते हुए अन्तर के बारे में असन्तुष्ट हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) आदानों और

उत्पादन संबंधी आंकड़े एकत्र करने के लिए केन्द्र द्वारा सहायता प्राप्त योजना के अन्तर्गत राज्य कृषि विश्वविद्यालय के इन आंकड़ों के बारे में वार्षिक आधार पर रिपोर्ट दे रहे हैं। इन आंकड़ों पर आधारित अनुमानों को कृषि लागत और मूल्य आयोग को उपलब्ध कराया जाता है।

(ख) गत तीन वर्षों की तुलना में अदानों की लागत में कुछ वृद्धि हुई है।

(ग) और (घ) किसानों को लाभकारी मूल्य देने के बारे में महाराष्ट्र के कृषक संगठनों से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। सरकार किसानों, राज्य सरकारों, संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों के विचारों और कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखती है और प्रत्येक मौसम में मुख्य कृषि जिन्सों के लिये समर्थन/अधिप्राप्ति मूल्य घोषित करती है। सरकार सार्वजनिक एजेंसियों के जरिए खरीद कार्य भी करती है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के "एम"
डिवीजन में सफेदी के लिए निविदा

1266. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के "एम" डिवीजन में सफेदी के निविदा इस वर्ष 56 प्रतिशत नीचे आ गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे सफेदी के स्तर पर असर पड़ेगा;

(ग) क्या टाइप-दो और तीन के क्वार्टरों को उन्नत रूप देने के लिए उनमें दो कमरों में से एक कमरे में सफेदी की बजाए डिस्टैंपर करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) क्या इस समय की जा रही सफेदी की सामग्री में कीट मारने के लिए कोई कीटनाशक तत्व नहीं है यदि हां, तो क्या सफेदी की सामग्री में कीटनाशक तत्व मिलाने का कोई प्रस्ताव है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) 1985-86 के दौरान केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के "एम" मण्डल में सफेदी की दरें अनुसूची दर से 8 प्रतिशत से लेकर 58.5 प्रतिशत तक कम थी।

(ख) इससे कोटि पर प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि कनिष्ठ इंजीनियर के प्रभावी पर्यवेक्षण तथा सहायक इंजीनियर/कार्यालय इंजीनियर के निरीक्षण द्वारा इसकी कोटि सुनिश्चित की जायगी।

(ग) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) जी, हां। विद्यमान सफेदी की सामग्री में कीटाणुओं को मारने के लिए कोई अवयव नहीं होता है। सफेदी की सामग्री के साथ किसी प्रकार के अवयव को मिलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, सफेदी के लिए प्रयोग आने वाले चूने में कुछ जीवाणुनाशी तत्व हैं।

मिठाइयों आदि के साथ डिब्बों का वजन किया जाना

1267. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वजन और माप अधिनियम के अन्तर्गत मिठाइयों और नमकीन आदि के साथ डिब्बों का वजन नहीं किया जाता है परन्तु वास्तविक प्रथा में आम जनता को नियमों की जानकारी न होने के कारण डिब्बों का वजन उन पदार्थों के साथ किया जा रहा है;

(ख) क्या आम जनता को विज्ञापनों और "रजनी" जैसे विशेष कार्यक्रम द्वारा दूरदर्शन नेटवर्क के माध्यम से नियमों की सही स्थिति के संबंध में शिक्षित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी हां। जहां मिठाई, नमकीन, आदि के भरे डिब्बे उनमें रखी वस्तु के साथ तोले जाते हैं, वहां उपभोक्ता को दी जाने वाली शुद्ध मात्रा, उस मात्रा से कम होगी, जिसके लिए सौदा तथा भुगतान किया गया है, और यह राज्यों द्वारा लागू किए जाने वाले बाट तथा माप—(प्रवर्तन) अधिनियमों के अंतर्गत एक अपराध है।

(ख) और (ग) सरकार ने उपभोक्ताओं को शिक्षित करने के लिए कई उपाय किये हैं। उपभोक्ताओं के संरक्षण की योजनाओं के लिए स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों को वित्तीय सहायता देने के अलावा, सरकार ने उपभोक्ताओं के संरक्षण के उपायों के बारे में सरकार को सलाह देने के लिए एक उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन किया है। उपभोक्ताओं को शिक्षित करने के लिए अपमिश्रण, बाट तथा माप पर पुस्तिकाएं जारी की गई हैं। तथापि, इन प्रयासों के लिए स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों के माध्यम से एक मजबूत उपभोक्ता आन्दोलन की आवश्यकता है। केन्द्रीय सरकार, स्वैच्छिक उपभोक्ता आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए, जनवरी, 1986 में, स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों की एक अखिल भारतीय गोष्ठी आयोजित करेगी।

खतरनाक कीटनाशी दवाइयों का प्रयोग

1268. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय किसानों द्वारा प्रति वर्ष कितनी मात्रा में कीटनाशी दवाइयों का प्रयोग किया जाता है ;

(ख) क्या हम उन कीटनाशी दवाइयों का प्रयोग कर रहे हैं जिनके प्रयोग पर पश्चिमी देशों में प्रतिबंध लगा हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो खतरनाक कीटनाशी दवाइयों के प्रयोग को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) वर्ष 1984-85 के दौरान कीटनाशी दवाओं की तकनीकी ग्रेड की सामग्री के हिसाब से कुल 56,000 मीटरी टन की खपत हुई। वर्ष 1985-86 के लिए कीटनाशी दवाओं की सम्भावित मांग 66,000 मीटरी टन है।

(ख) कुछेक कीटनाशी दवाइयां, जो अन्य देशों में प्रतिबन्धित हैं, भारत में इस्तेमाल की जा रही हैं।

(ग) खतरनाक कीटनाशी दवाओं के इस्तेमाल को रोकने के लिए उठाये गये कुछ मुख्य कदम इस प्रकार हैं :—

(1) कीटनाशी अधिनियम, 1968 के उपबन्धों के अनुसार कीटनाशी दवाइयों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है ताकि कीटनाशी दवाओं के इस्तेमाल में मनुष्यों और पशुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

(2) सुरक्षा कारणों से देश में 22 कीटनाशी दवाओं के इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी गई है और अन्य दो कीटनाशी दवाओं के मामले में प्रतिबन्ध लगाये गये हैं।

(3) पंजीकरण समिति कीटनाशी दवाओं के इस्तेमाल के संबंध में सुधारात्मक कारवाई करने के लिए विश्व भर से विषाक्तता संबंधी सूचना की समीक्षा करती रहती है।

(4) अधिक विषाक्त कीटनाशी दवाओं के मामले में केवल कैप्सूल में बन्दन दानेदार दवाओं को ही पंजीकृत किया गया है।

(5) कीटनाशी दवाइयों के डिब्बों आदि के लेबलों पर एक महत्वपूर्ण कोड-त्रिकोण विभिन्न रंगों अर्थात् लाल, पीले, नीले और हरे रंगों में प्रदर्शित किया जाता है। जो विषाक्तता का द्योतक है, ताकि किसान समुदाय उन्हें आसानी से समझ सकें।

(6) कीटनाशी दवाओं के डिब्बों आदि में रखे पर्चों पर सुरक्षा संबंधी सावधानियां हिन्दी, अंग्रेजी, और एक क्षेत्रीय भाषा में भी लिखी हुई होती हैं।

(7) कीटनाशी दवाओं के इस्तेमाल में सुरक्षा को राज्यों द्वारा मुख्य फसल मौसमों से पहले किसानों के लाभ के लिए आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों का एक अभिन्न अंग बना दिया गया है।

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन

1269. **श्री वी० तुलसीराम** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा वर्ष 1983-84 के लिए किए गए अध्ययन से पता चला है कि देश के 13 जिलों और 16 राज्यों के सर्वेक्षण के अनुसार एकीकृत ग्रामीण कार्यक्रमों के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए मार्ग निदेशों का सही ढंग से पालन और कार्यान्वयन नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इन जिलों और राज्यों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या सम्बद्ध राज्य सरकारों का ध्यान इस कमी की ओर दिलाया गया है; और

(घ) देश में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के तत्काल और समुचित कार्यान्वयन के लिए जारी किए जाने वाले नये मार्गनिदेशों का ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख) राज्य सरकारें मोटे तौर पर समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु जारी की गई भारत सरकार की मार्गदर्शिकाओं पर पालन कर रही है। तथापि, कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने वर्ष 1983-84 में 16 राज्यों के 33 जिलों में किए गए अपने अध्ययन में मार्गदर्शिकाओं से विचलन के कुछ मामले बताये हैं, जो अलग-अलग क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न तरह के हैं। अध्ययन में 1170 परिवारों को शामिल किया गया है जिन्हें वर्ष 1981-82 के दौरान लाभ प्राप्त हुए थे। अध्ययन में शामिल किए गए राज्यों और जिलों के नाम नीचे दिए गए हैं :—

क्र० सं०	राज्य	जिला
1	2	3
1.	मध्य प्रदेश	झबुआ, बस्तर, दामोह, बेसुल
2.	उड़ीसा	कोटापुर, सुन्दरगढ़
3.	जम्मू व कश्मीर	जम्मू, अनन्तनाग
4.	पश्चिम बंगाल	दार्जिलिंग
5.	तमिलनाडु	कन्याकुमारी, मदुरै
6.	हरियाणा	करनाल, जीन्द
7.	आन्ध्र प्रदेश	गंटूर, विजोयानगरम्
8.	पंजाब	फिरोजपुर, संगरूर
9.	उत्तर प्रदेश	मुल्तानपुर, मिर्जापुर
10.	महाराष्ट्र	उस्मानाबाद, थाने

1	2	3
11.	राजस्थान	बीकानेर, जोधपुर
12.	गुजरात	खेदा, राजकोट]
13.	केरल	किन्नानौर, क्वींलन
14.	कर्नाटक	उत्तर कन्नड़, मैसूर
15.	बिहार	समस्तीपुर, पलामु
16.	हिमाचल प्रदेश	उना, कुल्लू

ये विचलन के मामले मुख्यतः कर्मचारियों के बारम्बार स्थानांतरण, अन्तर-क्षेत्रीय तालमेल का अभाव, योजना दलों का न होना, प्रति व्यक्ति निवेश की कम राशि, ग्राम सभा को शामिल न करना तथा कुछ लाभार्थियों का गलत चयन आदि जैसे प्रशासनिक एवं संगठनात्मक ढांचे से सम्बन्धित है।

(ग) अध्ययन के निष्कर्षों को उपचारी कार्रवाई करने हेतु सभी राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों की सरकारों को भेज दिया गया है।

(घ) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन को सुधारने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

(1) प्रति परिवार अन्य एकमुश्त सहायता समेत पहले से अधिक निवेश ताकि नये लाभार्थियों को निवेश पर उचित लाभ मिल सके।

(2) छठी योजना के दौरान सहायता प्राप्त उन परिवारों को पूरक सहायता प्रदान करना जो अपनी ओर से बिना वजह गरीबी की रेखा पार नहीं कर सके थे।

(3) समानता की पद्धति को बदल करके निर्धनता पर आधारित विविधता की पद्धति को रखा गया है।

(4) लाभार्थियों के चयन में जन-प्रतिनिधियों को और अधिक घनिष्ठता से शामिल किया जाना चाहिए।

(5) इस कार्य हेतु जिला स्तर पर संस्थाओं का चयन करके सम्पर्कों को सुधारने के प्रयास अथवा जिला आपूर्ति और विपणन सोसाइटियों की स्थापना।

(6) महिला लाभार्थियों को कार्यक्रम में 30 प्रतिशत तक शामिल करना।

(7) संयुक्त ग्रामीण प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी केन्द्रों को स्थापित करके प्रशिक्षण के प्रयासों

का उपयुक्त समन्वय करने के लिए एक नई योजना प्रारम्भ करना। यह भारत सरकार के विचाराधीन है और मार्गदर्शिकाएं अलग से जारी की जाएगी।

(8) खण्ड, जिला और राज्य स्तरों पर आवश्यकतानुसार प्रशासनिक ढांचे को मजबूत बनाया जा रहा है। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु वर्तमान प्रशासनिक प्रबन्धों की जांच करने के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति भी नियुक्त की जा चुकी है।

(9) बैंकों की कार्य-पद्धति में सुधार, विशेष रूप से नीचे के स्तर पर।

(10) लाभार्थियों की जागरूकता का एक अच्छा वातावरण तैयार करना तथा उनका समुचित संगठन तैयार करना।

(11) ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण (ट्राइसेम) सहित समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की योजनाओं के कार्यान्वियन के लिए स्वैच्छिक एजेन्सियों को अधिकाधिक शामिल किया जाएगा, ताकि नये प्रकार की परिवारोन्मुख परियोजनाओं को सर्वाधिक प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया जा सके।

(12) 36 जिलों के 72 खंडों तथा वर्तमान 10 लाभार्थियों के दल और उन 10 लाभार्थियों को जिनको दो वर्ष पहले सहायता मिली थी, को लेने के आधार पर प्रति मास समवर्ती मूल्यांकन की एक नई प्रणाली शुरू की जा रही है, ताकि इस कार्यक्रम की कड़ी निगरानी की जा सके।

बंगलौर जल आपूर्ति तथा मल व्ययन बोर्ड के लिए विश्व बैंक से सहायता

1270. **श्री नरसिंह राव सूर्यवंशी** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर जल आपूर्ति और मल व्ययन बोर्ड ने केन्द्र को एक व्यापक सिंचाई परियोजना प्रस्तुत की है जिसमें विश्व बैंक से परियोजना में नियोजन के लिए अतिरिक्त 80 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त की जा सके; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) और (ख) बंगलौर शहर में जलपूर्ति बढ़ाने के लिए 240 करोड़ रुपये की लागत की एक योजना सहायता के लिए विश्व बैंक को प्रस्तुत करने के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा इस मंत्रालय को भेजी गई थी। इस योजना को इस मंत्रालय के केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य इन्जीनियरी संगठन ने तकनीकी तथा जल संसाधन मंत्रालय ने अन्तर्राज्यीय दृष्टिकोण से अनुमोदित कर दिया है। तथापि, राज्य सरकार से बजट प्रावधान की सन्तुष्टि प्राप्त हो जाने के पश्चात् ही इसे विश्व बैंक को प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्य सरकार से परियोजना

में थोड़ा संशोधन करने का भी अनुरोध किया गया है। इस मंत्रालय को प्रस्तुत की गई योजना में कोई सिंचाई घटक शामिल नहीं है।

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मैं उच्चतम न्यायालय के निर्णय की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : दो बातें हैं। पहली तो यह कि आपका प्रस्ताव 10 मिनट विलम्ब से मिला।

श्री बसुदेव आचार्य : दस मिनट नहीं, केवल दो मिनट।

अध्यक्ष महोदय : दस मिनट का विलम्ब हुआ है। दूसरे यह स्वतन्त्र राज्य विधान सभा के बारे में है। वे इसका ध्यान रखते हैं। हमें इसमें कुछ नहीं करना हमारा इससे सम्बन्ध नहीं है।

श्री बसुदेव आचार्य : हमारा संबंध है।

अध्यक्ष महोदय : हमारा संबंध नहीं है। वे इस पर ध्यान देंगे।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : महोदय, उच्चतम न्यायालय ने···

अध्यक्ष महोदय : किसी बात को कार्यवाही में शामिल नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह विधान सभा का मामला है। राज्य विधान सभा के मामले में मैं कतई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इससे मेरा सम्बन्ध नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जिससे मेरा सम्बन्ध है मैं उस पर चर्चा करा रहा हूं। जिससे मेरा संबंध नहीं है, मैं नहीं कराता। अब श्री बशीर।

(व्यवधान)

** कार्यवाही—वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : श्री सोज, मैंने श्री बशीर को बुलाया है। मैंने आपको अनुमति नहीं दी है।

श्री टी० बशीर (चिरायिंकिल) : एयर इंडिया द्वारा खाड़ी क्षेत्र त्रिवेन्द्रम के लिए बहुत अधिक किराया लिए जाने के विरुद्ध हमने बार-बार विरोध प्रकट किया है। हाल ही में उन्होंने फिर से भाड़े बढ़ाये हैं। यह बहुत आपत्तिजनक है।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे लिखित रूप में दें।

श्री टी० बशीर : मैं आपको लिखकर दे दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा-पटल पर पत्र रखे जायेंगे।

12.04 म०प०

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

चीनी विकास निधि अधिनियम के अधीन अधिसूचनाएं

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : मैं चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 की धारा 9 की उपधारा (3) के अन्तर्गत चीनी विकास निधि (दूसरा संशोधन) नियम, 1985 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), की एक प्रति जो 14 नवम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 838 (अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा उसका शुद्धि-पत्र जो 19 नवम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 853 (अ) में प्रकाशित हुआ था। सभा-पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० — 1482/85]

आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन अधिसूचनाएं, बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, पटना की वर्ष 1977-78, हरियाणा कृषि-उद्योग निगम लि० चंडीगढ़ की वर्ष 1980-81, पंजाब कृषि-उद्योग निगम लि० चंडीगढ़ की वर्ष 1981-82, तथा आन्ध्र प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लि० हैदराबाद की वर्ष 1981-82 की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन तथा इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाले चार विवरण

कृषि तथा सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

[श्री योगेन्द्र मकवाना]

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो 25 सितम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 758 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1483/85]

(2) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619क के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) बिहार राज्य कृषि-उद्योग विकास निगम लिमिटेड, पटना, के वर्ष 1977-78 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बिहार राज्य कृषि-उद्योग विकास निगम लिमिटेड, पटना, का वर्ष 1977-78 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1484/85]

(ख) (एक) हरियाणा कृषि-उद्योग निगम लिमिटेड, चंडीगढ़, के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हरियाणा कृषि-उद्योग निगम लिमिटेड, चण्डीगढ़, का वर्स 1980-81 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०—1485/85]

(ग) (एक) पंजाब कृषि-उद्योग निगम लिमिटेड, चंडीगढ़ के वर्ष, 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पंजाब कृषि-उद्योग निगम लिमिटेड, चण्डीगढ़, का वर्ष 1981-82 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०—1486/85]

(घ) (एक) आन्ध्र प्रदेश राज्य कृषि-उद्योग विकास निगम लिमिटेड, हैदराबाद, के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आन्ध्र प्रदेश राज्य कृषि-उद्योग विकास निगम लिमिटेड, हैदराबाद, का वर्ष 1981-82 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—1486/85]

———

12.07 म० प०

समिति के लिए निर्वाचन

राजभाषा समिति

[अनुवाद]

राज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : श्री एस० बी० चव्हाण की ओर से मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं :—

"कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसरण में लोक सभा के सदस्य एकल संक्रमणीय मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार बेगम आबिदा अहमद द्वारा समिति की सदस्यता से त्याग-पत्र दिये जाने के कारण रिक्त हुए स्थान पर राज भाषा समिति के लिए अपने में से एक सदस्य चुने।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राज भाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसरण में लोक सभा के सदस्य एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार बेगम आबिदा अहमद द्वारा समिति की सदस्यता से त्याग-पत्र दिये जाने के कारण रिक्त हुए स्थान पर राजभाषा समिति के लिए अपने में से एक सदस्य चुने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

———

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न ही नहीं उठता ।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री सोज, यदि आप बैठते नहीं तो मुझे आपको बाहर जाने के लिए कहना पड़ेगा ।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले कह चुका हूं मेरा इससे संबंध नहीं है ।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री सोज, बहुत हो गई अब बैठ जायें ।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता । श्री सोज, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको बाहर जाने को कहूं ।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : ऐसा आपने कभी नहीं किया । महोदय, मैं अपनी बात नम्रता से तथा दृढ़ता से कह रहा हूं । मैं चाहता हूं कि आप अपना निर्णय दें ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे विवश न करें । मेरा विनिर्णय है कि हमारा इससे सम्बन्ध नहीं है । यह मामला वहां की विधान सभा में उठाया जाना चाहिए ।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बंसी लाल ।

12.10 म०प०

वायुयान (संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वायुयान अधिनियम, 1934 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुन:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

---

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वायुयान अधिनियम 1934 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने का अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बंसी लाल : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

12.12 म०प०

वायुयान (संशोधन) अध्यादेश, 1985 के बारे में विवरण

[**अनुवाद**]

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : महोदय, मैं वायुयान (संशोधन), अध्यादेश, 1985 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारणों को दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही पढ़ चुका हूं। **(व्यवधान)***

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर): आप उनको सुनने के बाद निर्णय दें।

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही पढ़ चुका हूं।

(व्यवधान)*

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : क्या किसी संसद सदस्य की गिरफ्तारी आपको सूचित नहीं की जाएगी? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है?

श्री सैफुद्दीन चौधरी : 19 सितम्बर में कलकत्ता में हुई गिरफ्तारियों का क्या बना? **व्यवधान***

---

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री बसुदेव आचार्य : (बांकुरा) : उनके द्वारा आपको सूचित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मुझे किसी गिरफ्तारी की सूचना नहीं दी गई। **(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य : यह समाचार पत्रों में छपा है।

अध्यक्ष महोदय : आप समाचार पत्रों पर विश्वास करेंगे अथवा मुझ पर। **(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य : यह समाचार पत्रों में छपा है।

अध्यक्ष महोदय : आपको मुझ पर एतबार है या समाचार पत्रों पर ?

श्री सैफुद्दीन चौधरी : हमें आप पर विश्वास है। आप हमें बतायें की तथ्य क्या हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह सत्य है कि मुझे गिरफ्तारी की कोई सूचना नहीं मिली है। मुझे एक सूचना मिली है जो कि संगत नहीं है और इसमें विशेषतः किसी संसद सदस्य के बारे में जिक्र नहीं है। अगर कोई सूचना होगी तो मैं सभा के सामने रख दूंगा।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : श्रीमन्, तब आप इस समाचारपत्र के विरुद्ध कार्यवाही कीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मुझे नहीं पता कि किसी संसद सदस्य को गिरफ्तार किया गया था या नहीं।

श्री बसुदेव आचार्य : लेकिन समाचार पत्र में यह छपा है।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव (पार्वतीपुरम) : श्रीमन्, यह विशेषाधिकार का मामला है।

व्यवधान

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। अगर मेरे पास सूचना आयेगी तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा। जैसे ही मुझे सूचना मिलती है कि किसी संसद सदस्य को गिरफ्तार किया गया है, मुझे तभी वह सूचना सभा में देनी चाहिए और मैं ऐसा ही करूंगा। यह अस्पष्ट है और इसमें किसी संसद सदस्य का हवाला नहीं दिया गया है।

12.15 म० प०

बोनस संदाय (दूसरा संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : श्रीमन् श्री टी० अंजैया की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं कि बोनस संदाय अधिनियम, 1965 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:—

"कि बोनस संदाय अधिनियम, 1965 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : श्रीमन्, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

12.16 म० प०

बोनस संदाय (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 1985 के बारे में विवरण

[अनुवाद]

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर): श्रीमन् मैं श्री अंजैया की ओर से बोनस संदाय (संशोधन) अध्यादेश, 1985 और बोनस संदाय (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 1985 द्वारा तुरन्त विधान बनाए जाने के कारणों को दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

———

12.17 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

(एक) त्रिवेन्द्रम जिले के अटिंगल, नेडुमंगड, किलीमनूर आदि नगरों को छोटे और मध्यम दर्जे के नगरों के समेकित विकास की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना में सम्मिलित करने की मांग

श्री टी० बशीर (चिरायिंकिल) : ऐसा समझा जाता है कि छोटे और मझले नगरों के समेकित विकास के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना है, इस योजना से छोटे और मध्यम दर्जे के नगरों के पर्यावरण में सुधार की आशा है और यह भी आशा है कि वहां बेहतर परिवहन, आवास और नागरिक सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी।

इस योजना के अधीन भारत सरकार ने राज्य के नौ नगरों का चयन किया था। केरल राज्य में योजना के कार्यान्वयन की प्रगति का कार्य सन्तोषजनक है।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत होने वाले विकास से राज्य के अन्य छोटे और मध्यम दर्जे के नगरों के लोगों में काफी उत्साह पैदा हुआ है।

[श्री टी० बशीर]

मैं, सरकार से निवेदन करता हूं कि भारत सरकार कम से कम इस केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत केरल के त्रिवेन्द्रम जिले के अठिंगल, नेडूमंगड, किलीमनूर वराकल और नेयाटिनृवारा नगरों को भी शामिल किया जाए।

(दो) आंध्र प्रदेश में दक्षिण-मध्य रेल के गुडूर रेल स्टेशन पर एक पूछताछ कार्यालय स्थापित करने की मांग

श्री पी० पेंचलैय्या (नैल्लौर) : श्रीमन, आंध्र प्रदेश के नैल्लोर जिले में गुडूर दक्षिण मध्य रेलवे का एक बड़ा और काफी महत्त्वपूर्ण रेलवे जंक्शन है। गुडूर रेलवे स्टेशन दक्षिण मध्य रेलवे का आरम्भिक बिन्दू है,। नगर में घनी आबादी है और वहां प्रथम दर्जे की नगर पालिका है। अभरक निर्यात के लिए यह नगर विश्व विख्यात है और यहां से अम्लचूना भी देश के विभिन्न भागों को भेजा जाता है। अतः यहां पर अभरक, चीनी मिट्टी, शीशा, मूंगफली तेल और चावल की मिलें और सार्वजनिक संस्थान हैं। यह तीर्थस्थल भी है। उत्तर भारत से अधिकतर तीर्थयात्री 'बालाजी' (तिरुमालाहिल्स) के दर्शनार्थ हैं वरास्ता गुडूर ही जाते हैं। गुडूर से प्रतिदिन दो बसें स्टेशन से तिरुमालाहिल्स जाता हैं यहां प्रतिदिन विभिन्न स्टेशनों के लिए 50,000 टिकट बिकते हैं।

यह खेद की बात है कि रेलवे प्राधिकारियों ने अभी तक इस स्टेशन पर एक पूछताछ कार्यालय नहीं खोला है।

अत:, मैं रेल मंत्री से निवेदन करता हूं कि गुडूर रेलवे स्टेशन पर तीर्थयात्रियों और अन्य लोगों की सेवा के लिए 24 घंटे खुले रहने वाला एक पूछताछ कार्यालय खोला जाए।

(तीन) त्रिवेन्द्रम के यातायात की भीड़ को कम करने के लिए कजाकुट्टम नेयाट्टिन-कारा उपमार्ग का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने को प्राथमिकता देने की आवश्यकता

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : श्रीमन्, लगभग 5 लाख की जनसंख्या वाला त्रिवेन्द्रम नगर तेजी से विकसित हो रहा है। त्रिवेन्द्रम जिले में ही 40,000 से अधिक पंजीकृत वाहन हैं। शहर की सड़कें बहुत संकरी हैं और आज की यातायात की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हैं। नगर की सड़कों को चौड़ा करना संभव नहीं है। इसका एकमात्र उपाय राष्ट्रीय राजमार्ग 47 में कजाकुट्टम से नेयाटिकारा तक एक उपमार्ग का निर्माण है।

1959 ई० में इस प्रस्ताव पर कार्यवाही करने के बारे में सोचा गया था। प्रस्तावित उपमार्ग कजाकुट्टम के 551/900 कि० म० से आरम्भ होकर वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्ग 47 के 596/050 कि० म० पर परासाला तक जाता है। इस कार्य के प्रथम चरण की मंजूरी भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (सड़क विंग) द्वारा 5-1-1978 को प्रदान की गई। द्वितीय चरण के लिए भू-अधिग्रहण कार्यवाही की जा रही है और करीब 80 प्रतिशत भू पहले ही अधिग्रहित की जा चुकी है।

हालांकि यह कार्य 1978 में स्वीकृत किया गया था, किन्तु यह खेद की बात है कि इस विषय में अभी तक खास प्रगति नहीं हुई है। अतः निवेदन है कि उप मार्ग के इस कार्य को सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी जाए और एक वर्ष के भीतर यह कार्य पूरा किया जाए।

(चार) बैलगाड़ियों से होने वाली दुर्घटनाओं में मरने वाले लोगों के वारिस मुआवजे के लिए दावा दायर कर सकें, इस हेतु संगत कानूनों में संशोधन करने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री शांति धारीवाल (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान नियम 377 के अधीन मोटर वाहन अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (18) के अनुसार मोटर वाहन की ओर दिलाना चाहता हूं जिसका मतलब है मशीन से सड़क पर चलने वाला कोई भी वाहन मोटर वाहन है।

इस परिभाषा के अनुसार बैलगाड़ी मोटर वाहन नहीं है। साथ ही मोटर वाहन अधिनियम में व्यवस्था है कि किसी मोटर वाहन दुर्घटना में मृतक व्यक्ति का कोई भी वैध प्रतिनिधि केवल 10 रुपये कोर्ट फीस की अदायगी करके मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकारी के समक्ष मुआवजे के लिए आवेदन कर सकता है।

कई बार अद्भुत परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। जब कोई व्यक्ति बैलगाड़ी के साथ दुर्घटना में मर जाता है तो ऐसे मामले में उसका प्रतिनिधि कोर्ट फीस अधिनियम के अनुसार कोर्ट फीस की अदायगी करता है। उदाहरणतया, यदि कोई व्यक्ति राजस्थान में बैलगाड़ी के साथ दुर्घटना में मर जाता है और यदि उसका वैध प्रतिनिधि एक लाख रुपये के मुआवजे के दावे की याचिका प्रस्तुत करना चाहे तो उसे 5065 रुपये कोर्ट फीस जमा करनी पड़ेगी, और तभी उसका जिला न्यायाधीश के न्यायालय में दीवानी मुकदमा चलेगा और इस मामले में भारतीय घातक दुर्घटना, अधिनियम, 1885 के उपबन्ध उस पर लागू होंगे।

12.14 म०प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

ऐसी परिस्थिति में भारतीय घातक दुर्घटना अधिनियम, 1855 में संशोधन किया जाना चाहिए और घातक दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण बनाया जाना चाहिए जिसे मोटर वाहन दुर्घटना न्यायाधिकरण की सभी शक्तियां प्राप्त हों ताकि मृतक (बैलगाड़ी के साथ दुर्घटना से या मोटर वाहन को छोड़कर किसी अन्य वाहन से मरने वाला व्यक्ति) का वैध प्रतिनिधि 10 रुपये कोर्ट फीस जमा करके अपना दावा प्रस्तुत कर सके।

अतः मेरा माननीय विधि मन्त्री से निवेदन है कि वे कृपया इस मामले पर आवश्यक संशोधन

[श्री शांति धारीवाल]

कराने की कृपा करें ताकि मोटर वाहन अधिनियम 1939 में हल्के वाहन वालों को उससे उत्पन्न कठिनाइयों का निराकरण कराया जा सके।

[अनुवाद]

(पांच) रेल कर्मचारियों की शिकायतें दूर करने एवं लम्बे अरसे से चली आ रही उनकी मांगों को पूरा करने की आवश्यकता

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : श्रीमन्, आज हजारों रेल कर्मचारी सरकार का ध्यान अपनी मांगों की ओर दिलाने के लिए बोट क्लब मैदान में धरना दे रहे हैं। लम्बे समय से चली आ रही उनकी मांगें हैं :—

1. संविधान के अनुच्छेद 310 (1), 311(2), क, ख, ग और 311 (3) का उत्सादन और नियम 14 (ii) का हटाया जाना।

2. सभी उत्पीड़ित कर्मचारियों को नियम 14(ii) और 149 आदि के अन्तर्गत बहाल करना।

3. चतुर्थ वेतन आयोग का प्रतिवेदन शीघ्र प्रकाशित करना और तेल और प्राकृतिक गैस आयोग (सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम) के समान वेतन देना।

4. सभी के लिए भर्ती पर लगे प्रतिबन्ध को हटाना और सभी के लिए पदों का सृजन और रोजगार सुनिश्चित करना।

5. लोकतान्त्रिक पद्धति द्वारा मान्यता देने की नीति स्वीकार किए जाने तक सभी मजदूर संघों के प्रतिनिधित्व को बहाल करना और उनके साथ बातचीत करना।

6. जब तक भारतीय संविधान में परिवर्तन करके रोजगार की गारंटी नहीं दी जाती, कम्प्यूटरीकरण और स्वचालितीकरण लागू न करना।

7. सभी कर्मचारियों के लिए आठ घन्टे की अधिकतम ड्यूटी निर्धारित करना तथा साथ ही सप्ताह में एक दिन का अवकाश सुनिश्चित करना, और उसी के अनुसार एच० ओ० ई० आर० में संशोधन करना।

रेल कर्मचारी इन मांगों को मनवाने के लिए संघर्ष करते रहे हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल ही में अनुच्छेद 310 और 311 (2) (क), (ख), (ग) को लागू करने के बारे में दिये गये निर्णय से स्थिति और खराब हो गई है।

न्यायालय के निषेधादेश की वजह से जिन सैकड़ों रेल कर्मचारियों को अभी तक वेतन मिल

रहा था, वे सब बेरोजगार हो जायेंगे। इसके अलावा भर्ती पर प्रतिबन्ध से रेल कर्मचारियों पर बोझ और बढ़ गया है; कम्प्यूटरीकरण से उनके रोजगार को और खतरा पैदा हो गया है। आर्थिक मांगों की भी अनदेखी की गई है।

अतः, मैं सरकार का ध्यान रेल कर्मचारियों की इन आवश्यक मांगों की ओर दिलाता हूं और अनुरोध करता हूं कि इन्हें शीघ्र तय करने के लिए कार्यवाही की जाए।

12.25 म० प०

रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) विधेयक पर वाद-विवाद को स्थगित करने के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : वित्त मंत्री।

वित्त मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : सभा रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) विधेयक, 1985 पर बिचार कर रही थी। सरकार दो विषयों के बारे में संशोधन लाना चाहती है; एक, कम्पनी को श्रमिक सहकारी समितियों को सौंपने की सम्भावना के बारे में; दूसरा, विधेयक में यह व्यवस्था करने के बारे में कि यदि बी० आई० एफ० आर० इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि प्रबन्धकों ने कम्पनी के हितों के विरुद्ध काम किया है अथवा धन को अन्यत्र लगाया है तो वह वित्तीय संस्थाओं को ऐसे उद्योग को सहायता न देने की सलाह दे सके। इन्हीं बातों के लिए, सरकार इस विधेयक में संशोधन करना चाहती है।

अतः, मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) विधेयक, 1985 पर चर्चा 2 दिसम्बर, 1985 तक स्थगित की जाए।"

श्री बसुदेव आचार्य : आप इसे संयुक्त समिति को सौंप सकते हैं···

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : इससे जल्दी होगा।

श्री बसुदेव आचार्य : भारतीय श्रम सम्मेलन होने वाला है और वहां इस विषय पर भी चर्चा की आएगी। हम सम्मेलन के निर्णयों तक इन्तजार कर सकते हैं।

डा० दत्ता सामन्त (बम्बई दक्षिण मध्य) : आपने मुझसे वायदा किया था कि आप आज विधेयक पर बोलने के लिए पर्याप्त समय देंगे। इसीलिए मैं बम्बई से आज यहां आया हूं।

[डा० दत्ता सामन्त]

उग्रवादियों की धमकी के कारण राजधानी एक्सप्रैस रतलाम पर लेट हुई थी···

उपाध्यक्ष महोदय : आप 2 दिसम्बर को बोल सकते हैं।

प्रश्न यह है :

"कि रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) विधेयक 1985 पर की जाने वाली चर्चा को 2 दिसम्बर, 1985 तक के लिए स्थगित कर दिया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12.28 म०प०

भारतीय अन्तर्देशीय जल-मार्ग प्राधिकरण विधेयक

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा मद संख्या 10 भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण विधेयक पर विचार करेगी।

जल, भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पाइलट) : महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव* करता हूं :—

"कि पोत परिवहन और नौ परिवहन के प्रयोजनों के लिए अन्तर्देशीय जलमार्गों के विनियमन और विकास के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए प्राधिकरण के गठन के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

भारतीय अन्तर्देशीय जल-मार्ग प्राधिकरण विधेयक, 1985 को विचारार्थ प्रस्तुत करते हुए मैं आपकी अनुमति से कुछ शब्द कहना चाहूंगा। अनन्त काल से अन्तर्देशीय जल परिवहन, परिवहन का सस्ता और मितव्ययी साधन रहा है। रेल तथा सड़क विकास के साथ इस परिवहन साधन को नुकसान हुआ है तथा इसकी उपेक्षा हुई है।

आज भी पूरे विश्व में अन्तर्देशीय जल परिवहन को परम्परागत रूप से भारी सामान को ले जाने के लिए सबसे सस्ता, ऊर्जा क्षमता वाला, कम प्रदूषण वाला तथा रोजगार देने का अच्छा साधन माना गया है।

---

* राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय से सरकार अन्तर्देशीय जल परिवहन की दशा में सुधार करके इस प्रणाली को देश की समग्र परिवहन प्रणाली में उचित स्थान दिलाने के प्रति सचेष्ट रही है।

अन्तर्देशीय जल परिवहन को भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूचि की तीनों सूचियों में रखा गया है। तथापि संसद द्वारा यथा घोषित राष्ट्रीय जल मार्ग पर नौवहन तथा परिवहन को नियमित करने में संघ की भूमिका सीमित है। घोषित राष्ट्रीय जलमार्ग को छोड़कर, सभी जलमार्गों के विकास और रखरखाव के उत्तरदायित्व और कार्यकारी अधिकार राज्य सरकारों का है।

देश में जल परिवहन के विकास के लिए विगत में गठित की गई समितियों की सिफारिशों के आधार पर तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा जल मार्गों के रख रखाव का उत्तरदायित्व धारण करने से संबंधित राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति द्वारा की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने निम्नलिखित जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्गों के रूप में घोषित करने के उपयुक्त माना है :—

(एक) गंगा-भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली

(दो) ब्रह्मपुत्र

(तीन) सुन्दरवन

(चार) गोदावरी

(पांच) पश्चिमी तटवर्ती नहर

(छः) मनलोकी और जुआरी नदियां तथा गोवा की कुम्बेरजुआ नहर

(सात) नर्मदा

(आठ) महानदी

(नौ) कृष्णा और

(दस) तापी

इस कार्य की शुरुआत राष्ट्रीय जलमार्ग (गंगा-भागीरथी-हुगली नदी का इलाहाबाद-हाल्दिया प्रसार) अधिनियम, 1982 को, 1982 के 49वें अधिनियम के रूप में पारित करके की गई है जिसके अन्तर्गत इलाहाबाद और हल्दिया के बीच गंगा नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। यातायात अध्ययन के अनुसार किसी भी जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने हेतु विचार करने के लिए उसके जल सर्वेक्षण करना पूर्व अपेक्षित शर्त है। ब्रह्मपुत्र नदी का इसी प्रकार का तकनीकी-आर्थिक अध्ययन पूरा हो चुका है। और ब्रह्मपुत्र नदी का जल सर्वेक्षण किया जा रहा है। सुन्दरवन का जल सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। इस प्रकार का अध्ययन/जल सर्वेक्षण करने के लिए संसाधनों के सीमित होने के कारण, सभी जल मार्गों पर, उनको राष्ट्रीय जलमार्ग बनाने के लिए एक साथ विचार करना संभव नहीं है इसलिए प्रत्येक जलमार्ग को गुणवत्ता के आधार पर एक-एक कर लिया जाना है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में ब्रह्मपुत्र नदी, गोदावरी और पश्चिमी तटवर्ती नहर, कृष्णा और सुन्दरवन

[श्री राजेश पाइलट]

के बारे में विचार करने का प्रस्ताव है।

विश्व के अनेक भागों में संबंधित देशों की सरकारों द्वारा इस प्रयोजन के लिए गठित किए गये प्राधिकरणों द्वारा अन्तर्देशीय जलमार्ग विकसित किए जाते हैं, उनका रख-रखाव किया जाता है तथा उन्हें नियमित किया जाता है। अन्तर्देशीय जलमार्गों को विकसित करने, रखरखाव करने तथा नियमित करने की शक्ति और उत्तरदायित्व इन प्राधिकारियों को सौंपा गया है और जलमार्ग पर किसी प्रकार के विकास कार्य को पूरा करने का काम किसी भी निजी क्षेत्र या सरकारी क्षेत्र के उपक्रम को नहीं सौंपा जाता है। हमारे पड़ोसी देश बंगला देश ने भी अपने यहां के जलमार्गों के विकास, रखरखाव और नियमन के लिए बंगलादेश अन्तर्देशीय जल परिवहन प्राधिकरण का गठन किया है। तथापि, भारत में इस समय इस प्रकार का प्राधिकरण मौजूद नहीं है और अन्तर्देशीय जल परिवहन से संबंधित कार्यों की देखभाल राज्यों में लघु प्रकोष्ठों द्वारा तथा केन्द्र में परिवहन मंत्रालय में जल भू-तल परिवहन विभाग के अन्तर्गत अन्तर्देशीय जल परिवहन निदेशालय द्वारा की जाती है।

गंगा नदी को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किये जाने से इस राष्ट्रीय जलमार्ग के विकास, रख-रखाव और नियमित किए जाने का अधिकार और उत्तरदायित्व भारत सरकार पर आ गया है। राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति का विचार था कि तत्कालीन नौवहन और परिवहन मंत्रालय के अधीन कार्यरत अन्तर्देशीय जल परिवहन निदेशालय का वर्तमान ढांचा राष्ट्रीय जलमार्ग के समुचित विकास का उत्तरदायित्व पूरा करने में समर्थ नहीं है क्योंकि यह मात्र एक परामर्शदात्री निकाय है जिसके पास विकास योजनाओं तथा उनके कार्यान्वियन के लिए धन आबंटित करने का कोई अधिकार नहीं है। इस कमी को दूर करने के लिए इस समिति ने राष्ट्रीय जल मार्गों के विकास, रखरखाव और नियमित करने के लिए एक स्वतन्त्र प्राधिकरण की स्थापना करने की सिफारिश की थी।

राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए भारत सरकार का भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग अध्यादेश, 1985 द्वारा भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण" के नाम से एक स्वतन्त्र प्राधिकरण बनाने का विचार है। यह प्राधिकरण राष्ट्रीय जलमार्ग के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के उत्तरदायित्वों और कार्यों को पूरा करेगा तथा यह प्राधिकरण पोत परिवहन तथा नौवहन के लिए इस प्रकार के जलमार्गों का विकास, रख-रखाव तथा नियमन करेगा और राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित करने के लिए जलमार्गों का अध्ययन और अनुसंधान कार्य की व्यवस्था भी करेगा।

तत्कालीन नौवहन और परिवहन राज्य मंत्री श्री जियाउर्रहमान अन्सारी ने लोक सभा के मानसून सत्र में 28.8.1985 को "भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण विधेयक, 1985" पुरःस्थापित किया था। तथापि समयाभाव के कारण लोक सभा के उस सत्र में इस विधेयक पर विचार नहीं किया जा सका। इसलिए इस विधेयक पर संसद के वर्तमान सत्र में विचार करने का और उसे पारित करने का प्रस्ताव है।

यह विधेयक किसी भी प्रकार विवादास्पद नहीं है और मुझे आशा है कि सभा इस विधेयक को स्वीकार करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि पोत परिवहन और नौ परिवहन के प्रयोजनों के लिए अन्तर्देशीय जलमार्गों के विनियमन और विकास के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए प्राधिकरण के गठन के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री रेणु पद दास (कृष्णनगर) : भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण विधेयक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयकों में से है। मेरे विचार से इससे कालान्तर में भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्गों का विकास होगा। इसलिए, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। गत एक वर्ष से हम लोग इस विधेयक की प्रतीक्षा में थे।

इस विधेयक पर विस्तारपूर्वक चर्चा करने से पूर्व मैं एक या दो मुद्दों के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। मंत्रालय में राष्ट्रीय जलमार्ग से सम्बन्धित एक कक्ष है, जिसका कार्य भारतीय राष्ट्रीय जल-मार्गों के विकास की ओर ध्यान देना है किन्तु यह कक्ष इस मामले पर इससे पूर्व ध्यान नहीं दे पाया। मुझे नहीं पता कि राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास पर इससे पूर्व ध्यान क्यों नहीं दिया जा सका जबकि अन्तर्देशीय परिवहन के लिए यह कार्य अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

राष्ट्रीय जलमार्ग (गंगा-भागीरथी हुगली नदी का इलाहाबाद-हल्दिया प्रसार) अधिनियम, 1982 में पारित किया गया था। इस विधेयक का प्रयोजन सम्पूर्ण राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का विकास तथा रख-रखाव करना था। मुझे नहीं पता कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 अर्थात् इलाहाबाद-हल्दिया प्रसार पर कितना कार्य किया जा चुका है। विभिन्न क्षेत्रों में यह आशंका व्याप्त है कि सरकार अपनी इस घोषणा के प्रति अधिक निष्ठावान नहीं है कि वह राष्ट्रीय जलमार्गों का विकास करेगी। यद्यपि यह विधेयक तीन वर्ष पूर्व अर्थात् 1982 में पारित किया गया था परन्तु उस राष्ट्रीय जलमार्ग के विकास के लिए कुछ नहीं किया गया है।

भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का उल्लेख करते हुए एक दैनिक पत्र ने एक बहुत ही उपयुक्त टिप्पणी की है। मैं उसे उद्धृत कर रहा हूं :—

"किसी अज्ञात कारण वश सरकार योजना बनाने वालों और नीति-निर्धारकों की कल्पना को नहीं समझ पाई। इसीलिए अन्तर्देशीय जल परिवहन के लिए समग्र छठी योजना के लिए 45 करोड़ रुपये का नियतन किया गया था जो इससे पूर्व की पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत किए गए कुल व्यय के लगभग था।"

यद्यपि अन्तर्देशीय जलमार्ग परिवहन का सबसे सस्ता साधन है तथा इसमें अधिक श्रमिकों को

[श्री रेणु पद दास]

रोजगार भी मिलता है, फिर भी योजना आयोग तथा नीति-निर्धारकों का ध्यान इस ओर आकर्षित नहीं हो सका। समाचार पत्र की राय में राष्ट्रीय जलमार्ग की उपेक्षा क्यों की गई है, इसका कारण नीति-निर्धारक स्पष्ट नहीं कर सके हैं। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि इस बात को स्पष्ट किया जाए कि राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास को इससे पूर्व क्यों नहीं शुरू किया गया है। इससे नीति-निर्धारकों की उदासीनता का पता चलता है।

महोदय, मंत्री महोदय ने बंगलादेश के जलमार्गों के विकास का उल्लेख किया था। बंगलादेश में जलमार्गों का विकास हुआ है किन्तु हम भारत में अन्तर्देशीय जलमार्गों को विकसित करने में असमर्थ रहे हैं। यह सच है कि बंगलादेश, पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा के कुछ भागों में संचार का मुख्य साधन जलमार्ग ही है। सरकार तथा नीति-निर्धारकों ने इस बात का उल्लेख किया है कि किसी समय भारत में अन्तर्देशीय जलमार्ग सबसे महत्वपूर्ण साधन रहा है। इसका लम्बा इतिहास है। किन्तु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में प्राचीन जलमार्गों का विकास नहीं हो पाया है। हमने इसकी उपेक्षा की है। अब सरकार द्वारा यह स्वागत योग्य प्रयास किया गया है कि उसने अन्तर्देशीय जलमार्गों के विकास का कार्य आरम्भ किया है। इसीलिए मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

मेरे विचार से इस विधेयक का प्रयोजन भारत में जलमार्गों का विकास, रख-रखाव और नियमन करना है। जलमार्गों के विकास कार्यों की ओर ध्यान देने के लिए प्राधिकरण बनाया जा रहा है। खंड 10 में कहा गया है कि :—

"इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में प्राधिकरण, जहां तक हो सकेगा कारबार के सिद्धान्तों पर चलेगा।"

इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह खण्ड अच्छा है। किन्तु इसके साथ ही खण्ड 25(1) के द्वारा खण्ड 10 का मुख्य प्रयोजन ही विफल हो गया है जैसा कि खण्ड 25(1) में उल्लिखित है :—

"...प्राधिकरण इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों और कर्त्तव्यों के निर्वहन में नीति के प्रश्नों पर ऐसे निदेशों से आबद्ध होगा जो केन्द्रीय सरकार लिखित रूप में समय-समय पर उसे दे।"

मेरे विचार से खण्ड 10 के अन्तर्गत दी गई शक्ति खण्ड 25(1) और (2) के माध्यम से वापस ले ली गई है। इसलिए मेरे विचार से यह विरोधात्मक है। मेरी राय में इस प्राधिकरण को अन्य प्राधिकरणों के समान कारबार सिद्धान्तों के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। यदि यह कारबार सिद्धान्तों के अनुसार कार्य नहीं करता है तो इसके आर्थिक रूप से सक्षम होने की कोई सम्भावना नहीं है।

इसी समय, केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम की स्थापना की है।

निगम को नदी पर विभिन्न स्थानों के या नदी के किनारों के पास विभिन्न स्थानों पर माल यातायात के जमाव को अन्तर्देशीय जलमार्ग के माध्यम से जोड़ने में मदद करना है। परन्तु इस निगम की स्थापना के बाद से यह हानि पर जा रही है। मैं नहीं जानता कि यह हानि पर क्यों चल रही है। यह परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। इसके बावजूद इसमें हानि हो रही है। मैं बताना चाहता हूं कि इस तरह के प्राधिकरण को वाणिज्यिक सिद्धांत पर इसलिए चलना चाहिए ताकि मन्त्रालयों या केन्द्र से इसमें न्यूनतम हस्तक्षेप हो। हर समय यदि छोटी-छोटी चीजों को करने या नियमों की व्याख्या या नीति मामलों की व्याख्या के लिए केन्द्र से निदेश होंगे तो तब जो निगम स्तर पर निम्न स्तर पर काम कर रहे हैं वे हमेशा केन्द्र से प्रत्येक निदेश के लिए प्रतीक्षा करेंगे। यदि यह निरन्तर होता है तब मैं समझता हूं कि कोई भी प्राधिकरण निगम या संस्था को सही ढंग से नहीं चला सकेगा। इसलिए संस्था को चलाने के लिए बहुत स्वतंत्रता होनी चाहिए। यदि इसे दिल्ली परिवहन निगम की तरह चलाना है तो मुश्किल होगा। आप जानते हैं कि दिल्ली परिवहन निगम को प्रतिवर्ष कई करोड़ रुपये की हानि हो रही है। मैं समझता हूं कि दिल्ली परिवहन निगम को प्रतिवर्ष लगभग 50 करोड़ रुपये की हानि हो रही है। महोदय, व्यवसाय का सिद्धांत एक अलग बात है। केन्द्र या मंत्रालय से अधिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। परन्तु खण्ड 25(1) और (2) इस प्रकार के हस्तक्षेप के लिए व्यवस्था करता है। इस खण्ड में परिवर्तन या इसमें संशोधन किया जाना चाहिए। मैं सुझाव देता हूं कि इस खण्ड को इस प्रकार पढ़ना चाहिए :—

> "कि प्राधिकरण इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों और कर्त्तव्यों को निर्वहन में नीति के प्रश्नों पर ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो केन्द्रीय सरकार लिखित रूप में समय-समय पर उसे दे, और प्राधिकार कार्य करने के लिए यथा सम्भव स्वतंत्र छोड़ा जाएगा।"

खण्ड 14(1)(i) विभिन्न किस्म के परिवहन के साथ समन्वय का उल्लेख करता है। इस खण्ड में यह बताया गया है कि प्राधिकरण का एक कार्य यह होगा :—

> "राष्ट्रीय जलमार्ग पर अन्तर्देशीय जल परिवहन का परिवहन के अन्य तरीकों से समन्वय सुनिश्चित कर सकेगा।"

"अन्य प्रकार के परिवहन" से यहां तात्पर्य है 'सड़क' या 'रेल' या कुछ इसी तरह के परिवहन। टर्मिनल स्थानों को रेलवे स्टेशन या सड़क परिवहन की व्यवस्था के साथ जोड़ना चाहिए ताकि अन्तर्देशीय जल निगम द्वारा ढोये जाने वाले सामानों को विभिन्न स्थानों पर पहुंचाया जा सके। इसी के साथ ही मैं बताना चाहता हूं कि अन्तर्देशीय जल परिवहन की परम्परागत प्रणाली विशेषकर देशी नावों द्वारा ढोए जाने वाले माल के साथ समन्वय रखा जाना चाहिए। भारत में, अभी भी देशी नावों का बेड़ा है जो देश के विभिन्न भागों में पहले से ही विद्यमान है तथा वे उन विभिन्न स्थानों पर बड़ी मात्रा में सामान ले जाते हैं जो नदियों के किनारे के समीप या वहां स्थित होते हैं। अतः एक सुव्यवस्थित योजना भी होनी चाहिए तथा परम्परागत परिवहन प्रणाली और गैर-परम्परागत परिवहन प्रणाली के बीच तालमेल होना चाहिए।

मैं प्राधिकरण के मुख्य कार्यालय की स्थापना के बारे में एक अन्य बात बताना चाहता हूं।

[श्री रेणु पद दास]

मुख्य कार्यालय कलकत्ता में होना चाहिए। मैं समझता हूं कि आपके पक्ष के कुछ माननीय सदस्यों ने भी इस बारे में संशोधन करने का प्रस्ताव किया है और हमारी भी यह राय है कि प्राधिकरण का मुख्यालय कलकत्ता में होना चाहिए।

पूर्वी और उत्तर-पूर्वी भारत की नदी प्रणाली के मुहाने पर कलकत्ता स्थित है। जैसा कि मंत्री जी ने बताया है कि भारत के पूर्वी भाग में अन्तर्देशीय जलमार्ग का विकास हुआ है तथा भारत का उत्तर-पूर्वी भाग अन्तर्देशीय जलमार्ग के लिए उपयुक्त क्षेत्र है। संसद ने पहले से ही एक विधान पारित किया है जिसमें इलाहाबाद तथा हल्दिया के बीच गंगा नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में घोषित किया है। मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में यह भी कहा है कि ब्रह्मपुत्र, सुन्दरवन तथा गोदावरी ऐसी अन्य नदियां हैं जो कि राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किये जाने के लिए उपयुक्त हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि बंगलादेश तथा भारत के पूर्वी क्षेत्र के बीच अन्तर्देशीय जल परिवहन सबसे महत्वपूर्ण परिवहन प्रणाली है। केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम का एक महत्वपूर्ण कार्यालय कलकत्ता में है। मैं नहीं जानता कि क्या उनका मुख्य कार्यालय भी कलकत्ता में है। वे अब कलकत्ता से त्रिपुरा, असम आदि तक अपना व्यापार करते हैं तथा वे अब अपने व्यापार को फरक्का और पटना तथा इलाहाबाद तक फैला सकते हैं। इस प्रकार कलकत्ता माल यातायात मुख्य स्थान बन जाएगा। इस दृष्टि से प्राधिकरण का मुख्य कार्यालय कलकत्ता में होना चाहिए। कम से कम इसे दिल्ली या बम्बई में स्थित नहीं होना चाहिए। मैं नहीं समझता कि क्या बम्बई को अन्तर्देशीय जलमार्ग के एक महत्वपूर्ण केन्द्र के रूप में संगठित किया जा सकेगा। अभी तक भारत के उत्तरी-पूर्वी भाग तथा पूर्वी भाग में अन्तर्देशीय जलमार्ग का विकास हो पाया है। इसलिए, इस प्राधिकरण का मुख्य कार्यालय कलकत्ता में स्थित होना चाहिए। यह प्राधिकरण के हित में होगा।

राज्य सरकार ने कलकत्ता में यात्री परिवहन प्रणाली में सुधार किया है। कलकत्ता और हावड़ा के बीच यात्रियों को लाने ले जाने वाली नाव सेवा बहुत प्रसिद्ध है। इस सेवा से लाभ उठाने वाले यात्रियों की संख्या जो हुगली नदी को पार करते हैं, उसकी संख्या प्रतिदिन 1.30 लाख हो गई है। केवल यही नहीं, हुगली नदी, कलकत्ता और हावड़ा के अत्यधिक संकुचित क्षेत्र से निकलती है। कलकत्ता ऐसा स्थान है जहां सड़क का तल क्षेत्र बहुत कम है। इस क्षेत्र में केवल 6 प्रतिशत सड़कें हैं। इसलिए, यात्रियों को नाव से ले जाने वाली सेवा या अन्तर्देशीय जल परिवहन सेवा इन यात्रियों के यातायात के लिए बहुत सुविधाजनक है जो कलकत्ता आते हैं या कलकत्ता से वापस अपने स्थानों को जाते हैं। कलकत्ता में यात्रियों को नावों से ले जाने वाली सेवा बहुत प्रसिद्ध हो गई है तथा लोग इस सेवा का रोज उपयोग करते हैं। इसी समय, कलकत्ता की भीड़-भाड़ कुछ कम हो गई है और यह और भी कम हो सकती है। पश्चिम बंगाल सरकार अब राष्ट्रीय जलमार्ग के उपयोग की स्थिति में है और इसी समय अन्तर्देशीय जलमार्ग के विकास के कार्यक्रम की योजना बनाई गई है ताकि परिवहन का विकल्प लोगों को उपलब्ध कराया जा सके। उनके पास कुछ योजनाएं हैं और शायद केन्द्र को उनके अनुमोदन के लिए इन योजनाओं को भेज दिया गया है। राज्य सरकार चांदपालघाट तथा हावड़ा स्टेशन पर उन यात्रियों की सुविधा के लिए जो इन दोनों स्थानों पर रोज आते-जाते हैं, कुछ अतिरिक्त

गैंगवे सुविधाओं का निर्माण भी करना चाहती है। सरकार का तीसरा उद्देश्य नजीरगंज, भटियाबुर्ज, दक्षिणेश्वर, बेलूर, रामकृष्ण मठ से हुगली नदी और उसके आर-पार वैकल्पिक परिवहन की व्यवस्था करना है। यह लम्बा रास्ता है और इस जलमार्ग पर सरकार ने एक योजना तैयार की है तथा इस योजना के लिए केन्द्र से उदारता से वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए। मैं समझता हूं कि राज्य की योजनाओं में इसके लिए कुछ आवंटन भी किया गया है तथा इस योजना को भी शीघ्र मंजूरी देनी चाहिए।

इसके साथ-साथ अन्तर्देशीय जल परिवहन स्कन्ध के नौवहन प्रकोष्ठ ने यात्रियों को वहां किनारे पर उतरने की सुविधाओं की व्यवस्था के लिए वहां जल परिवहन केवल सूचना या आवागमन का एकमात्र माध्यम है। सुन्दरवन क्षेत्र में आठ प्रमुख पक्के घाटों का निर्माण शुरू कर दिया है। मैं अनुरोध करता हूं कि अन्तर्देशीय जलमार्गों पर नदी किनारे वाले क्षेत्रों को पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए तथा इस क्षेत्र में उद्यमियों को उद्योगों की स्थापना का प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

भागीरथी के साथ-साथ और आर-पार, राज्य के विभिन्न भागों में भी अन्तर्देशीय जल परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

श्री शांताराम नायक (पणजी) : उपाध्यक्ष महोदय, जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण तथा इसके परिणामस्वरूप पूरे देश में यातायात बढ़ने से यह नया अन्तर्देशीय जल मार्ग आज बहुत जरूरी हो गया है। इसलिए, यह ठीक है कि मंत्री जी ने इस नए मार्ग को खोलने के लिए यह विधेयक पुरःस्थापित किया है। हालांकि इस नए प्राधिकरण के कार्यकरण में सुधार लाने के उद्देश्य से सड़क परिवहन और यातायात के भी पिछले कई दशकों के अनुभव पर विचार करना चाहिए।

दूसरा, यदि यातायात उपलब्ध है, चाहे यह सड़क से हो या जल मार्ग द्वारा हो तो लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में ठहरने के लिए आपत्ति नहीं हो सकती है। इस मामले में भी विशेषरूप से शहरी क्षेत्रों में जब हम लोगों से ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरों के बहिर्मार्ग पर बसने की आशा करते हैं तो परिवहन अनिवार्य हो जाता है इस दृष्टि से यह बहुत अनिवार्य हो जाता है।

मुझे यह देखकर खुशी हुई है कि मंत्रालय ने इस प्रयोजन के लिए गोवा के मान्डवी और ज्वारी जलमार्गों पर विचार शुरू किया है। गोवा में यह मार्ग 20 वर्षों से अधिक समय से काम कर रहा है। हमारे पास फेरी नाव हैं जो यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति दक्षिण गोवा से उत्तर गोवा जाना चाहता है तो उसे लगभग 10 मिनट की अवधि के लिए बीच में फेरी नाव का उपयोग करना होगा। अधिकतर सभी जगह पुल हैं फिर भी मेरे क्षेत्र गोवा में अन्तर्देशीय जलमार्ग में फेरी नावों का बहुत उपयोग होता है। लेकिन महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि सड़क यातायात के साथ-साथ यह साधन भी हमारे पास है। इसके बाद दरों के बारे में, मैं विशेष रूप से यात्रियों के भाड़े का उल्लेख करूंगा। भाड़े भी उचित होने चाहिए ताकि उन लोगों को दण्ड न दिया जाए जो इस नई सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं।

दूसरा, जैसा कि मेरे विद्वान सहकर्मी ने पहले ही बताया है कि उनकी यह निश्चित राय थी कि अन्तर्देशीय जलमार्गों में व्यावसायिक उद्देश्य होना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि इस विधेयक का

[श्री शांताराम नायक]

खण्ड 10 बहुत आपत्तिजनक है। परिवहन की संकल्पना मूलरूप से सेवा के उद्देश्य से जुड़ी है। जब आप लोगों को परिवहन प्रदान भी करते हैं तो व्यवसाय मुख्य उद्देश्य नहीं हो सकता तथा निश्चित रूप से उस ढंग से भी नहीं जैसा कि यहां व्यक्त किया गया है। खण्ड 10 बताता है :

"इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में प्राधिकरण, जहां तक हो सकेगा, कारबार के सिद्धांतों पर चलेगा।"

यहां विशेषरूप से व्यवस्था की गई कि यह व्यावसायिक सिद्धांत पर कार्य करेगा : दूसरी ओर ऐसा वहां नहीं होना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि साथ-साथ कोई भी एजेंसी या कोई मशीनरी कार्य नहीं कर सकती है। मैं तब सहमत हूंगा जब इसके पास कुछ मूल किस्म के सिद्धांत होंगे। लेकिन विशेषरूप से उल्लेख करने का मतलब होगा मुख्य उद्देश्य से अलग होना अर्थात सेवा के उद्देश्य से अलग हटना।

इसके बाद, जहां तक सातवीं योजना का संबंध है, आपने कुछ राष्ट्रीय जलमार्गों का उल्लेख किया है जिसमें, यदि मैं सही हूं तो, आपने ज्वारी-मन्डवी जलमार्गों पर विचार नहीं किया है। और यदि वहां वैसा नहीं किया गया है तो मेरा अनुरोध है कि आप इस पर विचार करें और ज्वारी-मंड्वी को सातवीं परियोजना में शामिल करें।

अंततः, मैं कहूंगा कि आपने कहा है कि इन राष्ट्रीय जलमार्गों पर परिवहन के प्रबंध और संचालन का कुछ काम राज्य सरकारों पर छोड़ दिया जाएगा और केवल मुख्य काम अर्थात रख-रखाव और विकास कार्य ही केन्द्र सरकार अपने हाथ में लेगी। इस हालत में, यदि काम का व्यापक विभाजन हो और काफी विविधता हो तो क्या होगा ? इससे समुचित समन्वय नहीं होगा। यदि राष्ट्रीय जलमार्ग का संपूर्ण कार्य एक ही प्राधिकरण को सौंपा गया तो मैं समझता हूं कि उससे प्राधिकरण बहुत सक्षम हो जाएगा। इसमें संदेह नहीं कि उसे अधिकार हैं। चूंकि संविधान में यह प्रावधान है कि संगत प्रविष्टियों में कतिपय अधिकारों का केन्द्र सरकार द्वारा आपके द्वारा प्रयोग किया जाना है और शेष काम राज्यों पर छोड़ दिया जाता है। किन्तु राज्य सरकारों के सहयोग से, उन्हें धन देकर, मैं समझता हूं कि केन्द्र सरकार को उचित कानून बनाने चाहिए ताकि जलमार्ग संबंधी सभी शक्तियां एक प्राधिकरण में निहित हो सकें। उससे उद्देश्य की ठीक तरह से पूर्ति होगी।

प्रो० के० वी० थामस (एर्णाकुलम) : महोदय मैं माननीय मंत्री श्री पाइलट को बधाई देता हूं कि यह चर्चा उनकी उपस्थिति में हुई क्योंकि यह विधेयक श्री अंसारी जी ने पिछले सत्र में पेश किया था। चूंकि हमारे वर्तमान मंत्री युवा और गतिशील हैं, मैं समझता हूं कि यह प्राधिकरण तेजी से काम करेगा।

महोदय, पहले नौवहन और परिवहन मंत्रालय के अधीन काम कर रहे अंतर्देशीय जल परिवहन निदेशालय के अधिकार इस प्राधिकरण को सौंपकर इसका गठन किया जाएगा। यह नया प्राधिकरण देश में विभिन्न तरीकों से परिवहन सुविधाओं में सहायता करेगा और सामंजस्य पैदा करेगा।

महोदय, हमारे यहां रेल और सड़क परिवहन आदि हैं। लेकिन सड़क परिवहन से प्रदूषण की गंभीर समस्या पैदा हो रही है। यदि जल परिवहन का और विकास किया जाए तो हम प्रदूषण की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। दूसरे, जल परिवहन कम खर्चीला होगा। मेरे निर्वाचन क्षेत्र कोचीन में, जो केरल का मुख्य वाणिज्यिक क्षेत्र है, बंदरगाह तक जाने के लिए सड़क और जल परिवहन दोनों उपलब्ध हैं। लेकिन यह देखा गया है कि सड़क परिवहन की तुलना में जल परिवहन पर दो-तिहाई कम खर्च बैठता है। केरल सरकार ने केन्द्र सरकार के समक्ष यह प्रस्ताव रखा है कि एलैप्पी और कोचीन के बीच के क्षेत्र को राष्ट्रीय जल परिवहन मार्ग घोषित किया जाए। लेकिन इसे कार्यान्वित नहीं किया गया है। यदि इसे राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया जाता है तो हम बड़ी संख्या में बेरोजगार लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान कर सकते हैं। इससे देश के विभिन्न भागों में फैले द्वीपों को भी आपस में जोड़ने में सहायता मिलेगी।

केरल जैसे राज्य में विभिन्न भागों में कई छोटे-छोटे द्वीप फैले हैं। एक द्वीप को अन्य द्वीप से जोड़ना बहुत कठिन समस्या है। यदि हम सड़क बनाकर या पुल बनाकर उन्हें आपस में जोड़ते हैं तो इस पर बहुत खर्च आएगा किंतु यदि जल मार्ग व्यवस्था का उचित रूप से कार्यान्वियन किया जाए तो स्वभावतः अधिक द्वीपों को एक दूसरे से जोड़ा जा सकता है। इसका एक और लाभ यह है कि इससे पर्यटन में और अधिक सहायता मिलेगी।

कोचीन में, 2-3 नौकाएं हैं जो एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक जाती हैं और लोग प्राकृतिक सौंदर्य देखने का आनंद उठा पाते हैं। हमने देखा है कि इस सुविधा के कारण हजारों पर्यटक इस ओर आकर्षित हुए हैं। अतः जलमार्ग योजनाओं के कार्यान्वियन पर जो भी राशि खर्च की जाती है, उससे पर्यटन के विकास में सहायता मिलेगी।

अब मैं अपने राज्य पर आता हूं, केरल के एक भाग को दूसरे भाग से जलमार्ग के द्वारा आसानी से जोड़ा जा सकता है। राज्य के बिल्कुल उत्तर में स्थित कासरगौड से राज्य की राजधानी त्रिवेन्द्रम तक नदियों और अप्रवाही जल में सुन्दर जलमार्ग हैं। अतः यदि आप हमारे राज्य में यह योजना कार्यान्वित करते हैं, तो इससे हमारे राज्य में पर्यटन का विकास होगा तथा हम रोजगार के अधिक अवसर प्रदान कर पाएंगे। इससे हमारी परिवहन व्यवस्था में बहुत सहायता मिलेगी क्योंकि हमारे राज्य में बड़े और छोटे बंदरगाह है, उदाहरण के लिए त्रिवेन्द्रम एलैप्पी और कालीकट छोटे पत्तन हैं जबकि कोचीन मुख्य पत्तन है। इन सभी पत्तनों को अंतर्देशीय जल व्यवस्था से जोड़ा जा सकता है। इससे केरल राज्य को बहुत सहायता मिलेगी। अतः जब आप यह योजना कार्यान्वित करते हैं, तो केरल जैसे राज्य को, जो कि जलमार्ग से अधिक जुड़े हैं, अधिक महत्ता दी जानी चाहिए।

इस विधेयक में, परामर्शदात्री समिति बनाने का उपबन्ध है। मैं समझता हूं कि यह एक अच्छा उपबन्ध है, क्योंकि जब हम इनमें से कई योजनाएं कार्यान्वित करते हैं तो इससे जनता की प्रतिक्रिया जानने में भी सहायता मिलेगी। यदि सलाहकार समितियां बनाई जाएं तो वे लोग, जिनकी इसमें रुचि है, अपने विचार व्यक्त करेंगे और स्वाभाविक है इससे प्राधिकरण द्वारा आरंभ की जाने वाली योजनाओं के कार्यान्वियन में सहायता मिलेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम दोपहर के भोजन के लिए सभा स्थगित करते हैं और मध्याह्न पश्चात 2 बजे पुनः समवेत होंगे।

1.00 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे म०प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.14 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2 बजकर 14 मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण विधेयक—(जारी)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री ए० चार्ल्स

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : भारत जैसे देश में जहां सड़क और रेलवे परिवहन सुविधाएं अपेक्षाकृत सीमित हैं, जलमार्ग की महत्ता को नकारा नहीं जा सकता। यातायात के वर्तमान साधन देश के समूचे विकास के लिए अपर्याप्त हैं। जल परिवहन प्रणाली का विकास उपलब्ध परिवहन साधनों का संपूरक होगा और इससे निश्चय ही यात्री और माल दोनों यातायात प्रणालियों की कुशलता बढ़ेगी।

अंतर्देशीय जल परिवहन के विकास को सर्वाधिक महत्व देने की आवश्यकता को उद्देश्य और कारणों के कथन में अच्छी तरह स्पष्ट किया गया है। इसकी कम लागत और कुछ अन्य लाभों जैसे ऊर्जा कुशलता, कमजोर वर्गों के बीच रोजगार के अवसर पैदा करने की क्षमता और कम प्रदूषण आदि को देखते हुए अंतर्देशीय जल परिवहन महत्वपूर्ण है।

केरल राज्य में जल परिवहन के विकास की काफी संभावनाएं हैं क्योंकि वहां झीलें, नहरें, स्रोत और नदियां काफी हैं। एलैप्पी-कोट्टायाम-कोचीन क्षेत्र में आज भी कई हजार श्रमिक, सरकारी कर्मचारी और अन्य यात्री बहुत अधिक रूप से किश्तियों पर निर्भर करते हैं। एलैप्पी क्षेत्र में विशेष रूप से कुट्टान्ड के पानी वाले क्षेत्रों में, प्रत्येक घर में एक छोटी देशी नाव होती है जिसका इस्तेमाल बच्चे भी स्कूल जाने के लिए करते हैं। लेकिन हाल ही में, अंतर्देशीय जल परिवहन प्रणाली की इस राज्य में बहुत उपेक्षा की गई है। देश के स्वतंत्र होने से बहुत पहले, त्रिवेन्द्रम से कोचीन तक नियमित नौका सेवा थी। वास्तव में उस समय इस प्रदेश में यातायात का यही एकमात्र साधन था। विशेष रूप से भारी सामान जैसे लकड़ी ईंटें, रोड़ी, टाइल्स आदि ढोने के लिए यह सबसे सस्ता परिवहन है। दो व्यक्तियों द्वारा चलाई जाने वाली बिना इंजन की आम देशी नौका छः या अधिक ट्रकों द्वारा ढोया जाने वाले भारी सामान ढोकर ले जा सकती है। अतः आप इस पर आने वाले कम खर्च, कम प्रदूषण और

इस प्रणाली के हर तरह से लाभप्रद होने का अंदाज लगा सकते हैं। अतः उस प्रदेश में जल परिवहन प्रणाली को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से जब सड़क यातायात अधिक हो गया तो धीरे-धीरे जल परिवहन को लोग भूलते चले गए। त्रिवेन्द्रम से एलैप्पी तक जल परिवहन बहुत कठिन हो गया है और कुछ क्षेत्रों में सफाई-व्यवस्था ठीक न होने के कारण जल परिवहन का काम असंभव है।

केरल में त्रिवेन्द्रम से मंजेश्वरम तक लम्बा तटीय क्षेत्र है और इसकी लंबाई 1950 किलोमीटर है। इसके समूचे तटीय क्षेत्र में हर जगह समुद्र के समानान्तर नहरें हैं। यदि इन्हें जोड़ दिया जाए इनमें सुधार और इनका आधुनिकीकरण किया जाए तो यह देश की एक सबसे अच्छी जल प्रणाली बन जाएगी।

यह पता चला है कि अंतर्देशीय जल परिवहन प्रणाली के सुधार पर सातवीं योजना में अधिक बल दिया जा रहा है। केरल सरकार ने त्रिवेन्द्रम-मांजेश्वरम नहर प्रणाली के आधुनिकीकरण और उसे पूरा करने हेतु एक योजना तैयार की है और केन्द्र सरकार उस पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

प्रस्तावित विधेयक के खंड 2 (ज) में कहा गया है कि केवल संसद ही किसी जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित कर सकती है। केरल में आंतरिक जल प्रणाली के विकास की आवश्यकता को तथा विशेष रूप से वहां उपलब्ध अत्याधिक संसाधनों को ध्यान में रखते हुए, मेरा अनुरोध है कि इस खंड के अंतर्गत इस सम्मानित सभा को त्रिवेन्द्रम-मांजेश्वरम जल नहर प्रणाली को प्राथमिकता देनी चाहिए और इसे राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करना चाहिए।

केरल को दक्षिण का काश्मीर कहा जाता है। यहां के सौंदर्य को देखते हुए, यदि इस नहर में सुधार किया जाए और इसका आधुनिकीकरण किया जाए तो निश्चय ही यह विश्व के सभी भागों से आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करेगी। यहां तक कि आज भी एलैप्पी से कोचीन तक वर्तमान नहर में यात्रा रोमांचित कर देने वाली होती है। सुंदर नारियल के पेड़ और फूल तथा नहर के पूरे क्षेत्र में दोनों ओर पेड़ हैं इसमें यात्रा करना पिकनिक मनाने जैसा हो जाता है। अतः मेरा अनुरोध है कि इसे राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया जाना चाहिए।

अध्याय 2, खंड 3 (3) में कहा गया है "पांच से अनाधिक इतने व्यक्ति।" इस प्राधिकरण में नियुक्त किए जाने वाले सदस्यों की योग्यताओं के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है। यह प्राधिकरण बहुत बड़ा होगा जिसके अधिकार व्यापक होंगे उसका काम बहुत जिम्मेदारी का/कठिन होगा और इसलिए मेरा अनुरोध है कि इसे केवल नियम बनाने वाले प्राधिकरण पर ही नहीं छोड़ा जाना चाहिए, संसद को पता होना चाहिए कि सदस्य की क्या योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। इसी तरह खंड 4 में इसकी कार्यविधि निर्धारित नहीं की गयी है और मैं समझता हूं कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। खंड 9 (2) में कहा गया है "प्रत्येक सलाहकार समिति ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनेगी जो पोत परिवहन और नौपरिवहन तथा ऐसे सहबद्ध पहलुओं से संबंधित हों, जो प्राधिकरण ठीक समझे।" मैं समझता हूं अनुभव को केवल नौवहन उद्योग तक ही सीमित रखना वांछनीय नहीं है। उस समिति में एक कुशल वित्तीय सलाहकार क्यों नहीं रखा जाना चाहिए? अतः मैं समझता हूं कि इसे उस तक

[श्री ए० चार्ल्स]

सीमित रखने की बजाय सरकार को यह हक होना चाहिए कि सलाहकार समिति के लिए योग्य व्यक्ति का चयन करे··· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब आप समाप्त कीजिए।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : वह केरल से हैं।

श्री ए० चार्ल्स : यहां मेरे केरल से होने का कोई प्रश्न नहीं है। मुझे डागा जी पर पूरा विश्वास है और मुझे पूरी आशा है कि डागा जी हमारे हितों का ध्यान रखेंगे··· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : केरल में बहुत पानी है पर आपको राजस्थान के बारे में पता नहीं है।

श्री ए० चार्ल्स : चूंकि उन्होंने चर्चा की है, मैं इस सम्मान्य सदन को याद दिलाना चाहूंगा कि जब देश के सामने किसी प्रकार की आपदा आई तो केरल किसी से पीछे नहीं रहा। पाकिस्तानी आक्रमण के समय अथवा इन्दिरा जी की हत्या के पश्चात् देश को जिस आपदा का सामना करना पड़ा, तो देश की एकता तथा अखंडता को बनाए रखने के लिए केरल भी सरकार के साथ रहा। और मुझे यह कहने में गर्व है कि केरल के लोग भारतीय हैं और रक्त की अन्तिम बूंद तक भारतीय हैं। डागा जी जैसे व्यक्तियों को हमारे राज्य की कठिनाइयां समझनी चाहिएं और हमारी सहायता के लिए आगे आना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें केरल ले चलिए।

श्री ए० चार्ल्स : महोदय, मैं ले चलूंगा।

खण्ड 37(1) के परन्तुक में यह उल्लेख है : "परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी आदेश इस अधिनियम के लागू होने से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात् जारी नहीं किया जाएगा। मैं यह उचित नहीं समझता हूं कि इसमें ऐसा परन्तुक होना चाहिए। यदि सरकार महसूस करती है कि पांच वर्ष के पश्चात् कोई कठिनाई नहीं होगी, तब तो और बात है किंतु कठिनाई दूर करने की अवधि पांच वर्ष तक सीमित रखने से मेरे विचार में सरकार के लिए व्यावहारिक कठिनाइयां उत्पन्न होंगी। अतः मैं निवेदन करता हूं कि परन्तुक को निकाल दिया जाए।

अतः मैं पूरी आशा करता हूं कि त्रिवेंद्रम-मंजेश्वरम जलमार्ग को एक राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने का मेरा अनुरोध स्वीकार किया जाएगा। मैं इस विधेयक का हार्दिक समर्थन करता हूं और मंत्री जी को इस महत्वपूर्ण कानून को आगे लाने के लिए बधाई देता हूं।

***श्री आर० अण्णानम्बी** (पोल्लाची) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी पार्टी अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजगम की ओर से भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण विधेयक,

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

1985 के सम्बन्ध में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। इस विधेयक का उद्देश्य देश में जल परिवहन के विकास के लिए अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण स्थापित करना है। किंतु पता नहीं क्यों इस प्राधिकरण के सभापति तथा सदस्यों की कार्यावधि के सम्बन्ध में विधेयक में कोई उल्लेख नहीं है। इस बात का उल्लेख किया गया है कि चूंकि अन्तर्देशीय जलमार्ग निदेशालय प्रभावशाली ढंग से कार्य नहीं कर रहा है इसलिए इस प्राधिकरण की संस्थापना की गई। इस प्राधिकरण की सहायता के लिए शीघ्र ही विभिन्न सलाहकार समितियों का गठन भी किया जाएगा। इन परिस्थितियों में, यह आवश्यक है कि प्राधिकरण के सभापति तथा सदस्यों की कार्यावधि का उल्लेख भी इस विधेयक में किया जाए। मुझे विश्वास है कि माननीय मन्त्री इस सुझाव की ओर ध्यान देंगे और उचित कार्यवाही करेंगे।

विभिन्न सलाहकार समितियों के गठन के प्रस्ताव का स्वागत करते हुए मैं यह सुझाव देता हूं कि यह प्राधिकरण तथा यह समितियां सेवानिवृत्त न्यायाधीशों तथा भारत सरकार के सचिवों के लिए आश्रय स्थल नहीं बनने चाहिए। माननीय मन्त्री को यह बात सुनिश्चित करनी चाहिए कि प्रतिष्ठित तथा योग्य व्यक्तियों को सदस्य बनाया जाए ताकि देश के जल परिवहन का विकास हो। भारत अनेक बारहमासी दरियाओं तथा एक लम्बी तट रेखा का देश है। यह दुर्भाग्य की बात है कि अभी हमने उपलब्ध जलमार्गों की 5 प्रतिशत क्षमता का भी उपयोग नहीं किया है। महोदय, आप जानते हैं कि जलमार्गों के विकास के लिए अधिक पूंजी की जरूरत नहीं है। दूसरी ओर, सड़क तथा रेल परिवहन के विस्तार के लिए भारी पूंजी की आवश्यकता है। अतः यातायात के उद्देश्यों के लिए जलमार्गों को सुधारना सरकार के लिए अनिवार्य बन जाता है।

यहां मैं तमिलनाडु की एक महत्वपूर्ण जलमार्ग योजना का उल्लेख करना चाहूंगा और वह है सेतुसमुद्रम परियोजना। तमिलनाडु के मुख्य मन्त्री डा० एम० जी० आर० ने राष्ट्रीय विकास परिषद् की हाल में आयोजित बैठक के दौरान अपने वक्तव्य में सेतुसमुद्रम परियोजना के महत्व की चर्चा की है। तटीय नौवहन के लिए वरदान सिद्ध होने के अतिरिक्त यह तमिलनाडु के तटीय जिलों में पिछड़ेपन को मिटाने का एक साधन प्रमाणित होगा। यदि यह योजना लागू होती है तो पेट्रोल तथा डीजल की 200 करोड़ रुपये के बराबर वार्षिक बचत होगी। यदि हमारी नौसेना के पोत को पूर्वी तट से पश्चिमी तट को जाना है तो इसे हिन्द महासागर में श्रीलंका के चारों ओर होकर जाना पड़ता है। इसी प्रकार यदि किसी नौसेना पोत को पश्चिमी तट से पूर्वी तट को जाना है तो उस स्थिति में भी हिन्द महासागर के बीच श्रीलंका के चारों ओर जाने के सिवा कोई सीधा समुद्री रास्ता नहीं है। माननीय मन्त्री जानते हैं कि हिन्द महासागर इस समय अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का अड्डा है और वास्तव में युद्ध क्षेत्र बन गया है। हमारे नौसेना पोतों तथा व्यापार पोतों को जिस प्रकार के जोखिम का सामना करना पड़ सकता है आप इस जोखिम का अनुमान लगा सकते हैं। यदि उनको हिन्द महासागर से जाना पड़ता है। जो पोत कलकत्ता से पूर्वी तट पर टूटीकोरिन में सुपर ताप बिजली घर तक कोयला ले जाता है, उस पोत को भी हिन्द महासागर में कठिनाइयां झेलते हुए श्रीलंका के चारों ओर जाना पड़ता है। सेतु-समुद्रम परियोजना एकमात्र जलमार्ग है जो हमारी नौसेना तथा व्यापारिक बेड़े को इस सारे कष्ट से बचाएगा।

1901 में ही ब्रिटिश सरकार ने इस प्रस्ताव की जांच की थी और इस परियोजना की

[श्री आर० अण्णानम्बी]

व्यवहार्यता के पक्ष में एक रिपोर्ट दी थी। स्वतन्त्रता के पश्चात् रामास्वामी मुदालियार समिति ने इस परियोजना के पक्ष में एक रिपोर्ट दी थी। हेग में अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश डा० नगेन्द्र सिंह ने भी इस प्रस्ताव की जांच की थी और कहा था कि इस परियोजना को एक राष्ट्रीय जल-मार्ग के रूप में कार्यान्वित किया जाना चाहिए। पंडित नेहरू ने इसे तीसरी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने के लिए योजना आयोग से इसकी जांच करने को कहा था। इसे अभी कार्यान्वित करने के लिए नहीं लिया गया। हाल ही में परिवहन मन्त्रालय की एक विशेषज्ञ समिति ने इस परियोजना की सिफारिश की है। दक्षिणी नौसेना कमान के भूतपूर्व अध्यक्ष तथा भारतीय नौसेना के भूतपूर्व अध्यक्ष ने कहा था कि इस परियोजना का महान राष्ट्रीय महत्व तथा अत्यन्त सामरिक महत्व है। मैं यह सुझाव देता हूं कि माननीय परिवहन मन्त्री राष्ट्रीय महत्व की इस परियोजना के तुरन्त कार्यान्वयन के लिए कार्य आरम्भ करें।

मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि आन्ध्र प्रदेश से आरम्भ होने वाली तथा मद्रास पहुंचने वाली बकिंगम नहर ब्रिटिश शासन के दौरान एक जलमार्ग के रूप में प्रयोग होती थी। स्वतन्त्रता के पश्चात्, दुर्भाग्यवश बकिंगम नहर राजमार्ग कार्यालय को बन्द कर दिया गया। अब यह एक बड़ी नाली में बदल गई है। इस जलमार्ग को अब यातायात के उद्देश्यों के लिए प्रयोग में लाया जाना चाहिए। मेरी इच्छा है कि मन्त्री महोदय बकिंगम नहर को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में विकसित करने को सर्वाधिक प्राथमिकता दे दें।

इसी प्रकार मन्त्रालय द्वारा कृष्णा नहर परियोजना को, जिसे दक्षिणी गंगा कहते हैं, अधिक राशि मिलनी चाहिए ताकि इसे मद्रास के लोगों को पीने का पानी देने के अतिरिक्त राष्ट्रीय जलमार्ग में बदल दिया जा सके।

महोदय, इस समय केवल एक जलमार्ग है और वह भी देश के उत्तरी भाग में है। दक्षिण में कोई जलमार्ग नहीं है। केवल इस प्राधिकरण तथा तत्पश्चात् परामर्शी समितियों की स्थापना ही काफी नहीं है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि यातायात के उद्देश्यों के लिए पूरे देश में अधिक राष्ट्रीय जलमार्ग बनाये जाएं।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

डा० बी० वेंकटेश (कोलार) : उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति ने 1980 में दिए गए अपने प्रतिवेदन में जलमार्गों का दर्जा ऊंचा उठाने, देश में राष्ट्रीय स्तर पर जलमार्गों के विकास तथा रख-रखाव के लिए एक स्वतन्त्र प्राधिकरण की स्थापना की मन्जूरी दी है।

अन्य विभिन्न समितियों ने भी विगत में अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास के लिए संस्था बनाने की आवश्यकता को विशिष्टता दी है।

पिछले वर्ष संसद द्वारा गंगा भागीरथी हुगली की इलाहाबाद-हल्दिया पट्टी को राष्ट्रीय जल-

मार्ग घोषित करने का कानून पारित किया गया।

विगत में गठित कई समितियों ने सुझाव दिया था कि एकीकृत नियन्त्रण तथा नौवहन योग्य जलमार्गों के विकास के लिए गंगा के अतिरिक्त किसी और नदी प्रणाली को भी राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया जाना चाहिए।

अब आगे ब्रह्मपुत्र नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने का सुझाव है। दामोदर घाटी निगम को नौवहन के लिए सक्रिय करने के लिए नर्मदा तथा और एक नदी का अध्ययन आरम्भ किया गया है। सातवीं योजना के दौरान अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास के लिए लगभग 520 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है जो छठी योजना के प्रस्तावों में 460 प्रतिशत की भारी वृद्धि का सूचक है।

केन्द्रीय परिवहन मन्त्रालय जो 7वीं योजना अवधि के दौरान देश के अन्तर्देशीय परिवहन क्षमता को प्रभावशाली ढंग से प्रयोग करने का विचार रखता है वह प्रौद्योगिकी तथा वित्तीय रूप में इस उद्देश्य के लिए विदेशी सहायता प्राप्त कर रहे हैं।

देश में समस्त परिवहन जैसे, रेल, सड़क, वायु सेवा, तटीय नौवहन तथा पाइप लाइन अन्तर्देशीय जल परिवहन का विकास भी शामिल हैं, साथ-साथ होना चाहियें।

निर्गम ऊर्जा स्थिति को ध्यान में रखते हुए अन्तर्देशीय जल परिवहन को प्राथमिकता के आधार पर विकसित किया जाना चाहिए।

देश की भारी बेरोजगारी की समस्या को ध्यान में रखते हुए, अन्तर्देशीय जल परिवहन विकास को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों के लिए सफलतापूर्वक साधन के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है।

अन्तर्देशीय जल परिवहन लम्बी दूरी तथा कम दूरी तक कुछ वस्तुओं के परिवहन के लिए सबसे सस्ता साधन है किन्तु माल भेजने का स्थान तथा पहुंचाने का स्थान दोनों जल के निकट ही होने चाहियें और इसमें सामान को एक नौका से दूसरी नौका में पहुंचाने की बात नहीं होनी चाहिए।

ऊर्जा के उपयोग में भी यह परिवहन सबसे प्रभावी साधन है। इसके अतिरिक्त इसके अन्य अन्तर्निहित लाभ भी हैं।

इससे परिवन के अन्य साधनों की प्रकार लाइनें बिछाए बिना तथा पूंजी लगाए बिना तुरन्त माल ढोने की सुविधा उपलब्ध होगी।

अन्तर्देशीय परिवहन में काफी श्रमिकों की जरूरत रहती है और किसी अन्य साधन पर लगाई गई पूंजी में प्रति रुपये से जितना रोजगार पैदा होता है, इसमें उनसे अधिक रोजगार उत्पन्न होता है अतः विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों को लाभ पहुंचाता है।

देश की परिवहन प्रणाली में अन्तर्देशीय जलमार्गों का भाग एक प्रतिशत है और प्रति 100 वर्ग

[डा० वी० वेंकटेश]

कि०मी० उसकी गहनता 0.44 कि०मी० है। नौगम्य अन्तर्देशीय जलमार्ग लगभग 14,500 कि०मी० तक फैले हैं जिसमें अनेक नहर प्रणालियां, नहरें, अप्रवाही जल, संकरी खाड़ियां, ज्वारीय उपखाड़ियां हैं और उनमे से बड़ी नदियां केवल 5,200 कि०मी० तथा 485 कि०मी० नदियां यंत्रचालित यानों के चलाने के योग्य हैं। जलमार्ग यातायात का वर्तमान स्तर बहुत कम है जिससे पता चलता है कि एक मुख्य यातायात साधन का कितना कम प्रयोग किया गया है।

अन्तर्देशीय जल यातायात में संचालन सम्बन्धी तथा अन्य रुकावटें आ रही हैं। इस समय निम्न रुकावटें हैं। मैं केवल मुद्दे पढ़ कर सुनाता हूं।

पहली रुकावट सूखे मौसम में नहरों में कम गहरा पानी तथा कम चौड़ाई, गाद भरना तथा तटों का कटाव, नौवहन साधनों की कमी से पोतों को अच्छी प्रकार से नहीं चलाया जा सकता। पूर्वी क्षेत्र में परिवहन के एक विश्लेषण से पता चलता है कि इन रुकावटों के कारण रास्ते में रुक जाने के कारण दो-तिहाई समय नष्ट होता है।

दूसरी रुकावट यह है कि यानों के आधुनिकीकरण के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया गया है। यांत्रिक प्रचालनों के लिए अधिकांश यान बहुत पुराने तथा अलाभकारी हैं।

तीसरी रुकावट जल विद्युत, बाढ़ नियन्त्रण, नौवहन तथा सिंचाई परियोजनाओं में अपर्याप्त समन्वयन है।

अन्तिम, रुकावट यह है कि प्रशिक्षण के साथ-साथ अनुसंधान तथा विकास की ओर उचित ध्यान नहीं दिया गया है।

अन्तर्देशीय जल परिवहन केवल दूसरी पंचवर्षीय योजना से आरम्भ हुआ, और पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इस क्षेत्र मे कुल व्यय 34 करोड़ रुपये के बराबर था। केवल छठी योजना में इस क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई और जल यातायात की विशेष योजनाओं के विकास के लिए अन्तर्राज्यीय तथा राष्ट्रीय महत्व की योजनाओं को आरम्भ किया गया। कुछ जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने तथा पुराने जलयानों को बदलना तथा गोदी का आधुनिकीकरण छठी योजना की मुख्य बातें थीं।

मैं निम्नलिखित सुझाव देना चाहता हूं :—

(एक) उन क्षेत्रों में अन्तर्देशीय जल परिवहन का विकास, जहां इसे प्राकृतिक लाभ प्राप्त हैं।

(दो) जलयानों का तथा स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल देश के यानों का नवीनीकरण.......

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या कोई माननीय सदस्य सदन में अपना भाषण पढ़ सकता है?

उपाध्यक्ष महोदय : वह केवल मुझे पढ़ रहे हैं।

डा० वी० वेंकटेश : तीसरा मुद्दा परिसम्पत्तियां पैदा करने की स्थिति में सुधार है।

मैं इस सम्मान्य सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण सुझाव की ओर दिलाना चाहता हूं और वह यह है कि इस देश में उत्तर में नदियों में बाढ़ आती हैं और इस बाढ़ के कारण भारी तबाही होती है और सामान्य व्यक्ति का जीवन खतरे में है। इस वर्ष सूखे की स्थिति है। कुछ स्थानों पर एक बूंद पानी भी उपलब्ध नहीं है। अत: लोगों को पेय जल के अभाव से काफी कठिनाई होती है। अत: मैं इस भव्य सदन को यह सुझाव देना चाहता हूं कि कावेरी तथा गंगा के पानी का संयोजन किया जाए। यहां पर मैं एक बात पर बल देना चाहता हूं कि उत्तर भारतीय नदियों को दक्षिण भारतीय नदियों के साथ मिलाया जाना चाहिए तथा पश्चिमी नदियों को पूर्वी नदियों के साथ मिलाया जाना चाहिए। नदी प्रणाली का जाल बिछाया जाना चाहिए ताकि नदियों से भारी मात्रा में समुद्र में जाने वाले जल को रोका जा सके।

इस समय भी इस देश में सूखे की समस्या तथा बाढ़ की समस्या है जब कि हम लोग सूखा तथा बाढ़ से पीड़ित लोगों को सहायता के लिए योजनाओं पर करोड़ों रुपये व्यय करते रहे हैं। इसलिए खर्चा कम करने के लिए तथा इस देश की तथा लोगों की समस्या का स्थायी समाधान ढूंढने के लिये सरकार को विदेशों से तकनीकी सहायता तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तक से आर्थिक सहायता लेनी चाहिए। उन्हें पहल करनी चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नदियों को मिला दिया जाये जिससे कि अन्तर्देशीय जल परिवहन प्रणाली बहुत अच्छी तरह से विकसित हो सके। इस अन्तर्देशीय जल प्रणाली से प्रदूषण की समस्या से भी रक्षा हो सकती है। यह सबसे सस्ती प्रणाली है। इसलिए हम लोग इसका लाभ उठायें तथा बर्बादी को रोकें। अत: मैं माननीय मंत्री महोदय से एक बार पुन: अनुरोध करता हूं कि वह यह सुनिश्चित करें कि इस संबंध में कोई न कोई कार्य किया जाये। अन्तर्देशीय जल परिवहन की अच्छी प्रणाली स्थापित करके देश को बर्बाद होने से बचाया जाये। धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय। अब, श्री मूल चन्द डागा बोलेंगे।

श्री डागा, राजस्थान में पानी ही नहीं है। इस अन्तर्देशीय जल मार्ग के बारे में आप क्या बोलेंगे ? इसलिए, आप अपना भाषण पांच मिनट में समाप्त कर दें।

[हिन्दी]

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझ से पूर्व जो वक्ता बोल चुके हैं, मैं उनकी भावनाओं का आदर करता हूं और मैं यह चाहता हूं कि सरकार तत्परता के साथ काम करे। नेशनल ट्रान्सपोर्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 1980 में दे दी थी और बिल कब आ रहा है ? इसकी रिपोर्ट कब पेश हुई थी और कितनी धीमी गति से यह काम हुआ जबकि हमारे मंत्री जी युवक और जवान हैं। तो मेरा कहना यह है कि इस तरह से काम नहीं चलेगा। जितनी मंत्री की चाल है, उसी

[श्री मूलचन्द्र डागा]

चाल से यह काम भी होना चाहिए था। नेशनल ट्रान्सपोर्ट कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1980 में दी थी।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करिये। वह जब भी बोलते हैं, वह दूसरी तरफ देखने लगते हैं।

श्री मूल चन्द डागा : अध्यक्ष पीठ अधिक आकर्षक है। इसीलिए मैं आपकी तरफ देख रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप 4 मिनट बर्बाद कर चुके हैं।

श्री मूल चन्द डागा : आज बहुत समय है। आप बड़े दयालू हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप भी निश्चित रूप से दयालू बनें। आपको मुझे सहयोग देना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री मूल चन्द डागा : सन् 1980 के बाद आज सरकार यह बात कह रही है और यह बिल ला रही है।

मैं आप से कहना चाहता हूं कि दूसरी योजना में इस काम को शुरू किया गया था और पांचवीं योजना तक इस पर केवल 44 करोड़ रुपया खर्च किया गया। पांचवीं योजना तक टोटल अमाउंट जो इस पर खर्च हुआ वह इतना कम हुआ कि हम इसके विकास के बहुत से काम नहीं कर पाये। इसके सम्बन्ध में जो हमारे उद्देश्य थे उनको हम प्राप्त नहीं कर सके। अब नई योजना आई है उसमें 235 करोड़ रुपया रखा गया है। इसी भावना से यह नया बिल लाया गया है।

इस बिल के द्वारा आप एक नई अथारिटी बनाने जा रहे हैं। आपकी पहली अथारिटीज क्या काम करती है इसके बारे में हमारे सभी माननीय सदस्यों ने कहा। यह जल मार्ग बहुत सस्ता काम है। लेकिन इसके काम में भी घाटा है। इतना बड़ा घाटा इन जल मार्गों पर क्यों होता है? इसको भी जानने की जरूरत है। मैं यह नहीं कहता कि सरकार को इस काम के लिए आर्थिक सहायता नहीं देनी चाहिए। अगर जनता की सुविधा के लिए सरकार को कुछ पैसा खर्च भी करना पड़े तो करना चाहिए। लेकिन सरकार को इसके कारण भी ढूंढ़ने होंगे कि जल-मार्ग सस्ते तरीके से क्यों नहीं चलाये जा सकते हैं।

आप एक नई अथारिटी क्रियेट करने जा रहे हैं। लेकिन आपका कोआरडिनेशन क्या होगा यह

बात सोचने की है। आप यह बिल पास कर कानून बनाने जा रहे हैं। इस कानून के पहले जो आपकी अथारिटी काम कर रही है जिसकी कि रिपोर्ट इस सदन के सामने नहीं आई है उसके बारे में भी आप सोचें। आज तक 1984-85 की रिपोर्ट नहीं आई है। आपके कारपोरेशन की हर साल रिपोर्ट इस सदन की टेबिल पर नहीं रखी जाती है।

श्रीमन् यह दुःख की बात है कि जब हम लोग कोई नया बिल बनाते हैं कोई नया बिल इन्ट्रोड्यूस करते हैं तो हमें यह देखना चाहिए कि हमारी जितनी भी अथारिटीज हैं उनके फंक्शंस ओवरलेप न करें। आप जानते हैं कि ट्रांसपोर्ट कमीशन ने 6 साल पहले यह निर्णय दिया था, सरकार 6 साल के बाद यह बिल सदन में लाई है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि जब हम यह बिल पास कर देते हैं तो हमें यह भी सोच लेना चाहिए कि जो पालिसी मैटर्स हैं उन पालिसी मैटर्स को हम सबोरडिनेट एजेन्सीज को डेलीगेट नहीं करें। लेकिन होता क्या है जो बिल पार्लियामेंट से पास होते हैं उनके पालिसी मेटर्स-सबोरडिनेट अथारिटीज को डेलीगेट कर दिये जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए।

एक चीज आप देखेंगे कि ला डिपार्टमेंट में एक बना-बनाया बिल रहता है। जब भी कोई इस तरह की चीज उनके पास जाती है तो वे उस बने बनाये बिल में ही कुछ हेर-फेर कर बिल बना कर भेज देते हैं। वे अपना माइण्ड अप्लाई नहीं करते हैं।

इस बिल में आप देखिए कि इस अथोरिटी का अथोराइज्ड आफिस कहां होगा, यह पता नहीं लगता। आप कह रहे हैं कलकत्ता में, एक्ट में लाइए ताकि लोग अपनी बात कह सकें। सारे एक्ट को पढ़ने के बाद मालूम नहीं होगा कि अथारिटी का आफिस कहां होगा। यह बिल में नहीं है, यह बिल नहीं बतलाएगा कि इसका हैडक्वार्टर या इसका मुख्य कार्यालय, कार्यालय कहां होगा, यह नहीं बतलाएगा। यह भी नहीं बतलाएगा कि इसकी टर्म कितनी हो गई, इसका पीरियड कितना होगा, यह कहीं नहीं बतलाया गया। अगर आप बेसिक प्रिंसिपल लोगों पर छोड़ देंगे, देखिए क्लाज थ्री—

[अनुवाद]

> "ऐसी तारीख से जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक प्राधिकरण का गठन किया जायेगा, जिसका नाम भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण होगा।"

यहां मेरा सुझाव है, "मुख्यालय कलकत्ता में रखा जाए।" आप सहमत हों अथवा न हों, किन्तु मैंने सुझाव दिया है।

[हिन्दी]

लेकिन इस सारे बिल में यह कहीं नहीं है कि इसका आफिस कहां होगा, यह कहीं नहीं है। मैंने एक बात यह भी कही—

[श्री मूलचन्द डागा]

[अनुवाद]

"सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जो विहित की जाएं।"

[हिन्दी]

साहब, मेहरबानी करके देखिए यह पालिसी मैटर नहीं, यह डिसीजन है कि अथारिटी को कितने साल और काम करना है, 5 साल—

[अनुवाद]

कृपा करके अवधि निर्धारित कीजिए। इस कार्य को प्राधिकारियों अथवा अधिकारियों पर मत छोड़िए। यह नीति संबंधी मामला है। यह प्रक्रिया संबंधी मामला नहीं है। यह अवधि आपको निर्धारित करनी चाहिए।

[हिन्दी]

इसलिए मैंने बात कही है। उपाध्यक्ष महोदय, जब आप कुर्सी पर होते हैं तो बोलने में उत्साह आता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, नहीं तो मैं नहीं बोलता, कैसे आप हर चीज को अप्रेशिएट करते हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूं—

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब मुझे घंटी बजानी होगी। समय समाप्त हो गया है।

श्री मूल चन्द डागा : 'सदस्यों की पदावधि और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो विहित की जाएं।"

[हिन्दी]

मेहरबानी करके इस टर्म को 5 साल रखिए, हमारे मंत्री जी बहुत काम करने वाले हैं, लेकिन जहां ला-प्रिंसिपल का सवाल है, आप भी मेहरबानी करके इसको लेडआन कीजिए, इनके हाथ में मत छोड़िए, यह प्रोसीजरल मैथड नहीं है, प्रिंसिपल का मैथड है। आप किसी बोर्ड को 5 साल का समय, 5 साल की समय की लिमिट रखिए। मुझे मालूम हुआ और ये मान गए—

[अनुवाद]

"प्राधिकरण का सभापति, प्राधिकरण की बैठकों की अध्यक्षता करने के अतिरिक्त, प्राधिकरण की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा···।"

सभापति के कर्त्तव्य और कार्य क्या-क्या हैं ? इस विधेयक में उनका कोई उल्लेख नहीं है। इसमें केवल इतना ही कहा गया है :—

"जो उसे प्राधिकरण द्वारा प्रायोजित किया जाये।"

प्राधिकरण क्या प्रदत्त करेगा ? इस विधेयक में उसका कोई उल्लेख नहीं है।

पुनः, अगले पैरा में, विधेयक में यह कहा गया है :—

"प्राधिकरण का उपाध्यक्ष अध्यक्ष की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा जो विहित किए जायें अथवा प्राधिकरण द्वारा उसे प्रत्यायोजित किये जायें।"

मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। माननीय मंत्री राजस्थान से हैं। हमें उन पर गर्व है। मुझे विश्वास है कि वह इस बात से सहमत होंगे कि सभापति उप सभापति को अपनी शक्तियां प्रत्यायोजित नहीं कर सकता, केवल प्राधिकरण शक्तियां प्रत्यायोजित कर सकता है इसमें क्या होगा ? प्राधिकरण सभापति को शक्तियां प्रत्यायोजित करेगा, सभापति अपनी शक्तियां उप-सभापति को प्रत्यायोजित करेगा और उप-सभापति अपनी शक्तियां क्लर्क को प्रत्यायोजित करेगा। मैं जानता हूं श्री राजेश पाइलर।

[हिन्दी]

हमारे मन्त्री जी पहले आसमान में उड़ रहे थे, अब जमीन पर उड़ रहे हैं।···(व्यवधान) अब बिल की पायलेटिंग भी कर रहे हैं। अब बड़ी स्मूथली और तेजी से काम होगा। डी० टी० सी० के भ्रष्ट कर्मचारियों का सफाया होने वाला है।···(व्यवधान)

[अनुवाद]

इसमें कहा गया है कि केन्द्रीय सरकार प्राधिकरण से अधिकार ले सकती है। ठीक है, प्राधिकरण इनसे अधिकार ले सकती है। मान लीजिए वे कार्य नहीं करते हैं, या कार्य करने में सक्षम नहीं हैं, तो आप उन्हें हटा सकते हैं। किन्तु यह खण्ड क्या है ?

"अन्यथा सदस्य के रूप में बने रहने के अयोग्य है।"

यह क्या अस्पष्ट प्रावधान है ? कानून स्पष्ट होना चाहिए।

(व्यवधान)

हम बड़े भाग्यशाली हैं कि श्री गाडगिल आज यहां उपस्थित हैं। कानून सामान्य व्यक्ति के समक्ष में आना चाहिए। कानून हमेशा स्पष्ट होना चाहिए।

(व्यवधान)

[श्री मूल चन्द डागा]

इसमें कहा गया है "अन्यथा अनुपयुक्त है।" किसके लिए अनुपयुक्त है ? कौन अनुपयुक्त है ? उपयुक्तता क्या है ? क्या यह भद्दा चेहरे वाला अनुपयुक्त है अथवा वह अनुपयुक्त है जिसका चेहरा-मोहरा अच्छा नहीं है ?

उपाध्यक्ष महोदय : बुद्धिमत्ता पर ध्यान दिया जाएगा।

श्री मूल चन्द डागा : क्या इस कारण कोई उपयुक्त नहीं है कि उसका रंग काला है ?

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री डागा जी, आप सुझाव दीजिए कौन उपयुक्त है। मैं आपकी रुचि की सुरक्षा करूंगा। आप सुझाव दें और मैं उसे मंत्री को पहुंचा दूंगा।

श्री मूल चन्द डागा : खण्ड 13(3) में यह कहा गया है :—

"कोई भी ऐसी संविदा जो इस अधिनियम और विनियमों के उपबन्धों के अनुरूप नहीं, प्राधिकरण पर बाध्यकारी नहीं होगा।"

इसका क्या लाभ है ? अवैध कार्य, जो अधिनियम के अनुरूप नहीं है, किस प्रकार बाध्यकारी हो सकते हैं ? इस खण्ड की आवश्यकता क्या है ? आप यह खण्ड क्यों रख रहे हैं ? इस खण्ड के रखने की क्या आवश्यकता है ? क्या यह विधि विभाग है ? (**व्यवधान**)

क्या इसकी आवश्यकता है ?

[हिन्दी]

सारा का सारा एक्ट प्रेस्क्राइब्ड कर दिया। कम से कम किसी प्रोसीजरल मैथड को कीजिए। मैम्बर्स की क्वालिफिकेशन भी इसमें नहीं है। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

केरल से निर्वाचित सदस्य अपने राज्य की, तरक्की के बारे में सचेत और उत्सुक हैं।

[हिन्दी]

राजस्थान में जहाज नहीं चलेगा तो कम से कम ऊंट का जहाज तो चलना चाहिए। इस बिल में मैंने जो कुछ अमेंडमेंट्स दिए हैं, वे तो आपकी इच्छा पर निर्भर है। वक्त पर इनको मूव कर दूंगा।···

(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : मैं इस विधेयक का समर्थन इस सीमा तक ही करता हूं कि यह राष्ट्रीय जलमार्ग से सम्बन्धित है, जो अब तक बहुत ही उपेक्षित क्षेत्र रहा है। मैं सभा को विस्तार से यह नहीं बताऊंगा कि यह क्षेत्र कितना महत्त्वपूर्ण है। इस बात की चर्चा इस सभा में हो चुकी है। किन्तु इस विधेयक में कुछ ऐसे खण्ड हैं जिनकी थोड़ी संविक्षा करनी आवश्यक है।

हमें इसके बारे में भारत सरकार के क्षेत्राधिकार को समझ लेना चाहिए क्योंकि यह समवर्ती सूची में है और हमारा लक्ष्य विधि बनाना है और उनका कार्यान्वियन करना राज्य सरकार पर निर्भर करता है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि राज्य सरकारों ने जिस प्रकार सड़कों का विकास किया है उसके समान इस विशेष क्षेत्र का विकास करने में वे असफल रही हैं। केवल थोड़े से राज्यों को छोड़कर, जहां नहर प्रणाली है और जहां सुनियोजित यातायात है, अन्य राज्यों द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग विकसित नहीं किए गए हैं। किन्तु ऐसे भी अनेक राज्य हैं, जहां संसाधनों के बावजूद इस क्षेत्र में बहुत ही कम कार्य हुए हैं। किन्तु, उस मामले में केन्द्रीय सरकार ने भी बहुत थोड़ा कार्य किया है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पहली बार सातवीं पंचवर्षीय योजना में 500 करोड़ रुपये से भी अधिक की बड़ी राशि आवंटित की जा रही है।

अब मुख्य मुद्दे पर बोलते हुए, मेरा कहना है कि हमें अपनी बात इन जलमार्गों के विकास तक ही सीमित रखनी चाहिए। चूंकि उन्हें राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए बिना हम उनका विकास नहीं कर सकते हैं, अतः इस विधेयक के माध्यम से हम लोग कुछ मार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने की शक्ति प्राप्त कर रहे हैं। और एक बार उन्हें राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने के बाद हम लोग क्या देने वाले हैं? हमारे पास उन्हें विकसित और नियमित करने की शक्ति तो होगी किंतु हमारे पास उन्हें संचालन की शक्ति नहीं होगी।

अब, इसके विधेयक में कुछ ऐसे खण्ड हैं, जो इसके क्षेत्राधिकार से परे हैं। हम लोग राष्ट्रीय जलमार्ग में नौवहन और यातायात को नियमित करने के लिए हम प्राधिकरण को शक्तियां दे रहे हैं, यह पृष्ठ 6 पर है। इसके अतिरिक्त खण्ड 16 में प्राधिकरण को वाहन के किरायों और यात्री भाड़े की उच्चतम और निम्नतम दरें निर्धारित करने आदि की शक्ति प्रदान की गई है। क्या आपके विचार से यह क्षेत्राधिकार से बाहर तथा राज्य की शक्तियों में हस्तक्षेप करना नहीं है। चूंकि राज्यों के पास इन मार्गों के संचालन की शक्ति होनी ही चाहिए, अतः कुछ मार्ग ऐसे हैं जिन्हें राज्य सरकारें संचालित कर रही हैं।

अब गोदावरी को लीजिए। हमने इसे अब राष्ट्रीय जलमार्ग में शामिल कर लिया है। किन्तु गोदावरी प्रणाली पहले ही मौजूद है। राष्ट्रीय स्तर पर जाल बिछाया गया है, नहरों का जाल बिछाया गया है और एक बार जब गोदावरी को राष्ट्रीय जलमार्ग में सम्मिलित कर लिया जाता है, तब नहरों को इसमें स्वतः शामिल कर लिया जाएगा। राज्य सरकार उन्हें पहले से ही विकसित कर रही हैं। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार मार्गों की नीलामी कर रही है और राज्य सरकार शुल्क एकत्र कर रही है तथा विभिन्न कार्य कर रही है।

[श्री सी० माधव रेड्डी]

खण्ड 27 में राज्य अधिनियमों के बारे में कहा गया है। मान लीजिए किसी राज्य सरकार का कोई अधिनियम है, वह बना रहेगा। आज की तारीख तक, यदि कोई राज्य अधिनियम लागू है, तो हम उसे स्वीकार कर रहे हैं, हम उसे आदर दे रहे हैं किन्तु भविष्य में हम किसी भी राज्य सरकार को कोई भी नियम बनाने के लिए मना कर रहे हैं। मान लीजिए हमारी आंध्र प्रदेश की सरकार मार्गों को चलाने के लिए कोई नियम बनाना चाहती है तो इस राज्य को इसके अन्तर्गत अनुमति नहीं दी जाएगी।

इन सब बातों पर बहुत सहानुभूतिपूर्वक ध्यान देने की आवश्यकता है। केवल इसलिए कि यह एक उपेक्षित क्षेत्र है, इसे बहुत अधिक धन की आवश्यकता है, बहुत अधिक प्रयत्न करने की आवश्यकता है और केन्द्रीकृत प्राधिकरण द्वारा बहुत अधिक प्रयत्न करने की आवश्यकता है, हमें ऐसी कुछ शक्तियों को नहीं ले लेना चाहिए जो परम्परागत रूप से राज्यों में निहित है।

डा० के० जी० अदियोडी (कालीकट) : वित्तीय ज्ञापन के पैरा 2 में यह कहा गया है कि :—

> "इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस समय जलमार्गों पर कोई संगठित और स्थायी अन्तर्देशीय जल परिवहन यातायात नहीं है और वर्तमान यातायात के काफी बड़े भाग इस मार्ग से ले जाना होगा, इसलिए उसके लिए न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं ही आवश्यक समझी गई हैं।"

मुझे नहीं पता कि क्या प्रयोजन है ? केवल न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं आवश्यक समझी जाती हैं। मैं इससे सहमत नहीं हूं क्योंकि इस देश में 14,500 कि० मी० लम्बी जल परिवहन प्रणाली उपलब्ध है और उसका सातवां भाग केरल में है। केरल में परिवहन निगम पहले से ही मौजूद है जहां एक नौका निर्माण यार्ड है और एक हजार किलोमीटर जलपूर्ण क्षेत्र है। यह क्षेत्र समुद्री सतह से नीचो है। इस विशेष जिले के लोगों की जीविका जल परिवहन पर निर्भर करती है क्योंकि वहां कोई सड़क और राष्ट्रीय राजपथ नहीं है। वहां कोई मोटर वाहन नहीं आ-जा सकता है। 1979 में 40 लाख टन माल ढोया गया था और 260 लाख यात्रियों का आना-जाना रहा। जैसा कि मेरे साथी ने कहा था, वहां की स्थिति यही है। अन्तर्देशीय जलमार्ग को त्रिवेन्द्रम से कासरगोड़ तक बढ़ाया गया था अर्थात् 1950 कि० मी० तक जलमार्ग बढ़ाया गया था और इस नहर की औसत चौड़ाई 6 मीटर और गहराई 2 से 4 मीटर तक है। इसलिए जब भी कभी किसी क्षेत्र का विकास करने का विचार किया जाता है तब सुदृढ़ और स्थायी तौर पर आधारभूत सुविधाएं दी जानी चाहिए अन्यथा घाटा होगा। जबकि केरल में नौका निर्माण यार्ड है और वहां माल की ढुलाई होती है और यात्री आते-जाते रहते हैं तथा केरल के कुल क्षेत्र का सातवां भाग नौवहन योग्य क्षेत्र है तब केरल को राष्ट्रीय जलमार्ग में शामिल करने की घोषणा न करने का कोई औचित्य नहीं है।

इस प्रणाली को समुचित ढंग से चलाने के लिए, राज्य सरकार के निगम का होना भी आव-

श्यक है। इस कार्य को करने के लिए एक परिवहन निगम पहले से ही मौजूद है। केरल सरकार द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार जब तक उसे समुचित निधि उपलब्ध नहीं कराई जाती तथा राष्ट्रीय जल-मार्ग घोषित नहीं किया जाता तब तक उसका उत्थान सम्भव नहीं है।

परिवहन के लिए थोक सामान हैं, ईंटें, इमारती लकड़ी, अल्युमीनियम, टाइलें तथा अन्य वस्तुएं। यदि इन वस्तुओं का परिवहन जलमार्ग से किया जाये तो जैसा कि मुझे बताया गया है, उस पर रेल की तुलना में दस गुनी कम और मोटर वाहनों की तुलना में पांच गुनी कम लागत आएगी। इस प्रकार बहुत अधिक बचत होगी। सड़क दुर्घटनाओं से भी बचा जा सकता है। प्रदूषण से भी बचा जा सकता है। जब हम अपने पुराने वाहन चलाते हैं, जिनकी मशीनें ठीक से काम नहीं करती हैं, तब होता यह है कि कार्बन मोनोआक्साइड फैल जाती है और क्षेत्र में प्रदूषण फैल जाता है। चूंकि केरल घनी आबादी वाला क्षेत्र है इसलिए इस पर प्रदूषित वायु का कुप्रभाव अधिक होगा। यदि अन्तर्देशीय जलमार्ग का विकास हो जाए तो इन सब चीजों पर नियन्त्रण रखा जा सकता है। इससे यहां और अधिक संख्या में पर्यटक आएंगे। इससे रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध होंगे। इसके लिए कुशल श्रमिकों की आवश्यकता नहीं है। इस प्रणाली को गहरा तथा चौड़ा करने के लिए 70 प्रतिशत अकुशल श्रमिक नियुक्त किए जा सकते हैं। तब हमें और अच्छे 'लांच' प्राप्त हो सकते हैं। आज भी हम खाड़ी के देशों को लांच निर्यात कर रहे हैं। जब एक डच दल केरल आया था तब उसने केरल का अध्ययन किया था उस समय उसने एक प्रतिवेदन दिया था जिसे जलमार्गों के विकास के लिए पर्याप्त धन आवंटित करने के लिए केन्द्रीय सरकार को भेज दिया गया है।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए माननीय मंत्री का धन्यवाद करता हूं तथा मैं पूर्ण हृदय से इसका समर्थन करता हूं।

3.00 म० प०

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण विधेयक, जो यहां उपस्थित किया गया है, उसका हम समर्थन करते हैं।

हमारा देश बहुत विशाल देश है और इतने बड़े विशाल देश में हमारे जो जलमार्ग हैं, उनकी संख्या नगण्य के बराबर है। आप जानते हैं कि विकसित देश, जहां भी हैं, वह अपने जलमार्ग को बहुत ही मजबूत कर रहे हैं और इन पर काफी खर्चा भी वह राष्ट्र उठा रहे हैं।

पिछले 8 वर्ष से अपने देश में यह बात चल रही है कि हम हल्दिया से इलाहाबाद तक जलमार्ग चलाएंगे लेकिन यह बात सिर्फ कागज में ही चलती रही है, इसके लिए सरकार ने कोई शुरुआत नहीं की। लेकिन अब इस विधेयक के जरिये अपने देश की बड़ी-बड़ी नदियों, गंगा, कावेरी, सिन्धु, ब्रह्मपुत्र आदि का एक अधिकरण बनाकर जलमार्ग के विकास का जो बिल आपने बनाया है, यह बेहतरीन है।

[श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह]

यह बात बड़े-बड़े विशेषज्ञों ने कही है। श्री के० एल० राव एक बड़े विशेषज्ञ थे जो कि केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत मंत्री रहे हैं। यह समाचार 8 अप्रैल, 1972 के हिन्दुस्तान समाचार में निकला था कि 2 साल पहले उन्होंने सुझाव दिया था कि गंगा-कावेरी का एक संगम करके एक ऐसा जलमार्ग बनाया जा सकता है जिससे ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकते हैं। इस साथ ही 15 सितम्बर, 1972 को संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेषज्ञ दल ने भारत को राष्ट्रीय जल-प्रणाली (ग्रिड) का निर्माण करने के लिए तत्काल क्षेत्रीय अन्वेषण प्रारम्भ करने की सलाह दी थी। विशेषज्ञों की यह भी सलाह थी कि एक विशाल मानव निर्मित नहर बनाने की सम्भावनाओं पर विचार किया जाए और अध्ययन दल ने केन्द्रीय सरकार को इस पर रिपोर्ट भी दी थी, लेकिन वह रिपोर्ट सरकार के पास पड़ी रह गई, कोई कार्यवाही नहीं हुई।

अगर गंगा-कावेरी की सम्पर्क परियोजना बनाई जाती तो यह प्रथम सम्पर्क सूत्र बन जाती और यह बहुत अच्छा था लेकिन आप इसके लिए कुछ नहीं कर सके और आज आप इस बिल को लाये हैं और साथ ही रुपये की कमी बतलाते हैं। आपने इसके लिए जो रुपया आवंटित किया है वह अनुपात में बहुत कम है, लेकिन फिर भी जो आपने दिया है, अगर अभी भी इसकी शुरुआत आप कर दें तो हम इसको देश के हित में बहुत अच्छा समझते हैं।

अध्ययन दल का कहना था कि जल-प्रणाली 2000 तक भारत के लिये एक महत्वपूर्ण बन जाएगी। विशेषज्ञ दल ने गत 12 महीनों में दो बार भारत का दौरा किया था और उसका मत है कि क्षेत्रीय अन्वेषण कार्य तत्काल आरम्भ किया जाये।

मैं मंत्री महोदय को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अभी जो हालत नदियों की है, उससे मैं उन्हें अवगत कराता हूं। अभी कई जगह नदियों के पानी से विनाश हो जाता है और कहीं न्यूनतम भी पानी नहीं मिलता है। यह देश के हर भाग में देखा गया है। इसका कारण यह है कि नदियों की चौड़ाई बढ़ती जा रही है। और गहराई मिट्टी और बालू से भरती जा रही है। इस कारण जितना पानी नदी के गर्भ में रहना चाहिए, उससे कम रहता है। इससे विनाश होता है। नदियों के गर्भ से मिट्टी बालू को निकाल कर गहरा किया जाना चाहिए। गंगा-कावेरी की चौड़ाई कम करके एक जलमार्ग का रास्ता बनाया जाये तो इससे देश को बाढ़ से भी बचाया जा सकता है और यह जल-मार्ग रोड और रेल मार्ग से कहीं सस्ता पड़ सकता है। इसके लिए फरक्का डैम का यदि बनाया हुआ होता तो हम इस योजना को तुरन्त लागू कर सकते थे। इस योजना को लागू करते हैं तो इससे बहुत ज्यादा लाभ देश को पहुंचाएंगे। वस्तु के इधर से उधर लाने और ले जाने में परिवहव चार्ज कम लगेगा। इससे वस्तुओं के परिवहन खर्च में भी कमी आएगी और आम जनता को इसका लाभ होगा। इसलिए यह बहुत ही जरूरी है।

आपके बहुत से टापू ऐसे हैं जहां पहुंचने के लिए इससे बहुत अच्छा लिंक आप बना सकते हैं। यह बहुत ही आवश्यक है। लेकिन इस पर आपका कोई खास ध्यान नहीं है। अगर इस काम को शुरू में तत्काल हाथ में लिए होते और इसको बनाए होते तो मैं समझता हूं यह योजना आपके लिए बहुत

ही लाभदायक होती। लेकिन यह आप नहीं कर सके जिसके कारण आज तक हम इस मामले में बिलकुल शून्य हैं। अब जब आप यह अधिकार प्राप्त कर रहे हैं तो इसको तेजी से करना चाहिए। अगर योजना को समय के अन्दर पूरा करते हैं तो कम खर्च में पूरी हो जाएगी और अगर समय के अन्दर पूरी नहीं करते हैं; ज्यादा समय लग जाता है तो आपका पैसा भी ज्यादा खर्च होता है और योजना समय से पूरी न होने से उसका लाभ भी नहीं मिल पाता है। बहुत सी योजनाओं को आप ऐसे ही छोड़ देते हैं। मैं आपसे यह कहूंगा कि इस योजना को आपने लिया है तो इसको आप चालू करें। मैं मंत्री महोदय से यही आशा करूंगा कि इसको जल्दी से जल्दी चालू करके इसका लाभ आम जनता को पहुंचाएंगे।

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : उपाध्यक्ष महोदय, जल-ट्रांसपोर्ट के बारे में जो चर्चा हो रही है इसके सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूंगा कि आन्ध्र प्रदेश में कम से कम 50 प्रतिशत तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। मगर आन्ध्र प्रदेश में पैसे कम होने के कारण अभी तक जल-परिवहन में जितनी वृद्धि होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो सकी। फिर भी आप जानते हैं कि गोदावरी और कृष्णा जैसी नदियों में हमारा यह ट्रांसपोर्ट का काम चल रहा है। हमारे यहां कुछ ऐसी जगहें हैं जहां न बस जा सकती है न ट्रक जा सकती है, न साइकिल जा सकती है। जल ट्रांसपोर्ट के सिवाय और कोई रास्ता नहीं मिलता वहां जाने का। जैसे पापिलकोंड़लु हमारे यहां ऐसी जगह है जहां सिर्फ छः महीने जिस वक्त गोदावरी में जल अधिक रहता है, उसी समय आ-जा सकते हैं। इस तरह हमारे जल परिवहन में बहुत कमी है। मैं चाहूंगा कि बारहों महीने वहां पर जल परिवहन की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसे तो वे लोग यह मानते हैं कि उनको छः महीने तक इधर आने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि कोई आवागमन का साधन ही नहीं रहता। नदी में पानी कम होते ही ट्रांसपोर्ट बन्द हो जाता है और उसी से साथ आना-जाना भी बन्द हो जाता है। जैसे अभी हमारे एक मित्र ने बताया कि काश्मीर वैली में स्नो-फाल होने के कारण रोड बिलकुल बन्द हो जाती है, वैसे ही हमारे यहां बहुत से ऐसे जंगल हैं जहां गोदावरी कृष्णा से ही जा सकते हैं। वहां पर सड़क की कोई व्यवस्था नहीं है जिससे न ट्रक जा सकती है, न आदमी चलकर जा सकता है। इसलिए नदी के परिवहन को बढ़ाने की बहुत जरूरत है। इस जल परिवहन से आदमी के सिवाय गुड्स-ट्रैफिक भी आ-जा सकता है। लारी से या सड़क से जाने में बहुत दूर पड़ता है। इसलिए इस व्यवस्था को करना बहुत जरूरी है। केवल बाढ़ के समय यह जल परिवहन की व्यवस्था चले इससे काम नहीं चल सकता। इसलिए मेरा यह कहना है कि नदी को खोद कर ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि दुष्काल में भी और पूरे साल यह जल परिवहन का मार्ग बना रहे। जैसे आप ट्रक या बस के लिए सीमेंट कांक्रीट रोड बनाते हैं, डामर रोड बनाते हैं ऐसे ही नदियों के द्वारा भी जल परिवहन की व्यवस्था ऐसे जल-स्थानों को चुन कर आपको करनी चाहिए।

मद्रास टु विजयबाड़ा एक बकिंघम कैनाल है जिसमें हमेशा पानी रहता है, 9 महीने पानी रहता है उसको भी आपने इसमें इन्क्लूड नहीं किया है। उसको भी इसमें शामिल करना चाहिए। इसी तरह से पोचमपाड़ प्रोजेक्ट से एक काकतिया कैनाल चलती है उसको भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। इसके अलावा बीच-बीच में जो रेग्युलेटर्स होते हैं वहां पर नावों से नहर को पार करने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। इस तरह से डीजल जो कि बहुत मंहगा है उसकी बचत की आ सकती है।

हम इस बात को जानते हैं कि अनाज की ढुलाई में 20-30 रुपया क्विंटल का खर्चा आ जाता

[श्री सी० जंगा रेड्डी]

है लेकिन जल मार्ग के द्वारा ढुलाई की व्यवस्था करके इस खर्चे को कम करके हम गरीब जनता को सस्ता अनाज उपलब्ध करा सकते हैं।

आप जानते ही है कि नेशनल हाईवेज केन्द्रीय सरकार की ओर से बनाई जाती है और वह प्रादेशिक सरकारों के निगरानी में रखी जाती हैं और उनके रख-रखाव का पैसा केन्द्र की ओर से दिया जाता है। लेकिन इस व्यवस्था के अन्तर्गत जिन राज्य सरकारों ने अभी तक कारपोरेशन नहीं बनाए हैं उनके अधिकार को इस बिल के अन्तर्गत छीन लिया गया है। आगे वे उसमें कुछ इंट्रोड्यूस नहीं कर सकती हैं। मेरी सरकार से विनती है जैसे आप नेशनल हाईवेज़ की सड़कों में वृद्धि करेंगे वैसे ही इसमें भी वृद्धि करनी चाहिए और बाद में उसको राज्य सरकारों को सौंप देना चाहिए और उसके बाद ऐसी व्यवस्था रहनी चाहिए, कि आगे चलकर कारपोरेशन बनाएं वाटर टांसपोर्ट के सिलसिले में, लेकिन इस बिल के द्वारा जो केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों के पूरे अधिकार ही छीन रही है। आज कल सरकारिया कमीशन बैठा हुआ है क्योंकि राज्य सरकारें ज्यादा अधिकार चाहती हैं लेकिन यहां पर तो आप राज्य सरकारों के अधिकारों पर एन्क्रोचमेन्ट करने जा रहे हैं। आपके पास पैसा है, सोर्सेज हैं लेकिन चूंकि आप उतना पैसा नहीं दे रहे हैं इसीलिए राज्य सरकारें शिकायत कर रही हैं। इस बिल के द्वारा आप उस शिकायत को और बढ़ाने जा रहे हैं।

इसलिए मेरी आप से विनती है कि आप वाटर ट्रांसपोर्ट की अच्छी व्यवस्था करके उसको राज्य सरकारों को सौंप दें। उनकी देख-भाल में यह कार्य होना चाहिए क्योंकि यहां दिल्ली में बैठकर आप उतना ध्यान नहीं दे सकते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि क्लाज (3) में आपने जो प्रावधान रखा है उसको संशोधित करके इस सदन में आपको रखना चाहिए। यही माननीय मंत्री जी से मेरी विनती है और आपने जो मुझे समय दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

[अनुवाद]

श्री के० एस० राव (मछलीपटनम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मेरा विचार है कि आज अलग प्राधिकरण की अत्यावश्यकता है, विशेषकर ऊर्जा के अन्य साधनों द्वारा चलने वाले परिवहन के दामों में बढ़ी हुई लागत को देखते हुए यह और भी आवश्यक हो जाता है। इस पर काफी पहले ही विचार किया जाना चाहिए था। फिर भी हमें खुशी है कि कम से कम इसे पेश तो किया गया है। आन्तरिक खपत के लिए तेल आयात करने पर हमें काफी विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है क्योंकि इस मांग को हम देशी संसाधनों से पूरा नहीं कर पाते हम बार-बार यह जिक्र करते रहे हैं कि विदेशी-मुद्रा का हमारा भण्डार कम होता जा रहा है। अन्तर्देशीय जल-मार्ग सुविधा प्रदान कर इसकी क्षतिपूर्ति की जा सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में काफी संख्या में ऐसे लोग हैं जो इस कार्य को करने के लिए तैयार हैं। इससे न केवल विदेशी-मुद्रा की खपत में ही बचत होगी बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इस प्राधिकरण की स्थापना करते समय इस बात पर भी विचार किया जाना चाहिए कि अधिकतर नहरों को पक्का किया जा सकता है। इस प्रकार से नहर के किनारों को बचाया जा सकेगा और इससे स्वयं ही कृषकों की कई समस्याओं का समाधान हो जाएगा।

बड़े पैमाने पर जल-स्रोतों को बचाया जा सकेगा। जल-रिसाव व अन्य कारणों से होने वाली पानी की बर्बादी को रोका जा सकेगा। यह एक अन्य लाभ है, जिस पर शायद अभी तक विचार नहीं किया गया। लेकिन मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे इस कार्य से होने वाले अन्य लाभों का भी मूल्यांकन करें।

हर दफा जब नया प्राधिकरण बनाया जाता है तो हमें उस पर होने वाले खर्च का विस्तृत ब्यौरा आदि तो बताया जाता है लेकिन इससे होंने वाले संभावित लाभ, अतिरिक्त आय आदि के बारे में कोई मूल्यांकन नही किया जाता। अतः मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि विभिन्न बड़े साधनों आदि के लिए इस प्राधिकरण के बनाने से होने वाले संभावित लाभों का कम से कम सर्वेक्षण तो कराया जाए।

जहां तक तटों के विकास का सम्बन्ध है मेरा विचार है कि इन नहरों से सम्बद्ध भूमि; यानि नहरों व जलाशयों से लगने वाली भूमि, का अधिकतम उपयोग नहीं किया गया। आज जबकि भूमि की अत्यधिक कमी हो रही है, तटों की यह भूमि फलदार वृक्ष लगाने और कृषि-आय के लिए प्रयोग की जा सकती है। इससे भी स्थानीय लोगों की रोजगार सम्बन्धी समस्या कुछ हद तक हल हो जायेगी। वातावरण की दृष्टि से भी ऐसा करना लाभकारी है। माननीय मंत्री से मेरा पुनः अनुरोध है कि लोगों को वेतन आदि पर रोजगार देने की बजाय, उन्हें इस बात का पता लगाना चाहिए कि क्या इस संबद्ध भूमि को सक्षम लोगों को लम्बी अवधि के लिए पट्टे पर दिया जा सकता है। ऐसे लोग मेहनती हों और एक निश्चित अवधि तक बिना अतिरिक्त धन दिए उस पर फसल पैदा कर सकें। इस तरह से काफी आमदनी की जा सकती है।

अभी भी कई पत्तन ऐसे हैं, जिनका विकास होना बाकी है। उनके द्वारा परिवहन व्यय में कमी आ सकती है मगर उर्वरक, खाद्यान्न, कपास आदि वस्तुओं को देश के एक एक स्थान से दूसरे स्थान तक जलमार्ग से ले जाया जाये। उदाहरण के तौर पर मद्रास और विशाखापट्नम के बीच, आंध्र प्रदेश में करीब 1100 कि० मी० लम्बे समुद्री तट पर मछलीपटनम भीमूनोपटनम तथा अन्य ऐसे ही कई पत्तन पड़ते हैं। इस प्राधिकरण द्वारा, यदि इनका सही अर्थों में विकास किया जाए तो काफी कुछ किया जा सकता है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह इस बात का विस्तृत सर्वेक्षण कराएं कि इस प्राधिकरण की स्थापना से कैसे अधिक आय प्राप्त की जा सकती है।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों की बातों से सहमत हूं, जिन्होंने इस विधेयक के पेश किए जाने का स्वागत किया है। मैं उनकी इस शिकायत से भी सहमत हूं कि इस सरकार या पिछली सरकार ने इस विधेयक को पेश करने में इतना अधिक समय लिया है। मैं श्री के० एस० राव की इस बात से भी सहमत हूं कि अन्तर्देशीय जलमार्गों के विकास से हमारी अर्थव्यवस्था के सुधार के काम में बहुत योगदान मिलने की सम्भावनाएं हैं।

अब मैं, नहरों के किनारों की बाबत कुछ अन्य बातें कहना चाहता हूं। जहां तक नदी मार्गों का सम्बन्ध है, जहां तक सम्भव हो सरकार को दोनों तरफ के तटों को सुरक्षित रखना चाहिए और जलमार्गों न केवल नदियों के तट बल्कि नहरों के तटों के बीच भी गाद न जमा होने का प्रयास करना

[प्रो० एन० जी० रंगा]

चाहिए समय-समय पर इन में गाद जमा होती रहती है और जब तक सरकार छोटे और बड़े ड्रेजरों का बेड़ा नहीं रखती और इस रेत आदि के जमाव को दूर नहीं करती, तब तक इन जलमार्गों का कोई उपयोग नहीं हो सकता।

इसके अलावा सुविधाजनक स्थानों पर जहाजी-घाटों का निर्माण किया जाना चाहिए। वहां न केवल तोलने की मशीनें तथा अन्य उपकरण ही उपलब्ध कराये जाएं बल्कि गोदामों का भी निर्माण कराया जाए। इन घाटों पर गोदामों का निर्माण कराना आवश्यक है क्योंकि व्यापारी, उद्योगपति आदि गांठों आदि में अपना सामान, कुछ दिन या कुछ सप्ताह, और कई दफा 1-2 माह तक, छोटे जहाज और नाव आने तक वहां सुरक्षित रख सकें।

इसके अलावा भाप से चलने वाली नावें (छोटे स्टीमर) और अन्य यात्री नावों का बीमा होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, समय-समय पर हमें नावों के डूबने की खबरें मिलती हैं कि 20, 30 या 40 लोग डूब गए हैं। ऐसा कैसे होता है? क्योंकि एक स्टीमर पर अधिकतम कितना भार लादा जा सकता है, यह निश्चित नहीं किया गया। अगर निश्चित किया भी गया है तो इसे लागू नहीं किया जाता। अत: ये जहाज जितना भार लाद सकते हैं, उसे निश्चित किया जाना चाहिए; और जहां कहीं घाट बनाये जायें, वहां ठहरने के स्थानों पर आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराये जाएं। रेलवे की तरह हमें जलमार्गों पर भी इसी प्रकार के सुरक्षा-प्रबन्ध करने चाहिए। जहां तक कर्मचारियों माल, यात्रियों और जहाजों का सम्बन्ध है, बीमा प्रणाली लागू करनी चाहिए। बीमें की लागत कौन वहन करे, निजी क्षेत्र, स्थानीय सरकार और केन्द्रीय सरकार को कितना उत्तरदायित्व सौंपा जाए ये सारी विस्तार की बातें महत्त्वपूर्ण हैं। समय बीतने के साथ इन पर निर्णय लिया जायेगा लेकिन सरकार को इसकी आवश्यकता पर बहुत ध्यान देना होगा।

स्टीमरों और नावों पर कर्मचारी कार्य करते हैं। उनके हितों की रक्षा की जानी चाहिए। उनके लिए न्यूनतम मजूरी निर्धारित की जानी चाहिए। अभी तक इन लोगों को कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है। जो लोग स्टीमरों के चालक हैं, उन कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना चाहिए। न्यूनतम शर्तें निर्धारित की जानी चाहिए। तभी आप उन्हें न केवल नदियों में बल्कि नहरों में भी स्टीमरों के चलाने की जिम्मेवारी सौंप सकते हैं।

जब हम बहु-प्रयोजनीय बांध या सिंचाई योजनाएं बनाए तब हमें जलमार्ग विकास की संभावना को भी ध्यान में रखना चाहिए।

उदाहरण के तौर पर, राजस्थान नहर को लें। वहां आपने रिसाव को रोकने के लिए दोनों तटों को पक्का किया है। इसी प्रकार अन्य नहरों में भी, हमें इनके दोनों तटों को पक्का करने का प्रावधान करना चाहिए ताकि रिसाव को रोका जाए और दुर्घटनाएं कम से कम हों।

मैं समझता हूं कि सरकार ने अगले पांच वर्षों के लिए इस कार्य के लिए जो धनराशि रखी है, वह बहुत ही कम है। यह बिल्कुल अपर्याप्त है। हमें इसके लिए 3, 4 या 5 गुना अधिक राशि चाहिए।

जहां तक हमारी राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था के इस विशेष पहलू का सम्बन्ध है, योजना आयोग ने न्याय नहीं किया। अत: अधिक धन की आवश्यकता है। मैं आशा करता हूं कि हमारी अर्थव्यवस्था के इस पहलू पर पहले से अधिक ध्यान दिया जाएगा।

अन्त में, श्री रेड्डी ने एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। जहां तक संविधान का संबंध है, यह समवर्ती विषय है। मैं नहीं जानता कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें कितनी जिम्मेदारी वहन करें, इस बारे में राज्य सरकारों का सहयोग प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या-क्या कदम उठाये हैं। इस मामले में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच पूर्ण समन्वय रहे इस दृष्टि से नीति बनाते समय पर्याप्त और संतोषजनक कदम उठाने की आवश्यकता है।

श्री चिन्ता मोहन (तिरुपति) : इस विधेयक पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अधिनियम, 1949 में संशोधन 1982 में किया गया। उसके बाद हमने सोचा कि सरकार बहुत जल्द यह विधेयक पेश करेगी लेकिन सरकार ने इस विधेयक को पुरःस्थापित करने में काफी समय ले लिया। फिर भी, हमें खुशी है कि सरकार ने यह विधेयक पुरःस्थापित कर दिया है।

खण्ड 13 में तत्काल संशोधन करना होगा। निष्पादित कार्य प्राधिकरण के पास जाता है और यह प्राधिकरण किसी भी समय भ्रष्ट तरीकों में फंस सकता है या इसी प्रकार के अन्य प्रलोभनों में आ सकता है। अत:, इसमें शीघ्र संशोधन करने की आवश्यकता है। इसके अलावा ठेके का कार्य प्राधिकरण को नहीं दिया जाना चाहिए। वित्तीय-ज्ञापन काफी निराशाजनक है। इसमें यह नहीं दर्शाया गया कि इस प्राधिकरण को कितना लाभ या हानि होगी। इसे स्पष्ट किया जाना चाहिए। इससे पता चलता है कि मन्त्री ने कैसे यह विधेयक तैयार किया है।

यात्रियों के किराये और माल-भाड़े में सरकार को राजसहायता देनी चाहिए। बिना राजसहायता के राष्ट्रीय जलमार्ग में सुधार नहीं हो सकता। इसके अलावा सभी राजनैतिक सदस्यों को मिला कर सलाहकार समिति नियुक्त करनी चाहिए, ताकि यह प्रभावी ढंग से कार्य कर सके। स्वेज-यमुना सम्पर्क नहर के मामले में भी सरकार ने भी देरी करने की चालें चली हैं। इसे तेलगु-गंगा परियोजना दर्शाया गया है। अब इस विशेष पहलू पर और देरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे गरीब आदमी पर और आम आदमी पर प्रभाव पड़ेगा। बंगाल की खाड़ी में बकिंघम नहर को स्वज नहर दर्शाया गया है। इसकी सफाई का कार्य गंगा जल कार्यक्रम के अनुसार तत्काल किया जाना चाहिए। सातवीं पंचवर्षीय योजना में गोदावरी-ब्रह्मपुत्र-कृष्णा-सुन्दरवन नदियों को राष्ट्रीय जलमार्ग योजना में सम्मिलित किया जाना चाहिए। इसके अलावा, बेल्लोर जिले में कृष्णापट्टनम एक प्राकृतिक समुद्रपतन है, जहां काफी कार्य हो रहा है। उस क्षेत्र के गांववासियों ने श्रमदान किया है ऐसा ही सारे आन्ध्र प्रदेश में हो रहा है। वे पत्तन को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। ब्रिटिश सरकार भी इसके लिए कुछ सहायता देने को तैयार है लेकिन हमारी सरकार इसके सुधार के लिए आगे नहीं आ रही है। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस पत्तन को सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठायें। इसी प्रकार राष्ट्रीय जलमार्ग में सुधार के लिए कृष्णापट्टनम समुद्र पत्तन को बकिंघम नहर से जोड़ना चाहिए।

सातवीं योजना में, आपने 350 करोड़ रु० का प्रावधान किया है, लेकिन यह राशि जलमार्ग

[श्री चिन्ता मोहन]

के विकास के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। कम से कम 700 करोड़ रु० का प्रावधान होना चाहिए। विशेषकर वर्ष 1985-86 के लिए आपने 38 करोड़ रु० रखे हैं, जो कि अपर्याप्त हैं। इस राशि को तत्काल बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये किया जाना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का स्वागत करता हूं।

[हिन्दी]

श्री शान्ति धारीवाल (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण विधेयक का मैं स्वागत करता हूं तथा माननीय मन्त्री जी, श्री राजेश पाइलट साहब को जिन्होंने कि इस बिल को इस सदन में प्रस्तुत किया है, धन्यवाद देता हूं तथा आशा करता हूं कि नौजवान मन्त्री जी जल परिवहन के कार्यों में सुधार के लिए जो अपनी शक्ति लगा रहे हैं उसमें उन्हें सफलता मिलेगी। इस बिल की धारा 10 में बिजनस प्रिंसिपल द्वारा दिशा निर्देश की बात कही गई है उसका मैं स्वागत करता हूं।

आज देश में रेल व सड़क परिवहन के काफी विस्तार के बाद जलपरिवहन के विस्तार की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। रोजगार की दृष्टि से, सुविधाओं की दृष्टि से, जनसंख्या का गांवों से शहरों की तरफ पलायन न हो, इस दृष्टि से भी इस विधेयक से मदद मिलेगी। क्योंकि जलपरिवहन काफी सस्ता व लाभकारी यातायात है।

इस विधेयक से जलमार्ग प्राधिकरण की जो स्थापना होगी उससे जलमार्गों के सर्वेक्षण, सफाई, जलमार्गों से बाधाओं को हटाने या उनमें परिवर्तन करने तथा अन्तर्देशीय जल परिवहन का समन्वय करने तथा सरकार को सलाह देने और स्कीमें बनाने के कार्य में जबर्दस्त लाभ मिलेगा।

आज जल मार्गों का महत्त्व बहुत बढ़ गया है विशेषकर जनसंख्या की वृद्धि को देखते हुए। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमें यह प्रयत्न करना चाहिए कि अन्य प्राधिकरणों की तरह यह प्राधिकरण भी न रह जाए। इस प्राधिकरण द्वारा तेजी से और कारगर काम होना चाहिए।

आखिर में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपको ध्यान होगा इन्दिरा कैनाल का निर्माण राजस्थान में हुआ, जिस वक्त यह शुरू हुई थी, उस वक्त इसमें जल परिवहन का प्रावीजन रखा गया था, लेकिन कंसल्टिंग इन्जीनियर्स के द्वारा उसको हटा दिया गया। मेरा आपसे यह निवेदन है कि जब कभी ऐसी किसी नहर की योजना बनती है तो वहां पर जल परिवहन का कोई न कोई प्रावीजन अवश्य रखा जाना चाहिए, क्योंकि यह सबसे सस्ता, सुलभ और ज्यादा से ज्यादा गांवों को जोड़ने वाला परिवहन का साधन है। इसलिए इस प्रकार की योजनाओं के बनाने का काम इसमें बताया गया है, उनको प्राथमिकता देते हुए ऐसी स्कीमें ज्यादा से ज्यादा बनवाई जानी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री पी० कुलन्दईवेलू (गोबिचेट्टिपालयम्) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक में अन्तर्देशीय जलमार्ग को नियमित बनाने और इसके विकास के लिए एक प्राधिकरण का गठन करने का प्रावधान किया गया है। मैं इस विधेयक को तैयार करने वाले से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं क्योंकि यह विधेयक बहुत पहले ही हमारे माननीय मन्त्री श्री जियाउर्रहमान अंसारी ने तैयार किया था और अब माननीय मन्त्री श्री राजेश पाइलट ने यह विधेयक प्रस्तुत किया है। वह विधेयक को प्रस्तुत करना चाहते थे।

एक माननीय सदस्य : श्रीमान पायलट विधेयक प्रस्तुत कर रहे हैं।

श्री पी० कुलन्दईवेलू : लेकिन माननीय मन्त्री, श्री जियाउर्रहमान अंसारी के पास अब कोई अन्य विभाग है अब उनके अधीन नौवहन और परिवहन विभाग नहीं हैं और अब श्री राजेश पाइलट ने, जिनके पास जल-भू तल परिवहन विभाग है, यह विधेयक प्रस्तुत किया है। कम से कम उनका नाम तो बताया जाना चाहिए था क्योंकि जो भी मन्त्री महोदय विधेयक पेश करता है, उसके नाम का उल्लेख किया ही जाना चाहिए। वह पहली बार विधेयक प्रस्तुत कर रहे हैं, वह व्यावहारिक व्यक्ति हैं, प्रगतिशील व्यक्ति हैं, किन्तु फिर भी उनके नाम का जिक्र नहीं किया गया है।

अतः मैं तो कहना चाहूंगा कि क्या अन्तर्देशीय जल प्राधिकरण विधेयक की कोई आवश्यकता भी है क्योंकि मन्त्री महोदय युवा हैं और प्रगतिशील हैं तथा बहुत व्यावहारिक भी हैं, वह इस जिम्मेदारी को अपने कंधों पर उठा सकते हैं। वह यह काम स्वयं कर सकते हैं, प्राधिकरण को अधिक शक्तियां सौंपने की बजाय, वह सारे अधिकार स्वयं ले सकते हैं। वास्तविकता यह है कि सरकार के समक्ष बहुत से कार्यक्रम और योजनाएं लम्बित पड़ी हैं।

मैं विशेष रूप से बकिंघम नहर परियोजना के बारे में पूछ रहा हूं, जो कई वर्षों से लम्बित पड़ी है। पंडित जवाहर लाल नेहरू के समय से लेकर आज तक यह परियोजना लम्बित पड़ी है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है और यह न केवल मद्रास अथवा तमिलनाडु की जनता के लिए अपितु आन्ध्र प्रदेश की जनता के लिए भी लाभप्रद है क्योंकि इससे वास्तव में तमिलनाडु और आन्ध्र प्रदेश के बीच की दूरी कम होगी। बकिंघम नहर न केवल बाढ़ का पानी रोकने के लिए ही लाभप्रद है अपितु इसमें नावें भी चलाई जा सकती हैं तथा सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। अतः कम से कम तमिलनाडु और आन्ध्र प्रदेश की जनता के हित में यह परियोजना शुरू की ही जानी चाहिए।

दूसरा मुद्दा सेतु समुद्रम नहर प्रणाली के बारे में है, यह भी कई वर्षों से लम्बित पड़ी है। यहां तक कि श्रीमती इंदिरा गांधी जब तमिलनाडु में चुनाव-प्रचार के लिए गई थीं तब और एक अन्य मौके पर उन्होंने वहां के लोगों से इस परियोजना को शुरू करने के सम्बन्ध में वायदा किया था। लेकिन दुर्भाग्य से जनता सरकार के शासनकाल में भी इस परियोजना को शुरू नहीं किया गया। बाद में भी, जब श्रीमती गांधी सत्ता में वापस आईं तो इसे शुरू करने का वायदा किया गया था किन्तु इसे शुरू नहीं किया गया है। अब जबकि हमारे प्रधानमन्त्री युवा और गतिशील हैं, हमें आशा है कि कम से कम

[श्री पी० कुलन्दईवेलू]

इस बार यह परियोजना शुरू की जाएगी।

विधेयक के खण्ड 34 में आप इस प्राधिकरण को और अधिक शक्तियां सौंप रहे हैं। वास्तव में ये शक्तियां प्राधिकरण को सौंप कर वे राज्यों की शक्तियां छीन रहे हैं। 'प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन' के पैरा 2 में यह कहा गया है कि प्राधिकरण किसी भूमि या परिसर पर प्रवेश करने की शक्ति के सम्बन्ध में शर्तों और निर्बन्धनों का उपबन्ध करने के लिए अपनी निधियों का विनिधान कर सकेगा। इस तरह उसे अधिक शक्तियां सौंपने से केन्द्र और राज्यों के बीच विवाद उत्पन्न होंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि इसे हमेशा के लिए रोका जाए।

इस पर अनावर्ती खर्च 35 करोड़ रुपए और आवर्ती खर्च 3 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष आएगा। लेकिन आपका क्या कार्यक्रम है? नौवहन प्रणाली पहले ही से मन्दी में चल रहा है। आप नौवहन और परिवहन प्रणाली को किस तरह सक्रिय बनाने जा रहे हैं।

चूंकि हमारे आप युवा और गतिशील मन्त्री हैं, अत: आपसे मेरा अनुरोध है कि सभी लम्बित कार्यक्रमों को तो तुरन्त पूरा किया जाए क्योंकि माननीय प्रधानमन्त्री ने सातवीं परियोजना में इसके लिए 520 करोड़ रुपए आवंटित करके इस देश को जनता को राहत दी है।

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पाइलट) : सर्वप्रथम, मैं उन सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने वाद-विवाद में भाग लिया है।

एक माननीय सदस्य : श्रोताओं को भी।

श्री राजेश पाइलट : जी हां, निश्चय ही, उनको भी।

यह वाद-विवाद निश्चय ही बहुत लाभप्रद रहा है। मुझे आशा है कि उनके सुझाव केवल वाद-विवाद तक ही सीमित नहीं रहेंगे अपितु मैं देश में परिवहन प्रणाली में सुधार अथवा इसके विकास के लिए उनके द्वारा दिए गए किसी भी सुझाव का हमेशा स्वागत करूंगा।

मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसा विधेयक प्रस्तुत करने का अवसर मिला है जिससे देश की अर्थ-व्यवस्था को लाभ होगा।

श्री रेणुपद दास ने इस परियोजना के सम्बन्ध में सरकार की गम्भीरता का जिक्र किया है। मैं उनकी इस बात से सहमत हूं कि यह क्षेत्र थोड़ा उपेक्षित रहा है। अब हमने इस पर काम शुरू किया है जैसा कि प्रधानमन्त्री ने जल-संसाधनों के संबंध में दिए गए अपने भाषण में कहा कि हमें जल-संसाधनों पर अधिक ध्यान देना चाहिए। हमारी गंभीरता का पता इस बात से लगाया जा सकता है कि सातवीं परियोजना में जल संसाधनों के लिए आवंटन में वृद्धि की गई है और इस विषय को अधिक महत्व देने तथा इमसे परिणाम प्राप्त करने के उद्देश्य से एक विधेयक सदन के समक्ष रखा गया है।

उन्होंने व्यापार के सिद्धांतों पर प्राधिकरण को चलाने सम्बन्धी विधेयक के खंड 10 और 25

का जिक्र किया है। उन्होंने यह भी जिक्र किया है कि मूलतः हमें यह देखना है कि प्राधिकरण बना रहे और हमें इसका फायदा उठाना है ताकि यह ढांचा बना रहे। इसके साथ-साथ हमें यह भी देखना है कि यह परिवहन का सबसे सस्ता साधन बना रहे। उन्होंने इसकी तुलना दिल्ली परिवहन निगम से की है। यह सच है कि दिल्ली परिवहन निगम घाटे में चल रहा है। लेकिन यह भी सच है कि यह पूरे देश में यातायात का सबसे सस्ता साधन है।

उन्होंने प्राधिकरण के मुख्यालय का जिक्र किया है। मैं इस बात से सहमत हूं कि कलकत्ता मुख्यालय के लिए अच्छी जगह है। लेकिन यह विधेयक पारित होने के बाद ही हम इस बात पर विचार करेंगे कि प्राधिकरण का मुख्यालय कहां बनाया जाए। उन्होंने सुन्दरबन के घाटों के बारे में भी कुछ सुझाव दिए हैं। मैं निश्चय ही इस की जांच करूंगा और उन्हें बताऊंगा।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : राजस्थान का ट्रांसपोर्ट तो लाभ में है, केवल दिल्ली का क्यों है, सिटी में कहीं भी 40 पैसे से ज्यादा नहीं लगता। इसका कारण वही है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम केवल अंतर्देशीय जलमार्गों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आप और सब बातें क्यों उठा रहे हैं ?

श्री राजेश पाइलट : महोदय, वह ठीक है। मैं उनके सुझाव से सहमत हूं।

केरल से मेरे मित्र ने—वह उपस्थित नहीं हैं—कुछ परियोजनाओं को सातवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिए कहा है। हम निश्चय ही उस पर विचार करेंगे।

कोचीन से मेरे मित्र ने कहा है कि केरल को प्राथमिकता दी जाए क्योंकि वहां अन्तर्देशीय जलमार्ग और अन्य संसाधनों की अधिक संभावनाएं हैं। उन्होंने सलाहकार समिति का भी जिक्र किया है। इन सभी सुझावों पर विचार किया जाएगा।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : त्रिवेन्द्रम-मांजेश्वरम और शेष स्थानों के बारे में क्या राय है।

श्री राजेश पाइलट : उन्होंने त्रिवेन्द्रम-मांजेश्वरम नहर के बारे में भी कहा है। उन्होंने संसाधनों की अपेक्षा वहां के सौंदर्य की बात ज्यादा कही है। मैं पर्यटन मन्त्री से यह भी अनुरोध करूंगा कि वह इसे हनीमून मनाने के लिए वहां जाने वालों के लिए पर्यटन स्थल बनाएं और हम भी इसे सुन्दर नहर घोषित करेंगे।

उन्होंने सदस्यों की कार्यविधि का और सलाहकार समिति में विशेषज्ञों की नियुक्ति का भी उल्लेख किया है। यह सच है कि अभी सलाहकार समिति की विशेषज्ञ—सलाह नहीं ली गई है, यह उचित नहीं होगा। हमें यह बात ध्यान में रखनी होगी कि इन समितियों में विभिन्न क्षेत्रों, जैसे वित्त, जल संसाधन, प्रौद्योगिकी और सामाजिक क्षेत्रों से विशेषज्ञ लिए जाएं हम इस बात का ध्यान रखेंगे

[श्री राजेश पाइलट]

और सलाहकार समितियों में विभिन्न क्षेत्रों के व्यक्तियों को रखेंगे और उनकी बहुमूल्य सलाह लेंगे।

एक माननीय सदस्य : राज्य की शक्तियों का क्या होगा ? आपने यह मुद्दा स्पष्ट नहीं किया है।

श्री राजेश पाइलट : वह आम मुद्दा है। प्रत्येक सदस्य ने उस बारे में कहा है और मैं उस बारे में बोलूंगा। मुझे सभी बातें स्पष्ट करने दीजिए और यदि कोई बात रह जाए तो आप मुझसे दुबारा पूछ सकते हैं।

डी० एम० के० के एक सदस्य ने सुझाव दिया है कि सेवानिवृत्त जजों और वरिष्ठ अधिकारियों को ऐसी सलाहकार समितियों के सदस्य बनने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि हम केवल उसी व्यक्ति को परामर्श समिति में लेंगे जो इसके योग्य होगा। उसमें राजनीतिज्ञ भी शामिल हैं।

मेरे सहयोगी, श्री पेरुमन ने बकिंघम नहर और कृष्णा नहर के बारे में कहा है। उन्होंने सेतु समुद्रम परियोजना के बारे में भी कहा है। मैं उनके विचारों से पूरी तरह सहमत हूं। ये बहुत महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं। हमारा पश्चिमी जर्मनी सरकार के साथ भी सम्पर्क है। सातवीं परियोजना में इसके लिए कुछ धनराशि भी आवंटित की गई है। अध्ययन किया जा रहा है और मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि हम शीघ्र ही माननीय सदस्यों को सूचना देंगे कि इन परियोजनाओं के बारे में क्या प्रगति हुई है और हम किस नतीजे तक पहुंचे हैं। हम इनके बारे में बहुत गंभीरता से सोच रहे हैं और हम इन सभी परियोजनाओं को शीघ्र आरम्भ करेंगे।

डा० वेंकटेश ने कुछ उपाय सुझाए हैं। उन्होंने विशेष रूप से उत्तर की नदियों और दक्षिण की नदियों को जोड़ने के बारे में कहा है। यह अखंडता की दृष्टि से भी बहुत अच्छा सुझाव है। मैं देखूंगा कि ऐसा करना कहां तक संभव है। यह तकनीकी मुद्दा है और मैं इस बारे में पूरी संभाव्यता रिपोर्ट लेने के बाद मैं उन्हें सूचित करूंगा··· (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : गंगा और कावेरी को जोड़ने की संभाव्यता के बारे में कई प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए हैं। संभाव्यता है। यदि इच्छा शक्ति हो तो हम परियोजना शुरू कर सकते हैं।

श्री राजेश पाइलट : मैं यह बात ध्यान में रखूंगा कि उपाध्यक्ष महोदय ने भी इसमें रुचि दिखाई है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सदस्यों की रुचि के बारे में बता रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री राजेश पाइलट : मेरे सहयोगी, श्री मूलचन्द डागा जी ने कई पाइंट अपने भाषण में बताए।

एक तो उन्होंने कहा कि 1980 में इस कमेटी की रिपोर्ट बनी थी और बिल 1985 में लाया गया है, इसमें देरी हुई है। उसे हम मानते हैं। लेकिन कुछ टैक्नीकल प्रोब्लेम्स रहीं, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव्ह प्रोब्लेम्स रहीं, जिनके कारण यह बिल जल्दी नहीं आ सका। वैसे इस बिल को जल्दी आ जाना चाहिए था। डागा साहब की यह बात सही है, इसे हम मानते हैं।

उन्होंने दूसरी बात हैड आफिस के बारे में कही कि बिल में हैड आफिस मेंशन नहीं किया गया है कि कहां होगा तथा चेयरमैन की टेन्योर की टर्म मेंशन नहीं की गई यह बात भी उन्होंने अपने भाषण में कही है। मेरे ख्याल से सारे काम हम लोग ही कर देंगे, तो अथॉरिटीज के लिए कोई काम ही नहीं रहेगा, तो वे क्या करेंगे। इसलिए मेरा इसमें कहना यह है कि बिल पास हो जाने दीजिए, बिल पास होते ही अथॉरिटीज ये सब काम करेंगी।

डेलीगेशन आफ पॉवर्स की बात उन्होंने कही है और इस बारे में अपनी अमेंडमेंट भी मूव की है कि चेयरमैन से वाइस चेयरमैन तक डेलीगेशन आफ पावर्स कैसे होंगी। मैं उनकी बात में साझीदार हूं और मैं मानता हूं कि यह बात सही है। जो अमेंडमेंट उन्होंने मूव किया है, उसे हम जरूर मानेंगे और जो भी सुधार हो सकेगा वह हम करेंगे।

श्री माधव रेड्डी जी ने दो-तीन पाइंट्स बताए हैं जिनमें से एक बात तो उन्होंने यह बताई कि हम इस अथॉरिटीज के बिल द्वारा स्टेट्स की पॉवर्स में इंटरवीन कर रहे हैं। माधव रेड्डी जी की इन्फर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि यह इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट सब्जैक्ट तीनों लिस्टों में कांस्टीट्यूशन के अनुसार है। यह स्टेट, कान्करेंट और सेंटर तीनों लिस्टों में है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि इसके द्वारा हम स्टेट्स की पावर्स में इंटरवीन नहीं कर रहे हैं। इसके द्वारा हम जो कुछ भी करेंगे उससे स्टेट्स के राइट्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्टेट्स जो कुछ भी चाहें अपनी तरफ से कर सकती हैं। इसके डिवलेपमेंट के लिए हम जो कुछ भी करेंगे, उसमें स्टेट्स हमारी सहायक हो सकती हैं और हम स्टेट के सहायक हो सकते हैं। इसलिए आप इस बात से बेफिक्र रहें, हम स्टेट्स की पावर्स नहीं ले रहे हैं। हो सकता है इस बिल के आने से जो रिसोर्सेस स्टेट्स अभी नहीं जुटा पाती हैं, वे रिसोर्सेस अब सेंटर की मदद से स्टेट्स को मिल सकते हैं। जहां तक आपस में कोआर्डिनेशन और म्युचुअल अंडर-स्टैंडिंग की बात है, उसे हम ध्यान में रखेंगे और मिलजुलकर देखेंगे और यह काम जिसके लिए हम अथॉरिटी बिल लाए हैं, उसे अच्छी तरह से बर्ताव में लाया जाए, यह भी देखेंगे।

[अनुवाद]

श्री एच० ए० डोरा (श्रीकाकुलम) : लेकिन समस्या तब होती है जब राज्य के कानून और केन्द्र के कानून के बीच विरोध होता है।

श्री राजेश पाइलट : ऐसा नहीं होगा। जब कोई विषय समवर्ती सूची में है, तो राज्य और केन्द्र के कानूनों के बीच किसी तरह का विरोध नहीं होगा।

श्री एच० ए० डोरा : मैं समझता हूं समवर्ती सूची में बताए गए विषयों में, यदि राज्य भी

[श्री एच० ए० डोरा]

कोई विशेष विधान पारित करता है, जो प्रत्यक्ष रूप से केन्द्र के कानून के विरुद्ध है···

श्री राजेश पाइलट : अगर इसमें देश का हित निहित होगा, तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं होगा।

श्री एच० ए० डोरा : लेकिन प्रश्न यह है कि, क्या इससे राज्यों की शक्तियों का हनन नहीं किया जा रहा है ?

श्री राजेश पाइलट : ऐसा मौका नहीं आएगा।

श्री सी० माधव रेड्डी : कृपया खंड 27 पढ़िए। इस अधिनियम के शुरू होने के बाद, कोई भी राज्य विधान सभा कोई अधिनियम पारित नहीं कर सकती।

श्री राजेश पाइलट : अधिनियम किस संबंध में ? आपका विचार यह था कि हम राज्यों के अधिकार प्राप्त कर लेंगे। मैं समझता हूं कि इस खंड से ऐसा कुछ आभास नहीं मिलता है। बहरहाल हम इस दृष्टिकोण पर चर्चा कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री आर० पी० सिंह जी ने भी कुछ पाइंट दिए हैं उनमें से एक पाइंट उन्हें बताया है कि इन प्रोजेक्ट्स की कम्पलीशन में डिले होती है और डिले होने से कॉस्ट बढ़ जाती है, यह बात बिल्कुल सही है और सरकार के ध्यान में है और हम कोशिश करेंगे कि प्रोजेक्ट में देरी न हो।

श्री जंगा रेड्डी जी ने भी वही सजैशन्स दिए हैं और गोदावरी के बारे में, मैंने उन्हें बताया।

[अनुवाद]

महोदय, ये वे विभिन्न मुद्दे हैं जिनपर विचार किया जा रहा है। सरकार इस सम्बन्ध में कार्य कर रही है। श्री राव ने कुछ सुझावों की ओर ध्यान दिलाया था। मेरा विचार है कि वह इस मंत्रालय के अधिकार-क्षेत्र से थोड़ा बाहर हैं। फिर भी मैं इन सुझावों को जल संसाधन मंत्रालय को भेज दूंगा। जो भी सुझाव लागू हो सकते हैं मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वह उन्हें लागू करें। माननीय सदस्य ने पूछा है कि इस उपाय से कितनी लागत आई है और कितना लाभ हुआ है। हमने इसे देखा है और इस प्राधिकरण से कुछ अच्छे परिणाम निकलें हैं; यह लाभप्रद है, इसलिए सरकार ने इन सभी व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में निर्णय किया है। श्री रंगाजी चले गए हैं; उन्होंने निकर्षण के सम्बन्ध में तथा माल, यात्रियों तथा अन्य लोगों को गोदामों तथा बीमे जैसी सुविधाएं देने के सम्बन्ध में कुछ अच्छे विचार दिए हैं। जब हम इस पर कार्यवाही करेंगे तो मैं इनको ध्यान में रखूंगा। श्री चिन्ता मोहन—यदि मैं ठीक कहता हूं—ने कुछ अच्छे सुझाव दिए हैं, उन्होंने अपने भाषण में उल्लेख किया है कि ठेके उस प्राधिकरण को नहीं दिए जाने चाहिये जिसे हम आगे लाना चाहते हैं। मैं सदन को आश्वासन दे सकता

हूं कि लोकतन्त्र में प्रत्येक शीर्ष के लिए जनता का एक प्रतिनिधि होता है और जिम्मेवारी अन्तत: उन ही लोगों की है जो विभागों के अध्यक्ष हैं। जब तक कोई मंत्री इन सब बातों से ऊपर है, तो उसको जिम्मेवार होना चाहिए और उसे देखना चाहिये कि सारा कुछ उचित ढंग से हो रहा है। केवल उनसे ठेके लेकर और किसी को देने से ही हम भ्रष्टाचार समाप्त नहीं कर सकेंगे। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हमें उचित उपाय करने होंगे। हम इस प्रणाली में किसी प्रकार की धांधलेबाजी नहीं चलने देंगे (**व्यवधान**) अध्यक्ष भी हमारे अधीन होगा। आपको क्यों इसकी चिन्ता है ? माननीय सदस्य ने सलाहकार समिति के सम्बन्ध में सुझाव दिया है। उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं कि विपक्ष के लोगों को सहयोगी बनाया जाना चाहिए। यह एक रचनात्मक उपाय है और हम इसे लागू करने का प्रयत्न करेंगे। यह वे मुद्दे हैं जिन्हें मैंने विशेष तौर पर चर्चा में समेटा है। यदि कुछ मुद्दे अभी भी बाकी हैं जैसा मैंने अपने आरंभिक भाषण में उल्लेख किया हैं। हम उनके सम्बन्ध में सुझाव स्वीकार करने को तैयार है सदन में इसी से मामला समाप्त नहीं होना चाहिए। यदि कोई सदस्य समझता है कि यह सुझाव मूल्यवान है और इसके संबंध में विचार-विमर्श होना चाहिए तथा यह राष्ट्रीय हित में है और इससे राष्ट्रीय विकास होगा, तो वह कभी भी अपना सुझाव दे सकते हैं और हम इस सुझाव की ओर ध्यान देंगे और इसे लागू करने का प्रयत्न करेंगे।

श्री अनिल बसु (आराम बाग) : कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी तथा मजदूर संघ सुविधाओं के विषय में आपके क्या विचार हैं ?

श्री राजेश पाइलट : उस बात की ओर भी हम ध्यान देंगे। इन शब्दों के साथ, मैं समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पोत परिवहन और नौपरिवहन के प्रयोजनों के लिए अन्तर्देशीय जलमार्गों के विनियमन और विकास के लिए तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए प्राधिकरण के गठन के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : खंड 2, खंड दो में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड 3, खण्ड 3 में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 4 (सदस्यों की सेवा शर्तें)

श्री अनूप चन्द शाह (बम्बई उत्तर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 3,—

पंक्ति 19 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये—

"(2) अध्यक्ष का कार्य काल पांच वर्षों का होगा।" (9)

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 3,—

खंड 4 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये :—

"4. (1) धारा 6 के उपबन्धों के अध्यधीन, प्रत्येक सदस्य अपना पद ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिये पद धारण करेगा।

(2) सदस्यों की सेवा की अन्य शर्तें वे होंगी जो विहित की जायें।" (15)

उपाध्यक्ष महोदय : जिन माननीय सदस्यों ने संशोधन रखे हैं वे अब अपने संशोधनों पर चर्चा आरंभ करें।

[हिन्दी]

श्री अनूप चन्द शाह (बम्बई उत्तर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के अन्दर चेयरमैन की टर्म जितने साल की होनी चाहिए, उसके लिए अभी-अभी मिनिस्टर साहब ने कहा कि अथोरिटी के लिए

क्या काम रहेगा, अगर हम सब फिक्स कर देंगे ? उनका कहना है कि अथौरिटी के पास काम नहीं रहेगा। बात सही है, लेकिन चेयरमैन की टर्म इसलिए फिक्स होनी चाहिए जिससे अथौरिटी अपनी मनमानी टर्म फिक्स न कर सके।

मैं मन्त्री जी से रिक्वैस्ट करूंगा कि इनकी टर्म 5 साल की होनी चाहिए, इसलिए वह मेरे अमैंडमैंट को एक्सैप्ट करें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री डागा, क्या आप बोल रहे हैं ?

श्री मूल चन्द डागा : यदि मंत्री महोदय उनके तर्क स्वीकार करते हैं तो, ठीक है।

श्री राजेश पाइलट : इसमें कोई बुराई नहीं है। माननीय सदस्य कह रहे हैं कि अवधि निर्धारित की जा सकती थी। केवत्र मात्र समस्या यह है कि जब आप किसी विशेष पद की अवधि निर्धारित करते हैं तो मैं स्पष्टत: कहता हूं कि कार्य कुशलता की जांच थोड़ी बहुत कठिन हो जाती है। अत: मैं सुझाव देता हूं कि आप यह काम सरकार पर छोड़िए। सरकार इस मामले में जो कुछ उचित समझती है, वह कार्यवाही करेंगी।

श्री अनूप चन्द शाह : मैं सभा से अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा श्री अनूपचन्द शाह द्वारा प्रस्तावित संशोधन को वापस लेने की अनुमति प्रदान करती है ?

संशोधन संख्या 9 सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

श्री मूल चन्द डागा : मैं अपना संशोधन वापस लेने के लिए सदन की अनुमति चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा श्री मूल चन्द डागा द्वारा प्रस्तावित संशोधन को वापस लेने की अनुमति देती है।

संशोधन संख्या 15 सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 4 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 5—(अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के अधिकार)

श्री मूल चन्द डागा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

[श्री मूल चन्द डागा]

पृष्ठ 3, पंक्ति 25,—

"अध्यक्ष" के स्थान पर, "प्राधिकरण" प्रतिस्थापित किया जाये। (16)

जैसा कि माननीय मंत्री जी ने यह बात पहले ही मान ली है, मेरा विचार है कि इसे स्वीकार किया जाएगा।

श्री राजेश पाइलट : जी हां। मैंने यह संशोधन पढ़ा है और उनका यह कहना ठीक है कि उपाध्यक्ष को प्राधिकरण से अधिकार प्राप्त होने चाहिए न कि अध्यक्ष से।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं अथवा श्री डागा का संशोधन स्वीकार रहे हैं ?

श्री राजेश पाइलट : हम उनका संशोधन स्वीकार करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

पृष्ठ 3, पंक्ति 25, —

"अध्यक्ष के स्थान पर, "प्राधिकरण" प्रतिस्थापित किया जाए"। (16)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 5, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 5, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : खंड 6 से 8. खंड 6 से 8 मे कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 6 से 8 विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 6 से 8 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 9 (सलाहकार समितियां)

श्री शांताराम नायक (पणजी) : क्योंकि वह एक अच्छे उत्साहपूर्ण मंत्री है, मैं अपने संशोधन

संख्या का प्रस्ताव करना चाहूंगा।

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 4,—

पंक्ति 20 के पश्चात, निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाए —

"(3) सलाहकार समिति द्वारा दी गई सलाह पर सम्यक् ध्यान दिया जाएगा।" (1)

4.00 म० प०

महोदय, यह संशोधन अत्यन्त साधारण है। यह खंड 9 में केवल एक उपखंड जोडता है। इसमें कहा गया है कि सलाहकार समिति द्वारा दी गई सलाह को उचित मान्यता दी जाएगी। यदि आप स्वयंमेव विधेयक में इसका विशेष उल्लेख करेंगे तो इसका महत्व है।

श्री राजेश पाइलट : मान लीजिए कि यदि आप किसी सलाहकार समिति को तालिका में शामिल करते हैं तो, आपको इसकी सलाह पर भी ध्यान देना होगा। स्वत: ही इसे उचित महत्व दिया जाएगा। उनके परामर्श की अवज्ञा करने का कोई अर्थ नहीं है। उनकी सलाह को गंभीरतापूर्वक लिया जाएगा। अत: इसे विधेयक में शामिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप अपना संशोधन वापस ले रहे हैं? क्या सभा श्री शान्ताराम नायक को अपना संशोधन संख्या 1 वापस लेने की अनुमति प्रदान करता है?

माननीय सदस्यगण : जी हां।

संशोधन संख्या 1 सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य समझते हैं कि हम खंडवार चर्चा 5 से 10 मिनट में समाप्त कर सकते हैं तो, हम दूसरा मुद्दा, अर्थात नियम 193 के अन्तर्गत विचार आरम्भ कर सकते हैं।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 9 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 10 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

"खंड 10 विधेयक में जोड़ दिया गया।"

उपाध्यक्ष महोदय : अब, खंड 11, श्री मूल चन्द डागा—अनुपस्थित।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 11 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 11 विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 12 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 12 विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खंड 13 को लेते हैं।

श्री मूल चन्द डागा—अनुपस्थित।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 13 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 13 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 14— (प्राधिकरण के कृत्य)

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खंड 14 लेते हैं।

श्री रेणुपद दास (कृष्णनगर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 7, पंक्ति 7, —

"नुकसान हो," के पश्चात्, "वैकल्पिक स्थल उपलब्ध कराने और" अंत:स्थापित किया जाए।" (2)

पृष्ठ 7,—

पंक्ति 44 के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए—

(अ) परम्परागत जल परिवहन प्रचालकों की आवश्यकताओं का अध्ययन करेगा और उनको समूचे राष्ट्रीय जलमार्गों पर उनकी अपनी देशी नावों के बेड़े द्वारा परिवहन के प्रचालन में सहायता प्रदान करेगा।" (3)

महोदय, मेरा मत है कि यातायात का पारम्परिक माध्यम खासकर देशी नावों का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। उन्हें बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से आसान शर्तों पर ऋण दिया जाना चाहिए।

श्री राजेश पाइलट : महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, प्रस्तावित संशोधन के अनुसार प्राधिकरण को राष्ट्रीय जलमार्ग और अनुलग्नक भूमि में से किसी ऐसी बाधा या अड़चन को, जो सुरक्षित नौ परिवहन में अड़चन डाल सकती हो या आधारभूत संरचना की सुरक्षा को संकट में डाल सकती हो, को हटाने या परिवर्तन करने से पूर्व सम्बन्धित पक्ष को वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराना चाहिए। प्राधिकरण के लिए प्रभावित पक्ष को वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है क्योंकि प्राधिकरण के पास पर्याप्त भूमि नहीं है। इसके अतिरिक्त यदि विधेयक में ऐसी व्यवस्था की जाए तो इससे परियोजना को क्रियान्वित करने में व्यर्थ में देरी होगी।

श्री रेणुपद दास : मैं मन्त्री जी के उत्तर से कमोवेश संतुष्ट हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा श्री आर० पी० दास द्वारा रखे गए संशोधन संख्या 2 और 3 को वापस लेने की अनुमति देती है ?

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

संशोधन संख्या 2 और 3 सभा की अनुमति से वापस लिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

"कि खंड 14 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 14 विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 15 से 24 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 15 से 24 विधेयक में जोड़ दिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं खंड 25 पर आता हूं। श्री आर० पी० दास।

श्री रेणुपद दास : मैं प्रस्ताव नहीं कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। अब प्रश्न यह है :

"कि खंड 25 से 31 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 25 से 31 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 32 (सद्भावपूर्वक की गई कारंवाई के लिए संरक्षण)

श्री रेणुपद दास : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 12,—

पंक्ति 2 में "और विशेषतया प्राधिकरण का यह उत्तर—" का,
और

3 और 4 का लोप किया जाए। (6)

प्राकृतिक आपदाओं के कारण पड़ी दरारें या संगठन या मानवीय असफलताओं के कारण पड़ी दरारें या क्षति को एक ही श्रेणी में नहीं रखा जाना चाहिए। संगठन या मानवीय असफलताओं के कारण पड़ी दरारों के लिए संबंधित व्यक्ति या संगठन को इसके लिए जिम्मेवार ठहराया जाना चाहिए तथा दंडित किया जाना चाहिए।

श्री राजेश पाइलट : मैं माननीय सदस्य की भावनाओं से सहमत हूं। भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण विधेयक के मौजूदा उपबंधों के अनुसार प्राधिकरण बाढ़ या दरारों के कारण आवश्यक हुए राहत कार्यों के लिए और काम पूरा न होने के लिए जिम्मेवार नहीं होगा क्योंकि बाढ़ नियंत्रण का काम प्राधिकरण का नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य अपना संशोधन वापस ले रहे हैं··

श्री रेणुपद दास : जी नहीं महोदय, मैं उस पर जोर दूंगा। मैं उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री रेणुपद दास द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 6 सभा में मतदान के लिए रखता हूं :

संशोधन संख्या 6 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 32 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 32 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 33 और 34 विधेयक में जोड़ दिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय : खंड 35, श्री आर० पी० दास।

श्री रेणुपद दास : मैं अपना संशोधन नहीं रख रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 35 से 38 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 35 से 38 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड, 1 अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री राजेश पाइलट : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

4.09 म० प०

कपास, धान, गन्ना, पटसन, नारियल आदि कृषि जिन्सों के मूल्यों में भारी गिरावट के बारे में चर्चा

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा नियम 193 के अन्तर्गत कपास, धान, गन्ना, पटसन, नारियल

आदि कृषि जिन्सों के मूल्यों में भारी गिरावट के बारे में आगे और चर्चा करेगी।

श्री के० कुन्जम्बु —

* **श्री के० कुन्जम्बु** (अडूर) : उपाध्यक्ष महोदय, केरल की अर्थव्यवस्था मुख्यत: नारियल पर निर्भर है। स्पष्टतया, नारियल की कीमतों में किसी प्रकार की कमी इसे बुरी तरह प्रभावित करती है। यह चर्चा नारियल तथा नारियल उत्पादों की कीमतों में भारी गिरावट आने के कारण की जा रही है।

पिछले साल एक हजार नारियलों की कीमत 3150 रुपए थी। आज यह घटकर 1000 रुपये हो गई है। कीमतों में इस कमी से आम किसान बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। केरल में वास योग्य कोई भी ऐसी भूमि नहीं है जहां 4-5 नारियल के पेड़ न हों। केरल वासियों का जीवन नारियल और नारियल उत्पादों पर बहुत अधिक निर्भर है। नारियल के हर हिस्से को किसी न किसी प्रकार से उपयोग में लाया जाता है।

केरल के तटबंधों पर रहने वाले हजारों परिवार ऐसे हैं जिनकी जीविका पूरी तरह से नारियल पर निर्भर है। इसकी कीमतों में आई कमी से उनकी जिन्दगी कष्टमय बन गई है।

महोदय, सरकार समय-समय पर नारियल के तेल का आयात करती है जिससे केरल की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसे ही सरकार नारियल के तेल का आयात करने का निर्णय लेती है वैसे ही नारियल की कीमतें गिर जाती हैं। हर साल सरकार इन उत्पादों का आयात करती है और हर बार इनकी कीमतें गिर जाती हैं। अत: नारियल-अर्थव्यवस्था अनिश्चिय की स्थिति रहती है। इस अनिश्चितता की स्थिति को समाप्त करना होगा। सबसे पहले नारियल की कीमतों में स्थिरता लाने की जरूरत है, स्थिरता लाने के लिए सरकार को नारियल उत्पादों के आयात को बंद कर देना चाहिए और इनकी न्यूनतम कीमत निर्धारित करनी चाहिए। दुर्भाग्य से आमतौर पर यह शिकायत की जाती है कि सरकार केरल के किसानों के हितों की रक्षा के लिए बहुत उत्साह नहीं दिखाती है। इस स्थिति को समाप्त करना होगा। समाचार पत्रों में खबर थी कि सरकार नारियल का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने के लिए तैयार है और इस सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही की जा रही है। सरकार से अनुरोध है कि वह इस सम्बन्ध में शीघ्र निर्णय ले। इसी तरह नारियल की खरीद के लिए कुछ स्थायी व्यवस्था की जानी चाहिए। वैसे केरल राज्य विपणन संघ ने इस दिशा में कुछ प्रयास किए हैं। लेकिन वित्तीय कठिनाइयों और भण्डारण की अपर्याप्त सुविधाओं के कारण ये प्रयास सफल नहीं हुए। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सहायता की बहुत जरूरत है। इस समस्या का स्थायी आधार पर हल हो सकता है अगर केन्द्रीय सरकार नारियल की खरीद की स्थायी व्यवस्था करने के लिए पर्याप्त वित्त की व्यवस्था करे।

* मलयालम में दिये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

दूसरा मुद्दा नारियल तथा नारियल के तेल के निर्यात की संभावनाओं का पता लगाने के बारे में है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस दिशा में ईमानदारी से कुछ प्रयास करे। सरकार निर्यात को बढ़ाने के लिए बहुत ध्यान दे रही है। ऐसे में हम आशा कर सकते हैं कि सरकार विदेशों में नारियल और नारियल उत्पादों की विदेशी बाजारों में बिक्री के बारे में सभी प्रयास करेगी।

सरकार से अनुरोध है कि वह केरल के गरीब नारियल उत्पादकों को बर्बाद होने से बचाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए। मैं अवश्य कहूंगा कि नारियल के तेल के आयात पर प्रतिबन्ध लगाना ही काफी नहीं है। सरकार सुनिश्चिय करे कि निजी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र में साबुन तथा इत्र आदि बनाने वाली यूनिटें अपने उत्पादों को तैयार करते समय नारियल के तेल का कुछ प्रतिशत उपयोग करें। मेरा यह भी अनुरोध है कि नारियल को तिलहन घोषित किया जाए और इसे, अन्य तिलहनों को दिए जाने वाले संरक्षण प्रदान किए जाएं। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

4.10 म० प०

(श्री शरद दिघे पीठासीन हुए।)

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव (पार्वतीपुरम) : सभापति महोदय, हम कृषि उत्पादों की कीमतों में आई गिरावट की चर्चा कर रहे हैं। सम्भवतः आज हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि क्षेत्र सबसे अधिक मंदी की दौर से गुजर रहा है।

महोदय, इस विषय पर सभा में बहुत बार चर्चा हुई है। सरकार ने अनेक आश्वासन दिए हैं। लेकिन किसानों के कष्ट दूर नहीं हुए हैं। महोदय, पिछली बार जब हमने सभा में कीमतों के बारे में चर्चा की थी तो माननीय वित्त मन्त्री ने यहां बड़े गर्व से घोषणा की थी कि इस साल मुद्रास्फीति की दर पिछले सात-आठ सालों में सबसे कम है। यह केवल 3.4 प्रतिशत या इतनी ही कुछ है। राज्य सभा में एक दिन एक मंत्री ने कहा कि मुद्रा स्फीति की दर 4.5 प्रतिशत है।

मैं माननीय सभा को बताना चाहता हूं कि इस सरकार और इस मन्त्रालय को, जो कि दावा कर रहे हैं कि मुद्रा स्फीति की दर कम है, शर्म आनी चाहिए कि यह सब किसान समुदाय तथा ग्रामीण वर्ग की कीमत पर हो रहा है। मुद्रा स्फीति की दर कम है। अगर कम है तो इसका कारण कृषि उत्पादों की कीमतों में भारी कमी आना है। हमारी 70 प्रतिशत से भी अधिक आबादी अपनी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। इसलिए मुद्रा स्फीति की कम दर का जो दावा आप कर रहे हैं वह इस देश की 70 प्रतिशत आबादी की कीमत पर है। मालूम नहीं यह सरकार, मंत्रालय, माननीय कृषि मंत्री किसके लिए काम कर रहे हैं। एक ओर हम कृषि उत्पादों की कीमतों की चर्चा कर रहे हैं तो दूसरी ओर कृषि उत्पादों सहित अनिवार्य उपभोक्ता वस्तुओं की बढ़ी कीमतें और बढ़ती जा रही हैं और उपभोक्ता तथा किसान परेशानियों का सामना कर रहे हैं। केवल काला बाजारिए और जमाखोर पैसा बना और जोड़ रहे हैं। आप यहां कह रहे हैं कि मुद्रा स्फीति की दर बहुत कम है। यह पिछले दशक में

[श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव]

सबसे कम है। मालूम नहीं सरकार इस सच्चाई को कब समझेगी कि वर्तमान में और भविष्य में भी अतीत की भांति देश का भविष्य ग्रामीण क्षेत्र और कृषि क्षेत्र के विकास तथा कृषि उत्पादों के कारगर उपयोग पर निर्भर करता है।

इस सरकार के आने के बाद शुरू की गई नयी कम्प्यूटर प्रणाली के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है। हमने प्रधानमंत्री जी को अन्तर्राष्ट्रीय प्रेस सम्मेलनों में बोलते हुए सुना है। उनके अंग्रेजी बोलने के ढंग और उनकी वेश-भूषा के बारे में सुना है। लेकिन महज शैली, वेषभूषा या शानदार अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में बोलकर ही देश को नहीं चलाया जा सकता। आप 21वीं सदी में जाने की सोच रहे हैं, या हो सकता है आप 22वीं सदी में जाने की भी सोच रहे हैं। परन्तु जब तक आप किसानों को उतना नहीं देते कितना कि उसे मिलना चाहिए। देश की आर्थिक स्थिति वही की वही रहेगी।

आज गरीबी की रेखा नीचे आ रही है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में इस रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की प्रतिशतता बढ़ती जा रही है। आज हमारी स्थिति यह हो गई है कि अनेकों कृषि-उत्पाद बाजार के अभाव में सड़ जाते हैं। इस सभा में अनेक सदस्यों ने नारियल, धान आदि जैसी विशेष मदों पर बोला। जो कुछ उन्होंने कहा मैं उसे दोहराना नहीं चाहता। केरल के माननीय मित्रों ने बताया कि नारियल के साथ क्या हुआ है। नारियल की कीमतों में भारी कमी आई हैं। तो, नारियल के तेल का आयात करने की क्या जरूरत है ? आप किसके लिए काम करने का प्रयास कर रहे हैं ? अपने देश के कृषकों और किसानों के लिए या देश के बाहर किसी और के लिए ? इसी तरह बहुत सी कृषि फसलों का भी यही हाल हो रहा है। मैं केवल मेस्टा का ही उल्लेख करूंगा। मेस्टा जूट की एक किस्म है। आशा है कि माननीय मंत्री जी पंजाब के होते हुए भी जानते होंगे कि इस किस्म का एक उत्पाद होता है। मेरे राज्य आन्ध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम विजीनगरम तथा विशाखापत्तनम जैसे पिछड़े जिलों में 3 लाख से भी अधिक एकड़ भूमि पर मेस्टा की खेती की जाती है। पिछले साल मेस्टा की कीमत 900 रुपये प्रति क्विंटल थी जोकि इस साल घटकर 200 रुपये हो गई है। यह पिछले साल की कीमत से 1/8 कम है।

इस वर्ष 16 लाख क्विंटल उत्पादन का अनुमान लगाया गया है और उत्पादन 16 लाख क्विंटल के इस अनुमान से अधिक होने की सम्भावना है। पटसन निगम कोई भी खरीददारी नहीं कर सका है। वे यह बहाना लेते हैं कि उसके पास गोदाम की सुविधा नहीं हैं······

सभापति महोदय : माननीय सदस्य का समय समाप्त हो गया है।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : कृपया मुझे कुछ मिनट का समय और दें— मैं अपना भाषण समाप्त कर दूंगा। जब वे केवल 35 पैसे प्रति वर्ग फुट गोदाम क्षेत्र के हिसाब से प्रस्ताव रखेंगे तो स्वाभाविक ही है कि उन्हें कोई भी गोदाम सुविधा नहीं मिलेगी। यह दर भारतीय पटसन निगम द्वारा निश्चित की गई है—शायद दो दशक पूर्व और आज जबकि बाजार में वृद्धि तीन या चार गुना हो गई है,

अगर सरकार उस दर को जो वह 10 या 15 वर्ष पूर्व देती थी दुगुना भी नहीं करती तो सरकार को गोदाम के लिए जगह कैसे मिलेगी ? क्योंकि गोदाम नहीं है इसलिए निगम मैस्टा नहीं खरीद सकता। किसानों का क्या होगा ? आजकल भारतीय पटसन निगम द्वारा इसे 200 रुपये से भी कम पर खरीदा जा रहा है। मैंने पहले ही माननीय वाणिज्य मंत्री को लिखा है। उन्होंने अपने उत्तर में कहा है कि वे मामले की जांच करा रहे हैं। तीन माह व्यतीत हो गये हैं और कोई आश्चर्य नहीं कि मामले की अभी भी जांच चल रही हो। मैं माननीय कृषि मंत्री से आग्रह करूंगा कि वह अपने मंत्रीमंडल के सहयोगी से कम से कम इतना तो मालूम करें कि वे इस सम्बन्ध में क्या कर रहे हैं। अगर वह किसानों की सहायता नहीं करता और अगर वह उन्हें लाभकारी मूल्य नहीं दिलाता तो भारतीय पटसन निगम की क्या आवश्यकता है अथवा अगर यह निगम अन्य किसी निजी उद्यमी की तरह पेश आता है तो हमें ऐसे निगम की क्या आवश्यकता है ? आयुक्तों, क्षेत्रीय निदेशकों तथा कार्यालयों को सरकार द्वारा बनाए रखने तथा उन पर खर्च करने की क्या जरूरत है ? आंध्र प्रदेश में मैस्टा किसानों की आजकल बहुत बुरी दशा है और मुझे विश्वास है कि बंगाल के पटसन किसानों की स्थिति भी उनसे किसी भी रूप में बेहतर नहीं है। जब तक की भारतीय पटसन निगम उन्हें कम से कम 400 रुपये प्रति क्विंटल, जो गत वर्ष के मूल्य के आधे से भी कम है, नहीं देता, तो किसान कैसे इस संकट से निपटेंगे और सरकार उनसे आगामी वर्ष में कुछ पैदा करने की कैसे आशा रखती है ? जैसी कि कहावत है, भारतीय कृषक कर्ज में पैदा होता है और कर्ज में ही मर जाता है। वहां पर जो किसान पहले कर्ज में नहीं थे वे फिर से कर्ज में दबते जा रहे हैं क्योंकि वे गम्भीर स्थिति से गुजर रहे हैं।

माननीय कृषि मंत्री अब निर्वाचन क्षेत्र बदलकर राजस्थान से चुनाव लड़कर आये हैं। मुझे नहीं मालूम कि नये हालात में वे किस हद तक कृषक समुदाय से संबंध बनाए हुए हैं। परन्तु इस सभा के सब ही पक्षों और विभिन्न राज्यों से आने वाले सदस्यों ने बोला है। मैं जानता हूं कि मंत्री महोदय पंजाब में आप केवल गेहूं की खेती करते हैं।

कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : राजस्थान एक ऐसा राज्य है, जहां पर बहुत खेती होती है।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : मुझे खुशी है कि मंत्री जी यह जानते हैं और मैं आशा करता हूं कि वह अन्य राज्यों के लिए भी कुछ करेंगे।

सरदार बूटा सिंह : अगली बार मैं आंध्र प्रदेश का प्रतिनिधित्व करूंगा।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : हम वहां पर उनका स्वागत करेंगे और कोशिश करेंगे कि वे मैस्टा का उत्पादन करने वाले किसी एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करें। मौखिक हमदर्दी दिखाने से तथा यह कह कर कि सरकार समिति बनाने जा रही है, कोई लाभ नहीं है। हम चाहते हैं कि मंत्री महोदय ठोस बात करें और बताएं कि क्या सरकार अधिक किराया देकर अथवा अन्य केन्द्रीय सरकार के संगठनों के पास उपलब्ध गोदाम सुविधाओं को उपलब्ध कराने की स्थिति में है। दूसरी बात कि क्या सरकार किसानों को लाभकारी मूल्य देने जा रही है। जब मंत्री महोदय उत्तर देते हैं तो मैं उनसे

[श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव]

आशा करता हूं कि वह कुछ ठोस और खास कदमों की विशेष रूप से यह घोषणा करेंगे कि यह सरकार किसानों के लिए क्या करने जा रही है।

क्योंकि हमारे पास समय का बहुत अभाव है, इसलिए महोदय, मुझे बोलने के लिए अवसर प्रदान करने पर मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री के० एस० राव (मछलीपटनम) : सभापति महोदय, जब माननीय प्रधानमंत्री, श्री राजीव गांधी, द्वारा यह बताया गया है कि वह उत्पादन को महत्व देते हैं तो हमने सोचा था कि यह देश के लिए एक शुभ लक्षण है। परन्तु हमने यह कभी महसूस नहीं किया कि कृषकों को उत्पादक समझा जा रहा है। ये केवल उद्योगपति अथवा सीमेंट, स्टील, वनस्पति या कोई और चीज के निर्माता ही हैं जिन्हें उत्पादक समझा जाता है, न कि किसान को।

महोदय प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि हमारी जनसंख्या का बहुत सा भाग कृषि पर निर्भर है। संभवत: कृषि समुदाय का जुर्म यही है कि वे संगठित नहीं हैं। अन्य लोग संगठित हैं और इसीलिए वे चीजों को प्राप्त कर लेते हैं और अपनी मांगों को मनवा लेते हैं परन्तु कृषक समुदाय नहीं है। कृषक समदाय कुछ आक्रामक तरीके अपनाये इससे पहले, मैं विश्वास करता हूं कि, मंत्री महोदय यह सुनिश्चित करेंगे कि किसानों को उनके उत्पादन का लाभकारी मूल्य मिले।

किसान आधार हैं। अगर उनको लाभकारी मूल्य नहीं दिये गये तो ऐसी पूर्ण आशा है कि ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की तरफ काफी संख्या में स्थानांतरण हो सकता है जिससे सरकार के लिए और भी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। मूल्यों में गिरावट का कारण किसी चीज का बहुत अधिक उत्पादन भी हो सकता है। परन्तु आजकल ऐसी स्थिति नहीं है। अगर एक या दो चीजों के बारे में ऐसी स्थिति है तो सरकार की यह जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वह किसानों को नियमित अन्तरालों पर सूचित करे कि उन्हें कौनसी चीज अपने खेतों में बोनी चाहिए। कृषक समुदाय में अभी तक व्याप्त अज्ञानता और इन मामलों पर मार्गदर्शन की कमी के कारण ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं।

इनके अलावा विपणन सुविधाओं की कमी है। यह एक मुख्य समस्या है। अगर सरकार उपभोक्ता के लिए मूल्यों में कमी लाना चाहती है और उत्पादकों को उसके लिए बली का बकरा नहीं बनने देने के लिए समुचित उपाय सुनिश्चित करने की इच्छा रखती है और अगर सरकार वास्तव में उपभोक्ता तथा उत्पादक दोनों के ही हित में सोचती है तो सरकार के पास स्थिति में सुधार करने के लिए अनेकानेक उपाय हैं। जहां तक नियंत्रणों का सम्बन्ध है जहां उनकी आवश्यकता नहीं है वहां उसको हटा देना चाहिए तथा जहां वे आवश्यक हैं वहां उनको रखना चाहिए। देश में निर्मित प्रत्येक वस्तु पर नियंत्रण लगाने की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के लिए, जब आंध्र प्रदेश में चावल दो रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से दिया जाता है तो उत्पादक को अपने उत्पाद को कहीं भी बिना सरकारी अथवा किसी अन्य ऐजेंसी की रोक टोक के भेजने की अनुमति होनी चाहिए ताकि उत्पादक को बेहतर

मूल्य मिल सके तथा उपभोक्ता को भी उचित तथा कम मूल्य पर खाद्य वस्तु उपलब्ध हो सके। मुझे समझ में नहीं आता कि सरकार अभी भी कुछ कृषि उत्पादों का आयात क्यों कर रही है, जैसा कि यहां कुछ माननीय सदस्यों ने नारियल तेल, गन्ने इत्यादि का उल्लेख किया है जिसकी वजह से हम भारतीय किसानों तथा भारतीय कृषि श्रमिकों को बेकार रख रहे हैं। यही नहीं हम कुछ कृषि चीजें विदेशों से बहुत अधिक मूल्य देकर खरीद रहे हैं। कृषक समुदाय को विभिन्न कृषि उत्पादों के निर्यात के लाभ के बारे में सूचित करने के लिए भी समुचित उपाय किए जाने चाहिए। इस तरह से हमारे देश से निर्यात में वृद्धि हो सकेगी तथा कृषक समुदाय को भी उनके उत्पादों का बेहतर मूल्य मिल सकेगा। किसान जो चाहते हैं, वह यह है कि उन्हें उत्पाद का लाभकारी मूल्य मिले। अलाभकारी मूल्य न सिर्फ उन्हें उनकी जीविका से वंचित करेंगे बल्कि उन्हें दिवालिया भी कर देंगे। मूल्यों में विशेषकर कपास के मूल्यों में भारी कटौती से जिसका कृषि मूल्य आयोग द्वारा निश्चित न्यूनतम मूल्य भी लाभकारी नहीं है, पता चला है कृषक समाज में बहुत रोष है, हमें समाचार पत्रों से तथा आंध्र प्रदेश में जो जानकारी उपलब्ध है उससे पता चला है कि वह न्यूनतम मूल्य भी उन्हें नहीं दिया जा रहा है और स्थानीय बाजार के लोग तथा व्यापारी किसानों का शोषण करके लाभ उठा रहे हैं। उन्हे विभिन्न कृषि उत्पादों के लिए निश्चित समर्थन मूल्य से बहुत कम मूल्य दिया जाता है।

महोदय, कृषक समुदाय की समस्याओं की उपेक्षा की जाती है। वे शान्ति प्रिय लोग हैं। कृषक समुदाय पीढ़ियों से शान्ति प्रिय हैं और भाई-चारे तथा गावों के लोगों के बीच सद्भाव रखते हैं और यह वातावरण सदा बना रहना चाहिए जिसके लिए हम बार-बार भाषण करते रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय उनकी सहायता करने के लिए समुचित कदम उठायेंगे और यह देखेंगे कि उनकी हालत सड़कों पर पहुंचने तक न हो जाए। माननीय मंत्री जानते हैं कि वे कानून के पाबन्द और शान्ति प्रिय लोग हैं जो अपनी समस्याओं को शान्तिपूर्वक हल करवाने के इच्छुक हैं। उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

महोदय, मैं आशा करता हूं कि कृषि वित्त आयोग कृषि समुदाय के विशेषज्ञों के साथ यह सुनिश्चित करने के लिए बैठेंगे कि उनके उत्पादों का लाभकारी मूल्य, लागत को हिसाब में लेकर, निश्चित करने के लिए वैज्ञानिक विश्लेषण हो। इसके लिए अच्छे आपसी सहयोग तथा केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त प्रयास की आवश्यकता है। मुझे पक्का विश्वास है कि माननीय मंत्री महोदय शुरुआत करके संबंधित राज्य सरकारों से, जिन राज्यों में उत्पादों का मुख्य रूप से उत्पादन होता है उसे देखते हुए, बातचीत करेंगे। धन्यवाद।

श्रीमती शीला दीक्षित (कन्नौज) : सभापति महोदय, हमारा देश इस शताब्दी में पहली बार असामान्य खाद्य स्थिति का सामना कर रहा है अर्थात् अनाज तथा अन्य कृषि उत्पादों की बहुतायत है। यह स्थिति हमारे वर्षों के प्रयास तथा हमारे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अनुसंधानों एवं हमारे कृषकों द्वारा नये विचारों को ग्रहण करके कड़ी मेहनत करने का परिणाम है। यह अद्भुत वृद्धि हमारे योजना निर्माताओं की दूरदर्शिता और हमारे नेताओं, पंडित जवाहर लाल नेहरू तथा श्रीमती इंदिरा गांधी के निदेशों के कारण सम्भव हो सकी है। वास्तव में, भारत की कृषि में सफलता एवं प्रगति तथा उसकी

[श्रीमती शीला दीक्षित]

अपनी निरंतर बढ़ती हुई आबादी के लिए खाद्य सामग्री जुटाने के साथ-साथ खाद्य सामग्री का निर्यात करने की क्षमता को पूरे विश्व में माना जाता है।

तथापि इस बहुतायत की स्थिति से हमारे कृषि वस्तुओं के मूल्यों में भारी गिरावट आई है और आजकल किसानों को अपनी उपज अलाभकारी मूल्यों पर बेचनी पड़ रही है। छोटे भारतीय किसान, जो असंगठित हैं, अपना माल कीमतों के बढ़ने तक अपने पास रखने की स्थिति में नहीं हैं और इसलिए उन्हें अपनी उपज अलाभप्रद मूल्यों, यहां तक कि बहुत कम मूल्यों पर बेचने के लिए बाध्य होना पड़ता है। हाल ही के समय में कृषि वस्तुओं के मूल्यों में गिरावट का यही प्रत्यक्ष कारण है। परन्तु हमें नजदीक से और गहराई से स्थिति को देखना होगा। हमें स्वयं को संगठित करना होगा और कृषि उपज में निरंतर वृद्धि की अर्थव्यवस्था को सम्भालने के लिए तैयार रहना है।

एक तरफ तो किसान को बहुत ही कम मूल्य मिल रहा है और दूसरी तरफ उपभोक्ता खाद्य पदार्थों के लिए ऊंचे मूल्य पर खरीददारी कर रहा है — उसके लिए केवल एक ही राहत रही है कि हाल ही के समय में मूल्य ज्यादातर स्थिर रहे हैं, बढ़े नहीं हैं। उदाहरण के तौर पर, जबकि किसान इस वर्ष के शुरू में आलू की अपनी उपज को सिर्फ 20 पैसे के लगभग प्रति किलोग्राम बेच पाया था तो उपभोक्ता उस समय 2 रुपये प्रति किलोग्राम के आस-पास खरीद रहा था, जैसे कि वह पहले खरीद रहा था। इस अन्तर का लाभ किसको मिला? व्यापारी को, मध्यस्थ को। जैसी स्थिति आलू के बारे में है वैसी ही स्थिति अन्य कृषि उत्पादों के बारे में भी है।

अगर कृषकों के लिए मूल्यों को इतने कम तथा अलाभकारी स्तरों तक न गिरने दिया जाए तो उपभोक्ता द्वारा देय मूल्यों और जो मूल्य किसान को मिलते हैं उनके अन्तर का बहुत बड़ा अंश किसानों को पहुंचना चाहिए। समय आ गया है जब सरकार को किसानों की मदद करने तथा राष्ट्र की कृषि सम्पदा की स्थिति को सुदृढ़ करने की अपनी मंशा को कार्य रूप देने के लिए शीघ्र तथा बेहतर प्रबन्ध व्यवस्था सुनिश्चित करनी है। भारतीय खाद्य निगम तथा नाफेड जैसे संगठन और एजेंसियों का, जो किसानों से सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर खरीददारी करती हैं, प्रबन्ध बेहतर होना चाहिए तथा उन्हें बेहतर रूप से चलाना चाहिए। मापदण्ड जो खरीददारी के लिए रखे जाते हैं वे अक्सर इतने अवास्तविक तथा उत्पादन की वास्तविक स्थिति के इतने विपरीत होते हैं कि उससे उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। खरीद केन्द्रों को समय पर नहीं खोला जाता है। उदाहरण के लिए, यद्यपि चावल की नई फसल एक माह से भी पहले बाजार में आ चुकी है फिर भी खरीद केन्द्रों ने अभी तक कार्य करना शुरू नहीं किया है और किसान अपने चावल को 105 रुपये प्रति क्विंटल की बहुत ही कम कीमत पर बेच रहा है, जिसे उस किस्म को सरकारी घोषणा के अनुसार 142 रुपये प्रति क्विंटल मिलना चाहिए। एक और उदाहरण है, नाफेड इत्यादि द्वारा आलुओं की खरीद के समय भिन्न-भिन्न आकारों के आलू का भिन्न-भिन्न मूल्य दिया जाता है। काफी उचित है। परन्तु वास्तव में, किसान को परेशान किया जाता है; उसे छंटनी के

लिए काफी देर तक इन्तजार करना पड़ता है और यह पूर्णतया खरीद अधिकारियों की मर्जी पर निर्भर करता है। इस प्रकार खरीद केन्द्रों के खोलने में देरी तथा पर्याप्त धनराशि उपलब्ध न होने के कारण, जैसा कि पहले कई अन्य माननीय सदस्यों ने बताया है, ऐसी स्थिति हो जाती है कि छोटे किसान सरकार द्वारा दी गई कीमत तथा उसकी सद्भावना का लाभ नहीं उठा पाता और उसके उत्पाद का अधिकांश हिस्सा या तो व्यापारी को सस्ते में बेच दिया जाता है या फिर खेतों में सड़ता है।

मैं अपनी ओर से जोरदार शब्दों में सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार कुशलतापूर्वक और शीघ्रता से कृषि उत्पाद की प्रबन्ध व्यवस्था करे ताकि इसका लाभ उन दो व्यक्तियों तक तो पहुंचे ही जिनके बारे में सरकार सबसे ज्यादा चिंतित है अर्थात् एक तो साधारण छोटे किसान तथा दूसरा आम उपभोक्ता।

मेरा सुझाव है कि अगर सरकार किसानों को हतोत्साहित नहीं करना चाहती है तो वह ज्यादा उत्साह एवं दृढ़ता से इस मामले में हस्तक्षेप करे। ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न करनी चाहिए कि वह ज्यादा दाम कमाने के उद्देश्य से कम फसल बोएं। समर्थन एवं न्यूनतम मूल्य समय पर घोषित करें तथा वे उचित हों। इन उत्पादों के लिए जो खरीद केन्द्र बनाये हुए हैं उनकी हालत में और सुधार करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही पर्याप्त एवं उचित भंडारण की भी व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन सरकार को किसानों को ज्यादा वित्तीय सहायता एवं अन्य सुविधाएं देने के बारे में भी सोचना चाहिए ताकि किसान उस कृषि उत्पाद का भण्डारण कर सकें जिसे उन्हें मजबूरन बेचना पड़ता है।

मैं इस अवसर पर सरकार का ध्यान न सिर्फ भण्डारण तथा शीत भण्डारण सुविधाओं की ओर ही अपितु उन बातों की ओर भी दिलाऊंगा जिससे कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन मिले। इस तरह के उद्योग कृषि उत्पादों का परिष्करण एवं संरक्षण करेंगे ताकि इससे भारतीय किसानों एवं उपभोक्ताओं को फायदा मिल सके। मैं उस क्षेत्र से आता हूं जहां देश की आलू की कुल फसल का 11 प्रतिशत पैदा होता है तथा उत्तर प्रदेश में आलू की कुल फसल का 20 प्रतिशत होता है। यह दृश्य देखना असहनीय है कि आलुओं का ढेर लगा हुआ है, उपभोक्ता का इन्तजार किया जा रहा है परन्तु वह नहीं आता है या किसान को अल्प राशि दी जाती है अथवा किसान कई दिनों तक इन्तजार करता है कि कब उसकी आलुओं से भरी बैलगाड़ी को शीत भण्डारण तक पहुंचाया जाएगा। यह अत्यन्त निराशाजनक स्थिति है तथा इस बारे में कृषि एवं उद्योग दोनों ही मंत्रालयों द्वारा हस्तक्षेप किए जाने की जरूरत है। अत्यधिक मात्रा में पैदा किये गये आलुओं के उत्पादन का उपयोग किये जाने के लिए उद्योग स्थापित किये जाने चाहिए। आलू तथा आलू से बने उत्पादों का निर्यात करने के लिए कृषि सम्बन्धी एवं उनके परिष्करण के लिए बुनियादी जरूरतों के लिए योजनाएं बनाना एवं उनकी क्रियान्विति किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए आलू के बीज की उत्तम किस्म को तेजी से खोज करके उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि अन्तर्राष्ट्रीय विशिष्टता सुनिश्चित की जा सके। इस तरह के चहुंमुखी कदम उठाने से आलू उत्पादकों को स्थिर कीमत मिल सकेगी। कृषि आधारित उद्योगों की योजना न सिर्फ आलू तक ही सीमित हों अपितु इसी तरह के अन्य खाद्य पदार्थों एवं फल आदि के लिए भी निर्धारित की जानी चाहिए ताकि किसानों को लाभदायक मूल्य मिल सकें। परन्तु इन सबसे पहले

[श्रीमती शीला दीक्षित]

इस तरह के उपाय भारत की कृषि सम्पदा के विकास एवं संरक्षण के लिए करना जरूरी है।

श्री उत्तम राठौड़ (हिंगोली) : मैं कुछ एक मुद्दे ही उठाना चाहता हूं। मैं लम्बा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि कृषि मूल्य आयोग के नामकरण में परिवर्तन करने के बाद क्या मूल्यों को निश्चित करने की प्रक्रिया में कोई परिवर्तन किया गया है। यदि हां, तो वह परिवर्तन क्या है ? महोदय, मूल्य निर्धारित करते समय मेरे विचार से पहले वाला कृषि मूल्य आयोग कृषि निवेश में हुई वृद्धि और बढ़ती मजूरी के मुद्दों पर विचार नहीं करता था। वह इस बात की भी उपेक्षा करते हैं कि किसान को शुष्क क्षेत्र में कपास उगाने के लिए कितना जोखिम उठाना पड़ता है। मैं पिछले कई वर्षों से इस बात पर जोर दे रहा हूं कि इस जोखिम को ज्यादा महत्त्व दिया जाना चाहिए तथा इसके लिए कुछ बोनस दिया जाना चाहिए या फिर इसे मूल्य में शामिल किया जाना चाहिए। परन्तु ऐसा नहीं किया जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसे अब शामिल कर लिया गया है।

कपास का मूल्य निर्धारित करते समय केवल रेशे वाली कपास को ध्यान में रखा जाता है। रेशे की लम्बाई से कपास का मूल्य निर्धारित किया जाता है। मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि हमारे यहां खाद्यान्न तेलों की कमी है। हम इस बात को कैसे भूल सकते हैं कि कपास के बीजों से हमें तेल मिलता है। क्या यह सच नहीं है कि आज हमारे यहां अधिकतर लोग परिष्कृत तेलों का सेवन कर रहे हैं। क्या यह सच नहीं है कि हमारे यहां अधिकतर लोग वनस्पति घी का सेवन करते हैं ? यदि हां, तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि कपास के मूल्य न बढ़े हों ? मैं जानना चाहूंगा क्या सरकार ने इन बातों पर ध्यान दिया है।

महोदय, कपास पर सरकार ने कभी भी ध्यान नहीं दिया है। अगर यह खाद्य फसल के अन्तर्गत आता तो सरकार फसल बीमे का लाभ इसके लिए शुरू करती। महाराष्ट्र सरकार कपास को बीमा योजना के अन्तर्गत लाने की कोशिश कर रही है। मैं जानना चाहता हूं कि कपास को इस योजना में शामिल करने में क्या रुकावट है। आप शुष्क क्षेत्रों में कपास उत्पादकों को संरक्षण क्यों नही प्रदान करते ? इससे उनको मदद मिलेगी। मैं नहीं जानता इसमें सरकार को क्या रुकावट है तथा केन्द्र सरकार क्यों नहीं इसे अपने हाथ में लेती।

कुछ और चीजें ऐसी हैं जिनसे सामान्यतः बाजार में दाम नीचे गिर जाते हैं। कृषि मूल्य आयोग के बाद हमारे यहां विभिन्न चीजों को खरीदने के लिए भिन्न-भिन्न एजेंसियां हैं जैसे भारतीय कपास निगम, राष्ट्रीय पटसन निगम आदि। जब कीमतें समर्थन मूल्य से भी कम हो जाती हैं, तो ये आयोग बाजार मे आकर उन वस्तुओं को खरीद करते हैं। हाल ही में, आन्ध्र प्रदेश के आदिलाबाद स्थान में हुई घटना के बारे में तो आप जानते ही होंगे। वहां पर काफी दंगे हुए क्योंकि खरीददारों के मूल्य समर्थन मूल्य से बहुत ही कम थे। तथा इसे खरीदने के लिए कृषि मूल्य आयोग का कहीं पता न था। मैं नहीं जानता कृषि मूल्य आयोग का गठन किस लिए किया गया था अगर यह उचित समय पर

कार्यवाही ही नहीं कर सकता। कृषि मूल्य आयोग को मालूम होना चाहिए कि फसल की कटाई का समय कब होता है।

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : कृषि मूल्य आयोग को नहीं बल्कि भारतीय कपास निगम को।

सरदार बूटा सिंह : उनके मामले में एन० पी० सी० सी० है तथा आपके यहां ए० पी० सी० सी० का काम था।

श्री उत्तम राठौड़ : मैं नहीं जानता कि भारतीय कपास निगम वहां क्यों नहीं पहुंचा। वास्तव में भारतीय कपास निगम को पहले दिन से ही खरीद करनी शुरू कर देनी चाहिए थी। परन्तु उन्होंने वहां पर दंगे-फसाद होने का अवसर दिया तथा कपास उत्पादकों में असन्तोष उत्पन्न हुआ। महोदय मैं चाहता हूं कि ये चीजें समाप्त हों। सरकार के पास स्थायी तंत्र है तथा ये तंत्र चाहे राज्य सरकार के अधीन हों या केन्द्र सरकार के, उन्हें फसल पैदा होने के पहले दिन से ही खरीद शुरू कर देनी चाहिए। ये मेरे कुछ सुझाव हैं तथा मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकार विभिन्न सदस्यों की बातों पर ध्यान देकर न सिर्फ समर्थन मूल्य के बारे में ही विचार करेगी अपितु हमारी जीवनचर्या अच्छी तरह चलाने के लिए हमें लाभकारी मूल्य दिलाने पर भी विचार करेगी।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : सभापति महोदय, कौनसा सत्र है जिसमें किसानों के बारे में चर्चा नहीं हुई है, यह मुझे बतायें ? हर सत्र में किसानों के कृषि उत्पादन के बारे में घंटों हम चर्चा करते रहे हैं। लेकिन उसका कोई लाभ नजर नहीं आता है। हम और मन्त्री जी यहां पर भाषण देते हैं, उसका समाधान देते हैं, लेकिन जो किसान चाहता है, उसको उसका समाधान नहीं मिलता है। इसके दो कारण हैं।

सरकार किसानों के साथ जुएबाजी खेलती है। किसान और उद्योगपतियों के बीच में जुआ-बाजी खिलाना चाहती है। पिछले वर्ष में 900 रुपये क्विंटल तक का भाव कपास का निकाला गया और आज कोई 200, 300 रुपये भी देने के लिए तैयार नहीं है। कोकोनट के बारे में केरल के भाई ने बताया कि 5 रुपये है उसे एक रुपये को भी लेने के लिए तैयार नहीं है।

इसके दो कारण हैं जैसा गुप्ता जी ने कहा है कि हमारी कोई कृषि नीति नहीं है।

[अनुवाद]

न्यूनतम मूल्य क्या है जिस पर आप खरीद करने जा रहे हैं ?

[हिन्दी]

हमको श्री खुर्शीद आलम खां ने पत्र लिखा है, उसमें बताया है—

[श्री सी० जंगा रेड्डी]

[अनुवाद]

कपास आयोग न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तभी कपास खरीदता है जब कभी भी कपास का मूल्य सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य से नीचे जाने लगता है।

[हिन्दी]

उन्होंने 19 नवम्बर को चिट्ठी लिखी है। अभी आज 1 घंटे पहले वारंगल से मुझे खबर मिली है। हमारे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बाद काटन कार्पोरेशन और गवर्नमेंट आफ इंडिया के एजेन्ट वारंगल पधारे। 19 तारीख को एम० एल० एज० को नोटिस दिया गया और 21 को यहां पर बुलाया गया। उसके क्या समाधान निकले, उसका क्या असर हुआ ? मुझे अभी साढ़े 3 बजे ट्रंक-काल में मैसेज आया है जिसे मैं पढ़कर सुनाता हूं।

[अनुवाद]

लम्बे रेशे 485 रुपये प्रति क्विंटल।

[हिन्दी]

अच्छा कपास है, यह क्या फिक्स किया आपने, यही तय किया है। 21 को वह गये और 25 तारीख का मैं बता रहा हूं। ज्यादा से ज्यादा यह 485 रुपये है और वहां के व्यापारी 494 पर खरीदने के लिये तैयार हैं।

हमारी काटन कार्पोरेशन व्यापारियों की रिस्क पर आती है। व्यापारी और यह दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि वारंगल की मार्केट में आज तक 3 लाख 7 हजार क्विंटल कपास आई है। इसमें काटन कार्पोरेशन ने कितनी खरीदी। यहां श्री खुर्शीद आलम साहब नहीं हैं, वह सुनकर परेशान हो जायेंगे कि किसान को किस प्रकार दबा रहे हैं—

[अनुवाद]

35,000 क्विंटल। यह 10 प्रतिशत से कम है।

[हिन्दी]

काटन कार्पोरेशन में यह हालत है और जूट कार्पोरेशन की भी वही हालत है। अपने मित्रों ने बताया कि बंगाल और उड़ीसा में जो जूट कार्पोरेशन के लोग हैं वह व्यापारियों से मिले हैं, इसलिये वह खरीद नहीं हो सकी। वह खरीद नहीं कर पा रहे हैं। हमारे मित्र केरल के कोकोनट की बात करते हैं। आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र जहां पर कपास होता है, वहां के लोग कपास के बारे में

बोलते हैं। इसका कोई कारण नहीं दीखता है। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि सपोर्ट प्राइस फिक्स करते समय हमारी बातों का ध्यान रखते हैं? आप कहते हैं हम लेबर को ले रहे हैं लैंड का किराया ले रहे हैं, तमाम मिलाकर दे रहे हैं। मगर रिस्क को क्यों नहीं ले रहे हैं? ठीक है, किसान के उत्पादन के भाव आप इस तरह फिक्स करते हैं। लेकिन जो सीमेंट उत्पादन करता है, उसका 50 के०जी० के बैग का भाव कौन तय करता है? उद्योगपति करता है। मगर किसान अपने उत्पादन का भाव नहीं तय कर सकता है। स्टील का भाव कौन तय करता है? उद्योगपति करता है। तो दोनों में कोई तालमेल होना चाहिए। ठीक है, आप लोग केवल किसान के उत्पादन के खर्चे को लगा रहे हैं, उसकी रिस्क को नहीं लगा रहे हैं। उसको जो इनपुट्स चाहिए, उनके भाव भी देखने चाहिए। उसको कपड़ा चाहिए पहनने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए चाहिए, कुवां खोदता है और वह गिर जाता है, ढह जाता है तो उस को सीमेंट से उसे बांधना पड़ेगा। इन सारी चीजों को आप ध्यान में नहीं लेते हैं।

मेरा कृषि मन्त्री महोदय से निवेदन है कि यहां पर 80 प्रतिशत से ज्यादा मेम्बर किसान के बेटे हैं, मगर किसान के बारे में नहीं सोचते हैं। हम उपभोक्ता के बारे में सोचते हैं। हमेशा कन्ज्यूमर के बारे में हम लोग सोचते हैं। अभी हमारे मित्र बता रहे थे कि अगर कृषि का उत्पादन कम हो गया तो इंफ्लेशन बढ़ेगा। फसल अच्छी हो गई तो देश की नेशनल वेल्थ बढ़ जायेगी। कृषि का उत्पादन ही नेशनल वेल्थ को आगे बढ़ाने वाला है, इंडस्ट्रियल उत्पादन से नेशनल वेल्थ नहीं बढ़ेगा। आप देखें मिर्च अभी कल तक 15 सौ रुपये तक बिक रही थी, आज एक हजार हो गई है। मिर्च की हालत देखिए, जूट की हालत देखिए, ताड़ी की हालत देखिए। ताड़ी तो 180 रुपये में खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं है। 2 रु०प्रति के०जी०के भाव भी उसका नहीं मिलता है। कम्पीटीशन में जाकर वह 185 रु०प्रति क्विंटल में बेचते हैं। मैं चाहता हूं कि आप हमारा धान जहां भी जाये वहां जाने की इजाजत दीजिए। पंजाब का किसान चाहे तो अपना माल आंध्र में भेज सके। आन्ध्र का जहां भेजना चाहे हवां भेज सके। आप इसको क्यों रोकते हैं? जोनल सिस्टम निकालिए। केवल किसान के लिए ही आप यह रोक लगाते हैं। आप उद्योगपतियों के बारे में यह नहीं लगाते हैं। बम्बई का कपड़ा पूरे देश में आता है, अहमदाबाद का पूरे देश में आता है। अगर हम वहां रेस्ट्रिक्शन लगाएं तो क्या हालत होगी? कृषि मंत्री जानते हैं कि जनता सरकार ने जोनल सिस्टम को निकाला, उस समय 6 रुपये किलो बम्बई में चावल मिलता था और आन्ध्र में 2 रुपये किलो मिलता था, जब यह जोनल सिस्टम निकाला तो दोनों के बीच में 3 रुपये किलो का भाव आ गया। तो इस तरह की चीज होनी चाहिए। आन्ध्र सरकार ने तेल पर रोक लगा दिया। ग्राउंड नट आयल वहां के लोग इम्पोर्ट नहीं कर सकते। हिन्दूपुर मार्केट में 3 सौ रुपये भाव रहता है तो बाजू के मार्केट में 5 सौ रुपये रहता है। किसान देखता है यह क्या हो रहा है? इसके लिए मैं आप से यही कहूंगा कि आप मिनिमम प्राइस फिक्स करते समय उसके इनपुट्स के बारे में सोचें और जो आवश्यक वस्तुएं किसान के उपयोग में आने वाली होती हैं चाहे वह ट्रैक्टर हों, चाहे आयल इंजन वगैरह हों, इन सारी चीजों का ख्याल रखना चाहिए।... (व्यवधान) ...मैं एक मिनट में समाप्त करता हूं।

[श्री सी० जंगा रेड्डी]

[अनुवाद]

1984-85 के दौरान कपास मौसम में विभिन्न किस्म के कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य 327 रु० (छोटे रेशे वाली किस्म के लिये) से लेकर 900 रुपये (लम्बे रेशे वाली किस्म के लिये) प्रति क्विंटल है।

[हिन्दी]

इसका क्या किया आपने ? इस साल दो परसेंट बढ़ाया। सीमेंट का भाव 20 परसेंट बढ़ गया। इस्पात का भाव 25 प्रतिशत बढ़ गया। कपड़ा कपास से बनता है। किसान कपास बेचता है और कपड़ा लेता है लेकिन कपड़े की कीमत बहुत ज्यादा होती है। किसान आलू बेचता है और आलू चिप्स बहुत मंहगे खरीदता है। किसान टमाटर एक रुपया किलो बेचकर टोमैटो केचप 6 रुपए बोतल खरीदता है। आखिर इसका मतलब क्या है। इसका अनुपात तय करना है।··· (व्यवधान)··· मैं यही कहना चाहता हूं कि सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए और एक नीति निर्धारित करके मार्च के महीने में ही अगली फसल के लिए सरकार क्या दाम देना चाहती है, वह डेक्लेयर कर देना चाहिए। काटन कार्पोरेशन और आपके बीच में कोई तालमेल नहीं है। कृषि मन्त्री और कामर्स मन्त्री के बीच में पूरा तालमेल रहना चाहिए। कृषि मन्त्री तो दाम फिक्स कर देंगे लेकिन कामर्स मन्त्री उस पर लेते नहीं हैं इसलिए दोनों के बीच में एक मशीनरी होनी चाहिए और पूरा ताल-मेल रहना चाहिए। (व्यवधान) मैं समाप्त कर रहा हूं।

कालिंग अटेन्शन मोशन के समय मैंने आंकड़े बताए थे। 21 तारीख को टीम गई और उसके बाद यह पत्र मुझे मिला है। जैसा कि आप स्वयं जानते हैं कि किसान इस देश की बैकबोन हैं और अगर बैकबोन ही टूट गई तो देश की क्या दशा होगी, इसका अनुमान आप स्वयं लगा सकते हैं। आपको हाई टेक्नालाजी के द्वारा सिंथेटिक चावल और गेहूं का उत्पादन करना पड़ेगा और टाटा जैसे उद्योग-पतियों का प्रभाव और बढ़ेगा। इसलिए किसानों की भलाई चाहने वाली सरकार किसानों के हित को ध्यान में रखकर आवश्यक कदम उठाए तभी इस देश की भी भलाई हो सकेगी। मेरा माननीय कृषि मन्त्रीजी से अनुरोध है कि वे नीति निर्धारित करके मार्च में ही अगली फसल के दाम डिक्लेयर कर दें। साथ ही साथ सारे सपोर्ट मूल्य में अमल करने के लिए एक ही मशीनरी होनी चाहिए तथा आपस में वाणिज्य तथा कृषि मन्त्रालय में पूरा ताल-मेल रहना चाहिए।

[अनुवाद]

डा० के० जी० अदियोडी (कालीकट) : आज दूसरा दिन है जब हम इस सम्मानीय सदन में कृषि फसलों की कीमतों में अभूतपूर्व गिरावट पर चर्चा कर रहे हैं। इससे ही पता चलता है कि समस्या की गम्भीरता असहनीय है। पटसन, कपास, नारियल, काफी, इलायची तथा धान आदि इससे

प्रभावित हैं। इनके उत्पादकों को लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है। नारियल तेल के बारे में कोचीन तेल केन्द्र (आयल एक्सचेंज) के मूर अधिवेशन में 11 नवम्बर, 1985 को 1509.25 रु० प्रति क्विंटल दाम बताये गये थे तथा इसका बाजार भाव 1500 रुपये प्रति क्विंटल था। पिछले वर्ष इसका मूल्य 3601/- रुपये प्रति क्विंटल था और अब यह घटकर 1509/- रुपये रह गया है। यह नारियल के तेल का भाव है परन्तु कच्चे नारियल का भाव पिछले वर्ष 3150 रुपये प्रति हजार था और इस समय इसका दाम 1000 तथा 1200 रुपये है। अन्य पड़ोसी राज्यों की तुलना में केरल में भी इसका उत्पादन कम किया जा रहा है। कर्नाटक तथा तमिलनाडु में एक पेड़ से 60 नारियल मिलते हैं परन्तु केरल में इनकी संख्या सिर्फ 35 नारियल प्रति पेड़ है। केरल में मजदूरी में तिगुनी वृद्धि हुई है। कर्नाटक तथा तमिलनाडु में श्रमिकों को 7 से 10 रुपये मिलते हैं जबकि केरल में 25 से 30 रुपये मिलते हैं। उत्पादन एकदम आधा है। अतः ऐसी हालत में जबकि कच्चे नारियल की कीमत 1 रुपया 20 पैसे है केरल के मध्यम दर्जे के एवं सीमान्त किसान अपने नारियल बेचने में असमर्थ हैं। व्यापारी इन नारियलों को खरीदने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। मध्यम एवं सीमान्त किसानों के लिए उनका संरक्षण एवं संसाधन करना मुश्किल है। अतः केरल की सम्पूर्ण कृषि अर्थ-व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गई है। ऐसा ही कॉफी उत्पादकों के साथ है। पिछले वर्ष कॉफी, तम्बाकू आदि के निर्यात से हमें 83.42 करोड़ रुपये निर्यात शुल्क के रूप में मिले। 83.42 करोड़ रुपये में से अकेले कॉफी का निर्यात शुल्क 64 करोड़ रुपये था। आजकल 15 वस्तुओं पर निर्यात शुल्क खत्म हो गया है परन्तु काफी पर नहीं हुआ है! काफी पर निर्यात शुल्क न लगाने के कई वैध कारण हैं क्योंकि कुछ देशों में काफी के कुल उत्पादन का तीसरा भाग अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में 38 से 40 प्रतिशत की छूट पर बेचा जाता है तथा कृषकों को लाभकारी मूल्य अभी भी प्राप्त नहीं होते हैं। इस वर्ष भी खूब फसल पैदा हुई है जिससे काफी उत्पादकों को और अधिक नुक्सान होगा। तथा नारियल तेल के बारे में एक अनोखी चीज है कि नारियल के तेल के लिये सही दाम सुनिश्चित करने में न तो वित्त मन्त्रालय तथा न ही वाणिज्य मन्त्रालय समर्थ नहीं है। मुझे बताया गया है कि कलकत्ता में ओ०जी०एल० के तहत नारियल के तेल का आयात किया जा रहा है या तेल की कुछ मात्रा को आयात किये जाने की अनुमति दी हुई है। इसके लिये वित्त मन्त्रालय ने कुछ फायदे प्रदान किये हैं। वहां पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। मुझे बताया गया है कि वहां पर किसी भी वस्तु के आयात पर किसी तरह का भी प्रतिबन्ध नहीं है। अतः इस लाभ के लिये नारियल के तेल का आयात किया जाता है तथा साबुन बनाने वाली कम्पनियों को इसकी बिक्री की जाती है तथा नारियल के तेल की आपूर्ति नेपाल को किये जाने के लिये इनके आयात करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यह कलकत्ता में आयात किया जाता है और नेपाल भेजा जाता है। मैं जानना चाहता हूं क्या नारियल के तेल के आयात में अत्यधिक वृद्धि हुई है यदि हां, तो नारियल के तेल का आयात बन्द करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं।

दूसरी बात यह है कि नारियल तथा इसके तेल की खरीद के लिए विपणन एजेन्सी अत्यन्त आवश्यक है। सरकारी तौर पर, केरल सरकार ने वहां के किसानों की मदद के लिए लगभग 22 करोड़ रुपये खर्च कर दिये हैं। परन्तु इससे सिर्फ व्यापारियों को ही फायदा हुआ है, उत्पादकों को नहीं। मध्यम दर्जे के एवं सीमान्त किसान इस स्थिति में नहीं हैं कि वे नारियल या इसके तेल को उचित मूल्य पर बेच सकें। यह केरल की स्थिति है तथा मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे केरल

[डा० के० जी० अदियोडी]

के किसानों तथा वहां के लोगों की दुर्दशा को कम करने के लिए तुरन्त कदम उठायें।

[हिन्दी]

श्री प्रकाश बी० पाटिल (सांगली) : सभापति महोदय, छोटे-छोटे किसानों को क्लिन कैश क्रेडिट न होने की वजह से अपने खेत में पैदा किए गए सामान को कम दामों पर बेचना पड़ता है। लेकिन सरकार की तरफ से छोटे-छोटे किसानों को क्लिन कैश क्रेडिट की सुविधा नहीं दी जाती है। आप बड़े-बड़े ट्रेडर्स को क्लिन कैश क्रेडिट की सुविधा देते हैं, लेकिन किसान को नहीं देते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि किसान को भी 50,000 रु० तक क्लिन कैश क्रेडिट देना चाहिए। सदन में कई माननीय सदस्यों ने भी कहा है कि फार्मर्स में होल्डिंग कैपेसिटी न होने की वजह से बाजार में अपना सामान कम भाव पर बेचना पड़ता है। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि इस दिशा की ओर वे कदम उठाएं।

जहां तक कॉटन का सवाल है, महाराष्ट्र में मॉनोपोली कॉटन परचेज स्कीम है। पिछले साल सरकार द्वारा 86 लाख क्विंटल कॉटन प्रोक्योर हुआ था और इस साल भी 90 लाख क्विंटल कॉथन प्रोक्योर हो जाएगा, ऐसा अनुमान है। 3 लाख बेल्स एक्सपोर्ट करने के लिए हमने सरकार से परमिशन मांगी थी लेकिन उसमें से केवल 1 लाख 36 हजार बेल्स ही एक्सपोर्ट के लिए एलाट किए हैं। मेरा कहना यह है कि 1 लाख 65 हजार बेल्स और एक्सपोर्ट करने के लिए हमें परमिशन देनी चाहिए।

5.00 म० प०

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमने काटन को प्रोसेस करने के लिए 20 कारखाने खुलवाने के लिए एप्लीकेशन डाली थी लेकिन उसमें से सरकार ने केवल 6 फैक्टरीज के लिए ही परमिशन दी है और 15 फैक्टरीज के लिए परमिशन नहीं दी है। हम सरकार से लोन नहीं मांगते और हमारे जो ऐपेक्स बैंक्स हैं वे लोन देंगे। जो सरप्लस पैसा एपेक्स बैंक्स के पास है, उसको फैक्टरीज में इन्वेस्ट करने के लिए नेबार्ड को मिनिस्टर साहब को कहना पड़ेगा ताकि वे काटन मिल स्टार्ट हो सकें।

हमारे एरिया में वेजीटेबिल्स बहुत ज्यादा होती हैं और वेजीटेबिल्स का दाम अगर गांवों में देखा जाए, तो 1 रुपये के०जी०है लेकिन वही वेजीटेबिल शहर में 6 रुपये के०जी० बिकती है और ऐसा हजारों साल से होता चला आ रहा है। इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन की फैसीलिटीज होनी चाहिए। ट्रेडर्स जो हैं वे पेरिशएबिल गुड्स होने की वजह से कम भाव पर प्रोड्यूसर्स से माल ले लेते हैं और कोल्ड स्टोरेज न होने की वजह से उनको कम भाव देते हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार इसके लिए कोई इन्फास्ट्रक्चर तैयार करे और कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था करे ताकि उसको ज्यादा भाव मिल सकें।

हमारे एरिया में अंगूर बड़ी तादाद में होता है और मैंगो और औरेंज भी बहुत होता है और अच्छा फ्रूट होने की वजह से एक्सपोर्ट की बड़ी डिमान्ड है लेकिन हमारे यहां एयर ट्रान्सपोर्टेशन की

सुविधा नहीं है। और वह सुविधा वहां के लोगों को मिल जाती है, तो माल का रेट कम हो जाएगा और इन्टरनेशनल मार्केट में हमारा फ्रूट अच्छी तरह से जा सकेगा।

हमारे महाराष्ट्र में इरीगेशन की फैसीलिटीज 12 परसेन्ट एरिया में ही हैं। इसका मतलब यह है कि 1/8 इरिया में एरीगेशन की सुविधा है। जब हम रिमेनिंग अनइरीगेटेड एरिया में क्रोप तैयार करते हैं, तो उसमें फायदा नहीं होता है। केवल 1/8 एरिया में हम कैश क्रोप ले सकते हैं और उसमें ही फायदा होने वाला है और ड्राई लैंड फार्मिंग में हमको बड़ा नुकसान होता है। एक बात यह है कि सरकार ने रेस्ट्रिक्शन डाली है कि जो इरीगेटेड एरिया है, उसमें पर्टीकुलर परसेन्ट तक ही आप कैश क्राप कर सकते हैं। यह जो रेस्ट्रिक्शन है, इसको उठाना चाहिए। इससे जो लास फारमर्स को होता है, वह कम हो जाएगा।

एक बात मैं यह और कहना चाहता हूं कि सरकार को इन्फ्रास्ट्रक्चर फैसीलिटीज तैयार करनी चाहिए। गोडाऊन, कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। इसके अलावा ट्रान्सपोर्ट की अच्छी सुविधाएं होनी चाहिए और मार्केटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए और एक्सपोर्ट करने की फैसीलिटीज होनी चाहिए। इन सभी चीजों में फारमर्स का मैनेजमेंट में हिस्सा होना चाहिए, एफ० सी० आई० और एस० टी० सी० को सपोर्ट करने के लिए फारमर्स की कन्सलटेटिव कमेटी होनी चाहिए। एफ० सी० आई० और एस० टी० सी० में काम करने वाले लोग फाइनेन्शियल एडवाइजर्स होते हैं और आफिसर होते हैं। उसमें ज्यादा से ज्यादा फारमर्स को लिया जाए ताकि वे एक्जीक्यूशन को अच्छी तरह से मानीटर कर सकें।

फूडग्रेन्स के बारे में जो पिछले सालों के फीगर्स हैं, उनके बारे में मैं यह बताना चाहता हूं कि 1982-83 में 384 करोड़ रुपये का गेहूं इम्पोर्ट किया गया, 1983-84 में 726 करोड़ रुपये का इम्पोर्ट किया गया और चावल अन्दाजन 833 करोड़ रुपये का इम्पोर्ट किया गया और 1984-85 में गेहूं 130 करोड़ रुपये का इम्पोर्ट किया गया और चावल 224 करोड़ रुपये का इम्पोर्ट किया गया। ये सब चीजें यह दिखाती हैं कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है और इस स्थिति को सुधारना चाहिए। जब तक किसानों को अच्छा दाम नहीं मिलेगा, तब तक किसान अच्छी तरह से प्रोडक्शन नहीं करेगा। और प्रोडक्शन नहीं करेगा। इसलिए सरकार को सोचना चाहिए कि जो हमारी काम करने की पद्धति है उसमें कुछ सुधार हो सकता है या नहीं। इसके बारे में जांच करके या इन्वेस्टीगेशन करके एक अच्छी पालिसी पर विचार किया जाए।

शूगर पालिसी के बारे में देखा जाए। अपने शूगर की पर रिकवरी के ऊपर 16.5 रुपये रेट दिया है। उसी की वजह से फार्मर्स ने आसानी से शूगरकेन बोया। अगर आप पहले से उसे रेट देने के बारे में बता देंगे तो फार्मर्स आप जितना चाहेंगे उसे उगा सकता है।

[अनुवाद]

श्री अमर राय प्रधान (कूच बिहार) : माननीय सभापति महोदय, कुछ दिन पहले हमने

[श्री अमर राय प्रधान]

आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमतों पर इस सम्मानीय सदन में चर्चा की थी और अब हम कृषि उत्पादों के दामों में गिरावट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यह बहुत ही दु.ख की बात है कि एक तरफ तो धान के मूल्य गिर रहे हैं तथा दूसरी ओर चावल की कीमतें बढ़ रही हैं। गन्ने की कीमत कम हो रही है तथा चीनी के दाम ऊंचे हो रहे हैं। यह हमारे देश का दुर्भाग्य है तथा यह भी दुर्भाग्य है कि जो किसान धान, गेहूं, पटसन, गन्ना, कपास तथा नारियल की खेती अपने खून-पसीने से करते हैं उन्हें लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है। दूसरी ओर, यह भी कहा जा सकता है कि कृषि निवेश की वस्तुओं जैसे कि उर्वरक, कीटनाशक, डीजल, मिट्टी का तेल, सिंचाई करने के लिए पानी, विद्युत, औजार, बीज आदि की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है। मुख्य प्रश्न अन्तरिम सहायता देने का नहीं है। पटसन उत्पादकों को 25 रुपये बोनस देने का प्रश्न नहीं है। यह तो आर्थिक नीति का प्रश्न है जिससे देश की यह हालत हुई है। अगर आप 1980-81, 1981-82, 1982-83 की रिपोर्टों को देखें तो कृषि निवेश की वस्तुओं जैसे कि उर्वरक, विद्युत, बीज आदि की कीमतें 83 प्रतिशत से 151 प्रतिशत तक बढ़ गई हैं परन्तु कृषि उत्पादों की कीमतें औसतन 27 से 38 प्रतिशत तक ही बढ़ी हैं। इसका अर्थ हुआ कृषकों को 56 प्रतिशत का नुकसान। इसके अतिरिक्त व्यापार में यह हमेशा देखा गया है कि कृषि एवं उद्योग की तुलना में कृषि क्षेत्र हमेशा ही नुकसान में रहता है।

यदि आप रिजर्व बैंक के आंकड़ों को देखें तो आप पाएंगे कि 1980-81 से 1982-83 की अवधि में किसानों द्वारा जो माल बेचा गया था उसके दिसम्बर 1983 में सूचकांक आंकड़े 218 हैं जबकि किसानों द्वारा खरीदे गये औद्योगिक सामान के सूचकांक आंकड़ें 267 है। इसका मतलब यह हुआ कि कृषक ने जो प्राप्त किया उसकी अपेक्षा उसे उद्योग को 49 प्रतिशत और अधिक देना पड़ा, पूरे देश में यही दुखांत स्थिति है। हमारा देश कृषि प्रधान है और इसलिए हमारी जनसंख्या का बड़ा भाग अर्थात् कुल जनसंख्या का 75 प्रतिशत आपकी आर्थिक नीति के कारण बहुत दुख झेल रहा है। लेकिन पूंजीवादी समाज में आप सब कुछ मांग और पूर्ति नियम द्वारा निर्धारित नहीं कर सकते हैं। इस समय हम अपनी अर्थव्यवस्था को टाल नहीं सकते हैं जिसे हम मिश्रित अर्थ व्यवस्था कहते हैं परन्तु जो वास्तव में पूंजीवाद अर्थव्यवस्था है जिनका नियन्त्रण बहुराष्ट्रिक कम्पनियों द्वारा किया जाना है। बहुत समय पहले इन कृषि मूल्यों के सम्बन्ध में राष्ट्रीय कृषि सहकारिता विपणन संघ ने एक चेतावनी दी थी। मैं उसे उद्धृत करता हूं :

> "यह देखना होगा कि जब कभी भी उत्पादन में वृद्धि होती है तो इसके परिणामस्वरूप मूल्यों में अनुपात से अधिक गिरावट होती है। यदि इस स्थिति को जारी रखने की अनुमति दी जाती है तो यह या तो राष्ट्रीय उत्पादन पर प्रभाव डालेगा या पूरी तरह से कृषि उत्पादन में सुधार लाएगा।"

लेकिन वस्तुतः इससे दोनों हानिकर प्रभाव हुए हैं और हम इससे इन्कार नहीं कर सकते हैं।

अब मैं पटसन की बात करना चाहूंगा क्योंकि मैं पटसन पैदा करने वाले क्षेत्र से हूं। यह हालांकि सही है कि आपने कच्चे पटसन की खरीद शुरू की है लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि आपने

इसकी खरीद देर से शुरू की है। आपको जानकारी होनी चाहिए कि असम, मेघालय तथा बंगाल के क्षेत्रों में पटसन जून के महीने में आ जाती है। आपने इसे उस समय नहीं खरीदा था। उस समय आपने कृषकों और पटसन उत्पादकों को बिचौलियों, जमाखोरों तथा मिल मालिकों की मर्जी पर छोड़ दिया था। आपने उसके बाद केवल जुलाई महीने के आखिर में कच्चे पटसन की खरीद शुरू की थी। उत्पादकों को अपनी उपज 180 या 190 रुपये प्रति क्विटल की दर पर बेचनी पड़ी।

आपने गेहूं की डब्ल्यू० एस० किस्म के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 223 रुपये की घोषणा की थी। आपने 25 रुपये के बोनस की भी घोषणा की थी। मैं यह अवश्य कहूंगा कि यह सब कुछ अगस्त महीने के अन्तिम सप्ताह में हुआ है। इन छोटे किसानों के पास अनाज को सुरक्षित रखने की कोई क्षमता नहीं है। अतः आपकी देर से होने वाली घोषणा ने इन्हें बिचौलियों तथा जमाखोरों की दया पर छोड़ दिया है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि कृषि उत्पादन के मामले में चाहे यह पटसन, धान, गेहूं, कपास या गन्ना हो, आपको उनके समर्थन मूल्य की इन्हें बोने से पहले ही ठीक समय पर घोषणा करनी चाहिए। केवल तभी किसान न्यायिक रूप से यह निर्णय कर पाएंगे कि किस विशेष फसल को कितना समय देना चाहिए।

चूंकि कृषि मूल्य आयोग के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, इसलिए मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा सिवाए इसके कि कुछ माननीय सदस्यों ने इसे बहुत खर्चीला कहा है। बल्कि मैं कहता हूं कि बहुत मुफ्तखोर हैं। मैं इसे यह इसलिए कहता हूं क्योंकि कृषि माल के मूल्य का निर्धारण करते समय उत्पादन लागत पर भी ध्यान नहीं दिया जाता। यदि आप जुताई, बुआई, मिलाना, कटाई, पानी देना, काटना तथा सुखाना आदि कार्यों को लें तो उत्पादन की कुल लागत कम से कम 500 से 600 रुपये प्रति क्विटल आती है, लेकिन कृषि मूल्य आयोग ने केवल 223 रुपये प्रति क्विंटल की घोषणा की है। क्या किसी भी हिसाब से यह लाभकारी मूल्य है? किसानों को अपनी उत्पादन की लागत भी नहीं मिलती है। 1977-78 की सार्वजनिक उपक्रम समिति द्वारा सुझाए गए 447.64 रुपये प्रति क्विटल मूल्य को भी किसानों को नहीं दिया गया है, यदि आप वर्तमान मूल्यों के अनुसार पैसे के मूल्य की गणना करते हो तो यह 600 रुपये से अधिक होना चाहिए। अंग्रेज भी जो भारतीय कृषि का शोषण करते थे, ने 1943 में सुझाव दिया था कि एक मन पटसन दो मन चावल के बराबर है। यदि आप इसके अनुसार गणना करते हो तो इसका मूल्य 800 रुपये प्रति क्विटल आएगा।

इसलिए, मैं कहना चाहता हूं कि कृषि मूल्य आयोग किसानों के लाभ के लिए किसी भी सुझाव के साथ आगे नहीं आया है और सार्वजनिक उपक्रमों सम्बन्धी समिति जैसी समितियों की सिफारिशों पर भी कोई मूल्य आधारित नहीं है। वस्तुतः कृषि मूल्य आयोग साधारण पटसन उत्पादकों की, जो कि वास्तव में मुक्तभोगी है सहायता न करके मिल मालिकों तथा पूंजीपतियों की सहायता कर रहा है। कृषि मूल्य आयोग उनके लिए नहीं है बल्कि यह टाटा और बिरला के लिए हैं।

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : वह बिरला और टाटा के नामों का उल्लेख क्यों करते हैं?

श्री अमर राय प्रधान (कूच बिहार) : लेकिन यह वास्तविकता है। आपकी अर्थ व्यवस्था उन्हें सहायता दे रही है।

कुमारी ममता बनर्जी : वह टाटा और बिरला के नामों का उल्लेख क्यों कर रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : कोई तर्क-वितर्क नहीं।

श्री अमर राय प्रधान : कच्चे पटसन के बारे में मेरा ठोस सुझाव यह है। कच्चे पटसन के बारे में क्या मूल्य होना चाहिए ? इसमें निश्चित रूप से वृद्धि होनी चाहिए। गेहूं की डब्ल्यू 5 की किस्म के लिए इसका न्यूनतम मूल्य 600 रुपये होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री अमर राय प्रधान : आपकी अर्थ व्यवस्था की नीति में पूरी तरह से परिवर्तन होना चाहिए। आपको पटसन उत्पादकों की सहायता से लिए आगे आना चाहिए। सारी पटसन मिलों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। पूरा पटसन व्यापार (निर्यात व्यापार सहित) को सरकार द्वारा अपने हाथ में ले लेना चाहिए। गेहूं की डब्ल्यू 5 किस्म के लिए कच्चे पटसन या न्यूनतम मूल्य 600 रुपये प्रति क्विंटल होना चाहिए। भारतीय पटसन निगम को सारी पटसन खरीदनी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद

उपाध्यक्ष महोदय : मैं चर्चा के बारे में माननीय सदस्यों से एक बात कहना चाहता हूं :

यदि मंत्री जी जवाब देना चाहते हैं तो वह कम से कम 45 मिनट लेंगे।

इस समय 5.15 का समय है माननीय सदस्यों की क्या इच्छा है ? क्या हम इस चर्चा को कल भी करेंगे ?

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी (हिन्दुपुर) : यह अच्छा होगा कि इसे आप कल जारी रखें।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि मन्त्री जी उत्तर देना चाहते हैं तो हमें आज यह चर्चा समाप्त करनी होगी।

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : इसे कल लेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय मंत्री इसे आज समाप्त करना चाहते हैं ?

कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : महोदय, मैं आप पर निर्भर करता हूं। मैं इसे आज समाप्त करना चाहता हूं। फिर भी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण मामले हैं; लेकिन फिर भी जो कुछ आप निर्णय करते हैं उसके द्वारा मैं करने के लिए तैयार हूं। कल की कार्य सूची के बारे में मैं संसदीय मंत्री के साथ इसको देखूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : एक और महत्वपूर्ण चर्चा हम कल नियम 184 के अन्तर्गत लेंगे यह श्री जगमोहन के मामले के बारे में है। यह 4 बजे है।

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : कल श्री जगमोहन के मामले पर कोई चर्चा नहीं है। हम कल 4 बजे के बाद इस पर चर्चा कर सकते हैं। हमारे पास कल के लिए अधिक विषय नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी के पास भी कुछ कार्यक्रम है। यदि सदस्य सहयोग देते हैं तो हम कुछ मिनटों में समाप्त कर देंगे और तब माननीय मंत्री वाद-विवाद का उत्तर देंगे।

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : सभी को अवसर दिया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रत्येक को कुछ मिनट दिए जाएं तथा समाप्त करने की कोशिश की जाए। हम 6 बजे के बाद एक या दो घण्टे तक चर्चा जारी नहीं रख सकते। उपस्थिति बहुत कम है। प्रत्येक व्यक्ति बोलने के बाद सदन से चला जाता है और केवल मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं तथा कोई भी उपस्थित नहीं है। सदस्यों के सहयोग से हम इसे कुछ मिनटों में समाप्त करेंगे तथा मंत्री जी वाद-विवाद पर अपना उत्तर देंगे। मैं माननीय सदस्यों से सहयोग के लिए अनुरोध करता हूं।

अब प्रो० के० वी० थामस!

प्रो० के० वी० थामस (एरणाकुलम) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र में हमने प्राकृतिक विपदाओं पर एक दिलचस्प चर्चा की थी। उस समय, श्री बूटा सिंह जी ने चर्चा का उत्तर दिया था। हम कृषि उत्पादकों के मूल्य पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले समय श्री बूटासिंह जी ने हमारी सहायता की थी। मुझे विश्वास है कि इस समय भी वह हमारी बहुत मदद करेंगे।

महोदय, मैं नारियल उत्पाद के मूल्यों की समस्या तक अपने आपको सीमित रखता हूं। नारियल तेल और नारियल के अन्य उत्पादों के दामों में भारी गिरावट से केरल के नारियल उत्पादकों पर भारी बोझ आ पड़ा है।

मैं उन सुझावों पर आ रहा हूं जिनसे उनकी सहायता की जा सकती है। मैं अन्य ब्यौरों पर नहीं जाता हूं पहला, आन्तरिक खपत को बढ़ाना होगा। हम हमेशा न्यूनतम मूल्य के बारे में बात करते हैं। मेरे पास एक सुझाव है कि न्यूनतम मूल्य एवं हमें अधिकतम मूल्य के बारे में सोचना है क्योंकि इस वर्ष जनवरी में हमारे पास नारियल तेल के लिए अधिकतम मूल्य था। उसका प्रभाव क्या हुआ? केरल के घरों में भी नारियल तेल को उपयोग करने के स्थान पर पाम ताड़ के तेल का उपयोग करने लगे हैं। अतः मेरा सुझाव है कि न्यूनतम मूल्य के साथ-साथ हमें अधिकतम मूल्य के बारे में विचार करना चाहिए। मेरे कुछ साथी नारियल तेल के निर्यात के बारे में बता रहे थे। जैसाकि आप जानते हैं कि यह संभव नहीं है क्योंकि हम फिलीपाइन्स जैसे देशों के साथ मुकाबला नहीं कर सकते हैं।

भारतसरकार द्वारा सहायता देने के बारे में मेरा दूसरा सुझाव है। भारत सरकार हमेशा समय पर सहायता देती है। परन्तु क्या यह सहायता खेतिहर के पास जाती है? यह खेतिहर के पास नहीं

[प्रो० के० वी० थामस]

जाती है। अतः मेरा सुझाव है कि सहकारी क्षेत्र विशेषकर विपणन सहकारी समितियों को प्रेरित किया जाना चाहिए। पहले वनस्पति में हम लगभग नारियल तेल का 10 प्रतिशत उपयोग करते थे जो अब शून्य पर आ गया है। अतः मेरा अनुरोध है कि यह 10 प्रतिशत नहीं होना चाहिए बल्कि आप नारियल तेल के 5 प्रतिशत का उपयोग कर सकते हैं। तब वनस्पति का मूल्य 10 से 15 पैसे तक बढ़ सकता है। वह केरल में नारियल उत्पादकों की सहायता करेगा।

अन्य सुझाव उत्पादन में वृद्धि करना है। अब मुख्य समस्या यह है कि जड़ और तने की बीमारी के कारण केरल में नारियल का उत्पादन गिर गया है यहां सरकार को बहुत कुछ करना है। प्रयोगशाला में नई संकर किस्म का विकास किया गया है लेकिन वे खेतिहर तक नहीं पहुंची है। अतः सरकार को तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए ताकि खेतिहरों को नई संकर किस्में तुरन्त दी जाएं तभी वे और अधिक नारियल का उत्पादन कर सकेंगे। इनसे खेतिहर को सहायता मिलेगी।

धन्यवाद।

*श्री एम० सुब्बा रेड्डी (नन्दयाल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आन्ध्र प्रदेश से आया हूं। कपास, मूंगफली, धान, तम्बाकू और गन्ना मेरे राज्य की मुख्य फसलें हैं जिन्हें वहां उगाया जाता है और इन फसलों को उगाने वाले किसानों की दयनीय स्थिति के बारे में हम उस राज्य से आने वाले सभी सांसद चिन्तित हैं। महोदय, मैं नन्दयाल का प्रतिनिधि हूं जो रायलसीमा में है। यह पूरा क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से सूखा ग्रस्त क्षेत्र है। यहां वर्षा नगण्य है। कृषि प्रयोजनों के लिए के० सी० नदी केवल पानी का साधन है। वहां अन्य सिंचाई सुविधाएं नहीं हैं। इस क्षेत्र में किसान हर प्रकार का कष्ट और जोखिम उठाकर बहुत कम पानी से जो कुओं आदि में उपलब्ध है, कपास की फसल उगाते हैं। प्रत्येक बचे हुए हिस्से में यहां कपास का उत्पादन किया जा रहा है। लेकिन दुर्भाग्य से पिछले दो वर्षों से कपास बिक नहीं पा रही है। पिछले दो वर्षों से उत्पादकों के पास कपास का बड़ा भंडार अनबिका पड़ा है। कपास के मूल्य बहुत अधिक गिर गए हैं। पहले यह 11 रुपये प्रति किलोग्राम था। लेकिन फिर मूल्य 10 रुपये प्रति किलोग्राम गिर गया और फिर 7 रुपये तथा अब स्थिति इस प्रकार की है कि 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर भी खरीदने के लिए शायद ही कोई तैयार हो। चूंकि भंडार में रखने के कारण कपास का रंग तेजी से फीका पड़ता जा रहा है इसलिए बिचौलिए जो न्यूनतम मूल्य पर खरीदते हैं, वे भी खरीदने को तैयार नहीं हैं। मेरे क्षेत्र में कपास उत्पादकों की यह स्थिति है। महोदय, कपास उत्पादकों को प्रति एकड़ कम से कम दो से तीन हजार रुपये तक खर्च करना पड़ता है। उर्वरक तथा कीटमार आदि को खरीदने में अधिक खर्च करने के अलावा जो कि आवश्यक खर्चे हैं, उत्पादकों को कपास का उत्पादन करने के लिए बहुत अधिक जोखिम उठाना पड़ता है। इतने अधिक खर्च, मेहनत और जोखिम के बाद भी कपास उत्पादकों को उनके उत्पादन का लागत मूल्य भी नहीं मिल पाता है। लाभप्रद मूल्य

*तेलुगु में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

की बात तो अलग रही। इसका परिणाम यह हुआ कि पिछले 2 वर्षों से किसानों के पास अनबिका कपास का भंडार जमा हो गया। देश में घरेलू आवश्यकताओं के लिए कपास का उत्पादन पर्याप्त है। परन्तु केन्द्रीय सरकार ने इस तथ्य की उपेक्षा करते हुए कपास की एक लाख गांठों का आयात किया है। किसानों की यह राय है कि कपास के मूल्य में गिरावट का यही मुख्य कारण है। महोदय, तम्बाकू के लिए शायद ही कोई बाजार है। तम्बाकू, जो बीड़ी उद्योग में प्रयोग होता है, का उत्पादन मेरे क्षेत्र में होता है। बिचौलिए और एजेंट जो किसानों से तम्बाकू खरीदते हैं, वे उनको नियमित रूप से पैसा नहीं देते हैं। ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि वे फिर आएंगे। यह तम्बाकू उत्पादकों का भविष्य है। मैं इस पर केन्द्र से अनुरोध करता हूं कि इस क्षेत्र में तम्बाकू उत्पादकों के लिए बाजार की व्यवस्था की जाए। सरकार को यह देखना चाहिए कि तम्बाकू के लिए न केवल बाजार की व्यवस्था की जाए बल्कि किसानों को इसके लिए लाभकारी मूल्य मिलें।

महोदय, धान उत्पादकों की स्थिति भी अन्य किसानों की तरह ही है। देश में भारतीय खाद्य निगम सबसे भ्रष्ट संस्थान है। भारतीय खाद्य निगम के अधिकारी आते हैं और धान तोलते हैं तथा किसानों के घरों के सामने खुले थैलों में उन्हें कई दिनों तक छोड़कर चले जाते हैं। जब वर्षा होती है तो यह अनाज खराब हो जाता है। भारतीय खाद्य निगम के अधिकारी इस अनाज को लेने से तुरन्त मुकर जाते हैं। किसानों की ओर भारतीय खाद्य निगम का यह रवैया है। यह बहुत गंभीर मामला है और सरकार को यह देखना चाहिए कि भारतीय खाद्य निगम के कार्यों में सुधार हो।

गन्ना उत्पादकों की दशा कोई कम दयनीय नहीं है। नन्दयाल में करोड़ों रुपये की लागत से एक चीनी मिल लगाई गई थी। उस क्षेत्र के कई किसानों ने मिल को गन्ने की आपूर्ति करने के लिए उसकी खेती करना शुरू कर दिया। क्योंकि के० सी० नहर में समय पर पानी नहीं मिल सका इसलिए पूरी फसल बुरी तरह प्रभावित हुई। गन्ने की फसल को बहुत भारी नुकसान हुआ है। मिल को बन्द करना पडा। गन्ना उत्पादकों का नुकसान अकल्पनीय है। रायलसीमा क्षेत्र में अधिकतम भूमि सीमा 40 एकड़ निश्चित की गई, लेकिन भूमि के इस टुकड़े के लिए भी पानी मिलना बहुत कठिन है, क्योंकि इस क्षेत्र में जल संसाधन बहुत कम हैं। महोदय मुझे कृपया दो मिनट और दीजिए। कुओं में उपलब्ध थोड़े से पानी का प्रयोग करके इस क्षेत्र के किसान फसलें उगाते हैं। किसान बड़ी मुश्किल से मूंगफली उगाते हैं। लेकिन मूंगफली के लिए भी उचित मूल्य की व्यवस्था नहीं है। जले पर नमक छिड़कने के लिए केन्द्र सरकार बड़ी मात्रा में खाद्य तेल का आयात कर रही है। सरकार की इस गलत नीति के कारण मूंगफली की कीमतें भी बहुत गिर गईं। बहुत कम कीमतों पर भी मूंगफली खरीदने को कोई तैयार नहीं है।

धान उत्पादकों की दशा भी बहुत अच्छी नहीं है। महोदय, सभी कृषि उत्पादों जैसे धान, तम्बाकू, कपास, गन्ना आदि की कीमतें इस सीमा तक गिर गई थीं कि किसानों के पास इस के सिवा कोई चारा ही नहीं रहा कि वे अत्यन्त कम कीमतों पर बेचें। सरकार को स्थिति सुधारने के लिए तुरन्त कदम उठाने चाहिए। महोदय, हम केन्द्र से बार-बार अनुरोध करते रहे हैं कि वह कृष्णा नदी से पानी का अधिक अच्छा उपयोग करने के लिए तेलगू-गंगा परियोजना को स्वीकृति दे दे, लेकिन केन्द्र

[श्री एम० सुब्बा रेड्डी]

सरकार ने इस परियोजना को अभी भी स्वीकृति नहीं दी है। यदि परियोजना को प्रारम्भ किया जाय तो यह क्षेत्र के किसानों को भी लाभ पहुंचायेगी। रायलसीमा की जनसंख्या लगभग 2 करोड़ है। यह एक लम्बे समय से सूखा पीड़ित इलाका है। पीने के पानी के अतिरिक्त, किसान सिंचाई के लिए भी पानी प्राप्त कर सकते हैं। नन्दयाल चीनी मिल को गन्ने की लगातार आपूर्ति करने के लिए गन्ने का उत्पादन सुनिश्चित किया जा सकता है। अत: इस परि- योजना को तुरन्त स्वीकृति दे देनी चाहिए। महोदय, कई दशाब्दी पूर्ण स्वर्गीय पं० नेहरू ने श्री शैलम परियोजना को स्वीकृति दे दी थी। लेकिन इस परियोजना का कार्यान्वियन बहुत धीमी गति से चल रहा है। इसको बिना और देरी के पूरा कर लेना चाहिए ताकि लोगों को लाभ पहुंच सके।

इस आशा के साथ कि केन्द्र सरकार कृषि उत्पादों की कीमतों में भारी गिरावट को रोकने के लिए प्रभावकारी कदम उठाएगी और किसानों को उनके उत्पादों के लिए अधिक अच्छी कीमतें उप-लब्ध करायेगी, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। इस अवसर को प्रदान करने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सी० पी० ठाकुर (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रारम्भ में ही, मैं योजनाकारों, नेताओं और वैज्ञानिकों को बधाई देता हूं कि उन्होंने हमें कई खाद्यान्नों के मामले में आत्म-निर्भर बना दिया है। लेकिन यदि हम 1951 से लेकर अब तक की नीति की जांच करें तो पायेंगे कि कृषि पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है यदि हम कृषि उत्पादों और गैर कृषि उत्पादों के थोक मूल्य सूचकों की तुलना करें तो हम पायेंगे कि 1970-71 को छोड़कर कृषि उत्पादों की कीमतें हमेशा सरकारी आंकड़ों के अनुसार भी बराबरी स्तर से नीचे रही हैं। कृषि समूह की तुलना में व्यापार की शर्तें सदैव निर्माता समूह के साथ रही हैं। 1980-81 में यह 122:200 के अनुपात में थीं। अत: कृषि नीति का पुनर्मूल्यांकन होना चाहिए और आज भारत को जिस चीज की आवश्यकता है वह है एक बिलकुल स्थिर और न्यायपूर्ण मूल्य नीति। नीति का लक्ष्य यह होना चाहिए कि 15 वर्षों तक कृषि का विकास 4 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए। दुर्भाग्य से इस पद्धति में कुछ ह्रास हुआ है और उसे रोका जाना चाहिए।

हमारे पास हरित क्रान्ति से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को रोकने के लिए उच्च प्रौद्योगिकी है। यहां तक कि हरित क्रान्ति का लाभ भी पूरे देश भर में नहीं पहुंच सका है। ये (लाभ) केवल 4 या 5 राज्यों तक ही सीमित है और वह भी कुछ ही प्रकार की फसलों तक। अत: इस नीति का पुनर्मूल्यांकन होना चाहिए। जहां तक कुछ मदों का सवाल है, जैसे तिलहनों का आयात है, हम प्रतिवर्ष तिलहनों का आयात कर रहे हैं। अत:, मेरा सुझाव है कि देश में तिलहनों का उत्पादन बढ़ाया जाए। अपारम्परिक क्षेत्रों, जैसे नारियल की मदों के लिए कुछ राज्य सहायता की व्यवस्था होनी चाहिए जैसा कि केरल के मेरे मित्रों ने सुझाव दिया है। तिलहनों, जैसे नारियल, को भी राज्य सहायता वाली मदों में शामिल किया जाना चाहिए।

जूट का जहां तक प्रश्न है, जूट और जूट उत्पादों का निर्यात कम हो गया है। जैसाकि अन्य माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है। भारतीय जूट निगम को किसानों की सहायता के लिए बड़े पैमाने पर आगे आना चाहिए। इस वर्ष बिहार के पूर्वी क्षेत्र के किसानों में जूट की कीमतों में भारी गिरावट के कारण वास्तव में बड़ी निराशा थी। एक और बात जो भारतीय जूट निगम को देखनी चाहिए वह यह कि किस प्रकार जूट और जूट उत्पादों के निर्यात को बढ़ाया जा सकता है। जूट के गलीचों के निर्यात में कमी आयी है।

हमने खाद्य पर आधारित उद्योगों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है। कई खाद्य पर आधारित उद्योगों का विकास किया जा सकता है। मणिपुर के मेरे विद्वान मित्र ने मक्का का प्रश्न उठाया था। मक्की का प्रयोग तेल के उत्पादन के लिए किया जा सकता है, जिसकी हमारे पास कमी है। हमें इस तरीके पर भी सोचना है।

फलों की बात जहां तक है, पटना में उदाहरणार्थ दीघा आम बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन उन लोगों को पर्याप्त समर्थन नहीं मिल रहा है। फलों के निर्यात को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। एक बार, जब मैं इंग्लैण्ड में था और मैं आम खा रहा था तो मैंने पूछा कि ये कहां से आये तो उन्होंने बताया कि ये इजराइल और कीन्या से आये हैं, भारत से नहीं। अतः कृषि उत्पादों की जो निर्यात संभावनाएं हैं उनका पूरी तरह दोहन और सदुपयोग किया जाना चाहिए।

जहां तक गेहूं के निर्यात का प्रश्न है। अखबारों में इस आशय का एक समाचार था कि हम दूसरे देशों को अपना गेहूं नहीं बेच सके, क्योंकि हम अल्प अवधि में उसे नहीं पहुंचा सके। अतः, इसके लिए भी बुनियादी ढांचे का विकास किया जाना चाहिए।

समय बहुत कम है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अवसर दिया।

उपाध्यक्ष महोदय : अपवाद रूप में मैं कुछ सदस्यों को अनुमति दूंगा। वे केवल अपनी बात रखेंगे लेकिन भाषण नहीं देंगे।

श्री तम्पन थामस

श्री तम्पन थामस (मवेलिकारा) : भारत में एक भण्डारण निगम है जिससे आशा की जाती है कि वह किसानों को समर्थन मूल्य प्राप्त करने में मदद देगा तथा मजबूरन बिक्री को रोकेगा। क्या माननीय मन्त्री इस निगम के कार्यकलापों की जांच करेंगे कि किस हद तक वे किसानों को अपने उत्पादों का उचित मूल्य दिलाने में मदद करते रहे हैं। मैं यह भी कह दूं कि कृषि उत्पादों का भण्डारण करने के बजाय, वे सीमेन्ट और अन्य औद्योगिक उत्पादों का भण्डारण कर रहे हैं। मैं इस बात की ओर इसलिए ध्यान दिला रहा हूं कि सरकार की आर्थिक नीति का दोष स्पष्ट हो जाय, जिसके कारण हम कृषि उत्पादों के लिए उचित मूल्य की व्यवस्था करने की स्थिति में नहीं हैं।

जहां तक कृषि आश्रित उद्योगों का प्रश्न है, मैं पूछना चाहता हूं कि हाल ही के वर्षों में हमने

[श्री तम्पन थामस]

कितने कृषि-आश्रित उद्योग प्रारम्भ किए हैं और हम, इन कृषि उत्पादों का औद्योगिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग करने की दिशा में किसानों की कितनी सहायता कर सके हैं। क्या सरकार ने कृषि उत्पादों का औद्योगिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग हेतु किसानों की सहायता करने के विषय में सोचा है ?

हाल ही में प्रधान मन्त्री ने हमारे राज्य का दौरा किया और हमने उन्हें नारियल की कीमतों में गिरावट के बारे में एक ज्ञापन दिया, और उन्होंने क्या कहा : "आपकी कीमत अन्तर्राष्ट्रीय कीमत से ऊंची है अतः मैं क्या कर सकता हूं ?" यह था वह प्रश्न जो उन्होंने उठाया था। क्या मैं यह प्रश्न पूछ सकता हूं। क्या इस सरकार ने कृषकों को उत्पादन स्तर में कृषि क्रियाओं में राज्य सहायता देकर मदद देने की सोची है, जिससे वे कम लागत पर उत्पादन कर सकें। कृषि क्रियाओं में राज्य सहायता देने के बजाय, वे जो कुछ कर रहे हैं वह यह शिकायत कर रहे हैं कि हमारी कीमत अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से ऊंची है।

वे खाद्य तेल और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं का बाहर से आयात कर रहे हैं। वे उचित दर की दुकानों के माध्यम से पाम (ताड) का तेल आबंटित कर रहे हैं; वे उचित दर की दुकानों के माध्यम से राशन कार्ड धारकों को क्यों नहीं नारियल का तेल आबंटित करते हैं और इस प्रकार देशी बाजार का विकास क्यों नहीं करते हैं।

अतः, जब तक वे आर्थिक नीति का पुनरीक्षण नहीं करते हैं, ये विरोधाभास जारी रहेंगे।

ये ही वे बातें हैं जिन्हें मैं उठाना चाहता था।

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : महोदय, गन्ने, कपास और अन्य फसलों के विषय में किसानों की जो मुश्किलें हैं, उन्हें मेरे मित्रों द्वारा पहले ही समझाया जा चुका है। समय की कमी के कारण, मैं केवल केरल में नारियल उत्पादकों की कठिनाई के विषय में ही कहने को विवश हूं। केरल में नारियल गरीब से गरीब आदमी का भी धन है। 50 प्रतिशत से भी अधिक नारियल उत्पादकों के पास केवल 5 सैण्ट या 3 सैण्ट या उससे भी कम जमीन है। उनका एक छोटा सा निवास स्थान है और उसके चारों ओर थोड़े से पेड़ हैं—यही उनकी सम्पत्ति है। जब उनके पास काम नहीं होता है तो उन्हें नारियल के पेड़ों पर आश्रित होना पड़ता है, वे कुछ नारियल तोड़ के बेच देते हैं और इस प्रकार अपनी आजीविका चलाते हैं।

यदि नारियल की कीमतों में गिरावट आती है तो सारे राज्य की अर्थव्यवस्था समाप्त हो जाती है। गरीब से गरीब आदमी मुसीबत भुगत रहा है। मैं निम्न सुझाव देना चाहूंगा।

(a) नारियल को तिलहन घोषित किया जाए और तिलहनों को दी गई रियायतें नारियल को भी दी जाय।

(b) नारियल का लाभकारी मूल्य, जो कि 3 रुपये प्रति नारियल से कम न हो, दिया जाय।

(c) नारियल तेल का वैकल्पिक प्रयोग जैसे व्यापारिक प्रयोग खोजा जाय।

(d) ताड के तेल का आयात सीमित किया जाय। क्योंकि 60 प्रतिशत नारियल तेल खाद्य तेल के रूप में प्रयोग किया जा रहा है तो ताड़ के तेल का आयात प्रतिबन्धित किया जाना चाहिए और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित किया जाना चाहिए। महोदय इन सुझावों के साथ ही मैं समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : समय बहुत कम दिया है। मैं चाहता हूं कि दो-तीन प्रश्नों का जवाब सरकार की तरफ से दिया जाय। पहला प्रश्न यह है कि जो किसान के उत्पादन के मूल्यों में गिरावट हुई है उसका क्या कारण है ? आपके द्वारा जो मूल्य घोषित किया जाता है वह एक साल तक टिक नहीं पाता है। जो इंडस्ट्रियल गुड्स हैं उनके मूल्य जो उनके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, उनके भाव में बराबर बढ़ोत्तरी ही होती है, कभी गिरावट नहीं आती है। आज तक यह देखा गया है कि उनके भाव में जो बढ़ोत्तरी हुई है उसमें भी कभी गिरावट नहीं हुई है। लेकिन किसान के उत्पादन का मूल्य कभी 8 दिन में बढ़ गया तो कभी घट गया। इसका क्या कारण है ?

बाजार को कायम रखने के लिए तीन निगम बनाए हैं, भारतीय खाद्य निगम, भारतीय जूट निगम और कपास निगम। इनका काम है मार्किट को ठीक रखना। अगर ये निगम ठीक काम करते तो भाव इस तरह से नहीं गिरते। आपके द्वारा समर्थन मूल्य जो घोषित किया जाता है उस पर वह चीज बिकती। लेकिन वह नहीं होता। हम यह नहीं चाहते हैं कि मूल्य में बढ़ोत्तरी हो। लेकिन जो मूल्य निर्धारित करते हैं आप, उस मूल्य पर किसान का उत्पादन बिकना चाहिए। ऐसी स्थिति में आप दोनों के उत्पादन की वस्तुओं के भावों का मूल्यांकन कीजिए और इस बात को देखिए कि किसान अपनी चीजें बेचकर अपने जरूरत की दूसरी चीजें खरीद सके। उसमें उसको कठिनाई न आए।

अन्त में मैं यही कहूंगा कि आपकी यह जो एक अलग व्यवस्था चल रही है, यह आपकी व्यवस्था को रहने नहीं देगी, उसे चरमरा देगी।

श्री कमोदी लाल जाटव (मुरैना) : सदन में काफी चर्चा इस पर हो चुकी है। मैं अधिक नहीं कहूंगा। हमारे पांच प्रदेशों में सरसों का बहुत उत्पादन होता है। हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। लेकिन सरसों के भाव जो आज नीचे जा रहे हैं, उस पर सदन में चर्चा नहीं हुई। पिछले साल सात सौ-आठ सौ रुपये क्विंटल में सरसों बिक रही थी, आज चार सौ रुपये

[श्री कमोदी लाल जाटव]

क्विंटल बिक रही है। मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि मंत्री महोदय सरसों का भाव जो नीचे जा रहा है उस पर विचार करें।

[अनुवाद]

डा० ए० के० पटेल (मेहसाना) : श्रीमान्, इस सदन में कम से कम दो दिनों से मेरे सभी सहकर्मी और मित्र कृषि उत्पादों के लाभकारी मूल्य के बारे में बहस कर रहे हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि इस देश में किसान बुरी तरह उपेक्षित है और क्योंकि किसान संगठित नहीं हैं, वे अपने उत्पादों का उचित मूल्य नहीं पाते हैं।

मेरे लगभग सभी सहकर्मी और मित्र एक मत से वही बात कह रहे हैं कि किसान की दशा दिन पर दिन खराब होती जा रही है और इसलिए समय आ गया है कि ऐसी नीति तय की जाय, जिससे किसान उचित मूल्य प्राप्त कर सकें। किसान सबसे बड़ा उपभोक्ता है, और यदि किसान की आर्थिक दशा अच्छी होगी तो पूरी अर्थव्यवस्था में सुधार हो जायेगा। किसान अपना उत्पादन कम कीमत पर देने को तैयार है, बशर्ते इन उत्पादों की उत्पादन लागत भी कम हो। इसके लिए सरकार को किसान को सुविधाएं देनी चाहिए। ताकि वह उस वस्तु का उत्पादन कर सके। जिसे आवश्यक हो तो कम कीमत पर दे सके।

जैसाकि आप देखते हैं, और जैसा कि मेरे बहुत से मित्रों ने कहा है पानी, सिंचाई और बिजली बहुत महंगे होते जा रहे हैं। सरकार को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए सुविधाएं देनी चाहिए। चाहे वह नहरों से हो या अन्य साधनों से। किसान को एक न्यूनतम समर्थन मूल्य का आश्वासन दिया जाना चाहिए, ताकि वह कम से कम उत्पादन लागत वसूल कर सके। आपको मालूम है कि किसान को उसके परिवार के सदस्यों द्वारा खेती में की गई मेहनत के बदले कुछ नहीं मिलता। उन्हें न्यूनतम मूल्य भी नहीं मिलता। अतः मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि एक ऐसी नीति का निर्माण किया जाए जिससे किसान अपने उत्पाद का उचित एवं लाभकारी मूल्य प्राप्त कर सके।

धन्यवाद।

श्री के० मोहनदास (मुकुन्दपुरम) : केरल नारियलों की भूमि है और इसकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से इस पर आश्रित है। कहने की आवश्यकता नहीं कि नारियल की कीमतों में गिरावट की प्रवृत्ति उत्पादकों पर बुरा प्रभाव डालेगी और केरल की अर्थव्यवस्था को गड़बड़ा देगी, बिल्कुल यही इस वर्ष केरल में हुआ है। इस वर्ष नारियल और नारियल के तेल की कीमतों में वास्तव में बड़ी गिरावट आई है। 1984 में नारियल की कीमत 4 रुपये प्रति नारियल थी, अब यह गिरकर लगभग 1 रुपया प्रति नारियल रह गई है, नारियल तेल की कीमत 1984 में 3335 रुपया प्रति क्विंटल थी, और 1985 में यह गिर कर केवल 1350 रुपये रह गई है। इसने न केवल किसानों को बड़ा

आघात पहुंचाया है, वरन् पूरे राज्य को कुल मिलाकर 1000 करोड़ रुपये का भारी नुकसान पहुंचाया है। इस प्रकार किसान परेशानी में हैं और राज्य की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है।

इस संदर्भ में यह कहते हुए मुझे खेद होता है कि केंद्र सरकार ने किसानों को बचाने के लिए कुछ खास नहीं किया है। राज्य की आर्थिक स्थिति खराब है और किसानों को मदद देने में यह कोई खास काम नहीं कर सकती है। इसके बावजूद भी राज्य सरकार आगे आई और खोपरा खरीदने का प्रयत्न किया। केरल राज्य सरकारी विपणन संघ के माध्यम से राज्य सरकार ने खोपरा खरीदने का प्रयत्न किया। लेकिन संघ की अपनी सीमाएं हैं। पहली बात यह है कि इसका वित्तीय आधार कमजोर है, और दूसरे इसके पास कोई भण्डारण सुविधाएं नहीं हैं। अतः स्वाभाविक है कि खोपरा की खरीद करने के प्रयत्न असफल हो गए हैं और कीमतें गिरना जारी है।

मुझे यह कहने में वास्तव में खेद है कि सरकार के पास कृषि पदार्थों की कीमत निर्धारण के सम्बन्ध में कोई दीर्घावधि नीति नहीं है। सरकार इस सम्बन्ध में एक तदर्थ नीति का पालन कर रही है, मैं यह कहूंगा कि यह सरकार का कर्त्तव्य है कि वह कृषि पदार्थों की कीमतों में स्थिरता लाये और कीमतों में होने वाले भारी उतार-चढ़ावों के बुरे परिणामों से किसानों को बचाये। दुर्भाग्य से, सरकार को अभी भी ऐसी नीति तैयार करनी है, यही कारण है कि वर्तमान स्थिति उत्पन्न हुई है।

पिछले 15 वर्षों के दौरान सरकार, देश की औद्योगिक लाबी को संतुष्ट करने के लिए नारियल के तेल का समय-समय पर आयात करती रही है। इस आयात ने केरल की अर्थव्यवस्था को हमेशा भारी आघात पहुंचाया है। लेकिन हमारे प्रतिवाद को अनसुना कर दिया जाता है और हमारी समस्याओं पर विचार नहीं किया जाता है। राज्य सरकार और लोगों के प्रतिनिधि केन्द्र सरकार पर इस बात के लिए जोर देते रहे हैं कि नारियल और इसके उत्पादों की कीमतों में गिरावट को रोका जाये। लेकिन केन्द्र सरकार ने वह ध्यान नहीं दिया जो देना चाहिए था। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि केरल की समुद्र तटीय पट्टी में रहने वाले बहुसंख्यक लोग अपनी आजीविका के लिए पूरी तरह नारियल की खेती पर निर्भर करते हैं। मूल्यों में भारी कमी से उनकी आजीविका के साधनों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। आज केरल में ऐसी स्थिति है। निराशा के कारण लोग आन्दोलन पर उतर आये हैं। गाड़ियां रोकना, संसद पर अथवा कहीं और धरना देना शोभनीय नहीं है। परन्तु नारियल उत्पादकों की दयनीय दशा पर, जोकि छोटे तथा सीमान्त किसान हैं, ध्यान दिलाने के लिए और कोई रास्ता नहीं है।

अब गिरते हुए मूल्यों को स्थिर करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए ? मुझे कुछ सुझाव देने हैं। सबसे पहले सरकार को नारियल का समर्थन मूल्य निर्धारित करना चाहिए। किसानों को प्रति खोपरे पर 2 रुपये अवश्य मिलने चाहिए। उसी प्रकार खोपरा वसूली के लिए स्थायी व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि पूर्ति पर पूरा ध्यान दिया जा सके तथा राज्य व्यापार निगम को यह कार्य सौंपा जा सके। यदि पूर्ति को सरल और कारगर बना दिया जाता है तो मूल्यों में उतार-चढ़ाव कम ही आएंगे तथा मूल्य स्थिर हो जाएंगे। इसे तुरन्त किया जाना चाहिए। एक और सुझाव मैं देना चाहूंगा कि नारियल के तेल की कुछ मात्रा का निर्यात किया जाना चाहिए। हो सकता है हमें अन्य देशों

[श्री के० मोहनदास]

से भारी स्पर्धा का सामना करना पड़े। परन्तु सरकार को इस दिशा में ईमानदारी से प्रयास करना चाहिए इससे निश्चय ही किसानों को मदद मिलेगी तथा मूल्यों के घटने की प्रवृत्ति रुक जायेगी।

अन्त में मैं सरकार से फिर निवेदन करूंगा कि नारियल तथा उसके उत्पादों के मूल्यों को सुस्थिर करने के लिए सभी सम्भव उपाय करे। किसानों की तथा केरल की अर्थव्यवस्था को तबाही से बचाएं।

श्री मनोज पांडे (बेतिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी का ध्यान उत्तर बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों की ओर ले जाना चाहूंगा। आज की स्थिति तो यह है कि जो भी सपोर्ट प्राइज आप एनाउन्स करते हैं वह सपोर्ट हम लोगों को नहीं मिल पा रही है। आज स्थिति यह है कि धान की बिक्री सौ रुपये क्विंटल के भाव पर हो रही है और दूसरी ओर मार्केट से साढ़े तीन सौ रुपये क्विंटल के भाव पर चावल खरीदकर लोग खा रहे हैं तो इसमें ढाई सौ रुपये प्रति क्विंटल का जो मुनाफा है इसमें कम से कम डेढ़ सौ रुपया प्रति क्विंटल का मुनाफा बिचौलिए खा रहे हैं तथा इसी तरह की स्थिति हर साल चलती चली जा रही है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग की कोई व्यवस्था न होने के कारण ऐसा हो रहा है। इस सन्दर्भ में मैं माननीय मन्त्री जी से भी कई बार मिल चुका हूं और कन्सल्टेटिव कमेटी का भी मैं सदस्य हूं, वहां भी इस प्रश्न को उठा चुका हूं कि एग्रीकल्चरल मार्केटिंग की कोई व्यवस्था न होने के कारण सपोर्ट प्राइस के क्या मायने हैं? कोई मायने नहीं हैं। तब तक इस सपोर्ट प्राइस का किसानों के हक में कोई लाभ नहीं होगा जब तक कि आप एग्रीकल्चरल मार्केटिंग की व्यवस्था को एंश्योर नहीं कर लेते और राज्य सरकारें उसको सही रूप में लागू नहीं करतीं। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हो रहा है।

इस माननीय सदन में बैठकर चाहे कितनी भी व्यवस्था के बारे में बातें करें, लेकिन किसानों को आज भी उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है।

एक बात मैं और कहना चाहूंगा, जब भी हमने एग्रीकल्चर सैक्टर के बारे में बात कही है, तो उत्तर दिया जाता है कि यह अन आर्गेनाइज्ड सैक्टर है। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर यह कब तक अन-आर्गेनाइज्ड सैक्टर रहेगा। कभी न कभी तो आपको इसको आर्गेनाइज्ड सैक्टर बनाना ही पड़ेगा। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से बहुत ही विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर सैक्टर को आर्गेनाइज्ड सैक्टर बनाइए, ताकि इस समस्या का समाधान हो सके।

आज स्थिति यह है कि हर पंचायत में एग्रीकल्चरल लेबर की संख्या में वृद्धि हो रही है, जितने भी सीमान्त किसान और मंझोले किसान उत्तर बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं, वे सारे के सारे एग्रीकल्चर लेबर के रूप में कन्वर्ट हो रहे हैं। किसानों की संख्या घटती चली जा रही है। यही हालत बिचौलियों की है। इनके चलते हमारी स्थिति बहुत खराब हो रही है।

इन शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करते हुए मैं मन्त्री महोदय से पुनः निवेदन करता हूं कि वे इस ओर ध्यान दें।

कृषि मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : महोदय, सबसे पूर्व मैं कृषि उत्पादनों के मूल्यों के बारे में माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त मूल्यवान सुझावों के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं उनसे होड़ नहीं ले सकता क्योंकि वे लोग तथ्य बताने में बेहतर स्थिति में हैं, परन्तु देश के किसानों के साथ मेरी पूरी सहानुभूति है, जोकि अत्यन्त कठोर हालात में पैदावार करते हैं। अपने कृषि उत्पादनों को बेचते समय उन्हें जैसा कि श्रीमती शीला दीक्षित जी ने ठीक ही कहा है—समुचित प्रबन्ध के अभाव के कारण कष्ट उठाने पड़ते हैं।

सभा के समक्ष मामला सरकार की नीति का ही नहीं है अपितु उसके साथ कार्य प्रणाली का भी है। जैसा कि डा० ठाकुर ने कहा है कि कृषि उत्पादन के क्षेत्र में भारत ने विलक्षण सफलता प्राप्त की है परन्तु अभी भी हमें ऐसी प्रणाली का निर्माण करना है जिससे नियमित निगरानी, भण्डार सुविधा सहित नियमित मूल्य निर्धारण ढांचा, परिवहन सुविधाएं तथा कुछ फसलों को, जो प्राकृतिक प्रकोपों की शीघ्र पकड़ में आ सकती हैं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। कुछ माननीय सदस्यों ने पूछा है कि कपास को बीमा योजना के अन्तर्गत क्यों नहीं लिया गया है?

हमारी फसलों के कटने के बाद के प्रबन्ध से सम्बन्धित वर्तमान स्थिति के ये कुछ विभिन्न पहलू हैं। फसलों की कटाई के बाद उन पर ध्यान दिया जाना शायद आज की आवश्यकता है। भारत में कृषि उत्पादों की ओर उनकी कटाई के बाद अधिक ध्यान दिया जा सके इस सम्बन्ध में मेरा मंत्रालय तथा पूरी सरकार चेष्टा कर रही है। मुझे खुशी है कि श्री इन्द्रजीत गुप्त आ गए हैं, उन्होंने कुछ मूलभूत प्रश्न उठाए हैं।

इससे पूर्व कि मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठाई गई बातों को लूं, मैं इस सम्मानित सभा के समक्ष कृषि उत्पादों के सम्बन्ध में विश्व की स्थिति को रखना चाहता हूं, क्योंकि अलग रहते हुए हम अपनी स्थिति का आंकलन नहीं कर सकते। यदि हम कुछ वस्तुओं के 1985 के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों की तुलना 1984 के मूल्यों के साथ करें तो संपूर्ण विश्व में कृषकों की स्थिति को निराशाजनक पाएंगे। सोयाबीन का मूल्य 245 अमरीकी डालर से घट कर 207 अमरीकी डालर प्रति मीट्रिक टन हो गया है। ताड़ के तेल (पाम-आयल) का मूल्य 611 अमरीकी डालर से घट कर 360 अमरीकी डालर रह गया है। नारियल के तेल का मूल्य, जिसके सम्बन्ध में केरल के सभी माननीय सदस्य रोष प्रकट कर रहे थे, 1170 अमरीकी डालर से घट कर 427 अमरीकी डालर रह गया है। मूंगफली का तेल 931 अमरीकी डालर से घट कर 810 अमरीकी डालर पर आ गया। सोयाबीन तेल का मूल्य 694 अमरीकी डालर से घट कर 469 अमरीकी डालर रह गया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसिरहाट) : क्या आपका अभिप्राय यह है कि ये मूल्य किसानों को दिये जाते हैं?

सरदार बूटा सिंह : ये बाजार मूल्य हैं। मैं उनकी पिछले वर्ष के मूल्यों से तुलना कर रहा हूं। मैं विश्व-बैंक के आंकड़ों से उद्धृत कर रहा हूं। यह वर्तमान स्थिति है। मैं विश्व में घटते हुए कृषि उत्पादों के मूल्यों को दर्शाने की चेष्टा कर रहा हूं।

श्री एस० एम० भट्टम (विशाखापत्तनम) : क्या ये मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय मंडियों में किसानों को दिये जाते हैं ?

सरदार बूटा सिंह : मुझे पिछले वर्ष के बाजार भावों की इस वर्ष के बाजार भावों से तुलना करने दें। मैं कृषि मूल्यों की घटती हुई प्रवृत्ति पर ध्यान दिलाने की चेष्टा कर रहा हूं। पटसन का मूल्य 575 अमरीकी डालर से घट कर 350 अमरीकी डालर रह गया है। विश्व बाजारों में मूल्यों की यह प्रवृत्ति है। इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर हमें विचार करना है।

महोदय, मुझे हाल ही में कुछ उन्नत देशों की, जिनमें यूरोपीय देश भी सम्मिलित हैं, यात्रा करने का अवसर मिला, कुछ उन देशों के कृषि मंत्रियों से बात करने का अवसर मिला है जिन्होंने कृषि उत्पादन के क्षेत्र में अच्छा कार्य किया है, जैसे कि इन्डोनेशिया, चीन, जापान और नीदरलैंड में कृषि उत्पादन में बहुत प्रगति की है। उनके समक्ष भी वही स्थिति है। परन्तु हमारे देश में स्थिति अधिक गम्भीर बन गई है क्योंकि उत्पादन-लागत अधिक है। हमारे देश में प्रत्येक वस्तु की उत्पादन लागत अधिक है क्योंकि आदान महंगे हैं और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। सिंचाई बिजली तथा कच्चे माल को लागत अधिक है। चूंकि उत्पादन की लागत अधिक है अत: उत्पादित वस्तु महंगी पड़ती है जिसे हम अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में नहीं ले जा सकते। यदि हम उसे अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में ले जाते हैं तो हमें भारी हानि होगी जिससे फिर से मुद्रास्फीति होगी तथा आम अर्थ-व्यवस्था बिगड़ेगी।

विदेशी बाजारों में भारतीय कृषि उत्पादों का निर्यात करना कठिन है। बहुत से सदस्य यह जानना चाहते थे कि हम अपने कृषि उत्पादनों का निर्यात क्यों नहीं करते। इसका यही करण है। कौन उसे खरीदेगा ? किस मूल्य पर खरीदेगा ?

एक माननीय सदस्य : इसके लिए राज-सहायता दी जा सकती है।

सरदार बूटा सिंह : यदि आप सभी बातों के लिए राज-सहायता देंगे तो किसी व्यक्ति को तो भार वहन करना ही पड़ेगा। स्थिति अत्यन्त गम्भीर है तथा हम अपने ढंग से चेष्टा कर रहे हैं कि हालात अधिक न बिगड़ें। इसलिए पूरे ढांचे में सुधार लाना पड़ेगा और मैंने अपना भाषण भी इस बात से शुरू किया था कि हमें फसलों की कटाई के बाद ध्यान देने की पद्धति को विकसित करना है। इसके हर पहलू पर पर्याप्त ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। खेतों से अनाज के परिवहन को ही लें। यह बहुत पुराना तरीका है। गांवों में भंडारण सुविधाओं को ही लें। पर्याप्त भंडारण सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। परिणाम यह होता है कि किसानों को फसल तुरन्त बाजार ले जानी पड़ती है तथा कुछ बिचौलियों या उधार देने वालों से सम्पर्क करना पड़ता है। अत: हमें सहकारी अथवा किसानों

द्वारा बने किसी अधिकरण की व्यवस्था करनी पड़ेगी, ताकि किसानों द्वारा लाये गये उत्पादनों की ओर ध्यान दिया जा सके। हमें गांवों में पर्याप्त भंडारण क्षमता का निर्माण करना चाहिए ताकि किसान तब तक फसल को रख सकें जब तक मूल्य की यह स्थिति बनी हुई है।

अभी तक हम जीवन वाहक कृषि पर जीवन-यापन करते रहे हैं। अब समय आ गया है कि कृषि अब केवल जीवन-निर्वाह के लिए ही न हो। हमें भारतीय कृषि का व्यापारीकरण करना चाहिए। हमें फसल के साथ मूल्य को जोड़ना है। अभी पिछले दिनों मैं कपड़ा विभाग के कुछ अधिकारियों के साथ रुई के बारे में चर्चा कर रहा था। वहां पर मैंने वही प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा रुई को कौन खरीदेगा·· क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य बहुत कम है। मैंने अधिकारियों से पूछा कि हम रुई को रुई के रूप में क्यों बेचते हैं क्यों नहीं हम इससे कुछ बनाकर क्यों नहीं बेचते। यदि हम उसका धागा बनाकर बेचें तो उसकी बाजार में बेहतर कीमत मिलेगी। मुझे पता चला है देश में धागे की कमी के कारण बहुत सी मिलों को कठिनाई हो रही है तथा इस बारे में कुछ किया जाना चाहिए। एक उदाहरण द्वारा मैं बता रहा हूं कि यदि रुई को धागे में बदल दिया जाए तो अच्छा मूल्य मिल सकेगा तथा किसानों को उनके उत्पादनों का लाभप्रद मूल्य मिल सकेगा।

इसी प्रकार आलू का उपयोग सब्जी के रूप में शहरी क्षेत्रों में किया जाता है। ग्रामीण तथा गरीब लोग सब्जियां नहीं खरीद सकते। वे मिर्च तथा अचार आदि से ही रोटी खा लेते हैं, सब्जियां नहीं खरीद सकते। इसके बाद हम आलू को संसोधित करते हैं। इसे शहरी क्षेत्र में क्यों बेचा जाए, तथा शेष आलू को अन्य उपयोगों में क्यों नहीं लाया जाता? आलू से स्टार्च शराब आदि औद्योगिक पदार्थ बनते हैं। मक्का, गेहूं आदि की भी वैसी ही स्थिति है। गेहूं का आटे के रूप में उपयोग होता है। गेहूं, चावल से बहुत सी वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। तिलहनों से तेल निकालने पर हमें अधिक ध्यान देना चाहिए। मैं बहुत से सदस्यों द्वारा कही गई इस बात से सहमत हूं कि सरसों का अच्छा मूल्य नहीं मिल पाता। राजस्थान में पैदा हुई सरसों को तेल निकालने के लिए कलकत्ता भेजना पड़ता है। हम तेल निकालने की मिलें वहां पर ही क्यों नही खोलते ताकि किसान अधिक सरसों पैदा करें तथा अधिक मूल्य अर्जित करें। सरसों के तेल को वहीं इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि बहुत से ग्रामीण लोग खाना पकाने के लिए तेल का उपयोग करते हैं, चाहे वह मूंगफली का तेल हो अथवा तोरिए का तेल हो अथवा रेपसीड तेल हो। अतः हमें तेल निकालने के अधिक एकक लगाने चाहिए तथा अधिकांश तिलहनों से तेल निकाला जा सके।

इतना कहने के बाद मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा रखे गए प्रश्न को लेता हूं। उन्होंने पूछा है कि नीति क्या है? अब काफी समय हो चुका है तथा नीति नहीं बताई जा सकती। वह इसे भली प्रकार जानते हैं। महोदय, संक्षेप में नीति यह है कि सरकार किसानों को लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित करना चाहती है ताकि उन्हें उचित लाभ मिल सके तथा उन्हें उत्पादन बढ़ाने की प्रेरणा मिल सके और साथ ही उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्य पर मिल सकें।

महोदय, उत्पादकों के हितों के संरक्षण के लिए सरकार ने क्रय मूल्य नीति तथा समर्थन मूल्य

[सरदार बूटा सिंह]

नीति शुरू की है। क्रय मूल्य नीति केवल दो फसलों गेहूं तथा धान के लिए उपलब्ध है, जिसके अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम के लिए अनिवार्य है कि मंडियों में उपलब्ध सभी फालतू अन्न को खरीद लें। समर्थन मूल्य प्रक्रिया केवल वैकल्पिक व्यवस्था है। जब भी मूल्य, निर्धारित मूल्य पर पहुंचता है केवल तभी मार्किट एजेंसियां, सहकारी विपणन संघ अथवा सरकार बाजार में आती है और कृषकों की ओर हस्तक्षेप करती है और खरीद करती है। कृषि क्षेत्र की बहुत सी वस्तुएं समर्थन मूल्य नीति के अधीन आती हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि इस मामले को बार-बार सभा में उठाने का क्या लाभ है ? मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि पिछले सत्र में सभा में इस मामले की ओर ध्यान दिये जाने के कारण और माननीय सदस्यों के सुझावों पर अधिकांश फसलों पर इसका विस्तार कर दिया गया है। पहले मोटे अनाज इसके अन्तर्गत नहीं आते थे, तिलहन तथा ताजी सब्जियां नहीं आती थीं। मुझे याद है कि पिछली बार श्रीमती शीला दीक्षित मेरे पास भागी हुई आई तथा उन्होंने बताया कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आलू बहुत सस्ते बिक रहे हैं तथा किसानों को बचाने के लिए सरकार को बाजार में क्यों नहीं आना चाहिए। जब मैंने जांच की तो पता चला की आलू का कोई समर्थन मूल्य नहीं है। इसलिए हमें राज्य सरकार के परामर्श से निर्णय लेना पड़ा और पिछली बार हमने हस्तक्षेप किया। यह पहला अवसर था जबकि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश में आलू तथा प्याज को समर्थन मूल्य नीति के अन्तर्गत खरीदा गया। हमने समर्थन मूल्य पर आलू तथा प्याज की खरीद की तथा इससे शीघ्र नष्ट होने वाले पदार्थों के उत्पादकों को काफी सहायता मिली और मूल्य केन्द्रीय एजेंसी के हस्तक्षेप से स्थिर हुए।

6.00 म० प०

अब सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जिन मोटे अनाजों का उल्लेख मैं कर चुका हूं उन्हें समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत रखा जायेगा। केरल से निर्वाचित माननीय सदस्यों ने बहुत ही सुदृढ़ तर्क रखे हैं कि नारियल को भी इस योजना के अन्तर्गत रखा जाये। मुझे याद है कि पिछली बार मैंने कहा था कि नारियल, नारियल बोर्ड के अन्तर्गत आता है। मैं दृढ़तापूर्वक कहता हूं कि यह समर्थन मूल्य के दायरे में नहीं आता है, किन्तु इस बार माननीय सदस्यों ने सभा में जो सुदृढ़ तर्क दिये हैं उनको देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि नारियल को समर्थन मूल्य के अन्तर्गत रखा जायेगा और सरकार नारियल का उत्पादन करने वाले केरल राज्य तथा अन्य राज्यों को सहायता प्रदान करने की चेष्टा करेगी जिससे कि उत्पादकों को कठिनाई का सामना न करना पड़े।

माननीय सदस्य श्री इन्द्रजीत गुप्त भण्डारण क्षमता के बारे में जानना चाहते थे। इस समय भण्डारण क्षमता 3 करोड़ टन है जिसमें से 80 लाख टन की क्षमता ग्रामीण क्षेत्र की सहकारी समितियों के लिए उपलब्ध है। हमारा विचार ग्रामीण गोदामों का एक राष्ट्रीय ग्रिड बनाने का भी है। कृषि क्षेत्र के छोटे तथा सीमान्त उत्पादकों की सहायता करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से इसे बनाया जा रहा है। ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से भारत सरकार एक योजना चला रही है जिसके अन्तर्गत राज्य सरकारों सहकारी क्षेत्र और संस्थानों को बहुत अधिक राज्य सहायता दी जाती है किन्तु जब मैं विभिन्न राज्यों के कार्यनिष्पादन पर दृष्टिपात करता हूं तो पाता हूं कि यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वे आगे नहीं बढ़ रहे हैं। इसलिये माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध

है कि वे अपने पद की गरिमा का उपयोग करते हुए अपनी-अपनी राज्य सरकारों से कहें कि वे भंडारण की अधिक क्षमता बनायें और भारत सरकार उन्हें पर्याप्त राज सहायता प्रदान करेगी। सहकारी क्षेत्र तथा राज्य सरकार इस बात पर ध्यान दें कि गांवों में पर्याप्त भण्डारण क्षमता पैदा की जाये, क्योंकि इससे छोटे तथा सीमांत किसानों को तत्काल सहायता मिलती है।

जैसा कि मैंने कहा था, उपभोक्ताओं के हितों की भी रक्षा करनी होगी। एक ओर जहां हमें उत्पादकों को लाभकारी मूल्य देना सुनिश्चित करना है, वहीं हमें यह भी देखना है कि उपभोक्ता को, उत्पादकों और उपभोक्ताओं की सहकारिताओं के माध्यम से उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुयें प्राप्त हो सकें।

विभिन्न राज्य सरकारों के मंत्रियों के साथ हमारी अनेक बैठकें हुई हैं। अब, अगली बैठक ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ होगी। मैं इस मुद्दे पर प्रकाश डालने की चेष्टा करूंगा। उन्हें अब कृषि क्षेत्र की स्थिति की पूरी जानकारी प्राप्त हो जानी चाहिये। भारत सरकार अग्रदूत या मार्गदर्शन का कार्य तो कर सकती है किन्तु उत्पादकों को संगठित करने का कार्य वस्तुतः राज्य सरकारों को ही करना होगा। जूट उत्पादकों की दयनीय स्थिति के बारे में पश्चिम बंगाल की भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के साथियों से सुनना एक तरह से आश्चर्यजनक लगता है। मुझे उनसे पूरी सहानुभूति है, किन्तु इसका कोई कारण प्रतीत नहीं होता कि राज्य सरकार को सहकारी क्षेत्र के माध्यम से उत्पादकों को संगठित क्यों नहीं करना चाहिये। टाटा इत्यादि को वह किसानों को ठगने की अनुमति क्यों दे रही हैं ?...(व्यवधान)। आप अपनी सहकारी समितियों को संगठित क्यों नहीं करते हैं ?

एक माननीय सदस्य : हमने ऐसा किया है।

सरदार बूटा सिंह : आपने ऐसा नहीं किया है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : हमने उन्हें अधिग्रहण करने की मांग की है...(व्यवधान)। आप हमें धन दीजिये।

सरदार बूटा सिंह : हम आपको धन क्यों दें? सहकारी आन्दोलन आप चलायें।...(व्यवधान) मुझे अब मार्क्सवादियों को सहकारिता का आधार सिखाना पड़ेगा। मुझे खेद है कि मार्क्सवादियों को सहकारी सिद्धांत सिखाने के लिये मैं सर्वोत्तम व्यक्ति नहीं हूं। उन्हें उनके बारे में पता होना चाहिये, वस्तुतः हम लोग यथा संभव सहायता कर रहे हैं। हम लोग निश्चित ही सहायता करेंगे, किन्तु वे लोग पहल तो करें...(व्यवधान) पश्चिम बंगाल में पूंजीपतियों के भंवर जाल में फंसी हुई आपकी मार्क्सवादी सरकार है। आप उससे छुटकारा पाने की चेष्टा कीजिए और हम लोग आपकी सहायता करेंगे। आपको सहकारिताओं का निर्माण करना चाहिये।

श्री अमर राय प्रधान : मेघालय, बिहार, असम, त्रिपुरा में भी पटसन उत्पादक हैं। क्या वे लोग बेहतर हैं ?

सरदार बूटा सिंह : हमें पहले पश्चिम बंगाल में करने दीजिए; इसके बाद हम लोग त्रिपुरा में करेंगे।

मैं माननीय सदस्यों से यह तर्क करने की चेष्टा कर रहा हूं कि वे लोग पश्चिम बंगाल में सहकारी आन्दोलन सुदृढ़ करें जिससे कि देश के अन्य भागों के लोगों को यह पता चल जाये कि वे लोग समाजवादी विचारों के प्रति वचनबद्ध हैं।

अब, अवधि समाप्त हो रही है और आपको सजग हो जाना चाहिये। आप लोगों से जाकर क्या कहेंगे ? इसलिये, हम यह देखना चाहेंगे कि एक वास्तविक सहकारी आन्दोलन पश्चिम बंगाल में उठ रहा है। यह सुनिश्चित करने के लिए हम आपको हर प्रकार की सहायता देना चाहते हैं कि आप उत्पादकों, खेतिहरों की और किसानों की सहायता करें। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आपके राज्य में भूमि सुधार का कार्यान्वयन बेहतर ढंग से किया गया था। किन्तु इसके साथ ही आपको सहकारी समितियों को संगठित करने में किसानों की सहायता करनी चाहिये और यह सुनिश्चित करना चाहिये कि किसानों को उनकी अपनी उत्पादित वस्तुओं का लाभकारी मूल्य दिलाया जाये।

माननीय सदस्यों ने पटसन के बारे में अपनी चिंता ठीक ही व्यक्त की है। मुझे याद है कि पिछले सत्र में भी इसके बारे में एक प्रश्न पूछा गया था और मैंने उसका उत्तर दिया था। केवल मैंने ही नहीं, अपितु मेरी ओर से कुछ पूरक उत्तर माननीय मन्त्री श्री चन्द्र शेखर सिंह द्वारा यह जोड़ते हुए दिये गये थे कि वस्त्र विभाग 25 रुपये और देगा तथा पटसन निगम से बाजार में प्रवेश करने तथा भण्डार की खरीद करने को कहेगा। यदि मैं आंकड़े प्रस्तुत करूं तो पता चलेगा कि पटसन निगम ने इस बार जो खरीद की है वह इस समय तक बहुत ही अच्छी है। इस बार 16 लाख गांठें तैयार हुई हैं जबकि गत वर्ष के 7.7 लाख गांठें तैयार की गई थीं। इस प्रकार गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष दूना उत्पादन हुआ है।

एक और आशाजनक स्थिति है। कपड़ा विभाग ने यह सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाया है कि अधिकांश बन्द यूनिटें पुन: खोले जायें तथा उन्हें कार्य करने दिया जाए जिससे कि उनके द्वारा पटसन खरीदे जाने से उत्पादकों को भी सहायता मिल सकें। हमने अनेक ऐसे कदम उठाए हैं जिससे पटसन उत्पादकों को सहायता मिली है। बड़े पैमाने पर खरीद करने के लिए राज्य की सहकारी समितियों को सुदृढ़ करके तथा अग्रिम ऋण देकर, नये केंद्रों का संचालन करने के लिए अतिरिक्त स्टाफ की भर्ती करके तथा मौजूदा केंद्रों की व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए नैमीत्तिक श्रमिक नियुक्त कर, खरीददारी के लिए अस्थाई तौर पर राष्ट्रीय पटसन उत्पादन निगम लिमिटेड से स्टाफ उधार लेकर, भण्डारण के लिए अतिरिक्त स्थान अधिगृहीत कर, 11 लाख गांठों की भंडारण क्षमता से 15 लाख की गांठों की क्षमता बढ़ाकर, भारतीय रिजर्व बैंक से मूल्य समर्थन और वाणिज्यिक संचालनों के लिए दो पृथक ऋण सीमाओं की अनुमति प्राप्त कर हमने जूट उत्पादकों की सहायता की है। वस्तुतः मूल्य समर्थन के प्रचालन के लिए व्यावहारिक रूप से ऋण सीमा असीमित की जा रही है।

भारतीय पटसन निगम 16 लाख गांठ कच्चा पटसन खरीद चुका है जो कि किसी भी वर्ष की

समकालीन अवधि की तुलना में भारतीय पटसन निगम की सबसे बड़ी खरीददारी है।

श्री अमर राय प्रधान : सहकारी समितियों तथा भारतीय पटसन निगम के आंकड़ों का ब्यौरा क्या है ? क्या आप हमें बता सकते हैं ?

सरदार बूटा सिंह : इस समय मेरे पास आंकड़े नहीं हैं, किन्तु मैं निश्चित रूप से माननीय सदस्य को सूचना दे दूंगा।

जहां तक कपास का संबंध है, बाजार समर्थन प्रचालन के अधीन भारतीय कपास निगम अच्छे किस्म की कपास घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदता है। जब गुणवक्ता के नमूने के अनुसार कपास प्राप्त नहीं हो पाती है तब उसके लिए स्वाभाविक रूप से सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम मूल्य दिया जाता है। भारतीय कपास निगम उत्पादन वर्ष का ध्यान किए बिना ही सारी कपास खरीद लेता है तथा विविधता किस्म के अनुसार मूल्य चुकाता है। भारतीय कपास निगम का प्रारम्भिक कार्य राष्ट्रीय कपड़ा निगम तथा अन्य मिलों के लिए कच्चे माल की खपत को पूरा करने के विचार से वाणिज्यिक रूप से तथा मूल्य समर्थन साधन द्वारा कपास की खरीद करना है। कपास के भंडार को, स्वदेशी मिलों की आवश्यकता को तथा अन्तर्राष्ट्रीय कपास के बाजार को ध्यान में रखते हुए, यदि आवश्यक हुआ तो भारतीय कपास निगम को कपास का निर्यात करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

आंध्र प्रदेश से आये माननीय सदस्य ने इसके सम्बन्ध में एक मुद्दा उठाया था और जैसा कि एक माननीय सदस्य ने स्वयं ही बताया था कि केन्द्रीय दल आंध्र प्रदेश में है और हम लोग उसके प्रतिवेदन की प्रतीक्षा में हैं। इस दल के लौटने तथा प्रतिवेदन समर्पित करने के बाद हम लोग केन्द्रीय सरकार के दल द्वारा की गई सिफारिशों पर अपेक्षित ध्यान देंगे।

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : वे खरीददारी नहीं कर रहे हैं।

सरदार बूटा सिंह : सरकार प्राधिकृत कर चुकी है······ **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : वे लोग परचेज नहीं कर रहे हैं। 21 तारीख को गए हैं और आज 25 तारीख हो गई है।······ **(व्यवधान)**

आदिलाबाद में कपास को भी जला रहे हैं।

सरदार बूटा सिंह : किसानों को अच्छी बातें भी सिखाइए। जलाने की बात मत कीजिए।···

(व्यवधान)

[सरदार बूटा सिंह]

मैं आपको बताता हूं, आप बैठिए··· (व्यवधान)

श्री सी० जंगा रेड्डी : जलाने की बातें हम नहीं सिखा रहे हैं, जलाने के लिए आप हमें फोर्स कर रहे हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। तर्क करने का यह तरीका नहीं है। यदि यह स्वीकार नही करते हैं, तो मैं आपको अनुमति नहीं दे सकता हूं। श्री जंगा रेड्डी जी कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : पिछली बार आदिलाबाद में कौटन के लिए आपने 535 रु० दिया इस कारण वहां लोग जला रहे हैं।

सरदार बूटा सिंह : लास्ट टाइम, आन्ध्र प्रदेश को हमने एक्सपोर्ट के लिए 10 हजार बेल्स की अनुमति दी।

[अनुवाद]

पिछली बार, हमने गत वर्ष की फसल के लिए 10,000 गांठों का कोटा निश्चित किया था। किन्तु उन्होंने कपड़ा आयोग के लिए केवल 5000 गांठों के लिए पंजीकरण किया था। हमने आन्ध्र प्रदेश को 10,000 गांठों का निर्यात करने की अनुमति दी थी। किंतु उन्होंने केवल 5000 गांठें पूंजीकृत की थी। 10 अगस्त को······ (व्यवधान)

अगस्त, 1985 तक उन्होंने केवल 5000 गांठें पंजीकृत कीं थीं और उन्होंने उसमें से ही निर्यात किया था······ (व्यवधान)

श्री सी० जंगा रेड्डी : मेरे पास वह दस्तावेज हैं जो संसद में प्रस्तुत किया गया था। मैं आपको दिखाऊंगा, महोदय ··· (व्यवधान)

सरदार बूटा सिंह : मेरे पास आंखों देखा हाल नहीं है, यदि आप मुझसे सहमत हों तो···

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप कुछ कहना चाहते हैं; तो सूचना दीजिए, मैं विचार करूंगा। मैं इस समय आपको अनुमति नहीं दे सकता हूं··· (व्यवधान)

सरदार बूटा सिंह : यह सूचना मुझे आन्ध्र प्रदेश की सरकार के माध्यम से प्राप्त हुई थी और मैं उसीसे उद्धृत कर रहा हूं और यदि आपको इसमें कोई गलती मालूम पड़ती है; तो आप राज्य सरकार से पूछताछ कर सकते हैं। उन्होंने जो 5000 गांठें पंजीकृत कीं, उनमें से केवल 3140 गांठें निर्यात की गई थीं··· (व्यवधान)

श्री सी० जंगा रेड्डी : वह सभा को गुमराह कर रहे हैं···

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए।······

(व्यवधान)**

श्री सी० जंगा रेड्डी : उन्होंने सभा को बताया कि उन्होंने 5000 गांठें दी हैं। यह उत्तर उन्होंने ही दिया है ··

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में शामिल न करें। यदि कोई विरोधात्मकता है; तो कृपया मुझे लिखित रूप में विवरण दीजिए।

सरदार बूटा सिंह : महोदय, संसद में मैंने जो कुछ भी दिया है, वह राज्य सरकार से प्राप्त हुआ है···

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय जो कुछ कहते हैं, आप कृपया उस पर ही विचार करें···

(व्यवधान)**

सरदार बूटा सिंह : यह वही आंकड़ें हैं जो मुझे प्राप्त हुए हैं।··· (व्यवधान)

यदि माननीय सदस्य इसे ठीक करना चाहते हैं तो वह ऐसा कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जंगा रेड्डी, कृपया बैठ जाइए। कोई भी बात कार्यवाही वृत्तांत में

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सम्मिलित नहीं की जाएगी। मंत्री महोदय आप अपनी बात जारी रखें। आप सूचना दीजिए, मैं उस पर विचार करूंगा। मैं इस समय आपको अनुमति नहीं दे सकता हूं···

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : आपने बताया कि आंध्र प्रदेश में स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन को आपने 10 हजार बेल्स बेचने की अनुमति दी मगर हमने 15 हजार बेल्स बेचा··· (**व्यवधान**) ···यह रिकार्ड पर है···

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप लिखित में दें, मैं सत्यापित करूंगा। मैं आपको इस प्रकार अनुमति नहीं दे सकता हूं···

कोई भी बात कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं की जाएगी।

(व्यवधान)**

सरदार बूटा सिंह : ये आंकड़े राज्य सरकार द्वारा दिए गए हैं। यदि आपके पास इसके अतिरिक्त कोई और सूचना है; तो मैं उसे मान लूंगा। मुद्दा क्या है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप इसी तरह बोलते रहेंगे तो मैं सभा स्थगित कर दूंगा। मैं यही कर सकता हूं। मैंने आपको कहा था, कि यदि आपको कोई आपत्ति है, तो मैं उस पर विचार करूंगा। यह कोई तरीका नहीं है। आप वरिष्ठ सदस्य हैं। आपको सुनना पड़ेगा।

(व्यवधान)**

[हिन्दी]

सरदार बूटा सिंह : जंगा रेड्डी जी, यदि आप कहते हैं, कि आपकी फिगर्स ठीक हैं,

[अनुवाद]

हम लोग उन्हें मान लेंगे; किंतु मुझे तो यही सूचना प्राप्त हुई है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : आप उनके आंकड़ों को चुनौती नहीं दे सकते हैं।

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सरदार बूटा सिंह : मैं उनके आंकड़ों को चुनौती नहीं दे रहा हूं। किंतु मैं अपने आंकड़ों पर भरोसा करने की चेष्टा कर रहा हूं।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय भी यही कह रहे हैं कि उन्हें ये आंकड़े राज्य सरकार के अभिलेख से प्राप्त हुए थे। तब, श्री जंगा रेड्डी, आप इस प्रकार तर्क क्यों कर रहे हैं ?

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रकार वाद-विवाद करने की अनुमति नहीं दूंगा। अन्यथा मैं सभा स्थगित कर दूंगा। मैं इतना ही कर सकता हूं। (व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जंगा रेड्डी, चर्चा का उत्तर आप दे रहे हैं, अथवा मन्त्री महोदय दे रहे हैं ? मैं यह जानना चाहता हूं। आप अपने स्थान पर बैठ जाइए।

सरदार बूटा सिंह : कपास पर बोलने के बाद मैं अब नारियल पर बोलना चाहूंगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कृपया आंकड़ों की जांच कर लीजिए।

सरदार बूटा सिंह : जी हां, मैं यही करूंगा। किंतु वह आपत्ति क्यों कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम, क्योंकि ये आंकड़े राज्य सरकार से प्राप्त हुए हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : दोनों आंकड़े ठीक नहीं हो सकते हैं। या तो उनके आंकड़े सही हैं अथवा मन्त्री महोदय के।

सरदार बूटा सिंह : मैं राज्य सरकार से पता करूंगा। हो सकता है कि जिस अवधि का उल्लेख वह कर रहे हैं; वह इसमें सम्मिलित न हो, अथवा मैं जिस अवधि का उल्लेख कर रहा हूं; उसे उन्होंने शामिल न किया हो

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय कह रहे हैं कि वह जांच करवा लेंगे। अब सभा का समय बर्बाद कर रहे हैं। मैं इतना ही कह सकता हूं।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : सर, स्टेट का और सेंटर का आपस में कोई तालमेल नहीं है।

(व्यवधान)

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सरदार बूटा सिंह : हमारा तालमेल आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के साथ है, शायद आपके साथ नहीं होगा। इसलिए आप कृपया बैठ जाइए। आपकी फिगर्स हम बाद में देख लेंगे।...

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सी० जंगा रेड्डी : वह उस दर पर नहीं खरीद रहे हैं, जो आपने निर्धारित की है। हमारा मतलब यही है।

सरदार बूटा सिंह : ठीक है; हम लोग जांच कर लेंगे। कृपया बैठ जाइये। महोदय, श्री उत्तम राठौर ने नारियल के बारे में कहा था और मैंने यह उत्तर दिया है कि इसे समर्थन मूल्य में सम्मिलित कर लिया जायगा। उन्होंने यह भी कहा था कि कपास को फसल बीमा योजना के अन्तर्गत रखा जाये। सभा को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि कपास को फसल बीमा योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किया जायगा। इस बात का निर्णय हो चुका है।

अब नारियल से संबंधित समस्या को लिया जायगा जिसका सामना केरल सरकार को करना पड़ रहा है। केरल सरकार ने केरल स्टेट कोपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन और केरल कोकोनट डेवलेपमेंट कारपोरेशन के माध्यम से खोपरा बाजार में 27 जून, 1985 से हस्तक्षेप किया है, और वे लोग 1200 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खोपरा खरीद रहे हैं। अब तक मार्केटिंग फेडरेशन ने अब तक 15000 टन खोपरा खरीदा है।

मार्केटिंग फेडरेशन द्वारा खोपरा खरीदने के लिए रिजर्व बैंक ने केरल सरकार को 22 करोड़ रुपये के ऋण के लिए प्राधिकृत किया है।

मई, 1984 से खोपरा और नारियल के तेल का आयात बन्द कर दिया गया है। खाद्य प्रयोजनों के लिये इन वस्तुओं का आयात नहीं किया गया है।

अब जड़ों को मुरझाने से बचाने के लिए तथा अनुत्पादक वृक्षारोपण को पुनः हरा-भरा बनाने के लिए वित्तीय सहायता के बारे में चर्चा की जाये :

(एक) छठी योजना अवधि के दौरान, रुग्ण ताड़-वृक्षों को हटाने के लिए नारियल उत्पादकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये केरल में एक योजना कार्यान्वित की गई थी और नारियल विकास बोर्ड के माध्यम से उसके लिए अब तक 84.75 लाख रुपया दिया जा चुका है। इस योजना के अनुसार उत्पादकों को रोग से प्रभावित वृक्षों को हटाने के लिए 75 रुपये प्रति वृक्ष की दर से

नकदी सहायता दी गई थी और पौध लगाने तथा खाद तथा पौधों को सुरक्षित रखने वाले रसायनों जैसे आवश्यक सामानों के लिये व्यय की गई लागत की 50 प्रतिशत राजसहायता दी गई थी।

(दो) केरल में वृक्षों की बीमारियों और अनुत्पादकता से छुटकारा दिलाने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में राज्य में एक और योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत 4.4 लाख मिश्रित वृक्षारोपण तथा उर्वरकों के 50 प्रतिशत लागत पर सप्लाई करने का विचार है। छठी योजना के अन्तर्गत आई 102.93 लाख रुपये की कुल लागत के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकार आधे-आधे के भागीदार होंगे।

(तीन) नारियल के लिए सूखे के कारण केरल को दी गई सहायता इस प्रकार है :

(क) जड़-मुरझाने की बीमारी से प्रभावित वृक्षों को हटाने के लिए 30 लाख रुपये

(ख) सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में नारियल के वृक्ष लगाने के लिये 15 लाख रुपये

ये है कुछ नये कदम जो हमने उठायें हैं। **(व्यवधान)**

श्री ए० चार्ल्स : औद्योगिक प्रयोजनों के लिए नारियल के तेल के आयात करने के बारे में क्या स्थिति है ?

सरदार बूटा सिंह : निर्यातकों को सीमित मात्रा में ही नारियल का तेल सप्लाई की भरपाई करने की अनुमति दी गई थी। वास्तविकता यह है कि नारियल के तेल का आयात नहीं किया जा रहा है। भाषण समाप्त करने से पूर्व मैं नारियल के बारे में अन्तिम बात कहना चाहूंगा। योजना तथा गैर योजना निधियों के रूप में छठी योजना अवधि के दौरान नारियल विकास बोर्ड को 3.5 करोड़ रुपये दिये गये थे। सातवीं योजना में नारियल विकास बोर्ड के विकास कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाने का विचार है। तदनुसार विभिन्न प्रकार के विकास कार्यक्रम संचालित करने के लिए बोर्ड को लगभग 75 करोड़ रुपये दिये जायेंगे।

माननीय सदस्यों को मैं एक बात का आश्वासन देना चाहता हूं कि कृषि मंत्रालय में हम लोग यह सुनिश्चित करने के लिए कटिबद्ध हैं कि हमारे किसानों को अपना उत्पाद मजबूरी में बेचने के लिए विवश न किया जाये। मैं माननीय सदस्यों विशेषकर उन सदस्यों की बात से सहमत हूं जहां मजबूरी में बिक्री होती रहती है, चाहे इस बिक्री का संबंध तिलहनों अथवा टमाटर और प्याज जैसी खराब होने वाली वस्तुओं से हो, कटाई के मौसम से पूर्व हम सुविचारित योजना बनायेंगे। नेफेड को यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय करने तथा राज्य सरकारों से बात-चीत करने के लिए अनुदेश जारी कर दिये गये हैं कि वस्तुओं के बाजार से आने से पूर्व इस बात का ध्यान रखने के लिए राज्य सहकारी विपणन महासंघ के माध्यम से, नेफेड अपने माध्यम से और अन्य सरकारी एजेन्सियों के माध्यम से

[सरदार बूटा सिंह]

उन्हें बाजार में उपस्थित रहने के लिए समुचित कदम उटाये जायें जिससे कि मध्य पुरुष तथा साहूकार किसान को न ठग सकें। कृषि मंत्री के रूप में मुझे सबसे अधिक प्रसन्नता इस बात से होगी कि मंडियों में किसान इन असामाजिक तत्वों द्वारा न ठगे जायें जो देश की कुछ मंडियों में किसानों की दयनीय स्थिति से फल-फूल रहे हैं। मुझे इस बात से भी प्रसन्नता होगी यदि माननीय सदस्य गण यह स्पष्ट कर दें कि वे लोग क्या चाहते हैं कि इस कार्य में नेफेड हस्तक्षेप करे अथवा राज्य विपणन महासंघ और मैं तदनुसार ही तत्काल अनुदेश जारी कर दूंगा।

इन शब्दों के साथ ही, मैं उन माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अपने अमूल्य विचारों से मुझे अवगत कराया।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा कल 11 बजे म० पू० तक के लिये स्थगित होती है।

6.23 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार 26 नवम्बर, 1985/5 अग्रहायण 1907 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

मुद्रक : विन्ध्यवासिनी पैकेजिंग न्यू सीलमपुर, दिल्ली-53